मारवाड़ का इतिहास

द्वितीय भाग

[महाराजा मानसिंहजी से लेकर वि० सं० १९९५
(ई० स० १९३८) तक]

THE PALACE,
JODHPUR,
RAJPUTANA.

SPECIAL SANAD.

It is a source of genuine satisfaction to us to express our appreciation of the loyal, honest and scholarly services put in by PANDIT BISHESHWAR NATH REU over a period of 30 years.

2. Under Mr. Reu's vigilant care, the Museum, the Public Library and the Archaelogical Department have achieved great success.

3. Besides this, Mr. Reu has successfully completed the very difficult task of completing an impartial STATE HISTORY in a scholarly manner. This history had shown no sign of progress during the last three generations and Mr. Reu's work has been well commended by Scholars in India and abroad, for the amount of patient care and diligent research devoted to it.

4. This Special Sanad for his commendable merits is, therefore, given to Pandit Reu.

MAHARAJA.

Brightland's Hotel,
Dated, Camp Murree,
the 23rd July 1940..

जोधपुर-महाराजा साहब द्वारा इस इतिहास के लेखक को प्रदान की हुई ख़ास सनद ।

मारवाड़ का इतिहास

द्वितीय भाग

लेखक

पण्डित विश्वेश्वरनाथ रेउ

साहित्याचार्य

सुपरिराटैराडैराट-आर्कियॉलॉजीकल डिपार्टमैराट

और

सुमेर पब्लिक लाइब्रेरी

तथा

भूतपूर्व प्रोफ़ेसर-जसवन्त कॉलिज

जोधपुर.

[कॉरस्पॉरिडङ्ग मैम्बर—इरिडयन हिस्टोरिकल रैकर्ड्स कमीशन]

जोधपुर

आर्कियॉलॉजीकल डिपार्टमैराट

१९४०

जोधपुर गवर्नमैराट प्रेस में मुद्रित.

मूल्य ५) सजिल्द
४॥) विना जिल्द

प्राक्-कथन ।

पहले मारवाड़ के इस इतिहास को एक भाग में ही प्रकाशित करने का विचार था, परन्तु बाद में अनेक उपयोगी परिशिष्टों के कारण इसकी पृष्ठ-संख्या बढ़ जाने से इसे दो भागों में विभक्त करदेना उचित समझा गया। इसी से इसके प्रथम भाग में प्रारम्भ से लेकर महाराजा भीमसिंहजी तक का और द्वितीय भाग में महाराजा मानसिंहजी से लेकर वि० सं० १९९५ (ई० स० १९३८) तक का इतिहास दिया गया है। साथ ही इस द्वितीय भाग में अनेक उपयोगी परिशिष्टों और समग्र इतिहास की वर्णानुक्रमणिका का समावेश भी कर दिया गया है। इसके अलावा अनुक्रमणिका में आए हुए समान नामों में भेद प्रदर्शित करने के लिये वहीं पर उनका यथा-सम्भव संक्षिप्त परिचय भी जोड़ दिया गया है।

यहां पर यह प्रकट करदेना भी आवश्यक प्रतीत होता है कि इस इतिहास की उपयोगिता के विषय में देशी और विदेशी विद्वानों ने जो सुविचार प्रकट किए हैं, उनके लिये लेखक उन सब का अत्यन्त आभारी है और इसी से उनके प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करदेना अपना कर्तव्य समझता है।

पाठकों को यह सूचित करदेना भी अनुचित न होगा कि लेखक का लिखा राष्ट्रकूटों (राठोड़ों) का इतिहास, जिसका अंगरेज़ी और हिन्दी संस्करण क्रमशः ई० स० १९३३ और १९३४ में प्रकाशित हो चुका है और जिसमें कन्नौज-नरेश महाराजा जयचन्द्र तक का इतिहास दिया गया है, एक प्रकार से हिन्दू कालीन राष्ट्रकूटों का इतिहास है। साथ ही उसमें राष्ट्रकूटों और गाहड़वालों के वंश पर भी पूरी तौर से विचार किया गया है। ई० स० १९३८ में प्रकाशित इस मारवाड़ के इतिहास के प्रथम भाग में मुस्लिम और मरहटा-कालीन मारवाड़-नरेशों का और इसके इस द्वितीय भाग में ब्रिटिश कालीन मारवाड़-नरेशों का इतिहास प्रकाशित हुआ है।

इस कथन की समाप्ति के साथ ही यह निवेदन करना भी अप्रासङ्गिक न होगा कि इस इतिहास में 'स्खलनं हि मनुष्यधर्मः' इस कहावत के अनुसार रही त्रुटियों के लिये विद्वान् लोग क्षमाप्रदान की उदारता प्रदर्शित करेंगे और यदि उनकी सूचना लेखक को देने की कृपा करेंगे तो अगले संस्करण के संशोधन में उससे विशेष सहायता मिल सकेगी।

आर्कियॉलॉजीकल डिपार्टमैंट
जोधपुर
आषाढ़ सुदि १४ वि० सं० १९९६.

विश्वेश्वरनाथ रेउ

जोधपुर–महाराजा साहब की प्रदान की हुई ख़ास सनद[1]।

राजमहल
जोधपुर,
(राजपूताना).

ख़ास सनद।

पण्डित विश्वेश्वरनाथ रेउ ने जो ३० वर्ष से भी अधिक स्वामिभक्ति, ईमानदारी और विद्वत्ता से पूर्ण सेवा की है, उसके लिए अपनी प्रसन्नता प्रकट करना हमारे लिए सच्ची खुशी का कारण है।

२. श्रीयुत रेउ की सावधानतापूर्ण देख-रेख में अजायबघर, सार्वजनिक-पुस्तकालय और पुरातत्व-विभाग ने बड़ी उन्नति की है।

३. इसके अतिरिक्त श्रीयुत रेउ ने पक्षपातरहित सरकारी इतिहास के अत्यन्त कठिन कार्य को भी विद्वत्तापूर्ण रीति से समाप्त करने में सफलता प्राप्त की है। इस इतिहास के कार्य में गत तीन पीढीयों से कुछ भी प्रगति के चिह्न दिखाई नहीं देते थे, परन्तु इस कार्य में प्रदर्शित अविचल सावधानता और श्रमसाध्य खोज के लिए भारत तथा बाहर के विद्वानों ने श्रीयुत रेउ की बहुत प्रशंसा की है।

४. इसलिए यह ख़ास सनद पण्डित रेउ को उनकी प्रशंसनीय योग्यताओं के लिए प्रदान की जाती है।

ब्राइटलैंड्स होटल,
कैंप मरी,
२३ जुलाई १९४०.

उम्मेदसिंह,
महाराजा.

---

१. इस 'ख़ास सनद' का चित्र इस भाग के आदि में महाराजा साहब के चित्र के सामने लगा है।

जोधपुर-राज्य के पब्लिक वर्क्स मंत्री

का

वक्तव्य

मारवाड़ के इतिहास के इस दूसरे भाग को प्रकाशित करने के साथ ही इसके लेखक पण्डित विश्वेश्वरनाथ रेउ अपने तेरह वर्षों के अथक परिश्रम को पूरा कर रहे हैं। वे अपनी सफलता के लिये बधाई के पात्र हैं—यह बधाई केवल इसीलिये नहीं है कि उन्होंने बड़ी विद्वत्ता के साथ राठोड़ों के इतिहास से सम्बन्ध रखनेवाले ऐतिहासिक तथ्यों को सिद्ध करने में परिश्रम उठाया है, किन्तु भारतीय और बाहर के अनुसन्धान करनेवाले विद्वानों और उनकी सभाओं ने उनके कार्य की जो समानरूप से प्रशंसा की है उसके लिये है।

इन दीर्घकालीन ऐतिहासिक घटनाओं को इतने भिन्न-भिन्न स्थानों से लेकर क्रमबद्ध करना कोई साधारण सफलता का कार्य नहीं है। परन्तु पण्डित विश्वेश्वरनाथ इससे भी आगे बढ़ गए हैं और उन्होंने जहां-जहां से ये घटनाएं ली हैं, उन स्थानों के उल्लेख करने का भी प्रयत्न किया है।

आम तौर पर ऐतिहासिक इस बात का अनुभव करते हैं कि यह कार्य अन्धकार में छिपे समय पर प्रकाश डालने का सफल उद्योग है और यह बात उनकी दी हुई सम्मतियों से सिद्ध है। वे लोग उपस्थित की हुई ऐतिहासिक बातों को और उनके लिये दिए गए प्रमाणों को भी स्वीकार करते हैं, यह भी पहले के समान ही प्रकट है।

पण्डित विश्वेश्वरनाथ ने इस कार्य को, जो उनके हाथ में लेने के पहले ३८ वष से यों ही पड़ा था, पूरा कर साधारणतया इतिहास को और खासकर मारवाड़ को बड़ा आभारी किया है।

एस. जी. एडगर,

आइ. एस. ई.,

पब्लिक वर्क्स मिनिस्टर,

गवर्नमैन्ट ऑफ़ जोधपुर.

(I) With the publication of the second volume of the History of Marwar, its author, Pandit Bisheshwar Nath Reu brings to a close the assiduous work of some 13 years. He is to be congratulated on his achievement—not only for the pains he has taken in establishing the historical facts relating to Rathor History in a most scholarly manner, but on the general appreciation of the work as voiced by research scholars and learned societies in and out of India.

To marshal historical facts over such an extended period from so many diverse sources is no small achievement but Pandit Bisheshwar Nath has gone further than this in, that he has endeavoured to quote the source of the information presented.

That historians generally realise that the work is an attempt to throw light on an obscure period is obvious from the opinions they have expressed. That they accept the marshalling of the facts, and the evidence laid is however equally obvious.

Pandit Bisheshwar Nath in completing a work which hung fire for some 39 years prior to the commencement of his labours, has placed Marwar in particular and history in general under a debt of gratitude.

S. G. EDGAR, I. S. E.,
Public Works Minister,
Government of Jodhpur.
Jodhpur.

Dated 15th February, 1940.

जोधपुर-राज्य के मिनिस्टर-इन-वेटिंग

का

वक्तव्य

मारवाड़ के इतिहास का द्वितीय भाग मेरे सामने है। यह अपने ढंग का एक अनुपम ग्रन्थ है, और ग्रन्थकारद्वारा उस कठिन विषय को, जो कि ऐतिहासिक अन्धकार में ढका पड़ा था, सावधानी और विद्वत्ता के साथ उपयोग में लाने का पर्याप्त प्रमाण रखता है।

श्रीयुत रेउ अपने १३ वर्षों के अनवरत अध्ययन और खोज के बाद एक शक्तिशाली जाति के इतिहास का, विस्मृति के गर्त से, उद्धार करने में समर्थ हुए हैं, यह कोई साधारण सफलता नहीं है, और विशेषतया उस अवस्था में, जिसमें पण्डितजी से पहले के अधिकारियों ने ५० वर्ष से भी अधिक लंबे समय से इसे अधूरा ही छोड़ रक्खा था और राज्य भी इसके लिये * हजारों की संख्या में एक बहुत बड़ी रकम खर्च कर चुका था।

इस (ऐतिहासिक) विषय में मुझ से अधिक योग्यता रखनेवाले विद्वानों ने इस ग्रन्थ का अच्छा स्वागत किया है। मैं पण्डित विश्वेश्वरनाथ रेउ को उनके ग्रन्थ की सफलता के लिये बधाई देता हूं और उनकी विद्वत्तापूर्ण खोज और पक्षपात-रहित निर्णय करने की चित्तवृत्ति के लिये, जो उनके ग्रन्थ में स्थान-स्थान पर झलकती है, उनकी प्रशंसा करता हूं।

मैं आशा करता हूं कि राठोड़ों के गौरवमय भूतकाल का यह इतिहास मारवाड़-वासियों को आगे भी गौरवमय भविष्य बनाने की प्रेरणा करेगा और इसके साथ ही श्रीयुत रेउ का नाम भी जीवित रहेगा।

नरपतसिंघ,
(राओबहादुर राओराजा)
मिनिस्टर-इन-वेटिंग,
गवर्नमैंट ऑफ जोधपुर.

२६ जून, १६४०.

---

(१)

No. C/204 *Dated 29th June, 1940.*

The Second Volume of the History of Marwar is before me. It is a unique work and bears ample evidence of a careful and critical treatment

by its author of a difficult subject which was shrouded in historical obscurity. That Mr. Reu after 13 years of hard study and research has been able to reclaim the history of a mighty people from the abyss of oblivion is no mean achievement specially when the work was left incomplete by Panditji's predecessors for a long period of over 50 years and the State had undergone huge expenditure over it in thousands.*

Persons more qualified on the subject than I am have received the book well. I congratulate Pandit Bisheshwar Nath Reu on the success of his book and compliment him on his spirit of critical inquiry and unbiased judgment which pervades his work.

Let me hope this account of the glorious past of the Rathors will inspire Marwaris to build up yet a glorious future with which will go down the name of Mr. Reu.

NARPAT SINGH,
Minister-in-Waiting,
Government of Jodhpur.

26th June, 1940.

* लाखों-Lacs.

विषय-सूची ।

	पृष्ठ
३२ महाराजा मानसिंहजी	४०१
३३ महाराजा तख़तसिंहजी	४४२
३४ महाराजा जसवन्तसिंहजी (द्वितीय)	४६३
३५ महाराजा सरदारसिंहजी	४६३
३६ महाराजा सुमेरसिंहजी	५१८
(परिशिष्ट-१)	
३७ राजराजेश्वर महाराजाधिराज सर उम्मेदसिंहजी बहादुर	५३३
(परिशिष्ट-२)	
महाराजा उम्मेदसिंहजी साहब की पूर्वी एफ्रिका-यात्रा—	
प्रथम यात्रा	५७७
द्वितीय यात्रा	५८८
(परिशिष्ट-३)	
यूरोपीय महासमर और जोधपुर का सरदार रिसाला	५६५
(परिशिष्ट-४)	
मारवाड़-नरेशों के दान दिए हुए कुछ अन्य गांवों का विवरण ...	६००
(परिशिष्ट-५)	
(मारवाड़-राज्य के कुछ मुख्य-मुख्य महकमों का हाल)	
प्रधान मन्त्री (चीफ़ मिनिस्टर) के अधीन महकमेः-	
महकमा ख़ास	६०२
पुलिस का महकमा	६०२
जोधपुर-रेल्वे	६०३
मुख्य जेल (Central Jail)	६०४
स्टेट होटल	६०४
दफ़्तरी का महकमा	६०४
अर्थ-सचिव (फ़ाइनेन्स मिनिस्टर) के अधीन महकमेः-	
ख़ज़ाने का महकमा	६०५
सहयोग-समिति (Cooperative Dept.)	६०६
गृह-सचिव (होम मिनिस्टर) के अधीन महकमेः-	
सायर (Customs) का महकमा	६०७
चिकित्सा (Medical) विभाग	६०७
जंगलात का महकमा	६०८
राजकीय छापाख़ाना	६०६
जवाहर-ख़ाना और टकसाल	६०६

रजिस्ट्रेशन ६१०
पशु-वर्धन (Animal Husbandry) विभाग ६१०
मारवाड़-सोल्जर्स बोर्ड ६१०
वाल्टर राजपूत-हितकारिणी सभा ६१०

जनतोपयोगी कार्य सचिव (पब्लिक वर्क्स मिनिस्टर) के अधीन महकमेः-
पब्लिक वर्क्स का महकमा (P. W. D.) ६११
बिजलीघर ६११
आर्कियॉलॉजीकल डिपार्टमैंट (पुरातत्त्व-विभाग) और सुमेर पब्लिक लाइब्रेरी ६१४
खानों और कला-कौशल का महकमा (Mines & Industries Dept.) ६१६

आय-सचिव (रिवेन्यू मिनिस्टर) के अधीन महकमेः-
हवाला ६१७
ट्रिब्यूट (Tribute) का महकमा ६१८
आबकारी (Excise) का महकमा ६१८
कोर्ट ऑफ़ वार्ड्स और हैसियत ६१६
सहयोग-समिति (Cooperative Dept.) ६१६

न्याय-सचिव (जुडीशल मिनिस्टर) के अधीन महकमेः-
(न्याय-विभाग)
चीफ़ कोर्ट ६२०
इजलास-ए-ख़ास ६२०
डिस्ट्रिक्ट और सैशन कोर्ट्स ६२०
रिवेन्यू कोर्ट्स ६२१
ऑनररी कोर्ट्स ६२१
स्मॉल कॉज़ कोर्ट ६२१
जुडीशल सुपरिन्टैन्डैन्ट और हाकिम ६२१
अदालतों के अधिकार ६२२
कानून ६२२
बार ६२२
लॉ-रिपोर्ट्स ६२३
जागीर की अदालतें ६२३
शिक्षा-विभाग ६२३
म्यूनिसिपल कमेटी ६२५

सेना-मंत्री (मिलिटरी सैक्रेटरी) के अधीन महकमेः-
सेना-विभाग ६२५

(परिशिष्ट-६)
जागीरदारों पर लगनेवाले राजकीय करः—
रेख ६२७
हुक्मनामा ६२८
चाकरी ६३०

(परिशिष्ट-७)

मारवाड़-दरबार द्वारा दी जानेवाली ताज़ीमों और सरोपावों का विवरण .. ६३२

(परिशिष्ट-८)

मारवाड़ के सिक्के:—
इतिहास ६३४
विशेष बातें ६३८
मारवाड़ की टकसालों और उनके बने सिक्कों का विवरण .. ६४०
सुवर्ण के सिक्के (मोहरें) ६४२
चांदी के सिक्के (रुपये) ६४२
तांबे के सिक्के (पैसे) ६४३
मारवाड़-राज्य के सिक्कों पर मिलनेवाले कुछ लेख:—
सुवर्ण के सिक्कों पर के कुछ लेख ६४४
चांदी के सिक्कों पर के कुछ लेख ६४५
तांबे के सिक्कों पर के कुछ लेख ६४६
कुचामन का इकतीसंदा ६४७
विशेष वक्तव्य ६४८

(परिशिष्ट-९)

राव अमरसिंहजी ६४९

(परिशिष्ट-१०)

मारवाड़-नरेशों की तरफ़ से भिन्न-भिन्न युद्धों में लड़कर मारे गए कुछ वीरों के नाम ६५७

(परिशिष्ट-११)

राठोड़-नरेशों के वंशवृक्ष:—
मारवाड़ के राठोड़-नरेशों का संक्षिप्त वंशवृक्ष ६७८
बीकानेर के राठोड़-नरेशों का संक्षिप्त वंशवृक्ष ६८२
झाबुआ के राठोड़-नरेशों का संक्षिप्त वंशवृक्ष ६८४
अमझेरा के राठोड़-नरेशों का संक्षिप्त वंशवृक्ष ६८५
किशनगढ़ के राठोड़-नरेशों का संक्षिप्त वंशवृक्ष ६८६
रतलाम के राठोड़-नरेशों का संक्षिप्त वंशवृक्ष ६८७
सीतामऊ के राठोड़-नरेशों का संक्षिप्त वंशवृक्ष ६८८
सैलाना के राठोड़-नरेशों का संक्षिप्त वंशवृक्ष ६८९
ईडर के पहले राठोड़-नरेशों का संक्षिप्त वंशवृक्ष ६९०
ईडर के दूसरे राठोड़-नरेशों का संक्षिप्त वंशवृक्ष ६९२
वर्णानुक्रमणिका ६९३
शुद्धिपत्र नं० १ .. .. ..
शुद्धिपत्र नं० २ .. .. ..
मारवाड़ के राठोड़-नरेशों का विस्तृत वंशवृक्ष .. ..
मारवाड़-राज्य का नक्शा .. .. ..

चित्र-सूची ।

	पृष्ठ के सामने
राजराजेश्वर महाराजाधिराज सर उम्मेदसिंहजी बहादुर	प्रारम्भ में
महाराजा मानसिंहजी	४०४
महाराजा तख्तसिंहजी	४४२
महाराजा जसवन्तसिंहजी (द्वितीय)	४६४
(महाराजा) सर प्रतापसिंहजी	४६८
जुबिली कोर्ट्स	४९०
महाराजा सरदारसिंहजी	४९४
महाराजा जसवन्तसिंहजी (द्वितीय) का स्मारक भवन	५१६
महाराजा सुमेरसिंहजी	५१८
महाराज-कुमार हनवन्तसिंहजी	५४६
महाराज अजितसिंहजी	५५४
महाराज-कुमार हनवन्तसिंहजी .. महाराज-कुमार हिम्मतसिंहजी .. महाराज-कुमार हरिसिंहजी .. महाराज-कुमार देवीसिंहजी .. महाराज-कुमार दिलीपसिंहजी .. }	५७४
राव अमरसिंहजी	६५०
पण्डित विश्वेश्वरनाथ रेउ (इतिहास लेखक)	६८२

३२. महाराजा मानसिंहजी

यह महाराजा विजयसिंहजी के पौत्र और गुमानसिंहजी के पुत्र थे। इनका जन्म वि० सं० १८३९ की माघ सुदि ११ (ई० स० १७८३ की १३ फ़रवरी) को हुआ था। पहले लिखा जा चुका है कि वि० सं० १८५० के आषाढ़ (ई० स० १७९३ की जुलाई) में जिस समय इनके चचेरे भाई भीमसिंहजी गद्दी पर बैठे, उस समय यह जोधपुर से लौटकर, इधर-उधर के गाँवों को लूटते हुए, जालोर चले गए और वहां के दुर्ग का आश्रय लेकर महाराजा भीमसिंहजी की भेजी हुई सेना का मुक़ाबला करने लगे। वि० स० १८६० के कार्तिक (ई० स० १८०३ के अक्टोबर) में महाराजा भीमसिंहजी का स्वर्गवास हो गया। उनके पीछे पुत्र न होने के कारण उनकी जालोर की सेना के सेनापतियों-भंडारी गंगाराम और सिंघी इन्द्रराज ने युद्ध बंद कर मानसिंहजी से जोधपुर चलने और वंशक्रमागत राज्य का अधिकार ग्रहण करने की प्रार्थना की[1]। इसीके अनुसार जिस समय यह जालोर से रवाना होकर सालावास पहुँचे,

---

१. महाराजा विजयसिंहजी की पासवान (उपपत्नी)-गुलाबराय ने अपने पुत्र तेजसिंह के मर जाने पर मानसिंहजी को अपने पास रखलिया था। परन्तु महाराजा विजयसिंहजी के मारवाड़ के सरदारों को समझाने के लिये जाने पर जब, वि० सं० १८४६ के वैशाख (ई० स० १७९२ के अप्रेल) में, उनके पौत्र (फ़तैसिंहजी के दत्तक पुत्र) भीमसिंहजी ने जोधपुर के क़िले पर अधिकार करलिया, तब शेरसिंह (जिसको पासवान के कहने से महाराज अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे) और मानसिंहजी जालोर के क़िले में भेज दिए गए। अगले वर्ष शेरसिंह तो लौट कर जोधपुर चला आया, परन्तु मानसिंहजी ने अपना निवास वहीं रक्खा। कुछ दिन बाद महाराजा विजयसिंहजी ने वह प्रान्त इन्हें जागीर में दे दिया। इसके बाद जब महाराजा भीमसिंहजी जोधपुर की गद्दी पर बैठे, तब उन्होंने मानसिंहजी को पकड़ने के लिये एक सेना भेज दी। इसी के घिराव से तंग आकर वि० सं० १८६० की वैशाख सुदि १ (ई० सन् १८०३ की २२ अप्रेल) को

उस समय मारवाड़ के बहुत से सरदार आकर इनकी सेवामें उपस्थित हो गए और जब वहां पर उनकी तरफ़ से नज़र निछावर हो गई, तब मानसिंहजी की तरफ़ से भी उन सब का यथोचित आदर-सत्कार किया गया। मँगसिर वदि ७ (५ नवंबर) को यह जोधपुर के किले में प्रविष्ट हुए। इस पर पौकरन-ठाकुर सवाईसिंह ने निवेदन किया कि स्वर्गवासी महाराजा भीमसिंहजी की एक रानी (देरावरजी) गर्भवती है। यदि उसके गर्भ से पुत्र उत्पन्न हुआ तो उसके लिये आप क्या प्रबंध करेंगे। यह सुन मानसिंहजी ने उत्तर दिया कि ऐसा होने पर मारवाड़ का आधा राज्य उसे देदिया जायगा और हम जालोर लौट जायँगे। परंतु इसके लिये बालक का जन्म होने तक भीमसिंहजी की उस रानी को किले में रहना होगा। यह शर्त सवाईसिंह ने न मानी। इसीसे मानसिंहजी उससे नाराज़ हो गए।

इन दिनों मुग़लों और मरहटों का प्रभाव नष्ट हो जाने से अंगरेज़ों की 'ईस्ट इण्डिया कंपनी' बहुत कुछ ज़ोर पकड़ चुकी थी, परन्तु फिर भी अंगरेज़ों और मरहटों के बीच युद्ध हो रहा था। इससे वि० सं० १८६० की पौष सुदि ९

मानसिंहजी ने उस सेना के अधिकारियों से कहला दिया कि हमारा विचार एक मास बाद, कार्तिक वदि ३० (दीपोत्सव) (१५ अक्टोबर) को, जालोर का किला खाली कर देने का है, इसलिये तब तक युद्ध बंद रक्खा जाय। यह बात सेनापति सिंघी इंद्रराज ने मानली। परन्तु अन्त में आयस देवनाथ के कहने से मानसिंहजी ने कुछ दिन और भी किले में रहना स्थिर किया। इसी बीच, कार्तिक सुदि ४ (१६ अक्टोबर) को, महाराजा भीमसिंहजी का स्वर्गवास हो गया। इस पर भीमसिंहजी के धायभाई शंभुदान, भंडारी शिवचंद, और मुहणोत ज्ञानमल आदि ने सिंघी इंद्रराज को लिखा कि एक तो स्वर्गवासी महाराज की एक रानी गर्भवती है, दूसरा पौकरन-ठाकुर सवाईसिंह अब तक अपनी जागीर से लौट कर नहीं आया है, इसलिये किले का घिराव न उठाया जाय। परन्तु सिंघी इंद्रराज और भंडारी गंगाराम ने इस पर कुछ ध्यान नहीं दिया और तत्काल युद्ध बंदकर मानसिंहजी से जोधपुर चलने की प्रार्थना की। इन्होंने भी उनकी प्रार्थना स्वीकार कर उनकी तसल्ली की और उन सरदारों के नाम भी, जो महाराजा भीमसिंहजी द्वारा मारवाड़ से निकाल दिए जाने से कोटे में थे, ख़ास रुक्के भेज कर उन्हें लौट आने का लिखा।

१. मानसिंहजी के जोधपुर पहुँचने के पूर्व ही पौकरन-ठाकुर की सलाह से स्वर्गवासी महाराजा भीमसिंहजी की रानियां (देरावरजी और तुँवरजी) (गुसांईजी की जागीर के गांव) चौपासनी चली गई थीं। इसकी ख़बर मिलने पर मानसिंहजी ने सवाईसिंह को समझा कर उन्हें वापस बुलवा लिया। परन्तु यहां आने पर सवाईसिंह ने उनका निवास किले के बजाय नगर के बीच तलहटी के महलों में करवा दिया।

(ई० स० १८०३ की २२ दिसम्बर) को मानसिंहजी के और 'ईस्ट इण्डिया कंपनी' के बीच एक सन्धि हुई । उसकी मुख्य शर्तें इस प्रकार थीं[1] :—

१. इंगलिश-कंपनी के और महाराजा मानसिंहजी व उनके वंशजों के बीच स्थायी मित्रता की जाती है ।

२. आपस की मित्रता के कारण दोनों एक दूसरे के शत्रु और मित्र को बराबर अपना शत्रु और मित्र समझेंगे ।

३. महाराज के वर्तमान राज्य-प्रबंध में कंपनी न तो किसी प्रकार का हस्तक्षेप ही करेगी, न उनसे कर ही मांगेगी ।

४. कंपनी के आज तक के अधिकृत भारतीय प्रदेशों पर यदि कोई आक्रमण करेगा तो महाराज अपनी पूर्ण-शक्ति से कंपनी की सहायता कर मैत्री का परिचय देंगे ।

५. कंपनी भी महाराज की राज्य-रक्षा का जिम्मा लेती है । यदि किसी अन्य राज्य के और महाराज के बीच किसी कारण विवाद खड़ा होगा तो पहले वह मामला आपस में निपटा देने के लिये कंपनी को सौंपा जायगा । परंतु यदि विपक्षी हट के कारण कंपनी का समझोता नहीं मानेगा तो खर्चा देने पर कंपनी की फ़ौज महाराज की सहायता करेगी ।

६. अपनी सेना के संचालन में स्वतंत्र होते हुए भी युद्ध के समय महाराज को साथ वाले अंगरेज-सेनापति की सलाह से काम करना होगा ।

७. महाराज कंपनी की सम्मति के विना न तो किसी 'यूरोपियन' को नौकर ही रक्खेंगे न अपने राज्य में प्रवेश ही करने देंगे ।

परंतु मानसिंहजी ने इस संधि को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और इसमें कुछ काट-छाँट कर दूसरी संधि करने का प्रस्ताव किया ।

---

१. ग्रांट् डफ् की हिस्ट्री ऑफ मरहटाज़, भा. २, पृ. ३६३ और ए कलैक्शन ऑफ् ट्रीटीज़ एँगेजमैंट्स एण्ड सनद्स भा. ३ पृ. १२६–१२७ । इस सन्धि के समय कंपनी के मरहटों के साथ के युद्ध मे फँसे होने से मारवाड़ पर किसी प्रकार का कर आदि नहीं लगाया गया था । परन्तु दूसरी सन्धि के समय अवस्था में परिवर्तन हो चुका था ।

इसी वर्ष माघ वदि (ई० स० १८०४ की जनवरी) में स्वर्गवासी महाराजा भीम-सिंहजी की रानी के गर्भ से पुत्र होने की सूचना प्रकट की गई और साथ ही पौकरन-ठाकुर सवाईसिंह ने उसे भाटी छत्रसिंह के साथ खेतड़ी (जयपुर राज्य में) भेज दिया। इस बनावटी बालक का नाम धौंकलसिंह रक्खा गया था।

इस प्रकार की गुप्त कार्रवाइयों से महाराजा मानसिंहजी और भी अधिक अप्रसन्न हो गए, और माघ सुदि ५ (१७ जनवरी) को इन्होंने अपना राज्याभिषेक कर डाला[1]। इसके बाद सवाईसिंह काम का बहाना कर पौकरन चला गया।

इस समय सिंधिया और कम्पनी के बीच युद्ध जारी था। इसीसे मौका देख महाराज ने अजमेर[2] पर अधिकार करलिया। इसके बाद शीघ्र ही जब जसवन्तराव होल्कर कम्पनी से हारकर अजमेर की तरफ़ आया, तब महाराज ने मित्रता दिखला कर उसके कुटुम्ब को अपनी रक्षा में लेलिया। इससे निश्चिन्त हो वह मालवे की तरफ़ चला गया। परन्तु इस घटना से, वि० सं० १८६१ के वैशाख (ई० स० १८०४ की मई) में, ऊपर लिखी संधि बिलकुल रद हो गई।

इन झंझटों से निपटते ही महाराज ने आयस देवनाथ[3] को बुलवा कर अपना गुरु बनाया[4], और जिन लोगों ने स्वर्गवासी महाराजा भीमसिंहजी को अपने भाइयों और चचाओं के विरुद्ध भड़काया था[5], उनको मरवा डाला; और जिन्होंने विपत्ति के समय इनकी सेवा की थी, उन्हें जागीरें आदि देकर सम्मानित किया।

---

१. इसी से गद्दी पर बैठते समय इन्होंने अपने को स्वर्गवासी महाराजा भीमसिंहजी का दत्तक पुत्र प्रकट न कर अपने पिता गुमानसिंहजी का पुत्र ही घोषित किया।

२. वि० सं० १८६३ (ई० स० १८०६) में इस पर फिर से मरहटों का अधिकार हो गया।

३. इसी ने महाराज से और कुछ दिन के लिये जालोर का किला न छोड़ने का आग्रह कर जोधपुर राज्य के मिलने की भविष्यवाणी की थी।

४. महाराजा मानसिंहजी के राज्य में नाथों का प्रभाव बढ़ जाने से वल्लभकुल (संप्रदाय) के वैष्णवों का प्रभाव घट गया था। महाराज की आज्ञा से नाथजी के रहने के लिये जोधपुर नगर के बाहर महामन्दिर नामक गाँव बसाया गया और वैष्णव मन्दिरों को दिए हुए अनेक गाँव ज़ब्त करलिए गए।

५. इन्हीं लोगों ने महाराजा भीमसिंहजी को अपने कुटुम्ब वालों से नाराज़ कर उनके चचा शेरसिंह और सांवतसिंह तथा चचेरे भाई शूरसिंह को मरवा डाला था।

वि० सं० १८६१ के ज्येष्ठ (ई० स० १८०४ के जून) में मारोठ पर सेना भेजी गई। परन्तु अन्त में वहाँ के ठाकुर महेशदान के माफ़ी मांग लेने से झगड़ा शान्त हो गया।

इसके बाद महाराज की आज्ञा से मुहणोत ज्ञानमल आदि ने सिरोही और मुहता साहिबचन्द आदि ने घाणेराव पर चढाईयाँ कर वहाँ पर अधिकार करलिया। सिरोही के राव वैरसलजी (द्वितीय) भाग कर आबू की तराई में चले गए[1]।

वि० सं० १८६१ के आषाढ़ (ई० स० १८०४ की जुलाई) में भाटी छत्रसाल ने धौंकलसिंह का पक्ष लेकर, खेतड़ी, झूंझणू, नवलगढ़, सीकर आदि के शेखावतों की मदद से, डीडवाने पर कब्जा कर लिया। परन्तु महाराज की आज्ञा से शीघ्र ही राजकीय सेनाने वहाँ पहुँच शत्रुओं को मार भगाया और सीकरवालों से शाहपुरा छीन कर मोहनसिंह[3] को देदिया।

इसी वर्ष की पौष वदि १ (ई० स० १८०५ की २ जनवरी) को महाराज ने जोधपुर के क़िले में हस्तलिखित पुस्तकों का एक पुस्तकालय स्थापित किया[4] और उसका नाम 'पुस्तक-प्रकाश' रक्खा।

उदयपुर-महाराना भीमसिंहजी की कन्या कृष्णाकुँवरी का विवाह[5] जोधपुर महाराजा भीमसिंहजी से होना निश्चित हुआ था। परन्तु उनका स्वर्गवास हो जाने पर महाराना ने उसका विवाह जयपुर-नरेश जगतसिंहजी से करने का विचार किया। यद्यपि महाराजा मानसिंहजी ने दोनों पक्षवालों को समझाया कि जिस कन्या का विवाह

१. इसकी कन्या का विवाह खेतड़ी के कुँवर बखतावरसिंह से होने वाला था। परन्तु खेतड़ी वालों के धौंकलसिंह का पक्ष लेने के कारण महाराज को यह संबंध पसंद न था। राजकीय सेना के वहां पहुँचने पर ठाकुरने कुछ दिन के लिये यह विवाह स्थगित करदिया।

२. वि० सं० १८५८ (ई० स० १८०१) में मानसिंहजी ने अपने कुटुम्ब वालों को कुछ दिन के लिये सिरोही भेज देने का इरादा किया था। परन्तु वैरसलजी ने भीमसिंहजी के भय से इस में अनुमति नहीं दी। इसी का बदला लेने को यह सेना भेजी गई थी।

३. सीकरवालों ने इसीसे शाहपुरा छीना था। इसलिये यह उस समय जोधपुर में रहता था।

४. परन्तु इस संग्रहालय में महाराजा जसवन्तसिंहजी प्रथम से लेकर उस समय तक के प्रत्येक राजाओं के समय की लिखी पुस्तकें भी मौजूद हैं।

५. यह घटना वि० सं० १८५५ (ई० स० १७९९) की है।

जोधपुर-राज-घराने में होना स्थिर होचुका है, उसका विवाह दूसरे राज-कुल में करना उचित नहीं है, तथापि उन लोगों ने इस पर कुछ ध्यान नहीं दिया। इसके बाद जब उदयपुर से कृष्णाकुँवरी के वाग्दान का टीका जयपुर भेजा जाने लगा, तब महाराज भी मेड़ते की तरफ़ चले और वहाँ पहुँच युद्ध की तैयारी करने लगे। महाराज ने जसवन्तराव होल्कर को भी सेना लेकर आने का लिख भेजा था। इसी से वह पहले के उपकार का स्मरण कर स्वयं नाँद नामक गांव में आकर ठहर गया। महाराज भी उस समय नाँद में थे। वहीं पर दोनों की मुलाकात हुई। इसी समय सिंघी इन्द्रराज भी सिरोही की तरफ़ से ससैन्य आ उपस्थित हुआ।

इस तैयारी की सूचना पा जयपुर-नरेश जगतसिंहजी भी युद्ध के लिये उद्यत होगए। परन्तु शीघ्र ही जोधपुर के बख्शी सिंघी इंद्रराज और जयपुर के दीवान रायचन्द ने मिल कर इस झगड़े को शान्त करदिया और दोनों ही नरेशों से कृष्णाकुँवरी से विवाह न करने की प्रतिज्ञा करवाली। इस प्रकार विरोध को दूर हुआ जान होल्कर भी वापस लौट गया। वि० सं० १८६३ के कार (आश्विन) (ई० स० १८०६ के अक्टोबर) में महाराज नाँद से लौट कर मेड़ते पहुँचे। उस समय देश में अकाल का इतना प्रकोप था कि सरकारी ख़र्च तक के लिये इधर-उधर से रुपये इकट्ठे करने की आवश्यकता होती थी। यहीं पर महाराज ने पुराने सेवकों की शिकायत से सिंघी इन्द्रराज और भंडारी गंगाराम आदि को मय उनके पुत्रों के क़ैद करलियाँ।

---

१. यह घटना वि० सं० १८६२ की माघ वदि ३० (ई० स० १८०६ की १६ जनवरी) की है।

२. ख्यातों से प्रकट होता है कि पौकरन-ठाकुर सवाईसिंह ने ही, मारवाड़ में झगड़ा खड़ा कर धौंकलसिंह को राज्य दिलाने की इच्छा से, इन्हें ताना देकर युद्ध करने के लिये उकसाया था। उन्हीं से यह भी ज्ञात होता है कि महाराज को युद्ध के लिये तैयार देख उदयपुर से टीका लेकर जयपुर जानेवाली मेवाड़ की सेना शाहपुरे के पास से वापस लौट गई थी। परन्तु 'राजपूताने के इतिहास' में महाराना का दौलतराव सिंधिया से हार कर जयपुर के वकील को, जो शादी का पैग़ाम लेकर आया था, लौटा देना लिखा है। (देखो भा० ४, पृ० १००५-१००६)।

३. इस से सिरोही पर फिर राव वैरसलजी (द्वितीय) का अधिकार हो गया।

४. इसी अवसर पर जयपुर-नरेश जगतसिंहजी की बहन से महाराजा मानसिंहजी का और मानसिंहजी की कन्या से जगतसिंहजी का विवाह होना स्थिर हुआ।

५. इन क़ैद होने वालों में स्वर्गवासी महाराजा भीमसिंहजी का धायभाई शम्भुदान, आदि अन्य राज्य-कर्मचारी भी थे।

अवसर की ताक में लगे ठाकुर सवाईसिंह ने मारवाड़ के कुछ सरदारों और बीकानेर-नरेश सूरतसिंहजी को अपने पक्ष में कर जोधपुर और जयपुर नरेशों के बीच की यह मित्रता शीघ्र ही भंग करवादी। साथ ही उसने जयपुर पहुँच जगतसिंहजी को मारवाड़ पर चढ़ाई करने के लिये तैयार करलिया। यह देख खेतड़ी के शेखावत धौंकलसिंह को साथ लेकर जयपुर की सेना में आ मिले और शाहपुरे वालों ने भी उनका साथ दिया। इसी समय बीकानेर नरेश सूरतसिंहजी भी जयपुर महाराज की सहायता को चले। इन बातों की सूचना मिलते ही महाराज मानसिंहजी मेड़ते से परबतसर पहुँच युद्ध की तैयारी करने लगे और साथ ही इन्होंने जसवन्तराव होल्कर को भी शीघ्र आने का सन्देश भेज दिया। इस पर उसने तिहोद (किशनगढ़ राज्य में) पहुँच महाराज को फ़ौज खर्च के लिये रुपये भेजने का लिखा। उस समय स्वयं महाराज के पास रुपये की कमी थी। फिर भी इन्होंने इधर-उधर से इकट्ठे कर कुछ रुपये उसके पास भेज दिए। परन्तु इसी बीच जयपुर-नरेश की तरफ़ से एक बड़ी रक़म रिशवत में मिल जाने से वह (होल्कर) पुराने उपकार को भूल वहीं से वापस लौट गया और अमीरख़ाँ ने जो उसके साथ था जयपुर वालों का साथ दिया[2]।

जयपुर महाराजा जगतसिंहजी के मारोठ पहुँचने पर बीकानेर महाराज भी उनसे आमिले। इसके बाद दोनों नरेश तो वहीं ठहर गए, परन्तु उनकी आज्ञा से

---

१. पौकरन-ठाकुर सवाईसिंह के बहकाने में आकर जयपुर-नरेश जगतसिंहजी भी धौंकलसिंह के पक्ष में होगए।

२. ग्रांट डफ़की 'हिस्ट्री ऑफ़ मरहटाज़' में लिखा है कि वि० सं० १८६३ (ई० स० १८०७) में जिस समय होल्कर लॉर्ड लेक से सन्धि कर पंजाब से लौटा, उस समय जयपुर और जोधपुर के बीच उदयपुर की राजकुमारी के लिये लड़ाई होरही थी और दोनों ही तरफ़ से सिंधिया और होल्कर से सहायता मांगी जा रही थी। इस पर (ई० स० १८०८ में) सिंधिया ने शीराजीराव घाटे और बापू सिंधिया को १५,००० सवार देकर उधर रवाना किया और होल्कर ने अमीरख़ाँ को पठानों के साथ जाकर जयपुर की सहायता करने की आज्ञा दी। यद्यपि एक बार तो जयपुर वाले विजयी होगए, तथापि अन्त में अमीरख़ाँ इधर-उधर लूट-खसोट कर जोधपुर वालों से मिल गया। इसके बाद उसने धोके से भयानक खून कर दोनों नरेशों के बीच सन्धि करवादी। (देखो भाग २, पृ० ४००)।

अमीरखाँ ने और चांपावत सवाईसिंह ने एक बड़ी सेना लेकर महाराज पर चढ़ाई की[1]। इसकी सूचना पातेही महाराजा मानसिंहजी स्वयं दल-बल सहित आगे बढ गींगोली (परबतसर) के पास उनका मार्ग रोकने को जा पहुँचे।

इसी समय हरसोलाव, धांधियां, चवाँ, सथलाणा, सरवाड़, मारोठ, गौडावाटी आदि के बहुत से ठाकुर अपनी-अपनी सेनाओं को लेकर शत्रु-पक्ष में जामिले और आउवा, आसोप, नींबाज, रास, आहोर, लांबियां, कुचामन, बूडसू, खेजड़ला और रायपुर के ठाकुरों ने महाराज को विना लड़े ही युद्धस्थल से लौट चलने के लिये दबाया। यद्यपि महाराज की इच्छा जमकर युद्ध करने की थी, इसी से यह एकवार तो उत्तेजित होकर मना करनेवालों का वध करने तक को तैयार होगए, तथापि अन्तमें सरदारों के हठ के कारण इन्हें उनका कहना मानना पड़ा। महाराज के युद्ध-स्थल से लौटते ही उनमें से भी बहुत से सरदार इधर-उधर चले गए और बहुतसे सवाईसिंह से जा मिले। इस अवसर पर भारती-संप्रदाय के युद्ध-जीवी साधुओं (महापुरुषों) ने पूरी तौर से स्वामि-धर्म का पालन किया। इन में से कुछ तो महाराज का पीछा करने वाले शत्रुओं को रोकने के लिये हिन्दालखाँ के बेड़े के साथ वहीं ठहर गए और कुछ महाराज के साथ मेड़ते[2] होते हुए, फागुन सुदी १० (ई० स० १८०७ की १९ मार्च) को, जोधपुर चले आए। इसके बाद महाराज ने अधिकांश सरदारों को शत्रु से मिला देख एक वार तो जालोर की तरफ़ जाने का इरादा करलिया, परन्तु फिर शीघ्र ही कुचामन-ठाकुर और हिंदालखाँ के समझाने से यह विचार त्यागदिया।

१. सवाईसिंह ने जयपुर-महाराज को समझाया था कि मारवाड़ के करीब-करीब सारेही सरदार धौंकलसिंह के पक्ष में हैं। इसलिये जैसेही आप जोधपुर-नरेश के मुक़ाबले में पहुँचेंगे, वैसे ही उनमें से कुछ तो मानसिंहजी का साथ छोड़ आपकी सेना में चले आयँगे और कुछ, जो पीछे रहेंगे, वे महाराज को, मारवाड़ के सरदारों के शत्रु से मिले होने का भय दिखला कर, विना लड़े ही, जालोर की तरफ़ ले जाने का प्रयत्न करेंगे। इस से धौंकलसिंह को अनायास जोधपुर के क़िले पर अधिकार करने का मौक़ा मिल जायगा। परन्तु इतने पर भी महाराजा जगतसिंहजी के मनसे भय और सन्देह दूर न हुआ। इसीसे उन्होंने स्वयं मारोठ में ठहर सवाईसिंह आदि को आगे बढ़ने की आज्ञा दी।

२. ख्यातों से ज्ञात होता है कि जिस समय महाराज युद्ध से लौटते हुए मेड़ते के बाहर ठहरे, उस समय वहाँ के बनियों ने रसद वगैरा देने से इनकार करदिया। परन्तु वहाँ के कोतवाल को सूचना मिलते ही उसने उन्हें दबाकर सारा प्रबन्ध करवा दिया।

महाराज के रणस्थल से लौटते ही जयपुर की सेना, सहजही मारोठ, परबतसर, सांभर, नांवे, डीडवाने, जैतारन, सोजत, नागोर[1] और मेड़ते[2] पर अधिकार कर, जोधपुर की तरफ़ बढ़ी। यह देख महाराज ने भी क़िले में युद्ध के लिये उपयोगी सामान इकट्ठा करना शुरू किया और शहर पनाह की बुर्जों पर तोपें चढ़वादीं।

इसी समय जयपुर के दीवान रायचन्द ने महाराजा जगतसिंहजी को उदयपुर पहुँच कृष्णाकुँवरी से विवाह करने की सलाह दी। परन्तु सवाईसिंह ने कह सुनकर उन्हें पहले जोधपुर-विजय कर लेने के लिये उद्यत किया और स्वयं आगे बढ़, चैत्र वदि ७ (३० मार्च) को, जोधपुर नगर को घेर लिया। इसके बाद शीघ्रही जयपुर और बीकानेर के नरेश भी यहां आ पहुँचे और दोनों पक्षों के बीच विकट संग्राम आरम्भ होगया[3]।

परंतु कुछ दिन बाद जब नगर की रक्षा करना कठिन हो गया, तब महाराज ने सिंघी जीतमल और सूरजमल[4] को, जो क़िले में क़ैद थे, बुलवाकर दीवान बनाया। उन्हों ने क़िले से बाहर आ सात दिन तक तो शत्रु का सामना किया, परंतु आठवें दिन वे प्रलोभन में पड़ उससे मिल गए। स्वर्गवासी महाराजा भीमसिंहजी के धाय-भाई शंभुदान ने भी क़ैद से छोड़े जाने पर धौंकलसिंह का पक्ष ग्रहण कर लिया। यह देख महाराजा मानसिंहजी ने सिंघी इन्द्रराज, भंडारी गंगाराम और डेवढ़ीदार नथकरण को क़ैद से निकाल कर समयोचित प्रबंध करने की आज्ञा दी। इस पर वे लोग बाहर आकर पौकरन-ठाकुर सवाईसिंह से मिले[5] और उन्होंने उसे हर तरह से समझाने की कोशिश की। परंतु जब वह किसी तरह से न माना, तब उन्होंने प्रस्ताव किया कि यदि वह उन लोगों को और उन सरदारों (ठाकुरों) को जो इस समय क़िले में हैं विना किसी

---

१. शत्रुओं ने नागोर पर फागुन सुदि १५ (होली) (२३ मार्च) को अधिकार किया था।

२. मेड़ते की शाही मसजिद में धौंकलसिंह के, वि० सं० १८६४ की सावन बदि २ मंगलवार के, दो लेख लगे हैं। इनमें का एक उर्दू में और दूसरा हिन्दी में है।

३. इस युद्ध में मारे गए कुछ वीरों की छतरियां क़िले के अन्दर, कुछ की जयपोल के बाहर और कुछ की रानीसर तलाव पर बनी हैं।

४. ये ज़ोरावरमल के पुत्र थे और इन्होंने मानसिंहजी के जालोर के क़िले में घिर जाने के समय से ही इनका पक्ष छोड़ महाराजा भीमसिंहजी का पक्ष ग्रहण कर लिया था।

५. यह मुलाकात जोधपुर शहर से बाहर 'कागा' नामक स्थान पर हुई थी।

विरोध के नगर से निकल जाने दे तो वे जोधपुर का शहर उसे सौंप सकते हैं। रही क़िले की बात, सो वहां पर महाराज के स्वयं मौजूद होने से उस विषय में वे कुछ नहीं कर सकते। यह बात सवाईसिंह ने स्वीकार कर ली।

इस प्रकार बात-चीत कर वे लोग क़िले में लौट आए और उन्होंने महाराज की अनुमति से, वि० सं० १८६४ की चैत्र सुदि ११ (ई० स० १८०७ की १८ अप्रेल) को, जोधपुर नगर शत्रुओं को सौंप दिया। इसके बाद वे आसोप, आउवा, नींबाज, कुचामन, बूडसू, लाँबियाँ आदि के ठाकुरों और थोड़े से अन्य लोगों को साथ लेकर शत्रु के घिराव से बाहर निकल गए। शत्रुओं ने भी नगर का अधिकार मिल जाने और उनके चले जाने से क़िले में घिरे हुए महाराज का बल क्षीण हो जाने के विचार से उनके इस कार्य में किसी तरह की आपत्ति नहीं की[2]। यहाँ से चलकर वे लोग नींबाज होते हुए बाबरे पहुँचे और वहाँ से लोढा कल्याणमल को दौलतराव सिंधिया से सहायता प्राप्त करने के लिए रवाना किया।

इसी बीच जयपुर-महाराज जगतसिंहजी के और अमीरख़ाँ के बीच ख़र्च के रुपयों के बाबत झगड़ा उठ खड़ा हुआ और वह (अमीरख़ाँ) जयपुर वालों का साथ छोड़ कर मेड़ते की तरफ़ चला गया। जैसे ही यह हाल सिंघी इन्द्रराज को मालूम हुआ, वैसे ही उसने तीस हजार रुपये देकर उसे अपनी तरफ़ कर लिया[3]।

इसके बाद इंद्रराज ने भंडारी पृथ्वीराज और अमीरख़ाँ को ढूँढाड़ (जयपुर-राज्य) में लूट-खसोट मचाने के लिये भेजा और स्वयं उन सरदारों में से बहुतों को, जो महाराज का साथ छोड़कर पौकरन-ठाकुर सवाईसिंह से मिल गए थे या इधर-उधर चले गए थे, फिर से महाराज के पक्ष में लाने का प्रबंध करने लगा। चतुर्भुज उपाध्याय ने बूड़सू आदि के ठाकुरों को लेकर डीडवाना, परबतसर, मारोठ आदि पर दुबारा महाराज का अधिकार क़ायम किया।

---

१. महाराज को विश्वास दिलाने के लिये इन्द्रराज ने अपने पुत्र फ़तैराज को और गंगाराम ने अपने पुत्र भानीराम को इन्हें सौंप दिया था।

२. सम्भवतः शत्रुओं ने यह आशा भी की होगी कि इनके बाहर आजाने से हम लोग इन्हें मिलाकर क़िले के भीतर का भेद भी जान सकेंगे।

३. किसी किसी ख्यात में कुचामन-ठाकुर शिवनाथसिंह का भी रुपये देने में शरीक होना लिखा है। ये रुपये इन लोगों ने बलूंदा वालों से दण्ड के रूप में लिए थे; क्योंकि वहाँ का ठाकुर शिवसिंह पौकरन-ठाकुर सवाईसिंह से मिल गया था।

यद्यपि सावन (अगस्त) में सिंधिया की तरफ़ से अँबाजी और जॉन बुतीसी मरहटों की एक बड़ी सेना लेकर जोधपुर वालों की सहायता को आए, तथापि जयपुर वालों ने रिशवत देकर उन्हें अपनी तरफ़ कर लिया।

कुछ दिनों में जब जोधपुर वालों के पास रुपया जमा होगया, तब उन्होंने एक लाख रुपये देकर अमीरख़ाँ को जयपुर पर चढ़ाई करने के लिये साथ ले लिया। उसी समय बख़्शी शिवलाल जयपुर से नई फ़ौज लेकर जोधपुर की तरफ़ आ रहा था। उसके फागी मुकाम पर पहुँचते ही कुचामन आदि के सरदारों और अमीरख़ाँ ने उस पर अचानक हमला कर दिया। इससे जयपुर की फ़ौज घबराकर भाग खड़ी हुई और उसका सामान राठोड़ों और पठानों ने लूट लिया। यहाँ से आगे बढ़ उन्होंने (जोधपुर वालों ने) जयपुर पर गोलाबारी की। उनके वहां से लौटने पर मार्ग में सिंघी इन्द्रराज भी, अन्य कुछ सरदारों और पाँच हज़ार सैनिकों को लेकर, उनसे आ मिला। इसके बाद वि० सं० १८६४ के भादों (ई० स० १८०७ के सितम्बर) में उन सब ने फिर जयपुर पर चढ़ाई कर उसे ध्वंस करना शुरू किया। इस पर वहां वाले नगर के द्वार बंद कर अपनी रक्षा करने लगे। जैसे ही यह सूचना जयपुर-नरेश जगतसिंहजी को मिली, वैसे ही उनका जोधपुर-विजय का उत्साह शिथिल पड़ गया और वह सवाईसिंह के अनुनय-विनय पर ध्यान न देकर, वि० सं० १८६४ की भादों सुदि १३ (१४ सितंबर) को, अपने देश की रक्षार्थ चलदिए। यह देख बीकानेर-नरेश सूरतसिंहजी को भी बीकानेर लौट जाना पड़ा और ठाकुर सवाईसिंह ने नागोर के क़िले का आश्रय लिया। जोधपुर का घिराव उठने और जगतसिंहजी के जयपुर की तरफ़ लौटने की सूचना मिलते ही मारवाड़ की और अमीरख़ाँ की सेनाओं ने जयपुर से लौटकर, मार्ग में आती हुई जयपुर-नरेश की सेना पर

---

१. ख्यातों में लिखा है कि जान बुतीसी ने मदद देकर डीडवाना, परबतसर, मारोठ आदि पर दुबारा सवाईसिंह के पक्ष वालों का अधिकार करवा दिया था। परन्तु फागी के युद्ध के बाद वहाँ पर फिर महाराज का अधिकार हो गया।

२. ख्यातों के अनुसार बूडसू, आहोर और नींबाज आदि के ठाकुर भी इस युद्ध-यात्रा में साथ थे।

आक्रमण किया। इससे जब वह तंग आगई, तब जयपुर के दीवान रायचन्द ने एक लाख रुपये दण्ड के रूप में देकर[1] उनसे पीछा छुडवाया।

इस तरह शत्रु से निपट कर जिस समय इंद्रराज, अमीरखाँ और उनके सहायक सरदार लौटकर जोधपुर पहुँचे, उस समय महाराजा मानसिंहजी ने, जागीरें आदि देकर, उन सब का यथोचित सत्कार किया और अमीरखाँ को नवाब का खिताब देकर अपने बराबर बिठाया। इसी समय उसे खर्च के लिये नांवे की तरफ़ के परगनों की आमदनी सौंप दी गई।

कुछ दिन बाद माघ (ई० स० १८०८ की जनवरी) में अमीरखाँ ने महाराज के साथ की हुई गुप्त-मंत्रणा के अनुसार खर्च के रुपयों के बाबत बनावटी झगड़ा खड़ा किया। इस अवसर पर यद्यपि प्रकट में महाराज ने उसे बहुत कुछ समझाने की कोशिश की, तथापि उसने उस पर ध्यान नहीं दिया और नाराज होजाने का बहाना कर मारवाड़ के गाँवों को लूटना शुरू किया। यह देख सवाईसिंह ने दूत द्वारा अमीरखाँ से बात-चीत चलाई और खर्च के लिये रुपये देने का वादा कर उसे अपनी तरफ़ मिलाना चाहा। नवाब अमीरखाँ भी मामला तय करने के लिये अपनी बाकी सेना को मूंडवे में छोड़ केवल पांच सौ सवारों के साथ नागोर पहुँचा। नगर के बाहर तारकीन की दरगाह में दोनों की मुलाक़ात हुई। कुछ बातें तो वहीं निश्चित हो गईं और कुछ का निर्णय करने और फ़ौज के सिपाहियों को उनकी चढ़ी हुई तनखा मिलने का भरोसा दिलवाने को नवाब ने सवाईसिंह से मूंडवे आने को कहा। साथ ही अपनी तरफ़ से दावत का निमंत्रण भी दिया। वि० सं० १८६५ की चैत्र सुदि २ (ई० स० १८०८ की २९ मार्च) को पौकरन-ठाकुर सवाईसिंह, मय चंडावल-ठाकुर बख्शीराम, पाली-ठाकुर ज्ञानसिंह और बगड़ी-ठाकुर केसरीसिंह के, एक हजार सैनिक साथ लेकर मूंडवे पहुँचा। अमीरखाँ ने भी उनकी बड़ी ख़ातिर की। भोजन के उपरान्त सब लोग एक शामियाने में इकट्ठे हुए। उसके चारों तरफ़ तोपें लगी हुई थीं और उसके पास ही बहुत से सिपाही

१. ये रुपये अमीरखाँ को देदिए गए।

२. जेम्स बर्जेस ने अपनी 'क्रॉनॉ लॉजी ऑफ़ मॉडर्न इन्डिया' में लिखा है:--

> ई० स० १८०७ की फरवरी में उदयपुर की कृष्णाकुमारी के लिये जयपुर और जोधपुर के राजाओं में युद्ध हुआ। इसमें जोधपुर-नरेश मानसिंह ने जयपुर नरेश जगतसिंह को हरा दिया। (पृ० २६०)।

इकट्ठे होकर अपनी-अपनी चढ़ी तनख़्वाह के लिये हुज्जत कर रहे थे। कुछ देर बाद अमीरख़ाँ का नायब, इस झगड़े को मिटाने के लिये स्वयं अमीरख़ाँ को बुलालाने का बहाना कर, शामियाने से बाहर चला गया और थोड़ी देर बाद ही अमीरख़ाँ का साला भी उठ कर जाने लगा। यह देख सरदारों को सन्देह हुआ। इससे उन्होंने बात-चीत के बहाने उसे हाथ पकड़ कर वहीं बिठा लिया। इतने में पूर्व निश्चित संकेत के होते ही एकाएक शामियाने की रस्सियाँ काट दी गईं और चारों तरफ़ की तोपें गोले उगलने लगीं। शामियाने के भीतर बैठे हुए शत्रु तो इस प्रकार मारडाले गए[1] और बाहर वालों को नवाब के सिपाहियों ने कत्ल कर डाला। फिर भी कुछ थोड़े से आदमी बचकर भाग निकले और जब उन्होंने नागोर पहुँच यह हाल सुनाया, तब हरसोलाव-ठाकुर जालिमसिंह, खींवसर-ठाकुर प्रतापसिंह, भाटी छत्रसाल और तुँवर मदनसिंह किला छोड़ तत्काल बीकानेर की तरफ़ चल दिए[2]। इससे नागोर की सारी सेना भी बिखर गई और जिसको जिधर मौक़ा मिला उसने उधर भाग कर प्राण-रक्षा की। इसके बाद (चैत्र सुदि ४=३१ मार्च को) अमीरख़ाँ ने नागोर पर अधिकार कर उस प्रान्त के जागीरदारों से दण्ड के रुपये वसूल करने शुरू किए।

जिन-जिन सरदारों आदि ने अपने अपराधों की माफ़ी मांगली, उन-उन को महाराज ने क्षमाकर गृह-कलह को बहुत कुछ शान्त कर दिया। इसके बाद महाराज की आज्ञा से सिंघी इन्द्रराज और सरदारों ने मिलकर बीकानेर पर चढ़ाई की। ऊदासर के पास युद्ध होने पर बीकानेर की सेना को हारकर भागना पड़ा। परन्तु लौटते हुए उसने मार्ग

---

१. यह घटना चैत्र सुदि ३ (३० मार्च) को हुई थी। इसके बाद ही नवाब ने मारे गए चारों सरदारों के सिर महाराज के पास भेज दिए। इसी से जोधपुर में उन सब का दाह-कर्म किया गया।

२. किसी किसी ख्यात में धौंकलसिंह का भी इनके साथ भागकर बीकानेर जाना लिखा है।

ठाकुर सवाईसिंह की मृत्यु का समाचार मिलते ही उसका पुत्र सालमसिंह पौकरन की गद्दी पर बैठा और इसके बाद सिपाही इकट्ठे कर फलोदी के आस-पास के गांवों को उजाड़ने लगा। परन्तु महाराज की सेना के पहुँच जाने पर उसे पौकरन लौट जाना पड़ा। इसी समय उसने हरियाडाणा के ठाकुर बुधसिंह को महामन्दिर में आयस देवनाथ के पास भेज उससे सहायता की प्रार्थना की। इस पर उस (नाथजी) ने महाराज से कहकर मजल और दूनाड़ा उसे फिर से दिलवा दिया। इसकी एवज़ में उस (सालमसिंह) ने भी क़ायदे के माफ़िक रेख और बाब नामक कर राज्य में देते रहने और चाकरी में घोड़े रखने का वादा किया। इस अवसर पर उसके भाई-बन्धुओं की ज़ब्त की हुई जागीरें भी उन्हें लौटा दी गईं।

के तालावों और कूँओं में मारे हुए जानवरों की लाशें और सिंगीमोहरा डलवा दिया। जब मारवाड़ के सेना-नायकों को यह बात मालूम हुई, तब उन्होंने शीघ्र ही हज़ार-डेढ़ हज़ार पखालें पानी से भरवा कर ऊँटों पर लदवालीं। मार्ग में जहाँ का पानी पीने लायक होता वहाँ के जलाशयों में से मृत पशुओं की हड्डियाँ आदि निकलवा कर पखालें भरवाली जातीं और जहाँ का जल विषैला पाया जाता वहाँ उन पखालों के पानी से काम लिया जाता। इस प्रकार बीकानेर-राज्य के प्रान्तों को पद-दलित करती हुई यह सेना जिस समय गजनेर के पास पहुँची, उस समय वहाँ वालों को लाचार हो संधि की प्रार्थना करनी पड़ी और उसके स्वीकृत हो जाने पर फलोदी का प्रान्त, जो धौंकलसिंह के पक्ष वालों ने अपनी सहायता करने की एवज़ में उन्हें दे दिया था, वापस मारवाड़ वालों को सौंपना पड़ा। इसीके साथ तीन लाख साठ हज़ार रुपये[1] फ़ौज-ख़र्च के देने का वादा भी करना पड़ा[2]।

इसी बीच अमीरख़ाँ नागोर से जोधपुर आया। महाराज ने उसकी बड़ी ख़ातिर की और कुल मिलाकर परबतसर, मारोठ, डीडवाना, सांभर, नांवा और कोलिया आदि के परगने उसके ख़र्च के लिये नियत किए।

वि० सं० १८६६ के प्रथम आषाढ़ (ई० स० १८०९ के जून) में अमीरख़ाँ ने जयपुर-राज्य में पहुँच फिर उपद्रव शुरू किया। यह देख जयपुर-महाराज जगतसिंहजी ने महाराज से मेल करने के लिये दूत भेजे। अन्त में गींगोली की लूट में मिला सामान लौटा ने और फ़ौज-ख़र्च के नाम से कुछ रुपये अमीरख़ाँ को देने पर महाराज ने उनसे संधि करली[3]।

---

१. 'तवारीख राज श्री बीकानेर' में तीन लाख रुपया देना लिखा है। (देखो पृ० २०३)।

२. इसमें से कुछ रुपया तो उसी समय दे दिया गया था और कुछ के लिये ज़मानत दिलवाकर, वि० स० १८६५ की मंगसिर बदि ५ (ई० स० १८०८ की ८ नवम्बर) को, बीकानेर-नरेश सूरतसिंहजी ने एक रुक्का लिख दिया था। साथ ही गींगोली के युद्ध में हाथ लगा मारवाड़ वालों का सामान भी इस अवसर पर उन्हें वापस देना पड़ा था।

३. वैसे तो वि० सं० १८६७ (ई० सं० १८१०) से ही मारवाड़ में अकाल था। परन्तु वि० सं० १८६९ में उसकी भीषणता और भी बढ़ गई और नाज रुपये का ३ सेर होगया। इससे बहुत से आदमी मर गए और बहुत से देश छोड़ कर मालवे की तरफ़ चले गए।

इससे निपट कर अमीरख़ाँ ने उदयपुर पर चढ़ाई की। महाराज के सेनापति भी उसके साथ थे। जब वहाँ पर इनका पूरा-पूरा आतंक छागया, तब महाराना भीमसिंहजी को बड़ी चिन्ता हुई और उन्होंने कृष्णाकुँवरी को मरवा डालने का इरादा किया[1]। अन्त में उस राजकन्या के विष-पान कर लेने पर यह झगड़ा शान्त हुआ[2]। इसके साथ ही उदयपुर वालों ने गोडवाड़ की तरफ़ के चाणोद, घाणेराव और नारलाई के ठाकुरों को, जो मेवाड़ में जा बैठे थे, वहाँ से महाराज के पास भेज सुलह करली। महाराज ने भी माफ़ी माँगने वालों को कुछ दंड देकर उनकी जागीरें लौटादीं।

वि० सं० १८६९ (ई० सन् १८१२) में शायद महाराज की आज्ञा से फिर सिरोही पर चढ़ाई की गई और इधर-उधर के गाँवों के साथ ही वहाँ की राजधानी भी लूटी गई[3]। इसी प्रकार समय-समय पर बीकानेर के प्रदेशों पर भी आक्रमण होते रहते थे[4]।

वि० सं० १८७० के चैत्र (ई० सन् १८१३ के अप्रेल) में जयपुर-महाराजा जगतसिंहजी ने जोधपुर और जयपुर के बीच का मनोमालिन्य दूर करने के लिये सिंघी इन्द्रराज को अपने यहाँ आने का लिखा। इस पर वह महाराज की आज्ञा लेकर वैशाख (मई) में वहाँ पहुँचा और सारी बातें तय होजाने पर भादों सुदि ८ (३ सितम्बर) को जयपुर-नरेश की बहन से महाराजा मानसिंहजी का और भादों सुदि ९ (४ सितम्बर) को महाराज की कन्या से जयपुर-नरेश जगतसिंहजी का विवाह होना निश्चित किया[5]। इसके अनुसार जब महाराजा मानसिंहजी विवाह करने को जाते हुए नागोर पहुँचे, तब बीकानेर-नरेश सूरतसिंहजी ने वहाँ आकर, आयस देवनाथ के द्वारा, इनसे मुलाकात की और कह-सुनकर आपस का पुराना वैमनस्य

---

१. ख्यातों में लिखा है कि इस अवसर पर उदयपुर-नरेश ने कृष्णाकुँवरी का विवाह महाराजा मानसिंहजी से कर देने की इच्छा प्रकट की थी। परन्तु महाराज ने इसे स्वीकार नहीं किया।

२. यह घटना वि० सं० १८६७ की श्रावण वदि ५ (ई० स० १८१० की २१ जुलाई) की है।

३. 'सिरोही का इतिहास', (पृ० २७६)।

४. इसकी पुष्टि स्वयं बीकानेर-नरेश के, वि० सं० १८६९ की चैत्र वदि ६ (ई० स० १८१३ की २३ मार्च) के, महाराजा मानसिंहजी के नाम लिखे पत्र से होती है।

५. इन विवाहों का निश्चय पहले वि० सं० १८६३ (ई० स० १८०६) में ही हो चुका था।

दूर करवालिया। उनके वापिस लौट जाने पर महाराज आगे बढ़ रूपनगर (किशनगढ़-राज्य में) पहुँचे। इसी प्रकार जयपुर-महाराजा जगतसिंहजी भी जयपुर से रवाना होकर अपने राज्य की सरहद के मरवा नामक गाँव में चले आए। यहीं पर पूर्व-निश्चयानुसार दोनों नरेशों का विवाह हुआ और दोनों राज्यों के बीच फिर से मित्रता क़ायम हो गई। इसके बाद उन जागीरदारों ने भी, जो धौंकलसिंह का पक्ष लेनें के कारण अब तक जयपुर में थे, महाराज के सामने हाज़िर हो माफ़ी मांगली। इसलिये इन्होंने हरसोलाव-ठाकुर ज़ालिमसिंह को छोड़ और सब की आजीविका का यथोचित प्रबन्ध कर दिया। इन कामों से निपट महाराज फिर नागोर होते हुए जोधपुर लौट आए। वि० सं० १८७० (ई० स० १८१३) में सिरोही के राव उदयभाणजी तीर्थयात्रा से लौटते हुए पाली में ठहरे। इसकी सूचना मिलते ही महाराज ने दो सौ सिपाही भेज उन्हें पकड़वा मंगवाया। परन्तु करीब तीन मास नज़रबंद रहने पर जब उन्होंने, लाचार हो, जोधपुर की अधीनता और सवा लाख रुपये दण्ड के देना स्वीकार करलिया, तब उन्हें सिरोही जाने की आज्ञा देदी गई।

इसी वर्ष सिंध के टालपुरा मुसलमानों ने उमरकोट में उपद्रव उठाकर वहाँ पर अधिकार करलिया।

वि० सं० १८७१ (ई० स० १८१४) में अमीरख़ाँ के नायब (मोहम्मदशाह) ने सिपाहियों की तनख़्वाह वसूल करने के लिये मारवाड़ के गाँवों को लूटना शुरू किया। यह देख सिंघी इन्द्रराज ने, जो मंत्री का काम करता था, तीन लाख रुपये दिलवाने का प्रबन्ध कर उसे विदा किया।

---

१. जयपुर-महाराज को यह भय था कि कहीं जयपुर से बाहर जाने पर अमीरख़ाँ उन्हें पकड़ न ले। यह देख जयपुर वालों की प्रार्थना पर महाराजा मानसिंहजी ने उन दोनों के बीच मैत्री करवा दी। इसकी पुष्टि बीकानेर-नरेश सूरतसिंहजी के महाराज के नाम लिखे, वि० सं० १८७० की माघ वदि १० (ई० स० १८१४ की १६ जनवरी) के, पत्र से भी होती है।

२. महाराजा मानसिंहजी का विवाह जयपुर-राज्य के मरवा गाँव में और महाराजा जगतसिंहजी का विवाह महाराज के भ्राता किशनगढ़-नरेश के राज्य के रूपनगर में हुआ। इनमें महाराज की तरफ़ से किशनगढ़-नरेश कल्याणसिंहजी और अजमेर-प्रान्त के सरदार भी शरीक हुए थे।

३. यह मायलाबाग़ नामक स्थान में रक्खे गए थे।

४. सिरोही का इतिहास, पृ० २७६-२८०।

अगले वर्ष के भादों (ई० स० १८१५ के सितम्बर) में स्वयं अमीरखाँ पन्द्रह हज़ार सैनिक लेकर मारवाड़ में आया । मौक़ा देख मुहता अखैचंद और आउवा, आसोप आदि के सरदारों ने उसे भड़काया[2] कि सिंघी इन्द्रराज और आयस देवनाथ[1] ही उसके खर्च के रुपयों को रोका करते हैं, इसलिये यदि वह उन्हें मरवाडाले तो उसका आज तक का चढ़ा-चढ़ा रुपया वे देसकते[3] हैं । परन्तु उनके इस गुप्त-षड्यंत्र की सूचना मिलजाने से इन्द्रराज ने क़िले से बाहर आना छोड़ दिया । यह देख वि० सं० १८७२ की आश्विन सुदि ८ (ई० स० १८१५ की १० अक्टोबर) को अमीरखाँ की आज्ञा से उसके कुछ सैनिकों ने क़िले पर पहुँच खर्च के विषय में बखेड़ा उठाया और मौक़ा पाकर ख़्वाबगाह के महल में बैठे आयस देवनाथ[4] और सिंघी इन्द्रराज[5] को मारडाला । उसी समय वहाँ पर उपस्थित तीन चार आदमी और भी मारे गए ।

महाराज उस समय पास ही के मोतीमहल में थे । इसलिये हल्ला सुनते ही उधर को जाने लगे । परन्तु पास वालों ने इन्हें वहीं रोक कर बाहर का सारा हाल कह सुनाया । इस पर महाराज ने क्रुद्ध होकर हत्या-कारियों को प्राण-दण्ड देने की आज्ञा दी । यह देख षड्यंत्र में सम्मिलित सरदारों ने अमीरखाँ द्वारा शहर के लूट लिए जाने का भय दिखला कर इस आज्ञा को रुकवाना चाहा । परन्तु जब वे किसी तरह महाराज को अनुकूल न कर सके, तब उन्होंने आयस देवनाथ के छोटे भ्राता भीमनाथ को, अमीरखाँ द्वारा उसके मारडाले जाने और महामन्दिर के लूट लिए जाने

---

१. यह उन दिनों सिंघी इन्द्रराज से दुश्मनी होने के कारण नाथजी के निज-मन्दिर में शरण लेकर रहता था ।

२. किसी किसी ख्यात से ज्ञात होता है कि अमीरखाँ अपने लिये नियत किए गाँवों की आमदनी से सन्तुष्ट न होकर मेड़ते और नागोर पर भी अधिकार करना चाहता था । परन्तु शुरू में महाराज के लिहाज़ से चुप रहकर भी अन्त में सिंघी इन्द्रराज ने इस बात को मंज़ूर न किया । इसी से अमीरखाँ मनमें उससे नाराज़ था । ऊपर से खींवसी आदि ने उसे और भी भड़का दिया ।

३. साथ ही उन्होंने यह वादा किया कि उन दोनों की हत्या करने वालों को भी वे सज़ा न होने देंगे ।

४. महाराज ने, इसकी जोधपुर का राज्य प्राप्त होने की भविष्यवाणी के सच हो जाने के कारण, राज्य का सारा कारबार इसे ही सौंप दिया था ।

५. महाराज ने उसकी सेवा का खयाल कर साधारण नियम के विरुद्ध उसकी लाश को सीधे मार्ग से क़िले से बाहर ले जाने की आज्ञा दी ।

का, भय दिखला कर उसकी तरफ़ से महाराज से प्रार्थना करवाई। इस पर महाराज ने लाचार हो अपनी आज्ञा वापस लेली और हत्याकारियों को क़िले से सकुशल निकल जाने दिया। इसके बाद अमीरख़ाँ ने महाराज से मिलने की इच्छा प्रकट की। परन्तु इन्होंने उसकी सूरत देखने से ही इनकार कर दिया। आयर्स देवनाथ और सिंघी इन्द्रराज की मृत्यु से महाराज को इतना रंज हुआ कि यह उसी दिन से राज-कार्य से उदासीन होकर गुम रहने लगे।

इसके बाद षड्यंत्रकारियों ने साढे नौ लाख रुपये देने का प्रबन्ध कर आउवा, आसोप, नींबाज, चंडावल और कंटालिया के सरदारों[1] की सलाह से दीवानी का काम मुहता अखैचंद को और बख्शी का काम भंडारी चतुर्भुज को सौंपा। इसी प्रकार अन्य राजकीय पदों पर भी अपने पक्षवालों को नियत किया। जब इस घटना की सूचना सिंघी इन्द्रराज के छोटे भाई गुलराज[2] को मिली, तब वह महाराज से गुप्त तौर पर आज्ञा लेकर दो हज़ार सवारों के साथ जोधपुर की तरफ़ चला। उसके वि० सं० १८७३ की माघ सुदि ३ (ई० स० १८१७ की २० जनवरी) को राईकेबाग पहुँचने पर उपर्युक्त पाँचों सरदार और भंडारी चतुर्भुज चांदपौल दरवाज़े की तरफ़ होकर चौपासनी चले गए। इसी प्रकार मुहता अखैचंद ने महात्मा आत्माराम की समाधि की शरण ली। इसके बाद जब गुलराज अपने दल-बल सहित क़िले पर महाराज के सामने हाज़िर हुआ, तब इन्होंने सान्त्वना देकर राज्य का सारा प्रबन्ध उसे सौंप दिया। इसके बाद महाराज की आज्ञा से गुलराज और फ़तैराज[3] मिल कर राज्य का प्रबन्ध करने लगे। यह देख उपर्युक्त सरदार चौपासनी छोड़ अपनी-अपनी जागीरों में चले गए[4]।

---

१. उपर्युक्त सरदारों के नाम:—

१. बखतावरसिंह, २. केसरीसिंह, ३. सुलतानसिंह, ४. बिशनसिंह और ५ शम्भूसिंह।

२. यह उस समय सोजत की सेना का सेनापति था।

३. ये दोनों चचा भतीजे थे।

४. चौपासनी से रवाना होकर ये सरदार चंडावल पहुँचे। वहां पर चंडावल-ठाकुर ने इन्हें दावत दी। परन्तु उसी समय सिंघी चैनकरण के हमला कर देने से उन्हें भोजन करने के पहले ही वहां से भाग जाना पड़ा।

इसी वर्ष मुहता साहिबचंद ने सिरोही से चढ़े हुए दण्ड के रुपये वसूल करने के लिये चढ़ाई कर वहाँ के भीतरोट प्रान्त को लूटा।

इसके बाद ही महाराज ने मौनधारण कर राज्य-कार्य से पूरी उदसीनता ग्रहण करली। यह देख मुहता अखैचंद ने आयस देवनाथ के छोटे भाई आयस भीमनाथ आदि मुख्य-मुख्य पुरुषों को मिलाकर राजकुमार छत्रसिंहजी को राज्य-प्रबन्ध सौंप देने का षड्यंत्र शुरू किया। उसी की प्रेरणा से भीमनाथ ने स्वयं महाराज से भी इस बात की आज्ञा प्राप्त कर लेने की कोशिश की। परन्तु इन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया। अन्त में षड्यंत्रकारियों ने वि० सं० १८७४ की वैशाख वदि ३ (ई० स० १८१७ की ४ अप्रेल) को सिंघी गुलराज को कैद कर मरवा डाला; और वैशाख सुदि ३

बाद में जब वि० सं० १८७४ (ई० स० १८१७) में राज्य का अधिकार महाराजकुमार छत्रसिंहजी के हाथ में चला गया, तब सिंघी चैनकरण को काणाणा के ठाकुर श्यामकरण की हवेली में शरण लेनी पड़ी। परन्तु फिर भी दूसरे सरदार ठाकुर को इसे (चैनकरण को) छत्रसिंहजी को सौंप देने के लिये दबाने लगे। अन्त में ठाकुर के सहमत होजाने पर महाराजकुमार छत्रसिंहजी स्वयं जाकर उसे काणाणा की हवेली से ले आए और मरवा डाला। इस प्रकार सरदारों ने उससे अपना बदला लिया।

१. सिरोही के इतिहास में लिखा है कि जोधपुर वालों की इस लूट को देखकर महाराव उदयभाणजी ने भी मारवाड़ के गांवों को लूटने का प्रबन्ध किया। इसकी सूचना मिलते ही महाराजा मानसिंहजी ने साहिबचन्द को फिर से सिरोही को लूटने की आज्ञा दी। उसके इसवार के हमले में, जो वि० सं० १८७४ की माघ बदि ८ (ई० स० १८१८ की ३० जनवरी) को हुआ था, महाराव को सिरोही छोड़कर पहाड़ों में शरण लेनी पड़ी। जोधपुर की फ़ौज ने वहां पहुँच १० दिनों तक नगर को लूटा और करीब ढ़ाई लाख का माल लेकर वह वहां से लौटी। इस आक्रमण में सिरोही का पुराना दफ्तर भी जला दिया गया। यह देख महाराव ने महाराजा मानसिंहजी को दण्ड के रुपये देने के लिये अपनी प्रजा से धन इकट्ठा करना प्रारम्भ किया। परन्तु प्रजा दुखी होकर गुजरात और मालवे की तरफ़ चली गई और सरदार अप्रसन्न होकर महाराव के भ्राता शिवसिंहजी के पास पहुँचे। अन्त में शिवसिंहजी ने महाराव उदयभाणजी को कैद कर राज्य का प्रबन्ध अपने हाथ में ले लिया। यह घटना वि० सं० १८७४ (ई० स० १८१८ की है।

यद्यपि इसके बाद महाराजा मानसिंहजी ने उदयभाणजी को कैद से छुड़वाने के लिये सेना भेजी, तथापि इसमें सफलता नहीं हुई (देखो पृ० २८०-२८२)। परन्तु ये घटनाएँ छत्रसिंहजी की युवराज अवस्था में हुई होंगी। सिरोही पर की दूसरी चढ़ाई का उल्लेख यथास्थान मिलेगा।

२. इस पर इसके कुटुम्बी भागकर कुचामन चले गए; क्योंकि वहां का ठाकुर इस षड्यंत्र में शरीक़ नहीं था। कुड़की का ठाकुर भी सिंघियों से मेल रखता था। इसी से विपक्षियों

(१९ अप्रेल) को भीमनाथ के द्वारा, महाराज की इच्छा न होते हुए भी, उनसे राजकुमार छत्रसिंहजी को युवराज-पद दिलवा दिया । राजकुमार छत्रसिंहजी का जन्म वि० सं० १८५७ की फागुन सुदि ९ (ई० स० १८०१ की २२ फ़रवरी) को हुआ था और इस समय उनकी अवस्था करीब १७ वर्ष की थी । इसलिये राज्य-कार्य की देख-भाल मुहता अखैचंद करने लगा । प्रधान का पद फिर से पौकरन—ठाकुर सालमसिंह को दिया गया । कुछ ही दिनों में मुंहलगे लोगों के कहने से महाराज-कुमार ने नाथ-संप्रदाय को त्याग कर वैष्णव-संप्रदाय की दीक्षा ग्रहण करली ।[1]

इसके बाद पिंडारी युद्ध के समय वि० सं० १८७४ की पौष वदि ३० (ई० स० १८१८ की ६ जनवरी) को गवर्नर-जनरल मार्किस ऑफ़ हेस्टिंग्ज के समय "ईस्ट इण्डिया कम्पनी" और जोधपुर-राज्य के बीच यह संधि[2] हुई:—

१. इंगलिश ईस्ट इंडिया कम्पनी और महाराजा मानसिंहजी तथा उनके उत्तराधिकारियों के बीच पूरी और पक्की मित्रता रहेगी । दोनों तरफ़वाले एक दूसरे के शत्रु और मित्र को अपना शत्रु और मित्र समझेंगे ।

२. ब्रिटिश-गवर्नमैन्ट मारवाड़-राज्य की रक्षा का ज़िम्मा लेती है ।

३. महाराजा मानसिंहजी, उनके वंशज और उत्तराधिकारी ब्रिटिश-गवर्नमैन्ट के अधिकार-युक्त सहयोग से काम करेंगे । वे लोग किसी अन्य राजा या राज्य से किसी प्रकार का (राजनैतिक) सम्बन्ध नहीं रक्खेंगे ।

४. महाराज, उनके वंशज और उत्तराधिकारी ब्रिटिश-गवर्नमैन्ट को सूचित किए विना या उसकी आज्ञा के विना किसी राजा या राज्य से किसी प्रकार की (राजनैतिक) बात-चीत नहीं करेंगे । परन्तु उनकी साधारण लिखा-पढ़ी अपने मित्रों और संबंधियों के साथ जारी रहेगी ।

ने पंचोली गोपालदास को उस पर चढ़ाई करने की आज्ञा दी । उसके वहाँ पहुँचने पर एक बार तो वहाँ वालों ने उसका सामना किया, परन्तु अन्त में राजकुमार की अधीनता स्वीकार करली ।

१. ख्यातों से यह भी प्रकट होता है कि षड्यंत्रकारियों ने कई वार महाराजा मानसिंहजी को मार डालने तक की चेष्टाएं कीं । परन्तु इनकी सावधानी के कारण वे सफल मनोरथ न हो सके ।

२. ए कलैक्शन ऑफ़ ट्रीटीज़ ऐंगेजमैंट्स ऐंड सनद्स, भा० ३, पृ० १२८-१२९ ।

५. महाराजा, उनके वंशज और उत्तराधिकारी किसी पर एकाएक हमला नहीं करेंगे। यदि कोई मामला ऐसा आ पड़ेगा तो उसे सुलझाने के लिये पहले ब्रिटिश-गवर्नमेन्ट के सामने पेश करेंगे।

६. राज्य की तरफ़ से सिंधिया को जो कर दिया जाता है वह अबसे ब्रिटिश-गवर्नमैन्ट को दिया जायगा और इस राज्य के और सिंधिया के बीच कर-सम्बन्धी सम्बन्ध नहीं रहेगा[1]।

७. महाराजा ने प्रकट किया है कि सिवाय सिंधिया के अन्य किसी राज्य को आज तक कर नहीं दिया गया है; और अब वही कर ब्रिटिश-गवर्नमैन्ट को दिया जायगा। अतः सिंधिया या और कोई दूसरा करका दावा करेगा तो ब्रिटिश-गवर्नमैन्ट उसकी उत्तरदायी होगी।

८. जोधपुर-राज्य ब्रिटिश-गवर्नमैन्ट के कार्य के लिये १,५०० सवार रक्खेगा; और वह जरूरत के समय केवल राज्य-रक्षा के लिये सैनिकों की उपयुक्त संख्या देश में रख कर, राज्य की सारी शक्ति से ब्रिटिश-सरकार की मदद करेगा।

९. महाराजा, उनके वंशज और उत्तराधिकारी देश के कार्यों में पूरे स्वाधीन रहेंगे; और उनके देश में ब्रिटिश-गवर्नमैन्ट का किसी प्रकार का दख़ल नहीं रहेगा।

१०. यह सन्धि दिल्ली में की गई, और इस पर मि० मैटकाफ़ और व्यास बिशनराम तथा व्यास अभैराम के हस्ताक्षर और मुहरें हुईं। आज से ६ सप्ताह के भीतर, इस पर गवर्नर-जनरल के और राजराजेश्वर महाराजा मानसिंहजी तथा युवराज कुंवर छत्रसिंहजी के हस्ताक्षर होकर इसकी प्रतियां एक दूसरे के पास भेजदी जायगीं।

१, सिंधिया ने ई० स० १८१८ की २५ जून (वि० सं० १८७५ की आषाढ़ वदि ७) को, अजमेर अंगरेज़ों को दे दिया। इसलिये उसी वर्ष की २८ जुलाई (वि० सं० १८७५ की सावन वदि ११) को सर डेविड ऑक्टरलोनी ने वहाँ जाकर उस पर अधिकार कर लिया। गवर्नमैंट को मेरवाड़े के इलाके पर अधिकार करने में मारवाड़ की सेना ने भी मदद दी थी। यह प्रान्त अजमेर से ३२ मील पश्चिम में है। इसके जोधपुर राज्यान्तर्गत प्रदेश पर ही तत्कालीन कमिश्नर मि० डिक्सन् ने नयाशहर-ब्यावर बसाया था।

इसके अनुसार बाहरी आक्रमणों से जोधपुर की रक्षा करने का भार उक्त कम्पनी ने अपने ऊपर लेलिया और इसकी एवज़ में युवराज छत्रसिंहजी ने सिंधिया को जो कर दिया जाता था वह (१,०८,००० रुपये) कम्पनी को देना अङ्गीकार करलिया। इसी सन्धि के बाद मारवाड़ के नाँवा, सांभर आदि प्रान्तों पर से अमीरख़ाँ का दख़ल उठ गया।

'सिरोही के इतिहास'[1] से ज्ञात होता है कि महाराजा मानसिंहजी की आज्ञा से, वि० सं० १८७४ की माघ वदि ८ (ई० स० १८१८ की ३० जनवरी) को, मुहता साहिबचंद ने फिर सिरोही पर हमला किया। इस पर महाराव उदयभाणजी तो शहर छोड़ कर भाग गए और साहिबचन्द ने वहां के दफ़्तर आदि जलाकर १० दिन तक नगर को लूटा। इस लूट में ढाई लाख रुपये उसके हाथ लगे। इसके बाद सिरोही के महाराव ने जोधपुर-महाराज को, उनके द्वारा मांगे गए, दण्ड के रुपये देने के लिये इधर-उधर से रुपया वसूल करना शुरू किया।

वि० सं० १८७४ की चैत्र वदि ४ (ई० स० १८१८ की २६ मार्च) को युवराज छत्रसिंहजी का स्वर्गवास हो गया। इस पर सरदार और मुत्सद्दी मिलकर राजकार्य चलाने और किसी को ईडर से लाकर गोद बिठाने का विचार करने लगे।

ऐसे समय महाराज ने और भी उदासीनता प्रदर्शित की। परन्तु इसके पूर्व गवर्नमैन्ट से सन्धि हो चुकी थी। इसलिये जैसे ही इन घटनाओं की सूचना उसे मिली, वैसे ही उसने मुंशी बरकतअली को यहां का असली हाल जानने के लिये रवाना किया। वि० सं० १८७५ के आश्विन (ई० स० १८१८ के सितम्बर) में वह जोधपुर आया और सरदारों के साथ जाकर महाराज से मिला। सरदारों को साथ देख महाराज उदासीन ही बने रहे। परन्तु जब दूसरी वार वह इनसे अकेले में मिला, तब महाराज ने आदि से अन्त तक का सारा वृत्तान्त उसे कह सुनाया। इस पर उसने महाराज को सान्त्वना दी और लौट कर सारा हाल गवर्नर-जनरल के एजैन्ट से कहा। यह सुन उसने गवर्नमैन्ट की तरफ़ से महाराज को एक ख़रीता भिजवा दिया। उसमें लिखा था कि आपके, राज्य-प्रबन्ध फिर से अपने हाथ में लेलेने पर, राज्य के भीतरी मामलों में कम्पनी किसी प्रकार का हस्तक्षेप न करेगी। इससे

१. पृ० २८१।

जब महाराज को उधर का विश्वास हो गया, तब इन्होंने उदासीनता त्याग कर सरदारों और मुत्सद्दियों पर अपनी कृपा प्रकट की और कार्तिक सुदि ५ (ई० स० १८१८ की ३ नवम्बर) को क़रीब ३ वर्ष बाद राजसी ठाट से बाहर आकर दर्बार किया। इसमें मुहता अखैचंद आदि को यथावत् कार्य करते रहने का आदेश दिया गया। जब कुछ दिनों में सबको महाराज की तरफ़ का विश्वास हो गया, तब अखैचंद ने राज्य की आमदनी बढ़ाने के लिये प्रत्येक सरदार से एकएक गांव राज्य को लौटा देने की प्रतिज्ञा करवाई। इसके बाद वि० सं० १८७७ की वैशाख सुदि ९ (ई० स० १८२० की २१ अप्रेल) को जिस समय अखैचंद मंडोर से लौट रहा था, उस समय नागोरी दरवाज़े के बाहर पड़ी हुई राज्य की वेतन-भोगी विदेशी-सेना ने, अपनी तनख़्वा के न मिलने के कारण, उसे पकड़ लिया। इस पर इधर तो महाराज उसके छुड़वाने का प्रबन्ध करने लगे और उधर इन्होंने वि० सं० १८७७ की वैशाख सुदि १४ (ई० स० १८२० की २७ अप्रेल) को अखैचंद के ८४ अनुयायियों को क़िले में क़ैद करवादिये[१]। इसके बाद अखैचंद भी लाकर क़िले में, झरने के पास, पहरे में रक्खा गया।

प्रथम ज्येष्ठ सुदि १४ (ई० स० १८२० की २६ मई) को उनमें के अखैचंद आदि आठ मुखियाओं को ज़बरदस्ती विष-पान करवाकर या सख़्ती करवा कर मार डाला गया[२]। इसके बाद द्वितीय ज्येष्ठ सुदि १३ (ई० स० १८२० की २४ जून) को फिर कुछ आदमी[३] क़ैद किए गए; और इसके दो दिन बाद नींबाज-ठाकुर की हवेली पर सिंघी फ़तैराज आदि की अधीनता में सेना भेजी गई। इस पर पहले तो ठाकुर सुलतानसिंह ने मकान के अन्दर से इसका सामना किया, परन्तु अन्त में

१. खीची बिहारीदास भाग कर खेजड़ले की हवेली में चला गया था, इसलिये महाराज ने उस पर सेना भेजी। वहां युद्ध होने पर वह मारा गया।

२. इनमें से (१) लोडते के नथकरण, (२) मुहता अखैचन्द, (३) व्यास बिनोदीराम, (४) पंचोली जीतमल और (५) जोशी फ़तैचन्द को तो ज़हर पिला कर मारा गया और (१) धांधल दाना, (२) मूला और (३) जीया को सख़्ती करवा कर मारा गया।

३. जोशी श्रीकृष्ण, मुहता सूरजमल और उसके कुटुम्बी, व्यास शिवदास और पंचोली गोपालदास।

इनमें के पहले दोनों भादों सुदि ४ (ई० स० १८२० की ११ सितम्बर) को विष द्वारा मारे गए।

वह दरवाज़े के बाहर आते हुए वीरता से लड़कर मारा गया। यह देख पौकरन-ठाकुर सालमसिंह भागकर पहले महामन्दिर में नाथजी की शरण में जा रहा और बाद में पौकरन चला गया। उसी समय अन्य अनेक षड्यंत्रकारी सरदारों की जागीरें ज़ब्त करली गईं और इसके बाद भादों (अगस्त) के महीने में विपक्ष के और भी बहुत से लोगों को अनेक तरह के दण्ड दिए गए। परन्तु जिन्होंने उचित सेवाएं की थीं उन्हें पुरस्कृत कर उनकी पद-वृद्धि की गई।

वि० सं० १८७८ (ई० स० १८२१) में सिंघी मेघराज और धांधल गोरधन को संधि के अनुसार १,५०० सवारों के साथ अंगरेज़ों की सहायता के लिये दिल्ली की तरफ़ रवाना किया। क़रीब एक वर्ष के बाद ये लौटकर जोधपुर आए।

इसी बीच देवनाथ के भ्राता भीमनाथ और पुत्र लाडूनाथ के आपस में झगड़ा उठ खड़ा हुआ। इस पर महाराज ने महामन्दिर नामक गाँव लाडूनाथ को सौंप दिया और भीमनाथ के लिये नगर के बाहर उदयमन्दिर नामक गाँव बसाकर उसे अलग

---

१. इसके बाद यह लौट कर जोधपुर नहीं आया। वि० सं० १८७८ (ई० स० १८२१) में पौकरन में ही इसका देहान्त हुआ।

२. आसोप-ठाकुर केसरीसिंह इस समाचार को सुन आसोप से देसणोक (बीकानेर-राज्य में) चला गया। वहीं पर उसका देहान्त हुआ। इससे आसोप पर राज्य का अधिकार हो गया।

इसी प्रकार चंडावल, खेजड़ला, रोहट, नींबाज, साथीण आदि के ठाकुर भी भाग कर मेवाड़ चले गए और उनकी जागीरें ज़ब्त हो गईं। पौकरन के मजल और दूनाडा भी ज़ब्त किए गए।

इसी प्रकार इन सरदारों के ज़िलायतों के गांव भी छीन लिए गए। खींवसर-ठाकुर क़ैद किया गया। यह क़रीब ५ वर्ष के बाद दण्ड के रुपये देकर क़ैद से छूटा। आउवे के ठाकुर की जागीर भी ज़ब्त करली गई।

यति हरकचन्द, जो छत्रसिंहजी का वैद्य था। क़ैद किया गया। लोढ़ा कल्याणमल का छोटा भाई तेजमल, जिसको महाराज ने राव की पदवी दी थी, महाराज-कुमार छत्रसिंहजी के मामले में मुहता अखैचन्द से मिल गया था। इससे महाराज उससे नाराज़ थे। परन्तु अन्त में सिंघी फ़ौजराज के सम्बन्ध से उसके कुटुम्ब वालों को माफ़ी देदी गई।

३. राजकार्य चलाने के लिये (१) सिंघी फतैराज, (२) भाटी गजसिंह, (३) छांगाणी कचरदास, (४) धांधल गोरधन और (५) नाज़िर इमरतराम की कमेटी बनाई गई।

४. वि० सं० १८८५ (ई० स० १८२८) में लाडूनाथ का स्वर्गवास होगया।

आजीविका दी। परन्तु फिर भी उनका झगड़ा शान्त न हुआ। उलटा उनके कारण राज-कर्मचारियों के भी दो दल होगए। सिंघी फ़तैराज और भाटी गजसिंह लाडूनाथ के पक्ष में हुए और धांधल गोरधन और नाज़िर इमरतराम भीमनाथ के पक्ष में। इस प्रकार दलबंदी होने पर एक पक्ष के कर्मचारी दूसरे पक्ष की रिशवत की शिकायतें करने लगे। इस पर जिस-जिस पर जितना-जितना रिशवत का अभियोग सिद्ध होता गया, उस-उससे महाराज ने उतने-उतने रुपये वसूल करलिए।

वि० सं० १८८० के भादों (ई० स० १८२३ के सितम्बर) में उन सरदारों के वकीलों[1] ने, जिनकी जागीरें महाराज ने ज़ब्त करली थीं, अजमेर जाकर पोलिटिकल एजैण्ट मिस्टर एफ़. विल्डर से महाराज के विरुद्ध शिकायत की। परन्तु उसने उन्हें महाराज के पास जाकर फ़ैसला करवाने की सलाह दी। इसी के अनुसार जब वे लोग मारवाड़ के चौपड़ा गांव में पहुंचे, तब महाराज ने उन्हें पकड़वा कर जोधपुर के क़िले में क़ैद करवा दिया। परन्तु आउवे का वकील पंचोली कॉंनकरण बचकर निकल गया। जब उसने अजमेर पहुँच मिस्टर विल्डर को सारा हाल कहा, तब उसने अजमेर-स्थित महाराज के वकील को कहकर उन सबको छुड़वा दिया, और महाराज को उन सरदारों पर दया करने की सिफ़ारिश लिखी। इस पर (ई० स० १८२४ के प्रारम्भ में) महाराज ने भी कुछ सरदारों की जागीरें लौटा देने की आज्ञा देदी। परन्तु सरदारों के ज़िलेवालों और छुट-भाइयों की जागीरें लौटाने का हुक्म नहीं दिया। मिस्टर विल्डर ने जब महाराज को फिर इस मामले पर विचार करने का लिखा, तब महाराज ने उसे वापस लिख भेजा कि बूडसू और चंडावल के ठाकुर तो सिफ़ारिश करवाना और दया प्राप्त करना चाहते ही नहीं हैं। हां, आउवा, आसोप, नींबाज और रास के ठाकुरों को, यद्यपि वे दया के पात्र नहीं हैं, तथापि ब्रिटिश-गवर्नमैन्ट के कहने से वे जागीरें, जो महाराजा बखतसिंहजी के समय उनके पास थीं, ६ महीने में लौटा दी जायँगी। इसके बाद यदि वे हमारी आज्ञानुसार चलेंगे तो उन पर और भी कृपा की जायगी। इनके अलावा अन्य छोटे जागीरदार भी यदि ब्रिटिश-गवर्नमैन्ट की मदद प्राप्त करने की कोशिश न कर हमें प्रसन्न करने की कोशिश करेंगे तो उनकी जागीरें भी लौटा दी जायँगी। इस पर पोलिटिकल एजैंट एफ़. विल्डर ने भी महाराज

---

१. इनमें बासनी, आसोप, आउवा, चंडावल, नींबाज आदि के वकील थे।

को आगे से उनके अन्तरंग मामलों में गवर्नमैन्ट के हस्तक्षेप न करने का विश्वास देदियां[1]।

उन दिनों राज्य में नाथों का प्रभाव बढ़ा हुआ होने से नित्य नए दीवान बदले जाते थे और राज-कार्य का प्रबन्ध शिथिल हो रहा था। इससे मेरवाड़े की तरफ़ के मेर और मीणे इधर-उधर लूट-मार कर उपद्रव करने लगे। जब राज्य की तरफ़ से इसका प्रबन्ध ठीक तौर से न होसका, तब गवर्नमैन्ट ने जोधपुर की सेना की सहायता से वहां के बागियों को कैद कर इस उपद्रव को शान्त किया।

वि० सं० १८८० की फागुन सुदि ५ (ई० स० १८२४ की ५ मार्च) को उक्त प्रदेश के २१ गांव, जो चांग और कोट किराना परगने में थे, और जिन पर जोधपुर-महाराज का अधिकार था, आठ वर्ष के लिये, गवर्नमैन्ट ने अपने अधिकार में ले लिए और उनके प्रबन्ध के खर्च के लिए १५,००० रुपये सालाना भी राज्य से लेना तय किया। परन्तु इसके साथ एक शर्त यह भी की गई कि इन गांवों की आमदनी के रुपये इन रुपयों में से बाद देदिए जायँगे[2]।

इन्हीं दिनों सिरोही की सरहद से मिलते हुए जालोर आदि के प्रदेशों के उपद्रव को दबाने का भी प्रबन्ध किया गया।

वि० सं० १८८१ (ई० स० १८२४) में भंडारी भानीराम ने आपस की शत्रुता के कारण सिंघी फ़तैराज के विरुद्ध एक षड्यंत्र रचा और उसकी तरफ़ से लिखा गया धौंकलसिंह के नाम का एक जाली पत्र बनवाकर महाराज के सामने पेश किया। इस पर महाराज ने वि० सं० १८८२ के प्रारम्भ में फ़तैराज और उसके भाई-बन्धुओं को कैद कर उसका दीवानी का काम भानीराम को देदिया[3]। कुछ दिन बाद ही उस (भानीराम) ने महाराज के हस्ताक्षर की एक जाली चिट्ठी बनवाकर रुपये वसूल करने की कोशिश की। परंतु इसमें वह पकड़ा गया। इससे सारा भेद

---

१. ए कलैक्शन ऑफ़ ट्रीटीज़ ऐंगेजमैंट्स एण्ड सनद्स, भा० ३, पृ० १३०-१३१।

२. ए कलैक्शन ऑफ़ ट्रीटीज़ ऐंगेजमैंट्स एण्ड सनद्स, भा० ३, पृ० १३१-१३२।

३. परन्तु साथ ही सिंघी फौजराज को, जिसकी अवस्था केवल १४ वर्ष की थी, इस काम में उसके साथ कर दिया। वि० सं० १८८२ (ई० स० १८२५) में जोशी शंभुदत्त को फ़ौजराज के साथ काम करने के लिये नियत किया। इसके बाद कुछ काल तक शम्भुदत्त ने अकेले ही दीवानी का काम किया।

खुल गया। तहकीकात के बाद जाली पत्रों के लिखनेवाले बागा जालोरी का हाथ कटवाकर उसे देश से बाहर निकाला गया और भंडारी भानीराम कैद किया गया।

वि० सं० १८८४ (ई० स० १८२७) में राज्य का प्रबन्ध नाथजी के मुसाहिब मुहता उत्तमचंद और मुहता जसरूप के हाथ में था। इसी से इस वर्ष के सावन (जुलाई) में उन्होंने आउवे पर अधिकार करने के लिये एक सेना रवाना की। यह देख इधर तो वहां के ठाकुर ने दृढ़ता से उसका सामना किया, और उधर नींबाज और रास आदि के ठाकुरों के साथ धौंकलसिंह से मिलकर डीडवाने पर उस (धौंकलसिंह) का अधिकार करवादिया। इस पर महाराज ने सिंघी फ़ौजराज को फ़ौज लेकर उधर जाने की आज्ञा दी। उसने वहां पहुँच नींबाज के ठाकुर सांवतसिंह और रास के ठाकुर भीमसिंह को अपनी तरफ़ मिला लिया, और आउवे पर आक्रमण करनेवाली सेना को भी वापस बुलवालिया। इस पर नींबाज और रास के ठाकुर धौंकलसिंह को छोड़ जोधपुर चले आए और ठाकुर बखतावरसिंह आउवे लौट गया। इसलिये डीडवाना फिर महाराज के अधिकार में आगया[२]।

इसी वर्ष नागपुर का राजा मधुराजदेव भोंसले अंग्रेज़ों से हारकर जोधपुर आया। महाराज ने शरणागत की रक्षा करना क्षत्रिय का धर्म समझ उसे महामन्दिर में ठहरा दिया। अन्त में जब गवर्नमैन्ट ने उसे अपने हवाले कर देने को लिखा, तब महाराज ने उसे वापस लिख दिया[१] कि यदि आप हमें अपना मित्र समझते हैं तो भोंसले चाहे आपकी निगरानी में रहे चाहे हमारी। इसमें कुछ विशेष अन्तर नहीं है। इसके अलावा यदि यह किसी प्रकार का उपद्रव करेगा तो उसकी ज़िम्मेदारी हम पर होगी। यह उत्तर पा गवर्नमैन्ट चुप हो रही। कई वर्ष बाद यह भोंसले यहीं मर गया।

इसी वर्ष फिर एकवार धौंकलसिंह के पक्षवालों ने जयपुर में सेना इकट्ठी कर जोधपुर पर चढ़ाई करने का इरादा किया। यह देख महाराज ने इस विषय में गवर्नमैन्ट से सहायता मांगी। इसकी सूचना मिलते ही उसने जयपुर-नरेश को धमका कर इस चढ़ाई को रुकवा दिया। इस पर धौंकलसिंह को फिर जज्झर की तरफ़ जाना

---

१. परन्तु वि० सं० १८९७ के ज्येष्ठ (ई० स० १८४० के जून) में इसे, मिस्टर लडलो के लिखने से, महामन्दिर छोड़ कर, जोधपुर से बाहर चला जाना पड़ा।

२. इसपर धौंकलसिंह जज्झर की तरफ़ चला गया।

पड़ा। इसी के साथ गवर्नमैन्ट ने महाराजा मानसिंहजी को अपने घरका झगड़ा मिटाकर राज्य-व्यवस्था को ठीक करने का भी लिखा।

वि० सं० १८८५ (ई० स० १८२८) में किशनगढ़ में भी सरदारों का उपद्रव उठ खड़ा हुआ। इस पर उस वर्ष के भादों (सितम्बर) में किशनगढ-नरेश कल्याणसिंहजी कुछ दिन के लिये जोधपुर चले आए। महाराज ने उनका सत्कार करने में किसी प्रकार की कसर नहीं रक्खी।

वि० सं० १८८८ (ई० स० १८३१) में राजपूताने के पोलिटिकल एजैन्ट ने राजस्थान के अन्य नरेशों के साथ ही महाराज को भी अजमेर आकर गवर्नर-जनरल से मिलने का लिखा। इस पर पहले तो महाराज ने वहां जाने की तैयारी की, परन्तु अन्त में यह विचार त्याग दिया। यह देख यद्यपि गवर्नमैन्ट ने प्रकट रूप से तो कुछ नहीं कहा, तथापि यह बात उसे बुरी लगी।

इसी वर्ष बगड़ी के ठाकुर शिवनाथसिंह ने बग़ावत की और बूडसू वालों ने भी, जो वि० सं० १८८५ (ई० स० १८२८) से बाग़ी थे[1], उसका साथ दिया। वि० सं० १८८९ (ई० स० १८३२) में जब उन लोगों ने जैतारन को लूट लिया, तब महाराज ने सिंघी कुशलराज को उन्हें दण्ड देने की आज्ञा दी। उसने वहां पहुँच उन्हें मेवाड़ की तरफ़ भगा दिया।

वि० सं० १८९० (ई० स० १८३३) में पोलिटिकल एजैन्ट ने महाराज को सन्धि के अनुसार करके रुपये भेजने की ताकीद लिखी और यह भी लिखा कि यदि शीघ्र ही इसका प्रबन्ध न हुआ तो गवर्नमैन्ट को सेना भेजनी पड़ेगी। इस पर महाराज ने प्रथम भादों सुदि १४ (२९ अगस्त) को अपने कुछ कर्मचारियों को अजमेर भेज कर मामला निपटा दिया[2]। परन्तु फिर भी नाथों के कारण राज्य-प्रबन्ध ठीक

---

१. इसी वर्ष उससे बगड़ी छीन ली गई थी।

२. इस मामले को तय करने को निम्नलिखित पुरुष भेजे गए थे:—

(१) जोशी शम्भुदत्त, (२) सिंघी फ़ौजराज, (३) भंडारी लक्ष्मीचंद, (४) सिंघी कुशलराज, (५) कुचामन-ठाकुर रणजीतसिंह, (६) भाद्राजन-ठाकुर बख़्तावरसिंह और (७) धांधल केसरीसिंह। (उस समय सरदारों में कुचामन और भाद्राजन के ठाकुर ही महाराज के विश्वासपात्र थे।)

न होसका ।

ख्यातों में लिखा है कि मालानी और बाड़मेर की तरफ़ के जागीरदार और भोमिये सिंध, गुजरात, कच्छ और भुज में घुस कर चोरी डकैती किया करते थे । गवर्नमैन्ट के कईवार लिखने पर भी जब राज्य की तरफ़ से इसका प्रबन्ध न हो सका, तब उसके प्रतिनिधि ने वि० सं० १८९१ (ई० स० १८३४) में जोधपुर, सिंध और गुजरात से फ़ौजें इकट्ठी कर बाड़मेर में मुक़ाम किया; और उस प्रान्त के जागीरदारों को मिलने के लिये बुलवाया । इसके बाद जब वे मिलने को आए, तब उनमें के २९ जागीरदारों को क़ैद कर कच्छ-भुज की तरफ़ भेज दिया । बाड़मेर, जसोल, गुढ़ा, नगर वग़ैरा पर जो १२,००० रुपये का राज्य-कर लगता था वह गवर्नमैन्ट के यहां जमा होने लगा, और मालानी का प्रबन्ध पोलिटिकल एजैन्ट ने अपने अधिकार में लेलिया । इसीके साथ वहां की राज्य-कर की आय के उपर्युक्त १२,००० रुपयों में से उक्त प्रान्त के प्रबन्ध के ख़र्च को काट कर बाक़ी के (४,०००) रुपये जोधपुर राज्य को दिए जाने लगे । वि० सं० १८९३ (ई० स० १८३६) में वहां का प्रबन्ध पूरी तौर से रैज़ीडैंट की देख-भाल में होने लगा, और वहां का राजकीय दफ़्तर उठा दिया गया ।

इन्होंने चढ़े हुए रुपयों की एवज़ में सांभर और नांवे की नमक की आमदनी गवर्नमैंट को सौंप दी । परन्तु फिर भी जब गवर्नमैन्ट के पास करके रुपये बराबर नहीं पहुँचे, तब उसने, वि० सं० १८९३ में, पहले सांभर और बाद में नांवे के नमक के दरीबों पर अधिकार कर लिया ।

१. वि० सं० १८९१ (ई० स० १८३४) के अन्त में भीमनाथ ने कह सुनकर फ़ौजराज, कुशलराज और सुमेरमल को क़ैद करवाने के साथ ही भाद्राजन ज़ब्त करवा दिया और उक्त स्थान पर सेना भिजवा दी । परन्तु पोलिटिकल एजैन्ट ने बीच में पड़ झगड़ा शान्त कर दिया ।

२. इस प्रान्त के ४६० गांवों में से राज्य के केवल एक गांव को छोड़ कर बाकी सब जागीरदारों के अधिकार में हैं । ये जागीरदार जोधपुर के मातहत हैं, और राज्य को सालाना (१००१३ देसी रुपयों के बदले) ६६६३-६-० कलदार रुपये देते हैं । मारवाड़ की ख्यातों में १२,०००) रुपया देना लिखा है । परन्तु इस में अन्य लागें भी शामिल हैं ।

(ए कलैक्शन ऑफ़ ट्रीटीज़ ऐंगेजमैंटस् एण्ड सनदस्, भा० ३, पृ० ११६)।

वि० सं० १८९२ की कार्तिक सुदि २ (ई० स० १८३५ की २३ अक्टोबर) को गवर्नमैन्ट ने मारवाड़ और मेरवाड़े की सरहद के उन २१ गांवों को, जिनको उसने वि० सं० १८८० (ई० स० १८२४) में प्रबन्ध के लिये लिया था, उन्हीं शर्तों पर ९ वर्ष के लिये फिर अपने अधिकार में रखने का प्रबन्ध किया। इसी के साथ उसने वहां के ७ गांव और भी इतनी ही अवधि के लिये लेलिए[1]।

इन्हीं दिनों मारवाड़ और सिरोही की सरहद पर भील और मीणों ने लूट मार शुरू की। इस पर नीमच से कर्नल शेक्सपीयर, जोधपुर की तरफ़ से गोडवाड़ का हाकिम जोशी सांवतराम और जालोर का हाकिम भंडारी लालचन्द, तथा सिरोही की तरफ़ से दीवान मायाचन्द और सिंघी खूबचन्द सेनाएं लेकर वहां पहुँचे। उक्त प्रदेश की दशा देख गवर्नमैन्ट ने जोधपुर महाराज को वहां के प्रबन्ध के लिये ६०० सवार नियत करने का लिखा। परन्तु राज्य की आय का अधिकांश रुपया भीमनाथ के दबा लेने से इसका कुछ भी प्रबन्ध न होसका।

पहली संधि के अनुसार जोधपुर दरबार की तरफ़ से गवर्नमैन्ट की सहायता के लिये १,५०० सवार रहते थे। परन्तु वि० सं० १८९२ की पौष वदि २ (ई० स० १८३५ की ७ दिसम्बर) को महाराजा के और गवर्नमैन्ट के बीच एक नई सन्धी हुई[2]। इसके अनुसार महाराज ने पूर्व-स्वीकृत १,५०० सवारों की एवज़ में १,१५,००० रुपये सालाना गवर्नमैन्ट को देने का वादा किया। इसी रुपये से कंपनी की सरकार ने ऐरनपुरे में 'जोधपुर लीजियन' नामक सेना तैयार[3] की।

---

१. ए कलैक्शन ऑफ़ ट्रीटीज़ ऐंगेजमैंट्स एण्ड सनद्स, भा० ३, पृ० १३२-१३३। यह अवधि वि० सं० १९०० (ई० स० १८४३) में समाप्त हुई। उस समय पीछे से लिए हुए ७ गांव तो लौटा दिए गए, परन्तु पहले के २१ गांवों पर वि० सं० १९४२ (ई० स० १८८५) तक गवर्नमैंट का ही अधिकार रहा। उस साल जोधपुर-दरबार और गवर्नमैंट के बीच इस विषय में फिर एक नई सन्धि हुई।

२. ए कलैक्शन ऑफ़ ट्रीटीज़ ऐंगेजमैंट्स एण्ड सनद्स, भा० ३, पृ० १३५। वि० सं० १८८९ (ई० स० १८३२) में संधि के अनुसार नगर और पारकर के उपद्रवियों को दबाने के लिए गए हुए राज्य के १,५०० सवारों ने अपने कार्य में शिथिलता दिखलाई थी, इसी से गवर्नमैंट ने सवारों के बदले नक़द रुपये लेकर नवीन रिसाला बनाना निश्चित किया।

३. वि० सं० १९१४ (ई० स० १८५७) में ग़दर के समय इस सेना ने बग़ावत की, इसी से बाद में इसे तोड़कर इसके स्थान पर ४३ वीं ऐरनपुरा रेजीमैंट क़ायम की गई।

इसी वर्ष पाली नगर में पहले-पहल प्लेग का आगमन हुआ[1]।

उन दिनों राज्य में नाथों का बड़ा प्रभाव था। राज्य का अधिकांश रुपया उनके हाथों में पहुँच जाने पर भी उनकी तृष्णा शान्त नहीं होती थी। इसीलिये उन्होंने राज्य में अनेक प्रकार के कर बढ़वा कर और कई जागीरदारों की जागीरें ज़ब्त करवा कर बड़ा अंधेर मचा रक्खा था। इससे तंग आकर वि० सं० १८९५ (ई० स० १८३८) में सरदारों[2] ने अजमेर-स्थित कर्नल सदरलैंड के पास अपनी शिकायतें पेश कीं।

इस पर पहले तो उसने महाराज को अपने राज्य का प्रबन्ध ठीक करने और सरदारों पर होनेवाली सख्तियों को दूर करने के लिये लिखा। परन्तु जब इस पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया, तब वि० सं० १८९६ की चैत्र सुदि ६ (ई० स० १८३९ की २१ मार्च) को स्वयं कर्नल सदरलैंड (ए. जी. जी.) और पोलिटिकल एजैंट मि० लडलो राजपूताने की अन्य रियासतों के वकीलों और मारवाड़ के सरदारों को साथ लेकर जोधपुर आए।

इस पर महाराज ने उनका यथोचित सत्कार किया[3]। अन्त में आपसकी बातचीत के बाद महाराज ने कुछ सरदारों और उनके वकीलों को बुलवाकर जागीरों के गांवों की सूची बनाने का आदेश दिया; और उसके बनजाने पर उसीके अनुसार सब सरदारों को उनकी जागीरों के पट्टे देने का वादा कर लिया। परंतु आसोप का नया गोद का मामला मंज़ूर करने से इनकार करदिया[4]। यह सब होजाने पर भी नाथों को हटाने और अंतरंग-प्रबन्ध के बारे में सदरलैण्ड और महाराज का मत नहीं मिला।

---

१. इसी के अगले वर्ष (वि० सं० १८९३=ई० स० १८३६) में यह बीमारी जोधपुर नगर में भी पहुँच गई।

२. इनमें रास, आउवा, पौकरन, नींबाज, चंडावल, बासनी और हरसोलाव के ठाकुर या उनके प्रतिनिधि थे; और साथीण का ठाकुर भाटी शक्तिदान इनका मुखिया था।

३. वि० सं० १८९६ की वैशाख सुदि ७ (ई० स० १८३९ की २० अप्रेल) को महाराजकुमार सिद्धदानसिंहजी का देहान्त हो गया। इनका जन्म वि० सं० १८९५ की वैशाख सुदि ७ को हुआ था।

४. सरदारों ने शिवनाथसिंह को हटाकर करणसिंह के पुत्र को वहां पर गोद बिठा दिया था। परंतु महाराज ने उसे हटवा दिया। इसके बाद एकवार करणसिंह ने चढ़ाई कर आसोप को घेर लिया। परंतु पौकरन, आउवा और रास के ठाकुरों के तथा बड़े साहब के दबाव से वह सफल न हो सका।

इससे नाराज़ होकर वह अजमेर लौट गया। यह देख पौकरन, आउवा, रास और नींबाज आदि के सरदार भी उसी के साथ पुष्कर चले गए।

इसी वर्ष राज्य के ५०० विदेशी सैनिक तनख्वा न मिलने के कारण दो तोपें लेकर बाग़ी हो गए, और साथीण के भाटी शक्तिदान और नींबाज के ऊदावत शिवनाथसिंह के साथ मिलकर बीलाड़ा और उसके आसपास के गांवों से रुपये वसूल करने लगे। इस प्रकार इधर देश में यह उपद्रव हो रहा था, और उधर नाथों के प्रभाव के कारण गवर्नमैंट को कर का रुपया भी नहीं दिया जा सका। इस पर सावन वदि २ (२८ जुलाई) को ए. जी. जी. ने अजमेर में दरबार कर मारवाड़ के सरदारों से पूछा कि हमारी सेना के जोधपुर पर चढ़ाई करने पर यदि युद्ध हो तो तुम किसका साथ दोगे। यह सुन भाटी शक्तिदान ने कहा कि ऐसी हालत में पहले तो महाराज आपसे युद्ध ही नहीं करेंगे। परंतु यदि युद्ध ठन गया तो स्वामिधर्म को निबाहने के लिये, संकट के समय, हमें महाराज का ही साथ देना पड़ेगा।

अन्त में श्रावण सुदि १५ (२४ अगस्त) को कर्नल सदरलैंड ने अजमेर से (गवर्नमैंट की तरफ़ से १७ अगस्त का नसीराबाद में लिखा हुआ) एक फ़रमान जारी किया। उसमें लिखा था कि:—

१. संधि के माफ़िक जो रुपया सालाना गवर्नमैंट को दिया जाना चाहिए था, वह क़रीब ५ वर्ष से चढ़ रहा है।

२. राज्य के कुप्रबन्ध के कारण अन्य राज्यों में रहनेवालों का जो लाखों रुपयों का नुकसान हुआ है, उसकी वसूली का भी कुछ प्रबन्ध नहीं है।

३. राज्य में सर्व-साधारण की तकलीफ़ों को दूर करने के लिये भी यथोचित प्रबंध नहीं हो सका है।

---

१. ख्यातों में लिखा है कि राज्य की तरफ़ से इन रुपयों की एवज़ में ज़ेवर भेजा गया था। पर सरदारों के कहने से सदरलैंड ने उसे लेने से इनकार कर दिया।

२. ख्यातों में लिखा है कि साथीण के भाटी शक्तिदान ने एजैंट से साफ़-साफ़ कह दिया था कि जब तक आप महाराज को किसी प्रकार का नुकसान पहुँचाने का इरादा न कर राज्य-प्रबंध ठीक करने का उद्योग करेंगे, तब तक हम आपके शामिल रहेंगे। परंतु जिस समय आप का इरादा बदल जायगा, उस समय हम महाराज के शामिल हो जायँगे। परंतु सावन वदि १० को अजमेर में ही शक्तिदान की मृत्यु हो गई।

इसलिये गवर्नर-जनरल की आज्ञा से सरकारी सेना मारवाड़ पर तीन तरफ़ से चढ़ाई करेगी। गवर्नमैंट का यह झगड़ा महाराज और उनके मुसाहिबों से है। इसलिये जब तक मारवाड़ की प्रजा सरकारी सेना से शत्रुता नहीं करेगी, तब तक उसको किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाई जायगी।

इसके बाद कर्नल सदरलैंड, पोलिटिकल एजैंट मि० लडलो (Capt. J. Ludlow) और १०,००० सैनिकों को साथ लेकर अजमेर से पुष्कर और मेड़ते होता हुआ जोधपुर की तरफ़ चला। मारवाड़ के बहुत से सरदार भी उसके साथ हो लिए। यह समाचार सुन महाराज स्वयं सदरलैंड के सामने चले, और बनाड के पास पहुँच उससे मिले। दोनों में कुछ देर तक मामले की बात-चीत होती रही, इसके बाद सब लोग जोधपुर चले आएँ। दूसरे दिन महाराज ने जोधपुर का क़िला गवर्नमैंट को सौंप देना मंज़ूर कर लिया। इसपर फिर गवर्नमैंट के और महाराज के बीच एक अहदनामा लिखा गया। परंतु यह अहदनामा महाराज ने व्यक्तिगत रूप से लिखा था। इसीलिये इससे इनके उत्तराधिकारियों का संबंध नहीं रक्खा गया।

अहदनामे का सारांश आगे दिया जाता है:—

ब्रिटिश-गवर्नमैन्ट और जोधपुर दरबार के बीच की मित्रता पुरानी चली आती है और वि० सं० १८७५ (ई० स० १८१८) की संधि से यह और भी पक्की हो गई है। इसी से यह मित्रता आज तक बराबर चली आई है और आगे भी चलेगी।

---

१. इस में के आधे सैनिक गोरे और आधे हिंदुस्थानी थे। इस चढ़ाई में भार-बरदारी के लिये १,००० ऊंट बीकानेर के वकील की तरफ़ से और १,००० मारवाड़ के सरदारों की तरफ़ से एकत्रित किए गए थे।

२. यह समाचार सुन फ़ौजराज भाद्राजन, कुशलराज कंटालिया और आयस लक्ष्मीनाथ अपने जागीर के गांव पांचू (बीकानेर राज्य) में चला गया; क्योंकि सरदारों के कहने से सदरलैंड ने इनको राज्य के लिये हानिकारक समझ रक्खा था।

३. इसी वर्ष आश्विन बदि ६ (२८ सितम्बर) से जोधपुर में गवर्नमैंट का डाकख़ाना खोला गया।

४. ए कलैकूशन् ऑफ़ ट्रीटीज़ एंगेजमैंट्स एण्ड सनद्स, भा० ३, पृ० १३५-१३७।

इस समय कर्नल जोहन सदरलैंड के मारफ़त ब्रिटिश-गवर्नमैंट और जोधपुर के महाराजा मानसिंह बहादुर के बीच संधि के ये नियम निश्चित हुए हैं:—

१. देश के शासन के लिये महाराज, कर्नल सदरलैंड, जागीरदार, मुत्सद्दी, खवास और पासवान मिलकर नियम बनायँगे; और सरदारों और मुत्सद्दियों आदि के हकों का निश्चय पुराने रिवाजों के अनुसार करेंगे।

२. राज्य के मुत्सद्दी राज्य के कार्य को पोलिटिकल एजैंट और महाराजा की आज्ञा से करेंगे।

३. सरदारों, मुत्सद्दियों, खवासों और पासवानों की पंचायत हमेशा की प्राचीन-शैली के अनुसार राज्य-कार्य को चलायगी।

४. महाराजा की सम्मति होने से सरकारी सेना क़िले में रहेगी।

५. इस प्रबन्ध से किसी की इज्ज़त, आबरू और काम आदि में फ़रक नहीं आयगा।

६. राज-कर्मचारी नये नियमों के अनुसार कार्य करेंगे, परंतु उसमें गड़बड़ करनेवाले के स्थान पर महाराज की सम्मति से दूसरा समझदार राज-कर्मचारी नियुक्त किया जायगा।

७. जिनके हक़ छिन गए हैं उनके हक़ वाजिब होने पर लौटाए जायँगे, और ऐसे हक़दारों को महाराज की सेवा कर अपना हक़ अदा करना होगा।

८. ब्रिटिश-गवर्नमैन्ट मारवाड़ में दरबार का ही शासन चाहती है। इसलिये वह प्रतिज्ञा करती है कि न तो वह स्वयं महाराज के प्रभाव में कमी करेगी न दूसरों को ऐसा करने देगी।

९. गवर्नमैंट का एजैंट और मारवाड़ के मुत्सद्दी मिलकर महाराज की सम्मति और नवीन नियमों के अनुसार गवर्नमैंट के चढ़े-चढ़े रुपयों के भुगतान का और आगे भी ख़िराज और सवार-ख़र्च के रुपयों के बराबर भुगताते रहने का समुचित प्रबन्ध करेंगे। साबित कर देने पर नुकसान करनेवाले से, जिसका नुकसान हुआ होगा, उसको हरजाना दिलवाया जायगा; और सिद्ध हो जाने पर मारवाड़ का नुकसान का दावा अन्य रियासतों से वसूल किया जायगा।

१०. महाराज ने सरदारों की जागीरें लौटाकर उन्हें पुराने क़ुसूरों की माफ़ी दे दी है। इसलिये ब्रिटिश-गवर्नमैंट भी उन नाथों, सरदारों और कर्मचारियों को, जिनके ख़िलाफ़ शिकायतें हैं, माफ़ी देती है।

११. जोधपुर में ब्रिटिश-एजेंट के रक्खे जाने से अब आगे न तो किसी पर सख़्ती होने दी जायगी, न ६ धार्मिक सम्प्रदायों के मामलों में हस्ताक्षेप होगा और न मारवाड़ में पवित्र समझे जानेवाले जानवरों (मोर, कबूतर, गाय आदि) का बध ही किया जायगा।

१२. यदि राज्य का प्रबन्ध ६ महीनों, १२ महीनों या १८ महीनों में ठीक तौर से हो जायगा तो पोलिटिकल-एजेंट और सेना क़िले पर से हटाली जायगी। यदि यह प्रबन्ध इससे पहले ही हो जायगा तो गवर्नमेंट को बड़ी प्रसन्नता होगी और वह इसे नेकनामी का कारण समझेगी।

१३. यह अहदनामा जोधपुर में २४ सितंबर १८३९ (वि० सं० १८९६ की आश्विन वदि १) को लैफ़्टिनैंट-कर्नल सदरलैंड द्वारा निश्चित होकर गवर्नर-जनरल के पास मंज़ूरी या रद्दोबदल के लिये भेजा जायगा, और वहां से महाराजा के नाम (इस विषय का) ख़रीता भिजवाया जायगा[1]।

इसके बाद आश्विन वदि ६ (२८ सितंबर) को जोधपुर का क़िला अंगरेजी सेना को सौंप दिया गया[2]। परंतु सामान आदि की रक्षा के लिये १०० आदमी महाराज की तरफ़ के भी वहां रहे। गवर्नमैंट की सेना के करीब ३५० सैनिक तो क़िले में ठहरे और बाकी के मंडोर और बालसमंद के बीच (क़िले से करीब ५ मील के फ़ासले पर) रहे[3]।

कर का रुपया वसूल हो जाने पर गवर्नमैंट ने सांभर और नांवा के नमक के दरीबे दरबार को लौटा दिए। इसके बाद पहले की सूची के अनुसार सरदारों की जागीरें

---

१. इस संधि पर महाराज की तरफ़ से लोढा राव रिधमल और सिंघी फ़ौजमल ने हस्ताक्षर किए थे। (यह संधि कर्नल सदरलैंड ने, जिसको भारत के गवर्नर-जनरल लॉर्ड ऑकलैंड की तरफ़ से अधिकार मिला था, की थी।)

२. भटनोखा के करमसोत राठोड़ भोमसिंह ने, जो क़िले पर था, वहां पर अंगरेज़ों के अधिकार को होते देख पोलिटिकल-एजेंट मिस्टर लडलो पर एकाएक तलवार से हमला कर दिया। परंतु सिपाहियों ने, उस पर वार कर, उसे घायल कर डाला। इससे चार पांच दिन बाद ही उसकी मृत्यु हो गई। मि० लडलो के मामूली चोट लगी थी। महाराज के दुःख प्रकट करने पर यह मामला यहीं शांत हो गया।

३. कुछ दिन बाद ही बाहर के सैनिक जोधपुर से हटा लिए गए।

उन्हें लौटा दी गईं। परंतु कई गांव ऐसे थे जिन पर भिन्न-भिन्न समयों में भिन्न-भिन्न सरदारों के अधिकार रह चुके थे।

कर्नल सदरलैंड ने ऐसे गांवों का निर्णय महाराज की इच्छा पर ही छोड़ दिया, और आगे राज्य-कार्य चलाने के लिये एक पंचायत बनवादी। इसमें निम्नलिखित सरदार और मुत्सद्दी थे:—

सरदार

१ पौकरन-ठाकुर चांपावत बभूतसिंह, २ आउवा-ठाकुर चांपावत कुशलसिंह, ३ नींबाज-ठाकुर ऊदावत सवाईसिंह, ४ रास[1]-ठाकुर ऊदावत भीमसिंह, ५ रीयां-ठाकुर मेड़तिया शिवनाथसिंह, ६ कुचामन-ठाकुर मेड़तिया रणजीतसिंह, ७ आसोप-ठाकुर कूंपावत शिवनाथसिंह (यह बालक था। इससे कंटालिये का ठाकुर शंभूसिंह इसका प्रतिनिधि रहा) और ८ भाद्राजन-ठाकुर जोधा बख़तावरसिंह।

मुत्सद्दी

१ दीवान सिंघी गंभीरमल, २ बख़्शी सिंघी फ़ौजराज, ३ धायभाई क़िलेदार देवकरण, ४ वकील राव[2] रिधमल और ५ जोशी प्रभुलाल।

इसके बाद पोलिटिकल एजैंट लडलो सूरसागर में रहने लगा और कर्नल सदरलैंड जयपुर की तरफ़ होता हुआ कलकत्ते चला गया। कुछ दिन बाद जब फागुन सुदि १२ (ई० स० १८४० की १५ मार्च) को वह वहां से लौटकर आया, तब उसने क़िला महाराज को सौंप दिया। इसके बाद चैत्र (अप्रेल) में कर्नल सदरलैंड अजमेर चला गया और राजकार्य की देखभाल मि० लडलो के ज़िम्मे रही[3]।

---

१. इसके स्थान पर कहीं-कहीं रायपुर-ठाकुर का उल्लेख मिलता है। किसी-किसी ख्यात में दोनों का नाम नहीं है।

२. क़िला वापस मिलने पर महाराज ने रिधमल को 'रावरजा बहादुर' का ख़िताब और सरोपाव दिया था।

३. वि० सं० १८९७ के आश्विन (ई० स० १८४० के सितम्बर) में सिवाने परगने के बाग़ियों ने आसोतरा-ठाकुर शक्तसिंह के पुत्र रत्नसिंह को धौंकलसिंह का पुत्र बनाकर वहां पर उपद्रव खड़ा किया। परंतु सिंघी फ़ौजराज ने जाकर उन्हें दबा दिया।

कुछ दिन बाद पोलिटिकल-एजैंट ने महाराज को लिखा कि कुचामन और भाद्राजन के सरदारों और नाथों के पास बहुत बड़ी-बड़ी जागीरें हैं । इसलिये उनमें कमी होनी चाहिए । इस पर दोनों जागीरदारों से कुछ गांव राज्य में लेलिए गए, परन्तु नाथों का प्रबन्ध न हो सका और उनका अन्याय उसी प्रकार बना रहा । यद्यपि एजैंट ने इस विषय में कईवार महाराज को लिखा, तथापि हरवार इन्होंने इधर-उधर की बातें कर टाल दिया । अन्त में जब मि० लडलो ने बहुत दबाब डाला, तब वि० सं० १८९७ के माघ (ई० स० १८४१ की जनवरी) में महाराज कर्नल सदरलैंड से मिलने अजमेर की तरफ़ रवाना हुए । इस पर मि० लडलो ने समझा-बुझाकर इन्हें बनाड़ से वापस बुलवा लिया ।

वि० सं० १८९८ (ई० स० १८४१) में कर्नल सदरलैंड ने जोधपुर आकर महाराज से नाथों के प्रभाव को कम करने के लिये बहुत कुछ कहा । परन्तु इसका भी कुछ असर न हुआ[1] । इस पर वि० सं० १८९८ के पौष (ई० स० १८४२ की जनवरी) में मि० लडलो ने नाथों की जागीरें ज़ब्त करलीं । परन्तु फिर भी महाराज की आज्ञा से उनकी आमदनी गुप्तरूप से नाथों के पास भेजदी जाने लगी । यह बात मि० लडलो को बहुत बुरी लगी । इसलिये उसने महाराज पर दबाव डालकर लक्ष्मीनाथ आदि को और उनसे मेल रखनेवाले जोशी प्रभुलाल, सिंघी कुशलराज, व्यास गंगाराम, भंडारी लक्ष्मीचंद, पंचोली कालूराम आदि राज्य-कर्मचारियों को जोधपुर से हटवा कर ४०-५० कोस के फ़ासले के भिन्न-भिन्न स्थानों में भिजवा दिया । यह देख पौकरन-ठाकुर ने लक्ष्मीनाथ से मेल मिलाया और उसे लोभ देकर महाराज से प्रधानगी प्राप्त करली । इसी प्रकार नींबाज-ठाकुर शिवनाथसिंह ने आगेवा और पाटवा तथा कूंपावत करणसिंह ने कुचेरा जागीर में लिखवा लिया[2] ।

यह ढंग देख मि० लडलो ने नाथों से तीन लाख रुपया सालाना लेकर राज्य में हस्तक्षेप न करने का प्रस्ताव किया, परन्तु उन्होंने इस पर ध्यान ही नहीं दिया और वे देश में नित्य नए उपद्रव करने लगे । इससे तंग आकर, वि० सं० १९००

१. इसी वर्ष के आश्विन (अक्टोबर) में पोलिटिकल-एजैंट ने फलोदी जाकर जोधपुर और जयसलमेर के बीच का सरहदी झगड़ा निपटाना चाहा । यह झगड़ा बाप नामक गांव के बारे में था । परंतु इसमें सफलता नहीं हुई ।

२. ये गांव वि० सं० १८९७ (ई० स० १८४०) में देने तय हो चुके थे ।

के वैशाख (ई० स० १८४३ के अप्रेल) में, उसने दो उपद्रवी नाथों को पकड़ कर अजमेर भेजदिया। इस समाचार को सुन महाराज बहुत दुखी हुए। पहले तो इन्होंने मि० लडलो से मिलकर उन नाथों को छुड़वाने का विचार किया, परन्तु अन्त में वकील रिधमल के समझाने से यह विचार छोड़ दिया। इस घटना से महाराज के चित्त में इतनी ग्लानि हुई की इन्होंने दो दिनों तक भोजन नहीं किया, और फिर वैशाख वदि ६ (२३ अप्रेल) को संन्यास लेकर नाज खाना छोड़ दिया। इसके बाद यह (महाराजा) कुछ दिनों इधर-उधर घूमकर पाल पहुँचे। इनका इरादा वहां से जालोर होकर गिरनार की तरफ़ जाने का था। परन्तु मि० लडलो ने वहाँ पहुँच इन्हें समझाया कि यदि आप मारवाड़ छोड़ कर चले जायँगे तो लाचार होकर हमें दूसरा नरेश गद्दी पर बिठाना पड़ेगा; क्योंकि राज्य बिना राजा के नहीं रह सकता। ऐसी हालत में आपका जोधपुर में रहना अत्यावश्यक है। इस पर यह वहां से लौट कर, आषाढ़ सुदि ४ (१ जुलाई) को, जोधपुर चले आए और नगर के बाहर राईकेबाग़ में ठहरे। यहीं पर इन्होंने मि० लडलो से अपने पीछे अहमदनगर से तखतसिंहजी को लाकर गोद बिठाने की इच्छा प्रकट की[1]।

इसके बाद सावन सुदि ३ (२९ जुलाई) को यह मंडोर चले गए। वहीं पर वि० सं० १९०० की भादों सुदि ११ (ई० स० १८४३ की ४ सितम्बर) को रात्रि में महाराज का स्वर्गवास होगया[2]।

---

१. ख्यातों में लिखा है कि महाराज-कुमार छत्रसिंहजी के मरने पर, सरदारों की मिलावट से, ईडर-नरेश उनके गोद बैठने को उद्यत हो गए थे। इसीसे महाराज उनसे नाराज़ थे। परंतु मोडास के ठाकुर ज़ालिमसिंह ने महाराज के जालोर का क़िला खाली करने का विचार करने के समय इनके कुटुम्ब को अपने यहां सुरक्षित रखने की प्रतिज्ञा की थी, इसीसे यह उससे प्रसन्न थे, और तख़तसिंहजी के उनकी शाखा में होने से उन्हें अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे।

२. ख्यातों में लिखा है कि उस दिन महाराज सुफ़ेद वस्त्र ओढकर लेट गए और सबसे कह दिया कि दूसरे दिन प्रातःकाल ब्राह्मण लोग भीतर आकर हमारे शरीर को संभालें, उसके पहले कोई भीतर न आए।

महाराज के साथ १ रानी ४ परदायतें और १ दासी सती हुई।

महाराजा मानसिंहजी बड़े समझदार, विद्वान्, गुणी और राजनीतिज्ञ थे[1]। परन्तु सरदारों से अत्यधिक मनोमालिन्य और नाथ-सम्प्रदाय से अत्यधिक प्रेम होने के कारण इनके राज्य में अव्यवस्था बनी रही। इनके राज्य के ४० वर्षों में से शायद ही कोई वर्ष ऐसा बीता हो जिसमें इन्हें चिन्ता न रही हो। परन्तु इस प्रकार संकटों का सामना रहने पर भी इनकी विद्या-रसिकता इतनी बढ़ी-चढ़ी थी कि उसे जानकर आश्चर्य हुए विना नहीं रह सकता।

महाराज की सभा में अनेक कवि, गायक, योगी और पण्डित हर समय बने रहते थे। महाराज को स्वयं भी कविता करने का और खास कर 'मांढ़' (रागिणी) का शौक़ था। इनकी बनाई पुस्तकों और फुटकर कविताओं का एक बड़ा संग्रह राजकीय पुस्तकालय (पुस्तक-प्रकाश) में विद्यमान है। इनमें से 'कृष्णविलास' नामक पुस्तक राज्य की ओर से प्रकाशित हो चुकी है। इसमें श्रीमद्भागवत के दशमस्कन्ध के प्रथम ३२ अध्यायों का भाषा में पद्यानुवाद है। इन्होंने कई हजार हस्तलिखित पुस्तकों का संग्रह कर एक पुस्तकालय बनाया था और उसमें वेद, पुराण, स्मृति आदि अनेक विषयों के ग्रन्थों का संग्रह किया था। इन्होंने रामायण, दुर्गाचरित्र, शिवपुराण, शिवरहस्य, नाथचरित्र आदि अनेक धार्मिक ग्रंथों के आधार पर बड़े बड़े चित्र बनवाए थे। इन चित्रों का अपूर्व संग्रह इस समय राजकीय अजायबघर में रक्खा हुआ है[2]। महाराज में एक खास गुण यह था कि इनके पास आनेवाला कोई भी नया मनुष्य खाली हाथ नहीं लौटता था। इनका सिद्धांत था कि जो कोई किसी के पास जाता है लाभ के लिये ही जाता है, इसलिये यदि उसे खाली लौटा दिया जाय तो फिर एक राजा में और साधारण पुरुष में क्या अन्तर रह जाता है।

इनके विषय में मारवाड़ में यह दोहा प्रसिद्ध है:—

जोध बसायो जोधपुर, व्रज कीनो व्रजपाल।
लखनेऊ काशी दिली, मान कियो नेपाल॥

---

१. वि० सं० १८७६ (ई० स० १८२२) में मिस्टर विल्डर ने अपने पत्र में गवर्नमैंट को लिखा था:—

महाराजा मानसिंह निश्चय ही बड़े बुद्धिमान और समझदार हैं (Raja Mansingh is undoubtedly a Man of superior sense and understanding......). Rajputana Gazetteer Vol. III-A, P. 73.

२. गवर्नमैंट के ऑर्कियॉलॉजिकल डिपार्टमैंट ने भी इस संग्रह की मुक्तकंठ से प्रशंसा की है।

अर्थात्-राव जोधाजी ने तो अपने नाम पर जोधपुर नगर बसाया। महाराजा विजय-सिंहजी ने (वल्लभ-संप्रदाय की भक्ति के कारण) इसे व्रज बना दिया (अर्थात् यहां पर वैष्णवमत का बड़ा प्रचार किया)। परंतु महाराजा मानसिंहजी ने इसे एक साथ ही लखनऊ, काशी, दिल्ली और नेपाल बना दिया (अर्थात् यहां पर महाराज की गुण-ग्राहकता के कारण अनेक कत्थक, पंडित, गवैये और योगी एकत्रित हो गए थे।)

महाराज के बनाए निम्नलिखित स्थान प्रसिद्ध हैं:–

क़िले में की जैपौल, ज़नानी डेवढी के सामने की दीवार, आयस देवनाथ की समाधि, लोहापौल के सामने का कोट, जैपौल और दखना (दक्षिणी) पौल के बीच का कोट, चौकेलाव से रानीसर तक का मार्ग, उसकी रक्षा के लिये बनी दीवार, भैरूँ-पौल, चतुर्सेवा की डेवढी पर का नाथजी का मन्दिर और भटियानीजी का महल[1]।

महाराज ने जुगता बणसूर को 'लाख पसाव' देने के अलावा और भी कई गांव दान किए[2] थे।

---

१. महाराज ने क़िले में एक सामान रखने का कोठार भी बनवाया था।

२. १ खटूकड़ा २ सारंगवा (देसूरी परगने के), ३ पतावा (बाली परगने का), ४ अनावास (बीलाड़े परगने का), ५ चारणवाड़ा (सिवाना परगने का), ६ पीथोलाव, ७ दुकोसी ८ ढाढरिया खुर्द (नागोर परगने के), ९ इकडाणी (पचपदरा परगने की) का एक हिस्सा, १० पाडलाऊ, ११ पटाऊ, १२ कूड़ी, (पचपदरा परगने के), १३ फरासला-खुर्द (पाली परगने का), १४ सींगा-सणा (जोधपुर परगने का), १५ मेडावस १६ मींडावास (जसवन्तपुर परगने के), १७ धांधलावास, १८ वेदावड़ी-कलां (मेड़ता परगने के), १९ कटारडा २० तोलेसर २१ बासणी भूटांरी २२ नैरवा और २३ चवां (जोधपुर परगने के) चारणों को; २४ हरस-आधा (बीलाड़े परगने का), २५ चुकावास २६ पालड़ी २७ बासडा २८ फागली (नागोर परगने के), २९ धनेड़ी ३० राज नगरिया (सोजत परगने के), ३१ हरावास (पाली परगने का), ३२ केसरवाली (जसवन्तपुरा परगने का), ३३ गोरनडी-खुर्द (मेड़ते परगने का), ३४ सिरोड़ी ३५ हूँडी-आधी (जोधपुर परगने के), ३६ गुणपालिया (डीडवाने परगने का) ब्राह्मणों को; ३७ बाघला, (पचपदरे परगने का), ३८ अरणु (जसवन्तपुरे परगने का), ३९ भैंसेर कोटवाली (जोधपुर परगने का) पुरोहितों को; ४० सुतला (जोधपुर परगने का) रामेश्वर महादेव के मन्दिर को; ४१ गांगाणा (जोधपुर परगने का) बैजनाथ महादेव के मन्दिर को; ४२ बदड़ा आधा (जोधपुर परगने का) गोपीनाथजी के मन्दिर को; ४३ पूंदला ४४ लूणावास ४५ राबड़िया (जोधपुर-परगने के), ४६ खेतावास (नागोर परगने का) यतियों को; ४७ थबूकड़ा ४८ नंदवाण, ४९ तनावड़ा-बड़ा ५० तनावड़ा छोटा (जोधपुर परगने के), ५१ खारिया फादड़ा (सोजत परगने का) नाथों और गुसाँइयों को; ५२ सोढास-श्यामपुरा (मेड़ता परगने का) गया गुरु को; ५३ कीतलसर (नागोर परगने का)

इनके कई पुत्र हुए थे। परन्तु उन सबका देहान्त इनके सामने ही हो गया। इसीसे इन्होंने स्वर्गवास के कुछ दिन पूर्व ब्रिटिश-पोलिटिकल एजैंट से अहमदनगर के तख़तसिंहजी को अपने गोद बिठाने की इच्छा प्रकट की थी, और इनके स्वर्गवास के बाद जब कप्तान लडलो ने इनकी रानियों और राज्य के सरदारों आदि की सम्मति ली, तब उन्होंने भी राजकुमार जसवन्तसिंहजी सहित तख़तसिंहजी को अदमदनगर से बुलवाकर गद्दी बिठाने की राय दी। इसी से महाराजा तख़तसिंहजी अहमदनगर से आकर जोधपुर की गद्दी पर बैठे।

सैय्यदों को; ५४ सेढाऊ (नागोर परगने का) पठानों को; ५५ राहा (जसवन्तपुरा परगने का) साँइयों को; ५६ पालड़ी ५७ पिरथीपुरा (मेड़ते परगने के), ५८ रेवड़िया (सोजत परगने का), ५९ राणी गांव (गोडवाड़ परगने का), ६० बागड़की आधी (बीलाड़े परगने की), ६१ पोलावास-बिशनोइयां ६२ धोलेराव-खुर्द (मेड़ते परगने के), ६३ कुचीपला (परबतसर परगने का) भाटों को; ६४ सरखेजड़ा (बाली परगने का) भांडों को; ६५ बीरावास (सोजत परगने का) नक्कारचियों को; और ६६ बासणी-जगा (मेड़ता परगने का) महात्माओं को।

इनमें से कुछ गांव पहले गांवों की एवज में भी दिए गए थे।

१. महाराज-कुमार छत्रसिंहजी और सिद्धदानसिंहजी का उल्लेख पहले हो चुका है। इनके अलावा महाराज-कुमार पृथ्वीसिंहजी का जन्म वि० सं० १८६५ (ई० स० १८०८) में हुआ था। इनका और महाराज के अन्य राजकुमारों का देहान्त भी बचपन में ही हो गया था।

महाराज के बाभाओं के नाम इस प्रकार मिलते हैं:-(१) शिवनाथसिंह, (२) सोहनसिंह, (३) बभूतसिंह, (४) लालसिंह, (५) राजसिंह (कहीं-कहीं इसके स्थान पर भोमसिंह नाम मिलता है), (६) सज्जनसिंह, (७) स्वरूपसिंह।

३३. महाराजा तखतसिंहजी

यह जोधपुर-महाराजा अजितसिंहजी के वंशज करणसिंहजी के पुत्र और ईडर-राज्य में के अहमदनगर के स्वामी थे। इनका जन्म वि० सं० १८७६ की जेठ सुदि १३ (ई० स० १८१९ की ६ जून) को हुआ था।

महाराजा मानसिंहजी के पीछे पुत्र न होने से ब्रिटिश-गवर्नमैंट (ईस्ट इन्डिया कंपनी) ने, स्वयं उन (महाराजा) की इच्छानुसार और राज-परिवार और सरदारों आदि की सलाह से, इन्हें बुलवा कर महाराजा मानसिंहजी के गोद बिठाया। वि० सं० १९००

१. ख्यातों से प्रकट होता है कि वि० सं० १९०० की कार्तिक वदि ६ (ई० स० १८४३ की १४ अक्टोबर) को गवर्नमैन्ट और सरदारों की तरफ़ से तख़तसिंहजी के नाम इस विषय के पत्र लिखे गए, और राज्य के बड़े-बड़े सरदार उनको ले आने के लिये रवाना हुए। वि० सं० १९०० की कार्तिक सुदि ७ (ई० स० १८४३ की २९ अक्टोबर) को यह जोधपुर के क़िले में पहुंचे।

इसी बीच पोलिटिकल एजैंट ने उन बहुत से राज-कर्मचारियों को, जिनको महाराजा मानसिंहजी के समय आपत्तिजनक समझ जोधपुर से हटा दिया था, जोधपुर आने की आज्ञा दे दी।

ऐचिसन की 'ए कलैक्शन ऑफ़ ट्रीटीज़ ऐंगेजमैंट्स ऐण्ड सनदूस (भा० ३, पृ० १४२) में लिखा है कि महाराजा तख़तसिंहजी ने, अपने जोधपुर गोद आ जाने पर, राजकुमार जसवन्तसिंहजी का अपने भाई पृथ्वीसिंहजी के गोद जाना और अपना उनके छोटे होने के कारण केवल अभिभावक रूप से अहमदनगर का शासन करना प्रकट कर उन्हें अहमदनगर में ही छोड़ दिया, और इस प्रकार वहां पर उनका अधिकार रखना चाहा। परन्तु वि० सं० १९०४ (ई० स० १८४८) में गवर्नमैन्ट ने, यह दावा ख़ारिज कर, अहमदनगर को ईडर-राज्य में मिला दिया। यह प्रदेश वि० सं० १८४१ (ई० स० १७८४) में ईडर से जुदा हुआ था।

परन्तु उस समय के पत्रों से प्रकट होता है कि वास्तव में महाराजा मानसिंहजी की रानियों ने, गवर्नमैन्ट से कहकर, महाराजा तख़तसिंहजी को मय महाराज-कुमार जसवन्तसिंहजी के ही जोधपुर बुलवाया था। इसलिये यह सब झगड़ा जोधपुर वालों की इच्छा के विरुद्ध उठा था

की मँगसिर सुदि १० (ई० स० १८४३ की १ दिसंबर) को जोधपुर में इनका राज्याभिषेक हुआ[1]।

इसी वर्ष की फागुन सुदि (ई० स० १८४४ की फ़रवरी) में कोटे के महाराव रामसिंहजी इनसे मिलने को जोधपुर आए। इस पर महाराज ने भी उनका यथोचित सत्कार किया[2]।

यद्यपि महाराजा तखतसिंहजी ने राज्य पर बैठते ही नाथों के उपद्रव को दबा दिया, तथापि सरदारों का उपद्रव शांत न होसका[3]।

इसी वर्ष (वि० सं० १९००=ई० स० १८४३ में) गवर्नमैंट के सिंध विजय कर लेने पर जोधपुर की तरफ़ से उमरकोट का दावा पेश किया गया[4]। इस पर वि० सं० १९०४ (ई० स० १८४७) में गवर्नमैन्ट ने उसकी एवज में जोधपुर-राज्य

वि० सं० १९०० की कार्तिक वदि १३ को विवाह आदि में चारणों, भाटों और नक्कारचियों को दिए जाने वाले दान के नियम बनाए गए और कन्याओं को न मारने की हिदायत भी की गई। ये नियम पहले वि० सं० १८९६ में ही निश्चित कर लिए गए थे।

१. इसी बीच धौंकलसिंह ने भी जोधपुर की गद्दी के लिये बहुत कुछ कोशिश की, परंतु कर्नल सदरलंड के आगे उसकी एक न चली।

महाराजा तखतसिंहजी ने अपने राजतिलक के समय पूर्व-प्रथानुसार मूंदियाड़ के बारठ चैनसिंह को 'लाख-पसाव' दिया।

२. वि० सं० १९०० की फागुन सुदि ३ के एक पत्र से ज्ञात होता है कि महाराज ने, देश में व्यापारियों पर लगने वाले 'डंड किराड' को माफ़कर व्यापार को उन्नत करने का प्रबन्ध किया।

३. वि० सं० १८९६ (ई० स० १८३९) में महाराजा मानसिंहजी ने बग़ावत करनेवाले कई सरदारों की जागीरें शीघ्र ही लौटा देने का वादा किया था। परन्तु उनके स्वर्गवास के बाद महाराजा तखतसिंहजी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। उलटा कुछ सरदारों को दी गई जागीरें वापिस छीन लीं। इससे वे सरदार मारवाड़ में लूट-मारकर उपद्रव मचाने लगे।

४. यह प्रदेश वि० सं० १८३९ (ई० स० १७८२) में जोधपुर के अधिकार में आगया था। परन्तु वि० सं० १८७० (ई० स० १८१३) में इसे फिर से सिन्ध के टालपुरा अमीरों ने दबा लिया। इसलिये गवर्नमैन्ट ने पहले तो सिन्ध-विजय कर लेने पर उक्त प्रदेश महाराज को लौटा देने का वादा कर लिया था। परन्तु अन्त में उमरकोट के क़िले को उधर की सीमा की रक्षा के लिये उपयोगी समझ इसकी एवज़ में (जोधपुर महाराज) को १०,००० रुपये सालाना देना निश्चित किया।

को वार्षिक १०,००० रुपये देना निश्चित किया, और जोधपुर से मिलनेवाली करकी रकम के १,०८,००० रुपयों में से इस रकम को घटाकर आगे से वार्षिक ९८,००० रुपया लेना स्वीकार किया। परन्तु महाराज ने गवर्नमैन्ट को साफ़ तौर से लिख दिया कि उमरकोट हमारा है और जिस दिन वह हमको लौटाया जायगा वह दिन हमारे लिये बड़ी ही खुशी का होगा।

पहले लिखे अनुसार जागीरों का झगड़ा तय न होने से कुछ सरदार तो पहले से ही महाराज से नाराज़ हो रहे थे, परन्तु इन दिनों कुछ लोगों के कहने-सुनने से स्वर्गवासी महाराजा मानसिंहजी की रानियां भी इनसे अप्रसन्न हो गईं। इसलिये वि० सं० १९०३ की पौष सुदि १२ (ई० स० १८४६ की २९ दिसम्बर) को जब कर्नल सदरलैंड और महाराज के बीच जोधपुर में बातचीत हुई, तब उसने इन्हें इस बात की सूचना दी। इस पर महाराज ने दूसरे ही दिन कुछ सरदारों की जागीरों में वृद्धि करने का वादाकर उन्हें अपनी तरफ़ करलियाँ। इसके आठ दिन बाद, सदरलैंड की सलाह से, माजी साहबाओं को भड़कानेवाले लोग क़ैद करलिए गए।

वि० सं० १९०४ की द्वितीय ज्येष्ठ सुदि ४ (ई० स० १८४७ की १७ जून) को यह समझौता पक्का हुआ था।

ख्यातों से ज्ञात होता है कि सिंध-विजय के समय सहायता के लिये जोधपुर से भी सेना भेजी गई थी। परन्तु उसमें बीमारी फैल जाने से उसे मार्ग से ही लौट आना पड़ा।

१. ए कलैक्शन ऑफ़ ट्रीटीज़ ऐंगेजमैंट्स ऐण्ड सनद्स, भा० ३, पृ० १३८।

२. यह पत्र वि० सं० १९०४ की प्रथम ज्येष्ठ सुदि १ (ई० स० १८४७ की १५ मई) को लिखा गया था।

३. आसोप-ठाकुर को चिमणावा, गाधेडी, गोयन्दपुरा, भाँनावास, राडोद और राणावतों की आधी पालड़ी; रास-ठाकुर को हुनावास आदि दो गांव और बासनी-ठाकुर को कुचेरे के बदले (जो ज़ब्त हो चुका था) (नागोर प्रान्त का) माणकपुरा देना निश्चित किया। बगड़ी-ठाकुर को महाराज की सेवा में उपस्थित होने की आज्ञा दी गई।

आसोप-ठाकुर को ऊपर लिखे गांव फागुन सुदि १५ (ई० स० १८४७ की २ मार्च) को दिए गए थे।

४. क़ैद किए गए लोगों के नाम :—

आसोपा सुरतराम, उसका पुत्र महाराम, पुरोहित सैंबरीमल और थानवीं पनालाल।

वि० सं० १९०३ की पौष सुदि १४ (ई० स० १८४६ की ३१ दिसम्बर) की रातको शेखावत डूंगसिंह और जवाहरसिंह[1] आगरे के किले का जेलखाना तोड़कर अन्य कैदियों के साथ बाहर निकल गए। इसके बाद उन्होंने नसीराबाद की छावनी को लूट लिया। यह देख गवर्नमैन्ट ने राजस्थान की प्रत्येक रियासत से उन्हें पकड़ने में सहायता देने की प्रार्थना की। इस पर जवाहरसिंह तो बीकानेर की तरफ़ चला गया और डूंगजी को मारवाड़ की सेनाने शेखावाटी और तूंरावाटी के बीच के मेडी नामक गांव में पकड़ लिया। उस समय अंगरेज़ी अफ़सर भी इस सेना के साथ थे। परन्तु पकड़ते समय मारवाड़ वालों ने उसे गवर्नमैन्ट को न सौंपने का वचन देदिया था। इससे यद्यपि गवर्नमैन्ट ने संधि[2] का हवाला देकर पहले तो उसे अजमेर बुलवालिया, तथापि अन्त में जोधपुर दरबार की बात मानकर, वि० सं० १९०५ के भादों (ई० स० १८४८ के अगस्त) में, उसे वापस जोधपुर भेज दिया। यहां पर वह क़िले में विना बेड़ी के ही पहरेवालों की निगरानी में रक्खा गया।

वि० सं० १९०५ की पौष वदि १३ (ई० स० १८४८ की २३ दिसम्बर) को राजकीय सेनाने दौलतपुरे के गांव धणकोली पर अधिकार करलिया।

वि० सं० १९०७ की ज्येष्ठ वदि ३० (ई० स० १८५० की १० जून) के दिन महाराज ने चांदी से तुलादान किया।

वि० सं० १९०९ (ई० स० १८५२) में महाराज जालोर होते हुए आबू की तरफ़ गए। मार्ग में पौष सुदि ७ (ई० स० १८५३ की १६ जनवरी) को जब यह सिरोही पहुँचे, तब वहां के राव शिवसिंहजी ने, पांच सौ मनुष्यों के साथ तीन कोस सामने आकर, इनकी पेशवाई की। तीसरे दिन महाराज ने भी उनको, उनके राजकुमारों को और सरदारों आदि को यथा-योग्य सरोपाव देकर सत्कार किया। इसके बाद पौष सुदि ११ (२१ जनवरी) को यह आबू[3] पहुँचे। वहां से लौटते समय इनके सिरोही और मारवाड़ की सरहद पर पहुँचने पर इन (महाराज) का

१. ये डाका डालने के कारण पकड़े गए थे।

२. वि० सं० १८७४ (ई० स० १८१८) की सन्धि की धारा १।

३. इस यात्रा में महाराज के साथ तोपें भी थीं, जो मार्ग में प्रत्येक पड़ाव से रवाना होने पर छोड़ी जाती थीं। अनादरे से आबू को रवाना होते हुए भी इनसे सलामी दाग़ी गई थी।

विवाह सिरोही के राव की कन्या से हुआ¹। यहां से यह घाणेराव, सादड़ी, सोजत, बीलाड़ा और मेड़ता होते हुए माघ सुदि १० (१८ फ़रवरी) को नागोर पहुँचे; और चार मास के बाद² वि० सं० १९१० की ज्येष्ठ सुदि ८ (ई० स० १८५३ की १४ जून) को वहां से रवाना होकर दूसरे दिन जोधपुर लौट आए।

ज्येष्ठ सुदि १३ (१९ जून) को जयपुर-नरेश महाराजा रामसिंहजी, विवाह करने के लिये, जोधपुर पहुँचे³। महाराजा तखतसिंहजी ने भी डीगाड़ी के पास तक सामने जाकर उनका अभिनन्दन किया। उसी दिन जोधपुर के क़िले में बड़ी धूम-धाम से उन (जयपुर-नरेश) का विवाह हुआ।

वि० सं० १९१० की कार्तिक वदि ३० (१ नवम्बर) को उदयपुर के वकील ने राजपूताने में स्थित गवर्नर जनरल के एजैंट से गोडवाड़ का प्रान्त मारवाड़ से लेकर फिर से मेवाड़ को दिलवाने की प्रार्थना की। परन्तु उसे इस मामले में निराश होना पड़ा।

---

१. उस समय की सरकारी डायरी (रोज़नामचे) में लिखा है कि जिस समय वि० सं० १९०९ की माघ वदि ५ (ई० स० १८५३ की २९ जनवरी) को महाराज के पालड़ी (गोडवाड़ में) पहुँचने पर सिरोही-नरेश की तरफ़ से विवाह का प्रस्ताव आया, उस समय महाराज की तरफ़ से कहलाया गया कि पुरानी ख्यातों के लेखानुसार पहले सिरोही वाले अपने सरहद के गाँव पोसालिये में आकर अपनी कन्याओं का विवाह महाराजा जसवन्तसिंहजी प्रथम और अजितसिंहजी आदि के साथ कर चुके हैं। इसलिये यदि रावजी उसी प्रकार आकर विवाह करना स्वीकार करें तो महाराज भी इसके लिये तैयार हो सकते हैं। रावजी ने यह बात मानली। इसीसे सिरोही के सरहदी गांव पोसालिया और मारवाड़ के सरहदी गांव पालडी-धनापुरा के बीच यह कार्य सम्पन्न हुआ। विवाह का सब प्रबन्ध जोधपुर की तरफ़ से किया गया था।

२. फागुन सुदि ११ (ई० स० १८५३ की २१ मार्च) को सर हैनरी लॉरैंस (ए. जी. जी.) जोधपुर आने वाला था। इसलिये महाराजा फागुन सुदि ९ (१९ मार्च) को कुछ आदमियों के साथ नागोर से चलकर उसी दिन जोधपुर पहुँचे और लॉरैंस से मिलने के बाद फागुन सुदि १४ (२४ मार्च) को लौट कर उसी दिन नागोर पहुँच गए।

३. महाराजा रामसिंहजी का इरादा पहले रींवा विवाह करने को जाने का था। परन्तु महाराजा मानसिंहजी की कन्या का वाग्दान पहले ही हो चुका था। इसी लिये उन्हें पहले यहां आकर विवाह करना पड़ा। बरात के समय ज़ोर की वर्षा होने से सब बराती इधर उधर हो गए। इसलिये वरका हाथी भी क़िले का रास्ता छोड़ कर पद्मसर तालाब की तरफ़ मुड़गया। परन्तु श्रीमाली ब्राह्मण बौरा रामा और छोगा ने हाथी के दोनों दांत पकड़ उसे क़िले के द्वार (फ़तैपौल) पर ला खड़ा किया।

मँगसिर (दिसम्बर) में महाराज शिकार करते हुए सिवाना और जालोर होकर दो-तीन दिन के लिये आबू गए, और वहां से लौट कर फिर जालोर[1] होते हुए पौष (ई० स० १८५४ की जनवरी में जोधपुर चले आए।

वि० सं० १९११ की ज्येष्ठ वदि ३ (ई० स० १८५४ की १५ मई) को जालोर में महाराज-कुमार जसवन्तसिंहजी का विवाह जामनगर के जाम वीभाजी की कन्या से हुआ[2]।

आश्विन (सितम्बर) मास में सिंघी कुशलराज सेना लेकर बगड़ी की तरफ़ चला। इसकी सूचना पाते ही वहां का ठाकुर गांव छोड़ कर भाग गया। कुशलराज ने बगड़ी पर अधिकार कर ठाकुर के कुँवर को पकड़ लिया।

इसी वर्ष की फागुन सुदि ४ (ई० स० १८५५ की २० फ़रवरी) को महाराज, रानियों और महाराज-कुमारों को साथ लेकर, दल-बल सहित तीर्थ-यात्रा को चले। इनके परबतसर (उक्त नाम के मारवाड़ के प्रांत में) पहुँचने पर (चैत्र वदि ९=१२ मार्च को) किशनगढ़-महाराज पृथ्वीसिंहजी वहां आकर इनसे मिले। महाराज ने सामने जाकर उनका सत्कार किया और उन्हें पालकी में सामने बिठाकर[3] अपने निवास-स्थान पर ले आए।

वि० सं० १९१२ की चैत्र सुदि ३ (ई० स० १८५५ की २० मार्च) को महाराजा तख़्तसिंहजी के जयपुर पहुँचने पर महाराजा रामसिंहजी ने अमानीशाह के नाले तक सामने आकर इनकी अभ्यर्थना[4] की। वहां पर चौबीस दिन रहने के बाद

---

१. यहीं पर शिकार के समय दरख़्त पर बंधे तख़्तों के टूट जाने से पौष सुदि १२ (ई० स० १८५४ की ११ जनवरी) को महाराज की एक रानी (भटियानीजी) का स्वर्गवास होगया।

२. पहले महाराज-कुमार जसवन्तसिंहजी का एक खड्ग जामनगर भेजा गया और वहां पर उसके साथ विवाह की कुछ रीतियां पूरी की गईं। इसके बाद विवाह का बाकी कार्य जालोर में पूरा किया गया।

३. पहले महाराजा मानसिंहजी ने भी किशनगढ़--नरेश कल्याणसिंहजी को इसी तरह अपने सामने बिठाया था। इसी से यह रिवाज चल गया था।

४. इस यात्रा में महाराज के जयपुर पहुँचने के समय करीब २८,००० आदमी साथ होगए थे। और इस यात्रा का कुल ख़र्च १०,४०,३२२ रुपये तक पहुंचा था।

यह दिल्ली होते हुए हरद्वार पहुँचे, और वहां से मथुरा, डीग और पुष्कर होते हुए प्रथम आषाढ़ (जून) में जोधपुर लौट आए।

इन दिनों आउवा, आसोप और गूलर के ठाकुर तथा उनके ज़िले के छोटे-छोटे जागीरदार बाग़ी हो रहे थे। इसी से वि० सं० १९१४ के ज्येष्ठ (ई० स० १८५७ की मई) में गूलर के ठाकुर की उद्दण्डता के कारण उसके जागीर के गांव पर सेना भेजकर वहां पर अधिकार कर लिया गया।

इसी वर्ष हिन्दुस्तान में सिपाई-विद्रोह की आग भड़क उठी। इसपर अंगरेज़-सरकार की तरफ़ से पोलिटिकल एजैंट और गवर्नर जनरल के राजपूताने के एजैंट ने महाराज से मारवाड़ में बाग़ी सिपाहियों को न घुसने देने की प्रार्थना की। महाराज ने भी ज्येष्ठ सुदि १४ (६ जून) को सिंघी कुशलराज को इसका प्रबन्ध करने के लिये नियुक्त कर दिया। इसी से जिस समय नसीराबाद और नीमच की छावनियों की सेनाएं, दिल्ली की तरफ़ जाती हुई, मारवाड़ में होकर निकलीं, उस समय उसने उनका पीछा कर उन्हें मारवाड़ में उपद्रव करने से रोक दिया[१]। महाराज ने कुछ सेना अजमेर की रक्षा के लिये भी भेजी थी। इसलिये जब आषाढ़ वदि ९ (१६ जून) को पँवार अनाड़सिंह और महता छत्रसाल आदि उस सेना का वेतन बांटने को भेजे गए, तब वहां के अंगरेज-अफ़सर ने आनासागर तक सामने आकर इनका सत्कार किया। इस के बाद ये लोग ब्यावर जाकर गवर्नर जनरल के एजैन्ट से मिले। उसके सेक्रेटरी ने भी उसी प्रकार आगे आ इन्हें मान दिया।

इसके ५ दिन बाद ब्यावर की तरफ़ से भागकर आई हुई चार अंगरेज़-स्त्रियां जोधपुर पहुँचीं। महाराज ने उन्हें सूरसागर में स्थित पोलोटिकल एजैंट की रक्षा में भेज दिया।

आषाढ़ सुदि ५ (२६ जून) को महाराज की आज्ञा से सिंध से जयसलमेर और

१. इसके बाद सिंघी कुशलराज, कुचामन-ठाकुर केसरीसिंह, और खैरवे-ठाकुर सांवतसिंह २,००० सैनिक लेकर जयपुर-राज्य के तुंगा नामक गांव में पहुँचे, और वहां से जयपुर के पोलिटिकल एजैन्ट के साथ हो लिए। परन्तु बाग़ी-सैनिकों के मरने-मारने को उद्यत होने के कारण अंगरेज़-अफ़सर, युद्ध करने का विचार छोड़, एक कोस के फ़ासले से बाग़ियों का पीछा करते रहे। रोज़नामचे में लिखा है कि जब उन अंगरेज़ी-अफ़सरों के साथ की सेना बाग़ी होगई, तब उनको जोधपुर की सेना की शरण में आकर अपनी प्राण-रक्षा करनी पड़ी।

मालानी होकर, जोधपुर तक ऊंटों की डाक बिठाने का प्रबंध किया गया[1]।

भादों वदि ५ (१० अगस्त) की रात को जोधपुर के किले की गोपालपौल के पास के बारूद-खाने[2] पर बीजली गिरी। इस से वहां के आस-पास का दुहेरा कोट, गोपालपौल, फतैपौल और उनके आस-पास का कोट उड़गया। उस समय वहां के बड़े-बड़े पत्थर बारूद के ज़ोर से उड़कर शहर से करीब तीन कोस (चौपासनी नामक स्थान) तक पहुँचे थे। इस पाषाण-वृष्टि से किले के आस-पास का शहर नष्ट होगया और क़रीब ४०० आदमी दब कर मर गए। किले पर के चामुण्डा के मन्दिर का बहुतसा भाग भी उड़ गया था। परंतु किसी तरह मूर्ति बच गई। शीघ्र ही राज्य की तरफ़ से दबे हुए पुरुषों को निकालने का प्रबंध किया गया। इस घटना से शायद और भी अधिक हानि होती। परंतु तत्काल वर्षा के आरम्भ हो जाने से आस-पास की बची हुई बारूद भीग गई। इससे आग की उड़नेवाली चिनगारियों से उसके भड़कने का डर जाता रहा।

इसके बाद ही डीसा की छावनी वाली सेना के बाग़ी होने का समाचार जोधपुर पहुँचा। इस पर पाली के लोग घबरा गए। यह देख महाराज ने उनकी रक्षा के लिये कुछ आदमी वहां भेज दिए।

भादों सुदि ६ (२५ अगस्त) को ऐरनपुरे की सेना के बाग़ी हो जाने की सूचना मिली[3]। इस पर महाराज ने क़िलेदार अनाड़सिंह, लोढा राव राजमल और मेहता छत्रमल को १,००० सिपाही और ४ तोपें देकर उधर जाने की आज्ञा दी। ये लोग पाली में जाकर युद्ध की तैयारी करने लगे। बाग़ी लोग भी ऐरनपुरे से रवाना होकर सांडेराव होते हुए गूंदोज पहुँचे। वहीं पर उन्हें पाली में ठहरी हुई जोधपुर की सेना का समाचार मिला। इससे वे पाली का मार्ग छोड़ खैरवे की तरफ़ चले गए। इसी

१. इस डाक की चौकियां तीन-तीन कोस पर रक्खी गई थीं और प्रत्येक चौकी में दो-दो ऊँटों का प्रबन्ध किया गया था।

२. यह बारूद का गोदाम पहाड़ खोद कर बनवाया गया था और इसमें अस्सी हज़ार मन बारूद भरा था।

३. उस समय वहां पर महाराज की तरफ़ से शाह रूपचन्द लोढा वकील नियत था।

समय आउवे का ठाकुर[1] बागियों से मिल गया, और उसने उन्हें अपने यहां बुलवा लिया। गूलर-ठाकुर बिशनसिंह और आलणियावास-ठाकुर अजितसिंह भी अपने आदमियों को लेकर आउवे जा पहुँचे। इसकी सूचना मिलते ही महाराज ने सिंघी कुशलराज और मेहता विजयमल को सेना लेकर उधर जाने की आज्ञा दी। आश्विन बदि ४ (७ सितम्बर) को बीठोरा गांव के पास मारवाड़ की सेना का बागियों से युद्ध हुआ। रात होने पर क़िलेदार अनाड़सिंह ने खेजड़ला के ठाकुर हिम्मतसिंह और भाटी जगतसिंह को आउवे के ठाकुर कुशालसिंह को समझाने के लिये भेजा, और उसे बागियों का साथ छोड़कर महाराज की सेना में आ जाने के लिये कहलाया। इस पर कुशालसिंह ने लांबियां के ठाकुर पृथ्वीसिंह से सलाह कर दूसरे दिन प्रातःकाल महाराज की सेना में चले आने का वादा किया। परंतु ठाकुर के प्रधान कार्यकर्ता कछवाहा मानसिंह ने इस बात की सूचना गूलर-ठाकुर को, और उसने बागी-सेना के सेनापति को दे दी। इससे उस सेना का रिसालदार अब्बासअली कुछ रात रहते ही अपनी सेना को लेकर आउवा-ठाकुर के पास पहुँच गया और उसने ठाकुर से कहा कि हम लोग सूरज निकलने से पहले ही महाराज की सेना पर आक्रमण करना चाहते हैं। इसलिये या तो आप हमारा साथ दें, या हम से युद्ध करें। उस समय नगर और गढ़ में चारों तरफ़ सुसज्जित बागी सिपाहियों के फैले हुए होने से ठाकुर उसका विरोध न कर सका, और उसने लाचार होकर सिणली के ठाकुर चांपावत शक्तसिंह को अपना प्रतिनिधि बनाकर उस (रिसालदार) के साथ कर दिया। प्रातःकाल होने के पूर्व ही ये सब महाराज की सेना के मुक़ाबले पर जा पहुँचे। आलणियावास और गूलर के ठाकुर भी उनके साथ थे। शीघ्र ही दोनों तरफ़ से घमसान युद्ध जारी हो गया। परंतु सिंघी कुशलराज और मेहता विजयमल के झगड़ा होते ही भाग जाने और राजमल और अनाड़सिंह के युद्ध में मारे जाने से राजकीय-सेना के पैर उखड़ गए।[2] इस युद्ध में आहोर के ठाकुर ने वीरता से शत्रु का सामना कर राजकीय-तोपखाने को बागियों के हाथ में पड़ने से बचा लिया।

---

१. हरजी गांव के ठाकुर का पुत्र कानसिंह बीठोरे गोद गया था। परन्तु आउवे के ठाकुर ने लांबिया-ठाकुर को सेना सहित भेज कर उसे मरवा डाला। इस से और उसकी अन्य उद्दण्डताओं से महाराज आउवे के ठाकुर से अप्रसन्न थे।

२. उसी समय का यह दोहार्ध मारवाड़ में प्रसिद्ध है:-

"लीला भाला फेरता भाग गया कुशलेश।"

इसकी सूचना पाते ही उधर अजमेर से गवर्नर जनरल के एजैंट ने अंगरेज़ी सेना के साथ चढ़ाई की, और इधर जोधपुर से पोलिटिकल एजैंट कैपटिन मेसन आउवे को चला। अंगरेज़ी सेना ने वहां पहुँचते ही शत्रु-पक्ष से युद्ध छेड़ दिया। परंतु अभाग्य से कैपटिन मेसन अंगरेज़ी सेना के बदले बाग़ियों की सेना में जा पहुँचा। उसे अकेला देख शीघ्र ही बाग़ियों ने उसे मार डाला। इसके बाद एकवार तो सरकारी सेना ने बाग़ियों को आउवे के तालाव की दीवाल के पीछे छिपने को बाध्य कर दिया, परंतु शीघ्र ही आसोप-ठाकुर शिवनाथसिंह[1] ने हमला कर अंगरेज़ी सेना की बहुतसी तोपें छीन लीं। इससे अंगरेज़ों की फ़ौज को मैदान छोड़ आंगदोस की तरफ़ हट जाना पड़ा। वहां से गवर्नर जनरल का एजैंट लौटकर अजमेर चला गया। यह समाचार सुन आसोज (क्वाँर) सुदि १२ (३० सितम्बर) को महाराज ने आउवे की और उसके ज़िलेदारों की जागीरें ज़ब्त कर लीं और इसके बाद कुशलराज के नाम बाग़ियों को दण्ड देने की आज्ञा भेजी।

कार्तिक वदि ११ (१३ अक्टोबर) को बाग़ी-सैनिक आउवे से रवाना होकर गंगावा, दूदोड़, लावा और रीयां होते हुए पीपाड़ के पास पहुँचे। सिंघी कुशलराज इस समय बीलाड़े में था। परन्तु उसकी हिम्मत उनका मुक़ाबला करने की न हुई। इसलिये महाराज ने कुचामन के ठाकुर केसरीसिंह को भी बाग़ियों के पीछे रवाना किया। उसने कुशलराज को साथ लेकर नारनौल तक उनका पीछा किया। कुचेरे के पास उनका बाग़ियों से सामना भी हुआ, परन्तु इसमें विशेष सफ़लता नहीं हुई।

इस गड़बड़ में मँगसिर वदि ४ (५ नवंबर) को आसोप-ठाकुर ने पाली के व्यापारियों का दस हज़ार का माल लूट लिया। इस पर मँगसिर सुदि ७ (२३ नवंबर) को आसोप की जागीर ज़ब्त करली गई। इसके बाद बडलू पर भी महाराज की सेना का अधिकार हो गया। यह देख आसोप-ठाकुर[2] सामना करना छोड़ राजकीय सेना में चला आया।

अंगरेज़ों की नई सेना ने डीसेसे आकर, माघ सुदि ५ (ई० स० १८५८ की २० जनवरी) को, आउवे को घेर लिया। महाराज की सेना भी मय नींबाज और

१. यह भी बाग़ी-सैनिकों के साथ हो गया था।

२. इसके बाद यह क़िले में क़ैद कर दिया गया था। परन्तु वि० सं० १६१६ की कार्तिक वदि ३० (दीपमालिका=ई० स० १८५६ की २५ अक्टोबर) को मौका पाकर वहां से निकल भागा।

रास के ठाकुरों के उसके साथ थी। आउवे का ठाकुर तो पहले ही बचकर निकल गया, परन्तु छठे दिन क़िलेवालों के भी निकल जाने पर वहां पर उनका अधिकार हो गया। इसके बाद वहां का क़िला, महल, कोट और मकानात नष्ट करदिए गए। इसी प्रकार आउवे के भाई-बन्धुओं के गांव भींवालिया आदि की गढियां भी सुरंगे लगा कर उड़ा दी गईं और वहां के ठाकुर भाग कर मेवाड़ की तरफ़ चले गए।

वि० सं० १६१५ की प्रथम ज्येष्ठ सुदि १२ (ई० स० १८५८ की २४ मई) से राजपूताने की रियासतों के सिक्कों में बादशाह के नाम की जगह महारानी विक्टोरिया का नाम लिखे जाने का प्रबन्ध किया गया; क्योंकि सिपाही विद्रोह के शान्त होने पर महारानी विक्टोरिया ने भारत का शासन अपने हाथ में ले लिया था।

वि० सं० १६१५ के पौष (ई० स० १८५६ की जनवरी) में महाराज ने शाहबाज़ख़ाँ को अपना दीवान बनाया[1]।

वि० सं० १६१६ के कार्तिक (ई० स० १८५६ के अक्टोबर) में किशनगढ़ में झगड़ा उठ खड़ा हुआ[2]। यह देख वहां के नरेश ने महाराज से सहायता मांगी। इस पर महाराज ने परबतसर और मारोठ के अपने हाकिमों और सरदारों को आज्ञा भेज दी कि जिस समय किशनगढ़-महाराज को सहायता की आवश्यकता हो, उसी समय ससैन्य वहां पहुँच उनकी आज्ञा का पालन किया जाय।

यद्यपि वि० सं० १६१४ (ई० स० १८५७) से ही राजकीय सेनाएं मारवाड़ के बाग़ी सरदारों के पीछे लगी हुई थीं, तथापि मौक़ा मिलते ही वे इधर-उधर लूट-खसोट मचादिया करते थे। अन्त में, वि० सं० १६१७ के प्रथम आश्विन (ई० स० १८६० के सितम्बर) में, आउवे के ठाकुर ने अपने को अंगरेज़ी सरकार के हाथों सौंप कर इन्साफ़ की प्रार्थना की। इस पर अजमेर में एक फ़ौजी अदालत बिठाई गई, और उसने सारी बातों की छान-बीन कर उसे पोलिटिकल एजैंट कैपटिन मेसन की हत्या में सम्मिलित होने के अपराध से बरी कर दिया। इसके साथ ही गवर्नमैन्ट ने जोधपुर-महाराज से आउवा, आसोप आदि के सरदारों पर दया दिखलाने की प्रार्थना भी की।

---

१. सरकारी रोज़नामचे में वि० सं० १६१६ की जेठ सुदि ८ (ई० स० १८५६ की ८ जून) को शहबाज़ख़ाँ को दुबारा दीवानी का काम दिया जाना लिखा है।

२. किशनगढ-नरेश ने, वहां के स्वर्गवासी महाराजा प्रतापसिंहजी के बाभा (परदे डाली हुई स्त्री-उपपत्नी के पुत्र) ज़ोरावरसिंह के लड़के मोतीसिंह को क़ैद करदिया था। इसीसे उसके आदमियों ने उपद्रव शुरू किया था।

आउवा-ठाकुर कुशालसिंह बरी होकर उदयपुर चला गया[1]। इसके कुछ काल बाद उसका पुत्र देवीसिंह, आसोप-ठाकुर शिवनाथसिंह, गूलर-ठाकुर बिशनसिंह आदि बीकानेर की तरफ़ चले गए, और उनके वकील उनकी जागीरें वापस दिलवाने के लिये पोलिटिकल एजैंट आदि से सहायता की प्रार्थना करने लगे। परंतु महाराज़ ने यह बात स्वीकार न की।

ग़दर के समय पूरी सहायता देने के कारण इसी वर्ष (वि० सं० १९१८=ई० स० १८६२ में) गवर्नमैंट ने जोधपुर दरबार को गोद लेने का अधिकार प्रदान किया।

वि० सं० १९१९ की आषाढ़ वदि ३ (ई० स० १८६२ की १४ जून) को बाभों (परदायतों के पुत्रों) को रावराजा की पदवी दी गई[2] और इसके बाद भादों वदि १३ (ई० स० १८६२ की २३ अगस्त) को महाराजा तखतसिंहजी विवाह करने को जयसलमेर की तरफ़ चले। रावलजी ने ६-७ कोस सामने आकर इनकी अभ्यर्थना की। विवाह हो जाने[3] पर, आश्विन सुदि १ (२४ सितम्बर) को, बरात जोधपुर लौट आई।

वि० सं० १९२० की माघ वदि ८ (ई० स० १८६४ की १ फ़रवरी) को जयपुर महाराज रामसिंहजी फिर विवाह करने को जोधपुर आए। यहां पर आपका विवाह महाराज की दूसरी कन्या और इनके भ्राता पृथ्वीसिंहजी की कन्या के साथ बड़ी धूम-धाम से किया गया।

वि० सं० १९२१ की माघ वदि ७ (ई० स० १८६५ की १९ जनवरी) को महाराजा तखतसिंहजी विवाह करने के लिये रीवां की तरफ़ रवाना हुए। जयपुर पहुँचने पर महाराजा रामसिंहजी ने, नियमानुसार आगे आकर, इनका स्वागत किया। इसके बाद रीवां पहुँचने पर, फागुन सुदि ८ (५ मार्च) को, महाराज का विवाह रीवां-

१. वि० सं० १९२१ के सावन (ई० स० १८६४ के अगस्त) में आउवा-ठाकुर कुशालसिंह का उदयपुर में स्वर्गवास होगया।

२. रिपोर्ट मजमूए हालात व इन्तिज़ाम राज मारवाड़ (बाबत संवत् १९४०) में वि० सं० १९१९ की भादों सुदि १० (ई० स० १८६२ की ३ सितम्बर) को महाराज द्वारा जयसलमेर में इस रावराजा-पदवी का दिया जाना लिखा है। (देखो पृ० २४८)।

३. वहां पर महाराज का विवाह केसरीसिंहजी की कन्या से और महाराज-कुमार प्रतापसिंहजी का विवाह छत्रसिंहजी की कन्या से हुआ था। 'तवारीख़ जैसलमेर' में इन विवाहों का संवत् १९१८ लिखा है (पृ० ८७)।

नरेश लक्ष्मणसिंहजी की कन्या से हुआ[1]। वहां से लौटने पर, वि० सं० १९२२ (ई० स० १८६५) में, महाराज प्रयाग होते हुए गवर्नर जनरल से मिलने के लिये कलकत्ते गए, और लौटते समय भरतपुर और जयपुर होते हुए, वि० सं० १९२२ की भादों वदि १२ (ई० स० १८६५ की १८ अगस्त) को, जोधपुर पहुँचे। इसी वर्ष महाराज ने पुष्कर की यात्रा भी की थी।

महाराज बहुधा रनवास के साथ या शिकार में रहा करते थे। इससे राज्य-कार्य की देख-भाल पूरी तौर से नहीं हो सकती थी, और राज-कर्मचारियों को मनमानी करने का मौक़ा मिल जाता था[2]। इसपर वि० सं० १९२३ के वैशाख (ई० स० १८६६ के अप्रेल) में महाराज ने मिस्टर टेलर नामके एक अवसर-प्राप्त (रिटायर्ड) अंगरेज़ अधिकारी को रियासत का काम करने के लिये बुलवाया। इसके बाद प्रथम जेठ वदि ११ (१० मई) को उसे दीवानी का काम सौंपा गया और मुंशी हाजी मोहम्मदख़ाँ उसका नायब बनाया गया।

प्रथम जेठ सुदि ५ (१९ मई) को गवर्नर जनरल के एजैंट के पास नियुक्त जोधपुर राज्य के वकील ने एजैंट के हाजी मोहम्मदख़ाँ से नाराज़ होने की सूचना दी; और साथही उसने यह भी लिखा कि उस (एजैंट) की इच्छा उसे राज्य से बाहर भिजवा देने की है। परन्तु महाराज ने इस पर कुछ ध्यान नहीं दिया।

इसी वर्ष के भादों (सितम्बर) में सिरोही से दस कोस इधर के पोसालिया नामक गांव में महाराज का विवाह सिरोही के राव शिवसिंहजी की कन्या से हुआ।

राज-कर्मचारियों के षड्यंत्र से राज्य का कार्य न चला सकने के कारण, आश्विन सुदि १ (९ अक्टोबर) को, मिस्टर टेलर तीन महीने की छुट्टी लेकर हमेशा के लिये यहां से चला गया। इस पर दीवानी का काम हाजी मोहम्मद को सौंपा गया।

---

१. वहीं पर महाराज-कुमार मोहबतसिंहजी और किशोरसिंहजी के विवाह भी हुए थे।

२. वि० सं० १९२३ की चैत्र वदि १२ (ई० स० १८६७ की १ अप्रेल) को, अंगरेज़ी शिक्षा के लिये, पहले पहल नगर में, प्रजा की तरफ़ से एक स्कूल खोला गया; और वि० सं० १९२४ की वैशाख सुदि २ (६ मई) को प्रजा की तरफ़ से ही, 'मुरधरमित्र' नामक साप्ताहिक पत्र निकालने के लिये 'मुरधरमित्र' नाम का प्रेस स्थापित किया गया। परन्तु वि० सं० १९२६ की आषाढ सुदि १ (ई० स० १८६९ की १० जुलाई) को राज्य ने इन संस्थाओं को अपने तत्वावधान में लेकर इनका नाम क्रमशः "दरबार स्कूल", "मारवाड़ गज़ट" और "मारवाड़ स्टेट-प्रेस" रख दिया।

आश्विन सुदि ९ (१८ अक्टोबर) को महाराज आगरे के दरबार में सम्मिलित होने को रवाना हुए। इनके सांभर पहुँचने पर दीवान हाजी मोहम्मद कुछ दिन की छुट्टी लेकर अजमेर चला गया। यह आगरे का दरबार वि० सं० १९२३ की कार्तिक सुदि १२ (ई० स० १८६६ की १९ नवम्बर) को हुआ[1] था। इसी में गवर्नर जनरल लॉर्ड लॉरैंस ने अपने हाथों से महाराज को जी. सी. एस. आई. का पदक पहनाया[2]। गवर्नर जनरल का विचार राजपूताने में शस्त्र-कानून (आर्म्स ऐक्ट) प्रचलित करने का था। परन्तु महाराज ने अन्य उपस्थित रईसों के साथ मिलकर बड़ी कुशलता से इसे रुकवा दिया। पौष वदि १२ (ई० स० १८६७ की २ जनवरी) को महाराज आगरे से लौट कर जोधपुर चले आए।

इसके बाद हाजी मोहम्मदखाँ ने पुराने प्रबन्ध को बदलकर अंगरेज़ी ढंग पर नया प्रबन्ध करना प्रारम्भ किया। परन्तु उसके मुल्की और फ़ौज़ी कामों पर बहुत से मुसलमानों को नियुक्त कर देने के कारण मारवाड़ के लोग उससे नाराज़ होगए[3]। इसीसे वि० सं० १९२४ के कार्तिक (ई० स० १८६७ की नवम्बर) में किसी ने गुप्त रूप से उसे पुष्कर में मारडाला।

वि० सं० १९२३ की आषाढ़ सुदि ७ (ई० स० १८६६ की १९ जुलाई) को गवर्नमैन्ट के और महाराज के बीच एक अहदनामा लिखा गया[4]। इसके अनुसार महाराज ने जोधपुर राज्य में होकर निकलनेवाली रेलवे के लिये, विना किसी एवज़ाने के, ज़मीन देना और रेल द्वारा मारवाड़ में होकर बाहर जानेवाले माल पर चुंगी न लेना निश्चित किया[5]।

---

१. डा० जेम्स बर्जेस की क्रॉनॉलॉजी ऑफ़ इन्डिया, पृ० ३८२।

२. इसी समय महाराजा की सलामी की १७ तोपें नियत की गईं।

३. वि० सं० १९२४ की वैशाख वदि ८ (ई० स० १८६७ की २७ अप्रेल) को महाराज-कुमार ज़ालिमसिंहजी को कंटालिये के ठाकुर गोरधनसिंह के गोद देने का प्रबन्ध किया गया। पर इसमें सफलता नहीं हुई। इसी वर्ष के आषाढ (जुलाई) में मेहता विजयमल ने, पोलिटिकल-एजैंट की मारफ़त, घाणेराव के ठाकुर पर हुक्म-नामा (नाम का कर) लगाया।

४. ए कलैक्शन ऑफ़ ट्रीटीज़ ऐंगेजमैंट्स ऐण्ड सनद्स, भा० ३, पृ० १३८-१३९।

५. इसी वर्ष के अन्त में कप्तान इम्पे द्वारा जोधपुर और बीकानेर की सरहद का निर्णय करवाया गया।

वि० सं० १९२५ (ई० स० १८६८) में गवर्नर जनरल के एजैंट ने जोधपुर आकर महाराज से सरदारों का फ़ैसला करने और उनकी जागीरें लौटा देने के लिये कहा। इस पर महाराज ने दो महीने में उनका निर्णय कर देने का वादा करलिया। परन्तु यह झगड़ा शान्त न होसका। इससे पोकरन, कुचामन वग़ैरा के सरदार भी आउवा, आसोप, नींबाज, रायपुर, रास, खेजडला और चंडावल के सरदारों से मिल गए।

इसी वर्ष के कार्तिक (अक्टोबर) में महाराज ने, गवर्नमैन्ट के कहने से, व्यापार की सुविधा के लिये नाज पर की चुंगी आधी करदी। इसी बीच मौक़े की ताक में लगे बहुत से सरदारों ने, महाराज की आज्ञा प्राप्त किए विना ही, अपने ज़ब्त हुए गांवों और कुछ इधर-उधर के गांवों पर अधिकार करलिया।

वि० सं० १९२५ की पौष सुद १५ (ई० स० १८६८ की २९ दिसम्बर) को लैफ्टिनैंट कर्नल कीटिंग (राजपूताने के ए. जी. जी.) ने जोधपुर आकर महाराज के और गवर्नमैन्ट के बीच एक नया अहदनामा[1] तैयार किया। इसके अनुसार जोशी हंसराज (दीवान), मेहता विजयसिंह (हाकिम फ़ौजदारी अदालत), पण्डित शिवनारायण, मेहता हरजीवन (हाकिम महकमा माल) और सिंघी समरथराज (हाकिम दीवानी अदालत) की एक पंचायत नियुक्त कर राज्य-कार्य के संचालन का भार उसे सौंपा, और साथ ही उसे रियासत के इन्तिज़ाम के ख़र्च के लिये १५,००,००० रुपये देना निश्चित किया। खालसे के गांवों का पूरा-पूरा प्रबन्ध करने और दीवानी और फ़ौजदारी मामलों का निर्णय करने का अधिकार भी इसी पंचायत को दिया गया। महाराज ने अपना व्यक्तिगत ख़र्च[2] कम करने और महाराज-कुमारों के ख़र्च का प्रबन्ध करने का निश्चय किया। जागीरदारों पर लगनेवाले हुक्मनामे (नए जागीरदारों के गद्दी पर बैठने के समय लिए जानेवाले दरबार के नज़राने) का तथा राज्य के और आउवा, आसोप, गूलर, आलणियावास और बाजावस के जागीरदारों के बीच के झगड़ों का निर्णय पोलिटिकल एजैंट पर छोड़ा गया। यह सन्धि चार वर्षों के लिये की गई थी। इससे यहां का बहुत कुछ झगड़ा शान्त होगया।

---

१. ए कलैक्शन ऑफ़ ट्रीटीज़ ऐंगेजमैंट्स ऐण्ड सनद्स, भा० ३, पृ० १४१-१४४।

२. इस संधि के अनुसार महाराज के ख़र्च के लिये सालाना १,८०,००० से २,५०,००० रुपये तक नियत किए गए; और राज्य की आय का पूरा-पूरा हिसाब रखने का हुक्म दिया गया।

इस वर्ष मारवाड़ और उसके आस-पास के प्रदेशों में भयंकर अकाल होने से देश में चारों तरफ़ हा-हाकार मच गया था। परन्तु स्वयं महाराजा और खास कर उनकी रानी जाड़ेजीजी ने जोधपुर में अन्नाभाव से पीड़ित लोगों के भोजन का प्रबन्ध कर हज़ारों प्रजाजनों के प्राणों की रक्षा की।

इसी वर्ष गवर्नमैन्ट के और महाराज के बीच एक दूसरे के राज्य के अपराधियों को एक दूसरे को सौंप देने के विषय में संधि[1] हुई। वि० सं० १९४४ (ई० स० १८८७) में इसमें संशोधन किया गया[2] और ब्रिटिश-भारत के अपराधियों को यहां लाने का प्रबन्ध ब्रिटिश-भारत में प्रचलित कानून के अनुसार किया जाना निश्चित हुआ।

उन दिनों गोडवाड़ के परगने की तरफ़ के जागीरदारों की सहायता से वहां के मीणा और भील लोग बड़ा उपद्रव किया करते थे। इसलिये वि० सं० १९२५ के फागुन (ई० स० १८६९ की फ़रवरी) में महाराज की आज्ञा से महाराज-कुमार जसवन्तसिंहजी ने वहां पहुँच बहुत से उपद्रवियों को मार डाला और बहुतों को पकड़ कर जोधपुर भेज दिया। यह देख महाराज ने एक लाख की आय का वह प्रान्त महाराजकुमार को उनके खर्च के लिये सौंप दिया।

वि० सं० १९२६ के सावन (ई० स० १८६९ के अगस्त) में महाराज, जागीरदारों द्वारा ज़बरदस्ती दबाए हुए गांवों के छुड़वाने का प्रबन्ध करने के लिये, आबू जाकर गवर्नर जनरल के एजैंट से मिले और वहां से लौट कर दीवानी का काम मरदानअली को सौंपे[3] दिया।

वि० सं० १९२६ (ई० स० १८६९) में[4] हुक्मनामे (नए जागीरदारों के गद्दी पर बैठने के समय के राज्य के नज़राने) का कानून बना, और साथही जागीरदारों

१. ए कलैक्शन ऑफ़ ट्रीटीज़ ऐंगेजमैंट्स ऐण्ड सनद्स, भा० ३ पृ० १३९–१४१।

२. " " " " " " " भा० ३, पृ० १६६।

३. यह वि० सं० १९२६ की आश्विन सुदि ९ (ई० स० १८६९ की १४ अक्टोबर) को दीवान बनाया गया था। इसने १९२८ की कार्तिक वदि ६ (ई० स० १८७१ की ३ नवम्बर) तक यह काम किया। इसके बाद मैहता हरजीवन को यह काम दिया गया।

४. हुक्मनामे की रकम साधारण तौर पर रेख का पौन हिस्सा नियत किया गया। साथ ही ठाकुर के पीछे उसके लड़के या पोते के गद्दी बैठने पर उस साल की रेख और चाकरी माफ़ करदी गई। परन्तु भाइयों या बन्धुओं में से गोद लिए जाने पर रेख लेना और

के झगड़ों को मिटाने के लिये एक कमेटी नियत की गई । उस समय करीब २५० गांवों के विषय में सरदारों के और राज्य के बीच झगड़ा चल रहा था । परन्तु पोलिटिकल एजैंट ने महाराजा तखतसिंहजी के गद्दी बैठने के समय, जिस गांव पर जिस जागीरदार का कब्ज़ा था, वह गांव उसीका मानकर बहुत कुछ झगड़ा शान्त करदिया ।

इसी वर्ष आवागमन के सुभीते के लिये ऐरनपुरे से पाली होकर बर तक एक सड़क बनाने का निश्चय हुआ । साथ ही जोधपुर से पाली तक की सड़क के बनाने की आज्ञा भी दी गई[1] ।

वि० सं० १९२७ (ई० स० १८७०) में गवर्नमैंट ने जोधपुर दरबार को सालाना १,२५,००० रुपये[2] और ७,००० मन नमक देने का वादा कर सांभर के नमक का वह भाग, जो जोधपुर राज्य के अधिकार में था, ठेके पर लेलियाँ[3] । इसके साथ एक शर्त यह भी रक्खी गई कि यदि सालाना सवा आठ लाख मन नमक से अधिक नमक बेचा जायगा, तो उस अधिक नमक के लाभ में से २० रुपये सैंकड़ा जोधपुर-राज्य को करके रूप में दिया जायगा । इसी संधि के अनुसार गवर्नमैंट द्वारा बनाए हुए नमक पर से राज्य की चुंगी उठा दी गई । इसी वर्ष गवर्नमैंट ने नांवा और गुढा नामक स्थानों में होनेवाली नमक की पैदावार भी सालाना ३,००,००० रुपये[4] और ७,००० मन नमक देने का वादा कर ठेके के तौर पर लेली । इसके साथ भी यह शर्त रक्खी गई कि यदि सालाना नौलाख मन से अधिक नमक विकेगा, तो उस अधिक हिस्से के मुनाफे में से ४० रुपये सैंकड़ा जोधपुर-राज्य को करके रूप में दिया जायगा[5] ।

चाकरी माफ़ करना निश्चित हुआ । एकही वर्ष में दो उत्तराधिकारियों के गद्दी बैठने पर एक हुक्मनामा और दो वर्षों में दो उत्तराधिकारियों के गद्दी बैठने पर डेढ हुक्मनामा लेना तय किया । ठाकुर की इच्छा होने पर एक हुक्मनामे की एवज़ में एक वर्ष की गांव की लटाई (आमदनी) लेने का नियम भी रक्खा गया ।

१. ए कलैक्शन ऑफ़ ट्रीटीज़ ऐंगेज़मैंट्स ऐण्ड सनद्स, भा० ३, पृ० १४५-१४७ ।

२. यह रकम ६-६ महीने की दो किश्तों में देना निश्चित किया गया ।

३. इसी वर्ष गवर्नमैंट ने जयपुर दरबार के साथ भी इसी प्रकार का प्रबन्ध कर उनके अधीन का सांभर का नमक का भाग भी ठेके पर लेलिया ।
ए कलैक्शन ऑफ़ ट्रीटीज़ ऐंगेजमैंट्स ऐण्ड सनद्स, भा० ३, पृ० १४७-१५२ ।

४. ये रुपये भी ६-६ महीने की दो किश्तों में देने तय हुए थे ।

५. ए कलैक्शन ऑफ़ ट्रीटीज़ ऐंगेजमैंट्स ऐण्ड सनद्स, भा० ३, पृ० १५२-१५६ ।

वि० सं० १९२७ की कार्तिक वदि (ई० स० १८७० के अक्टोबर) में लॉर्ड मेओ ने अजमेर में एक दरबार किया और सब रईसों को उसमें उपस्थित होने के लिये बुलवाया। वहां पर महाराज के और गवर्नमैन्ट के बीच उदयपुर और जोधपुर की बैठकों के विषय में झगड़ा उठ खड़ा हुआ। इसपर यह (महाराजा तखतसिंहजी) लौट कर जोधपुर चले आए। यह बात गवर्नमैंट को बुरी लगी। इसी से उसने महाराज की सलामी की दो तोपें घटाकर १७ से १५ करदीं।

वि० सं० १९२८ (ई० स० १८७१) में महाराज ने जालोर वालों के सिरोही में घुस कर उपद्रव करने के कारण, उक्त प्रान्त का प्रबन्ध गवर्नमैन्ट की तरफ़ से नियुक्त सिरोही के पोलिटिकल सुपरिन्टैन्डैन्ट को सौंप दिया, और अपनी तरफ़ के एक अफ़सर को उसका सहकारी नियत कर प्रबन्ध में मदद देने के लिये कुछ सेना भी जालोर भेजदी। इसी वर्ष की कार्तिक सुदि ९ (२० नवम्बर) को महाराज ने जागीरदारों का झगड़ा तय करने के लिये पोलिटिकल एजैंट के नाम एक पत्र लिखा। उसमें अपनी तरफ़ के पंचों के नाम[3] और जागीरें लौटाने के नियम थे।

वि० सं० १९२९ के आषाढ (ई० स० १८७२ की जुलाई) में जिस समय महाराज आबू पर थे, उस समय कुछ जागीरदारों की मिलावट से द्वितीय महाराज कुमार ज़ोरावरसिंहजी ने नागोर के क़िले पर अधिकार करलिया। इसकी सूचना

१. ये सलामी की १७ तोपें वि० सं० १९२३ (ई० स० १८६७) में महारानी विक्टोरिया की तरफ़ से नियत की गई थीं।

महाराज के नाराज़ होकर अजमेर से लौट आने पर महाराज-कुमार जसवन्तसिंहजी ने गवर्नर-जनरल से मिलकर यह झगड़ा शान्त करदिया।

२. इसी वर्ष तिंवरी के जागीरदार ने अन्य जागीरदारों से मिल कर अपने गांव पर, जो बहुत अरसे से ज़ब्त था, ज़बरदस्ती कब्ज़ा करलिया। परन्तु राज्य की सेना ने पहुँच उसे वहां से भगा दिया।

३ सरदारों में:—

१ पौकरन, २ कुचामन, ३ रायपुर, ४ नींबाज, ५ रीयां और ६ खैरवा के ठाकुरों के और मुसद्दियों में:—

७ मेहता विजैमल, ८ सिंघी समरथराज, ९ हरजीवन, १० पंडित शिवनारायण, ११ मुहता कुंदनमल, और १२ राव सरदारमल के नाम थे।

४. यद्यपि यह महाराज के द्वितीय पुत्र थे, तथापि उनके जोधपुर गोद आने के बाद पहले-पहल इन्हीं का जन्म हुआ था। इसीसे यह राज्य में, अन्य भाइयों से, अपना हक़ विशेष समझते थे। इस मामले में नागोर प्रान्त के खाटू, आगोता और हरसोलाव आदि के ठाकुर भी शरीक़ थे।

पाते ही महाराज और पोलिटिकल एजैंट कप्तान इम्पे लौट कर जोधपुर आए और सावन (अगस्त) में यहां से नागोर गए । पहले तो ज़ोरावरसिंहजी ने इनका सामना करने का विचार किया, परन्तु अन्त में समझाने से वह क़िला छोड़ कर पिता के पास चले आए । इसके बाद महाराज उन्हें लेकर भादों (सितम्बर) में जोधपुर लौटे । नागोर-प्रान्त के जिन जागीरदारों ने महाराज-कुमार का साथ दिया था, वे भी उन (ज़ोरावरसिंहजी) के साथ थे । परन्तु जब उनमें से आगोता के ठाकुर को पकड़ कर क़ैद करदिया गया, तब महाराज-कुमार ज़ोरावरसिंहजी अजमेर चले गए और इसके बाद कुछ दिन तक उन्हें वहीं रहना पड़ा । इसी बीच राजकीय सेना ने जाकर खाटू पर अधिकार करलिया । परन्तु वहां का ठाकुर बचकर निकल गया ।

इसी वर्ष आश्विन (सितम्बर) में महाराज आबू गए और वहां से लौटकर कार्तिक (अक्टोबर) में पाली पहुँचे । इन दिनों आपका स्वास्थ्य ख़राब हो रहा था । इससे गवर्नर-जनरल का एजैन्ट और पोलिटिकल एजैन्ट भी वहां आगए । इसके बाद महाराज ने, कार्तिक वदि १२ (२६ अक्टोबर) को, उनकी सलाह से, महाराज-कुमार जसवन्तसिंहजी को युवराज-पद देकर राज्य-कार्य का प्रबन्ध सौंप दिया[1] । इसके बाद महाराज और महाराज-कुमार जोधपुर चले आए ।

वि० सं० १६२६ की माघ सुदि १२ और १३ (ई० स० १८७३ की ६ और १० फरवरी) को महाराज ने, अपने स्वास्थ्य के अधिक ख़राब होजाने के कारण एक लाख रुपये दान किए और माघ सुदि १५ (ई० स० १८७३ की १२ फरवरी) को महाराजा तखतसिंहजी का, राजयक्ष्मा की बीमारी से, स्वर्गवास होगया ।

यद्यपि महाराजा तख़तसिंहजी बड़े वीर और चतुर थे, तथापि आपके रनवास के साथ और शिकार में अधिक रहने के कारण मंत्रियों को मनमानी करने का मौक़ा मिल जाता था ।

महाराज ने राजपूत जाति में होनेवाले कन्या-वध को रोकने के लिये कठोर आज्ञाएं प्रचलित की थीं, और ऐसी आज्ञाओं को पत्थरों पर खुदवाकर मारवाड़ के तमाम क़िलों और हकूमतों के द्वारों पर लगवा दिया था । आप ही के समय जागीरदारों

१. कार्तिक सुदि १४ (१४ नवम्बर) को मेहता विजैसिंह दीवान बनाया गया, और मँगसिर वदि १ (१६ नवम्बर) से महाराज-कुमार जसवन्तसिंहजी ने राज-कार्य करना प्रारम्भ किया ।

के विवाह आदि में दी जानेवाली चारणों आदि की लागें भी नियत की गई थीं। आपने अजमेर के मेओ-कॉलेज की स्थापना के समय उसके लिये एक लाख रुपये प्रदान किए थे।

महाराज ने जोधपुर की गद्दी पर बैठने के बाद बाघा नामक भाट को भी 'लाख पसाव' दिया था।

महाराजा तखतसिंहजी के १० पुत्र थे:—

१ जसवन्तसिंहजी, २ ज़ोरावरसिंहजी[2], ३ प्रतापसिंहजी[3], ४ रणजीतसिंहजी[4], ५ किशोरसिंहजी[5], ६ बहादुरसिंहजी[6], ७ भोपालसिंहजी[7], ८ माधोसिंहजी[8], ६ मोहब्बतसिंहजी[9] और १० ज़ालिमसिंहजी।

इनके अलावा महाराज के १० रावराजा[10] भी थे।

---

१. इनका जन्म वि० सं० १६०० की माघ सुदि ६ (ई० स० १८४४ की २५ जनवरी) को हुआ था।

२. इनका जन्म वि० सं० १६०२ की कार्तिक वदि ६ (ई० स० १८४५ की २१ अक्टोबर) को हुआ था।

३. इनका जन्म वि० सं० १६०३ की चैत्र वदि ३ (ई० स० १८४७ की ५ मार्च) को हुआ था।

४. इनका जन्म वि० सं० १६०४ की भादों वदि ६ (ई० स० १८४७ की ३ सितम्बर) को हुआ था।

५. इनका जन्म १६१० की पौष सुदि १२ (ई० स० १८५४ की ११ जनवरी) को हुआ था।

६. इनका जन्म वि० सं० १६११ की चैत्र सुदि ४ (ई० स० १८५४ की १ अप्रेल) को हुआ था।

७. इनका जन्म १६१३ की आषाढ वदि ६ (ई० स० १८५६ की २४ जून) को हुआ था।

८. इनका जन्म वि० सं० १६१४ की भादों वदि २ (ई० स० १८५७ की ७ अगस्त) को हुआ था।

६. इनका जन्म वि० सं० १६२२ की आषाढ वदि ६ (ई० स० १८६५ की १५ जून) को हुआ था।

१०. १ मोतीसिंह, २ जवाहरसिंह, ३ सुलतानसिंह, ४ सरदारसिंह, ५ जवानसिंह, ६ सांवतसिंह, ७ तेजसिंह (प्रथम), ८ कल्याणसिंह, ६ मूलसिंह और १० भारतसिंह।

महाराज को मकान आदि बनवाने का भी बड़ा शौक़ था। इसी से आपने अनेक नए महल, बग़ीचे, तालाब आदि बनवाए[1] थे।

महाराज ने अनेक गांव भी दान किए[2] थे।

---

१. महाराज के बनवाए क़िले में के स्थानः—

फ़तैमहल के पास का और अमृतबाव के ऊपर का महल, चौकेलाव के मकानात और बाग़, सभामंडप के ऊपर के डेवढी पर के और आमख़ास के महल, चामुंडा का मंदिर और फ़तैपोल से अमृतीपोल तक का क़िले का हिस्सा (यह बिजली से उड़ गया था, इसलिये पीछा बनवाया गया)।

क़िले की पूर्व की अभयसिंहजी की बनवाई बुर्जों पर भी काम शुरू करवाया गया था, पर शीघ्र ही वह बन्द कर दिया गया।

महाराज के बनवाए नगर में के स्थानः—

रानीसर, पद्मसर, गुलाबसागर और फ़तैसागर के पट्टे (दीवारें) और उनकी नहरों का विस्तार। बाईजी के तालाव का पैंदा (पहले इसमें पानी बिलकुल ही नहीं ठहरता था)। उस तालाव की दीवारें और (मसूरिये तक की) नहर।

गुलाबसागर पर के राजमहल, मंडी की घाटी का चबूतरा, गंगश्यामजी के मन्दिर के नीचे की पूर्व की तरफ़ की दूकानें, मंडी में का सायर का मकान और कोतवाली के मकानात।

महाराजा के बनवाए नगर के बाहर के स्थानः—

विद्यासाल, बालसमन्द और छैलबाग़ के महल, मंडोर में का मानसिंहजी का थड़ा (स्मृति-भवन), कायलाने के महल और उधर के तख़तसागर वग़ैरा तीन तालाव।

बीजोलाई, नाडेलाव, माचिया, जालिया, रामदान का बाड़िया, तख़तसागर, भींवभिड़क, मनरूप का बाड़िया, मीठी नाडी, फूलबाग़ आदि अनेक स्थानों पर के मकानात और मंडोर और कायलाने आदि की सड़कें।

इनकी रानी जाडेजीजी ने बालसमंद के पास देरावरज़ी के तालाब पर महल और बाग बनवाया था।

इनकी परदायत मगराज ने नागोरी दरवाज़े के बाहर और लछराज ने जालोरी दरवाजे के बाहर अपने-अपने नाम पर बावलियां बनवाई थीं, और इनकी माता चावड़ीजी ने तबेले के सामने फ़तैबिहरीजी का मन्दिर बनवाया था।

२. १ थबूकड़ा, २ देईजर, ३ लपा का खेड़ा (जोधपुर परगने के) नाथों को; ४ बुडकिया, (जोधपुर परगने का) भाटों को और ५ पोपावास (जोधपुर परगने का) चारणों को।

३४ महाराजा जसवन्तसिंहजी (द्वितीय)

यह महाराजा तख़्तसिंहजी के बड़े पुत्र थे, और उनका स्वर्गवास होने पर, वि० सं० १९२९ की फागुन सुदी ३ (ई० स० १८७३ की १ मार्च) को, जोधपुर की गद्दी पर बैठे[1]। इनका जन्म वि० सं० १८९४ की आश्विन सुदि ८ (ई० स० १८३७ की ७ अक्टोबर) को अहमदनगर में हुआ था।

वि० सं० १९३० के वैशाख (ई० स० १८७३ के अप्रेल) में इन्हों ने राज्य-प्रबन्ध और प्रजा के सुभीते के लिये एक 'ख़ास महकमा[2]' क़ायम किया; और मुंशी फ़ैज़ुल्लाख़ाँ को अपना मंत्री बनाया। इसी समय से दीवान और बख़शी के ज़बानी हुक्मों से राज्य-कार्य के संचालन की प्रथा उठा दी गई और दीवानी[3],

---

१. वि० सं० १९२९ की फागुन सुदि १० (ई० स० १८७३ की ८ मार्च) को गवर्नमैंट ने महाराज की गद्दीनशीनी का ख़रीता भेजा। 'राजपूताने के गज़ेटियर' में ई० स० १८७३ की ८ मार्च को महाराजा जसवन्तसिंहजी का राज्याभिषेक होना लिखा है। यह ठीक नहीं है। (राजपूताना गज़ेटियर, भा० ३ ए, पृ० ७४।)

इसी वर्ष की फागुन सुदि ११ (९ मार्च) को जयपुर-नरेश रामसिंहजी जोधपुर आए।

२. पहले इस महकमे का नाम 'महकमा मुसाहबत' रक्खा गया था। परंतु वि० सं० १९३३ (ई० स० १८७६) में इसका नाम बदलकर 'महकमा आलिया' और वि० सं० १९३५ (ई० स० १८७८) में 'महकमा आलिया प्राइम मिनिस्टर' कर दिया गया। कुछ वर्ष बाद यह महकमा 'महकमा ख़ास' कहाने लगा।

३. यह अदालत, वि० सं० १८९६ (ई० स० १८३९) में रैज़ीडेन्सी क़ायम होने के समय खोली गई थी। इसके बाद वि० सं० १९०० (ई० स० १८४३) तक तो इसका काम रेज़ीडेन्सी (सूरसागर) में ही होता रहा, परंतु महाराजा तख़्तसिंहजी के गद्दी बैठने पर इसका दफ़्तर वहां से उठा कर शहर में लाया गया। उस समय इस अदालत के इख़्तियारात बढ़ाने के साथ ही अभियोगों की मियाद के नियम भी बनाए गए। इसी साल ब्राह्मणों, चारणों और पुरोहितों आदि के अभियोगों का निर्णय करने के लिये 'अदालत षट्दर्शन' के

फ़ौजदारी और अपील की अदालतों का फिर से सुधार किया गया।

नाम से एक नई अदालत क़ायम की गई। इस समय तक मुक़द्दमों का सारा काम ज़बानी होता था। केवल मुद्दई और मुद्दायले का कुछ हाल एक बही में लिख लिया जाता था, और फ़ैसला रोज़नामचे में दर्ज होजाता था। परन्तु इस वर्ष से लिखित कारवाई शुरू की जाकर मिसलें आदि बनाई जानें लगीं।

वि० सं० १९३० (ई० स० १८७३) तक अदालतों का सब काम हिन्दी में होता था, परन्तु वि० सं० १९३१ (ई० स० १८७४) से वह उर्दू में होने लगा। अन्त में वि० सं० १९३७ (ई० स० १८८०) में उर्दू-लेखकों की लेखन-प्रणाली की शिकायतें होने से, उनके स्थान पर फिर से हिन्दी-लेखक रक्खे गए, और महकमों का काम हिन्दी में होने लगा। इससे प्रजा को भी सुभीता होगया।

पहले दीवानी का काम कविराज मुरारिदान को सौंपा गया था। परन्तु वि० सं० १९३८ (ई० स० १८८१) में मेहता अमृतलाल दीवानी अदालत का हाकिम बनाया गया। वि० सं० १९४२-४३ (ई० स० १८८५-८६) में दीवानी का नया क़ानून प्रकाशित किया गया। इससे लेन-देन की मियाद (अवधि) और राज की रसम (फ़ीस) आदि का खुलासा होगया।

१. यह महकमा भी पहले, दीवानी अदालत के साथ, रेज़ीडेन्सी में क़ायम हुआ था, और फिर उसी के साथ शहर में लाया गया। पहले अक्सर जागीरदार लोग इसके हुक्मों की परवा नहीं करते थे। परन्तु वि० सं० १९०५ (ई० स० १८४८) से पंचोली धनरूप ने इसके लिये उन पर दबाव डाला, और वि० सं० १९०६ की मँगसिर बदि ६ (ई० स० १८४९ की ६ नवम्बर) को उनसे जागीर की एक हज़ार की आमदनी पर ८० रुपये 'रेख' के भरते रहने का इक़रारनामा लिखवा लिया। इस इक़रारनामे पर पौकरन, आउवा, आसोप, नींबाज, रीयां और कुचामन के सरदारों ने दस्तख़त किए थे।

वि० सं० १९२५ से १९२९ (ई० स० १८६८ से १८७२) तक मारवाड़ में जागीरदारों का उपद्रव रहने के कारण इस अदालत का कार्य फिर शिथिल पड़ गया था। परन्तु महाराजा जसवन्त-सिंहजी (द्वितीय) ने गद्दी पर बैठते ही इसका प्रबन्ध ठीक करने की आज्ञा दी। इस पर वि० सं० १९३८ (ई० स० १८८१) में मोहम्मद मखदूमबख्श इसका हाकिम बनाया गया, और उसी समय इसके लिये क़ायदे और क़ानून भी बना दिए गए। वि० सं० १९४२ (ई० स० १८८५) में इस महकमे की आज्ञाओं का पालन करवाने और नगर का प्रबन्ध करने के लिये पुलिस-विभाग की स्थापना की गई; क्योंकि अब तक पुलिस के न होने से उस का काम फौज से ही लिया जाता था। इसके साथ ही फ़ौजदारी के क़ानून में भी फिर संशोधन किया गया।

२. पहले परगनों के हाकिमों के फ़ैसलों की अपीलें दीवान के पास और उस (दीवान) के फ़ैसलों की अपीलें महाराजा के पास होती थीं। महाराजा मानसिंहजी के समय अपील सुनने के लिये दो कर्मचारी नियुक्त थे। इसके बाद महाराजा तख़तसिंहजी ने, वि० सं० १९०० (ई० स० १८४३), में, राज्य-भार ग्रहण करने पर स्वयं बैठ कर अपील सुनने का नियम जारी करदिया। परन्तु फिर कुछ काल बाद इस काम के लिये लाला दौलतमल

वि० सं० १९३० की ज्येष्ठ सुदि ६ (ई० स० १८७३ की १ जून) से चोरों का नियंत्रण करने के लिये रात को एक के बदले दो तोपें दागी जाने की आज्ञा हुई। इस दूसरी तोप के दगने के बाद कोई भी मनुष्य बिना रौशनी साथ में लिए बाहर नहीं निकल सकता था।[1]

महाराज के राज्य-कार्य का भार सम्हालते ही देश का प्रबन्ध बहुत कुछ ठीक हो गया था।[2] इसी से गवर्नमैन्ट की तरफ़ से नियुक्त सिरोही के पोलिटिकल सुपरिन्टैन्डैन्ट ने, वि० सं० १९३१ (ई० स० १८७४) में, जालोर की तरफ़ का पुलिस का प्रबंध फिर से जोधपुर-दरबार को सौंप दिया।[3]

नियुक्त किया गया। इसके बाद वि० सं० १९३० (ई० स० १८७३) तक तो यह काम इसी प्रकार चलता रहा, परन्तु इस वर्ष की वैशाख वदि ५ (ई० स० १८७३ की १७ अप्रेल) से अपील सुनने का काम महाराजा जसवन्तसिंहजी के 'इजलास ख़ास' में होने लगा। अन्त में वि० सं० १९३५ के फागुन (ई० स० १८७९ की फरवरी) में यह काम उस समय के प्रधान-मंत्री महाराज प्रतापसिंहजी को सौंप दिया गया। परंतु कुछ दिन बाद उन्होंने इसके लिये ' महकमा-अपील ' नाम की एक नई अदालत कायम की और महाराज भोपालसिंहजी को उसका हाकिम बनाया। इसके बाद वि० सं० १९३८ (ई० स० १८८१) में यह काम कविराज मुरारिदान को सौंपा गया।

वि० सं० १९३९ की फागुन सुदि ३ (ई० स० १८८३ की ११ मार्च) को पहले-पहल इस महकमे के लिये क़ानून बनाया गया।

१. इनमें की पहली तोप रात के ९ बजे और दूसरी १० बजे छुटा करती थी और इसके बाद नगर के द्वार बंद हो जाते थे।

२. इसी वर्ष गोभावत केसरीसिंह क़िलेदार बनाया गया। इसका पूर्वज फ़तैसिंह अपने भाइयों के झगड़े के कारण अहमदनगर चला गया था। परंतु महाराजा तखतसिंहजी के जोधपुर आने पर उन्हीं के साथ उस (फ़तैसिंह) का पौत्र उदैकरण जोधपुर लौट आया था।

३. यह प्रबन्ध, वि० सं० १९२८ (ई० स० १८७१) में, गवर्नमैन्ट के कहने से उसे सौंपा गया था और साथ ही पोलिटिकल सुपरिन्टैन्डैन्ट की सहायता के लिये जोधपुर की तरफ़ का एक अफ़सर और कुछ सैनिक भी जालोर में रक्खे गए थे। यह प्रबन्ध जालोर और सिरोही की सरहदों के मिली होने से इधर की लुटेरी क़ौमों के उधर जाकर उपद्रव करने की प्रथा को रोकने के लिये किया गया था।

वि० सं० १९३७ (ई० स० १८७९-८०) में उधर की सरहद पर फिर उपद्रव उठा। इस पर महाराज ने उपद्रवियों के मुखिया रेवाड़े के ठाकुर को पकड़वा कर, वि० सं० १९३९ के भादों (ई० स० १८८२ के सितम्बर) में, फांसी दिलवा दी।

इसी वर्ष महाराजा जसवन्तसिंहजी ने, अपने स्वर्गवासी पिता (महाराजा तखतसिंहजी) की अस्थियों को गङ्गा में प्रवाहित करने के लिये दल-बल सहित, हरद्वार की यात्रा की और वहां से आप कलकत्ते जाकर, पौष वदि १३ (ई० स० १८७५ की ५ जनवरी) को, वायसराय से मिले । इसके बाद माघ सुदि ६ (१४ फरवरी) को[1] आप वापस जोधपुर लौट आए । इस यात्रा में आप गया भी गए थे ।

महाराजा को अपनी प्रजा और अपने सरदारों की शिक्षा का भी पूरा ख़याल था । इसीसे सरदारों और राज-वंश के बालकों की शिक्षा के लिये ३६,००० रुपये ख़र्चकर अजमेर के मेओ कालेज में एक बोर्डिङ्ग-हाउस (छात्रावास) बनवाया गया, और उक्त कालेज के लिये मकराने (संगमरमर) का पत्थर मुफ़्त दिया गया ।

वि० सं० १९३२ (ई० स० १८७५) में भारत के वायसराय और गवर्नर जनरल लॉर्ड नॉर्थब्रुक जोधपुर आए । उस समय महाराज ने अपने सरदारों आदि को निमंत्रित कर बड़ा उत्सव किया[2] ।

इसी वर्ष सर्दारों आदि के लड़कों की तालीम के लिये जोधपुर में ठाकुरों के स्कूल की स्थापना की गई ।

इसके बाद वि० सं० १९३२ की पौष बदि ११ (ई० स० १८७५ की २३ दिसम्बर) को उस समय के प्रिंस ऑफ़ वेल्स[3] हिन्दुस्थान में आए । इस पर महाराज भी अन्य मुख्य-मुख्य नरेशों की तरह लॉर्ड नॉर्थब्रुक के निमंत्रण पर कलकत्ते गए । वहां पर यथानियम महाराजा ने प्रिंस ऑफ़ वेल्स की और उसने इनकी अभ्यर्थना की । इसी वर्ष की पौष सुदि ५ (ई० स० १८७६ की १ जनवरी) को प्रिंस ऑफ़ वेल्स के भारत में आने के उपलक्ष में कलकत्ते के क़िले में एक दरबार किया गया । वहां पर प्रिंस ऑफ़ वेल्स ने स्वयं अपने हाथ से महाराज को जी. सी. एस. आइ. के पदक से भूषित किया, और भारत सरकार के 'वैदेशिक-सचिव' (फ़ॉरिन सेक्रेटरी) ने खड़े होकर महाराज के 'ग्रान्ड कमान्डर ऑफ़ दि स्टार ऑफ़ इन्डिया' बनाए जाने की घोषणा की ।

---

१. इस यात्रा में करीब तेतीस हज़ार रुपया ख़र्च हुआ था ।

२. इसके उपलक्ष में नगर में जो रौशनी की गई थी, उसे आज भी यहां के लोग 'लाट-दिवाली' के नाम से स्मरण किया करते हैं । इसी अवसर पर महाराज ने शहर के प्रबन्ध से प्रसन्न होकर रावराजा मोतीसिंह को 'बहादुर' का ख़िताब दिया ।

३. यही बाद में बादशाह ऐडवर्ड सप्तम के नाम से ब्रिटिश-राज-सिंहासन पर बैठे थे ।

वि० सं० १८३३ की आषाढ सुदि १२ (ई० स० १८७६ की ३ जुलाई) को जोधपुर का राजकीय स्कूल, जोकि अंगरेज़ी भाषा की शिक्षा के लिये खोला गया था, 'हाई स्कूल' बनादिया गया।

वि० सं० १९३३ के भादों (इ० स० १८७६ के अगस्त) में 'महकमा खास' का काम महाराज ने अपने छोटे भ्राता महाराज किशोरसिंहजी को सौंपा।

इसी वर्ष की आश्विन सुदि ४ (ई० स० १८७६ की २१ सितम्बर) को 'स्टाम्प' का क़ानून बना, और कार्त्तिक वदि ४ (७ अक्टोबर) को 'स्टाम्प' का महकमा खोला गया। । ये 'स्टाम्प' सर्कारी छापेखाने में तैयार किए जाते थे।

वि० सं० १९३३ की माघ बदि २ (ई० स० १८७७ की १ जनवरी) को महारानी विक्टोरिया के भारतेश्वरी (Empress of India) की उपाधि ग्रहण करने के उपलक्ष में दिल्ली में एक दरबार होने वाला था। इसलिये महाराज भी गवर्नमैन्ट द्वारा निमंत्रित होकर, अपने दल-बल सहित, वहां पहुँचे और वि० सं० १९३३ की पौष सुदि १२ (ई० स० १८७६ की २८ दिसम्बर) को लॉर्ड लिटन से इनकी मुलाक़ात हुई। उस समय गवर्नमैन्ट की तरफ़ से इनकी सलामी में १७ तोपें दाग़ी गईं और सेना ने सामने आकर फ़ौजी क़ायदे से इनका अभिनन्दन किया। इसके साथ ही 'वैदेशिक-सचिव'

---

१. इनकी और इनके छोटे भ्राताओं की प्रारंभिक-अंगरेज़ी-शिक्षा के लिये वि० सं० १९१९ (ई० स० १८६२) में पंडित अयोध्यानाथ हुक्कू नियुक्त किया गया था।

२. वैसे तो वि० सं० १९३० की सावन सुदि ३ (ई० स० १८७३ की २७ जुलाई) को ही इस विषय के कुछ नियम प्रकाशित किए गए थे, मकानों और खानों के पट्टों और अर्ज़ियों के लिये ' स्टाम्प ' के कागज़ छपवाकर कोतवाली आदि में रखवा दिए गए थे और इसकी देख-रेख का काम पंडित शिवनारायण काक को सौंपा गया था। परंतु उस समय पट्टों के उपयोग में आने वाले कागज़ों के अलावा अन्य 'स्टाम्पों' पर कीमत नहीं छपी होती थी। अदालतों के हाकिम, बेचते समय, उन पर कीमत लिख दिया करते थे। पहले १०० रुपये तक के दावे पर चार आने का ' स्टाम्प ' लिया जाता था। परंतु वि० सं० १९३१ की प्रथम आषाढ सुदि ३ (ई० स० १८७४ की १७ जून) को पचास रुपये तक के दावे पर दो आने का 'स्टाम्प' लेने का नियम कर दिया गया।

वि० सं० १९३२ (ई० स० १८७५) में 'स्टाम्प' का प्रबन्ध मेहता विजयमल को दिया गया। परन्तु वि० सं० १९३३ (ई० स० १८७६) में इसके कायदे-कानून बनाकर इस काम के लिये एक जुदा महकमा कायम किया गया और डड्ढा हरखमल और मुंशी मुबारिकहुसैन उसके अफ़सर बनाए गए।

ने पेशवाई कर इन्हें वायसराय लॉर्ड लिटन के स्थान पर उपस्थित किया। महाराज के वहां पहुँचते ही वायसराय भी तत्काल इनकी अभ्यर्थना को आगे बढ़ा, और इन्हें लेजाकर अपनी दाहिनी तरफ़ बिठाया। कुछ देर आपस में बात-चीत होती रही। इसी बीच दो अंगरेज़-सैनिकों ने जोधपुर के राज-चिह्न से अंकित एक राज-पताका लाकर उपस्थित की। इसके स्वर्ण-डंड पर ब्रिटिश-राज-मुकुट बना था और ध्वजा के पीछे "कैसरे हिन्द" लिखा था। इस पताका के लाए जाने पर वायसराय उठकर आगे बढ़ा और उसने आगे लिखा भाषण कर उसे, महारानी विक्टोरिया की तरफ़ से, महाराज को अर्पण कर दिया:—

"महाराज! आपके वंश के राज-चिह्न से अङ्कित यह पताका स्वयं महारानी की तरफ़ का उपहार है और उनके भारतेश्वरी की उपाधि ग्रहण करने के उपलक्ष में आपको अर्पण किया जाता है। इंगलैंड के सिंहासन और आपके राज-वंश के बीच जो दृढ़ संबन्ध है उसी के आधार पर ब्रिटिश-गवर्नमैन्ट आपके वंश का प्रभाव, सुख, स्वच्छन्दता और स्थिरता चाहती है। महारानी विक्टोरिया का विश्वास है कि जब तक आप इस पताका को फहराते रहेंगे, तब तक अवश्य ही महारानी की स्मृति आपके मार्ग में बनी रहेगी।"

इस पर महाराज ने आगे बढ़ बड़े आदर और मान के साथ उस पताका को ग्रहण किया। इसके बाद लॉर्ड लिटन ने महाराज को एक सुवर्ण का पदक, जिस पर महारानी विक्टोरिया की मूर्ति बनी थी, पहना कर यह भाषण दिया:—

"महाराज! मैंने महारानी और भारतेश्वरी की आज्ञानुसार इस पदक से आपको विभूषित किया है। मैं आशा करता हूं कि आप इसे दीर्घकाल तक धारण करेंगे और इसमें अङ्कित तारीख़ के शुभ-अवसर की याद को बनी रखने के लिये आपके उत्तराधिकारी भी इसे चिरकाल तक पदक-रूप से सुरक्षित रक्खेंगे।"

इसी अवसर पर वायसराय ने व्यक्तिगत—रूप से महाराज की सलामी की तोपें बढ़ाकर १७ के स्थान पर १९ करदीं।

दूसरे दिन (वि० सं० १९३३ की पौष सुदि १४=२९ दिसम्बर) को स्वयं वायसराय महाराज के स्थान पर आकर इनसे मिला। इसके बाद माघ वदि २ (ई० स० १८७७ की १ जनवरी) को महाराज दरबार में सम्मिलित हुए।

इसी अवसर पर मुंशी फ़ैज़ुल्लाख़ाँ को 'ख़ाँ बहादुर' की, मेहता विजयमल को 'राय बहादुर' की, और कुचामन, खैरवा तथा पौकरन के ठाकुरों को 'राओ बहादुर' की उपाधियां मिलीं। इसके बाद महाराज लौटकर जोधपुर चले आए।

वि० सं० १९३४ (ई० स० १८७७) में वर्षा न होने से मारवाड़ में भीषण अकाल पड़ा। (उस समय देश में रेल के न होने से नाज का बाहर से मँगवाना कठिन था।) परन्तु महाराज ने, प्रजा के हित के लिये, इधर-उधर का सारा नाज, जिस भाव से मिल सका उसी भाव से खरीदवा कर, राज्य की तरफ़ से एक रुपये का आठ सेर[1] के भाव से बिकवाया। इससे प्रजा को बड़ी सुविधा हुई।

वि० सं० १९३४ (ई० स० १८७७) में प्रथम महाराज-कुमार का जन्म हुआ[2]।

वि० सं० १९३५ (ई० स० १८७८) में महाराज ने, अजमेर से आबू को जानेवाली, 'राजपूताना मालवा रेल्वे' की शाखा (लाइन) के लिये मारवाड़ की सरहद में की आवश्यक-भूमि विना किसी प्रकार का मूल्य लिए ही देदी[3]।

इसी वर्ष गवर्नमैंट ने महाराज की सलामी की तोपें बढ़ा कर २१ करदीं।

इस वर्ष के भादौं (ई० स० १८७८ के अगस्त) में महाराज ने अपने छोटे भ्राता महाराज प्रतापसिंहजी को 'प्राइम मिनिस्टर' बनाकर राज्य-कार्य को आधुनिक ढंग पर चलाने का प्रबन्ध किया और महाराज किशोरसिंहजी को 'कमाण्डर इन चीफ़' का कार्य सौंपा।

इसी वर्ष महाराज की तरफ़ से उनके छोटे भ्राता महाराज प्रतापसिंहजी अंगरेज़ों की मिशन के साथ काबुल गए। उनकी वहां की कार-गुज़ारी से प्रसन्न होकर महारानी ने उन्हें सी. एस. आइ. की उपाधि से भूषित किया।

वि० सं १९३६ की ज्येष्ठ बदि ३ (ई० स० १८७९ की ८ मई) को महाराजा और अंगरेज़ी सरकार के बीच फिर एक अहदनामा[4] हुआ। इसके अनुसार डीडवाना,

---

१. कहीं-कहीं एक रुपये का दस सेर गेहूँ और जौ बिकवाना लिखा मिलता है।

२. इस अवसर पर जयपुर-नरेश भी जोधपुर आकर उत्सव में सम्मिलित हुए थे। परन्तु शीघ्र ही इन महाराज-कुमार का देहान्त हो गया।

३. इसी वर्ष "इज़लाय गैर" (Foreign Deptt.) की स्थापना की गई, और यह काम महाराजा साहब के 'प्राइवेट सेक्रेटरी' कश्मीरी पंडित शिवनारायण काक को सौंपा गया।

४. ए कलैकशन ऑफ़ ट्रीटीज़ ऐंगेजमैंट्स ऐण्ड सनद्स, भा० ३, पृ० १५६-१६४। यह संधि वास्तव में वि० सं० १९३५ की माघ वदि ११ (ई० स० १८७९ की १८ जनवरी) को की गई थी।

पचपदरा, फलोदी और लूनी के तट पर की (भवातड़े की) नमक की खानों का ठेका भी गवर्नमैंट ने लेलिया, पिचियाक और मालकोसनी की खारी नमक की खानों को छोड़ कर राज्य में के अन्य सारे नमक के दरीबे बंद करवा दिए और पिचियाक और मालकोसनी में सालाना बीस हज़ार मन से अधिक नमक न बनाने का राज्य से वादा लेलिया। परन्तु कलमीशोरा बनाने का हक़ राज्य के अधिकार में ही रहा। इसकी एवज़ में गवर्नमैंट की तरफ़ से जोधपुर-राज्य को वार्षिक ३,९१,८०० रुपये नकद, १०,००० मन उमदा नमक विना मूल्य (पचपदरे के मुक़ाम पर) और २,२५,००० मन अच्छा नमक आठ आने मन तक के हिसाब से दो किश्तों में पचपदरे की और अन्य स्थानों की खानों से देना निश्चित हुआ। इसके अलावा अधिक लाभ होने पर मुनाफ़े का आधा भाग भी राज्य को देने का तय हुआ। इसी प्रकार मारवाड़ के जागीरदारों को हुए नुकसान की एवज़ में १९,५९५ रुपये ५ आने ३ पाई वार्षिक और अन्य भू-स्वामियों को ३,००,००० रुपये एकवार देना निश्चित हुआ। इस संधि के अनुसार गवर्नमैंट की चुंगी दिए विना बाहर से मारवाड़ में नमक का आना या राज्य को मिलने वाले नमक का बाहर जाना बंद करदिया गया और बाहर जानेवाले नमक पर की राज्य की चुंगी भी उठा दी गई। साथ ही गवर्नमैंट ने, इन शर्तों के ठीक तौर से निर्वाह करने के कारण होने वाले अन्य कई तरह के नुकसानों की एवज़ में, महाराज को १,२५,००० रुपये सालाना और भी देना अङ्गीकार किया[1]।

वि० सं० १९३६ की माघ सुदि १ (ई० स० १८८० की ११ फ़रवरी) को महाराज-कुमार सरदारसिंहजी का जन्म हुआ[2]।

वि० सं० १९३७ की फागुन वदि ३ (ई० स० १८८१ की १७ फरवरी) को पहले-पहल मारवाड़ में मर्दुमशुमारी की गई और इसके अनुसार उस समय मारवाड़ की कुल आबादी करीब साढे सत्रह लाख हुई।

वि० सं० १९३८ के श्रावण (ई० स० १८८१ के अगस्त) में महाराज प्रतापसिंहजी ने अपने कार्य से इस्तीफ़ा दे दिया। परंतु अगले वर्ष के आश्विन

---

१. मारवाड़ में पैदा होने वाले नमक का ठेका गवर्नमैन्ट को देने के पहले नमक बनाने और बेचने का काम राज्य के कर्मचारियों की निगरानी में होता था। परन्तु उस समय पांच लाख से अधिक वार्षिक आय कभी नहीं हुई थी।

२. इस अवसर पर भी जयपुर-नरेश महाराजा रामसिंहजी जोधपुर आए थे।

(ई० स० १८८२ के अक्टोबर) में महाराजा जसवन्तसिंहजी ने यह कार्य फिर उन्हें सौंप दिया। उस समय रियासत की आमदनी २० लाख और खर्च ३० लाख के क़रीब था। साथ ही राज्य पर ४०-५० लाख का कर्ज़ा भी होगया था। परन्तु महाराज प्रतापसिंहजी के सुप्रबन्ध से, राज्य की आमद और खर्च का सालाना बजट बनाया जाकर उसी के अनुसार सारा काम होने से, राज्य की आय में बराबर वृद्धि होती गई और कुछ ही दिनों में खर्च से आमद बढ़ गई। इससे राज्य पर का बहुतसा कर्ज़ उतर गया[1] और राज्य-प्रबंध के लिये कई नए महकमे भी खोले गए[2]। वैसे तो उन दिनों मारवाड़ के प्रत्येक प्रान्त में चोरी और डकैती का ज़ोर था, परंतु जालोर गोडवाड़, शिव और साकड़ा आदि के परगनों में मीणे, भील और बावरी आदि जुरायम-पेशा क़ौमों के लोग चोरी-डकैती कर बड़ा उपद्रव किया करते थे। यह देख महाराजा जसवन्तसिंहजी और महाराज प्रतापसिंहजी ने उन परगनों में दौरा कर वहां के मशहूर जुरायम-पेशा लोगों और बाग़ियों को सज़ाएं देने और साधारण जुरायम-पेशा लोगों को खेती के काम पर लगाने का प्रबन्ध किया। इससे जो जुरायम-पेशा लोग पहले तीर और तलवार लिए लूट मार किया करते थे, वेही कुछ दिन बाद हल और बैल लिए खेतों में काम करते दिखाई देने लगे।

मारवाड़ में पहले यदि कोई अपराधी भंयकर अपराध कर किसी ठाकुर के स्थान या महामन्दिर आदि में जाकर बैठ जाता था, तो उक्त स्थान का स्वामी, उसको शरणागत समझ, उसकी मदद पर उठ-खड़ा होता था और इससे अपराधी को दण्ड देना कठिन होजाता था। परंतु इस समय तक अदालतें और क़ायदे-क़ानून बन जाने से यह शरणदान की हानिकारक प्रथा उठादी गई।

---

१. महाराजा तखतसिंहजी ने राज्य की आय बढ़ाने और प्रजा के सुभीते के लिये नगर में कई सरकारी दूकानें खुलवा दी थीं। इनमें आधुनिक बैंकों की तरह देन-लेन का काम होता था। परन्तु इनका प्रबन्ध ठीक न होसकने के कारण, वि० सं० १६२६ (ई० स० १८७३) में, इनका हिसाब इकट्ठा कर आगे सूद पर रुपया देना बंद कर दिया गया और दिया हुआ रुपया वसूल कर ख़ज़ाने में जमा करवाने का हुक्म दिया गया।

२. उसी समय बाक़ियात के महकमें का प्रबन्ध भी ठीक किया गया। यह महकमा रेज़ीडेंसी में रहनेवाले रियासतों के वकीलों की पंचायत द्वारा की गई मारवाड़ के जागीरदारों पर की डिगरियों का रुपया वसूल करने के लिये खोला गया था।

वि० सं० १९३८ (ई० स० १८८१) में जिस समय अजमेर से अहमदाबाद तक की रेल्वे-लाइन बनाने का विचार हो रहा था, उस समय महाराज ने गवर्नमैन्ट को उसके पाली होकर निकालने का लिखा और साथ ही यह भी लिखा कि यदि यह सम्भव न हो तो कम से कम उसकी एक शाखा वहां तक अवश्य बनादी जाय; क्योंकि यह नगर व्यापार की एक अच्छी मन्डी है। परंतु रेल्वे के अफ़सरों ने, खर्च की बचत के लिये, महाराज का यह प्रस्ताव अङ्गीकार न किया और वह लाइन खारची[1] होकर निकाली। इस पर इसी वर्ष के मँगसिर (नवंबर) में महाराज ने, राज्य और प्रजा के फ़ायदे के लिये, जोधपुर से पाली होती हुई खारची तक की अपनी निजी रेल्वे-लाइन बनाने का इरादा किया, और रैज़ीडैंट से सम्मति लेकर राजपूताने के गवर्नर जनरल के एजैंट (ए. जी. जी.) को इस बारे में लिखा। उसने महाराज के इस विचार को पसन्द कर अपने 'पब्लिक वर्क्स' के 'सैक्रेटरी', रॉयल इन्जीनियर कर्नल स्टील, के मारफ़त दो अंगरेज़ों[2] को उस लाइन की नाप (सर्वे) करने के लिये नियुक्त कर दिया। इस प्रकार नाप (सर्वे) हो जाने पर पाली से खारची तक की रेल्वे-लाइन के खर्च के लिये ५ लाख रुपये का तख़मीना किया गया। अन्त में महाराज द्वारा इस ख़र्च के मंज़ूर कर लिये जाने पर, वि० सं० १९३९ की चैत्र सुदि १२ (ई० स० १८८२ की ३१ मार्च) तक, यह लाइन बनकर तैयार हो गई, और आषाढ़ सुदि ८ (२४ जून) को, गवर्नमैन्ट के कन्सल्टिंग इंजीनियर और कर्नल स्टील के निरीक्षण कर लेने पर, आवागमन के लिये खोल दी गई। सावन वदि ९ (९ जुलाई) को 'राजपूताना मालवा रेल्वे' के अफ़सरों से एक संधि हुई। इसके अनुसार खारची (मारवाड़ जंकशन) पर माल और गाड़ियों के एक लाइन से दूसरी लाइन पर लेजाने का प्रबंध हो गया। इसके बाद महाराज ने मिस्टर होम[3] को पाली से लूनी तक की लाइन तैयार करने की आज्ञा दी। मार्ग की नाप (पैमाइश) होने पर इसका तख़मीना ३,५५,४८२ रुपये हुआ। इसके

१. यह स्थान पाली से करीब ७ कोस पर है।

२. इनमें से एक इंजीनियर के छुट्टी लेकर विलायत चले जाने पर वि० सं० १९३९ की वैशाख सुदि ३ (ई० स० १८८२ की २० अप्रेल) को मिस्टर होम रेल्वे का मैनेजर नियत हुआ। यह वि० सं० १९६३ की कार्तिक बदि २ (ई० स० १९०६ की ४ अक्टोबर) तक इस पद पर रहा था।

३. बाद में तामीरात (पब्लिक वर्क्स) का काम भी इसीको सौंपा गया था।

मंज़ूर होजाने पर यह लाइन भी वि० सं० १९४१ के ज्येष्ठ (ई० स० १८८४ की मई) तक बन कर तैयार हो गई। यद्यपि पाली से लूनी तक सीधे मार्ग से लाइन लाने में २१ मील का ही फ़ासला था, परन्तु मिस्टर होम ने मसलहत समझ इसमें ४ मील का घुमाव और देदिया। इससे बाद में पचपदरे की तरफ़ लाइन ले जाने में सुभीता होगया। इसके बाद वि० सं० १९४१ की फागुन बदि १ (ई० स० १८८५ की ३१ जनवरी) तक २,९९,८२४ रुपये ख़र्च कर लूनी से जोधपुर तक की २१ मील की लाइन भी बनादी गई।

पहले मारवाड़ के ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर माल लेजाने पर महसूल (चुंगी) लग जाता था। परन्तु वि० सं० १९३९ (ई० स० १८८२) में यह झगड़ा उठा कर सरहद पर ही चुंगी लेकर रसीद देने का प्रबन्ध कर दिया गया[2]।

पहले ब्राह्मणों, चारनों, भाटों, जागीरदारों और राज-कर्मचारियों के नाम से आनेवाले माल पर चुंगी नहीं लगती थी, परन्तु इसी वर्ष से यह रियायत बंद करदी गई।

---

१. वि० सं० १९४१ के भादों (ई० स० १८८४ के अगस्त) में लूनी से पचपदरे तक की रेल्वे-लाइन बनाने की आज्ञा दी गई, और इसके लिये पहले १०,४९,२०० रुपयों की और बाद में फिर १,००,००० रुपयों की मंज़ूरी हुई।

२. पहले माल पर हासिल के अलावा कुछ अन्य लागें-जैसे मापा, दलाली, चुंगी, आढत, कोतवाली, श्रीजी (दरबार की), क़ानूँगोई, दरबानी, और महसूल गल्ला आदि-भी लगती थीं; और इनके अलावा जागीरदार भी अपनी जागीर के गांवों में निसार और पैसार के हासिल के साथ अनेक तरह की लागें लिया करते थे। परन्तु इस समय से ये सब लागें उठादी गई।

पहले अक्सर यह चुंगी (सायर) का महकमा ठेके पर देदिया जाता था और महसूल की निर्ख़ क़ानूँगो के बतलाए ज़बानी हिसाब पर ही नियत रहती थी। इसी से महाराजा मानसिंहजी और महाराजा तखतसिंहजी के समय तक इस महकमे की आय केवल तीन लाख के करीब रही। परन्तु महाराजा जसवन्तसिंहजी के समय आय में अच्छी वृद्धि हुई। वि० सं० १९३९ (ई० स० १८८२-१८८३) में इस महकमे के नियमों में फिर सुधार किया गया। इसी प्रकार वि० सं० १९४३ (ई० स० १८८६) में मारवाड़ में होकर जाने वाले माल पर की कुछ चुंगी छोड़ दी गई, और वि० सं० १९४७ (ई० स० १८९०) में इसमें पूरी तौर से सुधार किया गया।

जागीरदारों को उनकी तरफ़ से लगने वाली चुंगी (सायर) के बदले कुछ रुपया दिया जाना तय हुआ।

इसके बाद इस (चुंगी के) महकमे के प्रबन्ध के लिये मिस्टर एफ. टी. ह्यूसन[1] बुलवाया गया। इसने इस महकमे में अनेक सुधार किए और साथ ही मापा, कानूँ-गोई, आदि की लागें उठा कर प्रजा के लिये भी सुविधा करदी।

वि० सं० १९३९ (ई० स० १८८२) में अफ़ीम का प्रचार रोकने के लिये उस पर का महसूल ४० रुपये से बढ़ाकर ८० रुपये करदिया गया।

पहले हमेशा से इधर दीवानी और फ़ौजदारी अदालतों की शिकायत थी कि जागीरदार लोग उनकी आज्ञाओं का पालन नहीं करते और उधर जागीरदारों का कहना था कि उक्त अदालतें, उनके दरजे का कुछ भी खयाल न कर, ज़रा-ज़रासी बातों के लिये उनकी तलबी या उनके गांवों की ज़ब्ती का हुक्म निकाल देती हैं। इस पर महाराज ने, वि० सं० १९३९ की प्रथम सावन वदि १३ (ई० स० १८८२ की १३ जुलाई) को, 'कोर्ट-सरदारान' नामक अदालत की स्थापना कर मुंशी हीरालाल को इसका सुपरिन्टैंडैंट और पोकरन, कुचामन, नींबाज, आसोप, रायपुर, खैरवा और रीयां के ठाकुरों को उसका सलाहकार नियत किया। इससे इन सरदारों की सलाह से जागीरदारों के अभियोगों पर विचार होने लगा।

इसी प्रकार पहले सरदारों की जागीर के गांवों की हदबंदी न होने के कारण, हरसाल बरसात में खेती के समय, उनके आदमियों में आपस में मारपीट और झगड़े होते रहते थे। इनको बंद करने के लिये, वि० सं० १९३९ (ई० स० १८८२) में, 'महकमा हदबस्त' क़ायम किया गया और इसका कार्य कैप्टिन डब्ल्यू लॉक[2], एसिस्टैंट रैज़ीडैंट, पश्चिमी-राजपूताना को सौंपा गया। इसने दौरा कर दो वर्षों में सारे झगड़ों का निर्णय कर दिया और इसी के साथ पैमाइश का काम भी जारी किया।

इसी वर्ष महाराज प्रतापसिंहजी ने बरडवा[3] नामक गाँव पर हमला कर वहां के

---

१. वि० सं० १९४३ के सावन (ई० स० १८८६ के अगस्त) में इसका देहान्त होगया। इस पर इसकी यादगार क़ायम रखने के लिये नए बनवाए गए राजकीय अस्पताल का नाम 'ह्यूसन अस्पताल' रक्खा गया।

यह शफ़ाख़ाना विना किसी प्रकार की फ़ीस के सर्व साधारण की डाक्टरी तरीके से चिकित्सा करने के लिये बनाया गया था। मिस्टर ह्यूसन के नाम पर लड़कियों की शिक्षा के लिये एक स्कूल भी खोला गया था।

२. कुछ समय बाद पंडित बधावाराम इसका नायब बनाया गया।

३. राजपूताना गज़ेटियर, भा० ३ ए, पृ० ७४।

बाग़ियों को सज़ा दी। इससे जयपुर की तरफ़ की सरहद का झगड़ा मिट गया। इसी साल राजकीय सेना ने सराई जाति के मुसलमान लुटेरों पर आक्रमण कर उन्हें हराया। उनमें से बहुत से इस आक्रमण में मारे गए और उनके गांव बोयात्री[1] पर राज्य का अधिकार हो गया।

'कोर्ट-सरदारान' में नियुक्त उपर्युक्त सरदारों के समय पर विचार में संयुक्त न होने के कारण बहुधा काम में गड़-बड़ होती थी, इससे वि० सं० १९४० के भादों (ई० स० १८८३ के सितम्बर) में, गवर्नमैंट से मांग कर, मुंशी हरदयालसिंह[2] को इस महकमे का अध्यक्ष बनाया[3] और उसे इसके कार्य-संचालन का पूरा-पूरा अधिकार दे दिया[4]।

इसी वर्ष रावराजा तेजसिंह (प्रथम) नायब 'मुसाहिब आला' बनाया गया।

उन दिनों मारवाड़ में मीणे, भील, बावरी, आदि जुरायम-पेशा क़ौमों का फिर से बड़ा उपद्रव होने से उनको खेती के काम पर लगाने के लिये, वि० सं० १९४० के आषाढ (ई० स० १८८३ के जुलाई) में, परगनों के हाकिमों और सुपरिंटैंडैंटों के पास ख़ास तौर से आज्ञाएं भेजी गईं और साकड़े और सनवाड़े के लूट खसोट[5] करने वाले राजपूतों को मार्ग पर लाने के लिये मुंशी फैज़ुल्लाख़ाँ रवाना किया गया। उसने वहां जाकर उनके

---

१. कहीं कहीं इसका नाम भवातड़ा लिखा मिलता है।

२. यह पहले पंजाब में 'ऐक्स्ट्रा ऐसिस्टैंट कमिश्नर' था।

३. कुछ समय बाद पंडित जीवानंद इस अदालत का नायब अफ़सर बनाया गया।

४. इसी वर्ष यह मुसाहिब-आला का 'होम सैक्रेटरी' बनाया गया। महाराजा साहब के 'प्राइवेट सैक्रेटरी' का काम पंडित शिवनारायण काक करता था और पौकरन ठाकुर मंगलसिंह प्रधान तथा राय बहादुर मेहता विजयमल दीवान था। हवाले (Land Revenue) और रेख आदि की राज्य की आमदनी का तथा जमा-ख़र्च का प्रबन्ध दीवान की निगरानी में होता था।

५. वि० सं० १९४० (ई० स० १८८३-८४) में ९२ डकैतों को और अगले दो वर्षों में ९५ डकैतों को सजाएं दी गईं। इसी प्रकार वि० सं० १९४० से १९४७ (ई० स० १८८३ और १८९०) तक १९८ पुराने डकैतों ने अपने अपराध स्वीकार कर महाराज से क्षमा मांगी और महाराज ने भी आगे के लिये नेक-चलनी की और बुलावाने पर हाज़िर हो जाने की ज़मानतें लेकर उनका अपराध क्षमा कर दिया। साथ ही ऐसे लोगों के लिये विशेष तौर से खेती करने की सुविधा कर देने से देश में का बहुतसा उपद्रव मिट गया।

मुखियाओं को पकड़ लिया और उनके अनुयायियों से नेक-चलनी की जमानतें लेकर उन्हें वहीं (अपने-अपने गावों में) बसा दिया। इसके बाद उनकी देखभाल के लिये साकड़े में हकूमत क़ायम की जाकर एक हाकिम भेजा गया।

वि० सं० १९३९ (ई० स० १८८२) में लोयाने (भीनमाल परगने) का राना सालसिंह[1] बाग़ी हो गया। उसका गांव पहाड़ के पास होने से आस-पास के मीणा, भील आदि जुरायम-पेशा लोग उसे अपना मुखिया समझते थे और वह भी समय पर उनकी सहायता किया करता था। इसीसे उक्त राना पर अनेक अभियोग लगे हुए थे। परंतु जब उसने समझाने पर भी राज्य की आज्ञाओं का पालन करना स्वीकर नहीं किया, तब महाराज प्रतापसिंहजी ने, सेना लेकर, उस पर चढ़ाई की। यद्यपि इस चढ़ाई में राना पकड़ा गया, तथापि कुछ काल बाद १०,००० की जमानत देने पर (इसमें से ५,००० हरजाने के और ५,००० जुर्माने के थे) वह छोड़ दिया गया। परंतु इन रुपयों की वसूली के लिये लोयाने की जागीर जब्त करली गई और ठाकुर का लड़का मेओ कालेज, अजमेर में पढ़ने के लिये भेज दिया गया। इसीके साथ वहां के अभियुक्त भीलों को भी क़ैद की सजा दी गई। इस पर राना सालसिंह अपनी जागीर वापस प्राप्त करने के लिये पहले आबू जाकर रैज़ीडैंट से मिला, परंतु उसके इस मामले में हस्तात्तेप करने से इनकार करने पर (वि० सं० १९४० की श्रावन वदि ८ ई० स० १८८३ की २७ जुलाई) को जोधपुर लौट आया। उसकी दशा देख महाराज प्रतापसिंहजी को दया आ गई। इसीसे उन्होंने महाराज से कह कर उसे क्षमा दिलवा दी। परंतु इस पर भी वह आश्विन सुदि १० (११ अक्टोबर) को अपनी जागीर की तरफ़ भाग गया और अपने भाई-बन्धुओं को एकत्रित कर उपद्रव करने का विचार करने लगा।

जैसे ही भीनमाल में रहनेवाले हाकिम ने इस बात की सूचना दरबार में भेजी, वैसे ही महाराज प्रतापसिंहजी सेना लेकर उसे दबाने को रवाना हुए। इसके बाद कार्त्तिक वदि १२ (२७ अक्टोबर) को स्वयं महाराज भी शिकार का विचार कर जालोर की तरफ़ चले और शीघ्र ही रैज़ीडैंट भी आबू से वहां पहुँच गया। महाराज प्रताप के साथ की सेना ने लोयाने के पास के पहाड़ को घेर लिया और मार्ग में की

१. यह देवल राजपूत था।

झाड़ियों को काटकर आगे बढ़ने के लिये सड़क तैयार कर ली। यह देख रानाँ भाग गया और उसके साथवाले महाराज की शरण में चले आए। इस पर महाराज ने भी उनका अपराध क्षमा कर दिया। इसके बाद मँगसिर सुदि ४ (३ दिसम्बर) को महाराज जोधपुर चले आए। परंतु महाराज प्रतापसिंहजी ने लोयाने को उजाड़ कर उसके पास जसवन्तपुरा नाम का दूसरा गांव बसा दियाँ और भीनमाल से हकूमत को उठाकर वहां पर स्थापित कर दिया। इस प्रकार वि० सं० १९४० की फागुन वदि १३ (ई० स० १८८४ की २४ फ़रवरी) तक यह सारा प्रबन्ध कर वह (महाराज प्रतापसिंहजी) जोधपुर चले आए।

इसी वर्ष नगर में आवारा फिरनेवाले कुत्तों को पकड़ने और उनको एक बाड़े में रख कर राज्य की तरफ़ से खाना देने का प्रबन्ध किया गयाँ।

इसी वर्ष जोधपुर और बीकानेर के बीच अपराधियों के लेन-देन के बाबत संधि की गई। यह संधि निजी तौर पर की गई थी। इसलिये विना किसी 'प्रीमाफ़ेसी' केस के ही अपराधियों का आदान-प्रदान होने लगा। परन्तु वि० सं० १९७९ (ई० स० १९२२) में इसमें सुधार किया जाकर 'प्रीमाफ़ेसी केस' का होना लाजमी करार दिया गया।

वि० सं० १९५७ (ई० स० १९००) में जयपुर के साथ भी ऐसी संधि हो गई और बाद में वि० सं० १९८४ (ई० स० १९२७) में इसमें भी सुधार किया गया।

महाराजा मानसिंहजी के समय से उदयपुर और जोधपुर के राज-घरानों के बीच मनोमालिन्य चला आता था। परन्तु महाराजा जसवन्तसिंहजी ने इसे दूर कर दिया। इसी से इनके निमंत्रण पर, वि० सं० १९३६ की फागुन सुदि १० (ई० स० १८८० की २१ मार्च) को, महाराना सज्जनसिंहजी इन से मिलने के

१. वि० सं० १९४१ (ई० स० १८८४) में उसकी मृत्यु हो गई।

२. कुछ काल बाद राना सालसिंह के लड़के को सिणाला, आदि तीन गांव जागीर में दिए गए।

३. हर गरमियों में अक्सर बहुत से आवारा कुत्ते बावले हो कर ६०-६५ आदमियों को काटलिया करते थे और इससे १५-२० आदमियों की मृत्यु हो जाती थी। परंतु कुत्तों के पकड़ने का प्रबन्ध हो जाने से यह आफ़त दूर हो गई। यद्यपि शहर के लोगों ने पहले इस कार्य पर आपत्ति कर दो-तीन दिनों तक बाज़ार की दूकानें बंद रक्खीं, तथापि इसका मर्म समझाने पर अन्त में वे शांत हो गए।

लिये जोधपुर आए। इसके बाद वि० सं० १९४१ की फागुन बदि २ (ई० स० १८८५ की १ फरवरी) को स्वयं महाराज भी उदयपुर जाकर महाराना फतैसिंहजी से मिले। इस प्रकार दोनों राजघरानों के बीच का पुराना मनोमालिन्य दूर होजाने से[1] उदयपुर के महाराना ने अपनी कन्या का विवाह जोधपुर के महाराज-कुमार सरदारसिंहजी से करना तय किया।

वि० सं० १९४१ की वैशाख सुदि ९ (ई० स० १८८४ की ३ मई) को[2] जोधपुर नगर की सफ़ाई के लिये डाक्टर आर्चिबाल्ड ऐडम्स की निगरानी में म्युनिसिपैलिटी क़ायम की गई और नाबालिग जागीरदारों के प्रबन्ध के लिये 'महकमा नाबालिगी' खोला गया। साथही जागीरदारों को उनके दरजे के अनुसार दीवानी और फ़ौजदारी मामले सुनने के अधिकार भी दिए गँए[3]।

इसी वर्ष महाराज ने कलकत्ते जाकर जाते हुए लॉर्ड रिपन से और नवागत लॉर्ड डफ़रिन से मुलाकात की। इस यात्रा में आप किशनगढ़ और अलवर में भी एक-एक दिन ठहरे थे।

इस वर्ष की रिपोर्ट से ज्ञात होता है कि, महाराज प्रतापसिंहजी को राज-कार्य में सहायता देने के लिये राजकर्मचारियों की एक सभा (काउंसिल) बनाई गई और

---

१. वि० सं० १९४१ की कार्तिक सुदि (ई० स० १८८४ के अक्टोबर) में महाराना सज्जनसिंहजी फिर जोधपुर आए।

२. वि० सं० १९४१ (ई० स० १८८४) में जोधपुर-रेल्वे और बँबि बड़ोदा ऐण्ड सैंट्रल इण्डिया रेल्वे के बीच एक दूसरे के माल और मुसाफ़िरों को लेजाने के लिये सन्धि की गई (ए कलैक्शन ऑफ़ ट्रीटीज़ ऐंगेजमैंट्स ऐण्ड सनद्स, भा० ३, पृ० १९४-१९८) इसके बाद वि० सं० १९५८ (ई० स० १९०१) में इसमें कुछ सुधार किए गए।

वि० सं० १९४६ (ई० स० १८८९) में जोधपुर और बीकानेर की सम्मिलित रेल्वे बनाने के नियम बनाए गए और इसके दूसरे वर्ष इसमें कुछ संशोधन किया गया। वि० सं० १९५२ (ई० स० १८९५) में फिर इस रेल्वे के और 'बॉम्बे, बड़ोदा और सैंट्रल इण्डिया रेल्वे' के बीच दूसरी संधि हुई। वि० सं० १९६१ (ई० स० १९०४) में इसमें संशोधन किए गए और इसके बाद भी समय-समय पर इसमें उचित संशोधन होते रहे। इसी प्रकार 'नॉर्थ वैस्टर्न रेल्वे' के साथ भी मुसाफ़िरों आदि को आगे लेजाने के विषय में संधियां की गईं।

३. जागीरदारों के तीन दरजे नियत कर पहले दरजे के जागीरदारों को ६ महीने तक की जेल और ३०० रुपये तक का जुरमाना करने का, तथा १,००० रुपये तक के दीवानी मामलों के सुनने का अधिकार दिया गया।

रावराजा तेजसिंह, मेहता विजयसिंह, और पंडित शिवनारायण काक उसके मेंबर (सभासद) और मुंशी हरदयालसिंह उसका सेक्रेटरी (मंत्री) बनाया गया।

पहले अक्सर राज्य की तरफ़ से सरकारी (ख़ालसे के) गांवों की फ़सल के लगान का ठेका (इजारा) देदिया जाता था। इससे प्रजा को बहुत असुविधा होती थी। यह देख महाराज ने इस प्रथा को उठादिया। इसी के साथ मारवाड़ की नाप (सर्वे) की जाकर 'बीघोड़ी' (प्रति बीघे के हिसाब से लगान वसूली की प्रथा) बांधदी[1] गई। इससे पहले जो ज़मीन का लगान नाज के रूप में लिया जाता था, वह अब से रुपयों के रूप में लिया जानेलगा।

पहले राज्य के आय-व्यय का सारा हिसाब सेठों के यहां रहता था[2]। इस से हिसाब की असुविधा के साथ ही राज्य को नुकसान भी होता था। इसलिये वि० सं० १९४२ की वैशाख वदि २ (ई० स० १८८५ की १ अप्रेल) को राज्य के खज़ाने की स्थापना कर उसके नियम आदि बनाए गए[3]। इससे राज्य को बहुत फ़ायदा हुआ।

इसी वर्ष गवर्नमैन्ट ने जोधपुर दरबार के साथ फिर एक अहदनामा[4] किया। इसके अनुसार यद्यपि मेरवाड़े के २१ गांवों पर जोधपुर-दरबार का ही स्वामित्व रक्खा गया, तथापि वहां का प्रबन्ध हमेशा के लिये गवर्नमैन्ट के अधिकार में चला गया[5]।

१. यह कार्य वि० सं० १९६२ (ई० स० १९०५) में समाप्त हुआ था।

२. पहले राज्य के रुपयों का हिसाब अजमेर के सेठ समीरमल के यहां रहता था और जब रुपयों की आवश्यकता होती थी, तब वे उसके यहां से मँगवा लिए जाते थे। इसी प्रकार जब लगान आदि के रुपये आते थे, तब वे उसके पास भेज दिए जाते थे। इस प्रबन्ध के कारण जोधपुर–राज्य को पिछले ११ वर्षों में करीब १८,५०,९३५ रुपये सूद के देने पड़े। परंतु राजकीय ख़ज़ाने के खुल जाने से वि० सं० १९४२ (ई० स० १८८५-१८८६) में राज्य की आय ३९,८२,६०४।।।-)। और व्यय ३४,५१,०९३।।।)।।। होकर पांच लाख से अधिक रुपयों की बचत हुई।

३. इसी साल १ दीवानी, २ गवाही, ३ स्टाम्प, ४ हलफ़, ५ जेल, ६ ठगी-डकैती के अभियोगों, ७ परगनों के हाकिमों के अधिकारों, ८ हाकिमों की परीक्षाओं, ९ हाकिमों के दरजों और उनकी तरक्की और १० नायब हाकिमों आदि के कानून बनाए गए।

४. ए कलैक्शन ऑफ़ ट्रीटीज़ ऐंगेजमेंटस ऐण्ड सनद्स, भा० ३, पृ० १९८-१९९।

५. गवर्नमेंट ने पहले पहल वि० सं० १८८० (ई० स० १८२४) में इन गांवो को, वहां के मीणा और मेर जाति के लोगों के उपद्रव को शांत करने के लिये लिया था और उस समय से ही वहां पर गवर्नमेंट का प्रबन्ध चला आता था।

इसकी एवज़ में गवर्नमैन्ट ने जोधपुर-दरबार को सालाना ३,००० रुपये देना तय किया। इसी के साथ एक शर्त यह भी रक्खी गई कि यदि उन गांवों की आय में से वहां का सारा खर्च बाद देकर कुछ बचत होगी तो उसमें से ४० रुपया सैकड़ा जोधपुर-दरबार को दिया जायगा।

इसी वर्ष जोधपुर-दरबार ने डाकख़ाने के नियमों को स्वीकार कर प्रजा के लिये बाहर के समाचार पाने और अपने समाचार बाहर भेजने की सुविधा करदी।

इसी वर्ष की कार्तिक सुदि ७ (१४ नवंबर) को जनरल हार्डिंज (बंबई का जंगी लाठ) जोधपुर आया और इसके दो दिन बाद कार्तिक सुदि ९ (१६ नवंबर) को स्वयं वायसराय लॉर्ड डफ़रिन जोधपुर पहुंचा। महाराजा ने भी अपने सरदारों और मुसाहिबों के साथ स्टेशन पर जाकर उसका स्वागत किया। उस समय स्टेशन से कैंप (निवासस्थान) तक की सड़क के दोनों तरफ़ पुराने ढंग के जिरह-बख़्तरों से सजे हुए सवार खड़े किए गए[2] थे।

मारवाड़ में पहले आगरे का बना बरफ़ काम में लाया जाता था। परन्तु इसके मँहगे होने के कारण सर्व साधारण इसके उपयोग से वंचित रहते थे। यह देख दरबार ने जोधपुर में अपना निज का बरफ़ का कारखाना खोल दिया। इससे सर्व साधारण के लिये भी सुविधा हो गई। पहले नगर के लोग अधिकतर रानीसागर, गुलाबसागर, और फ़तैसागर नामक तलावों का पानी पिया करते थे। परन्तु गरमियों में अक्सर इनका पानी सूख जाने से जनता को बड़ा कष्ट होता था। इसलिये कुछ समय से बालसमंद नामक बांध से एक नहर बनवा कर जरूरत के समय इनमें से पिछले दो तलावों में पानी भरने का प्रबन्ध किया गया।

कुछ काल से मालगुजारी (हवाले) के महकमे का प्रबन्ध मेजर लॉक (Major W. Loch), ऐसिस्टैंट रैज़ीडैंट, की देख-भाल में होने लगा था। वि० सं० १९४३ (ई० स० १८८६) में मिस्टर ह्यूसन के मर जाने पर सायर, हवाला और सटलमैंट के काम के लिये मिस्टर ई० ए० फ्रेज़र नियुक्त किया गया[3], और मेवाड़ की सरहद के निर्णय

१. इसी वर्ष ठाकुर रणजीतसिंह कोतवाल बनाया गया।

२. इसी अवसर पर (ई० स० १८८६ में) महाराज प्रतापसिंहजी को के. सी. एस. आइ. का पदक मिला। यह पहले सी. एस. आइ. हो चुके थे।

३. इसी वर्ष की रिपोर्ट से ज्ञात होता है कि राज्य की तरफ़ से कानून आदि सिखाने के लिये जो स्कूल खोला गया था, वह अच्छी तरक्की कर रहा था। इसी वर्ष राज्य की तरफ़ से

का काम उदयपुर के रैज़ीडैंट कर्नल वायली को सौंपा गया।

इसी वर्ष राजकीय छापेखाने की, जहां पहले अधिकतर लीथो की छपाई ही होती थी, उन्नति की गई।

वि० सं० १९४३ की भादों सुदि १४ (ई० स० १८८६ की १२ सितंबर) को महाराजा जसवन्तसिंहजी घुड़-दौड़ देखने के लिये पूना गए। इनके वहां पहुँचने पर बंबई-गवर्नमैंट के चीफ़ सैक्रेटरी आदि ने पेशवाई में आकर इनकी अभ्यर्थना की। वहीं पर यह बंबई के गवर्नर लॉर्ड रे (Lord Reay) से और किरकी में ड्यूक ऑफ़ कनाट से मिले।

इसी वर्ष की फागुन वदि ९ (ई० स० १८८७[1] की १६ फरवरी) को महारानी विक्टोरिया के ५० वर्ष राज्य कर चुकने के उपलक्ष्य में 'गोल्डन जुबली' का उत्सव मनाया गया। इसके बाद यही उत्सव लंदन में श्रावण सुदि १ (२१ जुलाई) को किया जाना तय हुआ। इस पर महाराज ने अपने छोटे भ्राता महाराज प्रतापसिंहजी को अपना प्रतिनिधि बनाकर उसमें सम्मिलित होने के लिये भेजा[3]।

वि० सं० १९४४ (ई० स० १८८७) में महाराज ज़ालिमसिंहजी सहकारी मुसाहिब-आला बनाए गए; और राज-कार्य के सुभीते के लिये (१) राओ बहादुर मेहता विजयसिंह, (२) मुंशी हरदयालसिंह, (३) कविराज मुरारिदान, (४) जोशी आसकरन,

---

सरदारों आदि के लड़कों की शिक्षा के लिये (पाउलेट) नोबल्स स्कूल की स्थापना की गई।

१. इसी वर्ष गवर्नमैंट और जोधपुर-राज्य के बीच एक दूसरे के अपराधियों को एक दूसरे को सौंपने के विषय की संधि में सुधार कर जोधपुर-दरबार के अपराधियों को ब्रिटिश-भारत से लेने में ब्रिटिश-भारत में प्रचलित कानून के अनुसार कार्रवाई करना तय हुआ।
ए कलैक्शन ऑफ़ ट्रीटीज़ ऐंगेजमैंट्स ऐण्ड सनद्स, भा० ३, पृ० १६६।

२. यह उत्सव जोधपुर में १७ फ़रवरी को मनाया गया था।

३. महाराज प्रतापसिंहजी वि० सं० १९४४ की चैत्र सुदि १ (ई० स० १८८७ की २५ मार्च) को यहां से रवाना हुए और भादों सुदि ७ (२५ अगस्त) को लौटकर वापस आए।

इस यात्रा में राज्य के १,१०,००० रुपये खर्च हुए थे। इसी अवसर पर (वि० सं० १९४४ की आषाढ़ वदि ३०=ई० स० १८८७ की २१ जून को) महाराज प्रतापसिंहजी को ब्रिटिश-फ़ौज के 'ऑनररी लैफ्टिनैंट कर्नल' का पद मिला, और साथ ही यह प्रिंस ऑफ़ वेल्स के ए. डी. सी. बनाए गए।

(५) मेहता अमृतलाल, (६) भंडारी हनवतचंद, और (७) पण्डित शिवनारायण काक, 'कौंसिल' के 'मैंबर' नियुक्त हुए; तथा पंडित सुखदेवप्रसाद काक को मुसाहिब आला के 'जुडीशल-सैक्रेटरी' का काम सौंपा गया। इसी साल डॉक्टर ऐडम्स की निगरानी में ह्यूसन् अस्पताल खोला गया, आबकारी के महकमे में सुधार किया गया[1], और राज्य की (१) जोधपुर, (२) पाली, (३) सोजत, (४) मेड़ता और (५) नागोर की टकसालों में से मेड़ते की टकसाल बंद करदी गई।

वि० सं० १९४४ की माघ सुदि ७ (ई० स० १८८८ की २० जनवरी) को मारवाड़ राज्य का इतिहास तैयार करने के लिये 'तवारीख़ का महकमा' क़ायम किया गया।

इसके बाद फागुन बदि ६ (ई० स० १८८८ की ३ फ़रवरी) को माइसोर-नरेश[2] जोधपुर आकर महाराज से मिले।

इसके बाद ही जंगलात[3] का महकमा खोला गया। पानी की सुविधा के लिये बाल-समंद तालाव का बांध २० फुट ऊंचा उठाया गया। इसी प्रकार मरुदेश की पानी की कमी को दूर करने के लिये अनेक बांध, और नगरें के तालावों में पानी लाने के लिये नहरें बनवाई गईं। रानीसागर से इंजिन द्वारा पानी चढ़ाकर क़िले पर जलकल लगाई। आवागमन के सुभीते के लिये नागोरी दरवाज़े के मार्ग से क़िले पर जाने के लिये एक सड़क बनवाई गई और नगर के बाहर भी चारों तरफ़ सड़कों का प्रबन्ध किया गया। इसी वर्ष मुंशी हीरालाल 'काउन्सिल' का मैंबर बनाया गया।

वि० सं० १९४५ (ई० स० १८८९) में[5][6] सरदार रिसाले की स्थापना का

---

१. वि० सं० १९४४ की जेठ सुदि १० (ई० स० १८८७ की १ जून) को इसके अनुसार कार्य होने लगा। और नशे की वस्तुओं की बिकरी के लिये 'लाइसेन्स' (आज्ञा-पत्र) का चलन होजाने से उनके प्रचार में थोड़ा-बहुत प्रतिबन्ध लगगया।

२. आपने यहां पर जोधपुर-महाराज के सरकारी अस्तबल के घोड़ों को देख कर उनकी बड़ी प्रशंसा की थी।

३. यह महकमा वि० सं० १९४५ की द्वितीय चैत्र वदि १ (ई० स० १८८८ की २८ मार्च) को खोला गया था। वि० सं० १९४६ के सावन (ई० स० १८८९ की जुलाई) में मारवाड़-राज्य के अन्तर्गत अर्वली पर्वत के हिस्से पर जंगलात क़ायम हुई।

४. पावटे का तालाव भी इसी वर्ष बना था।

५. वि० सं० १९४६ के आषाढ़ (ई० स० १८८९ की जुलाई) में अलवर-नरेश जोधपुर आए।

६. वि० सं० १९४६ (ई० स० १८८९) में ६०० सवारों का पहला रिसाला और वि० सं० १९४८ (ई० स० १८९१) में दूसरा रिसाला तैयार हुआ।

निश्चय किया गया। इस वर्ष की माघ वदि १ (ई० स० १८८९ की १८ जनवरी) को बम्बई के गवर्नर टी. ई. रे और फागुन सुदि १३ (१५ मार्च) को जनरल सर फ्रैडरिक रॉबर्ट्स जोधपुर आए। यहां पर एक रोज़ जिस समय जनरल रॉबर्ट्स-शिकार के लिये सूअर का पीछा कर रहे थे, उस समय उसने उनके घोड़े को ज़ख़्मी करदिया। इससे घोड़ा और सवार दोनों पृथ्वी पर गिर पड़े। ऐसी हालत में सूअर पलट कर जनरल रॉबर्ट्स पर हमला करने ही वाला था, परन्तु महाराज प्रतापसिंहजी ने तत्काल अपने घोड़े से कूद कर सूअर की पिछली टांगें पकड़लीं और उसे पेश-कब्ज़ से मारडाला।

इसी वर्ष एक रेल्वे लाइन जोधपुर से मेड़तारोड होती हुई कुचामन-रोड तक[2],

१. वि० सं० १९४६ के भादों (ई० स० १८८९ के अगस्त) में महाराज ने गवर्नमेंट को इस विषय में एक पत्र लिखा। उसमें जोधपुर-दरबार की तरफ़ से आवश्यकता के समय गवर्नमेंट को एक हज़ार सवारों से सहायता देने के विचार का उल्लेख था। वि० सं० १९५४ (ई० स० १८९७) में उत्तर-पश्चिमी सीमान्त-प्रदेश में काम करने के लिये जोधपुर के रिसाले में चार स्कॉड्रन और भरती किए गए।

कार्तिक (अक्टोबर) में महाराज प्रतापसिंहजी, महाराज-कुमार सरदारसिंहजी को साथ लेकर, जयपुर गए। उस समय वहां पर मवेशियों की लेवा-बेची के लिये एक मेला लगा था और महाराज प्रतापसिंहजी का विचार वहां पर जोधपुर-रिसाले के लिये घोड़े ख़रीदने का था।

२. वि० सं० १९४७ की चैत्र वदि ३० (ई० स० १८९१ की ८ अप्रेल) को जोधपुर से मेड़तारोड तक की, कॉर सुदि १४ (१६ अक्टोबर) को मेड़तारोड से नागोर तक की और मँगसिर सुदि ६ (६ दिसंबर) को नागोर से बीकानेर तक की लाइनें खुल गईं। इनमें कुल मिलाकर २३,६७,७३५ रुपये ख़र्च हुए थे। परंतु इसमें से ८,८१,२२० रुपये बीकानेर के हिस्से में पड़े; क्योंकि बीकानेर की तरफ़ की लाइन में बीकानेर-दरबार का भाग था। [इसके बाद वि० सं० १९८१ की कार्तिक सुदि ५ (ई० स० १९२४ की १ नवम्बर) से यह जोधपुर और बीकानेर राज्यों की संयुक्त-रेल्वे जुदा-जुदा करदी गई।]

इसी साल तारका प्रबन्ध भी किया गया और मेड़तारोड से कुचामनरोड तक तार की लाइन का बनाना निश्चिय हुआ। वि० सं० १९४९ (ई० स० १८९३) में मारवाड़ जंकशन से मेड़तारोड तक एक के बदले दो तारों की लाइन का प्रबन्ध किया गया।

वि० सं० १९५२ (ई० स० १८९५) में बी. बी. एण्ड सी. आइ और (इस) जे. बी. रेल्वे के बीच कुचामनरोड स्टेशन पर के संयुक्त-कार्य और जोधपुर-बीकानेर रेल्वे के यात्रियों आदि को आगे ले जाने के बाबत संधि हुई। इसके बाद इसमें वि० सं० १९६०, १९७१, १९७२, १९७३, १९७४, १९७६, १९७८, १९८१ और १९८२ (ई० स० १९०३, १९१४, १९१५, १९१६, १९१७, १९१९, १९२१, १९२४ और १९२५) में कुछ-कुछ रद्दो-बदल होती रही।

और दूसरी मेड़तारोड़ से बीकानेर तक बनवाने का विचार किया गया[1], तथा सोजत और नागोर की टकसालें बंद करदी गईं ।

पहले जोधपुर-दरबार की तरफ़ से रावरजा सरदारमल राजपूताने के ए. जी. जी. के इजलास का वकील था, परन्तु इस वर्ष बेड़े का कँवर शिवनाथसिंह उसके स्थान पर नियत किया गया और मेहता बखतावरमल के स्थान पर पंचोली मुकनचंद नमक के महकमे का हाकिम बनाया गया ।

वि० सं० १६४६ (ई० स० १८८६) में पण्डित सुखदेवप्रसाद काक 'काउंसिल' का 'मैंबर' नियुक्त हुआ और इसी वर्ष के मँगसिर[2] (नवंबर) में जब महाराज प्रतापसिंहजी बंबई गए, तब राज्य का कार्य 'काउंसिल' के सुपुर्द किया गया । उसी समय पौकरन-ठाकुर मंगलसिंह, कुचामन-ठाकुर शेरसिंह, नींबाज-ठाकुर छतरसिंह, और आसोप-ठाकुर चैनसिंह भी काउंसिल के मैंबर[3] बनाए गए ।

इसी मासके अन्त (दिसंबर) में शिव की तरफ़ का मारवाड़ और जयसलमेर की सरहदों का झगड़ा तय करने का प्रबन्ध किया गया ।

वि० सं० १६४६ की फागुन सुदि ३ (ई० स० १८६० की २२ फरवरी) को उस समय के प्रिंस ऑफ़ वेल्स (His Royal Highness Prince Albert Victor Edward of Wales) का जोधपुर में आगमन हुआ । इस पर महाराजा ने बड़ी धूम-धाम से उनका आदर-सत्कार किया[4] ।

इसी वर्ष राजपूताने के रिसालों का इन्सपेक्टर मेजर ऐस. बीट्सन जोधपुर आया । यही अफसर था जिसने जोधपुर के रिसाले की उन्नति कर उसे एक प्रथम-श्रेणी का आदर्श-रिसाला बनाने में सहायता दी थी ।

वि० सं० १६४७ की चैत्र सुदि (ई० स० १८६० के अप्रेल) में मारवाड़ की मनुष्य-गणना के लिये दुबारा 'मर्दुमशुमारी' का महकमा खोला गया ।

---

१. ए कलैक्शन ऑफ़ ट्रीटीज़ ऐंगेजमैंट्स ऐण्ड सनद्स, भा० ३, पृ० १७०-१७१ ।

२. इसी मास (नवम्बर) में नरसिंह-गढ़ नरेश प्रतापसिंहजी जोधपुर आए ।

३. यह 'काउंसिल' 'इजलास ख़ास' कहाती थी ।

४. इनके लौट जाने पर चैत्र (मार्च) में बून्दी-नरेश जोधपुर आए और इसके बाद वि० सं० १६४७ के वैशाख (अप्रेल) और वि० सं० १६४८ के पौष (ई० स० १८६१ की जनवरी) में फिर इनका यहां आगमन हुआ ।

वि० सं० १९४७ की कार्तिक वदि ८ (ई० स० १८९० की ५ नवंबर) को वायसराय मार्किस ऑफ़ लैन्सडाउन और पौष वदि ८ (ई० स० १८९१ की ३ जनवरी) को रूस का शाहज़ादा (हिज़ इम्पीरियल हाइनैस ग्रांड ड्यूक ज़ारविच ऑफ़ रशिया) जोधपुर आया । राज्य की तरफ़ से इन दोनों का ही यथा-योग्य आदर-सत्कार किया गया ।

मारवाड़ में इस साल कहत (अकाल) था । इससे देश के क्षुधा-पीड़ित लोगों को मज़दूरी पर लगाने के लिये नये काम (रिलीफ़ वर्क्स) खोले गए और रेल्वे द्वारा बाहर से नाज लाने का प्रबन्ध भी किया गया ।

वि० सं० १९४८ की सावन बदि ५ (ई० स० १८९१ की २६ जुलाई) को नगर के 'हाई स्कूल' में तार के काम की शिक्षा देने के लिये एक कक्षा (क्लास) खोली गई [1] ।

इसी वर्ष लैफ़्टिनैंट कर्नल लॉक ने मारवाड़ की बीकानेर की तरफ़ की सरहद का निर्णय कर दिया ।

वि० सं० १९४८ की सावन वदि १२ (ई० स० १८९१ की १ अगस्त) को गवर्नमैंट ने मालानी परगने का सारा प्रबन्ध, कुछ शर्तों पर, जोधपुर दरबार को लौटा दिया, परन्तु फ़ौजदारी मामलों के फैसले करने का इख़्तियार रैज़ीडैंट के अधीन ही रहा । इस पर राज्य की तरफ़ से मुंशी हरदयालसिंह वहां का सुपरिंटैंडैंट नियत किया गया ।

इसी वर्ष की भादों वदि ३ (२२ अगस्त) को बड़ोदा-नरेश और आश्विन सुदि १ (३ अक्टोबर) को बीकानेर-नरेश महाराजा गंगासिंहजी जोधपुर आकर महाराज से मिले ।

फागुन वदि ७ (ई० स० १८९२[2] की २० फ़रवरी) को महाराज-कुमार सरदारसिंहजी का विवाह बूंदी में होना निश्चित हुआ । इस अवसर पर सिरोही, पटियाला, बीकानेर, अलवर, नरसिंहगढ, धौलपुर, झाबुवा, रतलाम, सीकर और खेतड़ी के राजा, कश्मीर और टोंक के राजाओं के भाई तथा जयसलमेर रावलजी के पिता

१. उस समय यह 'दरबार हाई स्कूल' तलहटी के महलों में था ।

२. इसी वर्ष की १ जनवरी को गवर्नमैंट की तरफ़ से मुन्शी हरदयालसिंह और ठगी डकेती के महकमे के सुपरिन्टैन्टैन्ट लाला किशोरीलाल को 'राय बहादुर' के ख़िताब मिले ।

जोधपुर आकर उत्सव में सम्मिलित हुए[1]। इनमें के कुछ नरेश बरात में भी सम्मिलित हुए थे। इसप्रकार महाराज-कुमार सरदारसिंहजी का विवाह, बूंदी-नरेश की बहन के साथ, बड़ी धूम-धाम से संपन्न हुआ।

महाराजा जसवन्तसिंहजी का बरताव अन्य नरेशों के साथ पूर्ण मित्रता का रहता था। इसी से दूर-दूर के नरेश जोधपुर आकर आपका आतिथ्य ग्रहण करते रहते थे, और इसी प्रकार महाराज स्वयं भी कभी-कभी उनसे मिलने जाकर मित्रता का परिचय दिया करते थे[2]।

इसी वर्ष पंडित दीनानाथ[3] काक और कल्ला चतुर्भुज 'काउंसिल' के 'मैंबर' बनाए गए।

वि० सं० १९४९ (ई० स० १८९२) में मेहता सरदारमल[4] 'काउंसिल' का मैंबर और दीवान नियत हुआ।

इसी वर्ष की भादों सुदि १० (१ सितम्बर) को उदयपुर-महाराना फ़तैसिंहजी जोधपुर आए। इस पर महाराज ने बड़े प्रेम से उनका स्वागत किया।

वि० सं० १९४९ के माघ (ई० स० १८९३ की जनवरी) में ऐसिस्टैन्ट रैज़ीडैन्ट लॉक ने मारवाड़ की किशनगढ़ की तरफ़ की सीमा का फ़ैसला करदिया।

इसी प्रकार मारवाड़ के कुछ गांवों को छोड़ कर बाकी के सब गांवों का मामला भी तय होगया।

---

१. वि० सं० १९४९ के आश्विन (ई० स० १८९२ के सितम्बर) में बीकानेर-नरेश यहां आए। (यह महीने भर बाद मेओकॉलेज जाने को फिर इधर से निकले थे)। इसी वर्ष के आश्विन (अक्टोबर) में कोटे के महाराव उमेदसिंहजी और मँगसिर (नवम्बर) में कोल्हापुर-नरेश, भावनगर के महाराज-कुमार और बूंदी-नरेश जोधपुर आए। ये लोग महाराज-कुमार के विवाह समय उपस्थित नहीं हो सके थे, इसीसे बाद में आए थे।

२. वि० सं० १९४९ के कार्तिक (ई० स० १८९२ के अक्टोबर) में महाराज बीकानेर गए और पौष (दिसम्बर के अन्त में) मातमपुर्सी करने को अलवर गए; तथा वहां से लौटते हुए आप एक रोज जयपुर भी ठहरे थे।

३. यह पण्डित शिवनारायण काक का बड़ा पुत्र था और उसके देहान्त के बाद उसके स्थान पर काउंसिल का 'मैंबर', महाराज का 'प्राइवेट सेक्रेटरी' और 'इज़लाय ग़ैर' का हाकिम बनाया गया।

४. इसके पिता मेहता विजयमल का देहान्त होने से यह पद इसे दिया गया था। इसी वर्ष कल्ला चतुर्भुज और ख़ाँ बहादुर फ़ैज़ुल्लाख़ाँ का भी देहान्त हो गया। इस पर कल्ला शिवदत्त 'हवाले' का और मुंशी हमीदुल्लाख़ाँ 'तामील' का सुपरिन्टैंडैंट बनाया गया।

इसी वर्ष की फागुन सुदि १३ (ई० स० १८९३ की २८ फ़रवरी) को ऑस्ट्रिया का शाहज़ादा (His Imperial and Royal Highness the Archduke Franz Ferdinand of Austria) जोधपुर आया । इस पर राज्य की तरफ़ से भी उसका उचित-सत्कार किया गया[१]।

वि० सं० १९५० के वैशाख (ई० स० १८९३ के अप्रेल) में लॉर्ड रॉबर्ट्स जोधपुर आया[२]। उस समय उसके सामने सरदार रिसाले की जो परेड हुई थी, उसका संचालन (कमांड) स्वयं महाराज-कुमार सरदारसिंहजी ने किया था । यद्यपि आपकी अवस्था उस[३] समय केवल १३ वर्ष की ही थी, तथापि आपने यह कार्य इस योग्यता से किया कि स्वयं लॉर्ड राबर्ट्स को आपके कार्य की प्रशंसा करनी पड़ी ।

इसी वर्ष के श्रावण (अगस्त) में उच्चशिक्षा के लिये नगर में 'जसवन्त कॉलेज' की स्थापना की गई । इससे यहां पर 'इलाहाबाद युनीवर्सिटी' की 'एफ. ए.' तक की परीक्षाओं का प्रबन्ध हो गया ।

इस वर्ष रुपये की मांग बढ़ जाने से, भादों सुदि १ (११ सितम्बर) को, बिजैशाही रुपया बनाने के लिये नागोर की टकसाल फिर जारी की गई और कुचामन-ठाकुर को इकतीसंदा रुपया बनाने की आज्ञा दी गई ।

इसी वर्ष के भादों और कॉर (सितम्बर और अक्टोबर) में यहां की पोलो टीम ने पूना में विजय प्राप्त की ।

इसी कॉर (अक्टोबर) में जसवन्तपुरे परगने के देवलों ने उपद्रव उठाया । इस पर महाराज प्रतापसिंहजी ने राजकीय सेना के साथ वहां जाकर उन्हें दबा दिया । इससे उन्होंने अधीनता स्वीकार करली ।

इसी वर्ष के मँगसिर (नवम्बर) में बंबई के गवर्नर जॉर्ज राबर्ट्स कैनिंग बेरन हैरिस, और पौष (ई० स० १८९४ की जनवरी) में इन्दोर के महाराज जोधपुर आए । इसके बाद वि० सं० १९५१ के वैशाख (अप्रेल) में स्वयं महाराज शिकार

१. इसी वर्ष की चैत्र वदि (मार्च) में नांवा (कुचामनरोड) से अजमेर तक की तार की लाइन बनवाने का निश्चय हुआ ।

२. इसी अवसर पर जनरल जॉर्ज व्हाइट और कर्नल ट्रेवर (ए. जी. जी. राजपूताना) भी जोधपुर पहुँचे ।

३. इसी वर्ष पण्डित गंगाप्रसाद मिश्र सुपरिन्टैंडैंट 'दरबार हाई स्कूल' के मर जाने पर पण्डित सूरज-प्रकाश वातल सुपरिन्टैंडैंट 'दरबार हाई स्कूल' और प्रिंसिपल 'जसवन्त कॉलेज' बनाया गया ।

के लिये बूँदी गए[1] और आपके वहां से लौट आने पर इसी वर्ष और भी अनेक राजा-महाराजा श्रीमान् से मिलने जोधपुर आए[2]।

इसी वर्ष राय बहादुर मुंशी हरदयालसिंह के,[3] जो वि० सं० १९४० (ई० स १८८३) में आया था, मर जाने से उसके स्थान पर महाराज-कुमार सरदारसिंहजी मुसाहब आला के 'सैक्रेटरी' बनाए गए और पंडित सुखदेवप्रसाद काक को आपके कागज़ात की देख-भाल सौंपी गई।

इसी वर्ष पंडित जीवानन्द, सिंघी बछराज[4], और पंडित माधोप्रसाद गुर्टू भी 'काउन्सिल' के 'मैंबर' नियत हुए।

इस वर्ष मारवाड़ के परगनों के ६ विभाग किए गए और पण्डित माधोप्रसाद गुर्टू, पंडित नारायणसहाय गुर्टू (यह पहले 'हज़ूरी दफ़्तर' का सुपरिन्टैन्डैन्ट था), मुंशी याग्हाख़ाँ, मुंशी ग़यूर अहमद, पंडित रतनलाल अटल, और पुरोहित शिवलाल उनके सुपरिन्टैन्डैन्ट बनाए गए। इसी वर्ष 'बाउंड्री सैटलमैंट' (हदबंदी) का काम सहकारी मुसाहिब-आला महाराज ज़ालिमसिंहजी को, और 'रिवेन्यू सैटलमैंट' का काम पंडित सुखदेव प्रसाद काक को सौंपा गया। उस समय 'दस्तरी' का हाकिम पंचोली मोतीलाल था।

इसी वर्ष की फागुन सुदि १० (ई० स० १८९५ की ६ मार्च) को जोधपुर में पहले-पहल 'ट्रैवर कैटल फ़ेयर' खोला गया[5]। इसके साथ 'पोलो' और 'पिगस्टिकिंग'

---

१. महाराज फागुन (ई० स० १८९५ की मार्च) में फिर बूँदी गए थे।

२. वि० सं० १९५१ के आषाढ (ई० स० १८९४ की जुलाई) में कोटा नरेश, कार्तिक (अक्टोबर) में अलीपुर के महाराना और अलवर के महाराज और मँगसिर (नवम्बर) में जयसलमेर के महारावल जोधपुर आए। इसी वर्ष बीकानेर-नरेश और सिंध का कमिश्नर मिस्टर जेम्स भी यहां आए थे।

३. इसकी मृत्यु पर इसके पुत्र मुंशी रोडामल को 'कोर्ट-सरदारान' का सुपरिन्टैंडैंट बनाया गया और आसोप का ठाकुर 'जौइंट जज' नियुक्त हुआ। परंतु स्वयं उसके ठिकाने के मामले पेश होने पर उसके स्थान पर नींबाज के ठाकुर को 'जौइंट जज' का काम करने का आदेश दिया गया। इसी अवसर पर पण्डित माधोप्रसाद गुर्टू को, जो पहले जालोर और गोडवाड़ प्रान्तों का सुपरिन्टैंडैंट था मालानी का सुपरिन्टैंडैंट बनाया।

४. यह पहले 'हुक्मनामा' और ज़ब्ती के महकमे का अफ़सर था।

५. यह मेला मंडोर और बाल-समन्द के बीच, नगर से २ कोस उत्तर में, खोला गया था और ६ दिन तक रहा था। इसमें ८,००५ मनुष्य, ७८७ घोड़े, १,४४५ ऊंट, १ हाथी,

(सूअर के शिकार) का प्रबन्ध भी था। इस मवेशियों के मेले में दूर-दूर के जानवर बिकने के लिये आए थे। इसके अलावा बूंदी, कोटा, बीकानेर, अलवर, नरसिंहगढ़ और खेतड़ी के महाराजा; तथा कर्नल ट्रेवर, ए. जी. जी. राजपूताना; कर्नल वायली, रैज़ीडैंट उदयपुर और कर्नल लॉक आदि १२५ अंगरेज़ अफ़सर भी यहां पर एकत्रित हुए थे। इस मेले में लाए गए बढ़िया जानवरों पर, राज्य की तरफ़ से, कई सौ रुपये इनाम दिए गए थे।

इन्हीं दिनों गोडवाड़ के देवड़ा राजपूतों ने बग़ावत शुरू की। इस पर वि० सं० १९५२ की आषाढ सुदि ४ (२६ जून) को स्वयं महाराज प्रतापसिंहजी उनको दबाने के लिये गए और कुछ दिन बाद लौट कर जोधपुर चले आए। परन्तु वहां का उपद्रव पूरी तौर से शान्त न हुआ। इस पर श्रावण वदि १ (७ जुलाई) को फिर वह (महाराज प्रतापसिंहजी) उधर (गोडवाड़ की तरफ़) गए। इस अवसर पर महाराज-कुमार सरदारसिंहजी भी उनके साथ थे। यह देख बहुत से बाग़ी महाराज की शरण में चले आए।

इसके बाद भादों वदि ११ (१६ अगस्त) को उक्त प्रान्त के ३०० गांवों का प्रबन्ध ठीक करने के लिये उनको दो हिस्सों में बांट दिया गया, और दोनों भागों में एक-एक हकूमत कायम करदी गई। अर्थात्- पहले केवल बाली में ही हकूमत थी, परन्तु इस समय से देसूरी में भी हकूमत स्थापित करदी गई।

इसी साल सरदारों आदि के गोद लेने और लोगों के जान बूझकर चोरी की चीज़ ख़रीदने पर उन्हें सज़ा देने के नियम बनाए गए।

वि० सं० १९५२ की कार्तिक वदि ३ (ई० स० १८९५ की ६ अक्टोबर) को महाराजा जसवन्तसिंहजी की तबीयत ख़राब हो गई। इस पर आपने ५,००० रुपये दान किए। इसके बाद बहुत कुछ इलाज किए जाने पर भी कार्तिक वदि ८

९,९७९ बैल, १६ भैंसे और ५२ बकरे बिकने को आए थे। उस अवसर पर मवेशी लाने वालों के लिये घास, लकड़ी, मट्टी के बरतन, और मेखों का प्रबन्ध राज्य की तरफ़ से बिना मूल्य किया गया था।

१. उस समय आज्ञानुसार समय पर मदद न देने से प्याद बख़्शियों से गुढा सुथारों का, सिंघी मुकनराज से गुढा जाटों का, और रावराजा मोतीसिंह से गुढा लासका ज़ब्त कर लिए गए।

(११ अक्टोबर) को महाराजा साहब का स्वर्गवास होगया[1]।

महाराजा जसवन्तसिंहजी (द्वितीय) बड़े गुणी, दानी, शान्त, सरल और प्रजाप्रिय नरेश थे। आपही के समय मारवाड़ का शासन-कार्य पहले-पहल आधुनिक नवीन शैली पर परिवर्तित किया गया था। इस कार्य में महाराजा के छोटे भ्राता महाराज प्रतापसिंहजी ने भी, जो राज्य के मुसाहिब आला (प्रधान मंत्री) थे, बड़ा परिश्रम किया था, और उस समय के गवर्नमैन्ट की तरफ़ के रैज़ीडैंट कर्नल पाउलेट का भी इसमें पूरा सहयोग प्राप्त हुआ था। इस प्रकार योग्य-नरेश, कार्यकुशल-मंत्री, और प्रवीण-सलाहकार के संयोग से मारवाड़-राज्य का प्रबन्ध उन्नत-अवस्था को पहुँच गया।

देश में ३६४ मील रेल्वे लाइन के खुल जाने, तथा तार, डाक, सड़क और सायर (चुंगी) का प्रबन्ध ठीक हो जाने से आवागमन में सुविधा और व्यापार में उन्नति होने लगी। उस समय तक मारवाड़ में करीब १५ (अंगरेज़ी ढंग के) शफ़ाख़ानों के खुल जाने से लोगों की चिकित्सा का बहुत कुछ प्रबन्ध हो गया। इसी प्रकार चेचक के टीके और म्यूनिसिपैलिटि (सफ़ाई) के महकमे का प्रबन्ध हो जाने से बालकों की मृत्यु-संख्या में कमी और जनता के स्वास्थ्य में वृद्धि होने लगी। मारवाड़ की नाप (सर्वे), गांवों की हदबंदी और सरहदों का निर्णय हो जाने, तथा जुरायम-पेशा क़ौमों के खेती के कार्य में लग जाने से चोरी, डकैती और मारकाट भी कम हो गई। साथ ही पुलिस और फ़ौज के प्रबन्ध ने निरंकुश-बाग़ियों और लुटेरों के दिल में राज्य का भय उत्पन्न कर दिया। उस समय सरकारी फ़ौज में ४,६९० और जागीरदारों की जमीअत में २,२४६ जवान थे। देशवासियों की शिक्षा के लिये १ कॉलेज (जिसमें 'इंटर मीजियेट' तक की पढ़ाई होती थी) १ हाई स्कूल, १ संस्कृत स्कूल, १ हिन्दी स्कूल, १ गर्ल्स स्कूल, ६ परगनों के एंग्लो-वर्नाक्यूलर स्कूल, १५ परगनों के वर्नाक्यू-

१. अब तक मारवाड़-नरेशों का दाह-संस्कार जोधपुर से ६ मील पर स्थित मंडोर नामक स्थान पर होता था। परन्तु रत्थी के साथ जाने में होने वाले प्रजा के कष्ट को दूर करने के लिये आप (महाराजा जसवन्तसिंहजी) की इच्छानुसार आपका अन्तिम-संस्कार देवकुण्ड पर किया गया। प्रजाप्रिय महाराज के स्वर्गवास से प्रजा को बड़ा दुःख हुआ और १२ दिनों तक बाज़ार बंद रक्खे गए। इस घटना के कारण बूंदी, किशनगढ़, खेतड़ी, सीकर, कोटा, बीकानेर, उदयपुर, जयपुर और धौलपुर के महाराजाओं और बड़ोदा-नरेश के चचा ने जोधपुर आकर अपना शोक प्रकाशित किया। साथ ही बंबई आदि में रहने वाले मारवाड़ियों ने भी शोक-सभाएं कर अपने सर्व-प्रिय महाराज के स्वर्गवास पर हार्दिक दुःख प्रकट किया।

लर स्कूल और ६ मालानी प्रान्त के वर्नाक्यूलर स्कूल खोले जा चुके थे। इनमें क़रीब १५५० लड़के बिना किसी प्रकार की 'फ़ीस' (शुल्क) के शिक्षा पाते थे और कुछ विद्यार्थियों को राज्य की तरफ़ से वज़ीफ़े (वृत्तियां) भी मिलते थे। इनके अलावा टैलिग्राफ़ का काम सिखलाने के लिये एक अलग क्लास (कक्षा) खोली गई थी।

आवागमन के लिये रेल्वे[1] और सिंचाई के लिये जसवन्तसागर[2] आदि बड़े-बड़े बांधों के बन जाने, तथा हवाला आदि आय के महकमों के प्रबन्ध में उन्नति हो जाने से राज्य की आय भी उत्तरोत्तर बढ़ने लगी थी। वि० सं० १९५२ (ई० स० १८९५-९६) की रिपोर्ट से ज्ञात होता है कि उस वर्ष, साधारण तौर पर बारिश कम होने पर भी, ५७,१०,७२५ रुपयों की आय हुई थी; जो राज्य के साधारण व्यय से ६ लाख के क़रीब अधिक थी। न्याय के लिये क़ानून बन जाने और अदालतों के प्रबंध में सुधार हो जाने से मारवाड़ की २५,२६,२९३ प्रजा को न्याय-प्राप्त करने में सुभीता हो गया था; और न्यायालयों को एक स्थान पर स्थापित करने के लिये नई 'जुबली कोर्ट्स' (कचहरी) बनवाई गई थी।

महाराज को कला-कौशल, कविता और व्यायाम का भी शौक़ था। इसीसे दूर-दूर के कलाविद् और कवि अपनी-अपनी कृतियां लेकर महाराज की सेवा में उपस्थित होते और यथोचित-पुरस्कार प्राप्त करते थे। इसी प्रकार पहलवानों का एक दल भी राज्य से वेतन पाता था।

इन्हीं महाराज के समय राज्य-कवि बारहठ मुरारिदान ने 'यशवन्त यशोभूषण'[3] नामक अलङ्कार के ग्रन्थ की रचना की थी और महाराजा ने उसे कविराजा की उपाधि के साथ ही 'लाख पसाव' दिया था।

---

१. इस समय रेल्वे की आय १०,२०,९७२ रुपये की और व्यय ३,७०,८९१ रुपये का था।

२. यह बांध वि० सं० १९४९ (ई० स० १८९२) में ५,४५,८१५ रुपये की लागत से तैयार हुआ था।

३. इस ग्रन्थ में अलङ्कारों के नाम से ही उनके लक्षण सिद्ध किए हैं, और उदाहरणों में से प्रत्येक प्रथम-उदाहरण में महाराजा जसवन्तसिंहजी का यशोवर्णन किया है। इसके हिन्दी और संस्कृत के दो-दो संस्करण (विशाल और संक्षिप्त) राज्य की तरफ़ से प्रकाशित हुए थे और उपर्युक्त 'लाख पसाव' की आज्ञा वि० सं० १९५० की फागुन वदि १४ (ई० स० १८९४ की ६ मार्च) को दी गई थी।

कहते हैं कि इसी प्रकार आपने लाहोर के डी. ए. वी. कॉलेज के लिये १०,००० रुपया देने के अलावा वि० सं० १९४५ में स्वामी भास्करानन्द के यूरोप और अमेरिका में जाकर आर्यसमाज[1] के सिद्धान्तों का प्रचार करने का सारा खर्च भी दिया था।

महाराजा जसवन्तसिंहजी के महाराज-कुमार[2] का नाम सरदारसिंहजी था।

महाराज ने अनेक गांव जागीर के तौर पर देने के अलावा कुछ गांव दान में भी दिए[3] थे।

---

१. आर्यसमाज के प्रवर्तक स्वामी दयानन्द सरस्वती जोधपुर आकर, महाराज के पास, कुछ समय तक रहे थे।

२. आपके दो रावराजा थे–१ सवाईसिंह और तेजसिंह (द्वितीय)।

३. महाराजने १ खाती खेड़ा (पाली परगने का) राज्य के धर्म के महकमें को, २ रावलास (मेड़ते परगने का) भटों को और ३ ढींकाई (जोधपुर परगने का) चारणों को दिया था।

३५. महाराजा सरदारसिंहजी

यह महाराजा जसवन्तसिंहजी (द्वितीय) के पुत्र थे और उनके स्वर्गवास के बाद, वि० सं० १९५२ की कार्तिक सुदि ७ (ई० स० १८९५ की २४ अक्टोबर) को, जोधपुर की गद्दी पर बैठे[1]। इनका जन्म वि० सं० १९३६ की माघ सुदि १ (ई० स० १८८० की ११ फ़रवरी) को हुआ था।

राव जोधाजी के इतिहास में लिखा जा चुका है कि जिस समय उन्होंने मेवाड़ की सेना को हराकर मंडोर पर अधिकार किया था, उस समय उनके बड़े भ्राता अखैराज ने, उनकी वीरता और योग्यता को देख, तत्काल अपने अंगूठे के रक्त से, उनके ललाट पर राज-तिलक लगा दिया था। तब से राज-तिलक लगाने की वही प्रथा मारवाड़ में चली आती थी। परन्तु महाराजा सरदारसिंहजी के समय इनके चचा महाराज़ प्रतापसिंहजी ने वह प्रथा उठादी। इसीसे बगड़ी के ठाकुर (बैरीसाल) ने इनका

१. इस अवसर पर मूंदियाड़ के बारहठ ने नवाभिषिक्त-महाराजा को आशीर्वाद दिया, और किले से १२५ तोपों की सलामी दाग़ी गई। इसके बाद महाराजा सरदारसिंहजी के 'दौलतख़ाने' में जाने पर उपस्थित नरेशों और नरेशों के प्रतिनिधियों ने क्रमशः निछावरें और नज़रें पेश कीं। अन्त में महाराज 'कँवर-पदे के महल' में जाकर गवर्नमैंट के प्रतिनिधि ऐक्टिंग रैज़ीडैंट मिस्टर मार्टगडेल से मिले। उस दिन समय अधिक होजाने से मारवाड़ के सरदारों और राज-कर्मचारियों आदि की नज़रें दूसरे दिन 'राईकाबाग़' नामक महल में पेश की गईं।

माघ बदि (ई० स० १८९६ की जनवरी) में महाराजा सरदारसिंहजी अपने चचा महाराज प्रतापसिंहजी के साथ जयपुर गए और फागुन बदि (फ़रवरी) में रतलाम जाकर वहां के नरेश के विवाह में सम्मिलित हुए।

इस वर्ष जयसलमेर-नरेश ने अपनी अजमेर-यात्रा के सम्बन्ध में दो वार जोधपुर में ठहर कर महाराज का आतिथ्य स्वीकार किया।

राज-तिलक कुंकुम से किया । इस उत्सव के समय मारवाड़ के सरदारों और राज-कर्मचारियों आदि के सिवा किशनगढ़ और बूंदी के महाराजा, खेतड़ी और सीकर के राजा, और अलवर, जयपुर, कोटा, सिरोही और ईडर नरेशों के प्रतिनिधि आदि भी उपस्थित थे ।

उस समय महाराज की अवस्था १६ वर्ष की थी[1] । इसलिये इनके चचा महाराज प्रतापसिंहजी 'मुसाहिब आला' (रीजैंट) बनाए गए[2] और राज्य का कार्य पुरानी 'काउन्सिल[3]' की सहायता से उनके तत्वावधान में होने लगा ।

वि० सं० १९५३ की चैत्र सुदि ११ (ई० स० १८९६ की २५ मार्च)

---

१. पहले आसोप का ठाकुर चैनसिंह युवक महाराजा का अङ्गरक्षक नियत किया गया और उसके स्थान पर नींबाज का ठाकुर छतरसिंह 'कोर्ट-सरदारान' का सहकारी 'जज' (न्यायाधीश) बनाया गया। परन्तु कुछ काल बाद आसोप-ठाकुर ने अस्वस्थता के कारण अवसर ग्रहण करलिया । इस पर रीयां का ठाकुर विजयसिंह महाराजा के पास रक्खा गया ।

महाराजा सरदारसिंहजी की शिक्षा का काम कैप्टिन ए. बी. मेन (A. B. Mayne) को सौंपा गया । यह सहकारी रैज़ीडैंट का काम भी करता था ।

२. 'मुसाहिब आला' के 'मिलिटरी-सैक्रेटरी' का काम महाराज दौलतसिंहजी को दिया गया।

३. उस समय 'काउन्सिल' में निम्नलिखित 'मैम्बर' थेः-

पोकरन-ठाकुर मंगलसिंह, आसोप-ठाकुर चैनसिंह, कुचामन-ठाकुर शेरसिंह, नींबाज-ठाकुर छतरसिंह, पण्डित सुखदेवप्रसाद काक, मुंशी हीरालाल, कविराजा मुरारिदान, जोशी आसकरन, भंडारी हनवंतचन्द, सिंघी बछराज, पण्डित माधोप्रसाद गुर्टू, पण्डित दीनानाथ काक, मेहता अमृतलाल और पण्डित जीवानन्द ।

इसी वर्ष मुंशी हमीदुल्लाखाँ और मेहता गणेशचन्द 'काउन्सिल' के नए 'मैम्बर' बनाए गए ।

मेहता अमृतलाल के मरने पर उसका पुत्र मेहता पूंजालाल दीवानी का जज नियुक्त किया गया।

पण्डित सुखदेवप्रसाद काक को 'राओ बहादुर' का खिताब मिला ।

मिस्टर टॉड के छुट्टी जाने पर बाबू छोटमल रावत रेल्वे का स्थानापन्न 'ऐसिस्टैंट मैनेजर' बनाया गया और भरतपुर-दरबार के मांगने पर लाला इन्दरमल, जो मेड़ते का हाकिम था, भरतपुर-राज्य के 'सायर' (चुंगी) के महकमे का प्रबन्ध करने के लिये भेजा गया ।

इसी वर्ष सिंघी सूरजमल के मरने पर उसकी जगह उसका पुत्र सुमेरमल 'सायर' (चुंगी) के महकमे का सुपरिन्टैंडैंट नियुक्त हुआ ।

से, प्रतिवर्ष के अनुसार, 'ट्रेवर-फेयर' (मवेशियों का मेला) लगा[1]। इसके साथ ही पोलो और सूअर के शिकार का प्रबन्ध होने से पटियाला, धौलपुर[2], कोटा, रतलाम और सैलाने के राजा और बहुत से अंगरेज़ अफ़सर भी यहां आए[3]।

इस वर्ष कुछ परगनों में अकाल होने के कारण राज्य की तरफ़ से वहां के अकाल-पीड़ितों की सहायता का प्रबन्ध किया गया[4]।

कुछ काल बाद राज-कार्य का अनुभव प्राप्त करवाने के लिये 'हवाले' का सारा काम महाराजा के तत्वावधान में किया जाने लगा और सप्ताह में एक या दो बार आप 'काउंसल' में भी बैठने लगे[5]।

मँगसिर बदि ४ (२४ नवंबर) को भारत का वायसराय लॉर्ड ऐल्गिन् जोधपुर आया। महाराज की तरफ़ से उसका यथोचित सत्कार किया गया और उसी दिन सायंकाल को उसके हाथ से तलहटी के महलों में 'जसवन्त फ़ीमेल हॉस्पिटल' नामक ज़नाने अस्पताल का उद्घाटन करवाया गया। दूसरे दिन स्वयं महाराजा के सेनापतित्व में सरदार रिसाले ने अपनी क़वायद दिखलाई। उस समय की सवारों की फ़ुर्ती और चतुरता को देख लॉर्ड ऐल्गिन बहुत प्रसन्न हुआ। इसके बाद मँगसिर बदि ६ (२६ नवंबर) को उसी के हाथ से 'ऐल्गिन् राजपूत-स्कूल' का उद्घाटन करवाया गया[6]।

---

१. यह मेला वि० सं० १६५३ की वैशाख बदि १ (ई० स० १८६६ की ३० मार्च) तक रहा। उस समय मवेशियों पर लगने वाला निसार का कर माफ़ करदिया गया था और उत्तम पशुओं के लिये उनके स्वामियों को इनाम भी दिया गया था।

२. इस अवसर पर पोलो में विजय प्राप्त करने से उसके लिये रक्खा गया उपहार धौलपुर के महाराना को अर्पण किया गया।

३. इसी वर्ष कचहरी (जुबली कोर्ट्स) के बाज़ू के दोनों भुज बनने प्रारम्भ हुए और स्टेशन से शहर और कचहरी तक बैलों की ट्राम का, आटा पीसने की पवन-चक्की का और महाराजा साहब के बंगले पर बिजली की रौशनी का प्रबन्ध करना निश्चित हुआ। साथ ही चौपासनी का बड़ा ताल भी तैयार करवाया गया।

४. वि० सं० १६५३ की आश्विन सुदि ४ (ई० स० १८६६ की १० अक्टोबर) को ऋतुओं में होने वाले दैनिक परिवर्तनों की जांच के लिये नगर के बाहर एक निरीक्षण-शाला (ऑबज़र-वेटरी) खोली गई।

५. इसी वर्ष आपने प्रजा की हालत जानने के लिये महाराज प्रतापसिंहजी को साथ लेकर पाली परगने का दौरा किया।

६. राजपूत-सरदारों के बालकों की प्राथमिक-शिक्षा के लिये पहले ही 'पाउलट-नोबल्स स्कूल' स्थापित हो चुका था और यहां की शिक्षा-समाप्त कर लेने पर वे, उच्च शिक्षा-प्राप्त करने

इसी वर्ष स्थानीय जसवंत कॉलेज में 'बी. ए.' तक की पढ़ाई का प्रबन्ध होजाने से जनता को उच्च शिक्षा-प्राप्त करने में सुविधा होगई।

पहले चोरी गए माल के मिल जाने पर उसका चौथा हिस्सा राज्य में जमा हो जाता था। परंतु इस वर्ष से यह प्रथा उठादी जाने से प्रजा का बड़ा उपकार हुआ।

इस वर्ष के 'ट्रेवर-फेयर' में बीकानेर और कोटा के महाराजा, खेतड़ी के राजा और जूनागढ़ के साहबज़ादा आदि कई गण्य-मान्य व्यक्ति एकत्रित हुए थे[2]।

वि० सं० १९५४ (ई० स० १८९७) में महारानी विक्टोरिया के ६० वर्ष राज्य कर चुकने के उपलक्ष में लंदन में 'हीरक जुबली' का उत्सव[3] मनाया गया। इस पर महाराज प्रतापसिंहजी वहां जाकर 'इम्पीरियल-सर्विस-ट्रूप्स' (देशी राज्यों की सेनाओं) की ओर से उत्सव में शरीक हुए। वहीं पर आषाढ बदि ८ (२२ जून) को आपको जी. सी. ऐस. आइ. का पदक मिला। साथ ही आपकी योग्यता को देख 'कैम्ब्रिज-यूनीवर्सिटी' ने आपको ऑनररी एल. एल. डी. की उपाधि दी।

के लिये, अजमेर के मेओ कॉलेज में भेज दिए जाते थे। परंतु यह नया स्कूल गरीब राजपूतों के बालकों की शिक्षा के लिये खोला गया था।

१. इसी वर्ष (वि० सं० १९५३) के चैत्र (ई० स० १८९७ के मार्च) में महाराज प्रतापसिंहजी, चांदपोल दरवाज़े के बाहर शिवबाड़ी में किए गए, श्रीमाली ब्राह्मणों के उत्सव में पधारे और उनके जातीय-स्कूल (पाठशाला) के लिये राज्य की तरफ़ से ५,००० रुपये दिए जाने की घोषणा की।

इसी प्रकार वि० सं० १९५४ के भादों (अगस्त) में महाराज प्रतापसिंहजी ने ओसवालों के स्कूल (विद्यालय) का निरीक्षण कर, उसके लिये ७,००० रुपये राज्य की ओर से और २,००० रुपये अपनी तरफ़ से देने का हुक्म दिया।

कायस्थ-स्कूल का उद्घाटन (वि० सं० १९४४=ई० स० १८८७ में) आपके हाथ से होने के कारण उसका नाम 'सर प्रताप स्कूल' रक्खा गया।

इसी प्रकार अन्य अनेक जातीय स्कूलों को भी राज्य से सहायता दी गई।

२. यह मेला वि० सं० १९५३ के पौष (ई० स० १८९६ के दिसम्बर) में हुआ था। परंतु इस साल मवेशी बहुत कम आए। इस अवसर के सिवा इस वर्ष दो बार बीकानेर-नरेश ने, दो बार जयसलमेर-नरेश ने और एकबार खेतड़ी-नरेश ने जोधपुर आकर महाराज का आतिथ्य ग्रहण किया।

३. आषाढ (जून) में यह उत्सव जोधपुर में भी बड़े समारोह के साथ मनाया गया और इसकी यादगार में नगर-वासियों के लिये जो पानी की सुविधा का आयोजन किया गया था, उसका नाम "विक्टोरिया-जुबिली-वॉटर-वर्क्स" रक्खा गया।

इस (वि० सं० १९५४) वर्ष के आश्विन (ई० स० १८९७ के सितंबर) में हिन्दुस्तान की उत्तर-पश्चिमी सीमा पर उपद्रव उठ खड़ा हुआ। इस पर स्वयं महाराज प्रतापसिंहजी, जोधपुर के रिसाले को लेकर, महमंदों पर की चढ़ाई में शरीक हुए और वहां से लौट कर, तिराह पर चढ़ाई करनेवाली अंगरेज़ी-सेना के साथ जाने को, रावलपिंडी पहुँचे। तिराह में, एक रात को शत्रु की चलाई, एक गोली अचानक इनके हाथ में आ लगी। परंतु आपने इसे प्रकट करना आवश्यक न समझा और अपने हाथ से ही घाव पर पट्टी बांध ली। कुछ समय बाद जब यह बात प्रकट हुई, तब जनरल लॉकहार्ट ने अपने खरीते में आपके धैर्य की बड़ी प्रशंसा की। युद्ध समाप्त होने पर आप सरदार-रिसाले के साथ जोधपुर लौट आए। आपकी इस सहायता से प्रसन्न होकर महारानी विक्टोरिया ने कुछ काल बाद आपको 'कंपेनियन ऑफ़ बाथ' और 'ऑनररी कर्नल' बना दिया।[1]

इस वर्ष की माघ वदि ६ (१८९८ की १४ जनवरी) को प्रथम महाराज-कुमार सुमेरसिंहजी का जन्म हुआ। इससे राज्य भर में उत्सव मनाया गया।[2]

वि० सं० १९५४ की फागुन वदि १३ (ई० स० १८९८ की १८ फ़रवरी) को, १८ वर्ष की अवस्था हो जाने पर, राज्य का सारा अधिकार महाराजा सरदार-सिंहजी को सौंप दिया गया[3] और इसी समय गवर्नमैंट ने मालानी परगने का फ़ौजदारी अधिकार भी जोधपुर-दरबार को लौटा दिया।[4]

---

१. यह घटना ई० स० १८९८ की है। इस (C. B.) का पदक आपको लॉर्ड कर्ज़न ने, वि० सं० १९५६ की मँगसिर सुदि ७ (ई० स० १८९९ की ९ दिसम्बर) को, आगरे के दरबार में भेट किया था।

२. इस अवसर पर जोधपुर के क़िले से १२५ तोपें दाग़ी गईं।

३. इस अवसर पर बीकानेर-नरेश गंगासिंहजी भी उत्सव में सम्मिलित हुए थे।
इस समय से सारे 'सैक्रेट्रियट' की देख-भाल करने के लिये पंडित सुखदेवप्रसाद काक 'मुसाहिब आला' का 'सैक्रेटरी' नियत किया गया।

४. गवर्नमैंट ने मालानी का दीवानी अधिकार वि० सं० १९४८ (ई० स० १८९१) में ही जोधपुर दरबार को लौटा दिया था। इस समय तक पुरानी फ़ौजदारी-मिसलों के तय हो जाने और राज्य के प्रबन्ध में समुचित सुधार हो जाने से, वहां का फ़ौजदारी अधिकार भी जोधपुर-राज्य को सौंप दिया। उन दिनों पण्डित माधोप्रसाद गुर्टू उक्त प्रान्त का सुपरिन्टैंडैंट था।

वि० सं० १९५५ की भादों वदि २ (ई० स० १८९८ की ३ अगस्त) को महाराज किशोरसिंहजी का स्वर्गवास हो जाने से उनके स्थान पर उनके पुत्र महाराज अर्जुनसिंहजी जोधपुर की सेना के 'कमांडर इन चीफ़' (मुख्य सेनापति) बनाए गए।

इसी वर्ष कुछ कारणों से मुंशी हमीदुल्लाखाँ 'काउंसिल' की 'मैंबरी' और 'तामील' के महकमे के अध्यक्ष-पद से हटाया गया और रावराजा तेजसिंह (प्रथम) तामील का अध्यक्ष और महाराज दौलतसिंहजी 'ऑनररी' (अवैतनिक) 'काउंसिल-मैंबर' बनाए गऐ।

वि० सं० १९५५ के प्रथम आश्विन (ई० स० १८९८ के सितम्बर) में महाराजा सरदारसिंहजी बूंदी गए और वहां से लौट कर नसीराबाद में आपने पोलो का 'कप' जीता।

इस वर्ष की द्वितीय आश्विन वदि ८ (८ अक्टोबर) को जोधपुर-रेल्वे की 'बालो-तरा-सादीपाली' लाइन बनाने के लिये माइसोर-राज्य से, चार रुपया सालाना सूद पर, साढे पच्चीस लाख रुपया कर्ज़ लेना तय हुआ।

इसके बाद मँगसिर (दिसम्बर) में महाराजा सरदारसिंहजी और महाराज प्रतापसिंहजी दोनों बीकानेर जाकर, महाराजा गंगासिंहजी के राज्य-भार-ग्रहण करने के उपलक्ष में

इस इर्ष दो बार धौलपुर के और एकबार इन्दोर के महाराजा ने जोधपुर आकर महाराजा का आतिथ्य ग्रहण किया, और स्वयं महाराजा सरदारसिंहजी किशनगढ़ जाकर वहां पर किए गए विवाह के जलसे में शरीक हुए।

१. ई० स० १८९८ की १ मई को इसे, महाराजा सरदारसिंहजी को कुछ अस्वास्थ्य-कर वस्तु खिलाने के संदेह में, रेज़ीडैंट की आज्ञा से, मारवाड़ के बाहर जाना पड़ा।

२. इसी वर्ष मेहता गणेशचंद, जो 'काउंसिल' का 'मैंबर' और जवाहरखाना आदि अनेक महकमों का अफ़सर था, मर गया। वि० सं० १९५५ की भादों सुदि १३ (ई० स० १८९८ की २९ अगस्त) में महाराज-कुमार सुमेरसिंहजी ने मालियों की स्कूल का उद्घाटन किया। उस समय राज्य की तरफ़ से उक्त (सुमेर) स्कूल को ५०० रुपये की सहायता दी गई।

३. ए कलैक्शन ऑफ़ ट्रीटीज़ ऐंगेजमैंट्स ऐण्ड सनद्स (१९०९), भा० ३, पृ० २०२-२०३।

वि० सं० १९५७ (ई० स० १९००) में जोधपुर नरेश, बीकानेर-राज्य की काउन्सिल और भारत-गवर्नमैंट के बीच बालोतरे से हैदराबाद (सिंध) तक मीटर-गॉज रेल्वे बनाने के लिये एक संधि हुई।

ए कलैक्शन ऑफ़ ट्रीटीज़ ऐंगेजमैंट्स ऐण्ड सनद्स, भा० ३, पृष्ठ १८१-१८३। इसके बाद इसमें यथा-समय उपयोगी परिवर्तन होते रहे।

४. इस वर्ष बीकानेर-नरेश ने, आबू से अपने राज्य को लौटते हुए, जोधपुर में ठहर कर महाराज का आतिथ्य स्वीकार किया।

किए गए, उत्सव में सम्मिलित हुए और वहां से लौटते हुए दोनों ने प्रजा की हालत जानने के लिये नागोर प्रांत में दौरा किया।[1]

इस वर्ष की चैत्र सुदि (ई० स० १८६६ के अप्रेल) में 'जसवन्त जसोभूषण' नामक ग्रंथ बनाने के उपलक्ष्य में कविराजा मुरारिदान को पांच हज़ार रुपये की रेख के चार गाँव दिए गए[2]।

वि० सं० १९५६ के वैशाख (ई० स० १८६६ की मई) में यहां पर 'रजिस्ट्री' के महकमे की स्थापना की गई[3]।

भादों (सितम्बर) में महाराज भोपालसिंहजी का, जो 'सरदार-इनफैंट्री' के सेनापति थे, स्वर्गवास हो जाने से उनके पुत्र महाराज रतनसिंहजी उनके उत्तराधिकारी हुए।

इस वर्ष सिंघी बछराज 'काउंसिल' की मैंबरी और जागीर-बख़्शी के अध्यक्ष-पद से हटाया गया, और बेड़े का ठाकुर शिवनाथसिंह जागीर-बख़्शी का सुपरिन्टैंडैंट नियत हुआ।

पण्डित जीवानन्द के, जो यहां की 'काउंसिल' का 'मैंबर' था, मण्डी रियासत के वज़ीर बनाए जाने पर, जोधपुर दरबार की तरफ़ से, उसे दो सौ रुपये माहवार की पैन्शन और पैर में सोना पहनने की इज़्ज़त दी गई।

इस वर्ष इधर मारवाड़ में घास की कमी होने और उधर दक्षिणीऐफ्रिका के युद्ध के छिड़ जाने से जोधपुर का रिसाला, मेजर जससिंह की अधिनायकता में, गवर्नमैंट के (नवें लांसर्स) रिसाले, के रिक्तस्थान की पूर्ति के लिये मथुरा भेजा गया[4]

---

१. इस वर्ष मारवाड़ के कई प्रान्तों में वर्षा न होने से अकाल पड़ा। परन्तु दरबार ने शीघ्र ही अकाल-पीड़ितों की सहायता का प्रबन्ध कर प्रजा की रक्षा की।

इस वर्ष की माघ सुदि १३ (ई० स० १८६६ की २३ फ़रवरी) को महाराजा साहब ने, माजी जाडेजीजी की बनवाई, स्टेशन के पास की, सराय की प्रतिष्ठा कर उसे सर्व साधारण के लिये खोल दिया।

२. इन गांवों के बारे में, वि० सं० १९५० में ही, स्वर्गवासी महाराजा जसवन्तसिंहजी (द्वितीय) की आज्ञा हो चुकी थी।

३. इस वर्ष सिरोही के महाराव ने जोधपुर आकर महाराजा से साक्षात्कार किया।

४. इसी वर्ष (ई० स० १९०० की जनवरी में) जोधपुर-दरबार की तरफ़ से ट्रांसवाल के युद्ध में काम देने के लिये कुछ घोड़े भेजे गए। ये वहां से वि० सं० १९५९ (ई० स० १९०२ के जून) में लौट कर वापस आए थे।

और गवर्नमैंट और जोधपुर-राज्य के बीच एक संधि हुई। इसके अनुसार राजकीय रिसाले के युद्ध के लिये मारवाड़ से बाहर जाने पर उसके संचालन का भार अंगरेज़ी-सेना के अफ़सरों को सौंपना निश्चित हुआ।[1]

इस वर्ष मारवाड़ भर में वर्षा न होने से घोर अकाल पड़ा। इसलिये गांवों के लोग अपने-अपने पशुओं को लेकर मालवे की तरफ़ चले। परंतु उस साल उस तरफ़ भी दुर्भिक्ष होने से उन्हें वापस लौटना पड़ा। इस आवागमन में उनके करीब-करीब सारे ही पशु मर गए[2] और अन्नाभाव से स्वयं उनकी दशा भी शोचनीय हो गई। इस अवसर पर राज्य की तरफ़ से स्थान-स्थान पर सरकारी आदमी नियत कर उन लोगों को सुविधा के साथ मारवाड़ में लौटा लाने का प्रबन्ध किया गया। साथ ही पानी के लिये बांध बंधवाने आदि का कार्य शुरू कर, जो लोग मज़दूरी कर सकते थे, उनको उस काम पर लगाया। परंतु जो कमज़ोर, वृद्ध या बालक थे उनके लिये नाडेलावे[3] में भोजन का प्रबन्ध किया गया। इसके अलावा बाहर से नाज और घास मँगवा कर मारवाड़ भर में जगह-जगह दूकानें खुलवा दी गईं और नगर-वासियों के सुभीते के लिये कुँओं और बावलियों से पानी खिंचवा कर पास के हौज़ों में भरवाने का प्रबंध किया गया। इस प्रकार, प्रजा को अकाल के प्रकोप से बचाने के लिये दरबार की तरफ़ से २६,३३,३५४ रुपये खर्च किए गए[4]। इस वर्ष मारवाड़ में नाज और घास की उपज बिलकुल न होने से लाखों रुपयों का नाज और घास बाहर से मँगवाना पड़ा था। इसीसे यहां के चांदी के सिक्के की दर बहुत गिर गई और क़रीब १२४ (जोधपुर के) बिजैशाही रुपये देने पर केवल १०० कलदार रुपये का माल बाहर से आने लगा। इसलिये राज्य को अपना निजका सिक्का ढालना बंद कर मारवाड़ में कलदार रुपये का प्रचलन करना पड़ा[5]।

---

१. ए कलैक्शन ऑफ़ ट्रीटीज़ ऐंगेजमैंट्स ऐण्ड सनद्स, भा० ३, पृ० १८०-१८१।

२. इन मृत-पशुओं की संख्या १४ लाख (अर्थात्-मारवाड़ के कुल मवेशियों की आधी तादाद) तक पहुँची थी।

३. यह स्थान जोधपुर से २ कोस वायव्य-कोण में है।

४. जोधपुर-दरबार ने अकाल और उसके बाद के असर को दूर करने के लिये गवर्नमैंट से ३६ लाख रुपये कर्ज़ लिए थे।

५. वि० सं० १९५७ की वैशाख सुदि २ (ई० स० १९०० की १ मई) से मारवाड़ में कलदार रुपये का प्रचलन हुआ और छ महीने तक राज्य की तरफ़ से, १० रुपये सैंकड़ा बट्टा लेकर, बिजैशाही के बदले कलदार रुपया देने का प्रबन्ध किया गया। इसी के

वि० सं० १९५७ के लगते ही, गरमी की अधिकता के कारण देश में हैज़े का प्रकोप हो गया और दरबार की तरफ़ से हर-तरह का प्रयत्न किए जाने पर भी बहुत से लोग काल-कवलित हो गए। इसके बाद बरसात में, वर्षा की अधिकता के कारण, घास और नाज तो बहुत हुआ, परंतु देश में चारों तरफ़ ज्वर का ज़ोर बढ़ गया।

इन्हीं दिनों 'बक्सर' का युद्ध छिड़जाने से, वि० सं० १९५७ के भादों (ई० स० १९०० के अगस्त) में स्वयं महाराज प्रतापसिंहजी, जोधपुर के सरदार-रिसाले को साथ लेकर, चीन की तरफ गए[3]। वहां पर इस रिसाले ने कई अच्छे वीरता के कार्य किए। इससे प्रसन्न होकर गवर्नमैंट ने, युद्ध-समाप्त होने पर[4], इसे अपने झंडे पर "चाइना १९००"

साथ कुचामन के 'इकतीसंदे' रुपये का चलन भी बंद हो गया। इसके पहले जोधपुर, पाली, सोजत, नागोर और मेड़ते में राज्य की टकसालें थीं। परन्तु मेड़ते की टकसाल में पहले से ही सिक्का बनाना बंद करदिया गया था। इस वर्ष से जोधपुर में ही अधिकतर सोने और ताँबे के सिक्के बनाने का प्रबन्ध रह गया। इसी के साथ कुचामन की टकसाल भी बंद करदी गई।

ऐचिसन् ने अपनी 'ए कलैक्शन ऑफ़ ट्रीटीज़, ऐंगेजमैंट्स ऐण्ड सनद्स (भा० ३ पृ० १४६) में वि० सं० १९५७ की चैत्र वदि ७ (ई० स० १९०० की २३ मार्च) से जोधपुर में कलदार रुपये का जारी होना लिखा है।

इसी वर्ष (ई० स० १९००) में महाराज ने 'जोधपुर-बीकानेर-रेल्वे' द्वारा अधिकृत या आगे अधिकृत होने वाली भूमि का अधिकार गवर्नमैंट को सौंप दिया। परन्तु फिर भी गवर्नमैंट की सम्मति से, कुछ शर्तों पर, उस भूमि पर महाराज का ही अधिकार रहा।

१. वि० सं० १९५७ की वैशाख सुदि ११ (ई० स० १९०० की १० मई) को, ताज़ियों के मेले के समय, मुसलमानों ने अचानक आक्रमण कर पीपलिया-महादेव के मंदिर को तोड़ डाला और वहां के पीपल को भी काट डाला। सम्भव था कि वे और भी उपद्रव करते, परन्तु दरबार की आज्ञा से कप्तान गणेशप्रसाद ने तत्काल घटनास्थल पर पहुँच स्थिति को हाथ में लेलिया।

२. जिस समय आप चीन में थे, उस समय (फागुन सुदि २=ई० स० १९०१ की २० फरवरी को) ईडर-नरेश केसरीसिंहजी का स्वर्गवास होगया। उनके पीछे पुत्र न होने से जैसे ही इस बात की सूचना महाराज प्रतापसिंहजी को मिली, वैसे ही उन्होंने, तार-द्वारा, उस समय के वायसराय लॉर्ड कर्ज़न को उक्त राज्य के विषय में अपने हक़ पर विचार करने के लिये लिखा।

३. यह रिसाला उस समय मथुरा में था और वहीं से सीधा चीन की तरफ़ गया।

४. वि० सं० १९५८ की द्वितीय श्रावण वदि २ (ई० स० १९०१ की २ अगस्त) को महाराज प्रतापसिंहजी, इस युद्ध से लौट कर, जोधपुर आए।

लिखने का सम्मान प्रदान किया और बाद में चीन से छीनी हुई चार तोपें भी भेट कीं।[1]

महाराज प्रतापसिंहजी के युद्ध में चले जाने के बाद राज्य का कार्य एक 'कमेटी' की देखभाल में होता था। इसके सभापति स्वयं महाराजा सरदारसिंहजी और सभासद् (मैंबर) पण्डित सुखदेवप्रसाद काक और कविराजा मुरारिदान थे।

वि० सं० १९५७ की पौष सुदि १ (ई० स० १९०० की २२ दिसम्बर) को बालोतरा से सादीपाली तक की रेल्वे लाइन खुल गई।[2] इससे करांची की तरफ़ जाने का सुभीता हो गया।

पौष सुदि ७ (२८ दिसम्बर) को महाराजा सरदारसिंहजी ने स्थानीय 'मिशन-अस्पताल' का उद्घाटन किया। इस अस्पताल के लिये दरबार की तरफ़ से १६,००० रुपये दिए गए थे।

माघ सुदि २ (ई० स० १९०१ की २२ जनवरी) को सम्राज्ञी विक्टोरिया का स्वर्गवास हो गया।[3] इसपर दरबार की तरफ़ से यथोचित शोक प्रकट किया गया। इसके बाद माघ सुदि ९ (२८ जनवरी) को उनके पुत्र सम्राट् सप्तम ऐडवर्ड के राज्याभिषेक[5] का उत्सव मनाया गया।[4]

वि० सं० १९५७ की फागुन सुदि ११ (ई० स० १९०१ की १ मार्च) की रात को मारवाड़ में तीसरी मनुष्य-गणना की गई।[6]

---

१. ये तोपें ई० स० १९०२ में दी गई थीं।

२. इस सादीपाली लाइन के छोर स्टेशन से उमरकोट छ कोस दक्षिण में है।

३. इस अवसर पर तीन दिनों के लिये दिन और रात में छुटनेवाली तीनों तोपें और बाज़ार बंद रहे, कचहरियों में बारह दिन की छुट्टी की गई, शोक-सूचक एक सौ एक तोपें (मिनट्गन) दाग़ी गई, एक सौ एक क़ैदी छोड़े गए, गुलाबसागर पर अशौच-स्नान का प्रबन्ध किया गया, बारह दिनों के लिये क़िले पर की नौबत बंद रक्खी गई और बारह दिनों तक नगर में उत्सव करने की मनाई करदी गई।

४. इस अवसर पर क़िले से १०१ तोपों की सलामी दाग़ी गई।

अकाल के समय की सेवाओं के उपलक्ष में मिस्टर होम (W. Home) और पंडित सुखदेव प्रसाद काक को कैसरेहिन्द के सोने के पदक और कैप्टिन ग्राण्ट (Grant), मिस्टर ब्रेम्नर (Bremner), पं० ब्रह्मानन्द, मिस् सी. ऐडम्स और नागोर के सेठ रामगोपाल मालानी को चांदी के पदक मिले।

५. सम्राट् सप्तम ऐडवर्ड के राज्याधिकार की घोषणा माघ सुदि ४ (ई० स० १९०१ की २४ जनवरी) को की गई थी।

६. इस कार्य की देख-भाल मीर अहमदहुसैन के ज़िम्मे थी और इस वार मनुष्यों की संख्या १९,३५,५६५ हुई। पहली मरदुमशुमारी वि० सं० १९३७ (ई० स० १८८१)

इस वर्ष स्वास्थ्य ठीक न रहने से महाराजा सरदारसिंहजी जल-वायु-परिवर्तन के लिये नसीराबाद गए और वहां से लौटने पर, वि० सं० १९५८ की वैशाख बदि १२ (१६ अप्रेल) को, सीलोन होते हुए यूरोप जाने के लिये, बंबई की तरफ़ चले। उस समय महाराज प्रतापसिंहजी के चीन में होने से राज्य का भार मेजर अर्सकिन् (K. D. Arskine), रैज़ीडैंट, 'वैस्टर्न राजपूताना' को सौंपा गया और कार्य-संचालन के लिये वही पहलेवाली दो मैंबरों की कमेटी बनादी गई।

इस यात्रा में महाराज ने सीलोन (लंका), स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रिया, फ्रांस और इंगलैंड का भ्रमण किया। आपके वीएना पहुँचने पर ऑस्ट्रिया के बादशाह ने आपका स्वागत किया और लंदन पहुँचने पर आप सम्राट् सप्तम ऐड्वर्ड से मिले[1]। अन्त में आश्विन सुदि ६ (१८ अक्टोबर) को आप लौट कर बंबई पहुँचे और वहां से आबू की तरफ़ होते हुए, कार्तिक बदि ३ (३० अक्टोबर) को, जोधपुर चले आए। इसके बाद आपने फिर राज्यकार्य की देखभाल प्रारम्भ की।

इसी समय कर्नल बीट्सन् (C. B. Beatson), 'इन्सपेक्टर जनरल, इम्पीरियल सर्विस ट्रूप्स', ने यहां आकर रिसाले का निरीक्षण किया।

इस वर्ष जब भारत-गवर्नमैंट ने कलकत्ते में सम्राज्ञी विक्टोरिया की संगमरमर की यादगार[2] बनाने का निश्चय किया, तब जोधपुर दरबार ने उस विशाल-भवन के लिये एक लाख रुपये देने की आज्ञा दी। इसी प्रकार सम्राज्ञी के नाम पर स्थापित संस्था को, जिसका उद्देश्य भारत की स्त्रियों को स्त्री-डाक्टरों की सहायता पहुँचाना था, जोधपुर की महारानी साहिबा ने पांच हज़ार रुपयों की सहायता दी।

में कविराजा मुरारिदान की निगरानी में हुई थी और उस समय मनुष्यों की संख्या १७,५७,६१८ पाई गई थी। दूसरी मरदुमशुमारी वि० सं० १९४७ (ई० स० १८९१) में मुंशी हरदयालसिंह की निगरानी में हुई और उस समय मनुष्यों की संख्या २५,२८,१७८ गिनी गई।

इसी वर्ष कर्नल ऐडम्स (A. Adams) की मृत्यु हुई। इस पर महाराज ने उसके स्मारक के लिये पांच हज़ार रुपये दिए।

१. उस समय तक राजपूताने के नरेशों में से पहले-पहल महाराजा सरदारसिंहजी ने ही लंदन जाकर भारत-सम्राट् से मिलने का सम्मान प्राप्त किया था।

इसी प्रकार वीएना जाकर ऑस्ट्रिया के सम्राट् से मिलने वाले प्रथम भारतीय-नरेश भी आप ही थे।

२. यह यादगार जोधपुर के मकराने के पत्थर (संगमरमर) से बनाई गई थी।

पौष बदि १३ (ई० स० १९०२ की ७ जनवरी) को वायसराय ने, तार द्वारा, महाराज प्रतापसिंहजी के ईडर की गद्दी का हक़दार मान लिये जाने की सूचना भेजी। इस पर माघ वदि ७ (३१ जनवरी) को वह ईडर चले गए। इसके बाद दरबार ने 'मुसाहिब-आला' का पद उठा कर पण्डित सुखदेवप्रसाद काक को 'सीनियर मैंबर' बना दिया। इसी समय पुरानी काउंसिल के स्थान में 'कन्सलटेटिव काउंसिल' (परामर्श देने वाली सभा) की स्थापना की गई। इसमें पौकरन, आसोप और कुचामन के ठाकुर तथा कविराजा मुरारिदान मैंबर थे। परंतु उपर्युक्त तीनों सरदारों में से प्रत्येक सरदार बारी-बारी से वर्ष में केवल चार मास काम करता था। 'ऐसिस्टैंट मुसाहिब आला' का पद 'ऑफिसर इनचार्ज कस्टम्स' में परिवर्तित कर दिया गया, जी. बी. गॉइडर, जो जोधपुर रेल्वे में था, राजकीय ऑडिट के महकमे का प्रबंध ठीक करने के लिये नियुक्त हुआ और कैप्टिन पिन्ने (Pinney) महाराजा का 'प्राइवेट सैक्रेटरी' बनाया गया। साथ ही राज-कर्मचारियों की काट-छाँट की जाने, कई महकमों का काम शामिल कर देने और प्यादबख़शियों के दफ़्तर को उठा देने से राज्य के सालाना ख़र्च में ६९,००० रुपयों की बचत हो गई।

माघ सुदि ७ (१५ फ़रवरी) को महाराजा सरदारसिंहजी 'कैडैट-कोर' की शिक्षा प्राप्त करने के लिये मेरठ गए। इस 'कोर' में सैनिक-शिक्षा के लिये नाम लिखवाने वाले पहले नरेश आप ही थे। आपकी अनुपस्थिति में राज्य का कार्य फिर रैज़ीडैंट की देखभाल में होने लगा।

---

१. ईडर-नरेश महाराजा केसरीसिंहजी की मृत्यु के बाद उत्पन्न हुआ उनका नवजात बालक भी कुछ ही दिन बाद मरगया। इसी से वहां की गद्दी खाली थी।

२. उस समय क़िले परसे १५ तोपों की सलामी दाग़ी गई।

इसी वर्ष गवर्नमैंट ने चीन में दी हुई सहायता के उपलक्ष में महाराजा प्रतापसिंहजी को 'नाइट कमांडर ऑफ़ दि एकज़ॉल्टैड ऑर्डर ऑफ़ बाथ, कैडैट कोर का ऑनररी कमांडैंट और सम्राट् सप्तम-ऐडवर्ड का ऑनररी ए. डी. सी. बनाया। साथ ही आपको बादशाह के आगामी राज-तिलकोत्सव के अवसर के लिये 'इम्पीरियल-सर्विस' सेना का संचालक नियुक्त किया। सरदार-रिसाले के कमांडैंट ठाकुर जससिंघ (बहादुर) को दूसरे दरजे का 'ऑर्डर ऑफ़ ब्रिटिश इण्डिया' का सम्मान मिला।

३. वास्तव में आप माघ बदि ६ (३० जनवरी) को ही मेरठ चले गए थे, परन्तु बीच में अपना जन्मोत्सव मनाने को जोधपुर लौट आए थे।

४. इसी वर्ष रीयां-ठाकुर विजयसिंह 'कोर्ट-सरदारान' का सहकारी (जॉइंट) 'जज' बनाया गया।

वि० सं० १९५९ की चैत्र सुदि (ई० स० १९०२ की अप्रेल) में महाराजा सरदारसिंहजी मेरठ से देहरादून गए और वहां से लौट कर वैशाख बदि (मई) में जोधपुर आए। इसके बाद नवें दिन आप यहां से आबू होते हुए देहरादून लौट गए। इन्हीं दिनों जोधपुर में पत्थर की सड़क बनवाने का आयोजन किया गया।

श्रावण सुदि १३ (१७ अगस्त) को महाराज फिर देहरादून से जोधपुर आए और आश्विन सुदि २ (३ अक्टोबर) को आपने अपने चचेरे भाई महाराज दौलत-सिंहजी को 'राजाधिराज' की पदवी से भूषित किया।

मँगसिर वदि ८ (२२ नवंबर) को जोधपुर में, उस समय के भारत के वायसराय, लॉर्ड कर्ज़न का आगमन हुआ। इस पर महाराजा की तरफ़ से भी स्वागत का यथोचित प्रबंध किया गया। एक रोज़ स्वयं महाराजा ने सरदार-रिसाले का संचालन कर उसकी 'परेड' करवाई। उस समय अपने-अपने घोड़ों के नीचे बैठे सिपाहियों का गोली चलाना देख लॉर्ड कर्ज़न ने बड़ी प्रसन्नता प्रकट की।

इसके बाद महाराजा दिल्ली जाकर, पौष सुदि २ (ई० स० १९०३ की १ जनवरी) को, होनेवाले दरबार में 'इम्पीरियल कैडेट कोर' की तरफ़ से सम्मिलित हुए और वहां से जोधपुर आकर कुछ दिन बाद देहरादून लौट गए।

इसी वर्ष कुछ कारणों से महाराजा का 'इम्पीरियल कैडेट कोर' का शिक्षा-काल बढ़ा दिया गया और रैज़ीडैंट मेजर अर्स्किन् के बाद रैज़ीडैंट लैफ़्टिनैंट कर्नल जैनिंग्स (R. H. Jennings) राज्य के कार्य की देख भाल करने लगा। वैशाख बदि (अप्रेल) में साहबज़ादा हमीदुज़्ज़फ़रखाँ यहां पर 'जूनियर मैंबर' नियुक्त हुआ और मारवाड़ और जयसलमेर राज्यों के बीच अपराधियों के लेन-देन के विषय की संधि की गई।

---

१. इसी वर्ष (वि० सं० १९५९=ई० स० १९०२ में ही) आप अपने चचा महाराजा प्रतापसिंहजी के गोद चले गए।

२. वहां पर आपसे कश्मीर, बड़ोदा, रीवां, अलवर और बूंदी के नरेशों ने भेट की।

३. इस वर्ष 'सीनियर-मैंबर' पण्डित सुखदेवप्रसाद काक सी. आइ. ई. और ठाकुर जससिंह, कमांडैंट, जोधपुर 'लान्सर्स' 'सरदार बहादुर' (O. B. E.) बनाया गया।

४. यह भारत-गवर्नमैंट से मांग कर बुलवाया गया था।

५. यह संधि ई० स० १८९१ की बीकानेर और जयसलमेर के बीच की संधि के अनुसार ही थी।

(ए कलैक्शन ऑफ़ ट्रीटीज़ ऐंगेजमैंट्स ऐण्ड सनद्स (१९०९), भा० ३, पृ० १४९।)

आषाढ सुदि १४ (८ जुलाई) को दूसरे महाराज-कुमार उम्मेदसिंहजी का जन्म हुआ।[1]

इसी वर्ष के भादों (अगस्त) में महाराजा साहब 'इंपीरियल केडैट कोर' की शिक्षा समाप्त कर स्वास्थ्य-सुधार के लिये पचमरी चले गए।[2] इसलिये राज्य-कार्य का संचालन पश्चिमी राजपूताने के रैज़ीडैंट लैफ्टिनैंट कर्नल जैनिंग्स की देख भाल में ही होता रहा।[3]

इसी वर्ष रीयां-ठाकुर विजैसिंह 'कन्सलटेटिव काउंसिल' का मैंबर बनाया गया, सरदार शंशेरसिंह[4] पुलिस के प्रबंध के लिये बुलवाया गया और कैप्टिन् पिन्ने के स्थान पर कैप्टिन् हेग (P. B. Haig) महाराजा का 'मैडिकल ऐडवाइज़र' नियुक्त हुआ।

वि० सं० १९६१ के श्रावण (ई० स० १९०४ के अगस्त) में गाड़ियों आदि के सुभीते के लिये, फुलेलाव तालाब के पास का पहाड़ काट कर, नई सड़क बनाने

---

१. इस खुशी में किले से १२५ तोपों की सलामी दागी गई।

२. उस समय महाराजा की सरलता, महाराजा के मुंह लगे लोगों की स्वार्थ-परता और प्रधान मंत्री की अहम्मन्यता के कारण राज्य में षड्यंत्र चल रहा था, और यही बाद में महाराजा के पचमरी जाने का कारण हुआ।

३. वि० सं० १९६१ की चैत्र सुदि १२ (ई० स० १९०४ की २८ मार्च) को मुसलमानों ने ताज़िये निकालते समय राज्य की आज्ञा का उल्लंघन करना चाहा। परन्तु समय पर सैनिक-प्रबन्ध होजाने से यद्यपि वे उपद्रव न कर सके, तथापि उन्होंने अपना हट प्रकट करने के लिये केवल एक ताज़िया ही निकाला।

इस (रैज़ीडैंट) ने महाराज अर्जुनसिंहजी के कृपापात्र मच्छूखाँ की उद्दण्डता से अप्रसन्न होकर उसे मारवाड़ से चले जाने की आज्ञा दी थी। परन्तु जब उसने इसकी परवा न की, तब उसे पकड़ने का हुक्म दिया गया। इस कार्य में बाधा देने के कारण महाराज अर्जुनसिंहजी राजकीय सेना के सेनापति (कमाण्डर इन चीफ़) के पद से हटाए गए और उनकी जागीर का बींजवा नामक गांव, जो इस पद के पीछे मिला था, हमेशा के लिये और बग्गड़ नामक गांव कुछ दिन के लिये ज़ब्त करलिए गए। इसके बाद वि० सं० १९६२ की फागुन सुदि ८ (ई० स० १९०५ की १४ मार्च) को मच्छूखाँ, उसको पकड़ने को भेजे गए, रिसाले वालों के हाथ से मारा गया, और ठाकुर हेमसिंह की अध्यक्षता में गई सेना ने बींजवे पर, बिना रक्त-पात के ही, अधिकार कर लिया।

४. यह पुलिस का प्रबन्ध वि० सं० १९६२ की भादों बदि ५ (ई० स० १९०५ की २० अगस्त) से किया गया था और सरदार शंशेरसिंह पंजाब गवर्नमैंट से मांगकर लिया गया था।

को और आश्विन (अक्टोबर) में शहर की सड़कों पर रौशनी[2] का प्रबन्ध किया गया।

इस वर्ष के मँगसिर (दिसम्बर) में काबुल का 'हिज़ हाइनेस' सरदार इनायत उल्लाखाँ भारत भ्रमण के लिये आया। इस पर कर्नल जैनिंग्स उसके साथ नियुक्त किया गया और यहां का राज्य-कार्य मिस्टर लॉयल (R. A. Lyall) की निगरानी में होने लगा।

फाल्गुन (ई० स० १६०५ के मार्च) में जोधपुर के आसपास प्लेग की बीमारी के फैलने का संदेह होने से, उसके प्रसार को रोकने के लिये, तत्काल शहर से बाहर 'कोरंटाइन' का प्रबन्ध किया गया[3]।

इसी वर्ष पौकरन-ठाकुर मंगलसिंह 'राम्रो बहादुर' बनाया गया और पादरी डॉक्टर समरवाइल को चांदी का 'कैसरेहिन्द' पदक मिला।

वि० सं० १६६२ की कार्तिक सुदि १२ (८ नवम्बर) को महाराजा सरदारसिंहजी पचमरी से आबू और नसीराबाद होते हुए (सवा दो वर्ष बाद) जोधपुर आए। इस पर नगर में बड़ा उत्सव मनाया गया[4]। इसके बाद मँगसिर (दिसम्बर) के

---

१. इसके लिये ६,००० की मंज़ूरी हुई। उस समय 'स्टेट-इंजीनियर' का काम बाबू बट्टूलाल करता था।

२. उस समय ७० लालटैनों के लिये, फ़ी लालटैन ॥।) माहवार के हिसाब से ६३० रुपये में सालभर का ठेका दिया गया था।

३. वि० सं० १६६२ की ज्येष्ठ सुदि १० (ई० स० १६०५ की १२ जून) को माजी जाडेजीजी के (स्टेशन के सामने) बनवाए राजरणछोड़जी के मन्दिर की प्रतिष्ठा की गई और उसके ख़र्च आदि के प्रबन्ध के लिये उन्होंने, अपनी पुरानी धर्मार्थ बनवाई सराय के सामने, नवीन सराय बनवाना प्रारम्भ किया। इसके मकानात किराए पर दिए जाने के लिये तैयार करवाए जाने लगे।

वि० सं० १६६२ (ई० स० १६०५) में 'नॉर्थ-वैस्टर्न-रेल्वे' और 'जे. बी. रेल्वे' के बीच हैदराबाद जंक्शन (सिंध) आदि के बाबत एक संधि हुई। इसी वर्ष के श्रावण (अगस्त) में जोधपुर दरबार ने रिवाड़ी-फुलेरा-रेल्वे लाइन के काम में आनेवाली अपनी भूमि का सारा अधिकार ब्रिटिश-गवर्नमैंट को देदिया।

ए कलैक्शन ऑफ़ ट्रीटीज़ ऐंगेजमैंट्स ऐण्ड सनद्स (१६०६), भा० ३, पृ० २०४।

४. आप वि० सं० १६६२ की जेष्ठ वदि २ (ई० स० १६०५ की २० मई) को पचमरी से आबू लौटे थे।

इसके बाद शीघ्र ही आप बंबई जाकर जाते हुए लार्ड कर्ज़न से और आते हुए लॉर्ड मिंटो से मिले।

प्रारम्भ) में आप 'प्रिंस ऑफ़ वेल्स'[1] से मिलने रावलपिण्डी गए[2] ।

इस वर्ष की पौष वदि (ई० स० १९०५ के दिसम्बर) में जयसलमेर-नरेश और चैत्र वदि (ई० स० १९०६ के मार्च) में नाभा-नरेश हीरासिंहजी जोधपुर आए । इस पर राज्य की तरफ़ से उनका यथोचित स्वागत किया गया ।

इसी वर्ष महाराजा ने परगनों का दौरा कर प्रजा के हित के लिये खोले गए कामों का निरीक्षण किया और ख़ाँबहादुर साहबज़ादा हमीदुज़्ज़फ़रख़ाँ के अलवर चले जाने पर मुंशी रोड़ामल को महकमे-खास का ऐसिस्टैंट और 'जुडीशल-सेक्रेटरी' बनाया ।

कार्तिक (अक्टोबर) में मिस्टर होम नौकरी से अलग (रिटायर) हुआ और उसकी जगह मिस्टर टॉड (R. Todd) यहां की रेल्वे का मैनेजर बनाया गया ।

वि० सं० १९६३ की कार्तिक[3] सुदि १४ (३१ अक्टोबर) को महाराजा की आज्ञा से जोधपुर के पैसे का तोल घटाकर आधा करदिया गया[4] । इसके बाद मँगसिर सुदि १ (१७ नवम्बर) से[5] महाराजा सरदारसिंहजी ने फिर राज्य-कार्य की देखभाल शुरू की । परन्तु राजसभा (केबिनेट) की कार्रवाई रेज़ीडेंट की अध्यक्षता में ही होती रही ।

---

१. यही बाद में सम्राट् जॉर्ज पंचम के नाम से बादशाह हुए ।

२. आप मँगसिर सुदि ७ (३ दिसम्बर) को रावलपिंडी गए थे और मँगसिर सुदि १५ (११ दिसम्बर) को वहां से लौट कर आए ।

३. पहले जोधपुर में दशहरे पर काग़ज़ का रावन बनाया जाता था और बाद में महाराज प्रतापसिंहजी ने उसका पत्थर का धड़ बनवादिया था । परन्तु महाराजा सरदारसिंहजी की आज्ञा से, वि० सं० १९६३ (ई० स० १९०६) के दशहरे से वह फिर पूरा का पूरा काग़ज़ का बनाया जाने लगा ।

४. महाराजा भीमसिंहजी के समय २० माशे का पैसा बनता था और बाद में १८ माशे का बनने लगा । परन्तु अबसे वह ९ माशे का करदिया गया । साथ ही एक आने के ४ पैसे का भाव भी नियत हो गया । पहले इसका भाव तांबे के भाव के अनुसार घटता-बढ़ता रहता था और यह एक रुपये के ४६ से ४८ पैसे (२३ से २४ टके) तक होजाता था ।

५. एचिसन् की 'ए कलैक्शन ऑफ़ ट्रीटीज़ ऐंगेजमैंट्स ऐण्ड सनद्स' (भा० ३, पृ० १२१) में लिखा है कि ई० स० १९०५ में महाराजा को कुछ अधिकार वापस दिए गए और इसके बाद ई० स० १९०८ में उन्हें क़रीब-क़रीब पूरे अधिकार सौंप दिए गए ।

पंहले जागीरदारों को, अपनी जागीर की आमदनी की एवज़ में, राज्य की सेवा के लिये, सवार और पैदल सिपाहियों की एक नियत-संख्या रखनी पड़ती थी। परन्तु इसी वर्ष से उन सिपाहियों के खर्च का अंदाज़ लगा कर प्रत्येक जागीरदार से सिपाहियों की एवज़ में मासिक रुपया लेना नियत किया गया।[1]

वि० सं० १६६३ की फागुन सुदि ३ (ई० स० १६०७ की १५ फरवरी) को मुंशी हरनामदास (गवर्नमैंट से मांग कर) 'जूनियर-मैंबर' बनाया गया और मुंशी रोड़ामल वापस 'कोर्ट-सरदारान' में भेज दिया गया।[2]

वि० सं० १६६४ के द्वितीय चैत्र (अप्रेल) में मेजर हेग छुट्टी गया और उसके स्थान पर मेजर ग्रांट (J. W. Grant) नियुक्त हुआ।

वि० सं० १६६४ की वैशाख बदि ४ (ई० स० १६०७ की १ मई) को महाराजा सरदारसिंहजी के तीसरे महाराज-कुमार अजितसिंहजी का जन्म[3] हुआ।

इस वर्ष की गरमियों में महाराजा ने, आबू से लौटते हुए, जसवन्तपुरे का दौरा किया। भादों (अगस्त) में आप पोलो खेलने के लिये पूना[4] गए और मँगसिर (दिसम्बर) में आपने कलकत्ते[5] की यात्रा की।

फाल्गुन (ई० स० १६०८ की फरवरी) में नाथद्वारे के गुसांई गोवर्धनलालजी जोधपुर आए। महाराजा ने स्टेशन पर जाकर उनका स्वागत किया।

---

१. यह लाग चाकरी (सेवा) के नाम से प्रसिद्ध है। पुराने नियमानुसार कुल जागीरदारों को ३,६७६ घोड़े, और ४६० पैदल रखने पड़ते थे। इस वर्ष इनमें से १,३६३ सवारों और १५२ पैदलों की एवज़ नक़द रुपया लिया गया।

२. इस वर्ष (ई० स० १६०७ की फ़रवरी में) महाराजा मेओ कॉलेज की 'कॉनफ्रेंस' में सम्मिलित होने को अजमेर गए, और वि० सं० १६६४ की द्वितीय चैत्र सुदि १० (२३ अप्रेल) को किशनगढ़-नरेश ने जोधपुर आकर आपका आतिथ्य ग्रहण किया।

३. इस शुभ अवसर पर भी क़िले पर से १२५ तोपें दाग़ी गईं।

४. यहां पर आपने पोलो का 'कप' जीता।

कार्तिक (१६०७ के नवम्बर) में आप अजमेर जाकर मेओ कॉलेज के उत्सव में सम्मिलित हुए।

५. वहां से लौटते हुए आप मार्ग में चार दिन जयपुर ठहरे। इसके बाद वि० सं० १६६४ के फागुन (ई० स० १६०८ की फ़रवरी) में और वि० सं० १६६५ के आश्विन (सितम्बर) में आप बंबई गए। १६६४ के फागुन (१६०८ के मार्च) में जयसलमेर-नरेश ने जोधपुर आकर महाराजा का आतिथ्य स्वीकार किया।

वि० सं० १९६४ के चैत्र (ई० स० १९०८ के मार्च) में सरदार शंशेरसिंह[1] का कार्य-काल समाप्त होजाने पर, उसके स्थान पर बाबू रघुवंशनारायण नियुक्त किया गया और सरदार-रिसाले के 'कमांडिंग ऑफ़ीसर, ठाकुर जससिंह की मृत्यु होजाने से, उसके स्थान पर, संखवाय का ठाकुर प्रतापसिंह रिसाले की पहली रेंजीमेंट का सेनापति बनाया गया ।

वि० सं० १९६५ की वैशाख वदि १ (ई० स० १९०८ की १७ अप्रेल) को महाराजा सरदारसिंहजी का विवाह उदयपुर के महाराना फ़तैसिंहजी की कन्या से हुआ । उस अवसर पर दोनों राज्यों में ख़ूब उत्सव मनाया गया ।[2]

आषाढ (जून) में सम्राट् एडवर्ड सप्तम के जन्मोत्सव पर आप (महाराजा सरदारसिंहजी) के. सी. एस. आइ. की उपाधि से भूषित किए गए ।

इस वर्ष बरसात में वर्षा अधिक होने से कायलाना नामक झील के बांधपर से ख़ूब पानी बहा और उस तरफ़ (गवां और बागां में) रहने वाले लोगों के घर पानी से घिर गए । इसकी सूचना मिलते ही दयालु-प्रकृति महाराजा स्वयं वहां जा पहुँचे और सरकारी नावें मँगवाकर पानी से घिरे लोगों और उनके सामान का उद्धार करवाया । पानी की अधिकता होने से इस वर्ष मारवाड़ में 'फ़सली-बुख़ार' का प्रकोप रहा ।

कार्तिक सुदि ८ (१ नवम्बर) को भारत का तत्कालीन 'गवर्नर-जनरल' और 'वायसराय' लॉर्ड मिंटो जोधपुर आया । इस पर दरबार की तरफ़ से उसका बड़ी धूम-धाम से स्वागत किया गया ।

---

१. मारवाड़ दरबार की सेवा के उपलक्ष में इसे गवर्नमेंट से 'सरदार साहब' की उपाधि मिली।

२. इस वर्ष ईडर के महाराजा प्रतापसिंहजी और किशनगढ़-नरेश जोधपुर आए ।

वि० सं० १९६५ के चैत्र शुक्ल (ई० स० १९०८ के अप्रेल) में पश्चिमी राजपूताने की रियासतों के रैज़ीडैंट लैफ्टिनैंट कर्नल स्ट्रैटन (W.C.R.Stratton) के छुट्टी चले जाने पर राज्य-कार्य के बड़े मामलों की देख-भाल स्थानापन्न रैज़ीडैंट मिस्टर कौब (H.V. Cobb) करने लगा । परन्तु आश्विन वदि (सितम्बर) में उसके कश्मीर में नियुक्त होजाने पर उसके स्थान पर मिस्टर गेब्रील (V. Gabriel) यहां का रैज़ीडैंट नियुक्त हुआ ।

भादों (१९०८ के अगस्त) में महाराजा ने पोलो खेलने के लिये पूना की यात्रा की ।

इसी वर्ष (ई० स० १९०८ में) मारवाड़ और सिरोही के बीच एक दूसरे के अपराधियों को एक दूसरे को सौंप देने के बाबत संधि हुई ।

उन दिनों बंगाल के षड्यंत्रकारियों का ज़ोर होने से मार्ग के दोनों तरफ़ पुलिस और सेना के जवान नियुक्त किए गए। इसके अलावा जागीरदारों की जमीअत के ८,००० सवार भी सड़क के इधर-उधर खड़े थे। साथ ही अवसर की रोचकता को बढ़ाने के लिये इस जमीअत के कुछ सिपाही जिरह बख़्तरों और कुछ विभिन्न प्रकार के पुराने शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित किए गए थे। इन्हीं के बीच जगह-जगह यहां के ख़ास-ख़ास खेल-तमाशों का प्रबन्ध भी था।

महाराजा के सेनापतित्व में की गई यहां के रिसाले की 'परेड' को देख वायसराय ने प्रसन्नता प्रकट की और उसी समय, भारत-गवर्नमैंट की तरफ़ से, नौ-नौ पाउण्ड का गोला फेंकने वाली ६ तोपें इस रिसाले को भेट करने की घोषणा की। इसी अवसर पर वायसराय ने महाराजा साहब को के. सी. एस. आइ. के पदक से भूषित किया और उस दिन (२ नवम्बर=कार्तिक सुदि ९ को) महारानी विक्टोरिया के भारतीय-शासन-ग्रहण करने की पचासवीं बरसगांठ होने से, बादशाह का भारतीय-नरेशों और भारतीय-प्रजा के नाम भेजा हुआ सन्देश पहले-पहल यहीं पढ़कर सुनाया। रात को नगर में रौशनी की गई और दरबार की तरफ़ से आतिशबाज़ी छुड़वाई जाकर उत्सव मनाया गया।

पौष (दिसम्बर) में महाराजा सरदारसिंहजी लॉर्ड मिंटो की पुत्री के विवाह में सम्मिलित होने को कलकत्ते गए।

महाराजा साहब के उदयपुर वाले विवाह के समय गरमी का मौसम होने से अन्य नरेशों को निमंत्रण नहीं दिया गया था। इसीसे सरदी का मौसम आने पर, माघ बदि ३० से फागुन बदि ७ (ई० स० १९०९ की २१ जनवरी से १२ फरवरी) तक उत्सव का समय नियत कर, तीस नरेशों को निमंत्रण भेजा गया। इनमें से जयसलमेर, धौलपुर, ईडर, सीतामउ, किशनगढ़, अलवर, जयपुर और बीकानेर के नरेश; उदयपुर के महाराज-कुमार और पटियाला, बड़ौदा, कश्मीर, झिंद और नरसिंघगढ़ के नरेशों के प्रतिनिधि यहां आकर उत्सव में सम्मिलित हुए[1]। दरबार की तरफ़ से उनके मनोरंजन के लिये पोलो, शिकार, नाटक और बायसकोप आदि का प्रबन्ध किया गया।

---

१. इनमें के कुछ नरेश उत्सव के समय न आ सकने के कारण बाद में आए थे।

माघ सुदि १ (ई० स० १९०९ की २२ जनवरी) को अपने जन्मोत्सव पर महाराजा साहब ने पण्डित सुखदेवप्रसाद काक को तीन गांवों की जागीर, दोहरी ताज़ीम, हाथ का कुरब और पैर में सोना पहनने का अधिकार दिया।

वि० सं० १९६५ के फागुन (ई० स० १९०९ की फरवरी) से महाराजा साहब ने राज्य-कार्य की देख-भाल पूरी तौर से अपने हाथ में लेली[1]। इसपर सहकारी रैज़ीडैंट का पद उठा दिया गया।

वि० सं० १९६६ की वैशाख सुदि ३ (२२ अप्रेल) को भारत का फ़ौजी-लाट लॉर्ड किच्नर जोधपुर आया। इस पर राज्य की तरफ़ से उसके योग्य ही उसके स्वागत का प्रबन्ध किया गया। उस अवसर पर की गई यहां के रिसाले की क़वायद (परेड) का संचालन महाराज-कुमार सुमेरसिंहजी ने किया और लॉर्ड किच्नर को दिखलाने के लिये मारवाड़ की दस्तकारी का जो सामान एकत्रित किया गया था, बाद में उसी को एक स्थान पर सजा कर यहां पर इंडस्ट्रियल म्यूज़ियम (देशी वस्तुओं के अजायबघर) की स्थापना की गई।

भादों वदि (सितम्बर) में महाराजा सरदारसिंहजी, लॉर्ड किच्नर से मिलने के लिये पूना गए[2]। इस यात्रा में ईडर-नरेश महाराजा प्रतापसिंहजी[3] भी आप के साथ थे।

भादों सुदि २ (१६ सितम्बर) को 'जोधपुर-बीकानेर रेल्वे' का 'डेगाना-हिसार' लाइन वाला सुजानगढ़ तक का हिस्सा खोलागया[4]।

---

१. महाराजा साहब ने प्रजा की आवश्यकताओं को जानने के लिये इस वर्ष देसूरी, बीलाड़ा, मालानी और पाली के परगनों में दौरा किया, तथा गरमियों में आप १५ दिन के लिये आबू पर्वत पर रहे।

इस वर्ष मुंशी रोडामल के स्थान पर भंडारी मानचन्द 'कोर्ट-सरदारान' का, लक्ष्मणदास सफ्ट हैसियत का, बेड़ा-ठाकुर शिवनाथसिंह तामील का और रावराजा तेजसिंह (प्रथम) 'रजिस्ट्रेशन' का अफ़सर बनाया गया।

इसी वर्ष बादशाह की बरसगांठ के दिन कविराजा मुरारिदान को 'महामहोपाध्याय' की उपाधि मिली।

२. इस वर्ष महाराजा साहब ने बीकानेर, बूंदी, बंबई, पूना और अजमेर की यात्राएं की और जयसलमेर-दरबार ने जोधपुर आकर आप का आतिथ्य स्वीकार किया।

३. श्रावण वदि १४ (१६ जुलाई) को महाराजा प्रतापसिंहजी स्वास्थ्य-सुधारने के लिये जोधपुर आए और क़रीब ढाई महीने यहां रहे। इस यात्रा में आपके दत्तक-पुत्र महाराज-कुमार दौलतसिंहजी भी आपके साथ थे।

४. इस साल फ़सल अच्छी होने के कारण मारवाड़ से ७,४४,४५२ मन गेहूं की रफ़्तनी हुई। इसके पहले साल केवल ७४,३७५ मन गेहूं ही बाहर चढ़ा था।

कई दिनों से उदयपुर महाराणा फतैसिंहजी महाराजा साहब से उदयपुर आने का आग्रह कर रहे थे। इसी से मंगसिर वदि ५ (२ दिसंबर) को आप दो सप्ताह के लिये उदयपुर गए। वहां पर महाराना साहब ने बड़े प्रेम से आपका स्वागत किया[1]। वहां से लौटने पर, मंगसिर सुदि ७ (१६ दिसम्बर) को, आप कलकत्ते गए। वहीं पर पौष बदि ६ (ई० स० १९१० की १ जनवरी) को आप जी. सी. एस. आइ. की उपाधि से भूषित किए गए और आप की सलामी की तोपें १७ से १९ कर दी गईं। इस खुशी के अवसर पर दरबार की तरफ़ से बहुतसी वस्तुओं पर से चुंगी उठादी गई और बहुतसी वस्तुओं पर की चुंगी घटादी गई। इससे व्यापार में अच्छी सुविधा हो गई। इसी समय मुंशी हरनामदास[1] के अपनी गवर्नमैंट की नौकरी पर लौट जाने से, पण्डित सुखदेवप्रसाद काक मिनिस्टर और राओ साहब लक्ष्मणदास सपट महकमे खास का ऐसिस्टैंट और जुडीशल-सेक्रेटरी बनाया गया।

पौष वदि ३० (११ जनवरी) को महाराजा साहब कलकत्ते से लौटे और फागुन वदि ३० (११ मार्च) को गिरदीकोट नामक पुरानी नाज की मंडी में "सर-दार-मारकेट" और घंटाकर की इमारत का पहला पत्थर रक्खा गया।

वि० सं० १९६७ की वैशाख वदि १२ (६ मई) को बादशाह ऐडवर्ड सप्तम का स्वर्गवास हो गया। इस पर दरबार की तरफ़ से समयानुसार शोक[2] प्रकट किया गया। साथ ही महाराजा साहब ने बुड्ढे और असमर्थ नगर-वासियों की सहायता के लिये २०,००० रुपया सालाना मंज़ूर कर उन लोगों की 'पेन्शन्' का प्रबन्ध किया और इस मद का नाम 'ऐडवर्ड-रिलीफ़-फ़न्ड' रक्खा। इसके अलावा आपने अजमेर में बनाई जाने वाली बादशाह की यादगार (ऐडवर्ड-मैमोरियल) के लिये १०,००० रुपया और समग्र भारतीय-यादगार के लिये एक अच्छी रक़म दी।

---

१. जोधपुर दरबार की सेवा के उपलक्ष में इसी समय यह 'राओ बहादुर' बनाया गया था।

२. उस अवसर पर फ़तैसागर तालाव पर आशौच स्नान (पानीवाड़ा) किया गया, शोक-सूचक ६८ तोपें (मिनटगन) दागी गईं, नगर में नाच और गान बंद किया गया और कच-हरी में १२ दिन की छुट्टी की गई। साथ ही तीन दिन तक बाज़ार, सुबह शाम दागी जाने वाली तोपें और क़िले पर की नौबत बंद रही। वि० सं० १९६७ की वैशाख सुदि १२ (२० मई) को बादशाह ऐडवर्ड सप्तम की अन्त्येष्टि (Funeral) का दिन होने से उस दिन फिर कचहरी की छुट्टी की गई और शोक सूचक ६८ तोपें (मिनटगन) चलाई गईं।

उपर्युक्त चंदों के अलावा दरबार की तरफ़ से, लॉर्ड मिंटो की यादगार में, मेओ कॉलेज (अजमेर) के चारों ओर के स्थानों को सुधारने के लिये एक लाख रुपया समग्र भारत की तरफ़ से इलाहाबाद में लॉर्ड मिंटो की यादगार बनाने के लिये दस हज़ार रुपया और कलकत्ते में घोड़े पर सवार लॉर्ड मिंटो की मूर्ति-स्थापन करने के लिये पांच हज़ार रुपया दिया गया।

वैशाख सुदि १ (१० मई) को सम्राट् जार्ज पंचम गद्दी पर बैठे। इसपर दरबार की तरफ़ से भी अवसर के अनुसार ख़ुशी मनाई गई और क़िले से १०१ तोपें दाग़ी जाने के अलावा जेल में के प्रत्येक क़ैदी की क़ैद की अवधि कम कर दी गई।

वि० सं० १९६७ के ज्येष्ठ (ई० स० १९१० के जून) में बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की प्रार्थना पर, राज्य की तरफ़ से 'डिंगल'-भाषा की कविता आदि का संग्रह करने के लिये, 'बार्डिक रिसर्च कमेटी' बनाई गई।

पौष (ई० स० १९११ की जनवरी) में आसोप-ठाकुर चैनसिंह को 'राओ बहादुर' की उपाधि मिली।

वि० सं० १९६७ के फागुन (ई० स० १९११ की फ़रवरी) में महाराजा साहब मेरठ गए[३], परन्तु वहां से दिल्ली आते हुए मार्ग में सरदी लगजाने से आपको ज्वर आगया। इस पर आप अजमेर होते हुए जोधपुर लौट आए। यहां पर बहुत कुछ इलाज करने पर भी आपकी तबीअत बिगड़ती गई और वि० सं० १९६७ की

---

१. इस वर्ष की गरमियों में महाराजा साहब कुछ दिनों तक आबू पहाड़ पर रहे और फिर आपने प्रजा की दशा का निरीक्षण करने के लिये जसवन्तपुरा, जालोर, सिवाना, देसूरी, पाली और मालानी आदि प्रान्तों का दौरा किया।

२. इस वर्ष के मँगसिर (नवम्बर) में नाबालिगी के महकमे का काम पण्डित धर्मनारायण काक को सौंपा गया।

वि० सं० १९६७ (ई० स० १९१०) में महाराजा साहब बंगलोर, कलकत्ता, मेरठ, इलाहाबाद और लखनउ गए।

३. इसी वर्ष की फागुन सुदि १० (१० मार्च) को मारवाड़ में चौथी बार मनुष्य-गणना की गई। इसवार यह काम सेठ फ़ीरोज़शाह कोठावाला की निगरानी में हुआ और मनुष्यों की संख्या २०,५७,५५३ हुई।

चैत्र वदि ५ (ई० स० १९११ की २० मार्च) को ३१ वर्ष की अवस्था में ही महाराजा सरदारसिंहजी का स्वर्गवास होगया[1]।

आपके तीन पुत्र थे:—१ सुमेरसिंहजी, २ उम्मैदसिंहजी और ३ अजितसिंहजी। यद्यपि महाराजा सरदारसिंहजी ने केवल १३ वर्ष ही राज्य किया था, तथापि आपके राज्य-काल में मारवाड़ की बराबर उन्नति होती रही। जुरायम-पेशा क़ौमों के अधिकाधिक खेती का काम अपनाने और पुलिस के प्रबन्ध में उन्नति होजाने से ठगी और डकैती में कमी, क़ानून क़ायदों की पाबन्दी और न्यायालयों की उन्नति होने से न्याय की प्राप्ति में सुविधा और बहुतसी वस्तुओं पर की चुंगी उठजाने[2] और बहुतसी पर की कम होजाने से व्यापार में उन्नति होगई। इसी प्रकार खालसे (राज्य) के गांवों की हद-बंदी होजाने और वहां पर बीघोड़ी (नियत-हासिल) लेने की प्रथा जारी होजाने से राज्य की आय में वृद्धि और काश्तकारों को आसानी हो गई। इसी के साथ जंगलात के प्रबन्ध में भी सुधार किया गया। प्रजा की सुविधा के लिये डाकखानों[3], शफ़ाखानों[4], स्कूलों[5], रेल्वे[6] और सड़कों का विस्तार हुआ। नए बांध[7] बंधवाए

---

१. इस अवसर पर ईडर, बूँदी, जामनगर, किशनगढ़, पालनपुर, रतलाम, अलवर, उदयपुर, बीकानेर और झालावाड़ के नरेशों आदि ने और शहापुरा और दांता के राज-कुमारों ने यहां आकर अपना शोक प्रकट किया; तथा कश्मीर, बड़ोदा, ग्वालियर, जयपुर, नाभा और झिन्द के राजाओं ने अपने प्रतिनिधि भेज समवेदना प्रकट की।

२. महाराज के जी. सी. एस. आइ. होने की खुशी में २४ हज़ार रुपये सालाना की चुंगी माफ़ की गई थी।

३. उस समय मारवाड़ में ८६ डाकखाने थे।

४. उस समय मारवाड़ में २३ शफ़ाखाने थे।

५. उस समय मारवाड़ में १ बी. ए. तक का कॉलेज, १ हाई स्कूल, १६ वर्नाक्यूलर मिडल स्कूल, ४४ एंग्लो वर्नाक्यूलर और वर्नाक्यूलर स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, १ राजपूत नोबल्स स्कूल, १ संस्कृत स्कूल, १ नौर्मल स्कूल और १ बिज़नैस क्लास था। इनके अलावा २५ खानगी स्कूलों को भी राज्य से सहायता दी जाती थी। उस समय इस महकमे का सालाना खर्च ७६,६६८ रुपये था।

६. महाराजा सरदारसिंहजी के समय रेल्वे-लाइन में १३५ मील का विस्तार हुआ। इससे यहां की रेल्वे-लाइन की कुल लंबाई ५२५ मील हो गई। इसी में पीपाड़ से भावी तक की २० मील लंबी एक लाइट (छोटी) रेल्वे लाइन भी थी। उस समय तक जोधपुर की रेल्वे पर जोधपुर दरबार का १,४८,५४,६३० रुपया लग चुका था।

७. सरदार-समंद (ई० स० १८९९), ऐडवर्ड-समंद (ई० स० १९००) और हेमावास (कार्य का प्रारम्भ)।

गए। राजकीय-म्युनिसिपैलिटी की तरफ़ से नगर में पत्थर की सड़कें बंधवा कर उन पर रौशनी[1] का प्रबन्ध किया गया। इस प्रकार प्रजा की सुविधा और राज्य की आय बढ़ाने के बहुत से उपयोगी काम हुए। इससे राज्य की वार्षिक-आय ८०,७९,०९५ रुपये तक पहुँच गई और राज्य पर का सारा कर्ज़[2] देदेने के बाद २,८१,६१,९३५ रुपया खज़ाने में जमा होगया।

इन महाराजा ने अपने पिता बड़े महाराजा जसवंतसिंहजी (द्वितीय) के स्मारक में जो संगमरमर का विशाल-भवन बनवाना प्रारम्भ किया था, उसमें २,८४,६७८ रुपये लँगे थे। आपने कलकत्ते के विक्टोरिया मेमोरियल के लिये एक लाख रुपये दिऐ थे और इसके अलावा उसके लिये जानेवाले मकराने के पत्थर (संगमरमर) पर की चुंगी भी माफ़ करदी थी। इसी प्रकार अजमेर के मेओ कॉलेज को एक लाख रुपये और 'ऐडवर्ड-मैमोरियल' को दस हज़ार रुपये दिए थे।

महाराजा सरदारसिंहजी सरल-स्वभाव, मधुर-भाषी, दयालु और आडम्बर-शून्य थे। इसी से प्रत्येक व्यक्ति आपके सामने पहुँच कर अपना कष्ट सुना सकता था। परन्तु कभी-कभी आपके मुंहलगे लोग आपकी सरल-प्रकृति और दयालुता का अनुचित फायदा उठाने से भी नहीं चूकते थे।

आपने वि० सं० १९५८ (ई० स० १९०१) में स्वास्थ्य-सुधार के लिये यूरोप की यात्रा की थी और वि० सं० १९६३ और १९६४ (ई० स० १९०६ और

१. सड़कों पर की साधारण रौशनी के अलावा नगर के ख़ास ख़ास स्थानों पर 'क्रिट्सन लैंप' लगाए गए थे।

'टैलीफोन' का प्रचार भी जोधपुर में पहले पहल आपके समय ही हुआ था।

२. आपके समय रेल्वे के लिये साढे पच्चीस लाख रुपये माइसोर दरबार से और अकाल पीड़ितों की सहायता के लिये छत्तीस लाख रुपये गवर्नमेंट से कर्ज़ लिए गए थे।

३. आपके समय जब भारत-गवर्नमैंट के पुरातत्व विभाग ने मारवाड़ की प्राचीन राजधानी मंडोर के किले में खुदवाई शुरू की, तब उसका सारा खर्च जोधपुर दरबार की तरफ से दिया गया था। परंतु वहां पर किसी उपयोगी वस्तु के प्राप्त न होने से, अन्त में वह खुदवाई बंद करदी गई।

१९०७) में गले में गांठे निकल आने से कईवार शल्य-चिकित्सा भी करवाई थी[1]।

आपको घुड़दौड़, सूअर के शिकार, पोलो और क्रिकैट का बड़ा शौक़ था, महाराजा साहब के इस शौक़ के कारण ही उस समय जोधपुर पोलो का घर कहाता था। एकवार आपने पूना में 'पोलो चैलैंज कप' भी जीता था। इसी प्रकार जोधपुर की 'क्रिकैट की टीम' ने भी कई खेलों में विजय प्राप्त की थी।

यहां के रिसाले ने चीन के युद्ध में गवर्नमैंट की अच्छी सहायता की थी। इसी से भारत-गवर्नमैंट ने उसे अपने झंडे पर "चाइना १९००" लिखने का सम्मान प्रदान कर चीन से छीनी हुई ४ तोपें भेट दी थीं।

१. इसके लिये आप को इन्दौर भी जाना पड़ा था।

३६. महाराजा सुमेरसिंहजी

यह महाराजा सरदारसिंहजी के ज्येष्ठ पुत्र थे। इनका जन्म वि० सं० १९५४ की माघ वदि ६ (ई० स० १८९८ की १४ जनवरी) को हुआ था। पिता के स्वर्गवास के बाद, वि० सं० १९६८ की चैत्र सुदि ७ (ई० स० १९११ की ५ अप्रेल) को, आप जोधपुर की गद्दी पर बैठे[1]। परन्तु उस समय आप की अवस्था करीब १३ वर्ष की थी। इससे राज्य-प्रबन्ध के लिये 'रीजैंसी-काउन्सिल' स्थापित करना निश्चित हुआ। यह देख महाराजा प्रतापसिंहजी ने जोधपुर-राज्य के रीजैंट (अभिभावक) का पद ग्रहण करने की इच्छा प्रकट की। परन्तु गवर्नमैंट ने एक ही व्यक्ति को दो रियासतों का प्रबन्ध सौंपना स्वीकार न किया। इस पर महाराजा प्रतापसिंहजी ने ईडर-राज्य का सम्पूर्ण अधिकार अपने दत्तक-पुत्र महाराजा

---

१. इस अवसर पर मामू के रिश्ते से बूँदी-नरेश, छोटे भाई के रिश्ते से किशनगढ़-नरेश और अन्य कई राज्यों के प्रतिनिधि भी उपस्थित हुए थे।

राज-तिलक के पूर्व बूंदी-नरेश ने, मांगलिक कार्य प्रारम्भ करने के लिये, अपने हाथों से महाराजा के मस्तक पर केसर के रंग का साफ़ा बांधा। इसके बाद महाराजा सुमेरसिंहजी (क़िले में की) शृंगार-चौकी पर विराजमान हुए। राज-तिलक का कार्य पूर्ण होने पर क़िले से १२५ तोपों की सलामी दाग़ी गई। इसके बाद बूँदी और किशनगढ़ के नरेशों के निछावर कर लेने पर राज्य के सरदारों और मुत्सद्दियों ने नज़रें पेश कीं। इस कार्य से निपट कर जब नवाभिषिक्त महाराजा वहां से उठे, तब फिर १५ तोपों की सलामी दी गई। (प्रचलित-प्रथानुसार इनमें की १४ तोपें महाराजा के उस समय १४ वें वर्ष में होने की द्योतक और १ तोप अगले वर्ष की मंगल-कामनार्थ थी।) वहां से आप दौलतख़ाने में जाकर भारत–गवर्नमैंट के प्रतिनिधि (रैज़ीडैन्ट) से मिले। वहीं पर उस ने आपको भारत–गवर्नमैंट की तरफ़ से समयोचित बधाई दी। इसके बाद नवाभिषिक्त-नरेश ने क़िले में स्थित चामुण्डा आदि के मन्दिरों में जाकर, अपने पूर्वजों द्वारा स्थापित, देवी देवताओं के दर्शन किए। इस अवसर पर फिर ११ तोपों की सलामी दी गई। अन्त में आपने ज़नाने महलों में जाकर अपनी प्रपितामहियों, पितामहियों और माताओं के सामने नज़रें पेश कीं।

दौलतसिंहजी को देकर अपने जीतेजी ही उन्हें ईडर की गद्दी पर बिठा दिया और स्वयं जोधपुर आकर यहां के रीजैंट (अभिभावक) का पद ग्रहण[1] किया ।

ज्येष्ठ वदि १२ (२५ मई) को महाराजा सुमेरसिंहजी विद्याध्ययनार्थ इंगलैंड के लिये रवाना हुए । इस यात्रा में आपके साथ आपका निरीक्षक (गार्जियन) कैप्टिन् ए. डी. स्ट्रौंग (A. D. Strong) और ठाकुर धौंकलसिंह थे । आपका जहाज़ ज्येष्ठ वदि १४ (२७ मई) को बंबई से रवाना हुआ था । उसी जहाज़ से महाराजा सर प्रतापसिंहजी भी, जो सम्राट् जॉर्ज पंचम के ए. डी. सी. थे, उनके राज-तिलकोत्सव में सम्मिलित होने को इंगलैंड गए[2] । यह उत्सव आषाढ वदि ११ (२२ जून) को हुआ था[3] । इसके समाप्त होने पर महाराजा सुमेरसिंहजी वहीं रहकर वैलिंग्टन कॉलेज में विद्याध्ययन करने लगे और महाराजा प्रतापसिंहजी सावन वदि ३ (१४ जुलाई) को बंबई लौट आए[4] । इसके बाद उन्होंने, वहीं से ईडर जाकर, सावन वदि १० (२१ जुलाई) को, अपने दत्तक-पुत्र महाराजा दौलतसिंहजी का राज्याभिषेक किया । इस प्रकार वहां के कार्य से निपट कर आप तीसरे दिन जोधपुर चले आए और यहां के राज्य-प्रबन्ध का निरीक्षण करने लगे ।

---

१. यह पद आपने वि० सं० १९६८ की जेष्ठ वदि १० (ई० स० १९११ की २३ मई) को ग्रहण किया था । आपकी अध्यक्षता में जो 'रिजैंसी काउंसिल' बनाई गई थी उसके मैंबरों (सभासदों) आदि के नाम आगे दिए जाते हैं ।

(१) महाराजा प्रतापसिंहजी–रीजैंट और प्रैसीडैंट
(२) महाराज ज़ालिमसिंहजी–सीनियर मैम्बर और वाइस प्रैसीडैंट
(३) महाराज फ़तैसिंहजी–मिलिटरी-मैम्बर
(४) राओ बहादुर मंगलसिंह (पौकरन-ठाकुर)–पब्लिक वर्क्स मैंबर
(५) मिस्टर जी. बी. गॉइडर (G. B Goyder) फ़ाइनैन्स-मैंबर
(६) राओ बहादुर मुंशी हरनामदास–जुडीशल-मैंबर
(७) पण्डित श्यामबिहारी मिश्र रिवैन्यू-मैम्बर, (लक्ष्मणदास सपट सैक्रेटरी)

२. वहीं पर ऑक्सफ़ोर्ड यूनीवर्सिटी ने महाराजा प्रतापसिंहजी को डी. सी. एल. की (ऑनररी) उपाधि से भूषित किया ।

३. जोधपुर में भी इस अवसर पर ख़ूब उत्सव मनाया गया और १०१ तोपों की सलामी दाग़ी गई । इसी अवसर पर महाराजा प्रतापसिंहजी को जोधपुर-राज्य के रीजैंट रहने तक 'महाराजा बहादुर' की उपाधि और व्यक्तिगत रूप से १७ तोपों की सलामी की इज्ज़त दी गई ।

४. आपकी अनुपस्थिति में आपके कार्य की देख-भाल महाराज ज़ालिमसिंहजी करते रहे थे ।

पौष वदि ७ (१२ दिसम्बर) को सम्राट् जॉर्ज पंचम ने सम्राज्ञी के साथ दिल्ली आकर वहां पर अपना राजतिलकोत्सव किया। उस समय भारत-गवर्नमेंट द्वारा बुलाए जाने के कारण महाराजा सुमेरसिंहजी भी, उस उत्सव में सम्मिलित होने को, वहां चले आए। दिल्ली पहुँचने पर गवर्नमैंट की तरफ़ से आपका यथोचित सत्कार किया गया और फिर सम्राट् ने दरबार के समय के लिये आपको अपना 'पेज ऑफ़ ऑनर' (सहचर) बनाया।

पौष वदि ६ (१४ दिसम्बर) को 'फ़ौजी-रिव्यू' के समय किशोरवयस्क-महाराजा सुमेरसिंहजी ने अपने 'इम्पीरियल-सर्विस-रिसाले' का संचालन इस ख़ूबी से किया कि देखने वाले दंग रह गए[3]।

दिल्ली-दरबार से लौट कर कुछ दिन आप जोधपुर में रहे और फिर पौष सुदि १ (२१ दिसम्बर) को विद्याध्ययन के लिये इंगलैंड चले गए

१. इस अवसर पर भी जोधपुर में बड़ा उत्सव मनाया गया। १०१ तोपों की सलामी दाग़ी गई, कुछ जागीरदारों की चढ़ी हुई 'चाकरी' का चौथा हिस्सा छोड़ दिया गया, आम लोगों में निकलने वाले राज्य के कर्ज़ में से दो लाख रुपये माफ़ किए गए, जागीरदारों को अपना कर्ज़ अदा करने के लिये राज्य से कम सूद पर रुपया देने की घोषणा की गई, अंधों, लंगड़ों और अपाहिजों को अन्न और वस्त्र दिए गए, ५० क़ैदी छोड़े गए, बहुत से क़ैदियों की सजाएं कम की गईं और शहर और गांवों में सभाएं कर शाही फ़रमान सुनाया गया।

इसी अवसर पर महाराजा सुमेरसिंहजी को दिल्ली दरबार के सम्बन्ध का सोने का पदक, महाराजा प्रतापसिंहजी को जी. सी. वी. ओ. का ख़िताब और सोने का पदक, १६ राजकर्मचारियों और सरदारों तथा २६ सैनिकों को चांदी के पदक, दो अन्य कर्मचारियों को ख़ास तमग़े और दो कर्मचारियों को पट्टियां (Clasps) मिलीं। इनके अलावा वेड़े के ठाकुर शिवनाथसिंह को 'राओ बहादुर' का और पण्डित श्यामबिहारी मिश्र को 'राय साहब' का ख़िताब मिला।

२. पौष वदि २ (७ दिसम्बर) को महाराजा सुमेरसिंहजी सम्राट् से मिले और पौष वदि ६ (११ दिसम्बर) को वायसराय ने आकर मारवाड़-राज्य के अभिभावक (रीजैंट) महाराजा प्रतापसिंहजी से मुलाकात की।

३. इस विषय में माननीय (Hon' ble) John Fortescu ने लिखा था "बादशाह के पास पहुँचते ही महाराजा सुमेरसिंहजी का घोड़ा भड़क गया। परन्तु आपने सैनिक नियमानुसार दृष्टि को सम्राट् की तरफ़ से विना हटाए ही उसे तत्काल क़ाबू में कर अपना उत्तरदायित्व पूर्ण किया।"

४. इस वार की यात्रा में ठाकुर धौंकलसिंह की एवज़ महाराज-कुमार गुमानसिंहजी आपके साथ थे। फागुन वदि ६ (ई० स० १६१२ की ८ फ़रवरी) को जोधपुर में महाराजा

वि० सं० १९६९ के आश्विन (ई० स० १९१२ के अक्टोबर) में जोधपुर में 'चीफ़ कोर्ट' की स्थापना का प्रबन्ध किया गया और इसका पहला 'चीफ़ जज' मिस्टर ए. डी. सी. बार² (A. D. C. Barr), जो अमरावती से बुलवाया गया था, नियुक्त हुआ। इस प्रकार 'चीफ़ कोर्ट' की स्थापना होजाने से 'अपील' और 'तामील' के महकमे उठादिए गए। इसके बाद पौष (ई० स० १९१३ की जनवरी) में अदालतों में वकालत करनेवाले वकीलों की परीक्षा³ का प्रबन्ध किया गया।

माघ वदि १३ (३ फ़रवरी) को दरभंगा-नरेश⁴ और पंडित मदनमोहन मालवीय, 'हिन्दू-यूनीवर्सिटी' के लिये चंदा जमा करने को, जोधपुर आए। इस पर जोधपुर-दरबार की तरफ़ से दो लाख रुपये नक़द⁵ और चौबीस हज़ार रुपये सालाना शिल्प-कला विज्ञान की शिक्षा (Hardinge Chair of Technology) के लिये देना निश्चित किया गया।

सुमेरसिंहजी के नाम पर 'सुमेर-पुष्टिकर-स्कूल' की स्थापना की गई। उस समय महाराजा साहब के इंगलैंड में होने से उसका उद्घाटन राज्य के रीजैंट महाराजा प्रतापसिंहजी ने किया।

१. वि० सं० १९६९ की चैत्र सुदि १४ (ई० स० १९१२ की ३१ मार्च) को मुंशी हरनामदास वापस लौट गया।

२. यह अमरावती में 'सैशन जज था', और गवर्नमैंट से मांग कर जोधपुर में नियत किया गया था। कुछ दिन बाद ही यह काउंसिल का विशिष्ट (additional) मैंबर भी बनादिया गया।

'चीफ़ कोर्ट' के अन्य दो जजों के स्थान पर रीयां-ठाकुर विजैसिंह और लक्ष्मणदास सपट नियुक्त किए गए। बाबू उमरावसिंह काउंसिल का सैक्रेटरी बनाया गया।

३. प्रथम श्रेणी में पास होनेवाले वकीलों को मारवाड़-राज्य की प्रत्येक अदालत में और द्वितीय श्रेणी में पास होने वालों को चीफ़ कोर्ट के सिवा अन्य अदालतों में वकालत करने का अधिकार दिया गया; तथा उनका मेहनताना भी तय कर दिया गया। हाकिमों के काम की देख भाल के लिये ४ सुपरिन्टैन्डैन्ट नियत किए गए और न्याय-विभाग के प्रत्येक अधिकारी के अधिकार तय कर दिए गए। इसी प्रकार 'मारवाड़-पीनलकोड' आदि की रचना का प्रबन्ध भी किया गया। इसी वर्ष सम्राट् के जन्म दिन पर ठाकुर गुमानसिंह खीची को 'राओ बहादुर' की और (जोधपुर रेल्वे के) बाबू छोटमल रावत को 'राय साहब' की उपाधियां मिलीं।

४. आपका नाम रावणेश्वरजी था।

५. इसके अलावा जनता ने भी इस काम में चन्दे से अच्छी सहायता दी थी।

इस वर्ष के आश्विन (ई० स० १९१२ के अक्टोबर) में किशनगढ़-नरेश, मँगसिर (दिसम्बर) में बीकानेर-नरेश, माघ (फ़रवरी १९१३) में सैलाना-नरेश और जयसलमेर-नरेशों ने जोधपुर आकर दरबार का आतिथ्य स्वीकार किया।

मिस्टर गॉइडर (G. B. Goyder) के गवर्नमैंट की नौकरी पर लौट जाने के कारण, वि० सं० १९७० के आषाढ (ई० स० १९१३ की जुलाई) में, मेजर एस. बी. ए. पैटर्सन (S. B. A. Patterson) 'फ़ाइनैंस मैंबर' नियुक्त हुआ।

पहले केवल जागीरदारों से ही 'हुक्मनामा[1]' लिया जाता था, परन्तु अब से महाराजा-रीजैंट (सर प्रतापसिंहजी) की आज्ञा से राज-कर्मचारियों से भी (जिन्हें राज्य से गाँव मिले हुए थे) वह लिया जाने लगा।

पौष सुदि १४ (ई० स० १९१४ की ११ जनवरी[2]) को महाराजा सुमेरसिंहजी इंगलैंड से लौट आए, और यहां पर राज्य-कार्य का अनुभव प्राप्त करने लगे। आप जिस समय वैलिंग्टन कॉलिज में विद्याभ्यास करते थे, उस समय स्वयं सम्राट् भी आपकी उन्नति में विशेष अनुराग प्रदर्शित करते रहते थे।

माघ वदि ६ (१७ जनवरी) को महाराजा साहब की साल-गिरह के उपलक्ष्य में नमक पर का कर आधा[3] करदिया, फ़ौजदारी मुक़द्दमों की बारह वर्ष से ऊपर की बकायों[4] माफ़ करदी गई और राजपूतों के सिवा अन्य जातियों पर से मृतक के पीछे वृहद्भोज (मौसर) आदि करने की मनाई उठादी गई।

माघ सुदि १२ (७ फ़रवरी) को उस समय का वायसराय लॉर्ड हार्डिंज जोधपुर आया। इस पर दरबार की तरफ़ से उसका यथोचित सत्कार किया गया। दूसरे दिन वायसराय के हाथ से, जोधपुर से तीन कोस पश्चिम चौपासनी नामक स्थान में बने, नए 'राजपूत-हाई स्कूल[5]' का उद्घाटन करवाया गया। तीसरे दिन स्वयं महाराजा सुमेरसिंहजी की अधिनायकता में सरदार-रिसाले की क़वायद हुई। इस अवसर पर की महाराजा की फ़ुर्ती और कुशलता को देख वायसराय ने बड़ी प्रसन्नता प्रकट की।

---

१. किसी जागीरदार के मरने पर जब उसका उत्तराधिकारी जागीर का मालिक होता है, तब उसकी जागीर की एक वर्ष की आय राज्य में ली जाती है। इसी को 'हुक्मनामा' कहते हैं।

२. अंगरेज़ों के इसी नव-वर्ष के अवसर पर गोराउ-ठाकुर धौंकलसिंह को 'राओ बहादुर' की उपाधि मिली।

३. पहले नमक पर दो रुपये फ़ी मन कर लगता था।

४. यह रक़म १,२८,२३७ रुपये की थी।

५. इस स्कूल के बनाने में साढ़े चार लाख से अधिक रुपये लगे थे और इसका पहला प्रिंसिपल आर० बी० वॉनवर्ट (R. B. Van Wart) नियत किया गया था।

वि० सं० १९७१ की वैशाख सुदि ९ (४ मई) को गरमी की अधिकता के कारण महाराजा सुमेरसिंहजी आबू चले गए।[1]

इसी वर्ष की श्रावण सुदि १४ (ई० स० १९१४ की ४ अगस्त) को जैसे ही जर्मनी और इंगलैंड के बीच युद्ध छिड़ने की सूचना मिली, वैसे ही नवयुवक महाराजा सुमेरसिंहजी और उनके पितामह (महाराजा जसवंतसिंहजी के भ्राता) वृद्ध महाराजा प्रतापसिंहजी ने, जोधपुर के रिसाले को साथ लेकर, युद्धस्थल में जाने और ब्रिटिश-गवर्नमैंट की सहायता करने की इच्छा प्रकट की।[2] इसके बाद गवर्नमैंट की स्वीकृति आजाने पर भादों वदि ९ (१५ अगस्त) को जोधपुर में एक दरबार किया गया। इसमें राज्य के सरदार, मुत्सद्दी और कर्मचारी आदि सब ही उपस्थित हुए और इसके प्रधान का आसन स्वयं महाराजा साहब ने ग्रहण किया। इसी समय राज्य की तरफ़ से युद्ध-पीड़ितों की सहायता के लिये एक लाख रुपये दिए जाने की घोषणा की गई और अन्य लोगों से सहायता का चंदा एकत्रित करने के लिये एक 'कमेटी' बनाई गई। जिस समय लोगों को अपने नवयुवक-महाराजा और उनके वृद्ध-पितामह के युद्ध-स्थल में जाने की सूचना मिली, उस समय वे प्रेम से विह्वल हो गए।

भादों सुदि ९, १० और ११ (२९, ३० और ३१ अगस्त) को, खास (स्पेशल) ट्रेनों द्वारा, सरदार-रिसाला युद्ध के लिये रवाना हुआ और आश्विन वदि ८ (१२ सितंबर) को महाराजा सुमेरसिंहजी और महाराजा प्रतापसिंहजी भी रणक्षेत्र में सम्मिलित होने के लिये चल पड़े[3]। इसके बाद लंदन पहुँचने पर आप दोनों सम्राट् जॉर्ज पंचम से मिले। सम्राट् ने नव-युवक महाराजा सुमेरसिंहजी की वीरता और उत्साह से प्रसन्न

१. इंगलैंड से लौटने पर महाराजा सुमेरसिंहजी का विचार सैनिक-शिक्षा प्राप्ति के लिये देहरा-दून जाकर 'कैडिट-कोर' में सम्मिलित होने का था, परंतु इस यूरोपीय महायुद्ध के छिड़ जाने से वह विचार स्थगित करना पड़ा।

२. महाराजा प्रतापसिंहजी के युद्धस्थल में चले जाने से यहां की 'रीजैंसी काउंसिल' के अध्यक्ष का कार्य पश्चिमी राजपूताने की रियासतों के रैज़ीडैंट कर्नल सी. जे. विंढम (C. J. Windham) को सौंपा गया।

इस वर्ष 'रीजैंसी काउंसिल' ने 'गांवाई खतों' (सारे गांव वालों पर लागू होने वाले कर्ज़ के दस्तावेज़ों) की प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया।

३. इस यात्रा में बेड़ा-कुंवर पृथ्वीसिंह, खीची गुमानसिंह, जोधा धौंकलसिंह और ठाकुर दलपतसिंह (देवली) महाराजा साहब के साथ थे।

हो, कार्तिक वदि ११ (१५ अक्टोबर) को, आपको ब्रिटिश-भारत की सेना का ऑनररी (अवैतनिक) लैफ्टिनैंट नियत कियां।[1]

पहले जागीरदार और काश्तकार लोग रुपये की आवश्यकता होने पर ज़मीन गिरवी (भोगलांवे)[2] रख कर कर्ज़ लेलिया करते थे। परन्तु बाद में एक मुश्त रुपया जमा न कर सकने के कारण अक्सर उनके लिये उस ज़मीन का छुड़वाना असंभव हो जाता था। यह देख कर राज्य ने इस प्रथा की जांच के लिये एक कमेटी नियत करदी। इसने जांच करने के बाद पुराने लेन-देन का फैसला करदिया[3] और आगे के लिये इस प्रथा को उठाकर ऐसे कर्ज़ की अवधि निश्चित करदी[4]। इससे नियत समय के बाद, विना रुपया लौटाए ही, ऐसी ज़मीन अपने असली अधिकारी के अधिकार में चली जाने लगी।[5]

वि० सं० १९७२ की ज्येष्ठ सुदि ५ (ई० स० १९१५ की १७ जून) को, करीब ९ मास के बाद, महाराजा सुमेरसिंहजी युद्धस्थल से लौट कर बम्बई

---

१. फ्रांस के युद्धस्थल में प्रदर्शित आपके उत्साह को देख, वि० सं० १९७१ के माघ (ई० स० १९१५ की जनवरी) में आप तीसरे स्किनर्स रिसाले के अवैतनिक अफ़सर बना दिए गए। इसी अंगरेज़ी वर्ष (१९१५) के आरंभ में रियां-ठाकुर विजैसिंह को 'राओ बहादुर' की उपाधि मिली।

२. भोगलावे में रुपया देनेवाला विना किसी एवज़ाने के गिरवी रक्खे हुए मकान या ज़मीन की आमदनी का उपभोग करता है, और कर्ज़दार रुपयों का सूद नहीं देता। रहन रक्खी हुई वस्तु का किराया या लगान ही सूद का एवज़ाना समझा जाता है।

३. कर्ज़ देनेवाले के पास असली रुपये से दुगना रुपया पहुँच जाने पर ज़मीन पर से उसका अधिकार उठा दिए जाने का नियम बनाकर फ़ैसला कर दिया।

४. ऐसे लेन-देन की अवधि अधिक से अधिक २४ वर्ष की करदी गई। इससे कर्ज़ देनेवाले के नियत समय तक ज़मीन की आय का उपभोग कर लेने पर विना अन्य किसी एवज़ाने के ही वह ज़मीन असली अधिकारी के अधिकार में जाने लगी।

५. इन्हीं दिनों काउंसिल के रिवेन्यू-मैंबर पं० श्यामविहारी मिश्र ने १०० रुपये भर के सेर के स्थान में ८० रुपये भर का सेर जारी कर सारे मारवाड़ में एकसा तोल प्रचलित करने का आयोजन किया, परंतु जोधपुर की जनता के विरोध करने के कारण यह विचार स्थगित करना पड़ा। इसीसे इस समय भी मारवाड़ के भिन्न-भिन्न स्थानों में भिन्न भिन्न मान के सेर प्रचलित हैं और शायद इनसे गांवों के अपढ़ किसानों को असुविधा भी होती है।

पहुँचे[1]। उस समय वहां के मारवाड़ी-समाज ने आपके स्वागत में उत्सव करने की अनुमति मांगी। परन्तु आपने, दिखावा पसन्द न होने के कारण, यह बात अस्वीकार करदी। इसके बाद तीसरे दिन आप बम्बई से रवाना होकर आबू आए और वहां से शिमले होकर दुबारा आबू होते हुए, श्रावण बदि ३ (२६ जुलाई) को, जोधपुर पहुँचे[3]। इसके बाद भादों सुदि ८ (१६ सितम्बर) को आप हवा बदलने के लिये मसूरी गए और कॉर (आश्विन) सुदि ६ (१४ अक्टोबर) को लौट कर जोधपुर आ गए।

वि० सं० १९७२ की आश्विन वदि ८ (ई० स० १९१५ की १ अक्टोबर) को जोधपुर में अजायबघर के साथ ही एक सार्वजनिक पुस्तकालय (लाइब्रेरी) की स्थापना की गई[4]।

---

१. ज्येष्ठ सुदि १४ (२६ जून) को कर्नल सी. जे. विंढम सी. आइ. ई. बनाया गया। भादों वदि ३ (२७ अगस्त) को राज्य की तरफ़ से पौकरन-कँवर चैनसिंह को, मारवाड़ के सरदारों में पहला एम. ए., एल एल. बी. होने के कारण, सुवर्ण का पदक दिया गया।

२. इस युद्ध में टर्की ने जर्मनी का साथ दिया था। इसलिये युद्ध में पकड़े गए कुछ तुर्क-कैदी जोधपुर भेज दिए गए। यहां पर वे कुछ दिनों तक तो सैंट्रल-जेल में ही रक्खे गए, परंतु बाद में उनके लिये मारवाड़-राज्य के सुमेरपुर नामक गांव में स्थान तैयार किया गया और वहां के निवासियों को १,५७,०७६ रुपयों का हरजाना देकर पास ही के ऊंदरी गांव में बसाया गया।

यह सुमेरपुर वि० सं० १९६८ की चैत्र वदि १२ (ई० स० १९१२ की १५ मार्च) को, मारवाड़ और सिरोही राज्यों की सीमा पर के ऊंदरी गांव के निकट, बसाया गया था। उस समय सिरोही-राज्य के कुछ प्रजाजन वहां के नरेश से नाराज़ होकर मारवाड़ में बसने की आज्ञा चाहते थे। यद्यपि अन्त में सिरोही के महाराव ने उनमें से अधिकांश को समझा-बुझाकर अपने राज्य में ही रख लिया, तथापि कुछ मुखिया लोग और बहुत से कृषक आदि आकर सुमेरपुर में बस गए। परंतु कुछ दिन बाद तुर्क-कैदियों के वहां पर रक्खे जाने से उन लोगों को भी वह स्थान खाली कर लौट जाना पड़ा। यद्यपि इससे राज्य की बड़ी हानि हुई, तथापि सम्राट् की सहायता का विचार कर महाराजा ने इसकी कुछ भी परवाह न की।

३. भादों सुदि ३ (१२ सितम्बर) को दरबार की तरफ़ से 'सुमेर-पुष्टिकर-स्कूल' की सहायता के लिये सात हज़ार रुपये दिए गए।

४. अगले वर्ष इसका नाम बदला जाकर महाराजा सुमेरसिंहजी के नाम पर 'सुमेर पब्लिक लाइब्रेरी' कर दिया गया। पहले जोधपुर का अजायबघर 'इंडस्ट्रियल म्यूज़ियम' कहाता था। ई० स० १९१६ में भारत-गवर्नमैंट ने इसे स्वीकृत अजायबघरों की सूची में सम्मिलित करलिया। इसके बाद अगले वर्ष इसका नाम बदला जाकर स्वर्गवासी महाराजा सरदारसिंहजी के नाम पर 'सरदार म्यूज़ियम' रक्खा गया।

इन्हीं दिनों (कार्तिक बदि २=२५ अक्टोबर को) महाराजा प्रतापसिंहजी भी युद्धस्थल से लौट कर कुछ दिन के लिये जोधपुर चले आए।

मँगसिर सुदि १ (७ दिसम्बर) को महाराजा सुमेरसिंहजी, विवाह करने के लिये, जामनगर गए। वहीं पर मँगसिर सुदि ३ (९ दिसम्बर) को आपका विवाह वहां के जाम (नरेश) रणजीतसिंहजी की बहन से हुआ[1]। इसके बाद फागुन वदि ८ (ई० स० १९१६ की २६ फ़रवरी) को लॉर्ड हार्डिंज ने जोधपुर आकर राज्य का पूर्ण-अधिकार महाराजा सुमेरसिंहजी को सौंप दिया[2][3]। इस पर महाराजा साहब ने 'रीजैंसी काउंसिल' के स्थान पर 'स्टेट काउंसिल' की स्थापना की, और 'रीजैंसी काउंसिल' के मैंबरों को ही उसका मैंबर बना दिया। परंतु इसके साथ ही यह आज्ञा भी जारी कर दी कि वे लोग प्रत्येक मामले को, अपनी राय के साथ, महाराजा साहब की मंज़ूरी के लिये भेजते रहें और महाराजा प्रतापसिंहजी, लौट कर युद्ध में जाने तक, इन मामलों पर महाराजा साहब की तरफ़ से अन्तिम आज्ञा[4][5] देते रहें। इसके बाद

१. उस समय यूरोपीय महा-समर के होने से विवाह के समय विशेष उत्सव नहीं मनाया गया था, इसीसे मँगसिर सुदि ७ (१३ दिसम्बर) को बरात लौट कर जोधपुर चली आई।

वि० सं० १९७३ की आश्विन वदि ६ (ई० स० १९१६ की २० सितम्बर) को इस महारानी (जाडेजीजी) के गर्भ से एक कन्या का जन्म हुआ।

२. माघ सुदि १ (४ फ़रवरी) को लॉर्ड हार्डिंज ने काशी में हिन्दू-विश्वविद्यालय (Hindu University) के भवन की नींव रक्खी। उस समय महाराजा सुमेरसिंहजी और महाराजा प्रतापसिंहजी भी वहां जाकर उस उत्सव में सम्मिलित हुए।

३. इस अवसर पर नगर-वासियों ने रात्रि में अपने-अपने घरों पर रौशनी कर अपना हर्ष प्रकट किया।

४. पौष वदि ११ (ई० स० १९१६ की १ जनवरी) को पण्डित श्यामबिहारी मिश्र को 'राय बहादुर' की उपाधि मिली।

५. आषाढ सुदि ३ (३ जुलाई) को महाराज ज़ालिमसिंहजी ने अपने कार्य से छुट्टी लेली। इस पर सावन सुदि २ (१ अगस्त) से काउंसिल के वाइस प्रेसीडैंट, सीनियर मैंबर, मिलिटरी मैंबर और पी डब्ल्यू. डी. मैंबर के पद उठा दिए गए। सैनिक विभाग का काम पहले महाराजा साहब के मिलिटरी सैक्रेटरी कैप्टिन जी. आइ. जी. हैन्सन (G. I. G Hanson) के ज़िम्मे हुआ और उसके जाने के बाद रोहट-ठाकुर दलपतसिंह महाराजा का मिलिटरी सैक्रेटरी बनाया गया। पी. डब्ल्यू. डी. मैम्बर का काम 'फाइनैंस मैंबर' मेजर पैटर्सन (S. B. Patterson) को सौंपा गया। इसी प्रकार 'चीफ़ जज' ए. डी. सी. बार (A. D. C. Barr) के चैत्र वदि १३ (३१ मार्च) को छुट्टी पर जाने, और बाद में गवर्नमैंट की सेवा में लौट जाने से वह कार्य लक्ष्मणदास सपट को दिया गया।

जब, चैत्र वदि १३ (३१ मार्च) को, महाराजा प्रतापसिंहजी फिर युद्ध में सम्मिलित होने को चले गए, तब वि० सं० १९७३ की ज्येष्ठ वदि ९ (२५ मई) को जामनगर[1] का खान बहादुर महरबानजी पेस्टनजी मुसाहिब आला बनाया गया[2]।

कार्तिक सुदि १ (२७ अक्टोबर) को महाराजा सुमेरसिंहजी नरेन्द्र-मण्डल की सभा (Chiefs' Conference) में भाग लेने को दिल्ली गए[3]।

---

१. ई० स १९१६ के मार्च में ईडर-नरेश और जुलाई में किशनगढ़-नरेश जोधपुर आए। इसी वर्ष के मार्च में जोधपुर-नरेश स्वयं शिकार के लिये जामनगर गए, परन्तु वहां पर आपकी तबीअत ख़राब होजाने और माजी हाडीजी साहबा का स्वर्गवास होजाने से आप ज्येष्ठ वदि ८ (२४ मई) को वापस लौटे। महाराजा साहब के साथ अपनी बहन का विवाह-सम्बन्ध होने के कारण जाम साहब भी बहुधा जोधपुर आते रहते थे।

२. माघ वदि ६ (ई० स० १९१७ की १४ जनवरी) को महाराजा सुमेरसिंहजी ने, अपनी वर्ष गांठ के उत्सव पर, इसे पैर में पहनने को सोना, हाथ का कुरब और हाथी सरोपाव दिया।

३. वि० सं० १९७३ की कार्तिक वदि ६ (ई० स० १९१६ की १७ अक्टोबर) को महाराजा साहब जामनगर गए और कार्तिक वदि १२ (२३ अक्टोबर) को वहां से लौट कर जाम साहब के साथ जोधपुर आए। उपर्युक्त दिल्ली यात्रा में भी जाम साहब आपके साथ थे। वहां से आप (महाराजा साहब) बंबई होते हुए मँगसिर वदि १ (१० नवम्बर) को जोधपुर पहुँचे। मँगसिर सुदि ७ (१ दिसंबर) को आप एक मास के लिये फिर बंबई गए और पौष सुदि १० (ई० स० १९१७ की ३ जनवरी) को वहां से लौट कर अपनी राजधानी में आए।

माघ सुदि १० (१ फ़रवरी) को आप महारानी साहबा के साथ जामनगर और बंबई गए और फागुन सुदि १३ (६ मार्च) को वहां से लौट कर आए।

वि० सं० १९७४ की वैशाख सुदि ६ (२७ अप्रेल) को आप ३ दिन के लिये आबू गए थे।

कार्तिक वदि ११ (१० नवम्बर) को आपने उस समय के बंबई के गवर्नर लॉर्ड विलिंग्डन (Lord Willingdon) से मारवाड़ जंकशन पर मुलाक़ात की।

उपर्युक्त दिल्ली यात्रा के समय के सिवा पौष सुदि १३ (ई० स० १९१७ की ६ जनवरी) और चैत्र वदि ४ (१२ मार्च) को भी जाम साहब जोधपुर आए थे। इसी प्रकार वि० सं० १९७४ की ज्येष्ठ सुदि ११ (१ जून) को अलवर-नरेश ने आकर महाराजा का आतिथ्य स्वीकार किया।

वि० सं० १९७३ की पौष सुदि ८ (ई० स० १९१७ की १ जनवरी) को शाह किशनलाल को 'राय साहब' की उपाधि मिली।

वि० सं० १९७३ की माघ वदि ७ (ई० स० १९१७ की १५ जनवरी) को नगर में बिजली के क़ारख़ाने का उद्घाटन किया गया।

वि० सं० १९७४ की पौष वदि ४ (ई० स० १९१८ की १ जनवरी) को गवर्नमैंट ने महाराजा साहब की युद्ध में दी हुई सहायताओं के उपलक्ष में आपको के० बी० ई० की उपाधि से भूषित किया।

फाल्गुन (मार्च) में दीवान बहादुर तिवाड़ी छज्जूराम 'मुसाहिब-आला' बनाया गया। इस वर्ष वर्षा की अधिकता के कारण नगर और गांवों में प्लेग फैल गया। परंतु नये दीवान ने महाराजा की आज्ञा से शहर के बाहर के सरकारी मकानात खुलवा कर नगर-वासियों के लिये रहने का सुभीता कर दिया। इसी प्रकार नियत-भाव से नाज बेचने के लिये दूकानें खुलवा कर नगर में होने वाली मँहगाई दूर की गई और सरकारी रिसाले को नगर में गश्त लगाने की आज्ञा देकर निर्जन-घरों की रक्षा का प्रबन्ध किया गया। प्लेग के शान्त होते ही नगर में युद्ध-ज्वर

१. पौष सुदि १० (ई० स० १९१७ की ३ जनवरी) को 'सरदार-इन्फ़ैंट्री' के 'कमांडिंग ऑफ़ीसर' महाराज रत्नसिंहजी का स्वर्गवास होगया।

वि० सं० १९७४ की वैशाख वदि ७ (१४ अप्रेल) को मेजर पैटर्सन (फ़ाइनैंस मैंबर) और ज्येष्ठ वदि ६ (१५ मई) को पं० श्यामविहारी मिश्र (रेवैन्यू मैंबर) लौट कर गवनमैंट की सेवा में चले गए।

२. महाराजा सुमेरसिंहजी ने वि० सं० १९७४ की मँगसिर वदि ३० (ई० स० १९१७ की १४ दिसम्बर) और माघ सुदि ८ (ई० स० १९१८ की १८ फ़रवरी) को कलकत्ते की, माघ वदि ७ (ई० स० १९१८ की ३ फ़रवरी) को दिल्ली की, माघ वदि ३० (११ फ़रवरी) को उमरकोट की, फागुन सुदि ३ (१५ मार्च) को उटकमंड की और वि० सं० १९७५ की भादों बदि ११ (१ सितम्बर) को पूना की यात्रा की।

वि० सं० १९७४ की आश्विन वदि ३० (ई० स० १९१७ की १६ अक्टोबर) को टौंक-नवाब के पुत्र साहबज़ादा फ़र्रुख़मोहम्मद अलीख़ाँ जोधपुर आए और करीब २७ दिन यहां रहे।

वि० सं० १९७५ की ज्येष्ठ वदि ९ (ई० स० १९१८ की ३ जून) को सम्राट् की साल-गिरह पर बाबू देवीदयाल (सुपरिन्टैंडैंट-आबकारी), बाबू शंकरलाल (सैक्रेटरी-जोधपुर इंपीरियल-लांसर्स) और के. मंजुनाथ भटजी (सुपरिंटैंडैंट-कस्टम्स) को 'राय साहब' की उपाधियां मिलीं।

३. वि० सं० १९७४ की फागुन वदि ५ (ई० स० १९१८ की ३ मार्च) को महरवानजी पेस्टनजी लौट कर जामनगर चला गया। इस अवसर पर उसको हाथी सरोपाव और पांच हज़ार रुपये इनाम के तौर पर दिए गए।

(इन्फ़्लुऐंज़ा) का प्रकोप हो गया। परन्तु शीघ्र ही दरबार की तरफ़ से एक 'रिलीफ़ कमेटी' बनादी जाने से गरीब लोगों को हर-तरह का सुभीता हो गया। यह कमेटी गरीब बीमारों के लिये दवा के साथ ही खाने-पीने का प्रबन्ध भी कर देती थी।

वि० सं० १९७५ की वैशाख सुदि १३ (ई० स० १९१८ की २३ मई) को महाराजा सुमेरसिंहजी का दूसरा विवाह, सोहिन्तरा (पचपदरा परगने) के चौहान-ठाकुर के छोटे भाई, सूरजमल की कन्या से हुआ। इसके उपलक्ष्य में राज्य-कर्मचारियों और प्रतिष्ठित नगर-वासियों को निमंत्रित कर बड़ा भोज और जलसा किया गया।

इन दिनों जोधपुर का सरदार-रिसाला, मिस्र (Egypt) के रणस्थल में, तुर्कों से लड़ रहा था। वहीं पर वि० सं १९७५ के आश्विन (सितंबर) में, हैफा के युद्ध में उक्त रिसाले का मेजर देवली-ठाकुर दलपतसिंह सम्मुख रण में मारा गया[1]।

---

१. वि० सं० १९७४ की फागुन सुदि ३ (ई० स० १९१८ की १५ मार्च) को जिस समय जोधपुर का रिसाला पश्चिमी युद्ध क्षेत्र से मिस्र (Egypt) भेजा गया, उस समय स्वयं सम्राट् ने उसके पश्चिमी युद्ध-क्षेत्र में किए कार्यों की प्रशंसा की थी।

वि० सं० १९७४ की चैत्र वदि २ (२९ मार्च) को यह रिसाला मिस्र पहुँचा और वि० सं० १९७५ की आषाढ सुदि ६ (ई० स० १९१८ की १४ जुलाई) को इसने जॉर्डन की घाटी (Jordan Valley) के हमले में भाग लेकर शत्रु को खूब क्षतिग्रस्त किया।

इसके बाद वि० सं० १९७५ की आश्विन वदि ३ (ई० स० १९१८ की २३ सितम्बर) को इस रिसाले ने क़िलेबंदी से सुरक्षित हैफ़ा नगर पर धावा कर उस पर अधिकार कर लिया। यद्यपि उक्त स्थान पर नगर और रिसाले के बीच नदी की बाधा थी और शत्रु अपने सुदृढ़ मोरचों में बैठ भीषण गोलावृष्टि कर रहा था, तथापि रिसाले के वीरों ने इन विघ्न-बाधाओं को नष्ट कर अपने भालों से बहुत से तुर्कों को मार डाला और ७०० तुर्क सिपाहियों को क़ैद कर लिया। इसी धावे में उपर्युक्त मेजर ठाकुर दलपतसिंह M. C. वीरता से लड़ कर मारा गया था।

कार्तिक वदि ७ (ई० स० १९१८ की २६ अक्टोबर) को इस रिसाले ने अलप्पो (Aleppo) के उत्तर-पश्चिम वाले धावे में भी भाग लिया।

युद्ध में प्रदर्शित वीरता के कारण इस रिसाले के वीरों को ९३ पदक आदि मिले थे। इनके अलावा इस रिसाले के अनेक अफ़सरों के नाम सैनिक-खरीतों (despatches) में भी उद्धृत किए गए थे।

महाराजा प्रतापसिंहजी की वीरता से प्रसन्न होकर फ़्रांस के प्रैसीडैंट ने आपको 'लीजियन डी' ऑनर ग्रांड ऑफ़ीसर, (Legion d'honneur grand officer) का और मिस्र (Egypt) के सुलतान ने प्रथम श्रेणी का 'ग्रांड कॉर्डन ऑफ़ दि ऑर्डर ऑफ़ दि नाइल' (Grand Cordon of the order of the Nile) का ख़िताब दिया था।

वि० सं० १९७५ की आश्विन वदि १४ (ई० स० १९१८ की ३ अक्टोबर) को, २१ वर्ष की अवस्था में ही, इन्फ़्लुऐंज़ा की बीमारी से, महाराजा सुमेरसिंहजी का स्वर्गवास हो गया।

इसी प्रकार गवर्नमैंट ने भी आपको जी. सी. बी. और 'लैफ़्टिनैंट जनरल' के पदों से भूषित किया था।

इसी समय मिस्र के सुलतान ने महाराजा सुमेरसिंहजी को भी इसी (ग्रांड कॉर्डन ऑफ़ दि ऑर्डर ऑफ़ दि नाइल) की उपाधि से सम्मानित किया।

महाराजा सुमेरसिंहजी ने, इस युद्ध में सहायता देने के लिये गवर्नमैंट से इनफ़ैंटरी की एक विशिष्ट 'बटेलियन' (Battalion of Indian Infantry) तैयार करने की आज्ञा मांगी थी और वि० सं० १९७५ की आषाढ वदि १३ (ई० स० १९१८ की ६ जुलाई) को भारत-गवर्नमैंट की आज्ञा मिल जाने पर सिपाहियों की भरती भी प्रारम्भ करदी थी। परंतु कार्तिक सुदि ६ (१२ नवम्बर) को युद्ध स्थगित (Armistic) हो जाने से यह काम रोक दिया गया।

उस समय भारतवर्ष के वायसराय की प्रार्थना पर, 'सेंट जॉन ऐंबुलैंस' और 'रैडक्रॉस सोसाइटी' की मदद के लिये जोधपुर में, वि० सं० १९७४ की मँगसिर वदि ११, १२ और १३ (ई० स० १९१७ की १०, ११ और १२ दिसम्बर) को 'ऑवर डे' का उत्सव (Our day fete) किया गया। इसमें खेल और तमाशों का प्रबन्ध था और इससे ४८,७८५ रुपयों की आय हुई थी। इसके अलावा जोधपुर-दरबार की तरफ़ से भी उन 'सोसाइटियों' की सहायता के लिये एक लाख रुपये दिए गए। इसी प्रकार वि० सं० १९७४ की द्वितीय भादों सुदि १५ (ई० स० १९१७ की ३० सितम्बर) तक जोधपुर-दरबार की तरफ़ से युद्ध से सम्बन्ध रखने वाले अन्य अनेक चन्दों में भी कुल मिलाकर ८,५१,०६८ रुपये दिए गए। इसके साथ ही जोधपुर-दरबार ने अपना रेल्वे का कारख़ाना भी गोले बनाने के लिये खोल दिया था और यहां पर तेरह पाउंड वाले ३५४ गोले बनाए गए थे।

१. भादों वदि ११ (१ सितम्बर) को महाराजा साहब पोलो के लिये पूना गए, परन्तु वहां पर तबीअत ख़राब होजाने से, भादों सुदि ११ (१६ सितम्बर) को, आप जोधपुर लौट आए। यहां पर शीघ्र ही शिमला, अजमेर, बंबई और कराची के प्रसिद्ध-प्रसिद्ध डाक्टरों को बुलवा कर आपकी चिकित्सा का प्रबन्ध किया गया। परन्तु रोगने दोनों पुफ़्फ़ुसों में फैलकर डबल निमोनिया (double pneumonia) का रूप धारण करलिया।

आपके असमय-स्वर्गवास पर जामनगर, उदयपुर और किशनगढ़ के नरेशों ने स्वयं यहां आकर और ग्वालियर, बूंदी, सीकर और नरसिंहगढ़ के राजाओं ने अपने प्रतिनिधि भेज कर अपना हार्दिक-शोक प्रकट किया।

महाराजा सुमेरसिंहजी नवयुवक होने पर भी वीर, निर्भीक, प्रभावशाली और विचक्षण नरेश थे। प्रजा पर आपकी विशेष कृपा रहती थी। छोटी अवस्था में ही शिक्षा के लिये इंगलैंड चले जाने और यूरोपीय महासमर में भाग लेने के कारण आप पाश्चात्य जगत् से पूर्ण परिचित थे। इसी से ब्रिटिश-अधिकारियों से मिलने में किसी प्रकार का संकोच नहीं करते थे। आपके राज्य-समय जोधपुर की और भी उन्नति हुई। नगर में बिजली का सरकारी कारख़ाना खुलजाने और कुछ सड़कों पर बिजली की रौशनी लग जाने से घरों में रौशनी और उन सड़कों पर रात्रि में आवागमन का सुभीता हो गया। जल-कल का प्रबन्ध हो जाने से जनता का जल संबंधी बहुतसा कष्ट भी दूर हो गया। न्याय-विभाग में सुधार कर 'चीफ़ कोर्ट' की स्थापना कर देने, अनेक कायदे क़ानूनों के बनजाने, 'मारवाड़ पीनल कोड', 'कोड ऑफ़ क्रिमिनल प्रोसीजर' आदि कानून की पुस्तकों के प्रकाशित हो जाने और वकीलों की परीक्षाओं के नियत हो जाने से प्रजा को न्याय-प्राप्त करने में सुभीता हो गया। साथ ही प्रजा के निजी छापाखाना खोलने और जातीय या समाज-सुधारक मासिक पत्रादि निकालने के क़ानून भी बनादिए गए। इसी प्रकार ज़मीन की सिंचाई के लिये अनेक नए कुँए बनवाए गए और सुमेर-समंद और सूरपुरा आदि बांधों से भी इसमें उन्नति की गई। 'पब्लिक वर्क्स' (जनता के उपयोग) के कामों पर पहले से कहीं अधिक रुपया ख़र्च किया जाने लगा। सड़कों का सुधार किया गया। सारे बड़े-बड़े राजकीय दफ़्तरों में सुभीते के लिये टैलीफ़ोन का लगाना निश्चित हुआ। 'जोधपुर-फलोदी' और 'जसवंतगढ़-लाडनू' की लाइनों के खुल जाने से रेल्वे का विस्तार बढ़कर ५२५ मील से ६०८$\frac{3}{4}$ मील हो गया और रेल्वे पर लगे कुल रुपयों की तादाद २, १०, १७, ६६८ तक पहुँच गई। ४$\frac{1}{2}$ लाख रुपियों से अधिक ख़र्च कर चौपासनी का नया राजपूत-हाईस्कूल बनवाया गया। राज्य की आय अस्सी लाख से बढ़ कर एक करोड़ चौदह लाख के क़रीब हो गई। राज्य के रेल्वे आदि भिन्न-भिन्न सीग़ों में लगे रुपयों (assets) की जोड़ २$\frac{3}{4}$ करोड़ से बढ़कर ४$\frac{3}{4}$ करोड़ से ऊपर पहुँच गई। इसके अलावा यूरोप के महासमर में भी दरबार की तरफ़ से रुपयों और आदमियों की पूरी सहायता दी गई।

इस काम में राज्य के क़रीब ३५ लाख रुपये खर्च हुए थे। महाराजा सुमेरसिंहजी के समय मारवाड़ के अस्पतालों में भी बहुत कुछ सुधार हुआ और उन पर लगने वाला खर्च बढ़ कर सवा लाख रुपया सालाना तक पहुँच गया। नगर में एक कॉलेज के सिवा अन्य स्कूलों की संख्या बढ़ कर ६६ से ७२ हो गई[1] और राज्य के विद्या-विभाग का सालाना खर्च १, ११, ८८१ रुपयों के क़रीब पहुँच गया। आपही के समय 'सुमेर-कैमल-कोर' की स्थापना की गई थी। इसप्रकार आप के राज्य समय मारवाड़ देश उन्नति के पथ पर कई क़दम और भी आगे बढ़ गया।

---

१. इनमें १ हाइस्कूल, १ संस्कृत स्कूल, १ बिज़नैस क्लास, १ गर्ल्स स्कूल, ३ ऐंग्लो वर्नाक्यूलर मिडल स्कूल, और १ वर्नाक्यूलर मिडल स्कूल के सिवा अन्य 'लोअर प्राइमरी' 'प्राइमरी' और 'अपर प्राइमरी' स्कूल थे।

परिशिष्ट-१

राजराजेश्वर महाराजाधिराज सर उंमेदसिंहजी बहादुर जी० सी० ऐस० आइ०, जी० सी० आइ० ई०, के० सी० ऐस० आइ०, के० सी० वी० ओ०

३७ वर्तमान मारवाड़-नरेश.

आप महाराजा सरदारसिंहजी के द्वितीय महाराज-कुमार और महाराजा सुमेरसिंहजी के छोटे भ्राता हैं। आपका जन्म वि० सं० १९६० की आषाढ सुदि १४ (ई० स० १९०३ की ८ जुलाई) को हुआ था।

स्वर्गवासी महाराजा सुमेरसिंहजी के पीछे पुत्र न होने से, वि० सं० १९७५ की आश्विन (काँर) सुदि ९ (ई० स० १९१८ की १४ अक्टोबर) को, आप जोधपुर की गद्दी पर बैठे[२]। उस समय आपकी अवस्था करीब १६ वर्ष की थी। इससे मँगसिर सुदि १ (४ दिसम्बर) को राज्य-प्रबन्ध के लिये महाराजा सर प्रतापसिंहजी की

१. वि० सं० १९६७ (ई० स० १९१०) में आप शिक्षा प्राप्त करने के लिये अपने बड़े भ्राता महाराज-कुमार सुमेरसिंहजी के साथ ही अजमेर के मेओ कालिज में प्रविष्ट हुए और वि० सं० १९६८ के कार्तिक (ई० स० १९११ के अक्टोबर) में आपने शारीरिक-अस्वस्थता के कारण, जल-वायु परिवर्तन के लिये, इजिप्ट (मिस्र) की यात्रा की। वहां पर आप करीब चार मास रहे थे।

वि० सं० १९६९ (ई० स० १९१३) में आपने काश्मीर की यात्रा की। इस यात्रा में आपके छोटे भ्राता महाराज अजितसिंहजी भी आपके साथ थे। इसके बाद वि० सं० १९७२ (ई० स० १९१५) में आप राजकोट के राजकुमार-कालिज में शिक्षा पाने के लिये चले गए। आपके छोटे भ्राता महाराज अजितसिंहजी ने भी वहीं पर प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की थी।

२. इस समय, पुरानी प्रथा के अनुसार, बगड़ी के ठाकुर ने अपने हाथ के अंगूठे के रक्त से आपके ललाट पर तिलक लगाकर आपके सामने तलवार पेश की। इसके बाद राज्य के पुरोहित और व्यास आदि ने नवाभिषिक्त महाराजा की आरती उतारी। इस शुभ अवसर पर किले से १२५ तोपों की सलामी दागी गई और २ आजीवन और ५० साधारण कैदी छोड़े गए।

अध्यक्षता में एक राज-प्रतिनिधि-सभा (रीजैन्सी काउंसिल) नियत की गई। उस समय तक महाराजा प्रतापसिंहजी युद्धस्थल से लौट कर जोधपुर आगए थे, और कार्तिक (नवम्बर) में दिल्ली जाकर वायसराय से भी मिल चुके थे। इसी से

इस राज-तिलकोत्सव के समय किशनगढ़-नरेश भी उपस्थित थे। इससे उनके निछावर कर लेने पर अन्य महाराजों, सरदारों और राज-कर्मचारियों ने अपनी-अपनी नज़रें पेश कीं। कुछ दिनों बाद ईडर और रतलाम के नरेशों ने जोधपुर आकर आपसे मुलाक़ात की। (इसी प्रकार जामनगर-नरेश ने भी (ई० स० १९१९ में) दो वार आकर आपका आतिथ्य ग्रहण किया।)

वि० सं० १९७५ की आश्विन सुदि ९ (ई० स० १९१८ की ४ अक्टोबर) को भारत-सरकार की तरफ़ से मित्र-राज्यों की विजय और बलगेरिया के आत्म-समर्पण के उपलक्ष में ख़ुशी मनाना निश्चित हुआ। परन्तु उस समय मारवाड़ में महाराजा सुमेरसिंहजी के स्वर्गवास का शोक होने से यहां पर यह उत्सव आश्विन सुदि १४ (१८ अक्टोबर) को मनाया गया। उस रोज़ क़िले से १०१ तोपों की सलामी दाग़ी गई, सेना की क़वायद हुई, मंदिरों और मसजिदों में प्रार्थनाएँ की गईं और ग़रीबों को अन्न-वस्त्र और विद्यार्थियों को मिठाई दी गई।

कार्तिक सुदि ११ (१४ नवम्बर) को मारवाड़ में जर्मनी के अस्थायी सन्धि स्वीकार करने की ख़ुशी मनाई गई। उस रोज़ फिर मन्दिरों और मसजिदों में प्रार्थनाएँ की गईं और क़िले से १०१ तोपें चलाई गईं। इसके बाद मँगसिर बदि ९ (२७ नवम्बर) को 'ब्रिटिश-गवर्नमैन्ट' की विजय के उपलक्ष में उत्सव मनाया गया। इस अवसर पर भी क़िले से १०१ तोपें छोड़ी गईं, मन्दिरों आदि में प्रार्थनाएँ की गईं, ग़रीबों को अन्न-वस्त्र और विद्यार्थियों को मिठाई दी गई, सम्राट् के चित्र का जुलूस निकाला गया और रात को रौशनी की गई। इसके दूसरे दिन सैनिकों को भोज दिया गया। तीसरे दिन स्कूलों के विद्यार्थियों ने खेल दिखलाए और इसके बाद खिलाड़ियों को इनाम दिए गए।

वि० सं० १९७६ की आषाढ सुदि १ (ई० स० १९१९ की २८ जून) को स्थायी सन्धि पर हस्ताक्षर हो जाने से सावन बदि ७ (१९ जुलाई) को फिर क़िले से १०१ तोपें दाग़ी गईं, ८४ क़ैदी छोड़े गए, विद्यार्थियों को मिठाई और ग़रीबों को भोजन बांटा गया।

१. वि० सं० १९७५ की कार्तिक सुदि ३ (ई० स० १९१८ की ६ नवम्बर) को, कर्नल विंढम (C. J. Windham) के कोटा जाने पर भारत-सरकार ने, ख़ास तौर से चुनकर, मिस्टर ऐल० डब्ल्यू० रैनॉल्ड्स (L. W. Reynolds, I. C. S., C. I. E., M. C.) को यहां का रैज़ीडैन्ट (अपना प्रतिनिधि) नियुक्त किया था। परन्तु उसके आने तक, करीब २० दिनों के लिये, कर्नल मैकफ़र्सन (A. B. Macpherson) रैज़ीडैन्सी के कार्य की देख भाल करता रहा। (वि० सं० १९७८ की चैत्र सुदि ७ (ई० स० १९२१ की १४ अप्रेल) को मिस्टर रैनॉल्ड्स के ६ महीने की छुट्टी जाने पर, उतने समय के लिये, उसका काम लैफ्टिनैंट कर्नल सैंट जौन (H. B. St. John) को सौंपा गया।)

आपकी अध्यक्षता में, जो 'रीजैन्सी-काउन्सिल' (राज-प्रतिनिधि-सभा) बनाई गई, उसमें निम्नलिखित पदाधिकारी नियुक्त हुए:—

(क) महाराजा सर प्रतापसिंहजी—प्रैसीडैन्ट और रीजैंट (सभापति और अभिभावक) ।

(ख) महाराज जालिमसिंहजी—सीनियर मैंबर । (जुडीशल और पोलिटिकल-न्याय और राजनीतिक-विभाग आपके अधिकार में रहे) ।

(ग) राव बहादुर ठाकुर मंगलसिंह (पौकरन)—पब्लिक वर्क्स मैंबर ।

(घ) कर्नल हैमिल्टन—फ़ाइनैन्स मैम्बर (अर्थ-सचिव) ।

(ङ) राव बहादुर पण्डित सुखदेवप्रसाद काक, सी० आई० ई०—रिवेन्यू मैम्बर (आय-सचिव) ।

इस प्रकार रीजैन्सी-काउन्सिल की स्थापना हो जाने से मुसाहिब आला दीवान बहादुर छज्जूराम वापस चला गया ।

इसके साथ ही खास–खास मामलों में राय देने के लिये एक 'ऐडवाइज़री कमेटी' (परामर्शदातृ-सभा) बनाई गई[1] ।

इसके बाद महाराजा उंमेदसिंहजी साहब, कर्नल वाडिंग्टन् (C. W. Waddington) की निगरानी में रहकर, शिक्षा प्राप्त करने के लिये अजमेर के मेओ कालिज में चले गए[2] ।

---

१. इस सभा के निम्नलिखित सदस्य थे:—

(क) ठाकुर चैनसिंह (आसोप) ।

(ख) ठाकुर विजैसिंह (रीयां) ।

(ग) ठाकुर नाथूसिंह (रास) ।

२. स्वर्गवासी महाराजा सुमेरसिंहजी का विचार आपकी शिक्षा का प्रबन्ध जोधपुर में ही करने का था । परन्तु उनके स्वर्गवास के बाद महाराजा प्रतापसिंहजी ने आपको अजमेर के मेओ कालिज में भेज दिया । साथ ही आपके छोटे भ्राता महाराज अजितसिंहजी भी उसी कालिज में शिक्षा प्राप्त करने लगे ।

वि० सं० १९७५ की पौष वदि १४ (ई० स० १९१९ की १ जनवरी) को बाबा बिहारीसिंह (हैड क्लर्क–जोधपुर इम्पीरियल लांसर्स) को राय साहब की उपाधि मिली ।

वि० सं० १९७६ (ई० स० १९१९) की गरमियों में महाराजा साहब ने अपने छोटे भ्राता महाराज अजितसिंहजी के साथ श्रीनगर (काश्मीर) की यात्रा की। आषाढ वदि १२ (२५ जून) को आपकी दूसरी बहन (स्वर्गवासी महाराजा सरदारसिंहजी की दूसरी राजकुमारी) श्री सूरजकुँवरी बाईजी साहबा का शुभ विवाह रीवां-नरेश महाराजा गुलाबसिंहजी के साथ हुआ। इस शुभ अवसर पर अनेक राजा, महाराजा और नवाब जोधपुर में इकट्ठे हुए।

वि सं १९७६ की ज्येष्ठ सुदि ५ (ई० स० १९१९ की ३ जून) को बादशाह जॉर्ज-पंचम के जन्म दिन के उत्सव पर निम्नलिखित राज-कर्मचारियों को उपाधियां मिलीं:—

ठाकुर धौंकलसिंह (गोराऊ)—ओ० बी० ई० ।
मदनलाल, सीनियर सब ऐसिस्टैन्ट सर्जन-राय साहब ।

(१) इनमें जोधपुर की तरफ़ से किशनगढ़ और जामनगर के महाराजा तथा जावरे के नवाब थे और रीवां की तरफ़ से अलवर, रतलाम, डुमराओं, तरवर और शिवगढ़ के नरेश आदि और शाहपुरा और लूनवाडा के राजकुमार थे।

वि० १९७६ के आश्विन (ई० स० १९१९ के अक्टोबर) में (दशहरे पर) महाराजा साहब जोधपुर आए और फिर शीघ्र ही आबू होते हुए अजमेर लौट गए।

वि० सं० १९७६ की पौष सुदि ८ (ई० स० १९१९ की ३० दिसम्बर) को ठाकुर प्रतापसिंह (संखवाय) (कमांडिंग ऑफ़ीसर, फ़र्स्ट जोधपुर इम्पीरियल लांसर्स), को सी. बी. ई. का खिताब मिला और पौष सुदि १० (ई० स० १९२० की १ जनवरी) को आगे लिखे सज्जनों को उपाधियां मिलीं:—

कुँवर चैनसिंह (पौकरन) (सुपरिंटैंडैंट-कोर्ट सरदारान)-राओ साहब ।
सांगीदास थानवी (बैंकर-फलोदी)-राय साहब ।
ठाकुर अनोपसिंह (रोडला) आइ. ओ. ऐम. (स्क्वाड्रन कमाण्डर-फ़र्स्ट जोधपुर लांसर्स)-एम. सी. ।
राओराजा सगतसिंह (सरदार रिसाला)-एम. सी. ।

वि० सं० १९७७ की जेठ बदि १० (ई० स० १९२० की १३ मई) को सरदार साहब शमशेरसिंह के स्थान पर बंबई पुलिस का एम. आर. कोठावाला (M. B. E.) यहां की पुलिस का इन्सपैक्टर जनरल नियुक्त किया गया।

आषाढ बदि ४ (५ जून) को बादशाह की वर्ष गांठ के उत्सव पर निम्नलिखित राज-कर्मचारियों को उपाधियाँ मिलीं:—

सी. बी. लाटूच (C. B. La Touche) (मैनेजर, जोधपुर-बीकानेर-रेलवे) सी. आइ. ई.
पण्डित धर्मनारायण काक-राओ साहब ।

इन्हीं दिनों यूरोपीय महासमर के परिणाम स्वरूप भारत में भी प्रत्येक वस्तु का भाव बहुत चढ़ गया था। इस पर वि० सं० १९७७ की द्वितीय सावन वदि ७ (ई० स० १९२० की ६ अगस्त[1]) को जोधपुर राज्य के अर्थ-सचिव कर्नल हैमिल्टन की सलाह से राज-कर्मचारियों के वेतन में अच्छी वृद्धि की गई[2]।

वि० सं० १९७७ की आश्विन वदि ३ (ई० स० १९२० की ३० सितंबर) को महाराज ज़ालिमसिंहजी ने 'रीजैंसी काउंसिल' से इस्तीफ़ा दे दिया। इस पर कार्तिक वदि १३ (८ नवंबर) को महाराज फ़तैसिंहजी 'होम-मैंबर' बनाए गए।

कार्तिक सुदि ३ (१३ नवंबर) को पण्डित सुखदेवप्रसाद काक 'जुडीशल' और 'पोलिटिकल-मैंबर' नियुक्त हुआ और 'रिवैन्यू-मैंबरी' का काम मिस्टर डी. ऐल. ड्रेक ब्रोकमैन[3] (D. L. Drake Brockman), आइ. सी. एस. को सौंपा गया।

कार्तिक सुदि ६ (१७ नवंबर) को कर्नल हैमिल्टन (R. E. A. Hamilton, C. I. E.) के छुट्टी जाने पर चैत्र वदि ३ (ई० स० १९२१ की २६ मार्च) को उसके स्थान पर मेजर लॉयल (R. A. Lyall, I. A., D. S. O.) अर्थ-सचिव नियुक्त किया गया।

वि० सं० १९७७ की कार्तिक सुदि ६ (ई० स० १९२० की १७ नवंबर) को महाराजा साहब अजमेर से जोधपुर आए और कार्तिक सुदि ९ (२० नवंबर) को भारत के 'वायसराय' और 'गवर्नर जनरल' लार्ड चैम्सफ़ोर्ड का यहां पर आगमन

इस वर्ष की गरमियों में महाराजा साहब उटकमंड गए और वहां पर आपने माइसोर के ऐतिहासिक स्थानों का निरीक्षण किया। आश्विन (अक्टोबर) में (दशहरे के उत्सव पर) श्रीमान् फिर अजमेर से जोधपुर आए। इसके बाद आप कुछ दिन यहां रहकर भरतपुर होते हुए अजमेर लौट गए।

१. ई० स० १९२० के जून में जोधपुर की 'पोलोटीम' ने आबू पर के 'पोलो टूर्नामैंट' में विजय प्राप्त की।

२. इस वेतन वृद्धि का हिसाब इस प्रकार रक्खा गया था:—

१ से ३० रुपये तक के वेतन पाने वालों को ३५ रुपये सैंकड़ा।
३१ से ५० रुपये तक के वेतन पाने वालों को ३० रुपये सैंकड़ा।
५१ से १०० रुपये तक के वेतन पाने वालों को २५ रुपये सैंकड़ा।
१०१ से २०० रुपये तक के वेतन पाने वालों को २० रुपये सैंकड़ा।
२०१ से ६०० रुपये तक के वेतन पाने वालों को १५ रुपये सैंकड़ा।

३. यह 'रिवैन्यू-सैटलमैंट' के लिये यू. पी. से बुलवाया गया था।

हुआ। इस पर दरबार की तरफ़ से अतिथि के योग्य ही उसका स्वागत किया गया[1] और कार्तिक सुदि ११ (२२ नवंबर) को महाराजा साहब के सेनापतित्व में रिसाले की परेड का प्रदर्शन हुआ।

पौष वदि ८ (ई० स० १९२१ की १ जनवरी) को भारत-सरकार ने, यूरोपीय महायुद्ध में दी गई सहायताओं के उपलक्ष में, जोधपुर-दरबार की सलामी की तोपें बढ़ाकर, अपने राज्य-मारवाड़ में, सदा के लिये १७ से १९ करदीं[2]।

माघ सुदि १ (८ फरवरी) को जब ड्यूक ऑफ़ कनाट (Duke of Connaught) ने दिल्ली में नरेन्द्र-मंडल (Chamber of Princes) का उद्‌घाटन किया, तब महाराजा साहब भी वहां जाकर उक्त मण्डल में सम्मिलित हुए और इसके बाद वहां से अजमेर लौट आए[3]।

फागुन वदि १३ (७ मार्च) को जिस समय बाली के क़िले के कोठार (magazine) से पुराना बारूद खोदकर निकाला जा रहा था, उस समय फ़र्श के पत्थर और कुदाली के लोहे की रगड़ से आग पैदा होकर बारूद भड़क उठा। इस से करीब ६० मनुष्य हताहत हुए और कोठार के पत्थरों के दूर-दूर तक जाकर गिरने से आस-पास में स्थित कई लोगों को चोटें लगीं।

---

१. इस उपलक्ष में किए गए राजकीय भोज के बाद वायसराय ने ठाकुर धौंकलसिंह, पं० धर्मनारायण काक और थानवी सांगीदास को उनको मिली उपाधियों के पदक प्रदान किए, तथा रिसालदार मेजर ठाकुर ज़ोरसिंह (थर्ड लांसर्स) और मेजर ठाकुर किशोरसिंह (रिटायर्ड स्क्वाड्रन कमांडर ऑफ दि फ़र्स्ट रैजीमैंट-सरदार रिसाला) को द्वितीय श्रेणी के ओ. बी. आइ. के पदक दिए।

'वायसराय' के लौटे जाने पर महाराजा साहब भी अजमेर चले गए।

२. इसी अवसर पर रावराजा हनूतसिंह और रावराजा सगतसिंह को भारतीय सेना में अवैतनिक-कप्तान के पद प्राप्त हुए, और आगे लिखे सज्जनों को भिन्न-भिन्न उपाधियां मिलीं:—

शंकरनरायन पारनायक (मैडीकल ऑफ़ीसर, इम्पीरियल सर्विस लांसर्स)-राय साहब।
ठाकुर उदैसिंह (पांचोटा)-राओ साहब।

३. वि० सं० १९७७ की माघ सुदि १३ (ई० स० १९२१ की २० फरवरी) को जोधपुर की 'पोलोटीम' ने 'प्रिंस ऑफ़ वेल्स कमेमोरेशन पोलो टूर्नामैंट' जीता और इसके बाद जून में दुबारा आबू पर के 'पोलो' के 'मैच' में विजय प्राप्त की।

इस वर्ष (वि० सं० १९७८) की ग्रीष्म ऋतु महाराजा साहब ने आबू में बिताई और उसकी समाप्ति पर आप अजमेर लौट गए।

४. वि० सं० १९७८ की ज्येष्ठ वदि १३ (ई० स० १९२१ की ४ जून) को बादशाह

वि० सं० १६७७ की फागुन सुदि ६ (ई० स० १६२१ की २८ मार्च) को मारवाड़ में मनुष्य-गणना की गई और उसके अनुसार मारवाड़ की जन-संख्या १८,४१,६४२ सिद्ध हुई।[1]

इन दिनों नाज बराबर महँगा हो रहा[2] था, इसलिये वि० सं० १६७८ की आश्विन वदि ५ (२२ सितंबर) को राज्य की तरफ़ से नाज की दूकानें खुलवा कर गेहूं का भाव नियत करदिया गया[3]।

कार्तिक बदि ८ (२४ अक्टोबर) को महाराजा साहब १७ वें पूना हौर्स रिसाले के अवैतनिक (ऑनररी)-कप्तान बनाए गए।

इसके बाद ही महाराजा साहब पढ़ाई समाप्त कर मेओ कालिज (अजमेर) से जोधपुर चले आए और 'रीजैंसी काउंसिल' के मैंबरों से राज-कार्य संचालन का अनुभव प्राप्त करने और 'जुडीशॅल' और 'रिवैन्यू' के मुकद्दमों की कार्रवाई देखने लगे[4]।

कार्तिक सुदि ११ (११ नवंबर) को जोधपुर-नरेश महाराजा उंमेदसिंहजी साहब का विवाह, जोधपुर में ही, ओसियां के (भाटी) ठाकुर जैसिंह की कन्या सौभाग्यवती श्रीमती बदनकुँवरीजी साहबा से हुआ[5]।

की वर्ष गांठ के उत्सव पर बाली के क़िले में के बारूद के उड़ने से हताहत हुए लोगों के परिवार वालों को ६,५६० रुपये की सहायता दी गई।

इसी शुभ अवसर पर ठाकुर नाथूसिंह (रास) और लक्ष्मीदास सापट (चीफ़ जज) को राओ बहादुर की उपाधियां मिलीं।

इसी वर्ष गवर्नमैंट ने मारवाड़ राज्य में स्थित बी. बी. एण्ड सी. आइ. रेल्वे के स्टेशनों पर के कर्मचारियों के नाम बाहर से आए सामान पर कर (सायर की चूंगी) वसूल करने का मारवाड़-दरबार का अधिकार स्वीकार कर लिया।

१. वि० सं० १६७८ की भादों सुदि ७ (८ सितंबर) को जोधपुर की 'पोलोटीम' ने 'पूना ओपन पोलो टूर्नामैंट' में क़ामयाबी हासिल की।

२. उस समय गेहूं का भाव एक रुपये का ३॥ सेर हो गया था।

३. इन दूकानों पर मोहल्लेवार नियत किए हुए पुरुषों की हस्ताक्षर वाली छपी हुई चिट्ठियों से नाज ख़रीदा जा सकता था। यह प्रबन्ध लोगों के अनुचित लाभ उठाने के प्रयत्न को रोकने के लिये किया गया था; क्योंकि हस्ताक्षर करने वाले पुरुष नाज खरीदने वालों की आवश्यकताओं को देख कर ही चिट्ठियां दिया करते थे।

४. इसके लिये आप 'चीफ़-कोर्ट' में बैठ कर अभियोगों की कार्य-प्रणाली देखते थे।

५. इस अवसर पर रीवां-नरेश महाराजा गुलाबसिंहजी भी जोधपुर आकर इस शुभ-कार्य में सम्मिलित हुए।

भारत-गवर्नमैंट ने शाहज़ादे ऐडवर्ड (प्रिंस ऑफ़ वेल्स) के भारत में आने के समय महाराजा साहब को उनके सहचरों (स्टाफ़) में नियत किया था; इस से कार्तिक सुदि १४ (१४ नवंबर) को आप बंबई जाकर शाहज़ादे से मिले और इसी सम्बन्ध में आपने अजमेर, दिल्ली और कराची की यात्राएँ भी कीं[1]।

मँगसिर बदि ३० (ई० स० १९२१ की २९ नवंबर) को स्वयं शाहज़ादा जोधपुर आया। इस पर दरबार की तरफ़ से जोधपुर-स्टेशन से रातानाडा वाले महल तक का मार्ग अच्छी तरह से सजाया गया और शाहज़ादे के जोधपुर-स्टेशन पर पदार्पण करते ही क़िले से सलामी की ३१ तोपें दाग़ी गईं। तदुपरान्त यथा नियम सैनिक-सत्कार और उपस्थित महज्जन-परिचय हो जाने पर जब 'प्रिंस ऑफ़ वेल्स' रातानाडा-महल में पहुँचा, तब फिर क़िले से सलामी दाग़ी गई। इसके बाद जब महाराजा साहब शाहज़ादे से मिलने गए, तब इनके जाते और आते समय १९-१९ और जब शाहज़ादा महाराजा साहब से मिलने आया, तब उसके आते और जाते समय ३१-३१ तोपों की सलामी दी गई[2]।

मँगसिर सुदि १ (३० नवंबर) को प्रातःकाल शाहज़ादे के लिये शिकार का प्रबन्ध किया गया और सायंकाल में स्वयं महाराजा साहब के सेनापतित्व में जोधपुर रिसाले की 'परेड' (क़वायद) हुई। उसे देख शाहज़ादे ने यहां के रिसाले की चुस्ती और चालाकी की प्रशंसा के साथ-साथ ही उसके यूरोपीय महासमर में किए वीरोचित कार्यों की भी प्रशंसा की। इसके अनन्तर शाहज़ादे ने, कुछ सैनिकों को पदक देकर[3], अवसर ग्रहण किए (पैन्शन पाए) हुए सैनिकों का निरीक्षण किया।

---

१. इस सिलसिले में आप मँगसिर बदि १३ (२६ नवंबर) को अजमेर, माघ सुदि १४ (ई० स० १९२२ की ११ फरवरी) को दिल्ली और चैत्र बदि १ (१४ मार्च) को कराची गए थे।

२. इसी प्रकार महाराजा प्रतापसिंहजी के भी शाहज़ादे से मिलने के लिये जाने पर उनके जाने और आने के समय १७-१७ और शाहज़ादे के महाराजा प्रतापसिंहजी से मिलने आने पर उसके आने और जाने के समय ३१-३१ तोपें चलाई गईं। उसी दिन तीसरे पहर 'पोलो' का खेल हुआ और उसमें शाहज़ादे ने भी भाग लिया।

३. इस अवसर पर निम्नलिखित सैनिकों को पदक दिए गए:—

(क) लैफ्टिनैंट ठाकुर जोधा भगवंतसिंह (यह पहले जोधपुर रिसाले में था)-ओ. बी. आइ (द्वितीय श्रेणी)।

(ख) रिसालदार शैतानसिंह (सरदार रिसाला)-आइ. ओ. एम (द्वितीय श्रेणी)।

शाम को आतिशबाज़ी छोड़ी गई और रात को क़िले और रातानाडा वाले महल पर रौशनी की गई। इसके बाद रात को जो बृहद्-भोज हुआ, उसमें भी शाह-ज़ादे ने राठोड़-नरेशों और राठोड़-वीरों की बड़ी प्रशंसा की और महाराजा साहब को उन के अंगरेज़ी-सेना के अवैतनिक-कप्तान (Honorary Captain) नियुक्त होने की बधाई दी।

मँगसिर सुदि २ (१ दिसंबर) को सुबह शिकार और शाम को पोलो का खेल हुआ। इन दोनों कार्यों में शाहज़ादे ने भी भाग लिया। इसके बाद वह रातको अपनी खास गाडी (Special train) से लौट गया।

इन दिनों पण्डित सुखदेवप्रसाद काक के बीमार होजाने से कुछ दिनों तक तो उसका काम लैफ़्टिनैंट कर्नल लॉयल ही करता रहा। परन्तु वि० सं० १९७८ की पौष बदि १२ (ई० स० १९२१ की २६ दिसंबर) को दीवान बहादुर मुंशी दामोदर लाल (I. S. O.) अस्थायी 'जुडीशल-मैंबर' बनाया गया।

इसी वर्ष के माघ (ई० स० १९२२ की जनवरी) से महाराजा साहब ने 'रीजैंसी-काउंसिल' की 'मीटिंगों' (सभाओं) में भाग लेना प्रारम्भ किया।

इसी अवसर पर जोधपुर-रिसाले के इन सैनिकों को भी Indian meritorious service (भारतीय-प्रशंसित-सेवा) के पदकों से भूषित किया गया:—

(क) दफ़ेदार बनेसिंह।
(ख) दफ़ेदार सूरजबख्शसिंह।
(ग) कोत-दफ़ेदार कानसिंह।
(घ) सवार बाघसिंह।
(ङ) सवार बख्शूखाँ।

१. इसी महीने में जोधपुर की 'पोलोटीम' ने कलकत्ते में 'इण्डियन पोलो एसोसियेशन' का 'चैंपियन कप' (Champion Cup) जीता। इसी प्रकार यह 'टीम' तीन वर्ष (ई० स० १९१९, १९२० और १९२१) से अजमेर के मेओ कालिज के 'टूर्नामैंट' में भी बराबर जीतती रही। इसी महीने में जामनगर-नरेश रणजीतसिंहजी अपनी बहन माजी जाडेजीजी साहबा को लेने जोधपुर आए।

२. (वि० सं० १९७९ की ज्येष्ठ सुदि ५ (ई० स० १९२२ की ३१ मई) को 'रिवैन्यू-मैंबर' मिस्टर ड्रेक ब्रोकमैन के ६ मास की छुट्टी जाने पर उसका काम भी मुन्शी दामोदरलाल को सौंपा गया।)

३. पौष सुदि ३ (ई० स० १९२२ की १ जनवरी) को चंडावल के ठाकुर गिरधारीसिंह को राओ बहादुर की उपाधि मिली।

अगले महीने (फागुन=फ़रवरी) में जोधपुर की 'पोलोटीम' ने दिल्ली में होनेवाले खेल में विजय प्राप्त की।[1]

चैत्र वदि ४ (१७ मार्च) को शाहज़ादे के आगमन के उपलक्ष में महाराजा साहब के० सी० वी० ओ० की उपाधि से भूषित किए गए।

वि० सं० १९७९ के श्रावण (अगस्त) में कुछ महकमों[2] का काम स्वयं महाराजा साहब की निगरानी में होने लगा और उनसे संबन्ध रखनेवाले 'मैंबर' उनके कागज़ात आपके सामने पेश करने लगे।

कुछ समय से मीरख़ाँ के गिरोह ने बड़ोदा, पालनपुर, राधनपुर, और अहमदाबाद में बड़ा उपद्रव मचा रक्खा था, परन्तु वहां की पुलिस उसे दमन करने में असमर्थ थी। अन्त में भादों सुदि ११ (२ सितंबर) को मारवाड़ की पुलिस और शुतरसवारों (Flying camel corps) ने, ठाकुर बख़तावरसिंह, सुपरिंटैंडैंट-पुलिस की अध्यक्षता में, कोटला (गुड़ा-मालानी) के पास, बड़ी वीरता से उसका सामना कर उसे नष्ट कर डाला।[3] इस कार्य में शुतर-सवार सेना के रिसालदार ठाकुर कानसिंह ने भी अच्छी वीरता दिखलाई थी।

---

१. उस समय जोधपुर की 'पोलो-टीम' में बेड़ा का ठाकुर पृथ्वीसिंह, रोयट का ठाकुर दलपतसिंह, कुंवर हनूतसिंह और रामसिंह थे।

वि० सं० १९७९ की वैशाख वदि ४ (१५ अप्रेल) को महाराजा साहब रीवां जाकर वहां के महाराजा की बहन के विवाह में सम्मिलित हुए। इसके बाद गरमी का मौसम आ जाने से आप आबू चले गए।

वि० सं० १९७९ की ज्येष्ठ सुदि ८ (३ जून) को बादशाह की वर्ष गांठ के उत्सव पर निम्नलिखित सज्जनों को उपाधियां मिलीं:—

जसनगर-ठाकुर पण्डित सुखदेवप्रसाद काक (पोलिटिकल और जुडीशल-मैंबर)-सर (नाइट हुड)।

रोयट-ठाकुर दलपतसिंह (दरबार के मिलिटरी सेक्रेटरी)-राओ बहादुर।

कुँवर नरपतसिंह (रैज़ीडैंसी के वकील)-राओ साहब।

भंडारी फ़ौजचन्द (जज-सिविल कोर्ट)-राय साहब।

२. वे महकमे ये थे:—रेख हुकमनामा, मरदानी डेवढी, सिलहख़ाना, अस्तबल और शिकारख़ाना।

३. इस मुठ-भेड़ में शुतर-सवार सेना के जमादार चांपावत शंभूसिंह के भी दो हलके घाव लगे थे।

इस गिरोह के कुछ डाकू हत्या और लूट-मार में नाम पैदा कर चुके थे और उनकी गिरफ़्तारी के लिये बड़े बड़े इनाम घोषित हो चुके थे। इसीसे इस कार्य में सफलता प्राप्त करने पर जोधपुर-राज्य की पुलिस के लिये बड़ोदा राज्य और काठिया-वाड़ के ए० जी० जी० ने १५,५००) रुपये इनाम के तौर पर भेजे।

(इसके बाद महाराजा उंमेदसिंहजी साहब के राज्याधिकार-ग्रहण करने के दरबार में स्वयं लार्ड रीडिंग ने भी मारवाड़–पुलिस की प्रशंसा की।)

भादों सुदि १३ (४ सितंबर) को प्रातःकाल वयोवृद्ध राठोड़-वीर महाराजा प्रतापसिंहजी का, हृदय की गति रुक जाने से, ७६ वर्ष की अवस्था में, स्वर्गवास हो गया। इस घटना पर अन्य नरेशों और मित्रों के अलावा स्वयं सम्राट्, सम्राज्ञी और राजकुमार (प्रिन्स ऑफ़ वेल्स) ने भी तार द्वारा अपना हार्दिक शोक प्रकट किया। इसके बाद से 'काउंसिल' के सभापति का कार्य पश्चिमी राजपूताने की रियासतों का 'रैज़ीडैंट' करने लगा।

वि० सं० १९७९ की कार्तिक वदि १२ (ई० स० १९२२ की १७ अक्टोबर) को मुंशी दामोदरलाल लौट गया और 'जुडीशल-मैंबरी' का काम फिर पंडित सुखदेव-प्रसाद काक को सौंपा गया।

वि० सं० १९७९ की माघ सुदि १० (ई० स० १९२३ की २७ जनवरी) को, महाराजा उंमेदसिंहजी साहब के राज्याधिकार ग्रहण करने के उपलक्ष में, भारत के 'वायसराय' और 'गवर्नर जनरल' लॉर्ड रीडिंग का जोधपुर में आगमन हुआ। इस

(वि० सं० १९७८ के भादों के करीब (ई० स० १९२१ की सितम्बर) में तत्कालीन सब इन्सपैक्टर मिंधा बलदेवराम ने इसी मीरख़ाँ के मुख्य सहायक जुमेख़ाँ और दत्तेख़ाँ का, भवातड़े के पास, मुक़ाबला कर उन्हें गिरफ्तार किया था।)

१. इस आकस्मिक घटना पर राज्य में तीन दिनों की छुट्टी की गई।

२. (वि० सं० १९७८ की कार्तिक बदि ६ (ई० स० १९२१ की २२ अक्टोबर) को मिस्टर रैनॉल्ड्स छुट्टी से लौट आया था और वही इस समय यहाँ का रैज़ीडैंट था।)

३. वि० सं० १९७९ की आश्विन वदि १ (ई० स० १९२२ की ७ सितंबर) को जयपुर-नरेश महाराजा माधोसिंहजी का स्वर्गवास हो जाने से, उनकी मातमपुरसी के लिये, स्वयं महाराजा साहब ने जयपुर की यात्रा की।

४. मँगसिर वदि २ (६ नवंबर) तक मिस्टर ड्रेक ब्रोकमैन के छुट्टी पर रहने से 'रिवैन्यू-मैंबरी' का काम भी वही करता रहा।

५. माघ वदि ७ (ई० स० १९२३ की ९ जनवरी) को पुलिस-इन्सपैक्टर गुलाबसिंह,

अवसर पर भी स्टेशन से 'वायसराय' के ठहरने के स्थान तक अच्छी सजावट की गई और सड़क के दोनों तरफ़ सैनिकों के अलावा सरदारों के देसी घोड़ों और ऊंटों पर चढ़े आदमी खड़े किए गए। 'वायसराय' के आने और यथा-नियम भेट-मुलाकात होजाने के बाद उस (वायसराय) ने दरबार में उपस्थित होकर, भारत-गवर्नमैंट की तरफ़ से, महाराजा साहब को एक ख़िलअत भेट किया और साथ ही श्रीमान् के पूर्णरूप से मारवाड़-राज्य का अधिकार ग्रहण करने की घोषणा[1] की।

इसी समय वायसराय के राजनीतिक-विभाग के मंत्री (Political Secretary) ने खड़े होकर श्रीमान् महाराजा साहब का नाम मय उनकी उपाधियों के इस प्रकार उच्चारण किया[2]:—

भूरसिंह डकैत के दल का सामना कर बड़ी वीरता से मारा गया। इस पर दरबार की तरफ़ से उसकी विधवा को २५) रुपये मासिक की पैन्शन दी गई।

१. इस अवसर पर वायसराय ने स्वर्गवासी महाराजा प्रतापसिंहजी की प्रशंसा के बाद 'रीजैंसी कौंसिल' के कार्य का उल्लेख और उस पर अपनी सम्मति का प्रकाशन इस प्रकार किया:-

"यद्यपि रीजैंसी-काल में वर्षा की कमी और व्यापार की मन्दी रही, तथापि उसके सुप्रबन्ध के कारण राज्य की आय ८६,००,००० रुपये से बढ़ कर १,००,००,००० हो गई। ३५,००,००० रुपये का कर्ज़ अदा करने के बाद ७०,००,००० रुपया रेल्वे में लगाया गया और ३१,००,००० रुपये की बचत रही। इस से बचत के खाते में कुल २, ५०, ००, ००० रुपया हो गया।

वि० सं० १९३८ (ई० स० १८८१) के बाद पहले-पहल इसी काल में लगान नियत करने (सैटलमैंट) का काम हाथ में लिया गया, जो वि० सं० १९८१ (ई० स० १९२४) तक समाप्त हो जायगा। आशा है इसी प्रकार लगान के नियमों (Rent Regulations) या लगान संबन्धी अदालतों (Revenue Courts) आदि का प्रबन्ध हो जाने से किसानों को भी सुविधा हो जायगी।

यद्यपि इस समय तक तालीम के महकमे में करीब एक लाख का व्यय बढ़ा दिया गया है तथापि यदि दरबार अपने राज्यकार्य के संचालन के लिये योग्य मारवाड़ियों को चाहते हैं तो उन्हें विद्योपार्जन में और भी सुविधाएं देने की आवश्यकता है।

इन दिनों व्यापार की संसार व्यापिनी मंदी के कारण ही जोधपुर-बीकानेर रेल्वे की आय कम हो गई है"।

२. "Captain His Highness Raj Rajeshwar Maharaja Dhiraj Sir Umaidsingh Bahadur, Knight Commander of the Royal Victorian Order"

इसी रोज़ तीसरे पहर 'पोलो' और 'ऐट होम' (उद्यान-भोज) हुआ। रात को किले और महल के बग़ीचे में बिजली की रौशनी की गई और दल-बादल नाम के शामियाने में, जो वि० सं० १७८७ (ई० स० १७३०) में अहमदाबाद विजय कर लाया गया था, बृहद्भोज (State banquet) हुआ।

"कैप्टिन हिज़ हाइनेस राजराजेश्वर महाराजाधिराज महाराजा सर उमेदसिंह बहादुर नाइट कमान्डर ऑफ़ दि रौयल विक्टोरियन ऑर्डर" ।

इस अवसर पर किले से १९ तोपों की सलामी दी गई । इसके बाद दरबार ने अपने भाषण में ज़मीन के लगान और रेख और चाकरी के खाते में निकलने वाले ३,००,००० रुपये माफ़ करने और स्कूलों और अन्य धार्मिक कार्यों के लिये ५०,००० रुपये की खास तौर पर सहायता देने की घोषणा की ।

इसी दिन 'रीजैंसी काउंसिल' का कार्य-काल समाप्त हो जाने से महाराजा साहब ने उसके स्थान पर 'राज्य-परिषद्' (काउंसिल ऑफ़ स्टेट) की स्थापना कर पुराने 'मैंबरों' को ही उस का सभासद नियत कर दिया । परन्तु उसके सभापति का पद स्वयं आपने ग्रहण किया और इसकी सूचना आदि निकालने (कनवीनिंग-मैंबर) का काम पंडित सुखदेवप्रसाद काक को सौंपा । यद्यपि इस सभा के 'मैंबरों' को यथा-पूर्व ही अपने-अपने कामों की देख-भाल करने के अधिकार दिए गए थे, तथापि इसके प्रस्ताव परामर्श के तौर पर ही माने जाते थे, और जब तक उन पर महाराजा साहब की स्वीकृति नहीं हो जाती थी, तब तक वे कार्यरूप में परिणत नहीं हो सकते थे ।

माघ सुदि १५ (१ फ़रवरी) को महाराजा साहब दिल्ली जाकर नरेन्द्र-मण्डल (चेम्बर ऑफ़ प्रिंसेज़) की सभा में सम्मिलित हुए ।

इस अवसर पर 'वायसराय' ने महाराजा साहब को, दिल्ली में प्रिंस ऑफ़ वेल्स के समक्ष खेले गए 'पोलो' में जोधपुर-टीम के विजयी होने की बधाई दी । इसके बाद लॉर्ड रीडिंग ने पण्डित सुखदेवप्रसाद काक को 'नाइट-हुड' की सनद और कैप्टिन ऐवन्स (G. F. Evans) (डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, जोधपुर-बीकानेर-रेलवे, पश्चिमी विभाग) को ओ. बी. ई. का पदक प्रदान किया ।

माघ सुदि ११ (२८ जनवरी) को वायसराय के लिये शिकार का प्रबन्ध किया गया और वहां से लौटने पर उसने यहां के किले और मंडोर के बगीचे का निरीक्षण किया । इसी रोज़ लेडी रीडिंग ने जाकर माजी सीसोदनीजी साहबा और माजी जाडेजीजी साहबा तथा महारानी भटियानीजी साहबा से मुलाकात की । इस प्रकार भारत-गवर्नमैंट के उच्चतम अधिकारी की यह यात्रा समाप्त हुई और वह तीसरे पहर यहां से विदा हो गया ।

१. फागुन सुदि ७ (२३ फ़रवरी) को कराची से पोरबन्दर जाते हुए, बंबई के 'गवर्नर' सर जॉर्ज लॉयड (George Lloyed) का, मार्ग में दरबार की तरफ़ से भोजनादि से सत्कार किया गया।

चैत्र वदि १३ (ई॰ स॰ १९२३ की १५ मार्च) को श्रीमती सूरज कुँवरी बाईजी साहबा के गर्भ से रीवां-महाराजकुमार मार्तण्डसिंहजी का जन्म हुआ । इस पर जोधपुर में भी हर्ष मनाया गया और किले से ५१ तोपें चलाई गईं ।

वि० सं० १९८० की चैत्र सुदि २ (१९ मार्च) को राजकीय जमा-खर्च के तरीके की जांच के लिये मिस्टर जे० डब्ल्यू० यंग (J. W Young, O. B E.) तीन मास के लिये, गवर्नमैन्ट से मांग कर, बुलवाया गया[1]।

द्वितीय ज्येष्ठ वदि ४ (२ जून) को महाराजा साहब १७ वें पूना हौर्स रिसाले के 'ऑनररी-मेजर' बनाए गए[2]।

द्वितीय ज्येष्ठ वदि १३ (१२ जून) को मिस्टर लॉयल (फाइनैंस-मेम्बर) के चले जाने से उसका काम पंडित सुखदेवप्रसाद काक और मिस्टर ड्रेक ब्रोकमैन में बाँट दिया गया। इसके बाद से पंडित सुखदेवप्रसाद काक ही फाइनैंस-मैंबर भी कहलाने लगा और मिस्टर यंग (J. W. Young), १ वर्ष के लिये, 'एकाउन्टैन्ट जनरल' बनाया गया।

द्वितीय ज्येष्ठ सुदि २ (ई० स० १९२३ की १६ जून) को ज्येष्ठ महाराज कुमार श्री हनवन्तसिंहजी का जन्म हुआ। इस शुभ अवसर पर राज्य और प्रजा में आनन्द का वातावरण छा गया[3], क़िले से १२५ तोपों की सलामी दाग़ी गई, २ आजन्म और ३६ साधारण क़ैदी मुक्त किए गए, राज्यभर में एक सप्ताह की छुट्टी की गई और अंगरेजों, सरदारों, मुत्सद्दियों, राज-कर्मचारियों और सैनिकों को भोज दिए गए।

इन दिनों नागोर के मंगलदास नामक साधु ने डकैती का पेशा इख़तियार कर बड़ा उपद्रव मचा रक्खा था। परन्तु अन्त में वि० सं० १९८० की मँगसिर सुदि ३

१. द्वितीय ज्येष्ठ वदि ४ (२ जून) को बादशाह जॉर्ज पंचम की वर्षगांठ के अवसर पर महाराज फ़तैसिंहजी (होम-मैम्बर) को सी० एस० आइ० की उपाधि मिली।

२ इस वर्ष भी जोधपुर की 'पोलोटीम' ने 'पूना ओपन पोलो टूर्नामैंट' में विजय प्राप्त की।

३. आषाढ सुदि १४ (२६ जुलाई) को महाराजा साहब ने अपने श्वसुर ठाकुर जैसिंह को ७,३१६ रुपये वार्षिक आय की जागीर दी। (इस जागीर के गांवों में का एक गांव पीछे से दिया गया था।) श्रावण (अगस्त) में महाराजा साहब 'पोलो' खेलने के लिये पूना गए। वहां पर भी जोधपुर की 'टीम' ने 'पोलो' के खेल में विजय प्राप्त की। इसके बाद क्वाँर (अक्टोबर) में आप वहां से लौट आए।

मँगसिर वदि ७ (३० नवम्बर) को महाराजा साहब अपनी 'पोलो-टीम' के साथ कलकत्ते गए और पौष सुदि २ (ई० स० १९२४ की ८ जनवरी) को लौट कर जोधपुर पहुँचे। इस यात्रा में महारानी साहबा भी आपके साथ थीं।

(वि० सं० १९८० के पौष (ई० स० १९२३ के दिसम्बर) में महाराजा साहब के छोटे भ्राता महाराज अजितसिंहजी, राज्य-प्रबन्ध की शिक्षा प्राप्त करने के लिये, मेओ कालिज से जोधपुर चले आए थे।)

(ई० स० १९२३ की १० दिसम्बर) को राजकीय पुलिस ने, जो ठाकुर कानसिंह, इन्सपैक्टर जोधपुर-पुलिस की अध्यक्षता में, उसका पीछा कर रही थी, उसे उसके तीन अनुयायियों सहित, एक मकान में घेर कर मार डाला। इसके बाद वि० सं० १९८१ के ज्येष्ठ और आषाढ (ई० स० १९२४ की जून और जुलाई) तक उसके दल के बचे हुए दो डकैत मोतीसिंह और मानसिंह भी ज़िंदा पकड़ लिए गए। इससे सारा उपद्रव शान्त हो गया[1]।

वि० सं० १९८० की माघ बदि ९ (ई० स० १९२४ की ३० जनवरी) को महाराजा साहब की बड़ी बहन (स्वर्गवासी महाराजा सरदारसिंहजी साहब की बड़ी राजकुमारी) श्री मरुधर कुँवरी बाईजी साहबा का शुभ विवाह जयपुर-नरेश महाराजा मानसिंहजी के साथ बड़ी धूम-धाम से हुआ। दोनों ही तरफ़ से बड़ी-बड़ी तैयारियां की गई थीं। इस अवसर पर अलवर और रीवां के नरेशों ने भी जोधपुर आकर उत्सव में भाग लिया।

माघ सुदि १३ (१८ फरवरी) से फागुन सुदि ४ (९ मार्च) तक महाराजा साहब ने, प्रजाजनों की अवस्था जानने के लिये, मारवाड़ में दौरा किया[2]।

---

१. इस कार्य-तत्परता और वीरता के लिये ठाकुर कानसिंह सुपरिन्टेन्डैन्ट-पुलिस बना दिया गया।

२. चैत्र बदि ३ (ई० स० १९२४ की २३ मार्च) को महाराजा साहब अपनी माता सीसोदनीजी साहबा की अस्वस्थता के कारण उदयपुर जाकर उनसे मिले और छठे दिन वापस लौट आए।

चैत्र बदि १० (३० मार्च) को ऐल० डबल्यू० रैनॉल्डस की बदली हो जाने से लैफ्टिनैंट कर्नल मैकफ़र्सन (A. D. Macpherson, I. A.) जोधपुर का रैज़ीडैन्ट नियुक्त हुआ।

वि० सं० १९८१ की चैत्र सुदि ८ (१२ अप्रेल) को, गरमियों की मौसम आजाने से, महाराजा साहब सकुटुम्ब कोटा गए और आषाढ सुदि १० (११ जुलाई) को वहां से लौट आए।

वैशाख बदि १२ (३० अप्रेल) को राओ बहादुर पंडित ज्वालासहाय मिश्र दो वर्ष के लिये 'चीफ-जज' बनाया गया।

(पहले के 'चीफ-जज' राओ साहब लक्ष्मीदास सपट का वि० सं० १९८० के कार्तिक (ई० स० १९२३ के नवम्बर) में देहान्त हो गया था। इस पर दरबार ने, उसकी सेवाओं के उपलक्ष में, उसकी विधवा के लिये १५० रुपये मासिक की आजन्म पैन्शन (तनख्वाह) करदी।)

ज्येष्ठ सुदि १ (३ जून) को सम्राट् के जन्म दिवस पर जोधपुर पुलिस के इंसपैक्टर-जनरल मालकम रतनजी कोठावाला (M. B. E.) को 'ख़ाँ बहादुर की' उपाधि और स्कॉटलैंड-मिशन के

वि० सं० १९८१ की श्रावण सुदि १ (१ अगस्त) से ३ 'डिस्ट्रिक्ट' और 'सैशन' 'कोर्टों' (अदालतों) की स्थापना की गई।

इन दिनों यहां की जनता मारवाड़ से मादा जानवरों का बाहर जाना रोकने के लिये आन्दोलन कर रही थी। इससे श्रावण बदि ७ (२३ जुलाई) को महाराजा साहब ने देश और जनता के हितार्थ मादा जानवरों (गाय, बकरी, भेड़ वगैरा) का बाहर जाना अस्थायी रूप से रोक दिया और इसके बाद गांवों की जनता के भावों की जांच कर भादों वदि १ (१५ अगस्त) को इस आज्ञा को स्थायी रूप देदियां।

मँगसिर वदि ४ (ई० स० १९२४ की १५ नवम्बर) को महाराजा साहब, नरेन्द्र-मण्डल की सभा में सम्मिलित होने के लिये, दिल्ली गए और मँगसिर वदि १२ (२३ नवम्बर) को वहां से लौट आए[3]।

डाक्टर थीओडोर चामर्स (Theodore Chalmers) को 'कैसरे-हिन्द' का (द्वितीय श्रेणी का) पदक मिला।

आषाढ वदि ३ (१६ जून) को 'रिवैन्यू-मैम्बर' मिस्टर ड्रेक ब्रोकमैन के ८ महीने की छुट्टी जाने पर उसके विभागों का काम अन्य 'मैम्बरों' में बांट दिया गया।

सावन वदि २ (२७ जून) को जोधपुर की 'पोलोटीम' ने "क्वेटा-अमेरिकन-हैंडीकैप" में विजय प्राप्त की।

श्रावण वदि १३ (२६ जुलाई) को महाराजा साहब सुमेर पुष्टिकर स्कूल के 'हाई स्कूल' बनाए जाने के उपलक्ष में किए गए, उत्सव में शरीक़ हुए।

१. इससे कोर्ट सरदारान. दीवानी और फ़ौजदारी अदालतों का काम इन अदालतों में होने लगा। 'जुडीशल-सुपरिन्टैन्डेन्टों' के अधिकार बढ़ाकर १,००० से २,००० रुपये तक कर दिए गए। नायब हाकिमों को तीसरे दरजे के मैजिस्ट्रेट के इख्तियार मिले और दो ऑनररी (अवैतनिक) मैजिस्ट्रेटों के कोर्ट बनाए गए।

२. भादों सुदि १३ (११ सितम्बर) को जोधपुर में २४ घंटों में १७ इंच वर्षा होजाने से चारों तरफ़ जल ही जल दिखाई देने लगा।

कार्तिक वदि ४ (२५ सितम्बर) को 'जोधपुर-पोलो-टीम' ने पूना में 'सर प्रतापसिंह कप' का 'फ़ाइनल मैच' जीता।

३. मँगसिर सुदि १ (२७ नवम्बर) को जोधपुर में पहले-पहल हवाई जहाज़ आया। जिन लोगों को उसे पहले कहीं देखने का अवसर नहीं मिला था उन्होंने उसे बड़ी ही उत्सुकता और आश्चर्य के साथ देखा।

मँगसिर सुदि २ (२८ नवम्बर) को महाराजा साहब ने कलकत्ते की यात्रा की और माघ वदि ११ (३० दिसम्बर) को वहां पर आपकी 'पोलोटीम' ने 'इंडियन-पोलो-एसोसियेशन' का 'चैंपियन कप' जीता। इसके बाद पौष सुदि ९ (ई० स० १९२५ की जनवरी) को आप वहां से वापस आए।

वि० सं० १९८१ की पौष सुदि ७ (ई० स० १९२५ की १ जनवरी) से राज-कर्मचारियों के लिये 'प्रौवीडैन्ट फंड' की स्थापना की गई। इससे उनके रियासत की सेवा से अवसर ग्रहण करने पर गुज़ारे का बहुत कुछ सुभीता हो गया।

ई० स० १९२५ की ६ जनवरी को 'डयूक ऑफ़ कनाट' के पुत्र 'हिज़ रॉयल हाइनैस' प्रिंस अर्थर ऑफ़ कनाट और उनकी पत्नी का जोधपुर में आगमन हुआ। इस पर महाराजा साहब की तरफ़ से भी उनके अनुरूप ही उनका आदर सत्कार किया गया।

माघ सुदि ४ (ई० स० १९२५ की २८ जनवरी) को महाराजा साहब के छोटे भ्राता महाराज अजितसिंहजी की बरात ईसरदे[1] (जयपुर राज्य) के लिये रवाना हुई। उस समय स्वयं महाराजा साहब भी उसके साथ थे[2]। वहां पर माघ सुदि ५ (२९ जनवरी) को महाराज अजितसिंहजी का शुभ विवाह वहां के ठाकुर की कन्या से सकुशल संपन्न हुआ[3]।

चैत्र वदि १२ (२१ मार्च) को महाराजा साहब ने सकुटुम्ब इंगलैंड की यात्रा की[4]। राजपूताने के रईसों में पहले-पहल आपने ही इस प्रकार विलायत की यात्रा की

पौष सुदि ७ (ई० स० १९२५ की १ जनवरी) को पौकरन-ठाकुर राओ बहादुर मंगलसिंह, पब्लिक वर्क्स मैम्बर जोधपुर-दरबार की उत्तम सेवाओं के उपलक्ष्य में सी० आइ० ई० और पंडित सूरजप्रकाश वातल, अध्यक्ष विद्या-विभाग, 'राय साहब' बनाए गए। फागुन वदि २ (१० फरवरी) को बून्दी-नरेश श्री रघुवीरसिंहजी जोधपुर आए और फागुन वदि ११ (१९ फरवरी) को यह वापस लौट गए।

(फागुन वदि ६ (१४ फरवरी) को यहां पर महाराज अर्जुनसिंहजी की कन्या से आपका विवाह हुआ।)

चैत्र वदि २ (१८ फरवरी) को जोधपुर की 'पोलो टीम' ने दिल्ली में फिर प्रिंस ऑफ़ वेल्स कमेमोरेशन कप (Prince of Wales Commemoration Cup) जीता।

(२८ फरवरी) को मिस्टर डी० एल० ड्रेक ब्रोकमैन, रिवेन्यू मैम्बर ८ महीने की छुट्टी से लौट कर आया।

१. स्वर्गवासी जयपुर-नरेश महाराजा माधोसिंहजी और वर्तमान जयपुर-नरेश महाराजा मानसिंहजी ईसरदे-ठिकाने से ही गोद आए थे। इस सबब से महाराज अजितसिंहजी की कुँवरानी साहबा वर्तमान जयपुर-नरेश की बड़ी बहन होती हैं।

२. वहां से आप माघ सुदि ८ (१ फरवरी) को लौटे।

३. फागुन सुदि १४ (६ मार्च) को महाराजा साहब ने बेड़ा ठाकुर पृथ्वीसिंह को हाथी सरोपाव, हाथ का कुरब और दुहेरी ताज़ीम आदि देकर सम्मानित किया।

४. आपका 'नरकुंडा' नामक जहाज़ वि० सं० १९८२ की चैत्र सुदि ४ (२८ मार्च)

थी। इस यात्रा में महाराज अजितसिंहजी और जोधपुर की 'पोलो-पार्टी' भी आपके साथ थी। वहां पर सम्राट् पंचम जार्ज से मिलने[2] पर उन्होंने आपका अच्छा स्वागत किया और इस यात्रा में आपकी 'पोलो-पार्टी' ने भी कई प्रसिद्ध-प्रसिद्ध 'मैचों' में विजय प्राप्त की।

महाराजा साहब की इंगलैंड-यात्रा के समय राजकीय 'काउंसिल' का कार्य राओ बहादुर सर पंडित सुखदेवप्रसाद काक की अध्यक्षता में होता था।

वि० सं० १९८२ की ज्येष्ठ सुदि ११ (ई० स० १९२५ की ३ जून) को, बादशाह की बरसगांठ[3] के अवसर पर, गवर्नमैंट ने महाराजा उंमेदसिंहजी साहब को के० सी० एस० आइ० की उपाधि से भूषित किया और इसके बाद आषाढ सुदि ४ (२५ जून) को आपके बादशाह से मिलने पर उन्होंने स्वयं अपने हाथ से आपको उपर्युक्त उपाधि (के० सी० एस० आइ०) का पदक पहनाया।

आषाढ वदि ३० (२१ जून) को लंदन में ही आपके द्वितीय महाराज-कुमार हिम्मतसिंहजी का जन्म हुआ।

को बम्बई से रवाना हुआ था। वैशाख वदि १ (१० अप्रेल) को आप मार्सलीज़ पर उतरे और वहां से वैशाख वदि ३ (११ अप्रेल) को रेलद्वारा लन्दन पहुँचे।

१. लन्दन से लौटने पर आप पोलिटिकल और जुडीशल मैम्बर के पास बैठकर और काउंसिल की बैठकों में भाग लेकर राज-कार्य का अनुभव प्राप्त करने लगे।

२. यह मुलाकात ज्येष्ठ वदि १४ (२१ मई) को हुई थी और महाराजा साहब सम्राट् द्वारा निमंत्रित होकर दरबार में गए थे।

इसी मास (मई) में जोधपुर की 'पोलोटीम' ने इंगलैंड में 'माइन हैड ओपन कप' (Mine Head Open Cup) जीता।

३. ज्येष्ठ सुदि ११ (३ जून) को बादशाह की बरसगांठ के अवसर पर राजपूत-स्कूल का प्रिंसिपल मिस्टर आर० बी० वानवर्ट (R. B. Van Wart) ओ० बी० ई० बनाया गया।

इस मास में दरबार की 'पोलोटीम' ने लन्दन में 'रोहैम्पटन चैलैंज कप' (Rohampton Challenge Cup) जीता और इसके बाद जुलाई में इसने लन्दन का 'हर्लिंगहम चैम्पियन कप' Hurlingham Champion Cup) भी जीत लिया।

अगस्त में महाराजा साहब की 'पोलोटीम' ने 'रगबी ओपन कप' (Rugby Open Cup) के 'मैच में' विजय प्राप्त की।

४. इस अवसर पर किले से १२५ तोपें दागी गईं, दफ्तरों में ५ दिन की छुट्टी व जलसे आदि किए गए।

लंदन में रहने के समय आपने वहां के अनेक दर्शनीय और सार्वजनिक स्थानों का निरीक्षण किया, बादशाह द्वारा किए गए वैंबले (Wembley) प्रदर्शनी के उद्घाटनोत्सव में योग दिया और स्कॉटलैंड की यात्रा की। इसके बाद कार्तिक वदि ६ (८ अक्टोबर) को आप इंगलैंड से रवाना होकर[1] कार्तिक सुदि ७ (२४ अक्टोबर) को जोधपुर पहुँचे।

माघ वदि ७ (ई० स० १९२६ की ६ जनवरी) को महाराजा साहब ने, २,०६,८३५ रुपयों की लागत से बने, दरबार हाई स्कूल के नए भवन और जसवन्त कालिज के नए भाग का उद्घाटन किया।

वि० सं० १९८३ की प्रथम चैत्र सुदि (ई० स० १९२६ के मार्च के अन्त) में आप बंबई जाकर जाने वाले 'गवर्नर जनरल' लॉर्ड रीडिंग और आने वाले लॉर्ड इरविन से मिले[2] और वहां से लौट कर द्वितीय चैत्र वदि १३ (१० अप्रेल) को सकुटुम्ब

---

१. आपका 'रांची' नामक जहाज कार्तिक सुदि ६ (२३ अक्टोबर) को बम्बई पहुंचा था।

अगले महीने में (संखवाय) ठाकुर प्रतापसिंह ने ४० वर्षों की सेवा के बाद ऑफ़िसर कमांडिंग सरदार रिसाला के पद से अवसर ग्रहण किया। महाराजा साहब की इस वर्ष की इंगलैंड यात्रा के समय सेना-विभाग का सारा काम इसके अधिकार में रहा था। इसके अवसर ग्रहण करने पर दरबार की तरफ़ से इसकी उत्तम सेवाओं की यथानियम सराहना की गई और इसके रिक्तस्थान पर (रोडला) ठाकुर अनोपसिंह कमांडिंग ऑफ़िसर नियुक्त हुआ।

पौष वदि ३० (ई० स० १९२५ की १५ दिसम्बर) को दरबार ने कृपा कर नगर के राजनीतिक आन्दोलन-कारियों को माफ़ी देदी।

माघ वदि २ (ई० स० १९२६ की १ जनवरी) को जसोल-ठाकुर रावल ज़ोरावरसिंह 'राओ बहादुर' बनाया गया और खान बहादुर माल्कम कोठा वाला, (Malcolm Ratanji Kothawala) इंसपैक्टर जनरल पुलिस को बादशाही पुलिस का तमग़ा (King's Police Medal) मिला।

फागुन वदि २ (३१ जनवरी) को जामनगर-महाराज ने जोधपुर आकर करीब १५ दिनों तक राज्य की मेहमानदारी स्वीकार की।

२. वि० सं० १९८२ की द्वितीय चैत्र वदि ६ (४ अप्रेल) को आप बम्बई से लौटे थे।

(प्रथम चैत्र वदि ४ (ई० स० १९२६ की ३ मार्च) तक यहां के रैज़ीडैंट का कार्य लैफ्टिनैंट कर्नल मैक्फ़र्सन (Lt.-Col. A. D. Macpherson) करता रहा, और फिर उसके स्थान पर मिस्टर केटर (A. N. L. Cater, I. C. S.) नियुक्त हुआ। इसके बाद वि० सं० १९८३ की प्रथम चैत्र सुदि १० (२३ मार्च) को कर्नल स्ट्रौंग (Lt.-Col. H. S. Strong) रेज़ीडैन्ट होकर आया। ज्येष्ठ वदि ८ (३ जून) को बादशाह की बरसगांठ के अवसर पर 'राय साहब' डाक्टर ओंकारसिंह, एसिस्टैंट सर्जन हीयूसन अस्पताल को 'राओ बहादुर' का खिताब मिला।

उटकमंड चले गए। वहीं पर वैशाख सुदि ७ (१९ मई) को जिस समय आप शेर के शिकार के लिये नीलगिरि के घने जंगल (आन-कुट्टी) में घूम रहे थे, उस समय आपका सामना टोले से जुदा हुए एक मस्त जंगली हाथी से हो गया। उसे देखते ही आपके साथ के लोग भाग खड़े हुए। इतने ही में उस मदान्ध हाथी ने आप पर आक्रमण कर दिया। उस समय आपके पास केवल एक भरी हुई दु-नाली बंदूक थी और कारतूस रखनेवाला अनुचर तक पहले ही भाग चुका था। ऐसे संकट के समय भी आपने धैर्य को न छोड़ा और हाथी की तरफ़ मुख किए हुए ही आप पीछे हटने लगे। परन्तु जब वह हाथी बहुत ही पास आगया, तब आपने उसके मस्तक को लक्ष्य कर एक गोली चलाई। यद्यपि इसकी चोट से एकवार तो वह मस्त हाथी जहां का तहां ठिठक रहा तथापि उसी समय पीछे वृक्ष का तना आ जाने से महाराजा साहब के ठोकर खाकर गिर पड़ने से उसने आगे बढ़कर आप पर आक्रमण कर दिया। ऐसे समय आपके पुण्य-प्रताप ने आपकी सहायता की; जिससे आप उसके दोनों विशाल दांतों के बीच आगए। हाथी की सूंड आपकी गोली से पहले ही क्षत-विक्षत हो चुकी थी, इसलिये वह उससे काम न ले सका। इसी समय आपके छोटे भ्राता महाराज अजितसिंहजी और महाराजा सर प्रतापसिंहजी के दौहित्र (बेड़ा-ठाकुर) पृथ्वीसिंह ने आपके न दिखाई देने के कारण जैसे ही इधर-उधर नजर दौड़ाई वैसे ही आपको उस अवस्था में देखा। इस पर वे दोनों शीघ्र ही पलट पड़े और उन्होंने अपनी-अपनी दु-नाली बंदूकों से दो-दो गोलियां चलाकर उस हाथी के मस्तक को विदीर्ण कर दिया। इन करारी चोटों के लगने से वह मदान्ध हाथी घबरा गया और महाराजा साहब को छोड़ कर चिघाड़ता हुआ भाग चला। महाराजा साहब ने इस आकस्मिक आक्रमण से सम्हलते ही अपने साथवालों को उस हाथी का पीछा करने की आज्ञा दी। इस पर तत्काल उन्होंने उसका अनुसरण किया और एक नाले के पास पड़ा पाकर उसे समाप्त कर दिया। इस प्रकार इस महान् संकट के समय ईश्वर की कृपा से आपकी रक्षा हुई। इसके बाद आप गरमी की मौसम उटकमंड में बिताकर क्वाँर वदि ९ (३० सितंबर) को जोधपुर लौट आए।

वैशाख सुदि २ (१३ मई) को मारवाड़ की पुलिस ने डकैत रणजीतसिंह और जवाहरसिंह का वीरता से सामना कर उन्हें मार डाला। कई वर्षों से सीकर-राज्य के भूरसिंह नामक डकैत ने जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, अलवर, नाभा,

---

१. आषाढ सुदि ३ (१३ जुलाई) को मिस्टर विनगेट (R. E. L. Wingate, I. C. S.) यहां का रैज़ीडैंट नियुक्त हुआ।

पटियाला और अजमेर-मेरवाड़े में उपद्रव मचा रक्खा था। इसी से वि० सं० १९८३ की कार्तिक वदि ६ (ई० स० १९२६ की ३० अक्टोबर) को मारवाड़-पुलिस के ठाकुर बख़तावरसिंह और ठाकुर कानसिंह ने सीकर-राज्य में घुस कर उसे और उसके साथियों को मार डाला। इस पर जयपुर आदि कुछ राज्यों की तरफ़ से मारवाड़-पुलिस के लिये १३,९०० रुपये इनाम के भेजे गए।

आश्विन और कार्तिक (अक्टोबर और नवम्बर) में महाराजा साहब ने मारवाड़ राज्य के देसूरी-प्रान्त का दौरा किया[1]।

इसके बाद (नवम्बर में) आप राजकीय रेल्वे के लूनी जंकशन, बाहड़मेर और गडरा-रोड़ नामक स्टेशनों, समदड़ी के नए पुल और जालोर की नई लाइन का निरीक्षण करने को गए। इस यात्रा में आपने किराडू के जीर्ण-शीर्ण परन्तु कला-पूर्ण शिव-मन्दिरों का भी निरीक्षण किया और साथ ही ऐसे स्थानों की रक्षा आदि के लिए आर्कियालॉजिकल डिपार्टमैन्ट (पुरातत्व-विभाग) की स्थापना की।

इसी मास में आप दिल्ली जाकर नरेन्द्र-मण्डल की बैठक में सम्मिलित हुए।

वि० सं० १९८३ की मँगसिर वदि ११ (ई० स० १९२६ की १ दिसम्बर) को राओ बहादुर पंडित सुखदेवप्रसाद काक, के० टी०, सी० आइ० ई०, पोलिटिकल, जुडीशल और फ़ाइनैन्स मैम्बर ने जोधपुर-दरबार की सेवा से अवसर ग्रहण कर लिया। इस पर राओ बहादुर सरदार ज्वालासहाय मिश्र[2] जुडीशल-मैम्बर बनाया गया और पोलिटिकल और फ़ाइनैन्स मैम्बर का काम अस्थायी तौर पर रिवैन्यू-मैम्बर मिस्टर डी० एल० ड्रेक ब्रोकमैन, सी० आइ० ई०, आइ० सी० ऐस० को सौंपा गया। साथ ही पोलिटिकल डिपार्टमैन्ट का काम तो स्वयं महाराजा साहब के तत्वावधान में रहा और बाकी के महकमे, जो पंडित सुखदेवप्रसाद काक के अधीन थे, दूसरे मैम्बरों में बाँट दिए गए।

वि० सं० १९८३ की मँगसिर सुदि १५ (१९ दिसम्बर) को नगर की प्रजा ने और राजनीतिक आन्दोलनकारियों ने उपस्थित होकर महाराजा साहब के सामने अपनी राज-भक्ति प्रकट की। इसपर श्रीमान् ने भी अपना प्रजा-प्रेम प्रकट कर सबको सन्तुष्ट किया।

---

१. कार्तिक वदि ११ (ई० स० १९२६ की १ नवम्बर) से फिर कर्नल स्ट्रॉंग (Lt.- Col. H. S. Strong. I. A.) रेज़ीडैन्ट नियुक्त हुआ।

२. इसी अवसर पर पण्डित ज्वालासहाय मिश्र को दरबार की तरफ़ से सोना और ताज़ीम की इज्ज़त दी गई।

पौष वदि ३० (ई० स० १९२७ की ३ जनवरी) को, देन-लेन और व्यापार के सुभीते के लिये, जोधपुर में 'इम्पीरियल बैंक' की शाखा खोली गई और राजकीय खज़ाने का काम भी उसको सौंप दिया गया।

पौष सुदि ५ (ई० स० १९२७ की ८ जनवरी) को यहां पर लॉर्ड विंटरटन, अंडर-स्टेट-सैक्रेटरी फ़ॉर इन्डिया का आगमन हुआ।

वि० सं० १९८३ की माघ वदि ६ (ई० स० १९२७ की २४ जनवरी) को कचहरी में एक दरबार किया गया। इसमें उन पुलिस-अफ़सरों को, जिन्होंने अपनी जान को जोखम में डालकर अरटिये के रणजीतसिंह और जवाहरसिंह तथा सीकर के भूरसिंह और बलसिंह को, जो जोधपुर और आस-पास की रियासतों में डकैतियां किया करते थे, मारा था ज़मीन और अन्य शस्त्रादि इनाम में दिए गए और जोधपुर पुलिस के इन्सपैक्टर-जनरल मिस्टर कोठावाला को एक तलवार (Sword of Honour) मिली[1]।

फागुन सुदि ८ (११ मार्च) को कर्नल विंढम (Lt- Col. C. J. Windham, I. A., C. I. E.) जो पहले यहां पर रैज़ीडैंट रह चुका था, 'राजकीय-काउंसिल' का 'वाइस प्रेसीडैन्ट' बनाया गया और पोलिटिकल और फ़ाइनैन्स मैम्बर का काम उसे सौंपा गया।

वि० सं० १९८४ की वैशाख वदि ११ (२७ अप्रेल) को महाराजा साहब ने अपने छोटे भ्राता महाराज अजितसिंहजी को ५४,८७५ रुपये वार्षिक आमदनी के ७ गांव[2] जागीर में दिए और इसके कुछ मास बाद उन्हें डाइरैक्टर ऑफ़ वैटरनरी सर्विसेज़ (Director of Veterinary Services) नियुक्त कर उक्त महकमे के पूरे अधिकार सौंप दिए[3]।

वि० सं० १९८४ की मँगसिर सुदि १४ (ई० स० १९२७ की ७ दिसम्बर) को महाराजा साहब फिर जोधपुर-रेल्वे का निरीक्षण करने के लिये दौरे पर निकले।

---

१. अन्य अनेक डकैतों को नष्ट करने में भी पुलिस-सुपरिन्टैन्डैन्ट महेचा बख़तावरसिंह, और खीची कानसिंह ने अच्छी वीरता दिखलाई थी।

२. उन गांवों के नाम ये हैं:—
१ बीसलपुर, २ पटवा, ३ चावंडिया, ४ आगेवा, ५ बीलावास, ६ मुसालिया, ७ नारलाई।

३. ज्येष्ठ सुदि ४ (३ जून) को बादशाह की बरसगांठ के अवसर पर रिवेन्यू-मैंबर मिस्टर डी० एल० ड्रेक ब्रोकमैन को सी० आई० ई० का ख़िताब मिला।

इस यात्रा में आपने परबतसर-लाइन, लाडनू और मूँडवा स्टेशनों और भदवासी (नागोर के पास) की खड़िया (नागोरी खड्डी=Gypsum) की खानों का निरीक्षण किया।

माघ सुदि १ (ई० स० १९२८ की २३ जनवरी) को भारत का गवर्नर जनरल और वायसराय लॉर्ड इरविन मय अपनी पत्नी के जोधपुर आया और उसने यहां के घोड़ों, मवेशियों और व्यापारिक वस्तुओं की प्रदर्शनी को देखकर मारवाड़ के नागोरी बैलों की बहुत प्रशंसा की। दूसरे दिन महाराजा साहब के सेना-नायकत्व में सरदार रिसाले का प्रदर्शन (Review) हुआ। उस समय उसके सवारों की कार्य-दक्षता को देख वायसराय ने प्रसन्नता प्रकट की। उसी दिन रात्रि में राजकीय भोज (State banquet) के समय महाराजा साहब ने दो लाख रुपये देकर मारवाड़ी युवकों के लिये पशु-चिकित्सा (Veterinary) और कृषि-विज्ञान (Agricultural science) की ४ इरविन-छात्र-वृत्तियां (Scholarships) नियत करने और हाल ही में हिन्दू-यूनीवर्सिटी को कृषि-विद्या की शिक्षा के लिये दिए तीन लाख रुपयों से इरविन-कृषिविद्या-शिक्षक (Irwin Chair of Agriculture) नियुक्त करने की इच्छा प्रकट की[२]।

---

१. वि० सं० १९८४ की कार्तिक वदि ६ (ई० स० १९२७ की १६ अक्टोबर) को महाराजा साहब, अपने मामू (maternal uncle) बूंदी-नरेश रघुवीरसिंहजी की मातमपुरसी के लिये, बूंदी गए और वहां से लौटने पर कार्तिक वदि १४ (२४ अक्टोबर) को बीकानेर की 'गंगा-कैनाल' नामक नहर के उद्घाटनोत्सव में सम्मिलित हुए।

वि० सं० १९८४ की मँगसिर सुदि १४ (७ दिसम्बर) को गश्त के समय, देवीसिंह, सब-इंसपेक्टर-पुलिस डकैतों द्वारा मारा गया। महाराज ने उसकी वीरता और कार्य-तत्परता से प्रसन्न होकर उसकी स्त्री के गुज़ारे के लिये 'पैनशन' नियत करदी।

२. यह रुपया पण्डित मदनमोहन मालवीय के, वि० सं० १९८४ के मँगसिर (ई० स० १९२७ की नवम्बर) में, जोधपुर आने पर दिया गया था और इसी के साथ राज-परिवार और प्रजावर्ग ने भी इस कार्य के लिये एक लाख रुपया और इकट्ठा कर दिया था। (पहले लिखे अनुसार हिन्दू-विश्वविद्यालय (Hindu University) के क़ायम किए जाने के समय भी जोधपुर-राज्य से दो लाख रुपये दिए गए थे और चौबीस हज़ार सालाना पर शिल्पकला-विज्ञान की शिक्षा के लिये एक शिक्षक (Jodhpur Hardinge Chair of Technology) नियुक्त किया गया था। यह उपर्युक्त रकम वि० सं० १९६९ के माघ (ई० स १९१३ की फ़रवरी) में दरभंगा-नरेश और मदनमोहन मालवीय के यहां आने पर दी गई थी।)

इस पर वायसराय ने भी शिक्षोन्नति की इन दोनों बातों को सहर्ष स्वीकार कर लिया। तीसरे दिन प्रातःकाल वायसराय ने जोधपुर के दुर्ग का निरीक्षण किया और उसी दिन तीसरे पहर वह लौट गया।

फागुन वदि ११ (१७ फ़रवरी) को महाराजा साहब नरेन्द्र-मण्डल (Chamber of Princes) की सभा में सम्मिलित होने के लिये दिल्ली गए, और वि० सं० १९८५ की चैत्र सुदि ३ (२४ मार्च) को आपने तिलवाड़े (मारवाड़ के पश्चिमी-प्रान्त) के मेले में लाए गए मारवाड़ के घोड़ों और मवेशियों का निरीक्षण किया। इसके बाद गरमी का मौसम आ जाने से वैशाख सुदि १५ (४ मई) को आप सकुटुम्ब उटकमंड चले गए और वहां से द्वितीय सावन सुदि ३ (१८ अगस्त) को, डाक्टरों की सलाह के अनुसार, स्वास्थ्य-लाभ के लिये, बंबई होकर, इंगलैंड को रवाना हो गए। इससे आपकी अनुपस्थिति में स्टेट-काउंसिल के सभापति का कार्य लैफ्टिनैंट कर्नल विंढम करने लगा।

जोधपुर में प्राचीन काल से रिवाज चला आता है कि यदि कोई पुरुष वध किए जाने वाले बकरों आदि को लेकर शराफ़ा-बाजार से निकलता है तो वहां के महाजन लोग उन पशुओं की कीमत देकर उन्हें धर्मपुरे के बाड़े में भेज देते हैं। इसी के अनुसार वि० सं० १९८५ की ज्येष्ठ सुदि १० (ई० स० १९२८ की २९ मई) को जब कुछ मुसलमान कुर्बानी के एक बकरे को लेकर उस खास बाजार से निकले, तब महाजनों ने दुगनी-तिगनी कीमत देकर, प्रचलित-प्रथानुसार, उस बकरे को ले लेना चाहा। परन्तु वे मुसलमान पहले से ही जान-बूझ कर गड़-बड़ मचाने पर आमादा

इसी अवसर पर वायसराय ने जोधपुर-राज्य की उन्नतिशील व्यवस्था की और अमेरिका जाने वाली भारतीय सैनिक 'पोलोटीम' को दी हुई महाराजा साहब की आर्थिक और घोड़ों की सहायता की प्रशंसा की।

वैशाख वदि ६ (१४ अप्रेल) को लैफ्टिनैंट कर्नल विंढम तीन मास के लिये छुट्टी पर गया। इससे उसका काम जुडीशल और रिवेन्यू मैंबरों में बांट दिया गया।

१. वैशाख सुदि १५ (४ मई) से लैफ्टिनैंट कर्नल स्ट्रॅाग के स्थान पर लैफ्टिनैंट कर्नल गैब्रील (G. H. Gabriel, C. V. O., I. A.) यहां का रैज़ीडैंट नियुक्त हुआ।

आषाढ वदि १ (४ जून) को बादशाह की बरसगांठ के अवसर पर यहां की चीफ़-कोर्ट के चीफ़-जज राओ साहब कुँवर चैनसिंह (M. A., L. L. B.) को 'राओ बहादुर' और सरदार रिसाले के कमांडैंट लैफ्टिनैंट कर्नल ठाकुर अनोपसिंह (M. C.) को 'सरदार बहादुर' की उपाधियां मिलीं।

थे। इसलिये उन्होंने उस बकरे को देने से इनकार कर दिया। इस पर महाजनों ने उस बकरे के कान में बाली (कुड़की) डाल कर उसे पास के सिटी-पुलिस के थाने में सौंप दिया। यह देख उस समय तो वे शरारती मुसलमान चुप हो रहे, परन्तु दूसरे दिन ईदगाह की नमाज़ के समय अन्य मुसलमानों को भड़का कर उनमें से करीब पांच हज़ार को पुलिस थाने पर चढ़ा लाए। यद्यपि पुलिस-अफसरों ने शान्ति के साथ मामला तय कर देने की बहुत कुछ चेष्टा की, तथापि वे लोग बाहर के वातावरण से प्रेरित होने के कारण बल-प्रयोग करने पर उद्यत होगए। इसकी सूचना पाते ही जुडीशल-मिनिस्टर पण्डित ज्वालासहाय मिश्र ने सरदार रिसाले के कुछ सवारों को तत्काल घटनास्थल पर भेज दिया। इससे सारा झगड़ा शीघ्र ही शान्त हो गया[2]।

भादों सुदि ११ (२५ सितंबर) को जिस समय मकराना[3] नामक स्थान पर ठाकुरजी की रिवाड़ी (जल-यात्रा की सवारी), जुलूस और बाजे के साथ, वहां की एक मसज़िद के सामने से निकली, उस समय कुछ मुल्लाओं के भड़काने से, मुसलमानों ने, अपने लिख कर दिए वादे को तोड़ कर, पुलिस और जुलूस के लोगों पर पत्थर फेंकने प्रारम्भ कर दिए। इस पर जैसे-जैसे उन्हें समझा कर शान्त करने की चेष्टा की गई, वैसे-वैसे वे अधिकाधिक उत्तेजना प्रकट करने लगे। इसके बाद उन्होंने उक्त मसज़िद के पीछे बने वहां के जागीरदार के बंधु रघुनाथसिंह के बाड़े में आग लगा दी और स्वयं रघुनाथसिंह को तलवारों और लाठियों से क्षत-विक्षत कर मारडाला। उस समय वहां पर पुलिस के जवानों की संख्या कम होने से शीघ्र ही पासके परबतसर[4] नामक स्थान से फौज बुलाई गई और इस प्रकार वह उपद्रव दबाया गया। इसके बाद उपद्रव करने वालों पर बाक़ायदा मुकद्दमे चलाए गए और अपराध सिद्ध हो जाने पर उन्हें सज़ाएँ दी गईं।

---

१. मारवाड़ में प्रचलित-प्रथा के अनुसार जिस बकरे के कान में बाली (कुड़की) डाल दी जाती है वह अवध्य समझा जाता है और उसे यहां के लोग 'अमर-बकरा' कहते हैं।

२. इस प्रकार के जातीय झगड़े को रोकने के लिये भादों सुदि ६ (२० सितंबर) को फिरसे इस विषय के नियम तय किए गए और कार्तिक वदि ६ (३ नवंबर) को उन्हें राजकीय गज़ट में प्रकाशित करवा दिया गया।

३. यह स्थान जोधपुर से करीब ११८ मील ईशान कोण में स्थित है और वहां पर संगमरमर की खानें हैं।

४. यह स्थान मकराने से करीब १२ मील दक्षिण में है।

कार्तिक (नवंबर) में लाला रामचन्द्र, सुपरिन्टैन्डैंट पुलिस, ने बड़ी मुस्तैदी से जामनगर के मकरानी डकैतों का पीछा किया और बाद में ठाकुर बख़्तावरसिंह और कानसिंह भी उसके साथ हो लिए। इसके बाद इन्होंने सिंध-प्रान्त में घुसकर इस डाकू-दल को नष्ट कर डाला।[1]

कार्तिक सुदि ४ (१६ नवंबर) को महाराजा साहब, मय कुटुम्ब के, लंदन से रवाना होकर[2] मंगसिर वदि ५ (१ दिसंबर) को जोधपुर पहुँचे[3]। इस पर राज-कर्म-चारियों, नगर-वासियों और छात्र-गणों ने स्टेशन पर उपस्थित हो, बड़े आदर, प्रेम और उत्साह से आपका स्वागत किया।

माघ वदि १ (ई० स० १६२६ की २६ जनवरी) को महाराजा साहब ने एक आम दरबार[4] कर सीकर-निवासी डकैत भूरसिंह के दल को नष्ट करने वाले मारवाड़-पुलिस के अफ़सरों और मुलाज़िमों को १५,६०० रुपये का इनाम बांटा। इसमें का कुछ रुपया अन्य रियासतों ने, जो इस दल की लूट-मार से तंग आ गई थीं, भेजा था। इसी अवसर पर दरबार ने मालकम रतनजी कोठावाला, इन्सपैक्टर जनरल जोधपुर-पुलिस, की सेवाओं से प्रसन्न होकर उसे सोना और ताज़ीम दी।

माघ वदि १४ (८ फरवरी) को महाराजा साहब नरेन्द्र-मण्डल की सभा में सम्मिलित होने को दिल्ली गए[5]।

---

१. इस पर जामसाहब रणजीतसिंहजी ने लाला रामचन्द्र को एक तलवार और सरोपाव दिया और उन्हीं की इच्छानुसार उनके उत्तराधिकारी ने ख़ाँ बहादुर कोठावाला, इन्सपैक्टर जनरल-पुलिस, को एक सुवर्ण-पदक प्रदान किया। इस कार्य में चौहटन के ठाकुर सुलतानसिंह और रामसर के ठाकुर जवाहरसिंह ने भी पुलिस की अच्छी सहायता की थी। इससे प्रसन्न होकर जोधपुर-दरबार ने उन्हें एक-एक बंदूक (Rifle) इनाम में दी।

२. आपका 'कैसरेहिंद' जहाज़ मँगसिर वदि ४ (३० नवंबर) को बंबई पहुँचा था।

३. महाराजा साहब ने रेल से उतरते ही पहले उपस्थित लोगों का हार्दिक अभिनंदन ग्रहण किया और फिर क़िले पर स्थित अपनी कुल-देवी चामुण्डा के दर्शन कर अपने महल (राई के बाग़) में प्रवेश किया।

इस वर्ष भी जोधपुर की 'पोलोटीम' ने मेओ कालिज (अजमेर) के खेल में विजय प्राप्त की।

पौष वदि ६ (ई० स० १६२६ की १ जनवरी) को ठाकुर बख़्तावरसिंह, सुपरिंटैंडैंट-पुलिस, को बादशाही पुलिस मैडल (King's Police Medal) मिला।

४. यह दरबार पुराने 'पब्लिक-पार्क' में किया गया था।

५. माघ सुदि ८ (१७ फ़रवरी) को आप दिल्ली से वापस आए।

फागुन सुदि १ (१२ मार्च) को आप फिर दिल्ली गए और वहां से हिन्दू-यूनीवर्सिटी के कृषि-विद्यालय (Agricultural College) का उद्घाटन करने को बनारस पहुँचे[1]।

इस समय मारवाड़ में नाज महँगा हो रहा था। इसीसे दरबार ने उसका देश से बाहर जाना रोक दिया और बाहर से नाज मँगवा कर शहर में सस्ते नाज की दूकानें खुलवा दीं। इससे गरीबों को बड़ी सहायता मिली[2]।

फागुन सुदि ६ (१६ मार्च) को मिस्टर डी. ऐल. ड्रेक ब्रोकमैन (D. L. Drake Brockman, C. I. E., I. C. S.) (रिवेन्यू-मैंबर स्टेट-काउंसिल) अपनी, यहां के कार्य की अवधि समाप्त हो जाने से वापस 'युनाइटेड प्रोविंसेज़' (अवध) में कमिश्नर होकर चला गया[3]। इस पर मिस्टर जे. डब्ल्यू. यंग (Mr. J. W. Young, O. B. E.), जो अब तक 'ऐकाउंटैंट जनरल' था, 'फाइनैंस-मैंबर' बनाया गया।

श्रावण वदि १० (३१ जुलाई) को महाराज फ़तैसिंहजी ने 'होम-मैंबर' के पद से अवसर ग्रहण कर लिया। इस पर उसी दिन पौकरन-ठाकुर, राओ बहादुर, चैनसिंह (M. A., LL. B.) 'जुडीशल-मैंबर', राओ बहादुर राओ राजा नरपतसिंह 'मैंबर-इन-वेटिंग' (Member-in-Waiting) और राओ बहादुर पण्डित ज्वालासहाय मिश्र अस्थायी 'रिवैन्यू-मैंबर' बनाए गए।

वि० सं० १९८६ की सावन सुदि ३ (७ अगस्त) को जोधपुर में स्थानापन्न

---

१. वहां से आप चैत्र वदि ७ (१ अप्रेल) को लौट कर आए।

२. इन दूकानों पर अंगरेज़ी तोल से १ रुपये का साढ़े सात सेर गेहूं मिलता था।

चैत्र वदि ४ (२९ मार्च) को मिस्टर गैब्रील के स्थान पर मिस्टर ऐल. डब्ल्यू. रैनॉल्ड्स (L. W. Reynolds, C. S. I., C. I. E.,M.C., I. C. S.,) और वि० सं० १९८६ की चैत्र सुदि ६ (१५ अप्रेल) को उसके स्थान पर मिस्टर केटर (A. W. L. Cater, I. C. S.) यहां का रैज़ीडैंट नियत हुआ।

३. हाल ही में यह सर (Knight) की उपाधि से भूषित किया जाकर (यू. पी. की) 'पब्लिक सर्विस कमीशन' का 'प्रैसीडैंट' बना दिया गया है।

जेठ वदि ११ (३ जून) को बादशाह की बरसगांठ के अवसर पर राओ साहब, राओ राजा नरपतसिंह (Household Comptroller and Private Secretary) को 'राओ बहादुर' का ख़िताब मिला।

आषाढ सुदि १३ (१६ जुलाई) को राओ बहादुर पौकरन ठाकुर मंगलसिंह, सी० आइ० ई०, पब्लिक वर्क्स मैंबर का हृदय की गति रुक जाने से स्वर्गवास हो गया। यह एक सच्चा और सीधा सरदार था।

(Acting) गवर्नर जनरल, लॉर्ड गोश्चन[1] (Lord Goschen) और उसकी पत्नी का आगमन हुआ। नियमानुसार भेट-मुलाकात हो जाने के बाद उसने यहां का दुर्ग और पोलो का खेल देखा। इसी प्रकार दूसरे दिन सुबह चौपासनी की राजपूत-स्कूल और शाम को मंडोर और कायलाने की झील का निरीक्षण किया। रात को दरबार की तरफ़ से उसके आने की खुशी में एक बृहत् भोज दिया गया[2]। तीसरे रोज़ सरदार समंद में शिकार हुआ और इसके बाद वह (लॉर्ड गोश्चन) वापस लौट गया।

वि० सं० १९८६ की आश्विन वदि २ (ई० स० १९२९ की २१ सितंबर) को तृतीय महाराज-कुमार हरिसिंहजी का जन्म हुआ[3]।

आश्विन सुदि ३ (५ अक्टोबर) को मुंशी हिम्मतसिंह, जो यू. पी. गवर्नमैन्ट से मांग कर बुलवाया गया था, 'रिवैन्यू-मैंबर' बनाया गया और पण्डित ज्वालासहाय मिश्र ने जोधपुर-दरबार की सेवा से अवसर ग्रहण कर लिया।

मँगसिर वदि २ (१८ नवंबर) को महाराजा साहब ने जोधपुर नगर के पास की छीतर (हिल) नामक पहाड़ी पर बनाए जाने वाले अपने विशाल राज-भवन की

---

१. यह पहले मद्रास का गवर्नर था और महाराजा साहब के प्रतिवर्ष की गरमियों में उटकमंड जाने के कारण इन दोनों के बीच मित्रता चली आती थी।

२. इस अवसर पर पौकरन-ठाकुर चैनसिंह को 'राओ बहादुर' का, ठाकुर अनोपसिंह को 'सरदार बहादुर' का और ठाकुर बखतावरसिंह को बादशाही पुलिस-मैडल का तमग़ा दिया गया।

३. इस अवसर पर क़िले से १२५ तोपें चलाई गईं, और दफ्तरों में पांच रोज़ की छुट्टी हुई।

कार्तिक वदि ३ (२१ अक्टोबर) को लैफ्टिनैंट कर्नल मैक्नब (R. J. Macnabb, I. A.) जोधपुर का रैज़ीडैंट नियुक्त हुआ।

कार्तिक सुदि १ (२ नवंबर) को मिस्टर यंग (J. W. Young, O. B. E.,) छुट्टी पर गया और फागुन बदि १२ (ई० स० १९३० की २५ फ़रवरी) को लौटकर वापस आया।

ई० स० १९२९ में जोधपुर की 'पोलोटीम' ने लखनऊ में 'ओपन कप' और दिल्ली में अन्य दो 'कप' जीते। इसी प्रकार इसने अन्य अनेक 'पोलो' के खेलों में भी समय-समय पर विजय प्राप्त की। इससे भारत के बाहर इंगलैंड तक में भी इसकी अच्छी धाक जम गई। इस टीम के वर्तमान दो खिलाड़ियों रावराजा हनूतसिंह और रावराजा अभयसिंह ने (जिनके इस समय क्रमशः ९ और ८ हैंडिकैप हैं) इस खेल में अन्ताराष्ट्रीय ख्याति (International fame) प्राप्त करली है। येही दोनों खिलाड़ी जयपुर-नरेश की तरफ़ से भी भारतीय और इंगलैंड के 'पोलो' के खेलों में बराबर खेला करते हैं। इसी से उनकी 'पोलोटीम' भी मशहूर हो गई है।

स्वयं जोधपुर-नरेश के भी, जिस समय आप पोलो खेला करते थे, ५ हैंडिकैप थे।

नींव रक्खी । इस शुभ अवसर पर दरबार की तरफ़ से जिन बातों की घोषणा की गई थी वे इस प्रकार थीं:—

(१) पुराने जागीरदार के मरने और उसके उत्तराधिकारी के गद्दी पर बैठने के बीच होनेवाली जागीर की अस्थायी ज़ब्ती बंद करदी गई ।

(२) एक हज़ार तक की रेखवाले जागीरदारों पर निकलनेवाला, रेख और चाकरी का, पांच वर्ष से पहले का राज्य का कर्ज़ माफ़ कर दिया गया ।

(इस घोषणा से मारवाड़—राज्य के २८० जागीरदारों को क़रीब ढाई लाख रुपये के कर्ज़ से छुट्टी मिल गई ।)

(३) खालसे (राज्य) के गांवों के कृषकों और अन्यजन-साधारण को, उनके गांवों की सैटलमैंट होनेसे पहले के हासिल, खरड़ा, घास-मारी आदि के कर्ज़ से मुक्ति दे दी गई ।

(इससे ग्रामीण जनता को साढ़े आठ लाख रुपये का फ़ायदा हुआ ।)

इसीके साथ ही वि० सं० १९७२ (ई० स० १९१५) के कहत के समय और उससे पूर्व के वर्षों में कूँए खोदने आदि के लिये दिए हुए एक लाख रुपये का कर्ज़ भी माफ़ कर दिया गया ।

(४) मारवाड़ के मुसलमानों के लिये, राज्य की तरफ़ से, जोधपुर में एक अच्छा स्कूल बनवा देने का वादा किया गया[२] ।

(५) चालीस रुपये तक की तनखा के राज्य के मुस्तकिल मुलाज़िमों को चौथाई महीने की तनख़्वा, इनाम के तौर, पर दी जाने की आज्ञा दी गई ।

(६) गरीबों और बिना गुज़ारे वाले लोगों को राज्य की तरफ़ से गरम कपड़े देने का हुक्म हुआ ।

---

१. इस अवसर पर धार्मिक कृत्यों को संपादन करने के लिये काशी से भी पण्डित बुलवाए गए थे । इस महल का नक्शा लंदन के मिस्टर लैंकेस्टर (Lanchester) ने बनाया था और यह महल अभी बन रहा है ।

२. यह स्कूल १,३१,००० रुपये की लागत से बनकर तैयार हो गया है । इस समय इसमें सैवंथ क्लास तक की पढ़ाई होती है और इसका कुल खर्च राज्य से मिलता है ।

(७) लोगों में निकलने वाली राज्य की कुछ पुरानी रकमें, जिनकी जोड़ करीब पचास लाख के थी, माफ़ करदी गईं।

इसी रोज़ महाराजा साहब ने नगर के नए विशाल अस्पताल[1] की नींव का पत्थर रक्खा। इसके बनाने के लिये दस लाख रुपयों की मंज़ूरी दी गई थी और इसके सामान के लिये डेढ लाख का और इसके वार्षिक ख़र्च के लिये बाईस हज़ार का अंदाज़ किया गया था।

पौष सुदि १ (ई० स० १९३० की १ जनवरी) को गवर्नमैन्ट ने महाराजा साहब को जी. सी. आइ. ई. के ख़िताब से भूषित किया।

माघ वदि १२ (ई० स० १९३० की २६ जनवरी) को 'फील्ड मार्शल' ऐलन्बी (Viscount Allenby, G. C. B., G. C. M. G., etc.,)[2], मय अपनी पत्नी के, जोधपुर आया और दूसरे दिन उसने, महाराजा साहब को साथ लेकर, राजकीय सेनाओं का निरीक्षण किया। यूरोपीय महायुद्ध के समय जोधपुर का सरदार रिसाला, उसकी अध्यक्षता में, पैलेस्टाइन में वीरता के अनेक कार्य कर चुका था। इसी से तीसरे दिन राजकीय भोज (State Banquet) के समय उसने जोधपुर के रिसाले की बड़ी प्रशंसा की और कहा कि–"जॉर्डन की घाटी (Jorden Valley), हैफा (Haifa) और अलेप्पो (Alleppo) के युद्धों में किए कार्यों के कारण इतिहास में इस रिसाले का नाम अवश्य ही आदर का स्थान प्राप्त करेगा।

१. इस अस्पताल का नक्शा मिस्टर जॉर्ज (Walter George) ने बनाया था और इसमें २४० बीमारों के रहने का स्थान रक्खा गया था। इससे पूर्व करीब पांच लाख की लागत से अस्पताल का एक बड़ा भवन और भी बन चुका था। परन्तु उसके नगर से दूर होने आदि अन्य अनेक कारणों से वह पुलिस के महकमे के हवाले करदिया गया।

२. माघ वदि ३० (ई० स० १९३० की २९ जनवरी) को 'फ़ील्ड मार्शल' ऐलन्बी लौट गया। माघ वदि १४ (२८ जनवरी) को भारतीय राजस्थानी सेनाओं का मुख्य परामर्शदाता (Military Adviser in Chief of Indian State Forces.) मेजर-जनरल बेटी (G. A. H. Beatty, C. B., C. S. I., C. M. G., D. S. O.) भी यहां आगया था। वह भी चौथे दिन लौट गया।

चैत्र वदि ३ (१७ मार्च) को फ़ौजी लाट 'फील्ड मार्शल,' लॉर्ड बर्डवुड (His Excellency Field Marshall Lord Birdwood, Commander-in-Chief.), हवाई जहाज़-द्वारा दिल्ली से जामनगर जाते हुए, यहां आया, और वहां से लौटते समय चैत्र वदि ६ (२० मार्च) को भी यहां एक दिन ठहर कर दूसरे दिन दिल्ली चला गया।

इसके अलावा हैफ़ा ही एक ऐसा नगर था, जिस पर बिना किसी अन्य प्रकार की सहायता के केवल रिसाले के आक्रमण से अधिकार किया गया था।"

माघ सुदि ३ (१ फरवरी) को महाराजा साहब, 'पोलो' के लिये, लखनऊ गए और वहां से दिल्ली जाकर नरेन्द्र-मंडल की सभा में सम्मिलित हुए। इसके बाद गरमी का मौसम आ जाने से, वि० सं० १९८७ की वैशाख वदि १ (१४ अप्रेल) को, आप उटकमंड चले गए और सावन वदि १० (२१ जुलाई) को वहां से लौट कर आए।

कार्तिक (अक्टोबर) में महाराजा साहब ने जालोर और जसवंतपुरे का दौरा किया।

वि० सं० १९८७ की पौष वदि ६ (ई० स० १९३० की १४ दिसंबर) को महाराजा साहब के यहां महाराज-कुमारी साहबा का जन्म हुआ।

वि० सं० १९८७ की फागुन सुदि ६ (ई० स० १९३१ की २६ और २७ फ़रवरी) को होनेवाली मनुष्य-गणना में मारवाड़ की जन संख्या २१,२५,९८२ गिनी गई।

ई० स० १९३१ की मार्च में महाराजा साहब दिल्ली जाकर नरेन्द्र-मंडल में सम्मिलित हुए।

वैशाख वदि १२ (१३ अप्रेल) को लैफ़्टिनैंट कर्नल विंढम (C. J. Windham.) ने, जो राजकीय काउंसिल का उपाध्यक्ष (Vice President.) था, दरबार की सेवा से अवसर ग्रहण करलिया। इस पर सावन सुदि २ (१५ अगस्त) को, उसके स्थान पर कुँवर महाराजसिंह (बार-ऐट-लॉ, सी. आइ. ई., कमिश्नर इलाहबाद डिविजन, युनाइटेड प्रौविंसेज़) 'काउंसिल' का उपाध्यक्ष बनाया गया।

वि० सं० १९८७ की आषाढ वदि १३ (२४ जून) को राओ बहादुर रावराजा नरपतसिंह चार मास की छुट्टी पर गया और कार्तिक सुदि ६ (२७ अक्टोबर) को वापस लौट आया।

भादों वदि ७ (१६ अगस्त) को महाराजा साहब अपने मातामह (नाना) महाराना फ़तै-सिंहजी की मातमपुरसी के लिये उदयपुर गए।

१. वैशाख वदि १४ (१६ अप्रेल) को महाराजा साहब जाते हुए वायसराय लार्ड इर्विन से और आते हुए लार्ड विलिंग्डन से मिलने बंबई गए।

द्वितीय आषाढ सुदि ४ (१९ जुलाई) को मिस्टर मैकैंज़ी (D. G. Mackenzie, I. C. S., C. I. E.,) यहां का रैज़ीडैंट नियुक्त हुआ।

वि० सं० १९८८ की सावन सुदि १४ (२६ अगस्त) को महाराजा साहब ने जोधपुर नगर में पानी का समुचित प्रबन्ध करने के लिये गोलासनी के पास नया (उंमेदसागर) बंद तैयार करने को, अपने निजी खर्च (Privy Purse) से, दो लाख रुपये देने की आज्ञा दी। सावन सुदि १५ (२७ अगस्त) को आपने, अपनी काउंसिल के अर्थमंत्री (Finance Minister), मिस्टर यंग को अपना प्रतिनिधि बना कर 'गोल मेज़' (Round Table) कॉन्फ्रैंस में सम्मिलित होने के लिये इंगलैंड भेजा[1]।

कार्तिक सुदि ७ (ई० स० १९३१ की १६ नवंबर) को 'एअर मार्शल' सर जौन स्टील (John Steel) ने जोधपुर आकर[2] यहां के हवाई जहाज़ के 'क्लब' (Jodhpur Flying Club) का उद्घाटन किया।

फागुन वदि ९ (ई० स० १९३२ की १ मार्च) से भारत गवर्नमैंट ने, ख़र्चे की बचत के ख़याल से, पश्चिमी राजपूताने की रियासतों की रैज़ीडैन्सी को उठा कर अस्थायी रूप से जयपुर की रैज़ीडैंसी में मिला दिया[3]।

फागुन सुदि १२ (१९ मार्च) को, 'फैडरेशन' से संबंध रखनेवाले आर्थिक (Financial) प्रश्नों पर विचार करने के लिये, भारत-सरकार द्वारा नियुक्त (Indian States Enquiry) कमेटी का यहां पर आगमन हुआ और उसने महाराजा साहब और उनके मंत्रियों से विचार–विनिमय (Discussion) किया।

चैत्र वदि ७ (२८ मार्च) को महाराजा साहब नरेन्द्र-मण्डल की सभा में सम्मिलित होने को दिल्ली गए[4]।

आश्विन सुदि ११ (२२ अक्टोबर) को महाराजा साहब की बड़ी बहन श्रीमती मरुधर कुँवर बाई साहबा के गर्भ से जयपुर महाराज-कुमार का जन्म हुआ। इस पर जोधपुर में भी हर्ष मनाया गया और क़िले से ५१ तोपें चलाई गईं।

१. मँगसिर वदि ३० (९ दिसंबर) को यह, द्वितीय गोलमेज़ (Second Round Table) कॉन्फ्रैंस में सम्मिलित होकर, वापस आया।

माघ सुदि ११ (ई० स० १९३२ की १८ फ़रवरी) को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड विलिंग्डन का पुत्र लॉर्ड रैटंडन (Lord Ratendone) जोधपुर आया और ८ दिनों तक यहां रहा।

फागुन वदि ४ (२५ फ़रवरी) को जोधपुर में लेडी विलिंग्डन का आगमन हुआ।

२. तीसरे दिन यह लौट गया।

३. इस पर जयपुर, जोधपुर और राजपूताने की अन्य पश्चिमीय रियासतों का कार्य मिस्टर मैंकैंज़ी (D. G. Mackenzie, I. C. S.) करने लगा।

४. वहां से आप चैत्र वदि १२ (२ अप्रेल) को लौटे।

वि० सं० १६८६ की वैशाख वदि ४ (२४ अप्रेल) को स्वर्गवासी महाराजा सुमेर-सिंहजी साहब की कन्या श्री किशोरकुँवरी बाईजी साहबा का विवाह जयपुर-नरेश महाराजा मानसिंहजी[1] के साथ हुआ। इस शुभ अवसर पर काश्मीर, बीकानेर, कोटा, अलवर, डूंगरपुर, किशनगढ़, नवानगर, पन्ना, चरखारी और नरसिंहगढ़ के नरेशों और बीकानेर और कोटा के महाराज-कुमारों ने उपस्थित होकर उत्सव में भाग लिया।

आषाढ सुदि ६ (६ जुलाई) को कुंवर महाराजसिंह, 'वाइस प्रेसीडैन्ट स्टेट-काउंसिल' भारत-सरकार का 'एजेन्ट' (प्रतिनिधि) नियत होकर दक्षिणी-ऐफ्रिका चला गया[2]; इस पर मिस्टर यंग (J. W. Young) काउंसिल का अस्थायी वाइस-प्रैसीडैंट बनाया गया।

आश्विन सुदि ५ (४ अक्टोबर) को महाराजा साहब ने फिर इंगलैंड की यात्रा की और मँगसिर सुदि ६ (६ दिसंबर) को आप वहां से लौट कर आए।

आश्विन सुदि १५ (१४ अक्टोबर) को लॉर्ड विलिंगडन और लेडी विलिंग्डन दोनों का, हवाई जहाज से पूना जाते हुए और कार्तिक वदि ३ (१७ अक्टोबर) को वहां से दिल्ली लौटते हुए, जोधपुर में आगमन हुआ।

कार्तिक सुदि ८ (५ नवंबर) को मिस्टर (J. W. Young) यंग तृतीय गोलमेज सभा (3rd Round Table Conference) में सम्मिलित होने के लिये इंगलैंड गया और माघ वदि ६ (ई० स० १६३३ की २० जनवरी) को वापस लौटा। परन्तु इसवार की सभा में जोधपुर, जयपुर और उदयपुर तीनों रियासतों ने सर पण्डित सुखदेवप्रसाद काक को अपना मुख्य प्रतिनिधि बनाकर भेजा था।

---

१. आपकी बरात उसी दिन यहां पहुँची और वैशाख वदि ६ (२६ अप्रेल) को वापस लौट गई।

वि० सं० १६८८ के आश्विन (ई० स० १६३१ के अक्टोबर) और वि० सं० १६८६ के आश्विन (ई० स० १६३२ के सितंबर) के बीच महाराजा साहब ने जालोर, नागोर, सांचोर, बाली देसूरी आदि मारवाड़ के प्रान्तों का दौरा किया।

२. (इसके बाद यह सर (Knight) की उपाधि से भूषित किया गया था।)

आश्विन सुदि १ (१ अक्टोबर) को महाराजा साहब ने सकुटुम्ब ओसियां की यात्रा की।

पौष सुदि ७ (ई० स० १६३३ की ३ जनवरी) को आलोप-ठाकुर फतैसिंह को 'राओबहादुर' का खिताब मिला।

वि० सं० १६६० की चैत्र सुदि १४ (६ अप्रेल) को महाराजा साहब मातमपुरसी के लिये जामनगर गए।

फागुन सुदि ५ (ई० स० १९३३ की १ मार्च) को जोधपुर-रेल्वे को बने ५० वर्ष हो जाने से उसकी 'जुबिली' मनाई गई। इसका उत्सव पाँच दिनों तक रहा।

चैत्र वदि ७ (१८ मार्च) को महाराजा साहब नरेन्द्र-मंडल में सम्मिलित होने के लिये दिल्ली गए[1]।

वैशाख सुदि ९ (४ मई) को राओबहादुर रावराजा नरपतसिंह ने अपने कार्य से इस्तीफ़ा देदिया। इस पर ज्येष्ठ वदि १ (१० मई) से संखवाय-ठाकुर माधोसिंह होम मिनिस्टर बनाया गया और मिस्टर यंग (J. W. Young) चीफ़ मिनिस्टर नियुक्त हुआ।

ज्येष्ठ वदि १ (१० मई) से मारवाड़ की रियासत का नाम जोधपुर-स्टेट के बदले जोधपुर-गवर्नमैंट कर दिया गया और 'काउंसिल के मैंबर' 'काउंसिल के मिनिस्टर' कहाने लगे।

ज्येष्ठ वदि ७ (१६ मई) को महाराजा साहब शिकार के लिये पूर्वी ऐफ़्रिका गए और भादों सुदि ७ (२७ अगस्त) को वहां से लौटे[2]।

आश्विन सुदि १ (२० सितंबर) को चौथे महाराज-कुमार देवीसिंहजी का जन्म हुआ[3]।

---

१. वि० सं० १९९० की वैशाख सुदि ११ (६ मई) को लंदन में किशोर कुँवर बाई साहबा के गर्भ से जयपुर-नरेश के द्वितीय महाराज-कुमार का जन्म हुआ। इस पर जोधपुर में भी हर्ष मनाया गया और क़िले से २५ तोपें चलाई गई।

२. आपके वापस लौटने पर आश्विन वदि ८ (१२ सितंबर) को जनता ने एक विराट् सभा कर आपका अभिनंदन किया।

आषाढ सुदि ३ (२६ जून) को मिस्टर मैकैंज़ी के स्थान पर मिस्टर लोदियन (A. C. Lothiar, C. I. E., I. C. S.) जयपुर और पश्चिमी राजपूताने की रियासतों का रैज़ीडैंट नियुक्त हुआ।

३. इस खुशी में क़िले से १२५ तोपों की सलामी दी गई और दफ्तरों में ५ दिन की छुट्टी की गई।

वि० सं० १९९० के कार्तिक (ई० स० १९३३ के अक्टोबर) में महाराज विजयसिंहजी को अपनी जागीर में प्रथम श्रेणी के इख़तियार दिए गए। यह १२,००० रुपये की रेख की जागीर इन्हें वि० सं० १९८८ (ई० स० १९३१) में दी गई थी।

माघ वदि ३० (ई० स० १९३४ की १५ जनवरी) को दिन के सवा दो बजे के करीब जोधपुर में भू-कम्प हुआ, परन्तु इससे किसी प्रकार की हानि नहीं हुई।

आश्विन सुदि ११ (२६ सितंबर) को मुंशी हिम्मतसिंह अपनी यू० पी० गवर्नमैंट की नौकरी पर वापस चला गया और उसके स्थान पर बंबई गवर्नमैंट से मांगकर बुलवाया हुआ, मिस्टर इर्विन (J. B. Irwin, D. S. O., M. C., I. C. S.) रिवेन्यू मिनिस्टर नियुक्त किया गया।

वि० सं० १९९१ की प्रथम वैशाख वदि १४ (ई० स० १९३४ की १२ अप्रेल) को मिस्टर यंग (J. W. Young) बीमारी के कारण छुट्टी लेकर इंग्लैंड गया और वहां पर द्वितीय वैशाख सुदि १० (२४ मई) को उसका स्वर्गवास होगया। इस पर राओबहादुर ठाकुर चैनसिंह, जो अब तक 'जुडीशल मिनिस्टर' था, अस्थायी रूप से 'चीफ़-मिनिस्टर' बनाया गया। यद्यपि ज्येष्ठ सुदि ८ (२० जून) से वह फिर 'जुडीशल मिनिस्टर' कहाने लगा, तथापि अर्थ और राजनीतिक विभाग (Finance and Political Departments) उसी के अधिकार में रक्खे गए। इसी समय मिस्टर ऐडगर (S. G. Edgar, I. S. E.) अस्थायी रूप से तामीरात-विभाग का मिनिस्टर (Public Works Minister) बनाया गया।

माघ सुदि १० (२५ जनवरी) को हवाई-फ़ौजी बेड़ों का अफ़सर सर जौन स्टील (Sir John Steel, Air Marshal) जोधपुर आया और दूसरे दिन लौट गया।

वि० सं० १९९१ की प्रथम वैशाख वदि ३ (२ अप्रेल) को मेजर बार्टन (L. E. Barton, I. A.) जयपुर और जोधपुर का रैज़ीडैंट नियुक्त हुआ।

१. आश्विन सुदि १२ (३० सितंबर) को डाक्टर निरंजननाथ गुर्टू के हैल्थ-ऑफ़ीसरी से अवसर ग्रहण करने पर महाराजा साहब ने उसकी सेवाओं से प्रसन्न होकर उसे अपना 'ऑनररी फ़िज़ीशियन' (अवैतनिक डाक्टर) नियुक्त किया और बाद में उसके लिये १५०) रुपये माहवार की पैन्शन नियत कर दी।

२. वि० सं० १९९१ की द्वितीय वैशाख सुदि २ (ई० स० १९३४ की १५ मई) को लॉर्ड और लेडी विलिंगडन हवाई जहाज़ से इंग्लैंड जाते हुए और श्रावण सुदि ६ (१६ अगस्त) को वहां से लौटते हुए जोधपुर में ठहरे।

श्रावण सुदि ३ (१३ अगस्त) को पश्चिमी राजपूताने की रियासतों की रैज़ीडैंसी फिर स्थापित की गई और कर्नल विटिक (H. M. Wightwick, I. A.) यहां का रैज़ीडैंट नियुक्त हुआ।

ज्येष्ठ वदि ७ (४ जून) को बादशाह की बरसगांठ के अवसर पर उमेदनगर-ठाकुर जैसिंह को राओबहादुर का ख़िताब मिला।

इसी समय मीठड़ी और खोखर के आस-पास नकली रुपयों के प्रचार के बढ़ने से लोगों में

---

(१) यह गांव सांभर परगने में है।

(२) यह गांव परबतसर परगने में है।

वहां पर जाली सिक्के बनाए जाने की अफ़वाह फैलने लगी। इस पर सुपरिंटैंडैंट-पुलिस मिरधा बलदेवराम और ठाकुर-कानसिंह इस मामले की जाँच के लिये नियुक्त किए गए। उनकी जांच से वहां पर नकली सिक्कों के साथ ही जाली नोटों के बनाए जाने के प्रयत्न का भी पता लगा।

परन्तु मीठड़ी-ठाकुर के ताज़ीमी-सरदार होने से पहले मुक़द्मे के संबन्ध के सबूतों वगैरा की जांच की गई और इसके बाद महाराजा साहब की आज्ञा प्राप्त कर इन मुक़द्मों पर विचार करने के लिये एक विचारक-सभा (Tribunal) क़ायम की गई।

इसमें राय साहब लाला टोपनराम (चीफ़ जज), पंडित नन्दलाल (सैशन जज) और नींबेड़ा-ठाकुर उमैदसिंह (हाकिम) विचारक नियुक्त किए गए। फागुन बदि ६ (ई॰ स॰ १६३५ की २७ फ़रवरी) से इन मुक़द्मों का विचार प्रारम्भ हुआ और वि॰ सं॰ १६६२ की भादों बदि २ (१६ अगस्त) को इस सभा (ट्रिब्यूनल) ने नकली रुपया बनाने के अपराध से मीठड़ी के ठाकुर भोमसिंह को बरी कर दिया। परन्तु जाली नोट बनाने के मामले में उसे दोषी पाया। इसके बाद पुलिस के अपील करने पर आश्विन बदि ५ (१७ सितंबर) को दरबार ने, अपने प्रधान मंत्री (Chief Minister) की सलाह से उपर्युक्त फ़ैसलों को नामंज़ूर कर दिया और कार्तिक बदि ३ (१४ अक्टोबर) को इन पर फिर से विचार करने के लिये दूसरी विचारक सभा (Tribunal) क़ायम की। इसमें रायबहादुर कुँवरसेन, (बार-ऐट-लॉ) प्रेसीडैंट और पंडित श्रीतारकिशन कौल, (बार-ऐट-लॉ) और ठाकुर हेमसिंह (सैशन जज) मैंबर थे। इस सभा ने पहले जाली नोट बनाने के मामले पर विचार किया और इसमें ठाकुर भोमसिंह आदि को दोषी पाया। इसके बाद 'इजलास ख़ास' में अपील होने पर 'चीफ़ मिनिस्टर' कर्नल डी. एम. फ़ील्ड 'होम मिनिस्टर' संखवाय-ठाकुर माधोसिंह और 'रिवैन्यू मिनिस्टर' खाँबहादुर नवाब मोहम्मददीन ने मिलकर इस पर फिर विचार किया और अपनी राय लिख कर महाराजा साहब की सेवा में भेज दी। इसके बाद वि॰ सं॰ १६६३ की वैशाख सुदि १० (ई॰ स॰ १६३६ की १ मई) को मीठड़ी-ठाकुर को मिली हुई ताज़ीम और क़ुरब के साथ ही जागीर के गांवों में से ८,३०० रुपये की वार्षिक आय के ४ गाँव हमेशा के लिये ज़ब्त हो गए। इसके अलावा ठाकुर को और उसके साथ के अन्य अपराधियों को यथानियम दूसरी सज़ाएं भी दी गईं।

वि॰ सं॰ १६६१ की आश्विन सुदि १ (ई॰ स॰ १६३४ की ६ अक्टोबर) को सर फ्रैंक नोइस (Sir Frank Noyce) वायसराय की काउंसल का (Industries & Labour) मैंबर जोधपुर आया और चौथे दिन लौट गया।

कार्तिक सुदि ४ (१० नवंबर) को फौजी-लाट की पत्नी लेडी चेटवुड (Lady Chetwood) जोधपुर आई और अगले दिन लौट गई। इसके बाद फागुन सुदि ८ (ई॰ स॰ १६३५ की १३ मार्च) को यह फिर आई।

वि॰ सं॰ १६६१ की मँगसिर सुदि ७ (ई॰ स॰ १६३४ की १३ दिसंबर) को महाराजा साहब ने प्रसन्न होकर राओराजा अभयसिंह को सोनाईमाजी और राओराजा हनूतसिंह को मिणियारी नामक गाँव जागीर में दिए और दोनों को द्वितीय श्रेणी के जुडीशल इख़तियारात भी मिले।

वि॰ सं॰ १६६१ की माघ सुदि ११ (ई॰ स॰ १६३५ को १४ फरवरी) को हवाई सेना का अफ़सर सर जौन स्टील जोधपुर आया और उसी दिन लौट गया। इसके बाद फागुन बदि २ (२० फ़रवरी) को यह फिर आया।

वि० सं० १९९१ की पौष वदि २ (ई० स० १९३४ की २२ दिसंबर) को महाराजा साहब मय अपने छोटे भ्राता अजितसिंहजी के फिर शिकार के लिये पूर्वी ऐफ़्रिका गए और चैत्र वदि १० (ई० स० १९३५ की २९ मार्च) को वहां से लौटे।

फागुन वदि ७ (ई० स० १९३५ की २५ फरवरी) को भूतपूर्व ग्रीस नरेश[1] ने जोधपुर आकर महाराजा साहब का आतिथ्य स्वीकार किया और अगले दिन वह लौट गया।

वैशाख वदि ३० (२ मई) को लैफ्टिनैंट कर्नल डोनाल्ड फ़ील्ड (D. M. Field, C. I. E.) चीफ़ मिनिस्टर बनाया गया।

वि० सं० १९९२ की वैशाख सुदि ४ (ई० स० १९३५ की ६ मई) को बादशाह की रजत-जुबिली (Silver Jubilee) मनाई गई[2]। इसके संबन्ध में महल पर सुबह जो दरबार हुआ उसमें रैज़ीडैंट ने महाराजा साहब के सामने वायसराय का भेजा हुआ खरीता उपस्थित किया और महाराजा साहब ने अपनी प्रजा पर का साढ़े आठ लाख रुपये का कर्ज़ माफ़ करने की घोषणा की। दूसरे दिन (वैशाख सुदि ५=७ मई को) क़रीब दस हज़ार रुपये गरीबों को बांटे गए।

बादशाह की इस जुबिली के चंदे में ५०,००० रुपये दरबार ने दिए और २,२४,७३७ रुपये रियाया ने इकट्ठे किए। यह रकम इस अवसर पर राजपूताने की अन्य रियासतों में इकट्ठी की गई रकमों से अधिक सिद्ध हुई और इस रकम में से १,५७,६३३ रुपया मारवाड़ निवासियों के हितार्थ खर्च करने के लिये वापस आ गया[3]।

---

१. इस समय यह फिर ग्रीस के सिंहासन का अधिकारी हो गया है।

वि० सं० १९९२ की वैशाख वदि ५ (२३ अप्रेल) को बर्मा का गवर्नर यहां आया और उसी दिन वापस चला गया।

२. वैशाख वदि १४ (१ मई) को जुबिली उत्सव के संबन्ध में झण्डी-दिवस (Flag day) मनाया गया और छोटी-छोटी झंडियाँ बेचकर भारतियों के हित के कार्यों के लिये रुपया इकट्ठा किया गया।

उस दिन क़िले से १०१ तोपों की सलामी दाग़ी गई, १२१ क़ैदी छोड़े गए, ३६३ क़ैदियों की जेल की अवधि घटाई गई, और महाराजा साहब ने अपने कुछ मुल्की, फ़ौजी और रेल्वे के अफ़सरों को चांदी के ६५ जुबिली-मैडल दिए। उसी अवसर पर ख़ाँबहादुर एम. आर. कोठावाला (इन्सपैक्टर जनरल पुलिस) को जोधपुर-राजकीय पुलिस का पहला पदक दिया गया।

३. यह रुपया निम्नलिखित कार्यों के लिये आया था:—

(क) १५,००० रुपये मारवाड़-राज्य के कुष्ट रोग की जांच (Survey) के लिये।

वैशाख सुदि ४ (६ मई) को रिवैन्यू मिनिस्टर मिस्टर इर्विन (J. B. Irwin, I. C. S.) अपना यहां का कार्यकाल पूरा हो जाने के कारण, बंबई प्रेसीडैंसी में लौटने की इच्छा से, छुट्टी पर चला गया। इस पर 'स्टेट' काउंसिल का कार्य इस प्रकार बाँटा गयाः—

प्रेसीडैंट–महाराजा साहब
चीफ़ और फाइनैंस-मिनिस्टर-कर्नल डोनाल्ड फील्ड, सी. आइ. ई.
जुडीशल मिनिस्टर–राओबहादुर पोकरन-ठाकुर चैनसिंह, एम. ए., एल एल. बी.
होम मिनिस्टर-संखवाय-ठाकुर माधोसिंह
पबलिक वर्क्स मिनिस्टर-मिस्टर ऐडगर (S. G. Edgar, I. S. E)

ज्येष्ठ वदि १४ (३१ मई) को प्रातःकाल के समय क्वेटा और उसके आस-पास के प्रदेश में भयंकर भूकम्प हुआ। इससे धन-जन की बड़ी हानि हुई। इसकी सूचना मिलते ही वहां के पीड़ितों की सहायता के लिये १०,१०० रुपया दरबार ने दिया और ४१,४३१ रुपया अन्य लोगों ने इकट्ठा किया। इसके बाद यह ५१,५३१ रुपये की रकम वायसराय के (दिल्ली के) क्वेटा भूकम्प-सहायक फंड (Quetta Earthquake Relief Fund, Delhi) में भेज दी गई।

(ख) ४५,००० रुपये पागलों की मानसिक चिकित्सा के अस्पताल के लिये।
(ग) ५०,००० रुपये भारतीय बाल और मातृ हितरक्षिणी सभा (All-India Lady Chelmsford League for Maternity and Child-welfare) के लिये।
(घ) ४५,००० रुपये विंढम अस्पताल में राजयक्ष्मा (Tuberculosis) के रोगियों के वास्ते १२ मंचों (Beds) का स्थान तैयार करने के लिये।

१. ज्येष्ठ सुदि ३ (४ जून) को, राज्य की तरफ़ से, लोगों से इस कार्य के लिये चन्दा इकट्ठा करने को एक कमेटी बनादी गई थी।

ज्येष्ठ सुदि २ (३ जून) को बादशाह की सालगिरह के उत्सव पर सरदार रिसाले के मेजर हेमसिंह (Second-in-Command of the Sardar Rissala) को द्वितीय श्रेणी की ओ. बी. आइ. की उपाधि मिली।

आषाढ सुदि ६ (७ जुलाई) को 'जुडीशल मिनिस्टर' ठाकुर चैनसिंह लंदन में होनेवाली शिक्षा सभा (World Educational Conference) में, भारतीय प्रतिनिधि की हैसियत से, सम्मिलित होने के लिये छुट्टी पर गया और कार्तिक वदि ७ (१८ अक्टोबर) को वहां से लौटा।

वि० सं० १६६२ की मंगसिर सुदि १५ (ई० स० १६३५ की १० दिसंबर) को श्रीमती किशोरकुँवरी बाई साहबा के गर्भ से जयपुर-नरेश के तृतीय महाराज-कुमार का जन्म हुआ। इस अवसर पर भी जोधपुर में हर्ष मनाया गया और किले से २५ तोपें चलाई गईं।

वि० सं० १९९२ की मंगसिर सुदि १२ (ई० स० १९३५ की ७ दिसंबर) को खाँबहादुर नवाब चौधरी मोहम्मददीन रिवैन्यू मिनिस्टर बनाया गया।[1]

वि० सं० १९९२ की माघ वदि ११ (ई० स० १९३६ की २० जनवरी) को सम्राट् जार्ज पञ्चम का स्वर्गवास हो गया। इसपर जोधपुर राज्य में भी अगले दिन से यथा नियम शोक मनाया गया।[2]

इसके बाद माघ सुदि ६ (२९ जनवरी) को नए बादशाह एडवर्ड अष्टम के राजगद्दी पर बैठने का उत्सव मनाया गया और उस अवसर पर किए गए दरबार में रैज़ीडैंट द्वारा भारत के वायसराय की, नवाभिषिक्त सम्राट् की अधीनता स्वीकार करने

---

१. यह पहले जयपुर में रिवैन्यू मिनिस्टर था।

वि० सं० १९९२ की पौष सुदि ७ (ई० स० १९३६ की १ जनवरी) को निम्नलिखित राज-कर्मचारियों को पदक और उपाधियां मिलीं:—

मिसेज़ टार्लेटन-कैसर-ए-हिन्द पदक
मेजर गौर्डन (O. B. E.)-सी. आइ. ई.
कर्नल ठाकुर पृथ्वीसिंह (बेड़ा)-रावबहादुर।
ठाकुर कानसिंह (सुपरिन्टैंडैंट-पुलिस)-बादशाही पुलिस-पदक

२. इस अवसर पर तीन दिनों की छुट्टी की गई, तीन दिनों तक क़िले पर की नौबत, रोज़मर्रा की तोपें और जन-साधारण के यहां का नाच-गान बंद रक्खा गया। सरदारों, अंगरेज़-अफ़सरों और मुत्सद्दियों आदि को अपनी-अपनी प्रथानुसार शोक मनाने का आदेश दिया गया। माघ वदि १३ (२२ जनवरी) के प्रातःकाल क़िले से शोक-सूचक ७० तोपें (Minute guns) दाग़ी गईं और उस दिन सारे बाज़ार बंद रहे।

इसके बाद जब माघ सुदि ५ (२८ जनवरी) को स्वर्ग-गत सम्राट् की अन्त्येष्टि की गई तब फिर एक दिन के लिये उपर्युक्त विधि से शोक मनाया गया और मन्दिरों, मसजिदों और गिरजों में प्रार्थनाएं की गईं।

---

(१) ई० स० १९१४ में यह अपने नाना महाराजा प्रतापसिंहजी के साथ यूरप के महायुद्ध में गया था और दो वर्षों तक युद्धस्थल पर रहा था। वि० सं० १९२६ से १९३४ तक यह महाराजा साहब का सेना-सचिव (मिलटरी सेक्रेटरी) रहा और इसके बाद सरदार रिसाले का कमांडर बनाया गया। वि० सं० १९९३ की दूसरी भादों सुदि २ (ई० स० १९३६ की १७ सितंबर) को इस राजभक्त ठाकुर का स्वर्गवास हो गया और इस आकस्मिक घटना पर महाराजा साहब ने खास तौर से अपना शोक प्रकट किया।

की घोषणा पढ़ कर सुनाई गई।

वि० सं० १९९२ की चैत्र वदि ९ (ई० स० १९३६ की १७ मार्च) को भारत के वायसराय और गवर्नर जनरल का जोधपुर में आगमन हुआ और उसने नवीन 'पब्लिक-पार्क' (विलिंग्डन गार्डन) और उसमें बने अजायबघर आदि का उद्घाटन किया।

वि० सं० १९९३ की चैत्र सुदि ६ (ई० स० १९३६ की २८ मार्च) को राओबहादुर ठाकुर चैनसिंह ने जुडीशल-मिनिस्टर के पद से इस्तीफ़ा दे दिया और उसके स्थान पर, वैशाख वदि ७ (१४ अप्रेल) को, रायबहादुर लाला कुँवरसेन (Bar-at-law) जुडीशल-मिनिस्टर नियुक्त हुआ।

वि० सं० १९९३ की वैशाख सुदि १५ (ई० स० १९३६ की ६ मई) को महाराज अजितसिंहजी परामर्शदातृ-सभा (Consultative Committee) के सभापति (President) नियत हुए।

वि० सं० १९९३ की आषाढ सुदि ४ (२३ जून) को नवाभिषिक्त सम्राट् की बरसगांठ के उत्सव पर महाराजा साहब जी. सी. एस. आइ. की उपाधि से भूषित किए गए[3]।

---

१. इसके बाद सामने के मैदान में 'यूनियनजैक' फहराया गया, रिसाले ने शाही सलामी दी, बैंडवालों ने 'जातीय गीत' (National anthem) बजाया और क़िले से १०१ तोपों की सलामी दी गई।

२. इस वार समयाभाव के कारण वायसराय हवाई जहाज़ से आया था और दूसरे ही दिन लौट गया।

इससे पूर्व वि० सं० १९९२ की माघ वदि ११ (ई० स० १९३६ की २० जनवरी) को भी उक्त वायसराय हवाई जहाज़ से, पोरबंदर से दिल्ली जाते हुए इधर से निकला था।

इसी वर्ष के वैशाख (अप्रेल) में मिस्टर ऐडगर (S. G. Edgar, I. S. E.) (पब्लिक वर्क्स मिनिस्टर) छुट्टी पर गया और उसके आश्विन (अक्टोबर) में लौटने तक उसका काम चीफ़ मिनिस्टर और जुडीशल मिनिस्टरों में बाँट दिया गया।

इसी प्रकार वि० सं० १९९३ के वैशाख (ई० स० १९३६ की मई) में चीफ़ मिनिस्टर (Lt.- Col. D. M. Field, C. I. E.) डोनाल्ड फ़ील्ड छुट्टी पर गया और उसके श्रावण (जुलाई) में लौटने तक उसका काम होम-मिनिस्टर को सौंपा गया

३. इसी अवसर पर बाबू घीसूलाल (एसिस्टैंट सेक्रेटरी मैनेजर जोधपुर रेल्वे) को रायसाहब का ख़िताब मिला।

इस वर्ष बारिश की कमी के कारण द्वितीय भादों वदि १० (१० सितंबर) को बीलाड़ा, बाली, देसूरी, जालोर, पाली, जसवंतपुरा, सिवाना, सांचोर और बाड़मेर के प्रान्तों में अकाल होने की घोषणा कर उपयुक्त स्थानों पर सस्ते घास की दूकानें खुलवाई गईं, रक्षित वन-स्थली की रुकावट उठाकर मवेशियों के चारे और पानी का प्रबंध किया गया। जहां-जहां आवश्यकता समझी गई वहां-वहां नाज की दूकानें और गरीबों के भोजनालय (Poor houses) क़ायम किए गए, किसानों को तकाबी दी गई, उनसे लगान लेना या उन पर की डिगरियों की वसूली करना बंद किया गया और गरीबों की सहायता के लिये मदद के काम (relief works) खोले गए[१]।

द्वितीय भादों सुदि ६ (२२ सितंबर) को सम्राट् एडवर्ड अष्टम ने महाराजा साहब को अपना सहचर (A. D. C.) नियुक्त किया और साथ ही 'ऑनररी कर्नल' के पद से भी भूषित किया।

वि० सं० १९९३ की कार्तिक सुदि २ (ई० स० १९३६ की १६ नवंबर) को यहां पर, जोधपुर-राज्य के समग्र भारतीय राज्यसंघ (All-India Federation) में सम्मिलित होने में उपस्थित होनेवाली कठिनाइयों पर विचार-विनिमय करने के लिये, वायसराय के प्रतिनिधियों (Lt.-Col. Sir George Ogilvi, K. C. I. E., C. S. I., Mr. F. V. Wylie, C. I. E. and Mr. E. G. Herbert) का आगमन हुआ। इस वार्तालाप में यहां के रैज़ीडैंट लैफ्टिनैंट कर्नल ऐच. ऐम. विटिक (H. M. Wightwick) ने भी भाग लिया। इसके बाद ये प्रतिनिधि कार्तिक सुदि ४ (१८ नवंबर) को लौट गए।

वि० सं० १९९३ की मंगसिर वदि १२ (ई० स० १९३६ की १० दिसंबर) को (अपने विवाह के मामले में) सम्राट् एडवर्ड अष्टम ने ब्रिटिश-साम्राज्य की गद्दी छोड़ दी। इस पर उनके छोटे भ्राता जार्ज षष्ठ के नाम से उक्त गद्दी पर बैठे। इस संबन्ध में मंगसिर सुदि १ (१४ दिसंबर) को जोधपुर में एक दरबार किया गया[२]।

---

१. इससे पहले ही नागोर प्रान्त के कृषकों के लगान में कमी करदी गई थी।

२. इस अवसर पर राजपूताने की पश्चिमी रियासतों के रैज़ीडैंट ने सम्राट् की घोषणा पढ़कर सुनाई। इसके बाद सामने के मैदान में 'यूनीयनजैक' फहराया गया, राजकीय सेना ने शाही सलामी दी, बाजे वालों ने 'नैशनल ऐन्थम' बजाया, क़िले से १०१ तोपें चलाई गईं और सरकारी दफ्तरों और विद्यालयों में छुट्टी की गई।

वि० सं० १९९३ की माघ वदि ६ (ई० स० १९३७ की १ फरवरी) को लैफ्टिनैंट कर्नल डी. एम. फील्ड. (Lt. Col. D. M. Field, C. I. E.) को सर (Knight) की उपाधि और टी. जी. दलाल (T. G. Dalal), पोलिटिकल सैक्रेटरी को 'ख़ाँसाहब' की उपाधि मिली।

वि० सं० १९९३ की माघ सुदि १ (ई० स० १९३७ की १२ फरवरी) को सम्राट् जॉर्ज षष्ठ ने महाराजा साहब को अपना सहचर (A. D. C.) नियुक्त किया ।

वि० सं० १९९४ की चैत्र सुदि ९ (ई० स० १९३७ की १९ अप्रेल) को महाराजा साहब सम्राट् जार्ज षष्ठ के राज्याभिषेकोत्सव में सम्मिलित होने के लिये, हवाई जहाज से, लंदन को रवाना हुए । इस यात्रा में महारानी साहबा भी आपके साथ थीं । वहां पर वि० सं० १९९४ की वैशाख सुदि २ (१२ मई) को नवीन सम्राट् का राज्याभिषेक हुआ । उसमें भाग लेने के कारण सम्राट् की तरफ़ से महाराजा साहब को राज्याभिषेकोत्सव-संबन्धी पदक (Coronation medal) से भूषित किया गया और महारानी साहबा को फ़ीता (ribbon) और साड़ी पर लगाने का कांटा (brooch) भेट किया गया ।

वि० सं० १९९३ की चैत्र वदि ३० (ई० स० १९३७ की ११ अप्रेल) को यहां के रैज़ीडैंट विटिक (Lt-Col. H. M. Wightwick, I. A.) के छुट्टी जाने पर उसके स्थान पर लैफ्टिनैंट कर्नल गिलन (Lt.-Col. G. V. B. Gillan, C. I. E.) नियुक्त हुआ ।

वि० सं० १९९४ की चैत्र सुदि ३ (ई० स० १९३७ की १३ अप्रेल) को चीफ़ मिनिस्टर सर डोनाल्ड फील्ड (Lt.-Col. Sir Donald Field, C. I. E.) राजकीय कार्य से लंदन गया और आषाढ सुदि ५ (१२ जुलाई) को वहां से लौटा । इस अवसर के बीच इसका कार्य ठाकुर माधोसिंह (संखवाय) गृह-सचिव (होम मिनिस्टर) के तत्वावधान में होता रहा ।

१. वि० सं० १९९३ की माघ सुदि १५ (ई० स० १९३७ की २५ फरवरी) को बंबई प्रान्त के गवर्नर लॉर्ड ब्रेबोर्न (Lord Brabourne, G. C. I. E., M. C.) का यहां आगमन हुआ और दूसरे दिन वह यहां से लौट गया ।

३१ मार्च को खाँसाहब फ़ीरोज़शाह को जोधपुर दरबार की सेवा से अवसर ग्रहण करने पर उसकी सेवाओं के उपलक्ष्य में ३५०) रुपये माहवार की पैनशन दी गई ।

२. इसी अवसर पर महाराज अजितसिंहजी, लैफ्टिनैंट कर्नल सर डोनाल्ड फील्ड (चीफ़ मिनिस्टर जोधपुर), और राओराजा हनूतसिंह को भी कौरोनेशन मेडल मिले ।

साथ ही कैप्टिन रावराजा हनूतसिंह को 'राओबहादुर' और खाँबहादुर कोठावाला (इन्स्पैक्टर जनरल पुलिस) को ओ. बी. ई. (O. B. E.) की उपाधियां मिलीं ।

उसी दिन प्रातःकाल जोधपुर में भी सम्राट् जॉर्ज षष्ठ का राज्याभिषेकोत्सव मनाया गया । इस अवसर पर जलसे के अलावा क़िले से १०१ तोपों की सलामी दागी गई, विद्यार्थियों को मिठाई और गरीबों को भोजन दिया गया । उन गरीब माताओं को जिन्होंने हाल ही में प्रसव के समय 'मातृरक्षिणी सभा' की दाइयों से सहायता ली थी रुपयों की मदद दी गई, मंदिर, मसजिद और गिरजे में एकत्रित होकर प्रार्थनाएं की गई और राज्य के दफ्तरों आदि में ३ दिनों की छुट्टी दी गई ।

इसके बाद वि० सं० १९९४ की ज्येष्ठ वदि १४ (ई० स० १९३७ की ७ जून) को महाराजा साहब हवाई जहाज़ से लौट कर सकुशल जोधपुर पहुँचे[1]।

वि० सं० १९९४ की सावन वदि ३ (ई० स० १९३७ की २६ जुलाई) को महाराजा साहब ने एक दरबार किया और उसमें अपने राजकीय कर्मचारियों को सम्राट् के राज्याभिषेकोत्सव-संबन्धी पदक (Coronation Medals) प्रदान किए[2]।

वि० सं० १९९४ की कार्तिक वदि १ (ई० स० १९३७ की २० अक्टोबर) को पाँचवे महाराज-कुमार का जन्म हुआ[3]।

पहले लिखा जा चुका है कि वि० सं० १९४२ (ई० स० १८८५) में भारत सरकार ने मेरवाड़े के २१ गांवों पर जोधपुर-दरबार का अधिकार मानते हुए भी उनका प्रबन्ध हमेशा के लिये अपने अधिकार में कर लिया था। परन्तु वि० सं० १९९४ के माघ (ई० स० १९३८ की जनवरी) में राज्य-संघ (Federation) के सिलसिले में वे गाँव फिर से जोधपुर दरबार को लौटा दिए गए[4]।

इस समय तक गवर्नमैंट को जोधपुर-दरबार की तरफ़ से १,०८,००० रुपये सालाना ख़िराज के और १,१५,००० रुपये (वि० सं० १८७४=ई० स० १८१८ की सन्धि के अनुसार) फ़ौज-ख़र्च के दिए जाते थे। परन्तु आगे से, ऐरनपुरे की मीणा--फ़ौज (कोर) के तोड़ दिए जाने से, यह पिछली रकम नहीं देनी होगी।

---

१. इस खुशी में अगले रोज़ दफ्तरों में छुट्टी की गई और स्कूलों के विद्यार्थियों को मिठाई दी गई।

२. इस अवसर पर १६ पदक मुल्की (Civil), २९ पदक फ़ौजी (Military) और १६ पदक जोधपुर-रेल्वे के अफ़सरों और कर्मचारियों को दिए गए।

३. इस अवसर पर भी क़िले से १२५ तोपें दाग़ी गईं, ५ दिनों की छुट्टी की गई, ८ क़ैदी छोड़े गए और १०३ क़ैदियों की मियादें घटाई गईं।

वि० सं० १९९४ की पौष वदि ३० (ई० स० १९३८ की १ जनवरी) को भंडारी बिड़मचंद (फाइनैंस-सेक्रेटरी) को 'रायसाहब' की उपाधि मिली।

४. इन गांवों में ३ नये आबाद हुए गांवों के मिले होने से इस समय इनकी संख्या २४ हो गई है।

वि० सं० १९९५ की वैशाख वदि १४ (ई० स० १९३८ की २९ अप्रेल) को महाराजा साहब ने सुमेर-समन्द से लाई गई नहर[1] का उद्घाटन किया।

इस समय यहां पर राज्य-प्रबन्ध के लिये एक मन्त्रियों की सभा (काउंसिल) नियुक्त है। उसमें पांच मन्त्री हैं और उसके सभापति का आसन स्वयं महाराजा साहब ग्रहण करते हैं[2]।

---

१. इस (Sumer Samand Water Supply Channel) के बनाने में करीब १८ लाख रुपये ख़र्च हुए। यह नहर क़रीब ६० मील लंबी है और इसमें मार्ग में चढ़ाई आजाने के कारण ७ पंपिंग स्टेशन बनाए गए हैं। इसका पानी इकट्ठा करने के लिये तख़तसागर का बांध बन रहा है। इसमें क़रीब ५½ लाख रुपये लगेंगे।

इस नहर के बन जाने से जोधपुर नगर की पानी की कमी दूर होगई है।

२. राजकीय काउंसिल के मन्त्रियों का और उनके विभागों का विवरण इस प्रकार है:—

(क)–सर डोनाल्ड फील्ड (Lt.-Col. Sir Donald Field. C. I. E.)	प्रधान मंत्री और अर्थ–सचिव (Chief & Finance Minister)
(ख)–ठाकुर माधोसिंह (संखवाय)	गृह–सचिव (Home Minister)
(ग)–मिस्टर एस. जी. एडगर (Mr. S. G. Edgar, I. S. E.)	तामीरात विभाग–सचिव (Public Works Minister)
(घ)–नवाब ख़ाँबहादुर चौधरी मोहम्मददीन	आय–सचिव (Revenue Minister)
(ङ)–रायबहादुर लाला कुँवरसेन	न्याय–सचिव (Judicial Minister)

परिशिष्ट–२.

महाराजा उम्मेदसिंहजी साहब की पूर्वी एफ्रिका-यात्रा[१]।

(प्रथम यात्रा)

महाराजा साहब ने पहले-पहल विक्रम संवत् १९८९ (ई० स० १९३२-३३) की शीतऋतु में शिकार के लिये पूर्वी एफ्रिका जाने का निश्चय किया और इसके प्रबन्ध के लिये उगंडा और सोमालीलैंड के भूतपूर्व गवर्नर और सूडान के गवर्नर-जनरल सर जॉफ़री आर्चर को लिखा। इसपर वह जोधपुर आकर आप से मिला और यहां पर यात्रा का प्रारम्भिक प्रबन्ध कर आगे के प्रबन्ध के लिये पूर्वी एफ्रिका चला गया।

इसके बाद वि० सं० १९९० की ज्येष्ठ वदि ७ (ई० स० १९३३ की १६ मई) को आप जोधपुर से रवाना हुए और बम्बई पहुँच पूर्वी एफ्रिका जानेवाले ब्रिटिश इण्डिया कम्पनी के केनिया (Kenya) नामक जहाज़ पर सवार हुए।

इस यात्रा में आपके साथ आपके छोटे भ्राता महाराज अजितसिंहजी, ओसियां के ठाकुर रामसिंह और कुँवर बिशनसिंह तथा जोधपुर का प्रिंसिपल मैडीकल ऑफ़ीसर मिस्टर ई० डब्ल्यू० हेवर्ड थे[२]।

---

१. मिस्टर हेवर्ड के विवरण के आधार पर।

२. सर जॉफ़री और सहायक-शिकारी (Chief hunter) मरे स्मिथ ने महाराजा साहब के समान सम्माननीय व्यक्ति के हिंस्र जन्तुओं का शिकार करने को जाने के समय एक दक्ष शल्य-चिकित्सक (Surgeon) का साथ रखना आवश्यक बतलाया था। इसी से मि० हेवर्ड साथ लिया गया था।

इस यात्रा में शल्य-चिकित्सा में सहायता देनेवाले एक व्यक्ति के अलावा तीन अनुचर और भी साथ थे। इनके अलावा अन्य अनुचरों का प्रबन्ध केनिया में ही किया गया था।

भारत से सेशल्स (Seychelles) द्वीप तक की यह सामुद्रिक यात्रा बड़ी सुहावनी रही, और वहां पर आपने अपने सहचरों सहित किनारे पर उतर उस स्नानोपयोगी सुन्दर समुद्र-तटवाले ऊर्वर द्वीप के अनेक छाया-चित्र लिए। कुछ घंटों के विश्राम के बाद आपका जहाज़ अवशिष्ट यात्रा के लिये फिर आगे बढ़ा और उसके मोम्बासा (Mombasa) पहुँचने पर वहां के प्रान्तीय कमिश्नर ने केनिया के गवर्नर के प्रतिनिधि-रूप से आपका स्वागत किया। साथ ही सर जॉफ़री आर्चर तथा मिस्टर निकोल भी वहां आकर उपस्थित हुए। इसके बाद महाराजा साहब अपने सब अनुयायियों को लेकर किलिण्डिनी (Kilindini) के बन्दरगाह के क़रीब बने मिस्टर निकोल[1] के सुन्दर भवन में पहुँचे और उसका आतिथ्य स्वीकार किया। इससे निवृत्त होने पर मिस्टर निकोल ने सब को मोम्बासा की सैर करवाई और महाराजा साहब को अपने हवाई जहाज़ में बिठाकर उक्त नगर का ऊपरी दृश्य दिखलाया।

अन्त में महाराजा साहब के स्थानीय गवर्नर का आतिथ्य ग्रहण कर लेने पर आपका दल, वहां के समुद्र-तल से रवाना होकर कई हज़ार फ़ीट की ऊँचाई पर स्थित नैरोबी को जानेवाली रेलगाड़ी से रवाना हुआ और शाम के बाद अपने गन्तव्य स्थान माउंगू (Maungu) पर, जो एक छोटासा स्टेशन है, पहुँच गया।

यह स्थान वौई (Voi) प्रान्त में है, जो घने जंगलवाला होने से अपने हाथियों के लिये प्रसिद्ध है। यहां के जंगल में विशाल वृक्ष न होकर कांटोंवाली झाड़ियों की अधिकता है। इसी से वहां पर चलना-फिरना कठिन हो जाता है। इस स्थान पर पहले से ही सुखद खेमों का प्रबन्ध कर दिया गया था। इसलिये रात भर विश्राम कर लेने के बाद प्रातःकाल के पूर्व ही महाराजा साहब एफ़्रिका के सब से बड़े शिकार—हाथी की खोज में रवाना हो गए।

इस यात्रा में कप्तान टि० मरे स्मिथ (T. Murray Smith) सहायक-शिकारी (Chief hunter) नियुक्त किया गया था और उसकी सहायता के लिये तीन अन्य शिकारी भी रक्खे गए थे। इसी से मरे स्मिथ और एक अन्य शिकारी महाराजा साहब के साथ और दो शिकारी महाराज अजितसिंहजी के साथ रहते थे। हाथी का शिकार दलबद्ध होकर नहीं किया जा सकता। इसी से महाराजा साहब को एक दिशा में

१. मिस्टर निकोल का पिता भी उन मुख्य पुरुषों में से एक था, जिन्होंने ब्रिटिश ईस्ट एफ़्रिका के नाम से सम्बोधित होने वाले इस भूभाग का द्वार मुक्त किया था।

और महाराज अजितसिंहजी को दूसरी दिशा में जाना पड़ा। महाराजा साहब अपनी छोटी सी टोली के साथ सावो (Tsavo) नदी के उस प्रदेश में, जिसका पूरा-पूरा वर्णन पैटर्सन की 'सावो के मनुष्य भक्षक' (Man eaters of the Tsavo) नामक पुस्तक में दिया गया है, पहुँचे और महाराज अजितसिंहजी आपकी अपेक्षा माउंगू से कुछ पास रहकर शिकार की खोज करने लगे।

अन्त में कुछ दिनों के, प्रातःकाल से पूर्व निकल कर अंधेरा होने तक सघन झाड़ियों में घूमते रहने के, कठिन परिश्रम के बाद महाराजा साहब ने एक एफ्रिकन हाथी का शिकार किया। इसका प्रत्येक दांत तोल में ५७ पाउंड था। यद्यपि यह भार अपेक्षा-कृत हलका था, तथापि ये दांत, ख़ास तौर पर लम्बे और सुन्दर बनावट के थे।

शिकार कर लेने के बाद, हाथी के दांत निकालने और पैर, काँन व पूँछ काटने का चातुर्य-पूर्ण और श्रम-साध्य कार्य किया गया। हाथी की पूँछ पर के बालों से उसकी आयु का पता चलता है, इसी से यह भाग विशेष महत्त्व रखता है। इसके अलावा हाथी के मरकर एक पार्श्व पर गिर जाने के कारण बहुधा उसके दोनों कान शिकारी के हाथ नहीं आते, क्योंकि उस अवस्था में उसका उठाना असम्भव हो जाता है।

वहां से लौटकर महाराजा साहब ने कुछ दिन माउंगू में विश्राम किया और फिर दो दिन इधर-उधर शिकार कर लेने के बाद आपने दूसरा बड़ा हाथी मारा। इसके दांतों का तोल ११७ और ११४ पाउंड था और उनकी लम्बाई ७ फुट ९$\frac{1}{2}$ इंच और ७ फुट $\frac{3}{4}$ इंच थी।

इसके बाद शीघ्र ही महाराज अजितसिंहजी ने भी दो सुन्दर हाथियों का शिकार किया। उनका प्रत्येक दांत औसतन ९० पाउंड था।

यद्यपि महाराजा साहब ने शिकार के लिये लगाए एक सप्ताह के चक्कर में ही दो हाथी मारलिए, तथापि महाराज अजितसिंहजी को दो सप्ताहों तक बिना एक भी गोली चलाए निष्फल चक्कर काटने पड़े। परन्तु अन्त में चार दिनों में ही दो हाथी उनके हाथ लग गए। इसी से कहा जाता है कि हाथी के शिकार में भाग्य, धैर्य और चातुर्य की आवश्यकता होती है।

सिवानी (Siwani) में (जिसका नाम मारवाड़ के सिवाना से मिलता हुआ है और जहां पर महाराजा साहब अबतक अनेक तेंदुओं (Panthers) का शिकार कर चुके हैं) महाराजा साहब ने दो गैंडों का, जिनकी अनुमति आपके शिकार के परवाने में थी[१], शिकार किया।

इसी बीच महाराजा साहब और महाराज अजितसिंहजी ने दो-दो भैंसों के अलावा कुछ अन्य पशुओं का शिकार भी किया। इससे डेरे पर, मारे हुए कई प्रकार के सुन्दर पशुओं का संग्रह हो गया। इन्हीं में एक अजगर भी था, जिसे महाराजा साहब ने जिपे (Jipe) झील के पास मारा था।

इसके बाद क़रीब एक दर्जन मोटरों और मोटर लॉरियों में अपना सामान लाद कर महाराजा साहब की सारी पार्टी माउंगू से दक्षिण टैंगानीका (Tanganyika) की तरफ़ चल पड़ी। मार्ग में इसने मकटाउ (Maktau) में विश्राम किया। यह पूर्वी एफ्रिका की एक लड़ाई का स्थान है। इसी से महाराजा साहब ने बड़े शौक़ से यहां की पुरानी खाइयों (Trenches) का निरीक्षण किया। उस समय इस स्थान पर ज़ोरों की ठंडी हवा चल रही थी। इसलिये दूसरे दिन प्रातःकाल यहां से रवाना होने में सबको प्रसन्नता हुई। अन्त में सब लोग मोशि (Moshi) से होते हुए, जहां पर एफ्रिका के सबसे ऊंचे पहाड़ की सुन्दरता का नज़ारा है, हमेशा बरफ़ से ढकी रहने वाली चोटी वाले किलिमंजरु (Kilimanjaru) पर पहुँच गए।

इसके बाद एक सड़क को, जो सड़क के समान न होने पर भी अपने सुरक्षित शिकार के लिये स्मरणीय है, पार कर यह मोटरों का काफ़ला अरुशा (Arusha)

१. पूर्वी एफ्रिका के नियमानुसार प्रत्येक शिकारी को एक परवाना लेना पड़ता है, जिस पर प्रत्येक जाति के पशुओं की संख्या लिखी रहती है। अतः शिकारी उनसे अधिक का शिकार नहीं कर सकता। यद्यपि आम तौर पर शिकारी (hunter) का अर्थ बड़े-बड़े पशुओं के शिकार करने वाले का होता है, तथापि पूर्वी एफ्रिका में यह शब्द कप्तान मरे स्मिथ के समान पेशेवर शिकारी के लिये ही प्रयुक्त होता है। ऐसे शिकारियों को ख़ास तौर के परवाने (licenses) लेने पड़ते हैं। परन्तु उन पर भी शिकार की तादाद लिखी रहती है। इसके अलावा अपने आसामियों को वहां के शिकार के नियमों से अवगत करने की ज़िम्मेदारी भी इन शिकारियों पर ही रहती है। परन्तु इन नियमों का ठीक तौर से पालन करवाना शिकार की निगरानी करने वालों (wardens) या गिरदावरों (rangers) का काम है।

पहुँचा। यद्यपि उस समय तक सब लोग रास्ते की गर्द से भर गए थे, तथापि मार्ग में मोशि के बाद के रक्षित-वन में घूमनेवाले मृगयोपयोगी पशु-दल के सुन्दर दृश्यों को देखने के कारण प्रसन्न थे। उस स्थान के पशु मोटर गाड़ियों से परिचित हो जाने के कारण बहुधा सड़क के पास ही खड़े हो जाते हैं। इसी से इस पार्टी को निकट पहुँच उनके अनेक छाया-चित्र खींचने में सफलता मिली।

अरुशा में पहुँच महाराजा साहब ने दो दिन पड़ाव किया; क्योंकि उस प्रान्त के सुदीर्घ दक्षिणी भाग में खाने-पीने की सामग्री के न मिलने के कारण सर जॉफ़री और कप्तान मरे स्मिथ को, यात्रा करने के पूर्व, उसके एकत्रित करने का मौक़ा देना आवश्यक था। यहीं पर आप केनिया पहाड़ (Mount Kenya) के ढाल पर बने ब्रिगेडियर-जनरल बोयड मौस (Boyd Moss) के घर पर पधारे। इस प्रान्त में यह घर सब से सुन्दर घरों में से है और इसके साथ इंगलैंड के देहाती बगीचे का-सा एक बगीचा भी जुड़ा है। इसके अलावा यह सब एक ऐसे अछूते (Virgin) जंगल के बीच हैं, जिसमें से निकल कर आने वाले हाथी और गैंडे कभी-कभी इस बगीचे के कुछ भाग को नष्ट कर जाते हैं। इसी से यह एक आश्चर्य-जनक और निराली जगह है।

यहां से रवाना होकर आपका दल दिन भर दक्षिण को जानेवाली सड़क पर चलता रहा और रात को बबाटी (Babati) में ठहरा। यहां के होटल में पुराने ढाँचे के गारे के झौंपड़े थे, और खाने के कमरे में कुछ लकड़ी भी लगी थी। परन्तु यहां से आस-पास का दृश्य खूब दिखलाई देता था। इसके अलावा इस विश्राम-गृह ने सबको रात भर खूब गरम रक्खा।

दूसरे दिन बरेकु (Bereku) पहुँचने पर एक बड़े सरदार ने, जिसका नाम सुल्तान ज़ालिम था, और जो एक प्रादेशिक अफ़सर के साथ वहां ठहरा हुआ था, आपको अपने अनुचरों का दल दिखलाया। यह अर्धनग्न योद्धाओं का एक समूह था।

तीसरे पहर के जलपान के बाद, जो कोलो (Kolo) के बाहर सड़क के किनारे किया गया था, महाराजा साहब की पार्टी ने वहां की स्थानीय टोली के साथ फुटबॉल का मैच खेला और इसमें सरपंच (Referee) की अज्ञानता के कारण बग़ैर एक भी

---

१. यहीं पर मिस्टर हेवर्ड ने ज़ालिम का एक दांत, जो उसे बहुत पीड़ा देता था, उखाड़ दिया। परन्तु डाक्टर के उस दांत को घास पर फैंकते ही उन नंगे योद्धाओं में से एक ने दौड़ कर उसे उठालिया और एक पवित्र यादगार की तरह अपने पास रख लिया।

गोल लिए विपक्षियों को दो गोल से हराया। इस सरपंच के 'ऑफ़-साइड' (Offside) के नियमों से अनभिज्ञ होने के कारण ही महाराजा साहब की पार्टी को सफलता मिली थी। इसके अलावा हारी हुई टोली का निर्णायक से दलील करना और भी चित्ताकर्षक था; क्योंकि प्रातःकालीन भोजन (Breakfast) के समय प्रादेशिक अफ़सर ने महाराजा साहब के दल को विश्वास दिला दिया था कि वहां के लोग अब विशेष जंगली और मनुष्य-भक्षक नहीं रहे हैं। इसके बाद यह दल अपनी मोटरों में बैठ कर करेमा (Karema) नदी पर पहुँचने के लिये आगे बढ़ा और शाम होने के पूर्व ही वहां पर खेमे गाड दिए गए।

दूसरे दिन प्रातःकाल महाराजा साहब आगे के पड़ाव पर चले गए और वहां पर कुछ दिन तक बिना शिकार किए ही ठहरे रहे। यद्यपि उस प्रदेश में हाथियों की बहुतायत थी, तथापि उसके अति सघन वृक्षाच्छादित होने से वहां पर अच्छे नर-हाथी का पता लगाना कठिन था।

अपने अबतक के साहस-पूर्ण शिकार-सम्बन्धी कार्य के बाद वहां के डेरे पर महाराजा साहब ने क्रीकिट खेलने और अपने जन्म-दिवस के उपलक्ष्य में एका-एक नियत किए खेलों के छाया-चित्र लेने में बड़े विश्राम का अनुभव किया।

महाराज अजितसिंहजी ने भी, जो करेमा के डेरे पर पहुँचने के दूसरे दिन ही शिकार के लिये एक तरफ़ चले गए थे, अबतक कोई समाचार न भेजा था और इससे यह अनुमान करलिया गया था कि वह भी हाथी के शिकार में उस समय तक सफल नहीं हो सके थे।

इसके बाद महाराजा साहब सिंगीडा (Singida) की तरफ़ चले। यद्यपि वहां पर भी हाथी का शिकार न हो सका, तथापि आपने एक बड़ा और शानदार कूडु (Kudu) मारा; जिसके सींग नाप में ५५$\frac{1}{2}$ इंच थे।

महाराज अजितसिंहजी भी अबतक हाथी का शिकार करने में सफल न हो सके थे। इसलिये पहले सिंहों और अन्य पशुओं के शिकार को जाने का और वापस लौटते हुए यदि समय मिले तो हाथियों के शिकार करने का निश्चय किया गया। इसके बाद जिस समय महाराजा साहब कौंडोआ इरंगी (Kondoa Irangi) में से होकर लौट रहे थे, उस समय आपने एक विशाल वृक्ष देखा। यूरोपीय महायुद्ध के दिनों में, जिस समय यह गांव जर्मनों की सेना का केन्द्र (Head quarter) था, उस समय वे

लोग इस वृक्ष के तने में अपना गोली-बारूद रक्खा करते थे। इस वृक्ष के तने में घुसने का द्वार इतना बड़ा था कि, उसमें एक लंबा आदमी बग़ैर सर झुकाए ही घुस सकता था। इसी से पाठक उस वृक्ष के तने की विशालता का पता लगा सकते हैं।

इसके बाद आपने मैन्यारा (Manyara) झील पर पड़ाव किया और वहां पर दो शानदार सिंह मारे। इनका नाप क्रमशः ९ फुट ६ इंच और ९ फुट ९ इंच था। वहीं पर आपने अनेक तरह के शिकारोपयोगी पशुओं के कई सुन्दर छाया-चित्र भी लिए। इस पड़ाव पर महाराज अजितसिंहजी और मिस्टर हेवर्ड भी शिकार करने में लगे थे। इससे डेरे पर पूर्वी एफ्रिका के इस भाग में मिलने वाले सब तरह के शिकार किए जाने वाले पशुओं का अच्छा संग्रह हो गया। महाराजा साहब ने अपने सहायक शिकारियों (Chief hunters) को पहले ही कह रक्खा था कि शिकार करने में आपका विचार पशुओं की विशेषता (Quality) से है, संख्या से नहीं। इसीसे यहां पर मारे हुए पशुओं का नम्बर अधिक न होने पर भी स्मारक के तौर पर जितने भी पशु मारे गए थे, वे सब अपनी खास विशेषता रखते थे। इसके अलावा साथवालों के भोजन के लिये, जिनकी संख्या करीब ६५ के थी, मांस का प्रबन्ध करने में भी कम से कम पशु-वध किया जाता था। इसी तरह कभी-कभी उन घुमक्कड़ जाति के लोगों को भी जो इंडोरोबो (Ndorobo) के नाम से पुकारे जाते हैं, खिलाना आवश्यक होता था। वे लोग शिकार की खबर लेकर आते और भोजन के लिये मांस का एक कवल मिलने पर ही उसे प्रकट करने को तैयार होते थे। परन्तु वे इस मांस-कवल का अर्थ प्रत्येक के लिये आधी भेड़ प्राप्त करना मानते थे। इसी से एकवार इनमें के एक आदमी ने भोजन के लिये दी हुई भेड़ की टांग को अपने परिश्रम की एवज में अत्यल्प बतला कर लेने से इनकार कर दिया था।

यहां झील पर गुलाबी रंग के सारस-जाति के पक्षियों (Flamingoes) के हजारों की संख्या में इकट्ठे होने का दृश्य भी बड़ा सुन्दर था। जिस समय ये उड़ते थे, उस समय आकाश का दिखना बिलकुल बंद हो जाता था; और इनका रंग और इनके परों की चमक लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लेती थी। इससे वहां पर इनके भी कुछ सुन्दर छाया-चित्र खींचे गए।

अगला कैंप इंगोरो-गोरो (Ngoro-goro) नामक ज्वालामुखी के मुहाने पर किया गया। यह प्रदेश कई वर्ग-मील में फैला हुआ है और इसमें करीब ३०,०००

शिकार के पशुओं का होना अनुमान किया जाता है । इसी से यहां पहुँच यह पार्टी अपने कैंप से, जिसकी ऊंचाई दो हज़ार फुट थी, कई घंटों तक उन पशुओं के झुन्डों का तमाशा देखती रही; क्योंकि यह एक हमेशा याद रहने वाला दृश्य था । यद्यपि दूरी के कारण न तो यहां छाया-चित्र ही खींचे जा सकते थे न संरक्षित-प्रदेश (Game preserve) होने से शिकार ही किया जा सकता था, तथापि जिन्होंने इसे एकबार देख लिया है, वे इसे किसी तरह नहीं भुला सकते ।

यहां से आगे सेरेंगेट्टी (Serengetti) के मैदान को, जो १०० मील से भी लम्बा निर्जल प्रदेश है, पार करने के लिये पूरी खबरदारी और प्रबन्ध की आवश्यकता होती है । यह एक ऐसा निर्जल प्रदेश है कि वहां पर मनुष्यों के और मोटरों के रेडीयेटरों के लिये जल का मिलना असम्भव है । यद्यपि यह यात्रा भी खासी-भली थी, तथापि इस मैदान को पारकर दूसरे किनारे के आखिरी कैंप में पहुँचने से प्रत्येक व्यक्ति को प्रसन्नता हुई । वैसे तो इस जगह का पानी भी मैला और अस्वादु था, फिर भी वह मिल जाता था ।

यहां पर महाराजा साहब ने ४ दिनों में ही ४६ सिंहों के चित्र खींचे । यद्यपि यहां पर सिंहों (Lions) का शिकार करना बहुत आसान था, तथापि आपने किसी पर गोली नहीं चलाई; क्योंकि यहां पर पहले के समान शिकार का पीछा करने से उत्पन्न होने वाले रोमाञ्चकारी साहस का आनन्द न था । फिर भी यहां पर खींचे हुए चल (Cinema) और अचल चित्र इस प्रदेश की, जहां पर सभी तरह के शिकार पाए जाते हैं, स्मृति को अक्षुण्ण बनाए रक्खेंगे ।

इस समय तक महाराजा साहब के जोधपुर लौटने का समय भी करीब आन पहुँचा था । इसलिये आपकी पार्टी मोटरों से सुगम पड़ावों पर ठहरती, सेरेंगेट्टी को पारकर अरुशा और मोशि होती हुई वौइ आ पहुँची, और वहां से रेल-द्वारा मोंबासा और फिर वहां से केनिया जहाज़-द्वारा बम्बई आ गई । इसके बाद भादों सुदि ७ (२७ अगस्त) को सब लोग जोधपुर पहुँचे ।

इस यात्रा-वर्णन में जिन पशुओं के शिकार का उल्लेख हो चुका है, उनके अलावा निम्नलिखित पशुओं का शिकार भी किया गया था:—

तेंदुआ (Panther), टोपी (Topi), गेरेनुक (Gerenuka), छोटा कूडु (Lesser Kudu), इलैंड (Eland), इम्पाला (Impala), पानी की बक (Water buck), स्टीन

बक (Stein buck), डिक-डिक (Dic-dic), कोंगोनी (Congoni), न्यू (Gnu), थोंपसन का चिकारा (Thompson's gazelle) और ग्रांट का चिकारा (Grant's gazelle)।

ये सब शिकार बाद में नैरोबी (Nairobi) से रवाना किए गए थे, और मसाला भरे जाने के बाद इस समय महाराजा साहब के महलों की शोभा बढ़ाते हैं। इन सब में हाथी के कान की मेज़ें और भी दर्शनीय हैं।

वैसे तो जंगली जानवरों की आवाज़ें पड़ाव के निवास को मज़ेदार बनाती रहती हैं। परन्तु इस यात्रा में एक-दो घटनाएं, जिनका वर्णन आगे किया जाता है, ऐसी भी घटी थीं, जिन्हें मज़ेदार कहने के स्थान पर उत्तेजना-दायक कहना अधिक उपयुक्त होगा।

एक रात को महाराजा साहब के कैम्प से क़रीब एक मील पर रहने वाले वहां के एक स्थानीय पुरुष के चौपायों पर सिंहों ने आक्रमण कर दिया। ऐसे समय मोटर-कार से गोली चलाना ही उचित होता है। अतः इस घटना की सूचना मिलते ही महाराजा साहब उस गहरी रात में चौपायों पर हमला करने वालों को भगाने के लिये ख़ेमे से रवाना हुए। यह याद रखने की बात है कि सिंह को मनुष्य का मांस बहुत पसन्द होता है। परन्तु महाराजा साहब ने वहां पहुँचते ही तत्काल दो सिंहों को मार गिराया। इनमें से एक तो मरकर मोटर के इंजिन (Radiator) पर ही, जिसपर उसने आक्रमण किया था, आ गिरा।

एक रात्रि को महाराज अजितसिंहजी के आगे चलनेवाले ख़ेमे में हाथी घुस आए। यद्यपि वे हाथी इस सफ़ाई से ख़ेमे के पार हुए कि न तो ख़ेमे की कोई रस्सी ही टूटी न मेख़ ही, तथापि उसे तत्काल खाली कर देना पड़ा।

इस प्रकार की घटनाओं के कारण ही एफ़्रिका की झाड़ियों में डेरा लगाने वाले समझदार पुरुषों के लिये भरी बंदूक पास में रखकर सोना आवश्यक होता है।

ऊपर महाराजा साहब की पहली सफ़री का; जिसका अर्थ एफ़्रिकावालों की बोल-चाल के अनुसार शिकार के लिये यात्रा करना होता है, संक्षिप्त वर्णन दिया गया है। एक ख़ास दिन के शिकार या छाया-चित्र लेने का खुलासा वर्णन इस विषय की अनेक प्रसिद्ध पुस्तकों में मिल सकता है; और जैसा उन पुस्तकों में लिखा गया है, वैसा ही प्रत्येक शिकारी को अनुभव होता है। इसलिये यहां पर उसका विशद विवरण देना अनावश्यक है।

हां, आगे शेरों के छाया-चित्र लेने का कुछ हाल दिया जाता है। यह ऐसे स्थान पर ही ठीक तौर से लिया जा सकता है, जिस का कुछ भाग संरक्षित-शिकार-गाह हो और जहां पर बहुत ही कम बंदूक दागने की इजाज़त दी जाती हो। इससे उस भाग के पशु, साधारण जंगली जानवरों से, कम भड़कने वाले हो जाते हैं।

ऐसे स्थान का शेर मोटरकार से बिलकुल ही नहीं डरता और मोटर के तेल की गन्ध उसमें बैठे हुए आदमियों की गन्ध से तेज़ होने के कारण, जब तक वह उन लोगों की बात-चीत नहीं सुन लेता या उन लोगों के अपने को अधिक प्रकट कर देने के कारण देख नहीं लेता, तब तक उस ख़तरे को नहीं समझ सकता। इसलिये यह नियम बना लिया गया है कि, तसवीर लेने वाला फोटोग्राफ़र लॉरी के पिछले भाग में बैठता है और वह लॉरी धीरे-धीरे चलाई जाती है। जब शेर दिखाई देते हैं तब वह उनसे क़रीब पचास गज़ के फ़ासले पर ले जाकर खड़ी कर दी जाती है।

एकबार लॉरी ने एक छोटे शेर के दिल में ऐसा शौक़ पैदा कर दिया कि वह उसकी वास्तविकता को जानने के लिये उससे पन्द्रह गज़ के फ़ासले तक चला आया। इससे तसवीर लेने में बड़ी सुविधा हुई, और इस प्रकार लिए हुए उस चित्र को उस छोटे सिंह की पूरी छवि कहैं तो भी अत्युक्ति न होगी। परन्तु सिंह इस तरह की कृपा सदा ही नहीं किया करते। इसलिये उन्हें ललचाना पड़ता है। इसका यह तरीका है कि सिंहों वाले स्थान से एक या दो मील हटकर एक ज़ीबरा (Zebra) या न्यू (Gnu) (जिसे विल्डिबीस्ट Wilde beeste भी कहते हैं) गोली से मार लिया जाता है और उसका पेट चाक कर दिया जाता है। इसके बाद उसकी लाश लॉरी के पीछे रस्से से इस प्रकार बांध दी जाती है कि वह लॉरी के पिछले बोर्ड से करीब पन्द्रह गज़ की दूरी पर ज़मीन पर घसिटती चलती है। इस प्रकार पेट चाक की हुई लाश को लेकर जब लॉरी शेरों के पास लौट कर पहुँचती है, तब उसकी गन्ध उनका ध्यान अपनी ओर खींच लेती है और वे उसका पता लगाने को आगे बढ़ आते हैं। कभी-कभी वे बहुत आगे बढ़ आते हैं और लॉरी के पीछे धीरे-धीरे घसिटती हुई पशु की लाश को पकड़ने

की चेष्टा भी करने लगते हैं। यह दृश्य चल-चित्र (सिनेमा की तसवीर) खींचने वाले के लिये अपूर्व मौके का होता है। अक्सर ऐसा मौक़ा भी आ जाता है, जब रस्सा खोलकर लाश सिंहों के पास छोड़ देनी और लॉरी कुछ दूर हटा लेजानी पड़ती है। इसके बाद जब सिंह, मारकर नज़र किए हुए अपने प्रियतर भोजन को ग्रहण करने लगते हैं, तब लॉरी फिर पास सरका ली जाती है, और तसवीर खींचने का कार्य पूरी तत्परता से शुरू कर दिया जाता है। परन्तु जिस समय काले अयालवाले बबर शेर की नाक ज़ीबरे की लाश में गहरी घुसी होती है, उस समय उसका पूरा चहरा तसवीर में नहीं आ सकता। ऐसे समय उस भक्षण में तत्पर मृगराज का ध्यान भोजन से हटाने के लिये लॉरी की बगल में ज़ोर से खटखटाना पड़ता है, और इससे वह उस शब्द का कारण जानने के लिये अपना सिर ऊपर उठा लेता है। यह कार्य एक बच्चे की तसवीर खींचने के समान है; क्योंकि फोटोग्राफ़र को चित्र खींचते समय उसकी दृष्टि कैमरे की तरफ़ आकृष्ट करने के लिये उसे पुकारना पड़ता है। इस प्रकार चित्र खींचे जाने के समय सहायक शिकारी (Chief hunter) लॉरी चलाने वाले की बगल में बैठा रहता है, क्योंकि कभी-कभी भड़कीले स्वभाव का कोई नौजवान सिंह दिए हुए भोजन से असन्तुष्ट होकर लॉरी की खोज करने के लिये अधिक निकट आजाता है और ऐसे समय उसे सीसे का भोजन देकर (गोली मारकर) शान्त करना पड़ता है। परन्तु भाग्य से ऐसी आवश्यकता ही नहीं पड़ी। इसके अलावा आम तौर पर कोई भी शिकारी ऐसे सिंह-शावक पर गोली चलाना उचित न समझेगा, जिसका चर्म केवल अजायबघर के 'नैचुरल हिस्ट्री'-(मृतजीव-जन्तुओं वाले) विभाग के ही उपयोगी हो। अस्तु, महाराजा साहब के ये चल और अचल चित्र, जो कुछ उन्होंने वहां पर देखा, उसके और दोनों प्रकार के चित्र खींचने में उनकी कुशलता के चिर-स्मारक रहेंगे।

(द्वितीय यात्रा)

वि० सं० १९९१ की पौष वदि २ (ई० स० १९३४ की २२ दिसम्बर) को महाराजा साहब फिर केनिया जाने के लिये जोधपुर से रवाना हुए। इस वार की यात्रा में आपके छोटे भ्राता महाराज अजितसिंहजी, ओसियां का कुँवर मोहनसिंह, शामपुरा का ठाकुर करनसिंह और मिस्टर हेवर्ड (प्रिंसिपल मेडिकल ऑफ़ीसर) साथ थे[1]।

यह यात्रा केनिया के बदले करंजा नामक जहाज़ द्वारा की गई थी। और पहली यात्रा के समान ही इस यात्रा में भी कोई विशेष घटना नहीं घटी।

मोंबासा पहुँचकर महाराजा साहब ने फिर वहां के गवर्नर और निकोल (Necol) का आतिथ्य ग्रहण किया। इसके बाद सब लोग वहां से तीसरे पहर रेल द्वारा रवाना होकर दूसरे दिन पौष सुदि १ (ई० स० १९३५ की ६ जनवरी) की सुबह मकिण्डु (Mikindu) पहुँचे। इस वार की पार्टी पहले की पार्टी से बहुत छोटी थी और सर जॉफ़री आर्चर भी इसमें शरीक नहीं किया गया था। इसी से उसका काम कप्तान मरे स्मिथ और मिस्टर हेवर्ड ने बांट लिया। परन्तु मकिण्डु का यह निवास असफल ही रहा, क्योंकि एक सप्ताह तक शिकार की टोह में घूमने पर भी न तो महाराजा साहब ही और न महाराज अजितसिंहजी ही हाथी का शिकार कर सके। इसपर सब लोग कितुई (Kitui) प्रान्त की तरफ़ चले आए। यहां पर मुख्य शिविर न्विंगी (Nwingi) में रक्खा गया। और वहां से एक छोटी टोली हाथियों वाले प्रदेश के निकट-तम समझे जानेवाले स्थान को रवाना हुई।

अन्त में दूसरे सप्ताह में महाराजा साहब ने प्रथम हाथी का शिकार किया। यह एक बढ़िया और बुड्ढा नर था, जिसका एक दांत तोल में १०० पाउण्ड और दूसरा ९८ पाउण्ड था। यहां के शिविर में रात को हाथियों के पास वाले छोटे तालाव पर आकर पानी पीने और नहाने की आवाज़ें सुनाई देने से अच्छी चहल-पहल रहती थी। वे अपनी सूँड में पानी भरकर अपने शरीर पर छिड़कते और इस प्रकार फुआर

१. इनके अलावा पहले की तरह ही एक शल्य-चिकित्सा में मदद देनेवाला और तीन अनुचर भी साथ लिए गए थे।

में नहाते थे। उनके समागम से वह पानी और भी ख़राब हो जाता था और शिविर में रहनेवालों को नित्य ही उस पानी को स्नानोपयोगी बनाने के प्रयत्न में बहुतसा समय व्यतीत करना पड़ता था। परन्तु यह स्नान का कार्य अंधेरे में ही अच्छा हो सकता था, क्योंकि उस समय किसी को यह पता नहीं चलता था कि वह अपने सिर पर कैसी चीज़ डाल रहा है। यह शिविर सुन्दर प्रदेश में होने और यहां की आबहवा अच्छी होने से एक मनोहर स्थान था।

माघ वदि १३ (१ फ़रवरी) को महाराजा साहब ने दूसरे हाथी का शिकार किया। इस बार ख़ासा तमाशा रहा, क्योंकि जिस समय हाथियों का एक टोला गोली की मार के भीतर होकर शिविर के पास से निकला, उस समय उनमें से बढ़िया हाथी चुनने के साथ-साथ चुने हुए शिकार पर आघात करते समय, उसके साथियों के हमले से बचने के लिये पूरी चौकसी रखने की आवश्यकता भी आ पड़ी। उन दिनों देश के उस भाग में अकाल था। इसलिये दूसरे दिन प्रातःकाल जिस समय महाराजा साहब की टोली उस मारे हुए हाथी के दांत निकालने को पहुँची, उस समय उक्त प्रान्तवासियों का एक बड़ा समूह, अनुमति मिलते ही मृत हाथी का मांस खाने के लिये, वहां पर एकत्रित हो गया। इसके बाद हाथी के दांत, पैर, पूँछ और कानों को जुदा कर लेने पर जब तक उसके शव के टुकड़े किए गए, तब तक महाराजा साहब को नाचते और गाते हुए हब्शियों के छाया-चित्र लेने का अच्छा मौक़ा मिल गया।

करीब २०० नग्न या अर्ध नग्न मनुष्यों का छुरियां ले-लेकर उस हाथी की लाश पर (जिसके कि उन्होंने टुकड़े-टुकड़े कर दिए) हमला करने का दृश्य देखने वालों के भुलाए नहीं भूल सकता। इस प्रकार उस बन के सब से बड़े गजराज का, जो एक रात पहले वहां पर राजा की तरह घूमता था, ५ टन (१४० मन) का शरीर शाम तक पूरी तौर पर समाप्त हो गया।

हाथी के शिकार के लिये सुबह ४ बजे उठना आवश्यक होता है; क्योंकि इससे शिकारी प्रातःकाल होते ही पानी की तलैया पर पहुँच जाता है और फिर शीघ्र ही किसी बड़े नर हाथी के, जिसने रात में वहां आकर पानी पिया हो, पद-चिह्नों का अनुसरण करता है।

साधारण तौर पर हाथी के पद-चिह्नों से उसकी विशालता का अन्दाज़ा होजाता है और फिर शिकारी को होशियारी के साथ जंगल में कई घंटों तक उनका अनुसरण करना पड़ता है। यह बड़ा ही कठिन कार्य है। इसके बाद जब यह अनुमान हो जाता है कि शिकारी की टोली शिकार के पास पहुँच गई है, तब शिकारी अपनी बन्दूक, जिसे अब तक वाहक (Gun boy) लिये होता है, स्वयं ले लेता है।

जंगल में महाराजा साहब की पार्टी के लोगों का, जो एक कतार में रहकर चलते थे, क्रम साधारणतया इस प्रकार रहता था:—

खोज देखनेवाला, कप्तान मरे स्मिथ, बन्दूक-वाहक, महाराजा साहब, दूसरा बन्दूक-वाहक, महाराज अजितसिंहजी (यदि वह शिकार के लिये अन्य स्थान पर न गए हों), तीसरा बन्दूक-वाहक और दो या तीन मज़दूर।

ऐसी यात्राओं में यह भी एक ध्यान देने की बात है कि, टोली जितनी ही छोटी होगी उसकी आवाज़ भी उतनी ही कम होगी। परन्तु इसकी विशेषता उस समय और भी बढ़ जाती है, जिस समय यह ज्ञात होजाता है कि एक टहनी का टूटना भी कभी-कभी हाथी को आनेवाले ख़तरे से ख़बरदार कर भाग जाने को प्रेरित कर देता है। बहुधा ऐसे जंगलों में झाड़ी इतनी सघन होती है कि यदि २० गज़ की दूरी से हाथी का पार्श्व दिखलाई दे जाय तो भी उसके सिर और पूंछ की दिशाओं का पता लगाना असम्भव हो जाता है। इसी से ऐसे समय उसके गिर्द चक्कर लगाकर उसके मस्तक को देखना और उसके दोनों दांतों के मौजूद और उसको मारकर प्राप्त करने योग्य होने का निश्चय करना आवश्यक होता है।

शिकारियों के २५ या ३० गज़ के फ़ासले पर पहुँच जाने पर उनकी आवाज़ सुनकर या गन्ध पाकर हाथियों का भाग खड़ा होना कोई अनोखी बात नहीं है। ऐसे देश में जहां हवा अक्सर रुख़ बदलती रहती है शिकारी का सफल होना उसके भाग्य पर ही निर्भर रहता है और बहुधा उसे हताश होना पड़ता है। परन्तु अन्य अनेक कारणों में से यह भी एक कारण है कि जिससे लोग हाथी का शिकार करने को लालायित रहते हैं।

माघ बदि १२ (३१ जनवरी) को महाराज अजितसिंहजी ने भी एक शानदार हाथी का शिकार किया। इसके दांत तोल में १०५ और १०० पाउण्ड थे। इसके बाद महाराजा साहब ने जंगली भैंसों और शेरों की खोज में नैरोबी में होकर दक्षिणी मासाइ (Masai) प्रदेश में जाने का निश्चय किया।

जिस समय हाथी का शिकार किया जा रहा हो, उस समय अन्य पशुओं पर गोली नहीं दाग़ी जा सकती, क्योंकि ऐसा करने से अन्य पशुओं के प्राप्त होने पर भी हाथी हाथ से निकल जाता है। यही कारण है कि कोई भी शिकारी, जो हाथी के शिकार के समय की उत्तेजना और उस समय आवश्यक होनेवाले धैर्य और चातुर्य से प्रभावित हो चुका है, इसे पसन्द नहीं करेगा।

महाराजा साहब के मारा (Mara) नदी पर जाते समय मार्ग का पहला पड़ाव नरौक (Narok) पर हुआ और वहां से आगे बढ़ने पर सब लोग सिआना (Ciana) प्रदेश से जो मासाइ के रक्षित-वन का प्रायः एक निर्जन प्रदेश है, गुज़रे।

वहां पर महाराज अजितसिंहजी ने शीघ्र ही दो जंगली भैंसों का शिकार किया। परन्तु माघ सुदि ११ (१४ फ़रवरी) को महाराजा साहब ने जिस जंगली भैंसे का शिकार किया, उसके सींगों का घिराव ५१ इंच का था। यूरोपीय महायुद्ध के बाद मारे गए बड़े भैंसों की सूची में भी इसका स्थान ख़ासा ऊँचा रहा। वे लोग जो वहां उपस्थित थे महाराजा साहब के ख़ासा अंधेरा और बारिश शुरू हो जाने के बाद लौटने पर उत्पन्न हुई उस उत्तेजना को बहुत समय तक याद रक्खेंगे। उस दिन का सा, तीसरे पहर के भोजन में लगे आध घंटे के अलावा, बारह घंटे तक बराबर शिकार का पीछा करते रहने का कठिन कार्य शायद ही कोई कर सकेगा या करना चाहेगा। कप्तान मरे स्मिथ ने भी, जिसे एफ़्रिका का अच्छा अनुभव था, उस दिन महाराजा साहब के जंगल में मदद देनेवाले हथकंडों और चातुर्य की मुक्तकंठ से प्रशंसा की। यद्यपि यह शिकार एक बड़ा पुरस्कार था, तथापि वहां पर उपस्थित लोगों ने इसे उस दिन के परिश्रम से अधिक नहीं समझा। इसी अवसर पर महाराजा साहब ने एक आश्चर्य-जनक चल-चित्र भी खींचा। इसमें अपने एक साथी भैंसे के मारे जाने पर जंगली भैंसों के झुण्ड का श्रेणिबद्ध होकर महाराजा साहब पर आक्रमण करने का दृश्य था। जिस समय आप यह चित्र खींच रहे थे, उस समय की

अवस्था को देख यद्यपि साथ वालों ने आपसे बन्दूक हाथ में ले-लेने की प्रार्थना की, तथापि आप खतरे की परवाह न कर बहुत समय तक कैमरे से चित्र खींचते रहे। परन्तु आपके सौभाग्य से, एक दूसरे बड़े भैंसे के मारे जाते ही, उस आक्रमणकारी महिष दल ने अपना रुख पलट लिया। फिर भी शिविर को लौटते समय इन क्रुद्ध हुए भैंसों के झुण्ड से बचने के लिये पूरी खबरदारी रखनी पड़ी। इस दल ने पलट कर एक वार फिर आपकी टोली पर हमला किया था; परन्तु सौभाग्य से करीब ५० गज की दूरी पर से ही वह फिर लौट गया।

इसके बाद बरसात के समय से पूर्व ही शुरू हो जाने से महाराजा साहब को इस सफलता-दायक शिविर को नियत समय के पूर्व ही छोड़ देने का निश्चय करना पड़ा।

(इसी स्थान पर महाराज अजितसिंहजी और मिस्टर हेवर्ड ने भी अपने मारे सींगों और अयालवाले पशुओं को सम्मिलित कर महाराजा साहब द्वारा किए गए शिकार की संख्या में वृद्धि की)।

यद्यपि बहिया के समय नदियों को पार करना उत्तेजनादायक था, तथापि यह एक श्रम-साध्य कार्य था। कभी-कभी पार्टी के वे लोग जो लॉरियों को पीछे से धकेलते थे, कंधों तक पानी में हो जाते थे। मार्ग की गीली, काली और चिकनी (Cotton soil) मिट्टी को पार करना जब खाली लॉरियों के लिये भी एक परीक्षा का कार्य था, तब लदी हुई लॉरियों के लिये तो यह और भी अधिक संकट का काम था। इसी से आपका कैंप दो दिनों में ५ मील से भी कम आगे बढ़ सका और एक दिन तो केवल नदी के इस पार से उस पार तक की ही यात्रा हुई।

इस धीमी और कठिन यात्रा में भी भाग्य ने महाराजा साहब का साथ दिया। इसी से आपने मार्ग में एक बहुत ही शानदार भूरे अयाल वाले ९ फुट ९ इंच लम्बे शेर का शिकार किया।

यद्यपि यह सिंह करीब १५ मिनट की थोड़ीसी दौड़-धूप के बाद ही एक सघन झाड़ी में मारा गया था, तथापि यह एक ऐसी रोमाञ्चकारी घटना हुई कि आपकी उस १२ घंटों तक भैंसे का पीछा करते रहनेवाली उत्तेजना-वर्धक घटना से किसी कदर कम न रही। जिस प्रकार वे लोग ही, जिन्हें ऐसे कार्यों का अनुभव है, उस सघन जंगल में, जहां पर कमर ऊँची करके सीधा खड़ा होना भी कहीं-कहीं ही सम्भव हो सकता है, १२ घंटे तक बराबर शिकार का पीछा करते रहने के परिश्रम की वास्तविक

कदर कर सकते हैं, उसी प्रकार वे भुक्त-भोगी ही, जिन्होंने ऐसे सघन जंगल में शेर को मरा या जीवित जाने बगैर ही उसका पीछा किया है, उपर्युक्त १५ मिनट की उत्तेजना का अन्दाज़ लगा सकते हैं।

महाराजा साहब के अपनी पार्टी के साथ नैरोबी पहुँचने पर वहां के गवर्नर ने आपका स्वागत किया। यहां से सब लोग फागुन सुदि ४ (८ मार्च) की सुबह इम्पीरियल एअर वे के, सप्ताह में दो बार चलने वाले, हवाई जहाज़ द्वारा रवाना हुए। परन्तु इसके पूर्व महाराजा साहब ने राजधानी के निकट के रक्षित-वन में घूमने वाले शिकारोपयोगी पशुओं के सुन्दर चित्र भी खींचे थे। यहां से चलने पर आपका पहला पड़ाव खारटूम (Khartoum) में हुआ और सब लोग रातभर वहां रहे। उस स्थान पर महाराजा साहब ने अपना रात्रि का भोजन वहां के गवर्नर-जनरल के साथ, उस पुराने और प्रसिद्ध महल में किया, जिसमें जनरल गौर्डन (Gordon) और फील्ड मार्शल लॉर्ड किचनर (Kitchener) के स्मारक रक्खे हुए हैं। वहां के चिड़िया घर में मेजर बारकर (Barker) का अपने एक चीते के पिंजरे में बिना हिचकिचाहट के घुसकर उसे खुजाना देख सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। यहां पर भी महाराजा साहब ने दिन में पहले हवाई जहाज-द्वारा नाइल के ऊपरी हिस्से के आर्द्र-भूभाग (Swamps) में रहनेवाले सैकड़ों हाथियों के झुण्डों के चित्र खींचे।

कारो (Cairo) पहुँचने के पूर्व एक रात लक्सोर (Luxor) में भी ठहरना पड़ा। परन्तु कारो पहुँचने पर महाराजा साहब को मिस्र (Egypt) की उस राजधानी को, जहां पर आप ई० स० १९१२ की कड़ी बीमारी के बाद स्वास्थ्य लाभ के लिये लाए गए थे, दुबारा देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई। महाराज अजितसिंजी का इसे देखने का यह पहला ही अवसर था। यद्यपि कारो के प्रसिद्ध होने के कारण उसके विषय में कुछ लिखना अनावश्यक ही होगा, तथापि यह प्रकट करना अनुचित न होगा कि यहां पर महाराजा साहब ने एक सप्ताह के निवास में जितना कुछ देखा जा सकता था, सब देख डाला। आप विशाल पिरामिड (Great Pyramid) पर चढ़े, आपने तुतनखामन (Tutankhaman) के समय की वस्तुओं वाला अजायबघर देखा, और आप नाइल का बांध (Dam) देखने को भी गए। आपके कारो पहुँचने पर वहां के हाई कमिश्नर (High Commissioner), सेनापति (General Officer Commanding) और टर्फ क्लब (Turf Club) ने, जिसके कि आप ऑनरेरी सभासद बनाए गए,

आपका स्वागत किया। 'टर्फ़ क्लब' में उन सैनिकों द्वारा, जिन्होंने यूरोपीय महायुद्ध के समय जोधपुर रिसाले के साथ रहकर कार्य किया था, वर्णन किए गए अपने रिसाले के वीरता-पूर्ण कार्यों को सुनकर आपको अपार हर्ष हुआ। साथ ही आपने अप्रकट रूप से घूमकर अनेक देशों के लोगों से भरे नगर के अन्य अनेक भागों को भी देख डाला। इसके अलावा कारो और मारवाड़ के लोगों के गाने में खासी-भली समानता को जानकर भी आपको प्रसन्नता हुई।

यहां से आप रेल-द्वारा सईद बन्दर (Port Said) पहुँचे और वहां से पी० एगड ओ० कम्पनी के मलोया (Maloya) जहाज़-द्वारा बम्बई आए। इसके बाद वि० सं० १९९१ की चैत वदि १० (ई० स० १९३५ की २९ मार्च) को आप अपने अनुचरों सहित जोधपुर पहुँचे।

आपके दूसरे नौकर भारी-भारी सामान और शिकार किए हुए पशुओं को लेकर मोंबासा से सीधे ही रवाना हो गए थे। अतः यथा-समय वे पशु आदि मसाले से भरे जाकर आपके महलों में सजा दिए गए हैं, और वहां पर वे बन्दूक द्वारा प्रकट की गई आपकी सफल वीरता को प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार आपके खींचे हुए चल-चित्र (Cinema films) भी सिनेमावालों द्वारा जनता को दिखाए जानेवाले श्रेष्ठ चित्रों का मुक़ाबला करते हैं।

परिशिष्ट—३

यूरोपीय महासमर और जोधपुर का सरदार रिसाला ।

यूरोपीय महायुद्ध के प्रारम्भ होते ही, वि० सं० १९७१ के भादों (ई० स० १९१४ के अगस्त) में, जोधपुर के 'सरदार-रिसाले' की पहली रैजीमैंट और उसकी दूसरी रैजीमैंट का कुछ भाग, युद्धस्थल के लिये भेजा गया[1]। इसके कुछ दिन बाद ही जोधपुर-राज्य के उस समय के निरीक्षक (रीजैंट) वयोवृद्ध महाराजा सर प्रतापसिंहजी और नवयुवक-नरेश महाराजा सुमेरसिंहजी भी युद्धस्थल की तरफ़ रवाना हुए। पहले इस रिसाले को स्वेज़ नहर की रक्षा का भार सौंपना निश्चित हुआ था। परन्तु वहां पहुंचने पर इसे मार्सलीज़ (Marseilles) जाने की आज्ञा मिली। इसके बाद, कार्तिक वदि ८ (१२ अक्टोबर) को जब यह रिसाला वहां पहुंचा, तब रेल-द्वारा ओरलीन्स (Orleans) भेजा जाकर सिकन्दराबाद रिसाले के साथ कर दिया गया।

मँगसिर (नवम्बर) के प्रारम्भ में इसने मैरविल्ले (Merville) की तरफ़ जाकर आर्मेंएटीए (Armentieres) और गिवैंची (Givenchy) के बीच की सैन्यपङ्क्ति की रक्षा के कठिन कार्य में भाग लिया। इस प्रकार उस महीने के अन्त तक यह यप्रे (Ypres) के प्रथम युद्ध में लगा रहा। परन्तु पौष (दिसंबर) में इसने फ़ैस्टुबिया (Festubert) और गिवैंची (Givenchy) के आस-पास के घमसान युद्ध में योग दिया। इस वार की मुठभेड़ में अन्य हताहतों के साथ ही इस रिसाले का 'स्पेशल सर्विस ऑफ़ीसर' मेजर स्ट्राँग भी घायल हुआ।

इसके बाद यह रिसाला अगले दो वर्षों (ई० स० १९१५ और १९१६) में अधिकतर, भारत के अन्य रिसालों के साथ मिलकर, युद्ध-स्थल के पीछे दी जानेवाली युद्ध कला की शिक्षा में, उपयुक्त भू-भागों को तारों से घेरने में, युद्धोपयोगी छोटी रेलों की लाइनें तैयार करवाने में और शत्रु की आत्म-रक्षार्थ तैयार की हुई रुकावट के टूटने पर अपनी तरफ़ के रिसाले के धावे के लिये मार्ग तैयार करने में लगा रहा, परन्तु साथ ही इसने कुछ खाइयों की और कुछ सोमे (Somme) के पास की छोटी-छोटी मुठभेड़ों में भी, जो इस समय के बीच हुईं, भाग लिया।

---

१. जानेवाले कुल जवानों की संख्या १३५९ थी।

इसी बीच, वि० सं० १९७२ के प्रथम वैशाख (ई० स० १९१५ की अप्रेल) में, जोधपुर-नरेश नवयुवक महाराजा सुमेरसिंहजी को, अपने राज्य (मारवाड़) का पूर्ण शासनाधिकार ग्रहण करने के लिये, भारत लौट आना पड़ा।

वि० सं० १९७३ के (ई० स० १९१६-१७ के) शीतकाल में इस रिसाले ने फिर अपना समय युद्ध-शिक्षा में, सैनिक पङ्क्ति के एक भाग की रक्षा में और शत्रु के सम्मुख रुकावट खड़ी करने में बिताया। वि० सं० १९७४ (ई० स० १९१७) की गरमियों में यह रिसाला, अन्य भारतीय रिसालों के साथ, मौका आते ही, जर्मन-सैनिक-पङ्क्ति को भेदने के लिये खास तौर से (In reserve) नियुक्त किया गया। परन्तु ऐसा अवसर न आने से सरदियों में यह फिर खाइयों के युद्ध में भाग लेने में और सैनिक-शिक्षा के कार्य में लग गया। इसी बीच केम्ब्रे (Cambrai) के मैदान में, जनरल-बाइंग (Byng) के हमलों के समय, इस रिसाले ने ला-वैकेरी (La-Vacquerie) के पास शत्रु की हिंडन्बर्ग-पङ्क्ति को तोड़कर उसके अधिकृत भू-भाग पर अधिकार कर लिया। इस हमले में वयोवृद्ध महाराजा प्रतापसिंहजी भी इस रिसाले के साथ थे। परन्तु इसके बाद शीघ्र ही यह रिसाला वापस बुला लिया गया और इसे शत्रु के प्रत्याक्रमणों को दबाने में नियुक्त होना पड़ा। इस कार्य में कैप्टिन ट्रेल (R. G. A. Trail), जो हाल ही में इस रिसाले का 'स्पेशल-सर्विस-अफ़सर' नियुक्त हुआ था, मारा गया।

वि० सं० १९७४ के फागुन (ई० स० १९१८ के मार्च) में भारतीय रिसालों के फ्रांस से हटा लिये जाने के कारण जोधपुर का रिसाला भी फिलस्तीन (Palestine) में, ब्रिगेडियर-जनरल हरबोर्ड (Harbord) के अधीन के 'इम्पीरियल-सार्विस-कैवैलरी ब्रिगेड' के साथ रहकर, कार्य करने को भेज दिया गया। अबतक जोधपुर-रिसाले के सेनापति का कार्य कर्नल महाराज शेरसिंहजी करते थे; परन्तु इस अवसर पर वह रिसाले को सामान आदि भेजने वाले डिपो का, जिसका कार्य इन दिनों बहुत बढ़ गया था, प्रबन्ध करने के लिये भारत लौट आए और रिसाले के सेनापतित्व का कार्य संखवाय-ठाकुर लैफ्टिनैंट कर्नल प्रतापसिंह को सौंपा गया।

---

१. इस रिसाले की एक टुकड़ी ने विलर्स गौसलौं (Villers Gauslaun) के धावे में बड़ी बहादुरी से भाग लिया। इस धावे के पूर्व इसे कई घण्टे तक पानी में खड़ा रहना पड़ा था। परन्तु इसके जवानों ने सब काम बड़े धैर्य और वीरता के साथ किया। यह घटना वि० सं० १९७४ की मंगसिर वदि २ (ई० स० १९१७ की ३० नवम्बर) की है।

फ्रांस से चलकर यह रिसाला जहाज़-द्वारा पहले मिश्र (Egypt) पहुँचा। फिर वहां से रेल-द्वारा सिनाई (Sinai) होता हुआ गाज़ा (Gaza) की तरफ़ भेजा गया और वहां से चलकर अस्केलन (Askelon), जेरूसलम (Jerusalem) और जेरिको (Jericho) होता हुआ घोरानिये पुल (Ghoraniyeh bridge head) के पास पहुँचा। वहां पर इसने 'न्यूज़ीलैंड-माउण्टैड-राइफ़ल्स'[1] (Newzealand mounted rifles) से जॉर्डन की रक्षा का भार लेकर शत्रु के कई छोटे-छोटे दलों को पकड़ने में सफलता प्राप्त की।

वि० सं० १९७५ के ज्येष्ठ (जून) में यह रिसाला वहां के एक स्वास्थ्यप्रद स्थान में रक्खा गया। परन्तु आषाढ (जुलाई) में इसे, हेनू के पुल (Henu bridge head) पर अधिकार करने के लिये, फिर जॉर्डन की घाटी में जाना पड़ा। वहां पहुँच इसने शीघ्र ही शत्रु की सेना पर, जिसकी संख्या तीन 'रैजीमैन्टों' के बराबर थी और जिसके पास दस मशीनगनें थीं, आक्रमण कर उसे नष्ट कर दिया।

उक्त युद्ध में इस रिसाले ने अनेक शत्रुओं को मारने के साथ ही ७४ तुर्क-योद्धा पकड़े थे। इनमें एक ग्यारहवें तुर्क-रिसाले का सेनापति (Officer Commanding) और चार छोटे सेनापति (Squadron Commanders) थे। इसी युद्ध में चार तोपें (मशीन गनें) भी इस रिसाले के हाथ लगीं।

उपर्युक्त हमले में इस रिसाले के राजपूत-वीरों ने व्यक्तिगत वीरता के भी अनेक कार्य सम्पादन किए थे। उन्हीं वीरों में से मेजर ठाकुर दलपतसिंह ने अकेले ही शत्रु के तोप (Machine gun) वाले एक दल पर हमला कर उसकी तोप छीन ली। इसी प्रकार जमादार खानसिंह और आसूसिंह ने भी बड़ी वीरता के साथ अपनी-अपनी सैनिक टुकड़ियों को लेकर शत्रु पर हमला किया। इसी युद्ध में ये पिछले दोनों वीर सम्मुख-रण में जूझ कर काम आए।

आश्विन (सितम्बर) में इस रिसाले ने हैफ़ा (Haifa) पर अधिकार करने में बड़ी ख्याति प्राप्त की। जिस समय मेजर ठाकुर दलपतसिंह के सेनापतित्व में इसने उसपर आक्रमण किया, उस समय सामने नदी के पार से शत्रु की भयंकर गोले बरसाने वाली बड़ी-बड़ी तोपें और मिनट में शत-शत गोलियों की वर्षा करने वाली मशीनगनें

१. कहीं-कहीं वैलिंगटन माउण्टैड राइफ़ल्स (Wellington mounted rifles) लिखा मिलता है।

आग उगल रहीं थी। परन्तु इस रिसाले के सवारों ने नदी और शत्रु की इन सब विघ्न-बाधाओं को पार कर नगर पर अधिकार कर लिया और साथ ही ७०० तुर्क-योद्धाओं को भी पकड़ लिया। इसी युद्ध में वीर दलपतसिंह मारा गया।

इसी प्रकार इस रिसाले ने तुर्कों का पीछा करते हुए आश्विन वदि ११ (३० सितम्बर) को दमिश्क (Damascus) में, आश्विन सुदि १ (६ अक्टोबर) को मोआ-लका (Moalaka) में, आश्विन सुदि ६ (११ अक्टोबर) को जहेर (Zaher) में और आश्विन सुदि १० (१५ अक्टोबर) को होम्स (Homs) में घुसकर अनेक तुर्कों को पकड़ा।

आश्विन सुदि १५ (१६ अक्टोबर) को अलप्पो (Alappo) पर अंतिम धावा किया गया। यद्यपि कार्तिक वदि ७ (२६ अक्टोबर) के पहले मार्ग में कोई उल्लेखनीय मुठभेड़ नहीं हुई, तथापि उस रोज़ पंद्रहवीं घुड़ सवार सेना (15th Cavalry brigade) को, जो पहले 'इम्पीरियल-सर्विस-कैवेलरी-ब्रिगेड' कहलाती थी, नगर-रक्षक तुर्कों की सेना की गति रोकने की आज्ञा दी गई। इस युद्ध में लैफ्टिनैंट कर्नल हेला होल्डन (Hyla Holden) मारा गया और कैप्टिन हौर्न्सबी (Hornsby) ज़ख़्मी हुआ।

इस प्रकार ई० स० १९१८ के १९ सितम्बर से २६ अक्टोबर तक जोधपुर रिसाले ने, पंद्रहवीं 'कैवेलरी-ब्रिगेड' के साथ रहकर ५०० मील का धावा किया और मार्ग में होनेवाले प्रत्येक युद्ध में भाग लिया।

ई० स० १९१८ की ३१ अक्टोबर को अस्थायी संधि (Armistice) हो जाने से ई० स० १९१९ के नवम्बर तक, यह रिसाला क़ब्जा रखने वाली सेना (Army of Occupation) की तरह मिश्र में रहा। इसके बाद वहां से चलकर बीरुट (Beirut) होता हुआ जहाज-द्वारा स्वेज की राह भारत में पहुँचा और ई० स० १९२० की २ फ़रवरी को, पांच वर्ष की लगातार युद्ध-सेवा के बाद, जोधपुर लौट आया।

इस युद्ध में इस रिसाले के २ ब्रिटिश अफ़सर, ३ देसी अफ़सर और २५ जवान सम्मुख युद्ध में मारे गए। १ देसी अफ़सर और ६ जवान ज़ख़्मी होकर मरे। १ देसी अफ़सर और ६३ जवान बीमार होकर मरे और २ ब्रिटिश अफ़सर, १२ देसी अफ़सर और ८२ जवान ज़ख़्मी हुए।

इस रिसाले की उपर्युक्त सेवाओं के उपलक्ष्य में इसके अफ़सरों और सिपाहियों को कुल मिलाकर ६४ पदक और इनाम आदि मिले थे। इनमें से मुख्य-मुख्य अफ़सरों के नाम आगे दिए जाते हैं:—

कर्नल ठाकुर प्रतापसिंह (संखवाय)		....	सी० बी० ई०, ओ० बी० आइ० (सरदार बहादुर) (प्रथम रैजीमैंट)
मेजर ठाकुर दलपतसिंह	....	....	एम० सी०
कैप्टिन ठाकुर अनोपसिंह[1]	....	....	एम० सी०, ओ० बी० आइ०, (बहादुर) आइ० ओ० ऐम० (स्काड्रन कमाण्डर-प्रथम रैजीमैंट)
लैफ्टिनैंट कुँवर सगतसिंह	....	....	एम० सी०,
कैप्टिन अमानसिंह	....	....	ओ० बी० आइ०, आइ ओ० ऐम०,
मेजर ठाकुर किशोरसिंह	....	....	ओ० बी० आइ०,
कैप्टिन पनैसिंह	....	....	ओ० बी० आइ०,
रिसालदार उदैसिंह	....	....	ओ० बी० आइ०,
रिसालदार शैतानसिंह	....	....	आइ० ओ० ऐम०,
जमादार आसूसिंह	....	....	आइ० ओ० ऐम०,
जमादार खानसिंह	....	....	आइ० ओ० ऐम०,
जमादार जवाहरसिंह	....	....	आइ० डी० ऐस० ऐम०
जमादार बिशनसिंह	....	....	आइ० डी० ऐस० ऐम०
कैप्टिन बहादुरसिंह	....	....	आइ० डी० ऐस० ऐम०
लैफ्टिनैंट मोहबतसिंह	....	....	आइ० डी० ऐस० ऐम०
लैफ्टिनैंट भूरसिंह	....	....	आइ० डी० ऐस० ऐम०
लैफ्टिनैंट अर्जुनसिंह	....	....	आइ० ऐम० ऐस० ऐम०
रिसालदार जोगसिंह	....	....	आइ० ऐम० ऐस० ऐम०
जमादार अनोपसिंह	....	....	Croix De Guerre (फ्रांस का)

इनके अलावा वि० सं० १९७४ की श्रावण सुदि १३ (ई० स० १९१७ की १ अगस्त) को महाराजा सुमेरसिंहजी साहब अवैतनिक मेजर (Honorary Major) के पद से भूषित किए गए और जोधपुर रिसाले के साथ युद्धस्थल में रहने तक कुँवर (रावराजा) हनूतसिंह और कुँवर सगतसिंह को अवैतनिक (द्वितीय) लैफ्टिनैंट के पद दिए गए।

---

१. किसी-किसी रिपोर्ट में इसके स्थान पर स्काड्रन कमान्डर (Squadron Commander) पनेसिंह को मिल्ट्री क्रॉस (M. C.) मिलना लिखा है।

परिशिष्ट-४

मारवाड़-नरेशों के दान दिए हुए कुछ अन्य गांवों का विवरण.

३. राव धूहड़जी

राव धूहड़जी के दान किए गांवों का उल्लेख इस इतिहास के पृष्ठ ४७ के फुटनोट नंबर ६ में किया जा चुका है। परन्तु उनके इन दो गांवों के दान का उल्लेख और भी मिलता है:—

१. तरसींगड़ी-सोढ़ां और २. ढूंढली (पचपदरा परगने के) पुरोहितों को।

२०. राव चन्द्रसेनजी.

राव चन्द्रसेनजी के एक गांव के दान का उल्लेख इस इतिहास के पृष्ठ १६० पर किया जा चुका है। परन्तु उनके निम्नलिखित गांवों के दान का उल्लेख और भी मिलता है:—

१. चारणों का बाड़ा (सिवाना परगने का) और २. खाड़ा आसियां (पचपदरा परगने का) चारणों को।

२७. महाराजा अभयसिंहजी.

महाराजा अभयसिंहजी के दिए गांवों के दान का विवरण इस इतिहास के पृष्ठ ३५७ के फुटनोट नं० ३ में दिया गया है। उनमें के प्रथम ६ गांव चारणों को दिए गए थे। उनमें का (१) आलावास सोजत परगने का था, (४) टाटरवी नागोर परगने का था और (५) रांणावास का शुद्ध नाम रांणासर था।

२६. महाराजा बख्तसिंहजी.

महाराजा बख्तसिंहजी के दिए गांवों का वर्णन इस इतिहास के पृष्ठ ३६६ के फुटनोट १ में दिया जा चुका है। परन्तु उनके अलावा निम्नलिखित गांवों का भी उनके द्वारा दान किया जाना प्रकट होता है:—

१. डेरवे की ढांणी (नागोर परगने का), २. जोरावरपुरा (उर्फ-पेमावास) (डीडवाना परगने का), ३. साथूर्णी-चारणां (पचपदरा परगने का) चारणों को; ४. बांसड़ा (नागोर परगने का) ब्राह्मणों को और ५. रामसर की भूमि (नागोर परगने की) भगतों को। उपर्युक्त फुट नोट में लिखे (४) धुनाडी गांव का शुद्ध नाम दूनियाडी मिलता है।

३१. महाराजा भीमसिंहजी.

महाराजा भीमसिंहजी द्वारा दान में दिए एक गांव का उल्लेख इस इतिहास के पृष्ठ ४०० के फुटनोट नं० १ में किया गया है। परन्तु उनका यथासाध्य पूरा विवरण यहां दिया जाता है:—

१. सीरोडी, २. गोलिया (जोधपुर परगने के) ब्राह्मणों को; ३ मोटूस (मेड़ता परगने का) रामेश्वर महादेव के मंदिर को; ४. गिला-वासणी (डीडवाना परगने का) (जोधपुर के) लोटनजी के मंदिर को; ५. समदोलाव-कलां (मेड़ता परगने का) स्वामियों को; ६. जोधडावास, ७ पीथासिया (नागोर परगने के), ८ जोध-डावास (मेड़ता परगने का), ६. बाणियावास (पचपदरा परगने का) चारणों को और १०. पांडूखां, ११. धौलेराव-खुर्द (मेड़ता परगने के) भाटों को।

३४. महाराजा सरदारसिंहजी.

महाराजा सरदारसिंहजी ने निम्नलिखित गांव दान किए थे:—

१. मथाणिये का हिस्सा, २. कोटड़ा, ३. किरमसीसर-खुर्द, ४. किरमसीसर-कलां (जोधपुर परगने के) चारण महामहोपाध्याय कविराजा मुरारिदान को।

परिशिष्ट-५

मारवाड़-राज्य के कुछ मुख्य-मुख्य महकमों का हाल

प्रधान मन्त्री (चीफ़ मिनिस्टर) के अधीन महकमें:—

महकमा खास.

यह राज्य का मुख्य महकमा (Secretariat) है और इसकी स्थापना आदि के विषय में इस इतिहास में यथास्थान लिखा जा चुका है। ई० स० १६२२ और १६२८ में इसे नवीन ढंग पर लाने के लिये इसके प्रबन्ध में और भी उन्नति की गई और ई० स० १६३० के सितम्बर में राजकीय काउंसिल के प्रत्येक मैम्बर के लिये एक-एक सैक्रेटरी नियुक्त किया गया। इससे मैम्बरों का काम बहुत कुछ हलका हो गया और उन्हें विशेष महत्त्व के मामलों की तरफ़ ध्यान देने का समय मिल गया। न्याय के कार्य को और भी उन्नत बनाने के लिये ई० स० १६३५ में कानूनी सलाहकार (Leagal adviser) का पद नियत किया गया और इस सम्बन्ध के कागज़ात उसकी सलाह के साथ काउंसिल में पेश होने का नियम बनाया गया।

ई० स० १६३७ में महकमा खास के प्रबन्ध में फिर संशोधन किया गया। इस समय पोलिटिकल डिपार्टमैन्ट और काउंसिल के कार्य-संचालन के लिये एक-एक ऐसिस्टैन्ट सैक्रेटरी भी नियत है।

पुलिस का महकमा.

इसमें १ इन्सपैक्टर जनरल और १ डिप्टी इन्सपैक्टर जनरल के अलावा ६ डिस्ट्रिक्ट सुपरिन्टैन्डैन्ट, १ डिप्टी सुपरिन्टैन्डैन्ट, २२ इन्सपैक्टर, ६ पब्लिक प्रौसीक्यूटर, ११२ सब-इन्सपैक्टर, ६ सब कोर्ट इन्सपैक्टर, ४७६ हैड कॉन्स्टेबल, २०७६ कॉन्स्टेबल, ८० चौकीदार और ६७ नम्बरदार हैं।

पुलिस के महकमे की कार्रवाई का हाल यथास्थान दिया जा चुका है और यह महकमा बराबर उन्नति करता जा रहा है।

जोधपुर रेल्वे.

इस समय तक जोधपुर-सूरसागर, परबतसर, समदड़ी-रानीवाड़ा, और मारवाड़ जंक्शन-फुलाद शाखाओं के और भी खुल जाने से जोधपुर-रेल्वे का विस्तार ७६७ मील के करीब पहुँच गया है। इसी प्रकार २६ नए स्टेशनों के खुलजाने से जोधपुर-रेल्वे के स्टेशनों की कुल संख्या ११० हो गई है। इनमें से ४८ स्टेशन ब्रिटिश-भारत के सिंध और बलूचिस्तान प्रान्त में हैं। इनके अलावा मारवाड़ में होकर निकलनेवाली बी० बी० एण्ड सी० आइ० रेल्वे के २३ स्टेशन और भी मारवाड़ राज्य में वर्तमान हैं।

इस रेल्वे की कुचामन रोड से खोखरोपारवाली, लूनी जंक्शन से फुलादवाली और जोधपुर से सूरसागरवाली शाखाओं पर और राई-का-बाग तथा मण्डोर के स्टेशनों पर 'कण्ट्रोल-सिस्टम' से काम होता है।

इस रेल्वे की लूनी से सिंध वाली शाखा पर ५० के स्थान पर ६० पाउंड की लोहे की पटड़ी (रेल्स) लगादी गई है और डेगाना-सुजानगढ़ शाखा पर ३० के बदले ५० पाउंड की लोहे की पटड़ी (रेल्स) काम में लाई गई है। बहुत से जंक्शनों आदि के घेरे (Yards) फिर से बढ़ाए या ठीक किए गए हैं और जंक्शनों और मुख्य शाखा पर 'सिग्नलिंग' का भी पूरा इन्तिज़ाम किया गया है।

जोधपुर-रेल्वे के कारखाने में बिजली से चलनेवाली नए ढंग की मशीनें लगाई गई हैं और इस रेल्वे के अन्य विभागों में भी यथासाध्य उन्नति की गई है। आगे के लिये फलौदी-पौकरन, बीलाड़ा-जैतारन और रानीवाड़ा-पीपराला आदि शाखाओं के खोलने पर विचार हो रहा है।

इस समय तक जोधपुर रेल्वे पर[२] राज्य के ४,७४,०२,६२६ रुपये लग चुके हैं।

---

१. इसी समय के बीच बीलाड़ा ब्रांच जो पहले छोटी पटरी (Nerrow Guage) की थी बीच की पटरी (Meter Guage) की करदी गई और जसवन्तगढ-लाडनू शाखा (जो करीब १½ मील लम्बी थी) उठादी गई।

२. पहले जोधपुर और बीकानेर की रेल्वे साथ ही काम करती थी। परन्तु वि० सं० १९८१ की कार्तिक सुदि ५ (ई० स० १९२४ की १ नवम्बर) से इन दोनों का प्रबन्ध जुदा-जुदा करदिया गया और बीकानेर-रेल्वे बीकानेर-दरबार को सौंप दी गई।

गत वर्ष इस रेल्वे की कुल आमदनी ८४,६३,७८७ और खर्च ४०,८७,५६१ रुपये हुआ था। इससे जोधपुर-दरबार को ४४,०६,१६६ रुपये का मुनाफ़ा रहा।

मुख्य जेल (Central Jail).

इस महकमे के प्रबन्ध में अच्छी उन्नति की गई है। कैदियों को दिए जाने वाले भोजन और सुविधाओं में भी सुधार हुआ है। ई० स० १६२४ में खास-खास उत्सवों पर छोड़े जानेवाले कैदियों के नियम बनाए गए और ई० स० १६३२ में मारवाड़-जेल के कानून अंगीकृत हुए। अब शीघ्र ही 'जेल मैन्यूअल' भी बनकर तैयार होने वाली है।

इस समय तक जेल फैक्टरी में कैदियों द्वारा बनाई जाने वाली उपयोगी वस्तुओं-जैसे रेशमी व सूती कपड़ों, दरियों, निवारों, रस्सियों, तौलियों, लोइयों, बेत की कुर्सियों आदि-की बनावट में भी अच्छी उन्नति हुई है, और इससे राज्य में उनकी मांग बढ़ने के साथ ही दूसरी रियासतों और ब्रिटिश-भारत से भी मांग आने लगी है।

स्टेट होटल.

संसार में हवाई-जहाज़ों की उन्नति होने और जोधपुर में हवाई जहाज का स्टेशन (Aerodrome) बन जाने से यहां पर ठहरनेवाले हवाई जहाज़ों की संख्या बहुत बढ़ गई है। इसी से हवाई यात्रियों की सुविधा के लिये ई० स० १६३१ में 'यूरोपियन गैस्ट हाउस' की एवज़ में आधुनिक सुविधाओं से पूर्ण 'स्टेट होटल' की स्थापना की गई है।

ई० स० १६३५ के अक्टोबर से १६३६ के सितम्बर तक ८६३ हवाई जहाज़ों ने यहां के हवाई स्टेशन का उपयोग किया और ३१६६ यात्री 'स्टेट-होटल' में ठहरे।

दफ़्तरी का महकमा.

इसमें राज्य सम्बन्धी ख़ास-ख़ास घटनाओं का विवरण लिखा जाता है। हालही में इसकी सामग्री को ठीक तौर से जमाने के लिये इसके प्रबन्ध में परिवर्तन किया गया है।

अर्थ-सचिव (फाइनेन्स मिनिस्टर के) अधीन महकमे:—

खज़ाने का महकमा.

वि० सं० १९८० (ई० स० १९२३) में मिस्टर जे. डब्ल्यू. यंग ने आकर इस महकमे का आधुनिक ढंग पर प्रबन्ध किया था। इसी से आजकल राजकीय महकमों के आय-व्यय के सालाना बजट चालू वर्ष के ११ महीने के असली और १ महीने के अन्दाज़न आय-व्यय के आधार पर तैयार किए जाते हैं और नवीन वर्ष के आरम्भ होते ही प्रत्येक महकमे को, उसके लिये अङ्गीकृत हुए बजट (तख़मीने) की सूचना भेज दी जाती है। इसके साथ ही हर तरह के सुप्रबन्ध के कारण इस समय मारवाड़-राज्य की आमदनी १,३०,००,००० रुपये से बढ़कर १,७०,००,००० के करीब और खर्च ८५,००,००० रुपये से बढ़कर १,२७,००,००० रुपये के क़रीब पहुँच गया है। इसके अलावा गत १४ वर्षों में ५,००,००,००० रुपया और भी मुख्य कामों (Capital works) पर ख़र्च किया जा चुका है। इसमें का आधा रुपया जोधपुर-रेल्वे और बिजली-घर पर लगाया जाने से राज्य की आमदनी में भी अच्छी वृद्धि हुई है। इसी प्रकार राज्य के स्थायी कोष में १,२५,००,००० की वृद्धि की गई है और इस समय की बाज़ार-दर से राज्य के स्थायी कोष (State holdings) की रकम ४,००,००,००० तक पहुँच गई है।

राज्य का सारा हिसाब 'प्री ऑडिट[1]' के तरीके पर होता है और राज्य के कुछ ख़ास ज़िम्मेदार करार दिए हुए (Self accounting) महकमों को छोड़कर बाकी सबका हिसाब राजकीय हिसाब के दफ़्तर (ऑडिट ऑफ़िस) में और महकमा ख़ास के 'फाइनेन्स और बजट' के विभाग में रहता है।

इस समय जोधपुर के मुख्य खज़ाने के (जिसका सारा काम ई० स० १९२७ से यहां की 'इम्पीरियल बैंक' की शाखा करती है) अलावा राज्य के भिन्न-भिन्न परगनों में २२ ख़ज़ाने और भी हैं, जहां पर सरकारी रकम जमा होती है और राज्य-कर्मचारियों का वेतन आदि और भारत-सरकार के फ़ौजी विभाग से पैन्शन पानेवाले मारवाड़-निवासियों की पैन्शन[2] बांटी जाती है।

---

१. ऑडिट-विभाग में ख़र्च के बिल की जांच हो जाने पर ख़ज़ाना उस बिल के रुपये देता है।

२. इसके सुप्रबन्ध के कारण भारत सरकार ने प्रत्येक पेन्शन पानेवाले के पीछे ३ रुपये साल जोधपुर-राज्य को, उसके प्रबन्ध के ख़र्च के लिये, देना निश्चित किया है।

प्रत्येक महकमे में होनेवाली आमदनी और खर्च की जांच के लिये 'लोकल ऑडिट स्टाफ़' नियत किया गया है। यह सालाना प्रत्येक महकमे और खज़ाने में होनेवाली आमदनी और खर्च की जांच कर 'ऑडीटर' के पास अपनी रिपोर्ट पेश करता है और आवश्यकता होने पर ठीक तौर से हिसाब रखने के लिये उचित सलाह भी देता है।

'ऑडिट ऑफ़िस मैन्युअल' और 'जोधपुर गवर्नमैंट सर्विस रेगूलेशन' आदि के प्रकाशित हो जाने से राज्य-कर्मचारियों को बड़ी सुविधा हो गई हैं और 'ऑडिट ऑफ़िस' के परिश्रम से शीघ्र ही एक बड़ी 'ऐकाउण्ट्स मैन्युअल' भी प्रकाशित होनेवाली है।

राज्य के अफ़सरों और अहलकारों के लिये जिस 'प्रोविडैंट फंड' और छोटे दर्जे के कर्मचारियों के लिये जिस 'ग्रैच्यूटी' (Gratuity) का प्रबन्ध किया गया है उसका हिसाब भी इसी महकमे में रहता है। इसके अलावा राज्य-कर्मचारियों को मकान आदि बनवाने के लिये कम सूद पर रुपये देने का प्रबन्ध भी यहीं से होता है।

हाल ही में इस महकमे के उद्योग से राज्य-कर्मचारियों के लिये एक सहयोग-समिति (Umaid Cooperative Credit Society) भी बनगई है और शीघ्र ही उनके लिये एक बीमा (Life assurance) विभाग भी स्थापन किया जानेवाला है।

इस अर्थ विभाग द्वारा राज्य के वार्षिक आय-व्यय का चिट्ठा इस ख़ूबी से तैयार किया जाता है कि राज्य का सारा काम सुचारु रूप से चल रहा है।

इस समय इस महकमे का खास दफ्तर 'इम्पीरियल बैंक' के पास बने नए 'सिलवर जुबिली ब्लॉक' में स्थित है।

सहयोग-समिति (Cooperative Dept.)

वि० सं० १९८३ (ई० स० १९२६) में पहले-पहल मारवाड़ में 'को-ऑपरेटिव क्रैडिट सोसाइटी' का कानून बनाकर 'जोधपुर रेल्वे-को-ऑपरेटिव क्रैडिट सोसाइटी' की स्थापना की गई। इसके बाद वि० सं० १९९४ (ई० स० १९३७) में राज-कर्मचारियों के सुभीते के लिये 'उम्मेद को-ऑपरेटिव क्रैडिट सोसाइटी' कायम हुई। इस समय इसके मैंबरों की संख्या १,७०० तक पहुँच गई

है। इसी प्रकार मारवाड़ पंचायत-कानून पर भी विचार हो रहा है। अब तक कर्ज़ के भीषण परिणाम से बचने के लिये केवल जागीरदार ही दिवाले के कानून (Insolvency act.) की शरण ले सकते थे। परन्तु गत वर्ष से दूसरों के लिये भी ऐसा ही कानून (Insolvency act) बना दिया गया है।

गृह-सचिव (होम मिनिस्टर) अधीन महकमे:—

सायर (Customs) का महकमा।

जोधपुर रियासत की सायर की आमदनी इस समय बढ़कर २७,००,००० तक पहुँच गई है और हाल ही (ई० स० १९३८) में जो इस विषय के नए कानून-क़ायदे बनाए गए हैं उनसे इसमें और भी वृद्धि होने के साथ-साथ व्यापार को भी उत्तेजना मिलने की आशा है।

चिकित्सा (Medical) विभाग।

वि० सं० १९८९ की भादों सुदि १० (ई० स० १९३२ की ९ सितंबर) को १५,१८,००० रुपयों की लागत से बने, जिस विंढम अस्पताल का उद्‌घाटन किया गया था, उसने इस अरसे में अच्छी उन्नति करली है। इसमें एक अच्छी 'लैब्रोरेटरी' और एक 'ऐक्सरे' विभाग भी जुड़ा हुआ है। इस शफ़ाख़ाने में इलाज करवाने वाले रोगियों की संख्या बढ़ जाने से शीघ्र ही इसमें वर्तमान २४७ चारपाइयों (beds) के स्थान के बजाय २९१ चारपाइयों (beds) के लिये स्थान बनाया जायगा, जिससे अस्पताल में रहकर इलाज करवाने वालों को और भी सुविधा हो जायगी। गत वर्ष इस अस्पताल में रहकर इलाज करवानेवालों की दैनिक संख्या २५० और बाहर रहकर इलाज करवानेवालों की दैनिक संख्या १,१५७ रही।

वि० सं० १९९३ (ई० स० १९३६) से यहां पर स्वास्थ्य-विभाग (Public Health Dept.) की भी स्थापना हो गई है, और अब चेचक के टीके आदि का प्रबन्ध यही महकमा करता है। इसके निरन्तर उद्योग से गत वर्ष टीका लगवाने वालों की संख्या बढ़कर १,३३,००० तक पहुँच गई।

स्त्रियों की चिकित्सा के लिये ११,१९,००० रुपये की लागत से एक नया जनाना (उम्मेद फ़ीमेल) अस्पताल भी बनाया गया है। इसमें ९६ बीमार स्त्रियों के रहने का स्थान है और करीब ५०० से १००० तक बाहर रहकर इलाज करवाने वालियों की चिकित्सा का प्रबन्ध है। इसका उद्घाटन ई० स० १९३८ की ३१ अक्टोबर को किया गया था।

स्कूलों व कॉलिज के विद्यार्थियों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिये भी समुचित प्रबन्ध किया गया है।

छूतवाली बीमारियों के रोगियों के लिये चैनसुख के बेरे पर एक अच्छा अस्पताल (Isolation Hospital) बनाया गया है। इसी प्रकार कोढ़ियों के इलाज के लिये, नींबे की कुष्ठ-रोगियों की बस्ती (Leper Asylum) में, एक शफ़ाख़ाना खोला गया है। बहुत समय से पागलों का इलाज जेल के अस्पताल में ही हुआ करता था। परन्तु अब उनके लिये भी एक अलग ख़ास शफ़ाख़ाना (Mental Hospital) बनवाने की मंजूरी हो चुकी है। इसके बनजाने पर मारवाड़ में साधारण सरकारी शफ़ाख़ानों (अस्पताल और डिस्पेंसरियों) की संख्या ३७ और ख़ास रोगों के शफ़ाख़ानों की संख्या ३ हो जायगी। गत वर्ष इन शफ़ाख़ानों में रहकर इलाज करवाने वालों की संख्या ९,८१९ और बाहर रहकर इलाज करवाने वालों की संख्या ७,४२,००० थी। इनके अलावा छोटे-बड़े कुल मिलाकर ४१,००० ऑपरेशन (अस्त्रचिकित्सा) किए गए थे।

वि० सं० १९९३-९४ (ई० स० १९३६-३७) में मारवाड़ में कुष्ठ रोग की जांच (Leprosy survey) की गई और उससे जो परिणाम निकाला गया है उसके अनुसार शीघ्र ही इस रोग के निवारण का प्रयत्न किया जानेवाला है।

पहले मारवाड़ के शफ़ाख़ानों की निगरानी रैज़ीडैंसी-सर्जन किया करता था। परन्तु वि० सं० १९८२ (ई० स० १९२५) से दरबार ने अपना निजका 'प्रिंसिपल मैडीकल ऑफ़ीसर' नियत कर दिया है।

इस समय इस विभाग पर राज्य के ५,०८,००० रुपये सालाना खर्च होते हैं।

जंगलात का महकमा ।

इस महकमे ने भी अच्छी उन्नति की है और इसके उद्योग से जोधपुर के चारों तरफ़ की पुरानी और नई सड़कों के दोनों किनारों पर वृक्ष लगाने का प्रयत्न किया जारहा है ।

गत वर्ष इस महकमे की आय १,१२,८६३ रुपये तक पहुँची थी ।

राजकीय छापाखाना ।

'जोधपुर गवर्नमैन्ट-प्रेस' भी बराबर उन्नति कर रहा है और जोधपुर-राज्य और जोधपुर-रेल्वे की छपाई आदि का सारा काम यहीं होने से इसकी आय १,००,००० रुपये के ऊपर पहुँच गई है ।

जवाहर-खाना और टकसाल ।

सरकारी जवाहरात पहले क़िले पर के फ़तैमहल में रक्खे हुए थे । परन्तु वहां पर जगह कम होने से आजकल इन्हें वहीं पास ही के दौलतख़ाने के महल में सजाकर रक्खा गया है और इनकी एक नवीन सूची भी तैयार की गई है ।

जोधपुर की टकसाल में सोने के अलावा अन्य धातु के सिक्के बनाने का काम बहुत दिनों से बंद था । परन्तु वि० सं० १९९२ (ई० स० १९३५) से यहां पर फिर से तांबे के सिक्के भी बनने लगे हैं ।

वि० सं० १९९३ (ई० स० १९३६) में मारवाड़ में एक ही प्रकार के तोल और नाप के प्रचार के लिये कानून बनाया गया था और गत वर्ष से इसे जोधपुर नगर में प्रचलित कर दिया है ।

हमें आशा है कि इसके बाद शीघ्र ही यह मारवाड़ के अन्य स्थानों में भी प्रचलित हो जायगा, और इससे ग्रामीण लोगों को क्रय-विक्रय के मामले में सुविधा हो जायगी ।

---

(१) वि० सं० १९३६ (ई० स० १९१४) में भी इसके प्रचार की कोशिश की गई थी, परन्तु उस समय जनता के विरोध के कारण इसे स्थगित कर देना ही उचित समझा गया ।

रजिस्ट्रेशन ।

वि० सं० १९९१ (ई० स० १९३४) में नया 'मारवाड़ रजिस्ट्रेशन कानून' पास हुआ और वि० सं० १९९२ के पौष (ई० स० १९३६ की जनवरी) से उन जागीरदारों को, जिन्हें अदालती इख़तियारात मिले हुए हैं जोधपुर गवर्नमेन्ट के साधारण 'स्टाम्पों' (Non Judicial Stamps) को लागत कीमत पर ख़रीद कर, अपनी जागीर की रियाया की आवश्यकताओं के लिये, पूरी कीमत (Face Value) पर बेचने का अधिकार दिया गया ।

पशुवर्धन (Animal Husbandry) विभाग ।

वि० सं० १९९२ (ई० स० १९३५) से, जोधपुर-दरबार ने मारवाड़ के दूध देनेवाले और खेती के उपयोग में आनेवाले पशुओं की नसल सुधारने और उनमें होनेवाले रोगों को निवारण करने के लिये इस महकमे की स्थापना की थी । इसके द्वारा मारवाड़ जैसे कृषि-प्रधान देश के गोधन की उन्नति की पूरी आशा है ।

मारवाड़ सोल्जर्स बोर्ड ।

यह बोर्ड राजपूताना प्रोविंशियल बोर्ड से संबद्ध है । ई० सन् १९१९ में वर्तमान और भूतपूर्व सैनिकों की और उनके कुटुम्बियों की सहायता के लिये इसकी स्थापना की गई थी ।

इसके कार्य की प्रशंसा स्वयं राजपूताना के रेजीडैंट ने, जो 'राजपूताना इंडियन सोल्जर्स बोर्ड' का सभापति है, की थी ।

वॉल्टर राजपूत-हितकारिणी सभा ।

इस सभा की स्थापना, ई० सन् १८८८ में, उस समय के राजपूताना के ए. जी. जी.-कर्नल वॉल्टर की अध्यक्षता में अजमेर में की गई थी और इसका उद्देश्य राजपूतों और चारणों के यहां की शादी और ग़मी में होनेवाले खर्चों में कमी करना है । जोधपुर की वॉल्टर सभा भी उसी उपर्युक्त सभा की एक शाखा है और राजपूतों तथा चारणों की शादी-ग़मी के खर्चों और लड़के-लड़कियों की विवाहोचित आयु आदि का नियमन करती है ।

इस स्थानीय सभा की कमेटी में ६ सरदार हैं। यह कमेटी इस सभा के नियमों का उल्लंघन करनेवालों पर जुर्माना कर सकती है और इसके हुक्म की अपील सीधी महकमा खास में होती है।

इसके जुर्माने की रकम भी गरीब जागीरदारों के उपयोगी कार्यों में ही खर्च की जाती है।

जनतोपयोगी कार्य सचिव (पबलिक वर्क्स मिनिस्टर) के अधीन महकमे:—

पबलिक वर्क्स का महकमा (Public Works Dept.)।

इस महकमे द्वारा बनाए गए, स्कूल, अस्पताल, स्टेट होटल आदि का वर्णन यथास्थान दिया जा चुका है। इनके अलावा हाल ही में इसने ११,१९,००० रुपये की लागत से "उम्मेद फ़ीमेल अस्पताल" का भवन तैयार किया है। इसकी नींव का पत्थर ई० स० १९३६ की ६ अप्रेल को रक्खा गया था।

महाराजा साहब का छीतर-पहाड़ी पर का विशाल-महल अभी बन रहा है और करीब ३ वर्षों में तैयार होगा।

इस महकमे ने आनेजाने के सुभीते के लिये मारवाड़ में अनेक सड़कें बनाई हैं। उनमें ३० मील 'टार' की, ३०३ मील कंकर कुटी हुई और ९८५ मील कच्ची सड़क है। नगर के आम रास्तों के अलावा गलियों में भी हरसाल पत्थर की पक्की सड़कों का विस्तार किया जाता है और ऐसी सड़कों की लंबाई करीब २४ मील तक पहुंच चुकी है।

सुमेर-समंद, पिचियाक, सरदारसमंद आदि के बांधों से होनेवाली सिंचाई में भी यथा-साध्य सुविधा करने का प्रयत्न हो रहा है।

नगर में पानी की कमी दूर करने के लिये पहले पाताल-फोड़ कुओं (बोरिंग= boring) के लिये उद्योग किया गया था। परन्तु उसमें विशेष सफलता न होने से हाल ही में करीब २४ लाख रुपये की लागत से जो "सुमेर-समंद वाटर सप्लाई चैनल" नामकी नहर तैयार की गई है, इससे जोधपुर-नगर में का पानी का अभाव दूर हो गया है और चांदपोल-जैसे पहाड़ पर बसे नगर के पुराने और ऊँचे हिस्से में भी नलों

---

१. विशेष विवरण के लिये देखो पृष्ठ ५७६।

द्वारा पानी पहुँचा दिया गया है। यह सारा पानी पूरी तौर से फिल्टर करके दिया जाता है।

इसी प्रकार गाँवों के जलाशयों का जीर्णोद्धार करके गाँव वालों के लिये पानी का प्रबन्ध करने में भी हर साल एक बड़ी रकम ख़र्च की जाती है।

नगर की सफ़ाई के लिये भूगर्भस्थ नालियों (ड्रैनेज़=drainage) का प्रबन्ध किया जा रहा है।

जोधपुर के हवाई अड्डे (एरोड्रोम Aerodrome) का प्रबन्ध भी इसी महकमे के अधिकार में है। यह हवाई अड्डा भारत के सर्वोत्तम अड्डों में से एक है और इसमें सारी ही नवाविष्कृत उपयोगी बातों का पूरा-पूरा प्रबन्ध है। इसी के पास हवाई जहाज़ों की सुविधा के लिये गवर्नमैन्ट की तरफ़ से एक बेतार के तार (वायरलैस Wireless) का स्टेशन भी बना है। यहांपर हर हफ़्ते १८ के करीब आने या जानेवाले हवाई जहाज़ ठहरते हैं।

इसके अलावा राज्य के प्रान्तों में और भी २२ ऐसे भूभाग तैयार किए गए हैं, जहां हवाई जहाज़ उतर सकते हैं।

वर्तमान महाराजा साहब के समय नगर विस्तार (डैवलपमैंट development) के कार्य में भी अच्छी उन्नति हुई है, और नगर के बाहर 'सरदारपुरा' आदि अनेक सुन्दर और साफ़-सुथरे मोहल्ले बस गए हैं। साथ ही इस विभाग में और भी उत्तरोत्तर उन्नति होने की आशा है।

बाग़ात का महकमा भी अच्छी तरक्की कर रहा है। कुछ समय पूर्व बालसमंद और मंडोर के बग़ीचों को आधुनिक ढंग पर तबदील किया गया था और इसके बाद जनता के उपयोग के लिये 'पब्लिक-पार्क' या 'विलिंग्डन गार्डन' बनाया गया है। साथ ही लोगों के दिल बहलाव के लिये इसीमें चिड़ियाघर, अजायबघर और पब्लिक लाइब्रेरी भी स्थापित की गई है। इसी के पास खिलाड़ियों के खेलने के लिये एक स्टेडियम (Stadium) बना है और उसके निकट, जनता के मनोरञ्जन के लिये, एक सिनेमाघर भी बन रहा है।

बिजलीघर।

यह महकमा ई० स० १९१७ में खोला गया था और उस समय इसमें दो-दो सौ किलोवॉट (K. W.) कि दो मशीनें और ४ बोयलर लगाए गए थे। ई० स० १९२६ में ४०० किलोवॉट की एक मशीन बढ़ाई गई और ई० स० १९२८ में एक हजार किलोवॉट की एक नई मशीन और एक बोयलर और जोड़ा गया। इसके बाद ई० स० १९३२ में पहले के चार बोयलरों में सुधार किया गया। इस समय १,००० किलोवॉट की एक नई मशीन और लगाने का प्रबन्ध हो रहा है।

ई० स० १९१८ में केवल दो मुख्य रास्तों पर ही बिजली की रोशनी लगाई गई थी। परन्तु इस समय तक शहर के ख़ास-ख़ास रास्तों और इर्द-गिर्द की सड़कों आदि के अलावा बहुतसी गलियों तक में बिजली की रोशनी लग चुकी है।

हाल ही (ई० स० १९३८) में सुमेर समंद से जोधपुर नगर में पानी लाने का जो प्रबन्ध किया गया है उसके लिये मार्ग में ८ 'पंपिंग स्टेशन' बनाए गए हैं और इनके चलाने के लिये, ११ किलोवॉट की, करीब १० मील लंबी बिजली की लाइन बनाई गई है। इन 'पंपिंग स्टेशनों' में से ७ में दो-दो 'पंप' लगे हैं; जिनकी ताक़त क्रमशः ६० और १५ घोड़ों की है। ८ वें स्टेशन में ४ 'पंप' हैं। इन में तीन साठ घोड़ों की ताक़त के और एक पंद्रह घोड़ों की ताक़त का है।

ई० स० १९१७ में बिजली के केवल ६ 'सब-स्टेशन' थे। परन्तु आजकल उपर्युक्त ८ स्टेशनों के अलावा ३१ 'सब-स्टेशनों' में काम होता है।

इस समय तक करीब-करीब सारे ही सरकारी दफ़्तरों और स्थानों में बिजली की रोशनी लगादी गई है और यहां के हवाई जहाज़ों के उतरने के स्थान पर भी 'फ़्लड-लाइट' (flood-light) वग़ैरा का अच्छा प्रबन्ध है।

ई० स० १९१८ में बिजली का उपयोग करनेवालों की संख्या केवल ७८ थी। परन्तु इस समय उनकी संख्या बढ़कर ३,४५० तक पहुँच गई है। इसके अलावा जनता की पानी की सुविधा के लिये बहुत से कुँओं पर भी बिजली के सरकारी 'पंप' लगा दिए गए हैं।

ई० स० १९१८ तक यहां का बरफ़ का सरकारी कारख़ाना घाटे में चलता था, परन्तु अब इससे भी राज्य को मुनाफ़ा होने लगा है।

पहले पहल ई० स० १९१७ में यहाँ पर टेलीफ़ोन का १०० लाइन का बोर्ड लगाया गया था। इसके बाद ई० स० १९२८ में २० लाइन का और ई० स० १९३२ में २५ लाइन का बोर्ड और बढ़ाया गया। ई० स० १९३६ में इन सब बोर्डों की एवज़ में ३०० लाइन का नया बोर्ड लगाया गया। इसी वर्ष एक नया 'पावटा-सब-एक्सचेंज' खोला गया और उसमें भी १०० लाइन का बोर्ड लगाया गया।

ई० स० १९१८ में टेलीफ़ोन को काम में लानेवालों की संख्या बहुत ही कम थी। परन्तु इस समय उनकी संख्या बढ़कर ३१४ हो गई है। साथही राईकाबाग-राजमहल और विंढ़म अस्पताल में निजी फ़ोन (Automatic telephone) भी लगाए गए हैं।

इनके अलावा हालही में सुमेरसमंद से नगर में पानी लाने के लिये जो नहर बनाई गई है उसके पंपिंग स्टेशनों की सुविधा के लिये टेलीफ़ोन की १०½ मील लंबी नई लाइन तैयार की गई है।

पहले शहर का मैला भैंसों द्वारा खींची जानेवाली गाड़ियों में ले जाया जाता था। परन्तु अब मैले की गाड़ियां इंजिन द्वारा लोहे की पटरी पर खींची जाती हैं। इसके लिये ४ इंजिन, २२२ मैला ले जानेवाली गाड़ियां (tip wagons), और ३९ ब्रेक वैगन्स रक्खे गए हैं।

शहर के 'वाटर वर्क्स' (नलों द्वारा पानी देने) का काम भी पहले इसी महकमे के अधिकार में था। परन्तु ई० स० १९३१ से यह पब्लिक वर्क्स महकमे को सौंप दिया गया है।

आर्कियॉलॉजीकल डिपार्टमैन्ट (पुरातत्त्व-विभाग) और सुमेर पब्लिक लाइब्रेरी।

वि० सं० १९६६ (ई० स० १९०९) में जब लॉर्ड किचनर जोधपुर आए, तब उन्हें दिखलाने के लिये मारवाड़ में बनने वाली वस्तुओं का एक स्थान पर संग्रह कर उसका नाम 'इण्डस्ट्रियल म्यूज़ियम' रक्खा गया था। इसके बाद वि० सं० १९७१ (ई० स० १९१४) में पहले पहल इस म्यूज़ियम (अजायबघर) का प्रबन्ध आधुनिक ढंग पर किया गया और इसमें प्राचीन और ऐतिहासिक वस्तुओं को भी स्थान दिया गया।

इसके बाद वि० सं० १९७२ (ई० स० १९१६) में भारत गवर्नमैन्ट ने इसका नाम स्वीकृत (recognized) अजायबघरों की सूची में दर्ज कर लिया। फिर वि० सं० १९७३ (ई० स० १९१७) में इसका नाम बदला जाकर स्वर्गवासी महाराजा सरदार-सिंहजी के नाम पर 'सरदार-म्यूज़ियम' रक्खा गया। वि० सं० १९७२ (ई० स० १९१५) में इसके साथ ही एक पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना की गई और अगले वर्ष इसका नाम बदल कर महाराजा सुमेरसिंहजी के नाम पर सुमेर पब्लिक लाइब्रेरी कर दिया गया। पहले ये दोनों महकमे सूरसागर के बगीचे में थे। परन्तु उस स्थान के शहर से दूर होने के कारण वि० सं० १९८३ (ई० स० १९२६) में इन्हें शहर से नज़दीक लाया गया। इसी वर्ष जोधपुर-दरबार ने यहां पर पुरातत्त्व-विभाग (आर्कियॉलॉजीकल डिपार्टमैंट) की स्थापना की और (१) अजायबघर (२) इतिहास-कार्यालय (३) पुस्तक-प्रकाश (Manuscript Library) और (४) चण्डू-पञ्चाङ्ग के महकमे उसमें मिला दिए।

वि० सं० १९९२ की चैत्र वदि ९ (ई० स० १९३६ की १७ मार्च) को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड विलिंग्डन ने अजायबघर और 'लाइब्रेरी' (पुस्तकालय) के नए भवन का उद्घाटन किया। यह भवन 'विलिंग्डन गार्डन' में बनाया गया है और भीतर से बड़ा ही सुन्दर है। इसी से 'ऐम्पायर-म्यूज़ियम्स-ऐसोसियेशन' के सैक्रेटरी ने भी अपनी रिपोर्ट में इसकी प्रशंसा की है।

गत वर्ष इस अजायबघर में आनेवाले दर्शकों की संख्या २,५०,००० के करीब पहुँच गई।

इसके अलावा इसे देखने को आनेवाले स्कूलों और कॉलिज के विद्यार्थियों को समय-समय पर पुरानी मुद्राएं आदि दिखला कर उनके इतिहास ज्ञान में भी सहायता दी जाती है।

---

१. वि० सं० १९८५ (ई० स० १९२८) में मिस्टर ड्रेक ब्रोकमैन के मारवाड़-दरबार की सेवा का काल समाप्तकर युनाइटेड प्रौविंसेज़ में लौटने के समय दिए विदाई के भोज में स्वयं महाराजा साहब ने फरमाया थाः—

"We owe the inception of the state Archaeological Department, which has through his zeal and guidance I am glad to say, already justified its existence in a very short period."

अर्थात्-हमको यह प्रकट करते हुए प्रसन्नता होती है कि, उस राजकीय पुरातत्त्व-विभाग ने, जिसको मिस्टर ड्रेक ब्रोकमैन की प्रेरणा से खोला गया था, उसके उत्साह और तत्त्वावधान में कार्य कर, बहुत थोड़े समय में ही अपनी सार्थकता सिद्ध करदी है।

'आर्कियॉ लॉजीकल डिपार्टमैंट' की तरफ़ से इस समय तक अनेक लेखों और पुस्तिकाओं (pamphlets) के अलावा (१) 'राष्ट्रकूटों (राठोड़ों) का इतिहास', (२) History of the Rashtrakutas और (३) 'मारवाड़ का इतिहास' (प्रथम भाग) नामक तीन पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। साथ ही सर्व साधारण के सुभीते के लिये 'पुस्तक-प्रकाश' की हस्तलिखित पुस्तकों की सूची भी तैयार करली गई है। इस समय इस संग्रहालय (पुस्तक-प्रकाश) में हस्तलिखित पुस्तकों की संख्या करीब ४,५०० है और 'सुमेरपब्लिक-लाइब्रेरी' में की अंग्रेज़ी, हिन्दी, संस्कृत और उर्दू पुस्तकों की संख्या १४,००० के ऊपर पहुँच चुकी है। इस 'लाइब्रेरी' के साथ एक वाचनालय (Reading Room) भी जुड़ा है, जहां आकर सर्व साधारण जनता पुस्तकों के साथ-साथ अख़बार आदि भी पढ़ सकती है।

खानों और कला-कौशल का महकमा (Mines and Industries Dept.)

इस महकमे की तरफ़ से मारवाड़ में घरू कला-कौशल को उन्नत करने के लिये कम सूद पर कर्ज़ देने का प्रबंध किया गया है और समय-समय पर प्रदर्शनियों (exhibitions) के द्वारा भी उसको उत्तेजन दिया जाता है। पहले यह महकमा जंगलात के महकमे के साथ था। परन्तु प्रबन्ध की सुविधा के लिये ई० स० १९२९ में यह उससे अलग कर दिया गया। इसके बाद ई० स० १९३० में जागीर के गांवों में प्राप्त होनेवाले खनिज पदार्थों पर भी दरबार का हक मान लिया गया।

इस समय यहां की खानों से संगमरमर, साधारण पत्थर, चूने और कली का पत्थर, खड़िया (Gypsum), मेट (मुलतानी=Fuller's Earth), वुल्फ्रेम (Wolfram) और पैंटोनाइट (Pentonite) आदि निकाले जाते हैं।

यहां पर रुई की करीब ३० जिनिंग और प्रेसिंग (Ginning and Pressing) फैक्टरियां हैं, जहां बिनोले से रुई निकाली जाकर उसकी गांठें बांधी जाती हैं। इसके अलावा हाल ही (ई० स० १९३८) में पाली में एक कपड़ा बनाने की नई मिल भी क़ायम की गई है, जो कुछ ही दिनों में बनकर तैयार हो जायगी।

इस समय इस महकमे की आमदनी २,३१,००० रुपये तक पहुँच गई है।

आय-सचिव (रिवेन्यू मिनिस्टर) के अधीन महकमे:—

हवाला।

ई० स० १९२१ से १९२६ तक जिस समय मारवाड़ के खालसे (राज्य) के गांवों का दुबारा 'सेटल्मैंट' (पैमाइश) किया गया, उस समय उनके सारे ही रक़बे को मुस्तक़िल और गैर मुस्तक़िल हिस्सों में बांट दिया गया और 'बापीदारों' और 'गैर बापीदारों' के अधिकार तथा उनके लगान का निर्णय करदिया गया। इस प्रबन्ध से लगान की आय ११,९३,०९९ रुपये से बढ़कर १६,४२,३४७ रुपये तक पहुँच गई। इसके साथ ही बग़ैर लगान की, 'शासन' आदि में-दी हुई, भूमि की भी जांच की गई। इसके बाद लगान-वसूली का काम परगनों के हाकिमों को सौंपा गया, परन्तु उनके कागज़ात (Records) का काम हवाले के महकमे के पास ही रहा। इसके अलावा हवाले के काम की सुविधा के लिये खालसे के कुल गांव १६ 'सर्कलों' में बांट दिए गए और उनकी देख-भाल के लिये एक-एक 'दारोगा' नियुक्त किया गया। साथही हवालदारों का नम्बर बढ़ाकर १८८ के स्थान पर २७० कर दिया गया और हवाले के तमाम अफ़सरों के काम के और रेकर्डों के लिये अलग-अलग फॉर्म निश्चित कर दिए गए।

पहले लिखा जा चुका है कि महाराजा (उम्मेदसिंहजी) साहब ने ई० स० १९२९ के नवंबर में अपने नवीन राज-महल के शिलारोपण के समय उपर्युक्त 'सैटल्मैंट' के पहले की 'खरड़ा', 'घासमारी', आदि कई लागों के मद में निकलनेवाली करीब ८½ लाख रुपये की रकम और वि० सं० १९७२ की कहतसाली के समय कुँए आदि बनवाने को दी हुई तकावी की करीब १ लाख की रकम माफ़ कर दी।

ई० स० १९२३ की शाही 'सिलवर जुबिली' के उत्सव पर भी दरबार ने करीब ३ लाख रुपये 'ट्रिब्यूट' (Tribute) के और २,२३,५४८ रुपये हवाले के, लगान व तकावी आदि के, माफ़ कर दिए।

ई० स० १९३६ में दरबार की तरफ़ से जागीरों और खालसे के गांवों पर लगने वाली टीके (Vaccination) आदि की अनेक लागें भी, जिनकी सालाना आमदनी ३१,२०० रुपये थी, माफ़ कर दी गईं।

---

१. पहले-पहल राज्य की सरहद और खालसे के गांवों का लगान निश्चित करने के लिये ई० स० १८८५ से १८९५ तक मारवाड़ की पैमाइश की गई थी।

ई० स० १६३० से ही देश में नाज की कीमत गिर रही थी। इससे ई०.स० १६३४ में उपर्युक्त नई 'सैटलमैंट' के द्वारा निश्चित किए भूमि के लगान (बीघोड़ी) में तीन वर्ष के लिये फ़ी रुपये तीन आने की छूट दी गई, और ई० स० १६३७ (वि० सं० १६६४) में एक वर्ष के लिये यह छूट और भी जारी रक्खी गई।

ट्रिब्यूट (Tribute) का महकमा।

इस महकमे ने भी अच्छी उन्नति की है और जागीरदारों की जागीर की आय पर लिए जाने वाले रेख और चाकरी नामक करों का हिसाब साफ़ रखने के लिये उन्हें बैंकों की सी 'पास-बुकें' दे दी गई हैं।

आजकल जागीरों से संबन्ध रखनेवाली वसूली आदि का सारा काम इसी महकमे के द्वारा होता है, क्योंकि रेख, चाकरी, हजूरी दफ़्तर, हकूमतों की लाग-बाग और ज़ब्ती का काम भी इसी के अधीन कर दिया गया है।

आबकारी (Excise) का महकमा।

मारवाड़ के अन्य सारे ही प्रान्तों में पहले से ही आबकारी का कानून जारी था, परन्तु मल्लानी परगने के जसोल, सिंधरी, गुड़ा और नगर में इसका प्रचार वि० सं० १६७७ (ई० स० १६२०–२१) से किया गया। वि० सं० १६७६ (ई० स० १६२२) में इस विषय (आबकारी) का नया क़ानून बना। इसके बाद वि० सं० १६८० (ई० स० १६२३) में नमक और आबकारी का महकमा शामिल कर दिया गया और वि० सं० १६८१ (ई० स० १६२४) में शराब तैयार करने के लिये एक आधुनिक ढंगका कारखाना (Distillery) बनाया गया।

मारवाड़ में इस समय शराब की दूकानों का नम्बर घटकर २४३ के स्थान पर २३१ हो गया है और अफ़ीम बेचने के तरीके में भी रद्दोबदल की गई है।

जोधपुर-दरबार को मिलने वाला नमक पहले नीलाम के ज़रिये बेचा जाता था। परन्तु वि० सं० १६८७ (ई० स० १६३०) से वह ठेके (Contract) के ज़रिये बेचा जाने लगा है और इससे राज्य को ३०,००० रुपये का फ़ायदा हुआ है। परन्तु ठेका लेनेवाले को प्रत्येक स्थान पर वहां के लिये नियत किए भाव पर ही नमक बेचने का अधिकार होने से जनता को इस प्रबन्ध से किसी प्रकार की असुविधा नहीं हुई है।

कोर्ट ऑफ़ वार्ड्स और हैसियत

ई० स० १६१८ में 'कोर्ट ऑफ़ वार्ड्स[1]' और 'हैसियत कोर्ट[2]' दोनों एक साथ करदी गईं। इसके बाद ई० स० १६२२ में 'कोर्ट ऑफ़ वार्ड्स ऐक्ट' बनाया गया और इसी के अनुसार उपर्युक्त महकमे के प्रबन्ध में उन्नति की गई।

पहले 'कोर्ट ऑफ़ वार्ड्स' के सुपरिण्टैण्डैण्ट और उसके सहकारी का वेतन नाबालिगों की जागीरों की आमदनी से दिया जाता था। परन्तु ई० स० १६२५-२६ से वह राज्य से दिया जाने लगा और इससे उक्त महकमे के कर्मचारियों को भी 'प्रौवीडैंट फण्ड' का लाभ मिलने लगा।

ई० स० १६२६-२७ में नाबालिगों की शादी के फण्ड का प्रबन्ध किया गया और इस महकमे की और 'वाल्टर-कृत सभा[3]' की आय से गरीब जागीरदारों के नज़दीकी रिश्तेदारों की शादियों में सहायता व कर्ज़ देने का तरीका जारी किया गया।

ई० स० १६३१-३२ में 'कोर्ट ऑफ़ वार्ड्स' और 'हैसियत की' निगरानी के गांवों की हल्केबंदी की जाकर प्रबन्ध में और भी उन्नति की गई।

पहले अक्सर छोटे-छोटे जागीरदार कर्ज़दारों से बचने के लिये हैसियत के महकमे की शरण ले-लेते थे और उक्त महकमा उनकी जागीर से केवल नियत वार्षिक रुपया वसूल करके कर्ज़दारों में बांट दिया करता था। परन्तु ई० स० १६२३ में कर्ज़दार जागीरदारों की जागीरों का कानून (Encumbered Jagirdars' Estate Act) बनाया गया और इसके अनुसार इस महकमे के निरीक्षण में आनेवाला जागीरदार आवश्यकतानुसार ३० वर्षों तक के लिये अपनी जागीर के प्रबन्ध से वञ्चित कर दिया जाने लगा।

सहयोग-समिति (Co-operative Department)।

इसकी स्थापना, मारवाड़ में सहयोग समितियों का प्रचार कर, ग्रामीण-वर्ग को आर्थिक सहायता पहुंचाने और उन्हें महाजनों के ऋण से मुक्त करने के उद्देश्य से की गई है।

---

१. नाबालिग़ जागीरदारों की जागीरों का प्रबन्ध करनेवाला महकमा।

२. कर्ज़दार जागीरदारों की जागीरों का प्रबन्ध करनेवाला महकमा।

३. यह जागीरदारों की कुरीतियों के निवारणार्थ स्थापन की गई थी।

न्याय-सचिव (जुडीशल-मिनिस्टर) के अधीन महकमे–

न्याय विभाग।

चीफ़ कोर्ट

इस समय मारवाड़-राज्य की चीफ़ कोर्ट में एक चीफ़ जज और दो प्यूनी (puisne) जज हैं। इस अदालत को सिवाय जागीरदारों के जागीर या गोद के मामलों के और सब प्रकार के दीवानी मामलों पर विचार करने का अधिकार है। इसके फ़ैसलों की अपील महाराजा साहब के सामने उसी अवस्था में हो सकती है, जिस अवस्था में यह उसके लिये अनुमति प्रदान करदे। फ़ौजदारी मामलों में इस कोर्ट को उमर क़ैद–तक की सज़ा देने का अधिकार है, परन्तु फांसी की सज़ा में महाराजा साहब की अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होता है।

इजलास ख़ास

पहले अपीलें और अर्जियां महाराजा साहब के 'प्राइवेट सैक्रेटरी' के पास पेश की जाती थीं, परन्तु ई० स० १९३३ से 'इजलास-ए-ख़ास' नाम का एक जुदा महकमा स्थापित किया गया, जो इस समय प्रधान मन्त्री के अधीन है। ई० स० १९३६ से इसके कार्य की सुविधा के लिये एक 'लीगल एडवाइज़र' भी नियुक्त किया गया है।

डिस्ट्रिक्ट और सैशन कोर्ट

ई० स० १९२४ में दीवानी और फ़ौजदारी अदालतों और 'कोर्ट सरदारान' के स्थान पर ब्रिटिश-भारत के तरीके पर ३ डिस्ट्रिक्ट और सैशन कोर्टों की स्थापना की गई। ई० स० १९३६ में इनकी संख्या ४ कर दी गई और इसके बाद जनता के सुभीते के लिये इनमें का एक कोर्ट नागोर भेज दिया गया। कुछ ही समय बाद दूसरे दो कोर्टों को भी क्रमशः सोजत और बालोतरा भेज देने का विचार हो रहा है। इन अदालतों के न्यायाधीशों को सब तरह के दीवानी मामलों के निर्णय करने का अधिकार है। फ़ौजदारी सीगे में ये उमर-क़ैद तक की सज़ा दे सकते हैं। परन्तु उस पर चीफ़ कोर्ट की मंज़ूरी आवश्यक होती है।

रिवेन्यू कोर्ट्स

ई० स० १९२४ में लगान और लागों आदि के मामलों के फ़ैसलों के लिये रिवेन्यू-कोर्ट स्थापन किए गए। यद्यपि वैसे तो उनका कार्य भी हाकिम और जुडीशल सुपरिण्टैण्डैण्ट ही करते हैं, तथापि उन मुकद्दमों की अपील बजाय चीफ़ कोर्ट के महकमा ख़ास में रिवेन्यू-मिनिस्टर के पास ही होती है।

ऑनररी कोर्ट्स

ई० स० १९२४ में जोधपुर नगर में ऑनररी कोर्टों की स्थापना की गई और उन्हें फ़ौजदारी मामलों में तीसरे दर्जे के मैजिस्ट्रेट के और दीवानी मामलों में १०० रुपये तक के मुकद्दमों के फैसले के अधिकार दिए गए। इसके बाद ई० स० १९३८ में ऑनररी मैजिस्ट्रेटों की बैंचें मुकर्रर की गईं। इससे अब एक मैजिस्ट्रेट के स्थान पर तीन मैजिस्ट्रेटों का समुदाय अभियोगों का निर्णय करता है।

स्मॉल कॉज़ कोर्ट

ई० स० १९३६ में छोटे-छोटे नक़द रुपयों के मामलों का शीघ्र फैसला करने के लिये नगर में एक 'स्मॉल कॉज़ कोर्ट' की स्थापना की गई और उसे ५०० रुपये तक के मुकद्दमों का फैसला करने का अधिकार दिया गया। परन्तु इससे ऑनररी कोर्टों के दीवानी के अधिकार रद्द होगए।

जुडीशल सुपरिण्टैण्डैण्ट और हाकिम

ई० स० १९२४ में जो ४ जुडीशल सुपरिण्टैण्डैण्ट थे, उन्हें दीवानी मामलों में २,००० रुपये तक, हाकिमों को ५०० रुपये तक और नायब-हाकिमों को २०० रुपये तक के दावे सुनने का अधिकार था और ये लोग फ़ौजदारी मामलों के लिये क्रमशः फर्स्ट क्लास, सैकिण्ड क्लास और थर्ड क्लास मैजिस्ट्रेट समझे जाते थे।

ई० स० १९३२ में जुडीशल सुपरिण्टैण्डैण्टों को ४,००० और हाकिमों को १,००० रुपयों तक के दावे सुनने के इख़्तियार दिए गए। इसी प्रकार फ़ौजदारी मामलों में ये लोग क्रमशः डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट कर दिए गए।

ई० स० १९३६ में जुडीशल सुपरिण्टैण्डैण्टों को 'क्रिमिनल प्रोसीजर कोड' की ३० वीं धारा के अधिकार भी दे दिए गए।

आजकल दो वर्ष काम कर लेने पर-नायब हाकिमों को सैकिण्ड-क्लास मैजिस्ट्रेट का दर्जा मिल जाता है ।

इस समय परगनों के ४ जुडीशल सुपरिण्टैण्डैण्टों के अलावा स्मॉल कॉज़ कोर्ट के जज, नगर-कोतवाल, रजिस्ट्रार-चीफ़ कोर्ट और सैक्रेटरी-म्यूनिसिपल कमेटी का दर्जा भी जुडीशल सुपरिण्टैण्डैण्टों के समान ही कर दिया गया है।

इनके अलावा हाकिमों की संख्या २४ और नायब-हाकिमों की २२ है ।

अदालतों के अधिकार

इंतिज़ाम के सुभीते के लिये ई० स० १९३२ से जागीरों के और जागीरदारों के गोद के मुकद्दमों का निर्णय इंतिज़ामी सीगे से होता है ।

इसी प्रकार ई० स० १९३३ से राजकीय कार्य के संपादन के कारण होने वाले राज-कर्मचारियों पर के दीवानी और फ़ौजदारी दावों को स्वीकृत करने के पूर्व राज्य की आज्ञा ले लेना आवश्यक करदिया गया है ।

कानून

ई० स० १९२७ में पहले-पहल कानून तैयार करने के लिये एक कमेटी बनाई गई थी। इसके बाद ई० स० १९३६ में 'लीगल रिमैंबरैंन्सर' का दफ़्तर क़ायम किया गया और १९३८ में क़ानून तैयार करनेवाली कमेटी में राजकर्मचारियों के अलावा बार एसोसियेशन के और जागीरदारों और व्यापारियों के प्रतिनिधि भी सम्मिलित किए गए ।

बार

ई० स० १९३३ से क़ानून-पेशा लोगों (वकीलों) के लिये बने क़ानून में सुधार किया गया। इस समय यहां के 'बार' के नियम ब्रिटिश-भारत से मिलते हुए ही हैं और उसके मैम्बर केवल 'लॉ-ग्रैजूएट' ही हो सकते हैं ।

लॉ रिपोर्ट्स

ई० स० १९२९ से मारवाड़-लॉ रिपोर्ट्स का प्रकाशन प्रारम्भ किया गया था। यह पहले सालाना निकलती थी। परन्तु ई० स० १९३७ से यह मासिक निकाली जाने लगी और इसके प्रकाशन का अधिकार यहां के एक ग़ैर-सरकारी व्यक्ति को देदिया गया।

जागीर की अदालतें

हाल ही में दरबार ने ठिकानों के जुडीशल इख़्तियारों के लिये ठाकुर की योग्यता और योग्य कर्मचारी रखने की ठिकाने की हैसियत की पाबन्दी लगादी है और वर्तमान में जिन ३६ ठिकानों के इख़्तियार मंजूर किए गए हैं, उनके लिये बने क़ानून में भी उचित संशोधन करने की आज्ञा दी है।

अब से ठिकानों की अदालतों की अपीलें चीफ़ कोर्ट के बजाय डिस्ट्रिक्ट और सैशन कोर्टों में पेश हुआ करेंगी।

शिक्षा-विभाग (Education Department)

वि० सं० १९८० (ई० स० १९२३) में राजकीय काउंसिल ने प्राथमिक शिक्षा (Primary education) की वृद्धि का प्रस्ताव अङ्गीकार कर उसकी तरफ़ और भी अधिक ध्यान देना शुरू किया।

वि० सं० १९८२ (ई० स० १९२५) में 'मारवाड़-मिडल-स्कूल-परीक्षा" कायम की गई, और वि० सं० १९९२ (ई० स० १९३५-३६) में इसे विशेष उपयोगी बनाने के लिये इसमें बैठनेवाले विद्यार्थियों के लिये बढई का काम, दरज़ी का काम, ड्राइंग (नक़्क़ाशी) का काम, चमड़े का काम, जिल्दसाज़ी का काम,

खेती का काम, स्वास्थ्य-रक्षा (hygiene) का काम और स्वयं सेवकी (scouting) का काम जैसे उपयोगी विषयों में से किसी एक का जानना आवश्यक करदिया गया। हिन्दी मास्टरों के पुराने ट्रेनिंग स्कूल की उन्नति की गई और दो नए ट्रेनिंग-स्कूल; एक अंगरेज़ी मास्टरों की और दूसरा स्त्री-शिक्षाओं की शिक्षा के लिये कायम किए गए। साथ ही शिक्षकों के वेतन में भी वृद्धि की गई।

इस समय मारवाड़ में लड़कों के १८० और लड़कियों के ३५ स्कूल हैं। लड़कों के स्कूलों में १३७ राजकीय, २२ सहायताप्राप्त (aided), ८ मंज़ूर शुदा (recognized) हिन्दी (vernacular) और अंगरेज़ी-हिन्दी (anglo-vernacular) स्कूल, १ डिग्री-कालिज और १२ संस्कृत-पाठशालाएं हैं। इन संस्कृत-पाठशालाओं में १ सरकारी, ६ सहायता-प्राप्त (aided) और ५ मंज़ूर-शुदा (recognized) पाठशालाएं हैं। लड़कियों के स्कूलों में २९ सरकारी, और ६ सहायता-प्राप्त (aided) हैं, तथा इनमें से १४ जोधपुर नगर में और २१ बाहर परगनों में हैं। इन बालिका-विद्यालयों में इस समय कुल मिलाकर ३,२२० लड़कियां शिक्षा पाती हैं। इनके अलावा औद्योगिक और कला-कौशल की शिक्षा के लिये नगर में एक बिज़नैस-क्लास (Business class) और एक टैक्निकल-क्लास (Technical class) भी खोला गया है।

इस समय कालिज के विद्यार्थियों की संख्या २३४, हाइस्कूलों के (जिनकी संख्या ५ है) विद्यार्थियों की संख्या २,५६२ और मारवाड़ के सब स्कूलों में शिक्षा पानेवाले छात्रों की सम्मिलित संख्या २३,१९५ है।

इन स्कूलों में विद्यार्थियों की स्वास्थ्य-रक्षा पर भी पूरा ध्यान रक्खा जाता है, और इसी से उनका अपने-अपने स्कूल में होनेवाले नित्य के खेलों आदि में भाग लेना आवश्यक करदिया गया है। विद्यार्थियों में स्वयं-सेवक बनने (Scout movement) का भी प्रचार किया जाता है और उनकी संस्था के प्रधान (Chief Scout) का पद स्वयं जोधपुर-नरेश ने कृपाकर अङ्गीकार किया है।

मारवाड़ के विद्या-विभाग पर दरबार के वार्षिक ९,९३,००० रुपये ख़र्च होते हैं।

म्यूनिसिपल कमेटी (नागरिक प्रबन्ध का महकमा)

यह महकमा पहले-पहल ई० स० १८८४ में क़ायम हुआ था और ई० स० १९१८ में नगर की सफ़ाई के लिये एक 'हैल्थ ऑफ़ीसर' नियुक्त किया गया। इसके बाद ई० स० १९३७ में पहले-पहल जातियों की तरफ़ से दिए हुए कुछ नामों में से चुनकर इसके मैम्बर बनाने का नियम बनाया गया।

इस समय इस म्यूनिसिपल बोर्ड के कुल ३८ मैम्बर हैं, जिन में ७ राज कर्मचारी (ex-officio) और बाकी के चुने हुए या नामज़द (nominated) मैम्बर हैं।

यह महकमा नगर में सफ़ाई, पानी, रौशनी और नए बननेवाले घरों का समुचित प्रबन्ध करता है और इसके सतत परिश्रम से इन विभागों में अच्छी उन्नति हुई है।

ई० स० १९२८ से नगर में बढती हुई गलियों की संकीर्णता को रोकने के लिये ज़मीन के नए पट्टे इस महकमे की राय लेकर दिए जाने का नियम बनादिया गया है। इसके अलावा हालही में म्यूनिसिपैलिटी के प्रबन्ध को और उन्नत करने के लिये दरबार की तरफ़ से एक कमेटी भी बिठाई गई है।

गत वर्ष इस म्यूनिसिपैलिटी पर जोधपुर-दरबार का २,२६,६८५ रुपया ख़र्च हुआ था।

इस नगर-म्यूनिसिपैलिटी के अलावा परगनों में भी कुछ म्यूनिसिपैलिटियां हैं। उनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:—

फलोदी, डीडवाना, बालोतरा, बाड़मेर, भीनमाल और लाडनू की म्यूनिसिपैलिटियां अपना ख़र्च आप चलाती हैं। नागोर, जालोर और पाली की म्यूनिसिपैलिटियों को राज्य से मदद दी जाती है। बाली, सोजत और मेड़ता की म्यूनिसिपैलिटियां अभी केवल सफ़ाई का काम ही करती हैं।

सेना-मंत्री (मिलिटरी सैक्रेटरी) के अधीन के महकमे:—

सेना-विभाग

जोधपुर का सेना-विभाग भी बराबर उन्नति कर रहा है और इसने यहां के सरदार-रिसाले और सरदार इनफ़ैंट्री (पैदल सेना) को ब्रिटिश-भारत की सेनाओं के समान सुसज्जित और सुशिक्षित बनाने की पूरी-पूरी चेष्टा की है। इसी सिलसिले में

रिसाले और पलटन के सैनिकों के वेतन में वृद्धि की जाने के साथ ही उनकी पैन्शन आदि के नियमों में भी उचित परिवर्तन किए गए हैं, उनके रहने के स्थान (barracks) आदि नए ढंग के बनवाए गए हैं और फ़ौजी पशु-चिकित्सालय (Veterinary Hospitals) की भी अच्छी उन्नति की गई है।

राजकीय रिसाले और पैदल-सेना के पैनशन-प्राप्त योग्य सैनिकों की एक दुर्ग-रक्षक (Fort guard) टुकड़ी तैयार की गई है और इसे जोधपुर के क़िले पर पहरे का काम सौंपा गया है।

पहले ख़ास तौर पर नियुक्त किए ब्रिटिश-सेना के अफ़सर ही दौरे के समय राजकीय सैन्य-विभाग की जांच किया करते थे। परन्तु वि० सं० १९९२ के फागुन (ई० स० १९३६ के मार्च) से जोधपुर-दरबार ने अपना निजका सैनिक मंत्री (Military Secretary) नियुक्त कर लिया है और इससे सैनिक कार्य में अच्छी उन्नति हुई है।

इस समय 'सरदार रिसाले' के सवारों की संख्या ६७३, 'सरदार-इनफैंट्री' के जवानों की संख्या ७७२, भारबरदारीवालों की संख्या ८०, दुर्ग-रक्षकों की संख्या ९४ और सैनिक बाजे वालों की संख्या ४० है।

गत वर्ष सैनिक विभाग पर राज्य के ११,९८,९८७ रुपये ख़र्च हुए थे।

परिशिष्ट-६.

जागीरदारों पर लगनेवाले राजकीय कर ।

रेख[1].

जागीरदारों से 'रेख' के रूप में रुपया वसूल करने का रिवाज पहले-पहल अकबर के समय चला था। इसी से मारवाड़ में भी पहले-पहल सवाई राजा शूरसिंहजी के समय से ही जागीरदारों के पट्टों में उनके गांवों की रेख दर्ज की जाने लगी। परन्तु उन दिनों जागीरदारों को, मारवाड़-नरेशों के साथ रहकर, बादशाही कामों के लिये होनेवाले मारवाड़ से बाहर के युद्धों में भी भाग लेना पड़ता था[2]। इसी से उस समय उनसे उस 'चाकरी' (सेवा) के अलावा किसी प्रकार का अन्य कर नहीं लिया जाता था। वास्तव में उस समय राजपूत-सरदारों को जागीरें देने का मुख्य प्रयोजन भी यही था कि वे महाराज की तरफ़ से युद्ध में भाग लेकर शत्रु को दण्ड देने में सहायता करें। परन्तु जब महाराजा विजयसिंहजी के राज्य-समय मारवाड़ का सम्बन्ध मुगल बादशाहत से टूट गया और देश में मरहटों का उपद्रव उठ खड़ा हुआ, तब उस नवीन उपद्रव को दबाने के लिये जोधपुर-दरबार को रुपयों की आवश्यकता प्रतीत हुई। इसीसे महाराजा विजयसिंहजी ने, वि० सं० १८१२ (ई० स० १७५५) में, जागीरदारों पर, शाही जज़िये और मारवाड़ से बाहर के युद्धों में भाग लेने की सेवा के बदले में, एक हज़ार की आमदनी पर तीन सौ रुपयों के हिसाब से 'मतालबा' नामक कर लगाया। इसके बाद उन (महाराजा विजयसिंहजी) के राज्य-काल में ही यह कर और कईवार जागीरदारों से वसूल किया गया। परन्तु इस कर की रकम हरवार आवश्यकतानुसार घटती बढ़ती रही। उस समय के लिखित प्रमाणों से प्रकट होता है कि इसकी तादाद एक हज़ार की रेख (आमदनी) पर कम से कम डेढ़ सौ और अधिक से अधिक पांच[3] सौ रुपयों तक पहुँची थी।

---

१. मजमूए हालात व इन्तिज़ाम मारवाड़, बाबत सन् १८८३-८४ (संवत् १९४०) पृ० ३५३-३६१।

२. इससे पूर्व भी जागीरदार लोग राज्य-रक्षा या राज्य-वृद्धि के लिये महाराज की तरफ़ से युद्धों में भाग लिया करते थे।

३. वि० सं० १८४७ (ई० स० १७९०) में जिस समय मरहटों को पाँच लाख रुपये दिए गए, उस समय इस हिसाब से रक़म वसूल की गई थी।

महाराजा भीमसिंहजी के समय भी प्रति हज़ार तीन सौ रुपयों के हिसाब से दो वार यह कर वसूल किया गया।

महाराजा मानसिंहजी के समय, जयपुर की चढ़ाई के बाद, अमीरख़ाँ को रुपये देने के लिये प्रति-हज़ार तीन सौ रुपये के हिसाब से रेख ली गई और वि० सं० १८६४ (ई० स० १८०७) से राज्य के विशेष खर्च के लिये हर पांचवें वर्ष प्रति-हज़ार दो सौ से तीन सौ रुपये तक 'रेख' वसूल करने का एक नियम-सा बना दिया गया।

वि० सं० १८९६ (ई० स० १८३९) में पोलिटिकल एजैंट की सलाह से हर-साल प्रति-हज़ार की जागीर पर अस्सी रुपये रेख के लेना निश्चित किया गया। परन्तु एक-दो बरस बाद ही जागीरदारों ने इस कर का देना बंद कर दिया।

वि० सं० १९०१ (ई० स० १८४४) में महाराजा तखतसिंहजी के समय मुहता लक्ष्मीचन्द ने फिर 'रेख' वसूल करने का प्रबन्ध किया। परन्तु इसमें पूरी सफलता नहीं हुई। अन्त में वि० सं० १९०६ (ई० स० १८४९) में पंचोली धनरूप ने, जो उस समय 'फ़ौजदारी-अदालत' का हाकिम था, महाराज की आज्ञानु-सार जागीरदारों से प्रति-हज़ार अस्सी रुपये सालाना 'रेख' के देने का दस्तावेज़ लिखवा लिया। उसपर पोकरन, आउवा, आसोप, नींबाज, रीयां और कुचामन के सरदारों ने दस्तखत किए थे।

यद्यपि रेख का रुपया मुत्सद्दियों और खवास-पासवानों आदि से भी लिया जाता है, तथापि उसकी शरह भिन्न है।

हुक्मनामा[1]।

यह रिवाज भी पहले-पहल अकबर ने ही चलाया था। उस समय किसी मनसब-दार के मरने पर उसका सारा माल-असबाब, जागीर और मनसब ज़ब्त कर लिए जाते थे और फिर उसके लड़के के एक बड़ी रक़म 'पेशकशी' में नज़र करने पर वे सब बादशाही इनायत के तौर पर, उसे दे दिए जाते थे।

---

१. मजमूए हालात व इन्तिज़ाम राज मारवाड़, बाबत सन् १८८३-८४ (संवत १९४०) पृ० ४४०-४४७।

मारवाड़ में यह रिवाज पहले-पहल राजा उदयसिंहजी के समय चला था। इसके बाद सवाई राजा शूरसिंहजी ने इस (पेशकशी) की रक़म जागीर की एक वर्ष की आय के बराबर नियत कर दी। महाराजा अजितसिंहजी ने राजराजेश्वर का ख़िताब प्राप्त करने के बाद इसका नाम बदल कर 'हुक्मनामा' करदिया। (परन्तु महाराजा अजितसिंहजी के नाबालिग होने के समय जब मारवाड़ पर बादशाह औरंगज़ेब का अधिकार हो गया, तब मुल्क के तागीर (जब्त) हो जाने पर भी यहां की प्रजा, दरबार और सरदारों को, अपना असली मालिक समझ, सालाना कुछ रुपया खर्च के लिये देने लगी और इसकी एवज़ में महाराजा की तरफ़ के सरदार भी अपने सैनिकों के आक्रमण आदि से उसकी रक्षा करने लगे। परन्तु महाराजा अजितसिंहजी के जोधपुर पर अधिकार कर लेने पर यह रकम 'तागीरात'[१] के नाम से उपर्युक्त हुक्मनामे के साथ ही वसूल की जाने लगी।) महाराजा विजयसिंहजी के समय जब मरहटों के उपद्रव को दबाए रखने के लिये अधिक रुपयों की आवश्यकता होने लगी, तब हुक्मनामे की रकम डेवढी-दुगुनी करदी गई। महाराज भीमसिंहजी के दीवान सिंघी जोधराज ने इसके साथ 'मुत्सद्दी-खर्च' नाम की एक रकम और बढ़ा दी। इसके बाद महाराजा मानसिंहजी के समय 'हुक्मनामे' की रक़म दुगुनी से भी अधिक बढ़ गई और महाराजा तखतसिंहजी के समय तिगुनी चौगुनी तक हो गई।

अन्त में वि० सं० १९२६ (ई० स० १८६९) में पोलिटिकल ऐजैन्ट की सलाह से 'हुक्मनामे' के नियम बनाए गए और साधारण तौर पर इसकी रकम जागीर की एक साल की आमदनी का पौन हिस्सा नियत किया गया। साथ ही बेटे या पोते के उत्तराधिकारी होने पर उस साल की (जिस में हुक्मनामा लिया गया हो) रेख और चाकरी माफ़ की गई। परन्तु भाई-बन्धुओं में से किसी के गोद आने पर रेख लेने और चाकरी माफ़ करने का नियम बना। साथ ही यदि एक वर्ष में दो उत्तराधिकारी गद्दी पर बैठें, तो केवल एक 'हुक्मनामा' और दो वर्ष में दो उत्तराधिकारी गद्दी बैठें, तो डेढ 'हुक्मनामा' लेने का नियम रहा। इसके अलावा यदि जागीरदार 'हुक्मनामे' की रकम को ज़्यादा समझे, तो जागीर की ज़ब्ती कर उसकी एक साल की आमदनी लेलेने का कायदा भी बना दिया गया। परन्तु साथ ही ऐसी हालत में उससे रेख और चाकरी नहीं लेना भी तय किया गया।

१. अन्त में महाराजा तख्तसिंहजी के समय यह रकम माफ़ कर दी गई।

उपर्युक्त नियमों के अलावा यदि किसी व्यक्ति के लिये दरबार की तरफ़ का कोई ख़ास हुक़्म होता है तो उसका पालन करना भी आवश्यक समझा जाता है।

चाकरी

पहले किसी शक्तिशाली नियामक सत्ता के न होने से छोटे-बड़े सब प्रकार के भू-स्वामी अपने अधिकारों की रक्षार्थ अथवा उनके प्रसार के लिये बहुधा युद्धों में लगे रहते थे। इसी से अन्य प्रदेशों की तरह मारवाड़ में भी जागीरदारी की प्रथा प्रचलित थी। राजा लोग अपने भाइयों, बन्धुओं, सम्बन्धियों और अनुयायियों को कुछ भू-भाग देकर जागीरदार बना लिया करते थे और वे लोग अपने नरेशों की आज्ञा मिलते ही दल-बल सहित सेवा में आ-उपस्थित होते थे। इसी प्रकार ये जागीरदार भी अपना जन-बल दृढ रखने के लिये अपने भाइयों और बन्धुओं को अपने अधीन के प्रदेश का कुछ भू-भाग दे दिया करते थे और समय आने पर उन्हें अपनी अथवा अपने स्वामी की सेवा के लिये बुला लिया करते थे। इस प्रकार के प्रबन्ध के कारण ही उस समय राजाओं को युद्ध के लिये अपने निज के वेतन-भोगी सैनिक रखने की अधिक आवश्यकता नहीं होती थी।

परन्तु महाराजा विजयसिंहजी के समय जागीरदारों के बाग़ी हो जाने से राज्य की रक्षा के लिये विदेशी वेतन-भोगी सेना का रखना आवश्यक हो गया और इसके द्वारा उद्धत जागीरदारों और उनके अनुयायियों को दबाने में मिली सफलता को देख महाराजा मानसिंहजी ने इसकी संख्या बढ़ा कर २२,००० तक पहुँचा दी। अन्त में वि० सं० १८९६ (ई० स० १८३९) में यहां पर अजंटी के कायम हो जाने से जब भीतरी फ़साद दब गया, तब इस सेना की संख्या घटा कर करीब सवा हज़ार सवार और पौने चार हज़ार पैदल कर दी गई और इसके बाद आगे भी उसकी संख्या बराबर घटती रही। इसके बाद वि० सं० १९४५ (ई० स० १८८९) में, महाराजा जसवन्तसिंहजी (द्वितीय) के समय, आधुनिक ढंग पर सरदार-रिसाले की स्थापना की गई और वि० सं० १९७९ (ई० स० १९२२) में सरदार इन्फ़ैंट्री[1] कायम हुई।

[1] उस समय आधी 'इन्फ़ैंट्री' तैयार की गई थी और वि० सं० १९८३ (ई० स० १९२६) में यह पूरी कर दी गई।

इसी बीच उपर्युक्त चाकरी के भी नियम बना दिए गए। इनके अनुसार जागीरदारों के लिये जागीर की एक हज़ार की वार्षिक आय पर एक घुड़-सवार, साढे सात सौ की आय पर एक शुतर-सवार और पाँच सौ की आय पर एक पैदल रखना निश्चित हुआ। परन्तु कुछ ही काल में जागीरदारों द्वारा नियत की जानेवाली जमैयत के आदमियों और वाहनों की दशा ऐसी शोचनीय हो गई कि वे केवल समाचार लाने-लेजाने या ऐसे ही अन्य छोटे-छोटे काम करने लायक रह गए[१]। इसके अलावा जहां ३९,६३,००० की आय की जागीरों पर क़रीब ३,९६३ सवार आदि होने चाहिए थे। वहां वे इस संख्या के आधे से भी कम रह गए[२]। यह देख दरबार ने इन सवारों आदि के स्थान में नक़द रुपया लेना तय किया और इसके अनुसार घुड़-सवार के १७, शुतर-सवार के १५ और पैदल के ८ रुपये निश्चित हुए। वि० सं० १९०१ में यहां पर अंगरेज़ी रुपये का चलन हो जाने से यह रकम घटाकर एक हज़ार के पीछे १५ रुपये करदी गई। परन्तु फिर भी बहुत कम जागीरदारों ने नक़द रुपया देना स्वीकार किया। अन्त में वि० सं० १९६९ (ई० स० १९१२) में यह रकम घटा कर एक हज़ार पीछे १२ रुपये कर दी गई। इस पर सारे ही जागीरदारों ने इसे स्वीकार कर लिया।

इसके अलावा जो जागीरदार अपनी जागीर की असली आमदनी पर चाकरी देना चाहते हैं, उनकी जागीर की आमदनी की जांच की जाकर उसके अनुसार चाकरी लेने का भी नियम है। परन्तु ऐसे जागीरदारों की आमदनी की जांच हर दसवें साल नए सिरे से होती है।

जागीरदारों पर लगनेवाले इस करको ही 'चाकरी' कहते हैं।

---

१. इसका मुख्य कारण जागीरदारों का कम वेतन पर आदमियों को भरती करना था।

२. बहुधा बड़े-बड़े जागीरदार और उनके पक्ष के जागीरदार न तो पूरे मनुष्य रखते थे न पूरे घोड़े आदि ही।

परिशिष्ट-७

मारवाड़-दरबार-द्वारा दी जानेवाली ताज़ीमों और सरोपावों का विवरण ।

मारवाड़ दरबार-द्वारा दी जानेवाली ताज़ीमें दो प्रकार की हैं। इकहरी (**इकेवड़ी**) और दोहरी (**दोवड़ी**)। जिसे इकहरी ताज़ीम मिलती है, उसके महाराजा साहब के सामने हाज़िर होते समय और जिसे दोहरी ताज़ीम मिलती है, उसके हाज़िर होते और लौटते–दोनों समय महाराजा साहब खड़े होकर उसका अभिवादन ग्रहण करते हैं ।

बाँह-पसाव—जिसको यह ताज़ीम मिलती है, उसके महाराजा साहब के सामने उपस्थित होकर (और अपनी तलवार को उनके पैरों के पास रखकर) उनके घुटने या अचकन के पल्ले को छूने पर महाराजा साहब उसके कंधे पर हाथ रख देते हैं ।

हाथ का कुरब—जिसको यह ताज़ीम मिलती है, उसके बाँह पसाव वाले की तरह महाराजा साहब का घुटना या दामन छूने पर महाराजा साहब उसके कंधे पर हाथ लगा कर अपने हाथ को अपनी छाती तक लेजाते हैं ।

ये ताज़ीमें भी इकहरी और दोहरी दोनों प्रकार की होती हैं और उन्हीं के अनुसार महाराजा साहब खड़े होकर आदर देते हैं ।

सिरे का कुरब—यह कुछ चुने हुए सरदारों को मिला हुआ है, जो दरबार के समय अन्य सरदारों से ऊपर बैठते हैं। इनके भी दो भेद हैं। दांई मिसल के सिरायत महाराजा साहब के दांई तरफ़ और बांई मिसल के बांई तरफ़ बैठते हैं। परन्तु आज-कल आपस के झगड़ों को दूर करने के लिये सरदारों के बैठने के तरीके में सुधार किए जा रहे हैं ।

सोना—मारवाड़ में जिस व्यक्ति को सोना पहनने का अधिकार मिलता है, वही पैर में सोना पहन सकता है। पहले इस अधिकार के लिये दरबार की तरफ़ से पैर में पहनने का सुवर्ण का आभूषण मिलता था। परन्तु अब ३०० रुपये दिए जाते हैं।

हाथी-सरोपाव—जिसको यह सरोपाव मिलता है उसे राज्य से कपड़ों वगैरा के सब मिलाकर ७८० रुपये दिए जाते हैं ।

परन्तु विवाह के मौक़े पर (चोगे और कमरबंद की कीमत मिलाकर) ८४६ रुपये मिलते हैं। इसके अलावा महाराजा साहब के नजदीकी भाई-बन्धुओं को, जो मारवाड़ में 'महाराज' कहलाते हैं, विशेष कृपा और मान प्रदर्शित करने के लिए, १,००० रुपये दिए जाते हैं।

पालकी-सरोपाव—जिसको महाराजा साहब की तरफ़ से यह सरोपाव मिलता है उसे ४७२ रुपये दिए जाते हैं। परन्तु विवाह के मौक़े पर इसकी रकम ५५३ रुपये कर दी जाती है।

घोड़ा-सरोपाव—इसके लिये साधारण तौर पर २४० रुपये और विवाह के मौक़े पर ३४० रुपये मिलते हैं।

सादा-सरोपाव—इसके प्रथम दरजे में मामूली समय पर १४० रुपये और विवाह के समय २४० रुपये दिए जाते हैं। परन्तु इसके दूसरे दर्जे में १०० रुपये और तीसरे दर्जे में ७१ रुपये मिलते हैं।

कंठी-दुपट्टा-सरोपाव—इसकी प्रथम श्रेणी में ७५ रुपये, द्वितीय श्रेणी में ६० रुपये और तृतीय श्रेणी में ४५ रुपये दिए जाते हैं।

कड़ा, मोती, दुशाला और मदील (ज़रीदार पगड़ी)-सरोपाव—इसमें प्रथम श्रेणीवाले को १२१ रुपये, द्वितीय श्रेणीवाले को ८५ रुपये और तृतीय श्रेणीवाले को ६५ रुपये मिलते हैं।

कड़ा और दुशाला-सरोपाव—इसमें ३७ रुपये दिए जाते हैं।

परिशिष्ट–८

मारवाड़ के सिक्के

इतिहास

अनुमान होता है कि मारवाड़ में भी पहले ठप्पे लगे हुए (पंच मार्क्ड) सिक्कों का प्रचार रहा होगा। इन सिक्कों पर किसी राजा का नाम न होकर मनुष्यों, पशुओं, वृक्षों, शस्त्रों, स्तूपों अथवा अन्य पवित्र समझी जानेवाली वस्तुओं के चिह्न बने होते हैं। इन चिह्नों के जुदा-जुदा ठप्पों द्वारा धातु के बने मोटे पत्रपर छापे जाने के कारण इनके बीच के व्यवधान का कोई नियम नहीं होता। किसी सिक्केपर दो चिह्न पास-पास बने मिलते हैं, तो किसी पर दूर-दूर। इसी प्रकार इन सिक्कों के आकार का भी नियम न होने से ये भिन्न-भिन्न आकार के देखने में आते हैं।

इसके बाद यहां पर क्षत्रपों के सिक्कों (द्रम्मों) का व्यवहार हुआ होगा। ये सिक्के आकार में गोल होते हैं और इनपर एक तरफ़ राजा का गर्दन तक का चित्र[१] और सम्वत्, तथा दूसरी तरफ़ राजा का और उसके पिता का नाम मय उनकी उपाधियों के लिखा होता है।

क्षत्रपों के बाद गुप्तों की मुद्राओं का प्रचलन हुआ होगा। परन्तु मारवाड़ में अभी तक इन मुद्राओं के न मिलने से इस विषय में निश्चितरूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। फिर भी परिस्थितियां उपर्युक्त बातों का ही समर्थन करती हैं।

यहां पर गधिया या गधैया शैली के सिक्के अधिकता से मिलते हैं। इससे अनुमान होता है कि गुप्तों के बाद अथवा हूण-नरेश तोरमाण के समय (विक्रम की छठी शताब्दी के उत्तरार्ध) से ही यहां पर इन सिक्कों का प्रचार होने लगा होगा। मारवाड़ में इन सिक्कों की तीन किस्में मिलती हैं:–

---

१. किसी-किसी पर ग्रीक अक्षरों के-से अक्षर भी बने होते हैं।

पहली किस्म के चांदी के सिक्के आकार में ब्रिटिश-भारत की अंगरेज़ी अठन्नी के बराबर होनेपर भी मुटाई में उससे बहुत पतले होते हैं। इनकी एक तरफ़ राजा का छाती तक का चित्र और दूसरी तरफ़ अग्निकुण्ड बना होता है।

ये सिक्के ईरानी[1] सिक्कों की नकलपर बनाए गए थे। परन्तु कारीगरी में उनसे भद्दे होते हैं।

दूसरी किस्म के सिक्के पहले प्रकार के सिक्कों से आकार में कुछ छोटे, परन्तु मुटाई में कुछ अधिक होते हैं और इनपर के चित्र आदि और भी भद्दे और अस्पष्ट मिलते हैं।

तीसरी किस्म के सिक्कों का आकार ब्रिटिश-भारत की चांदी की दुअन्नी का-सा होता है। परन्तु इनकी मुटाई अधिक होती है। साथ ही इनपर का राजा का चित्र गधे के खुर का-सा दिखाई देता है। इसी से इनका नाम 'गधिया' या 'गधैया' हो गया है। इनपर का दूसरी तरफ़ का अग्निकुण्ड भी आड़ी-तिरछी लकीरों और बिन्दुओं का समुदाय-सा ही प्रतीत होता है। इन सिक्कों में यह परिवर्तन सम्भवतः विक्रम की दशवीं शताब्दी के करीब हुआ होगा। इस प्रकार के सिक्के ग्यारहवीं शताब्दी तक गुजरात, राजपूताना और मालवा में प्रचलित थे।

इसी बीच यहां पर कुछ समय के लिये प्रतिहार-नरेश भोजदेव[2] की मुद्राओं का भी प्रचार रहा था। इनपर एक तरफ़ नर-वराह की मूर्ति बनी होती है और दूसरी तरफ़ 'श्रीमदादिवराहः' लिखा रहता है। ऐसी कुछ मुद्राएं ९ वर्ष पूर्व सांभर-प्रान्त से मिली थीं।

---

१. वि० सं० ५४१ (ई० स० ४८४) के करीब जब हूणों ने ईरान (पर्शिया) पर आक्रमण किया, तब वे वहां का खज़ाना लूटकर वहां के ससेनियन शैली के सिक्के भारत में ले आए। ये सिक्के आकार में ब्रिटिश-भारत के रुपये के बराबर होने पर भी मुटाई में उससे कम होते हैं। इनकी एक तरफ़ राजा का चेहरा और पहलवी अक्षरों में लेख, तथा दूसरी तरफ़ अग्नि-कुण्ड और उसके दोनों तरफ़ दो खड़े पुरुष बने होते हैं।

२. इस भोजदेव की वि० सं० ९०० से ९३८ (ई० स० ८४३ से ८८१) तक की प्रशस्तियां मिली हैं।

इसी प्रकार यहां पर चौहानों के सिक्कों का प्रचार रहना भी अनुमान किया जाता है। इस (चौहान) वंश के राजाओं में से अजयदेव[1], उसकी रानी सोमलदेवी[2], सोमेश्वर[3] और उसके पुत्र प्रसिद्ध चौहान-नरेश पृथ्वीराज[4] के सिक्के मिलते हैं।

इनके साथ ही यहांपर फदिया नाम के सिक्के के प्रचलन का भी पता चलता है।

वि० सं० १५९७ के एक लेख में, जिस बावड़ी के बनवाने में १,२१,१११ फदिये खर्च होना लिखा है, ख्यातों में उसी के लिये १५,००० रुपये खर्च होना दर्ज है। इस से अनुमान होता है कि उस समय एक रुपये के करीब ८ फदिये मिलते थे। परन्तु यह सिक्का अबतक देखने में नहीं आया है। हमारा अनुमान है कि फदिया से गधिया-शैली के सिक्के का ही तात्पर्य होगा। इनके अलावा विक्रम की नवीं शताब्दी में सिंधपर शासन करने वाले अरब-हाकिमों के चलाए सिक्कों के मिलने से उनका भी यहां पर प्रचार रहना पाया जाता है। ये सिक्के आकार में ब्रिटिश-भारत की चांदी की दुअन्नी से आधे और बहुत पतले होते हैं और इनपर हाकिमों के नाम लिखे रहते हैं। इस प्रकार के सिक्के मारवाड़ के अनेक स्थानों से मिले हैं।

चौहान-नरेश पृथ्वीराज के मरने के बाद यहां पर दिल्ली के सुलतान-नरेशों के सिक्कों का प्रचार हुआ होगा। इसी सिलसिले में फीरोज़शाह (द्वितीय) के समय

---

१. यह अजयदेव वि० सं० ११६५ (ई० स० ११०८) के आस-पास विद्यमान था। इसके सिक्कों पर एक तरफ़ भद्दी-सी लक्ष्मी की मूर्ति बनी होती है और दूसरी तरफ़ 'श्री अजयदेव' लिखा होता है।

२. सोमलदेवी के सिक्कों पर एक तरफ़ गधिये सिक्के कासा राजा का चेहरा और दूसरी तरफ़ 'श्रीसोमलदेवी' लिखा होता है।

३. यह वि० सं० १२३० (ई० स० ११७३) के करीब विद्यमान था। इसके सिक्कों पर एक तरफ़ सवार की भद्दी मूर्ति और 'श्री सोमेश्वरदेव' और दूसरी तरफ़ नन्दी का चित्र और 'आसावरी श्री सामन्तदेव' लिखा होता है।

४. यह (पृथ्वीराज) वि० सं० १२४९ (ई० स० ११९२) में शहाबुद्दीन के साथ के युद्ध में मारा गया था। इसके सिक्कों पर भी एक तरफ़ सवार की भद्दी मूर्ति और 'श्री पृथ्वीराजदेव' और दूसरी तरफ़ नन्दी का चित्र और 'आसावरी श्री सामन्तदेव' लिखा रहता है।

इसके कुछ सिक्के ऐसे भी मिले हैं, जिन पर एक तरफ़ पृथ्वीराज का और दूसरी तरफ़ सुलतान मुहम्मदसाम का नाम लिखा होता है।

(वि० सं० १३५१=ई० स० १२९३ के करीब) से मारवाड़ में फ़ीरोज़ी सिक्कों का, शेरशाह के समय (वि० सं० १६००=ई० स० १५४३) से शेरशाही सिक्कों का और अकबर के समय (वि० सं० १६२२=ई० स० १५६५) से मुग़ल बादशाहों के सिक्कों का प्रचार हुआ ।

इसके अलावा जौनपुर, मालवा और गुजरात के मुसलमान-शासकों के तांबे के सिक्कों के मिलने से उनका भी यहां पर किसी हद तक प्रचलित होना अनुमान किया जा सकता है[1] ।

कर्नल जेम्स टॉड ने अपने 'ऐनाल्स एण्ड ऐण्टिक्विटीज़ ऑफ़ राजस्थान[2]' में मारवाड़-नरेश महाराजा अजितसिंहजी का वि० सं० १७७७ (ई० स० १७२०) में अजमेर से अपने नाम का सिक्का चलाना लिखा है । परन्तु न तो अबतक उस समय का सिक्का ही मिला है, न अन्यत्र कहीं इसका उल्लेख ही ।

अबतक के मिले प्रमाणों से प्रकट होता है कि मारवाड़-नरेश महाराजा विजय-सिंहजी ने ही पहले-पहल, वि० सं० १८३७ (ई० स० १७८०) में बादशाह शाहआलम (द्वितीय) से आज्ञा प्राप्त कर अपना निज का विजयशाही सिक्का चलाया था ।

इसपर फ़ारसी-लिपि में एक तरफ़ शाह आलम का नाम और दूसरी तरफ़ (जोधपुर की) टकसाल का नाम लिखा रहता था । यह सिक्का महाराजा विजयसिंहजी का चलाया होने से 'विजयशाही' और इसपर बादशाह शाहआलम द्वितीय का सनेजलूस (राज्यवर्ष) २२ लिखा होने से 'बाइसंदा' भी कहाता था ।

वि० सं० १८६३ (ई० स० १८०६) में शाह आलम की मृत्यु हो जाने से इसपर मुहम्मद अकबरशाह द्वितीय का नाम लिखा जाने लगा[3] और वि० सं० १८९४

१. कहीं-कहीं अजमेर, नागोर और अहमदाबाद की बादशाही टकसालों के बने रुपयों का भी यहां पर विशेष तौर से चलन होना लिखा मिलता है ।

२. ऐनाल्स एण्ड ऐण्टिक्विटीज़ ऑफ राजस्थान, (क्रुक सम्पादित) भा० २, पृ० १०२६

३. यह नाम अब तक केवल तांबे के सिक्कों पर ही मिला है । फिर भी इससे अनुमान होता है कि इसी प्रकार का परिवर्तन चाँदी के सिक्कों पर भी हुआ होगा । परन्तु विलियम विल्फ़र्ड वैब ने विजयशाही सिक्कों पर ई० स० १८५८ तक शाह आलम के नाम का लिखा जाना ही माना है ।

(ई० स० १८३७) में उसकी मृत्यु के कारण उसके नाम के स्थान पर बहादुरशाह द्वितीय का नाम लिखा गया। परन्तु वि० सं० १९१६ (ई० स० १८५९) से इसपर एक तरफ़ मुग़ल बादशाह के नाम के स्थान पर महारानी विक्टोरिया का और दूसरी तरफ़ मारवाड़-नरेश महाराजा तख़्तसिंहजी का नाम जोड़ दिया गया।

यथा-समय यही परिवर्तन नागोर, सोजत, पाली और मेड़ता की टकसालों में भी किया गया[1]। इन टकसालों के सिक्कों पर जोधपुर के स्थान पर उन-उन नगरों का नाम लिखा जाता था।

वि० सं० १९२६ (ई० स० १८६९) में उपर्युक्त सारी ही टकसालों के सिक्कों पर (जोधपुर-नरेशों की इष्ट देवी का सूचक) नागरी अक्षरों में "श्रीमाताजी" और जोड़ दिया गया। इसके बाद वि० सं० १९२९ (ई० स० १८७३) में मारवाड़-नरेश महाराजा जसवन्तसिंहजी (द्वितीय) का, वि० सं० १९५२ (ई० स० १८९५) में महाराजा सरदारसिंहजी का, वि० सं० १९६८ (ई० स० १९११) में महाराजा सुमेरसिंहजी का और वि० सं० १९७५ (ई० स० १९१८) में वर्तमान-नरेश महाराजा उम्मेदसिंहजी साहब का नाम लिखा गया। इसी प्रकार महारानी विक्टोरिया के स्वर्गवास पर वि० सं० १९५७ (ई० स० १९०१) में बादशाह एडवर्ड सप्तम का, वि० सं० १९६७ (ई० स० १९१०) में बादशाह जॉर्ज पञ्चम का, वि० सं० १९९२ (ई० स० १९३६) में बादशाह एडवर्ड अष्टम का और उनके राज्यसिंहासन छोड़ने पर वि० सं० १९९३ (ई० स० १९३६) में बादशाह जॉर्ज षष्ठ का नाम दर्ज किया गया।

विशेष बातें।

पहले प्रतिवर्ष नए ठप्पे तैयार कर सिक्के बनाने का रिवाज न होने से एक ही ठप्पा कई वर्षों तक काम में आता रहता था और आवश्यकता होने पर ही नया ठप्पा बनाया जाता था। इसके अलावा ठप्पा बनाने वाला बहुधा पुराने ठप्पे को देख कर ही नया ठप्पा बनाया करता था। इससे कभी-कभी गलती भी हो जाती थी। इसी से महारानी (विक्टोरिया) के नामवाले कुछ सिक्कों पर भी २२ का अङ्क (जो शाह-आलम द्वितीय का सन-ए-जलूस था) लिखा मिलता है। महाराजा तख़्तसिंहजी के

१. यहां पर यह परिवर्तन वि० सं० १९१७ (ई० स० १८६०) में हुआ।

समय (वि० सं० १९१८=ई० स० १८६२) से हरसाल सावन में सोने और चांदी के सिक्कों के लिये नए ठप्पे बनाने का रिवाज चल गया। इससे उन पर के संवत् भी बदल दिए जाने लगे। फिर भी तांबे के सिक्कों का ठप्पा तो आवश्यकता पड़ने पर ही बदला जाता था। परन्तु आजकल फिर वही आवश्यकता होने पर नया सिक्का बनाने का पुराना तरीका चल पड़ा है। अपने समय में बने सिक्कों की पहचान के लिये राज्य की प्रत्येक टकसाल का दारोगा ठप्पे में अपना ख़ास चिह्न या अक्षर जोड़ दिया करता था। इससे किसी सिक्के के तोल में या उसकी धातु की शुद्धता में गड़-बड़ मिलने पर, बिना किसी झंझट के, वह उसका ज़िम्मेवार समझ लिया जाता था।

यहां के सिक्कों पर का झाड़ और तलवार का निशान राज्य-चिह्न की तौर पर बनाया गया था। इस झाड़ में ९ या ७ शाखाएं मिलती हैं। परन्तु ९ शाखाओंवाला झाड़ असली बिजैशाही या 'लुलूलिया' रुपयों पर ही मिलता है। महाराजा तखतसिंहजी ने इस झाड़ को तुर्रे (मस्तक पर बांधे जानेवाले आभूषण) का रूप दिलवाया था। इसी से मारवाड़ के लोग इन चिह्नों को खाँडा (एक प्रकार की तलवार) और तुर्रा कहते हैं।

यहां के किसी-किसी सिक्के पर पाँच पत्ती के फूल, स्वस्तिक, त्रिशूल और तीर के चिह्न भी बने मिलते हैं। ये ठप्पे में की खाली जगह को भरने के लिये बना दिए जाते थे।

मारवाड़ में पहले ये सोने, चांदी और तांबे के सिक्के व्यापारी लोग ही बनवाया करते थे। टकसाल का दारोगा उनके लाए हुए सोने और चांदी की जाँच कर सिक्के बनवा देता था। इसके लिये व्यापारियों को मजदूरी के अलावा नियत राज्य-कर (Royalty) भी देना होता था। यह राज्य-कर राज्य की भिन्न-भिन्न टकसालों में भिन्न-भिन्न था। जोधपुर में प्रत्येक मोहर (अशर्फी) पर पौने दो आने, प्रति १०० रुपयों पर छै आने और मन भर तांबे (या १४,००० पैसों) पर तीन रुपये थे। सोजत में १०० रुपयों पर ग्यारह आने और मेड़ता में १०० रुपयों पर तेरह आने लगते थे।

वि० सं० १९५६ (ई० स० १८९९-१९००) के भीषण दुर्भिक्ष के कारण मारवाड़ में लाखों रुपयों का नाज और घास बाहर से मँगवाना पड़ा। इसी से यहां के

१. इस समय प्रति १०० अशर्फी पर ६ आने राज्य लेता है।

चांदी के सिक्के की दर बहुत गिर गई। इस संकट को दूर करने के लिये यहां पर भी अंगरेज़ी रुपया जारी करना पड़ा।

यद्यपि सोने के सिक्के (मोहरें) अब तक व्यापारियों की तरफ से ही बनवाए जाते हैं, तथापि तांबे के सिक्के (पैसे) अब राज्य की तरफ़ से बनते हैं।

मारवाड़ की टकसालों और उनके बने सिक्कों का विवरण।

नागोर की टकसाल—वि० सं० १६६५ (ई० स० १६३८) में बादशाह शाहजहां ने मारवाड़-नरेश महाराजा गजसिंहजी की इच्छानुसार उनके ज्येष्ठ पुत्र अमरसिंह को राव की पदवी देकर नागोर का प्रान्त जागीर में दे दिया था। कहते हैं कि इसके बाद ही उन्होंने बादशाह की आज्ञा लेकर वहां पर अपना अमरशाही पैसा चलाया[1]। यह तोल में २५५ ग्रेन (१५ माशे) के करीब था और इसपर केवल एक तरफ़ एक चतुष्कोण में फ़ारसी अक्षरों में "दारुल बरकात ज़रब नागोर मैमनत मानूस सन्-ए-जलूस ११" लिखा रहता था। यह सन्-ए-जलूस शाहजहां के ११ वे राज्य-वर्ष का द्योतक था।

इसके बाद वि० सं० १८३७ (ई० स० १७८०) में यहां पर भी मारवाड़-नरेश महाराजा विजयसिंहजी का विजयशाही सिक्का बनना प्रारम्भ हुआ। यहां के रुपयों पर अन्य लेख के अलावा जिस तरफ़ 'श्रीमाताजी' लिखा रहता है, उसी तरफ़ ऊपर को झाड़ और तलवार अथवा उसके भाग बने होते हैं।

यह टकसाल वि० सं० १९४५ (ई० स० १८८८) में बंद कर दी गई।

जोधपुर की टकसाल—यह वि० सं० १८३७ (ई० स० १७८०) में खोली गई थी। यहां के बने रुपयों पर अन्य लेख के अलावा एक तरफ़ दारोगा का निशान और दूसरी तरफ़ 'श्रीमाताजी' लिखा रहता है और उसी के नीचे तलवार बनी होती है।

पहले यहां पर सोने, चांदी और तांबे के सिक्के बना करते थे। परन्तु वि० सं० १९५६ (ई० स० १९००) से अंगरेज़ी रुपये का प्रचलन हो जाने से मारवाड़ की

१. कहीं-कहीं ऐसा भी लिखा मिलता है कि, जिस समय उलगखां, जो बाद में सुलतान गयासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली के तख़्त पर बैठा, सूबेदार की हैसियत से नागोर में रहता था, उस समय भी वहां पर एक टकसाल थी।

टकसालों में विजयशाही रुपया बनना बंद हो गया। इसके बाद वि० सं० १९७१ (ई० स० १९१४) में यहां पर तांबे का सिक्का बनना भी बंद हो गया था, परन्तु वि० सं० १९९३ (ई० स० १९३६) से यह फिर से बनाया जाने लगा है।

पाली की टकसाल—यह टकसाल वि० सं० १८४५ (ई० स० १७८८) में खोली गई थी। यहां के रुपयों पर एक तरफ़ दारोगा का निशान और दूसरी तरफ़ 'श्रीमाताजी' लिखा रहता है। तथा इसी लेख के नीचे तलवार और उसके पास ही में झाड़ बना होता है।

मारवाड़-नरेश महाराजा भीमसिंहजी के समय तक पाली के बने सिक्कों पर भाले का निशान रहता था, परन्तु महाराजा मानसिंहजी ने भाले के स्थान पर तलवार का निशान बनवाना प्रारम्भ किया।

यह टकसाल भी कुछ काल से बंद कर दी गई है।

सोजत की टकसाल—यह टकसाल वि० सं० १८६४ (ई० स० १८०७) में खोली गई थी। यहां के बने कुछ रुपयों पर कटार का चिह्न बना होता है और कुछ पर नागरी अक्षरों में 'श्री महादेवजी' भी लिखा रहता है। इनमें टकसाल के दारोगा का निशान झाड़ के पास बना रहता है।

यह टकसाल वि० सं० १९४५ (ई० स० १८८८) में बंद कर दी गई थी।

मेड़ता की टकसाल—यहां की टकसाल के बने रुपये पर हिजरी सन् ११८८ का निशान होने से वह रुपया 'अठ्यासिया' कहलाता था। यह टकसाल वि० सं० १८९० (ई० स० १८३३) में बंद होगई थी। परन्तु वि० सं० १९२१ (ई० स० १८६४) में फिर से जारी की गई। उस समय के रुपये पर चांद का चिह्न बना होने से वह 'चांदशाही' के नाम से प्रसिद्ध हुआ।

वि० सं० १९२८ (ई० स० १८७१) में यहां की टकसाल फिर बंद कर दी गई।

इस टकसाल के बने कुछ पुराने पैसों पर केवल सन् १२०२ ही लिखा मिलता है।

सुवर्ण के सिक्के (मोहरें)

जोधपुर की अशर्फ़ी (मोहर) शुद्ध सुवर्ण[1] की बनती है और इसका तोल १६९·९ ग्रेन (९ माशे[2] और ६ रत्ती) होता है । यह भी कहा जाता है कि ये सिक्के पहले-पहल वि० सं० १८३८ (ई० स० १७८१) में विजयशाही रुपये के वि० सं० १८१८ (ई० स० १७६१) के ठप्पे से छापे गए थे । परन्तु इसके बाद मोहरों के लिये जुदा ठप्पे (बाला और पाई) तैयार किए जाने लगे । आवश्यकता होने पर इन्हीं ठप्पों से तोल के हिसाब से आधी, पाव और दो अन्नी मोहरें भी छाप ली जाती हैं । मोहरें बनाने का काम केवल जोधपुर की टकसाल में ही होता है ।

चांदी के सिक्के (रुपये)

जोधपुर का विजयशाही रुपया तोल में १७६·४ ग्रेन (१० माशे $\frac{१}{२}$ रत्ती) होता था[3] । इसमें १६९·९ ग्रेन (९ माशे ५$\frac{१}{४}$ रत्ती) शुद्ध चांदी और ६·५ ग्रेन (३$\frac{१}{४}$ रत्ती) तांबा (Alloy) रहता था[4] । जिस समय इस रुपये का चलन था, उस समय इसी के ठप्पे (वाला और पाई) से तोल के अनुसार अठन्नी, चवन्नी और दो अन्नी बना ली जाती थी ।

वि० सं० १९१६ (ई० स० १८५९) में महाराजा तखतसिंहजी के समय नाजर हरकरण ने सोजत की टकसाल में करीब एक लाख विजयशाही रुपये ऐसे छापे थे, जिनका तोल १७५ ग्रेन (१० माशा) था और इनमें खाद (alloy) का भाग

---

१. वास्तव में यह ९९ टंच की होती है ।

२. मारवाड़ में माशा ८ रत्ती का माना जाता है ।

३. परन्तु वि० सं० १९१९ (ई० स० १८६२) के पूर्व का 'ग' चिह्न वाला जोधपुर की टकसाल का बना रुपया तोल में १७६ ग्रेन (१० माशे) था ।

४. कुछ लोग इसमें $\frac{१}{२७}$ खाद (Alloy) होना मानते हैं । पाली की टकसाल का बना रुपया तोल में १९० ग्रेन (१० माशे ७ रत्ती) होता था और उसमें १० माशे ४$\frac{१}{४}$ रत्ती चांदी और २$\frac{३}{४}$ रत्ती तांबा रहता था ।

नागोर का रुपया तोल में ९ माशे ६ रत्ती (१६९·९ ग्रेन) होता था और उसमें ९ माशे ४$\frac{१}{४}$ रत्ती चांदी और १$\frac{३}{४}$ रत्ती तांबा रहता था ।

सोजत के रुपये में प्रतिशत ९५$\frac{१}{४}$ चांदी और ४$\frac{३}{४}$ तांबा होता था ।

भी कुछ अधिक[1] मिलाया गया था। इन सिक्कों पर दारोगा का निशान 'ला' बना था, जो उसके पन्थ के आचार्य लालबाबा के नाम का पहला अक्षर था। ये सिक्के 'ला' अक्षर के कारण 'लुलूलिया' या लुलूलशाही कहाते थे।

वि० सं० १९२३ (ई० स० १८६६) में महाराजा तख़्तसिंहजी के समय ही अनाड़सिंह ने जोधपुर की टकसाल में कुछ विजयशाही रुपये ऐसे भी बनवाए थे जिनमें खाद (Alloy) मामूली से अधिक डाला गया था। इन रुपयों पर उसने अपना निशान 'रा' रक्खा था, जो उसकी रावणा-राजपूत जाति का पहला अक्षर था, और इसी से ये रुपये 'रुरूरिया' के नाम से प्रसिद्ध हुए।

हम पहले ही लिख चुके हैं कि पुराने विजयशाही रुपयों पर शाहआलम का २२ वां राज्यवर्ष लिखा होने से वह 'बाईसंदा' भी कहाता था और वि० सं० १९५६ (ई० स० १९००) में यहां पर ब्रिटिश भारत के रुपये का चलन हो जाने से मारवाड़ में इस रुपये का बनना बंद हो गया।

तांबे के सिक्के (पैसे)

जोधपुर का विजयशाही पैसा भारी होने से ढब्बूशाही भी कहाता था। महाराजा भीमसिंहजी के समय (वि० सं० १८५० से १८६०=ई० स० १७९३ से १८०३ तक) इसका वज़न दो माशा और बढ़ा दिया जाने से उस समय का पैसा 'भीमशाही'[2] कहाने लगा। परन्तु इसके बाद जब महाराजा मानसिंहजी के समय इसका वज़न वापिस घटा दिया गया, तब फिर यह ढब्बूशाही कहाने लगा। ऐसे टके १ मन तांबे में १४,००० के करीब बनते थे।

इन पैसों का वज़न ३१० से ३२० ग्रेन तक (करीब १८ माशे) मिलता है।

इसके बाद वि० सं० १९६३ (ई० स० १९०६) में यहां के पैसे का वज़न करीब १५८ ग्रेन का (या बड़े पैसे से आधा) कर दिया गया और पहले लिखे अनुसार वि० सं० १९७१ (ई० स० १९१४) तक यह हलका पैसा जोधपुर की टकसाल में बनता रहा। परन्तु उसके बाद वि० सं० १९९३ (ई० स० १९३६) तक बंद रहकर अब फिर बनना प्रारम्भ हुआ है।

---

१. इनमें $\frac{१}{२७}$ के स्थान पर $\frac{१}{२५}$ खाद बतलाया जाता है।

२. बाद में यह बहुधा अफ़ीम तोलने के काम में लिया जाता था।

मारवाड़-राज्य के सिक्कों पर मिलनेवाले कुछ लेख।

सुवर्ण के सिक्कों पर के कुछ लेख।

एक तरफ़ —क्वीन विक्टोरिया मलिका मुअज्ज़मा इंग्लिस्तान व हिन्दुस्तान ज़रब दारुल मन्सूर जोधपुर

दूसरी तरफ़—सने जलूस मैमनत मानूस महाराजाधिराज श्री तखतसिंह बहादुर

एक तरफ़ —श्रीमाताजी* (संवत्) १९२६ ज़रब दारुल मनसूर जोधपुर।

दूसरी तरफ़—ब अहदे[1] कुईन शाह हिन्दो फ़रंग ज़ेरो[2] सीमरा[3] सिक्क ज़ेद[4] तख़्तसिंघ

एक तरफ़ —ब ज़मान मुबारिक क्वीन विक्टोरिया मलका मुअज्ज़मा इंग्लिस्तान व हिन्दुस्तान

दूसरी तरफ़—श्रीमाताजी* महाराजाधिराज श्रीजसवन्तसिंघ बहादुर ज़रब जोधपुर

एक तरफ़ —बज़माने मुबारिक एडवर्ड हफ़्तम शाह इंग्लिस्तान एम्परर हिन्दुस्तान

दूसरी तरफ़—श्रीमाताजी* महाराजा श्रीसरदारसिंघ बहादुर ज़रब जोधपुर

एक तरफ़ —बज़माने मुबारिक जार्ज पंचम शाह इंग्लिस्तान एम्परर हिन्दुस्तान

दूसरी तरफ़—श्रीमाताजी* महाराजाधिराज श्री सुमेरसिंघ बहादुर जोधपुर

एक तरफ़ —ब ज़मान मुबारिक एडवर्ड अष्टम शाह इंग्लिस्तान एम्परर हिन्दुस्तान

दूसरी तरफ़—श्रीमाताजी* महाराजाधिराज श्रीउम्मेदसिंह बहादुर ज़रब जोधपुर।

---

* ये चार अक्षर हिन्दी में हैं और बाकी का लेख फ़ारसी अक्षरों में है।

१. राज्य में, २. सोना, ३. चांदी, ४. ठप्पा लगाया।

एक तरफ़ —ब ज़मान मुबारिक जार्ज षष्ठम शाह इंग्लिस्तान एम्परर हिंदुस्तान

दूसरी तरफ़—श्रीमाताजी * (संवत्) १९८९ महाराजाधिराज श्रीउम्मेदसिंघ बहादुर ज़रब जोधपुर

चांदी के सिक्कों पर के कुछ लेख।

एक तरफ़ —सिक्के मुबारिक शाह आलम बादशाह गाज़ी।

दूसरी तरफ़—ज़रब दारुल मनसूर जोधपुर सन् २२ जलूस मैमनत मानूस।

एक तरफ़ —ब ज़मान मुबारिक क्वीन विक्टोरिया मलका मुअज्ज़मा इंग्लिस्तान व हिन्दुस्तान।

दूसरी तरफ़—श्रीमाताजी * महाराजाधिराज श्री तखतसिंघ बहादुर सन् २२ ज़रब जोधपुर।

एक तरफ़ —श्रीमाताजी * (संवत्) १९२६ ज़रब दारुल मनसूर जोधपुर।

दूसरी तरफ़—ब अहदे कुईन शाह हिंदो फरंग।
ज़रो सीमरा सिक्क ज़द् तख़्तसिंघ।

एक तरफ़ —ब ज़माने मुबारिक क्वीन विक्टोरिया मलका मुअज्ज़मा इंग्लिस्तान व हिन्दुस्तान।

दूसरी तरफ़—श्रीमाताजी * महाराजाधिराज श्रीजसवन्तसिंघ बहादुर ज़रब जोधपुर।

एक तरफ़ —ब ज़माने मुबारिक क्वीन विक्टोरिया मलका मुअज्ज़मा इंग्लिस्तान व हिन्दुस्तान।

दूसरी तरफ़—श्रीमाताजी * महाराजाधिराज श्री सरदारसिंघ बहादुर जोधपुर।

---

* ये चार अक्षर हिन्दी में हैं।

१. इसी प्रकार सब सिक्कों पर भिन्न-भिन्न संवत् भी रहता है। नए बादशाह के गद्दी बैठने पर ठप्पे का केवल एक भाग ही बदले जाने के कारण वर्तमान सुवर्ण के सिक्कों पर संवत् १९८९ लिखा मिलता है।

अन्य नगरों की टकसालों में बने सिक्कों पर जोधपुर के स्थान पर उन-उन नगरों के नाम लिखे रहते हैं और किसी-किसी सिक्के पर नगर के नाम के बाद मारवाड़ भी लिखा होता है। सोजत के कुछ सिक्कों पर पहले लिखे अनुसार हिन्दी अक्षरों में 'श्रीमहादेवजी' लिखा मिलता है।

तांबे के सिक्कों पर के कुछ लेख।

एक तरफ़ —सने जलूस मैमनत मानूस ज़रब
दूसरी तरफ़—दारुल मनसूर जोधपुर ११९२

एक तरफ़ —मुहम्मद अकबरशाह बादशाह ग़ाज़ी
दूसरी तरफ़—ज़रब दारुल मनसूर जोधपुर
मैमनत मानूस सने जलूस २२

एक तरफ़ —ब ज़मान मुबारिक क्वीन विक्टोरिया मलका १९४१ (विक्रमी)
दूसरी तरफ़—मोअज़्ज़मा इंगलिस्तान व हिन्दुस्तान ज़रब जोधपुर

एक तरफ़ —ब ज़मान मुबारिक एडवर्ड हफ़्तम[1] शाह इंग्लिस्तान एम्परर हिन्दुस्तान
दूसरी तरफ़—महाराजाधिराज श्रीसरदारसिंघ बहादुर ज़रब जोधपुर पाव आना

एक तरफ़ —ब ज़मान मुबारिक जॉर्ज पंचम शाह इंग्लिस्तान एम्परर हिन्दुस्तान
दूसरी तरफ़—महाराजाधिराज श्रीसुमेरसिंघ बहादुर ज़रब जोधपुर पाव आना

एक तरफ़ —ब ज़मान मुबारिक जार्ज षष्टम शाह इंग्लिस्तान एम्परर हिंदुस्तान
दूसरी तरफ़—(सन्) १९३९ महाराजाधिराज श्रीउम्मेदसिंघ बहादुर ज़रब जोधपुर पाव आना

---

१. इसी प्रकार बादशाह एडवर्ड अष्टम के समय के सिक्कों में हफ्तम के स्थान पर (अष्टम) लिखा गया था। उपर्युक्त लेखों के अलावा इन सिक्कों पर संवत् (या सन्) भी लिखे रहते हैं।

कुचामन का इकतीसंदा।[1]

कुचामन नाम का कसबा (Town) मारवाड़-राज्य के सांभर परगने में है और यहां का जागीरदार मेड़तिया राठोड़ है। वि० सं० १८४६ (ई० स० १७८६) में, शाहआलम (द्वितीय) के ३१ वें राज्य-वर्ष से, अजमेर में चांदी का सिक्का बनाना प्रारम्भ हुआ था। परन्तु कुछ समय बाद दिल्ली की मुगल-बादशाहत के अधिक शिथिल होजाने पर वहां की टकसाल का दारोगा उस सिक्के का ठप्पा (बाला और पाई) लेकर कुचामन चला गया। उन दिनों कुचामन में व्यापार की दशा बहुत अच्छी थी। इसी लिये वि० स० १८६५ (ई० स० १८३८) में वहां के ठाकुर ने महराजा मानसिंहजी से आज्ञा प्राप्त कर अपने यहां चांदी का सिक्का बनाने के लिये एक टकसाल खोल दी। यह रुपया इसी कुचामन की टकसाल में बना होने से 'कुचामनिया' और इसपर शाह आलम द्वितीय का ३१ वां राज्यवर्ष लिखा होने से इकतीसंदा (इकतीस सना) कहाया। परन्तु इसको 'बोपूशाही' और 'बोरसी' रुपया भी कहते थे।

पुराना कुचामनी सिक्का तोल में १६६ ग्रेन (६ माशे ४ रत्ती) होता था और इसमें ६ माशे २ $\frac{3}{4}$ रत्ती चांदी और ३ माशे १ $\frac{1}{4}$ रत्ती तांबा (Alloy) रहता था।[2] नए कुचामनी सिक्के का, जो वि० सं० १९२० (ई० स० १८६३) में छापा गया था, और जिसपर महारानी विक्टोरिया का नाम लिखा गया था, तोल १६८ ग्रेन (६ माशे ५ रत्ती के करीब) था।

बिजैशाही रुपये के समान ही इसके तोल के हिसाब से इसके ठप्पे से अठन्नी, चवन्नी और दो अन्नी भी बनाई जाती थी।

मारवाड़ में इसका बनना बन्द हो जाने और अंगरेज़ी रुपये का प्रचलन हो जाने पर भी इसके सस्ते होने के कारण मारवाड़ के लोग अब तक विवाह आदि में इसे देन-लेन के काम में लाते हैं।

---

१. महाराजा मानसिंहजी के समय कुछ काल तक बूडसू ठाकुर के यहां भी टकसाल रही थी यह ठिकाना मारवाड़ के परबतसर परगने में है और यहां का जागीरदार भी मेड़तिया राठोड़ है। साथ ही बूडसू के रुपये का ठप्पा भी कुचामन के इकतीसंदे रुपये के ठप्पे के समान ही था।

२. कुछ लोग इसमें ७५ प्रतिशत चांदी और २५ प्रतिशत खाद होना बतलाते हैं।

विशेष वक्तव्य ।

इस रुपये पर तलवार का चिह्न बना रहता है । इसपर की इबारत के कुछ नमूने आगे दिए जाते हैं:—

एक तरफ़ —सिक्के मुबारिक शाह आलम बादशाह गाज़ी १२०३ ।
दूसरी तरफ़—सने जलूस ३१ मैमनत मानूस ज़रब दारुल-खैर अजमेर ।

एक तरफ़ —क्वीन विक्टोरिया मलका मोअज़्ज़मा इंगलिस्तान व हिन्दुस्तान[1] ।
दूसरी तरफ़—ज़रब कुचामन इलाके जोधपुर सने ईसवी १८६३ ।

---

१. यह लेख इसपर वि० सं० १६२० (ई० स० १८६३) में लिखा गया था ।

परिशिष्ट–९

राव अमरसिंहजी।

यह जोधपुर-नरेश राजा गजसिंहजी के ज्येष्ठ पुत्र थे और इनका जन्म वि० सं० १६७० की पौष सुदि ११ (ई० स० १६१३ की १२ दिसम्बर) को हुआ[1] था। इनकी प्रकृति में, प्रारम्भ से ही, स्वतन्त्रता की मात्रा अत्यधिक होने से इनके पिता ने इनके छोटे भ्राता जसवन्तसिंहजी को अपना उत्तराधिकारी मनोनीत कर लिया था। इसपर यह जोधपुर-राज्य की आशा छोड़, वि० सं० १६८५ (ई० स० १६२८) में, कुछ चुने हुए राठोड़ सरदारों के साथ, बादशाह शाहजहाँ के पास चले गए। बादशाह ने, इनकी वीर और स्वतन्त्र प्रकृति से प्रसन्न होकर, इन्हें बड़े आदर और मान के साथ अपने पास रख लिया और साथ ही सवारी के लिये एक हाथी भी दिया[2]। इसके बाद यह शाही सेना के साथ रहकर युद्धों में बराबर भाग लेने लगे।

इनकी रणाङ्गण में प्रदर्शित वीरता और निर्भीकता को देखकर, वि० सं० १६८६ की पौष सुदि ९ (ई० स० १६२९ की १४ दिसम्बर) को, बादशाह ने इन्हें दो हजारी ज़ात और १३०० सवारों का मनसब दिया[3]। इसके करीब चार वर्ष बाद वि० सं० १६९१ की पौष वदि ३० (ई० स० १६३४ की १० दिसम्बर) को यह अपने अपूर्व साहस के कारण ढाई-हजारी ज़ात और डेढ़ हज़ार सवारों के मनसब पर पहुँच गए। इसके साथ ही बादशाह ने इन्हें एक हाथी, एक घोड़ा और एक झंडा देकर इनका मान बढ़ाया[4]।

---

१. कहीं कहीं वैशाख सुदि ७ भी लिखा मिलता है (?)

२. बादशाहनामा, भा० १, दौर १, पृ० २२७।

३. बादशाहनामा, भा० १, दौर १, पृ० २९१।

४. बादशाहनामा, भा० १, दौर २ पृ० ६५।

ख्यातों में इनका महाराजा गजसिंहजी के बुलाने पर, वि० सं० १६९१ की पौष वदि ९ को, पहले-पहल लाहौर में बादशाह से मिलना और उसका इन्हें वहीं पर ढाई-हज़ारी ज़ात और डेढ़ हज़ार सवारों का मनसब तथा पाँच परगनों की जागीर देना लिखा है। परन्तु टॉडने इस घटना का वि० सं० १६९० (ई० स० १६३४) में होना माना है।

(देखो, राजस्थान का इतिहास (क्रुक संपादित) भा० २, पृ० ९७६)।

इसके अगले वर्ष यह बुंदेले वीर जूँझारसिंह को दण्ड देने के लिये सैयद खाँजहाँ के साथ रवाना हुए[1]। जब धामुनी के क़िले पर शाही-सेना का अधिकार हो गया, तब यह अपनी सेना के साथ, प्रभात होने की प्रतीक्षा में, बाहर ही ठहर गए। ऐसे समय में इधर-उधर घूमते हुए लुटेरों के हाथ की मशाल से चिनगारी झड़कर क़िले के बारूदखाने में आग लग गई। इससे क़िले की एक बुर्ज के उड़ जाने के कारण बाहर की तरफ़, उसके नीचे खड़ी शाही सेना के ३०० योद्धा दबकर मर गए। इन योद्धाओं में अधिक संख्या अमरसिंहजी के सैनिकों की होने से[2] उस समय इन्होंने, बड़ी दृढ़ता और साहस के साथ अपनी सेना के हताहतों का प्रबन्ध किया और सेना के प्रबन्ध में किसी प्रकार की गड़बड़ न होने दी। इससे प्रसन्न होकर बादशाह शाहजहाँ ने माघ सुदि १२ (ई० स० १६३५ की १६ जनवरी) को इनका मनसब बढ़ाकर तीन हज़ारी ज़ात और डेढ़ हज़ार सवारों का कर दिया[3]।

इसके बाद जब साहू भोंसले ने, निज़ामुलमुल्क के कुटुम्ब के एक बालक को ग्वालियर के क़िले के क़ैदखाने से निकाल कर, बग़ावत का झगडा खड़ा किया, तब स्वयं बादशाह शाहजहाँ सेना लेकर दौलताबाद पहुँचा और वहाँ से उसने भोंसले को दबाने के लिये तीन सेनाएँ रवाना कीं। उनमें खाँदौरां के साथ की सेना के अग्रभाग में अमरसिंहजी की सेना रक्खी गई थी[4]। उक्त उपद्रव के शान्त हो जाने पर, वि० सं० १६६३ (ई० स० १६३७) में, यह दरबार में लौट आए। इस-पर बादशाह ने इन्हें खिलअत, चाँदी के साज़ का घोड़ा और तीन हज़ार ज़ात तथा दो हज़ार सवारों का मनसब देकर इनका सत्कार किया[5]।

अगले वर्ष जिस समय शाहज़ादा शुजा, शाही लश्कर के साथ, कन्धार की तरफ़ भेजा गया, उस समय बादशाह ने अमरसिंहजी को भी खिलअत, रुपहरी ज़ीनका घोड़ा और नक्कारा देकर उसके साथ रवाना किया[6]।

---

१. बादशाहनामा, भा० १, दौर २ पृ० ६६।
२. बादशाहनामा, भा० १, दौर २, पृ० ११०।
३. बादशाहनामा, भा० १ दौर २, पृ० १२४।
४. बादशाहनामा, भा० १, दौर २, पृ० १३६-१३८।
५. बादशाहनामा, भा० १, दौर २, पृ० २४६-२४८।
६. बादशाहनामा, भा० २, पृ० ३७।

वि० सं० १६९५ की ज्येष्ठ सुदि ३ (ई० स० १६३८ की ६ मई) को इनके पिता राजा गजसिंहजी का स्वर्गवास हो गया। उस समय यह शाहज़ादे शुजा के साथ काबुल में थे। इसलिये शाहजहाँ ने इनके पिता की इच्छा के अनुसार इनके छोटे भ्राता जसवन्तसिंहजी को राजा का ख़िताब देकर जोधपुर का अधिकारी नियत कर दिया और अमरसिंहजी को राव की पदवी देकर नागौर का परगना जागीर में दिया। इसी के साथ इनका मनसब भी तीन-हज़ारी ज़ात और तीन हज़ार सवारों का कर दिया[1]। अगले वर्ष के प्रारम्भ (ई० स० १६३९) में बादशाह ने अमरसिंहजी की वीरता से प्रसन्न होकर पहले उन्हें एक सवारी का घोड़ा और फिर एक हाथी उपहार में दिया[2]।

वि० सं० १६९८ (ई० स० १६४१ के मार्च) के प्रारम्भ में बादशाह ने राव अमरसिंजी को शाहज़ादे मुराद के साथ फिर एक बार काबुल की तरफ़ भेजा। इस बार भी इन्हें ख़िलअत, रुपहरी साज का घोड़ा और सवारी का हाथी दिया गया[3]। परन्तु इस घटना के पाँच मास बाद ही राजा बासू के पुत्र जगतसिंह के बाग़ी हो जाने से बादशाह ने राव अमरसिंहजी और शाहज़ादे मुराद को, उसके उपद्रव को शान्त करने के लिये, काबुल से स्यालकोट होते हुए पैठन की तरफ़ जाने की आज्ञा दी[4]। इसके बाद जब जगतसिंह ने, परास्त होकर, शाही अधीनता स्वीकार कर ली, तब क़रीब सात मास के बाद यह शाहज़ादे के साथ, लौटकर बादशाह के पास चले गये[5]।

इसी बीच ईरान के बादशाह ने कंधार-विजय का विचार कर उस पर अधिकार करने के लिये अपनी सेना रवाना की। इसकी सूचना पाते ही बादशाह ने राव अमरसिंजी को, शाहज़ादे दाराशिकोह के साथ रहकर, ईरानी सेना को रोकने की आज्ञा दी। इस अवसर पर इनका मनसब चार-हज़ारी ज़ात और तीन हज़ार सवारों का कर, इन्हें ख़िलअत के साथ ही सुनहरी साज का एक घोड़ा भी दिया[6]। अन्त

१. बादशाहनामा, भा० २, पृ० ६७।
२. बादशाहनामा, भा० २, पृ० १४५।
३. बादशाहनामा, भा० २, पृ० २२८।
४. बादशाहनामा, भा० २, पृ० २४०।
५. बादशाहनामा, भा० २, पृ० २८५।
६. बादशाहनामा भा० २, पृ० २९३-२९४।
(इस मनसब का उल्लेख बादशाहनामा, भा० २, पृ० ७२१ पर भी दिया गया है।)

में शीघ्र ही ईरान के बादशाह के मर जाने से, वि० सं० १६६६ के कार्तिक (ई० स० १६४२ के अक्टोबर) में यह ख़ाँदौराँ नसरतजंग के साथ वापस लौट आए।[1]

इसके कुछ दिन बाद बीमार हो जाने के कारण राव अमरसिंहजी ने दरबार में जाना बन्द कर दिया। परन्तु स्वस्थ होने पर जब यह दरबार में उपस्थित हुए, तब बादशाह के बख़्शी सलाबतख़ाँ ने द्वेषवश[2] इनसे कुछ कड़े शब्द[3] कह दिए। बस फिर क्या था। रावजी की स्वतन्त्र प्रकृति जाग उठी। इससे इन्होंने, बादशाही दरबार का और स्वयं बादशाह की उपस्थिति का कुछ भी विचार न कर, शाही बख़्शी सलाबतख़ाँ के कलेजे में अपना कटार भोंक दिया और इनके इस प्रहार से वह, एक बार छटपटाकर, वहीं ठंडा हो गया।

---

१. बादशाहनामा, भा० २ पृ० ३१०।

२. ऊपर लिखा जा चुका है कि राव अमरसिंहजी को बादशाह की तरफ़ से नागौर का प्रान्त जागीर में मिला था। नागौर और बीकानेर की सरहद मिली होने से एक बार, एक तुच्छसी बात के लिये रावजी और बीकानेर-नरेश कर्णसिंहजी के आदमियों के बीच सरहदी झगड़ा उठ खड़ा हुआ। उस समय रावजी के मनुष्य निःशस्त्र और बीकानेरवाले हथियारों से लैस थे। इससे बीकानेरवालों ने उनमें से बहुतों को मार डाला। जैसे ही इस घटना की सूचना आगरे में अमरसिंहजी को मिली, वैसे ही इन्होंने अपने आदमियों को इसका बदला लेने की आज्ञा लिख भेजी। इसपर बीकानेर-नरेश कर्णसिंहजी ने, दक्षिण से पत्र लिखकर, बादशाही बख्शी सलाबतख़ाँ को अपनी तरफ़ कर लिया। इसलिये उसने शाही अमीन द्वारा झगड़े की जाँच करवाने की आज्ञा निकाल कर रावजी के आदमियों को बीकानेरवालों से बदला लेने से रोक दिया। यही इनके आपस के द्वेष का कारण था।
(देखो—'बादशाहनामा', भा० २ पृ० ३८२)

३. ख्यातों में लिखा है कि सलाबतख़ाँ ने उन्हें गँवार कहकर सम्बोधित किया था। इस विषय का यह दोहा प्रसिद्ध है:—

"उण मुखतै गग्गो कह्यो, इण कर लई कटार।
वार कहण पायो नहीं, जमदढ हो गइ पार॥"

अर्थात्–सबालतख़ाँ ने गँवार कहने के लिये मुँह से 'गँ' शब्द ही निकला था कि राव अमरसिंहजी ने कटार हाथ में ले लिया, और उसके 'वार' कहने के पहले ही रावजी का वह कटार उसके कलेजे के पार हो गया।

बादशाहनामे में इनकी वीरता के विषय में लिखा है:—

'अमरसिंह जैसा जवान, जोकि राजपूतों के ख़ानदानों में अपनी असालत और बहादुरी में मुमताज़ था, और जिसके हक़ में बादशाह गुमान रखता था कि किसी बड़ी लड़ाई में अपने रिश्तेदारों

ख्यातों में लिखा है कि इन्होंने क्रोध के आवेश में, आगे बढ़, बादशाह पर भी तलवार का वार किया था, परन्तु तलवार के तख़्त से टकरा जाने से वह वार खाली गया और इतने में बादशाह भागकर जनाने में घुस गया।

यह देख वहां पर उपस्थित अमीरों में से खलीलउल्लाखाँ और अर्जुन गौड़ ने रावजी पर आक्रमण किया। परन्तु जब वे दोनों इस क्रुद्ध राठोड़ वीर के सामने सफल न हो सके, तब अन्य ६-७ शाही मनसबदारों और गुर्जबरदारों ने, रावजी को घेर कर, इनपर तलवार चलाना शुरू किया। यद्यपि रावजी ने भी निर्भीक होकर इन सब से लोहा लिया, तथापि अभिमन्यु की तरह शाही महारथियों से घिर जाने के

और हमकौमवालों के साथ जान देकर शौहरत हासिल करेगा।"

(देखो–भा० २ पृ० ३८१)

कर्नल टॉडने लिखा है–अमरसिंह अपनी वीरता के लिये विख्यात था। यह अपने पिता के किए हुए दक्षिण के युद्धों में हमेशा सब से आगे रहा करता था।"

(देखो–राजस्थान का इतिहास, भा० २ पृ० ६७५)

१. कर्नल टॉडने अपने राजस्थान के इतिहास में लिखा है—

"एक बार राव अमरसिंहजी (बिना शाही आज्ञा प्राप्त किए ही) शिकार को चले गए और इसी से यह पन्द्रह दिनों तक शाही दरबार में अनुपस्थित रहे। इसके बाद जब यह लौटे, तब बादशाह ने इन्हें, इनके इस प्रकार गैरहाज़िर रहने के कारण, जुर्माने की धमकी दी। परन्तु इसके उत्तर में इन्होंने निर्भीकता से अपने शिकार में चले जाने का उल्लेख कर, जुर्माना देने से साफ़ इनकार कर दिया और साथ ही अपनी तलवार पर हाथ रखकर उसे ही अपना सर्वस्व बतलाया। इससे बादशाह क्रुद्ध हो गया और उसने शाही बख्शी को इनके स्थान पर जाकर जुर्माना वसूल करने की आज्ञा दी। इसी के अनुसार जब उसने वहां पहुँच कर इनसे शाही आज्ञा का पालन करने को कहा, तब इन्होंने वैसा करने से साफ़ इनकार कर दिया। इससे शाही बख्शी सलाबतखाँ और अमरसिंहजी के बीच झगड़ा हो गया। इसके बाद बख्शी के शिकायत करने पर बादशाह ने इन्हें तत्काल ही दरबार में उपस्थित होने की आज्ञा दी। परन्तु जिस समय यह दरबार में पहुँचे, उस समय इन्होंने बादशाह को गुस्से में बैठे और बख्शी को अपनी शिकायत करते पाया। यह देख इनका क्रोध भड़क उठा और इन्होंने आगे बढ़ सलाबतखाँ पर कटार का वार कर दिया। इसके बाद इन्होंने तलवार का एक वार बादशाह पर भी किया था, परन्तु जल्दी में इनकी तलवार खम्भे से टकरा कर टूट गई और बादशाह तख्त छोड़ कर ज़नाने में भाग गया।"

(देखो–राजस्थान का इतिहास (क्रुक संपादित), भा० २, पृ० ९७६-९७७)

२. कर्नल टॉडने इसको रावजी का साला लिखा है।

(देखो–राजस्थान का इतिहास, भा० २, पृ० ९७७)

कारण अन्तमें यह वीर-गति को प्राप्त हो गए[1]। यह घटना वि० सं० १७०१ की सावन सुदि २ (ई० स० १६४४ की २५ जुलाई) की है[2]। इसकी सूचना पाते ही क़िले में उपस्थित रावजी के पन्द्रह राजपूत वीरों ने शाही पुरुषों पर हमला कर दिया, और कुछ ही देर के युद्ध में वे भी दो शाही अफ़सरों और ६ गुर्जबरदारों को आहत कर रावजी का अनुसरण कर गए। जब यह संवाद रावजी के डेरे पर पहुँच कर आस-पास के लोगों को ज्ञात हुआ, तब चाँपावत बल्लू और राठोड़ बिहारसिंह[3] आदि ने, राव अमरसिंहजी के बचे हुए आदमियों से मिल कर, अर्जुन गौड़ को मार डालने का इरादा किया। परन्तु इस विचार को कार्य में परिणत करने के पूर्व ही बादशाही सेना ने उन लोगों को घेर लिया। इस प्रकार शाही फ़ौज से घिर जाने पर वे भी निर्भीकता के साथ उससे भिड़ गए और अन्त में अनेक शाही सेना-नायकों को मारकर वीर-गति को प्राप्त हुए[4]।

---

१. बादशाहनामा भा० २, पृ० ३८०-३८१।

वि० सं० १६६५ के ताम्रपत्र से ज्ञात होता है कि राव अमरसिंहजी ने इसी वर्ष फ़ीरोज़पुर नाम का (कुचेरे परगने का) गांव एक चारण को दान दिया था।

आगरे में यमुना के किनारे पर रावजी का अन्त्येष्टि-संस्कार किया गया था। इनकी दो रानियाँ तो वहीं पर इनके साथ सती हुईं और तीन बाद में नागौर में और एक उदयपुर में सती हुई। रावजी पर और इनके वंशजों पर जो छतरियाँ बनाई गई थीं, वे अब तक नागौर में विद्यमान हैं।

कहीं-कहीं रावजी की लाश का यमुना में बहा दिया जाना भी लिखा है। कर्नल टॉडने अपने राजस्थान के इतिहास में अमरसिंह की हाडी रानी का स्वयं आकर क़िले से अपने पति की लाश ले जाना और उसके साथ सती होना लिखा है।

(देखो भा० २, पृ० ६७८)

२. बादशाहनामे में इस घटना का हि० स० १०५४ सल्ख (चाँदरात) जमादि उल-अव्वल 'पंजशंबा' (गुरुवार) को होना लिखा है।

(देखो, भा० २, पृ० ३८०).

३. ये दोनों पहले रावजी के पिता की और फिर स्वयं रावजी की सेवा में रह चुके थे। परन्तु इस समय ये बादशाही नौकरी में थे। मारवाड़ की तवारीख़ों में बिहारसिंह के स्थान पर भावसिंह कूँपावत का नाम लिखा मिलता है। यह शायद नाहडसर का पुराना जागीरदार था। कर्नल टॉडने भी चाँपावत बल्लू और कूंपावत भाऊका केसर से रंगे वस्त्र पहन कर आगरे के लाल क़िले में मार-काट मचाना और वहीं पर वीर-गति को प्राप्त होना लिखा है।

(देखो—राजस्थान का इतिहास, भा० २, पृ० ६७७-६७८)

४. बादशाहनामा, भा० २ पृ० ३८३-३८४।

राव अमरसिंहजी के दो पुत्र थे । रायसिंह[1] और ईश्वरीसिंह[2] ।

कर्नल टॉड ने अपने राजस्थान के इतिहास में लिखा है कि "आगरे के क़िले के जिस द्वार से घुसकर अमरसिंह के योद्धाओं ने अपने स्वामी का बदला लेने में प्राण दिए थे, वह 'बुखारा दरवाज़ा' उसी दिन से बन्द कर दिया गया था[3] ।"

इस घटना के कुछ मास बाद बादशाह ने स्वर्गवासी राव अमरसिंहजी के पुत्र रायसिंह को एक हज़ारी ज़ात और सात सौ सवारों का मनसब दिया[4] । इसके बाद रायसिंह शाही दरबार में बराबर तरक्की करता रहा, और वि० सं० १७१५ (ई० स० १६५९) में जब औरंगज़ेब ने खजवा के निकट शुजा को हराकर भगा दिया, तब कुछ समय बाद उसने महाराजा जसवन्तसिंहजी से बदला लेने के लिये इसी रायसिंह को चार-हज़ारी ज़ात, चार हज़ार सवारों का मनसब, राजा का ख़िताब और जोधपुर का राज्य लिख दिया था[5] । परन्तु महाराजा जसवन्तसिंहजी के प्रभाव के आगे यह कार्य पूर्ण न हो सका । वि० सं० १७३३ में रायसिंह की मृत्यु हो गई । इसलिये बादशाह औरंगज़ेब ने इसके पुत्र इन्द्रसिंह[6] को अपना मनसबदार बना लिया । इसके बाद, वि० सं०

---

१. इसका जन्म वि० सं० १६६० की आश्विन सुदि १० को हुआ था ।

२. इसका जन्म वि० सं० १६६८ की द्वितीय ज्येष्ठ वदि १३ को हुआ था ।

३. उसके बाद यह दरवाज़ा पहले-पहल, वि० सं० १८६६ (ई० स० १८०९) में, कैप्टिन स्टील द्वारा खोला गया था । वहीं पर फुट नोट में कर्नल टॉड ने लिखा है कि स्वयं कैप्टिन स्टील ने उनसे कहा था कि, जिस समय उक्त द्वार फिर से खोला जाने लगा, उस समय वहाँ के निवासियों ने उस से कहा कि यह द्वार जब से बन्द किया गया है, तभी से इसमें एक बड़ा अजगर निवास करता है । इसलिये सम्भव है कि इसके खोलने से खोलने वाले पर कुछ संकट आ पड़े । इसके बाद वास्तव में जब दरवाज़े के खोलने का कार्य समाप्ति पर आया, तब उसमें से एक भयंकर अजगर निकल कर कैप्टिन स्टील के पैरों की तरफ़ झपटा । परन्तु भाग्यवश वह भागकर मृत्यु-मुख से बच गया । (टॉड्स ऐनाल्स ऐण्ड ऐण्टिक्विटीज़ ऑफ़ राजस्थान (क्रुक संपादित), भा० २, पृ० ९७८-९७९)

आगरे के क़िले का यही दक्खनी द्वार आजकल अमरसिंह के दरवाज़े के नाम से प्रसिद्ध है ।

४. बादशाहनामा, भाग २, पृ० ४०३ ।

वि० सं० १७०५ (६) के रायसिंहजी के ताम्रपत्र से ज्ञात होता है कि इन्होंने और इनके भाई ईश्वरीसिंह ने ईदोखली नामक (रूण परगने का) एक गांव चारण को दान दिया था ।

५. आलमगीरनामा, पृ० २८८ ।

६. इसका जन्म वि० सं० १७०७ की ज्येष्ठ सुदि १२ को हुआ था ।

१७३५ (ई० स० १६७८) में, जब महाराजा जसवन्तसिंहजी का स्वर्गवास हो गया, तब कुछ काल बाद एक बार फिर बादशाह ने, महाराज के साथ के पुराने वैर को यादकर, इन्द्रसिंह को 'राजा' के खिताब के साथ जोधपुर का शासन-भार सौंप दिया। परन्तु इस बार भी स्वर्गवासी महाराज के स्वामि-भक्त सरदारों के आगे इन दोनों की एक न चली।

इन्द्रसिंह का मनसब शायद पाँच हजारी ज़ात और दो हज़ार सवारों तक पहुँचा था।

इसके बाद वि० सं० १७७३ (ई० स० १७१६) में महाराजा अजितसिंहजी ने इन्द्रसिंह से नागौर छीन लिया, लेकिन वि० सं० १७८० (ई० स० १७२३) में बादशाह मोहम्मदशाह ने महाराज से नाराज होकर नागौर का अधिकार फिर उसे लौटा दिया। अन्त में वि० सं० १७८२ (ई० स० १७२६ के मार्च) में, महाराजा अभयसिंहजी ने उक्त नगर पर अन्तिम बार अधिकार कर वह प्रान्त अपने छोटे भ्राता राजाधिराज बख़तसिंहजी को दे दिया।

वि० सं० १७८९ (ई० स० १७३२) में जिस समय दिल्ली में इन्द्रसिंह का देहान्त हुआ, उस समय बादशाह की तरफ़ से सिरसा, भटनेर, पूनिया और बेहणीवाल के परगने उसकी जागीर में थे[2]।

---

१. मआसिरे आलमगीरी, पृ० १७५-१७६।

२. ये बातें नागौर के शासक बख़तसिंहजी के मंत्री-द्वारा, वि० सं० १७८६ की कार्त्तिक वदि १२ को नागौर से लिखे, महाराजा अभयसिंहजी के शाही दरबार में रहनेवाले वकील के नाम के, पत्र से प्रकट होती हैं।

परिशिष्ट–१०.

मारवाड़–नरेशों की तरफ़ से विभिन्न युद्धों में लड़कर मारे गए कुछ वीरों के नाम[1]।

११. राव चूंडाजी।

वि० सं० १४८० (ई० स० १४२३) में, नागोर के, भाटियों, सांखलों और मुसलमानों के साथ के सम्मिलित युद्ध में मारे गए रावजी के कुछ वीरों के नामः—

पूना–गहलोत (दौला का पुत्र), हडभू-सोढा, बालू-ऊहड़।

१५. राव जोधाजी।

वि० सं० १४९५ (ई० स० १४३८) में, मेवाड़वालों के साथ के, चीतरोड़ी के युद्ध में मारे गए राव जोधाजी के कुछ योद्धाओं के नाम:—

चरड़ा-राठोड़ (अड़कमाल का पुत्र और राव चूंडाजी का पौत्र), चांदराव-राठोड़ (चरड़ा का भाई), पूना-राठोड़ (राव चूंडाजी का पुत्र), शिवराज-राठोड़ (राव चूंडाजी का पुत्र), राणा पृथ्वीराज-ईंदा (राजसिंह का पुत्र और उगमसिंह का पौत्र)।

उपर्युक्त युद्ध के बाद कपासण के युद्ध में मारे गए राव जोधाजी के कुछ वीरों के नाम:—

मांडण-ऊहड़ राठोड़, विजा-राठोड़ (रावल मल्लिनाथजी का पौत्र), कूंपा-राठोड़ (चाहडदेवोत), पाता-राठोड़।

---

(१) कई ख्यातों में इन युद्धों में मारे गए योद्धाओं के नामों में कुछ भिन्नता भी पाई जाती है। उस समय मारवाड़ के नरेश अपनी निजी वेतन-भोगी सेना न रखकर अपने कुटुम्बियों, सम्बन्धियों और सेवकों को युद्ध के समय, अपने योद्धाओं को लेकर, सेवा में उपस्थित होने के लिये, जागीरें दिया करते थे और युद्धों में उनमें से बहुतों के मारे जाने पर भी कुछ चुने हुए लोगों के नाम ख्यातों में लिख लिए जाते थे। इसीसे इन नामों में भिन्नता मिलती है। ऐसी दशा में इस सूची को हम पूरी नहीं कह सकते।

इस सूची को पूरी तौर से तैयार करने के लिये तारीख १२ और १९ अगस्त १९३९ के जोधपुर-गवर्नमैन्ट गज़ट में सूचना भी प्रकाशित की गई थी। परन्तु लोगों ने उस पर विशेष ध्यान नहीं दिया।

ख़ास-ख़ास वीरों के नाम इतिहास में यथास्थान भी दिए गए हैं।

अनुक्रमणिका में इस सूची के पृष्ठों का समावेश नहीं हो सका है।

वि० सं० १५१० (ई० स० १४५३) में, चौकड़ी के, सीसोदियों के साथ के युद्ध में मारे गए राव जोधाजी के कुछ वीरों के नामः—

वैरसलजी-राठोड़, भैरोजी-राठोड़ ।

इसके बाद मंडोर पर अधिकार करते समय मारे गए राव जोधाजी के कुछ योद्धाओं के नामः—

दामा-राठोड़ (रायपालोत), माला, सोडा-गूजर ।

१६. राव सातलजी ।

वि० सं० १५४८ (ई० स० १४९१) में, कोसाने के पास, मल्लूखाँ के साथ के युद्ध में मारे गए राव सातलजी के कुछ वीरों के नामः -

देवीसिंह-ऊहड़, जवानसिंह-खीची, भैरूंदास-खीची ।

१८. राव गांगाजी ।

वि० सं० १५८५ (ई० स० १५२९) में, सेवकी के, शेखा और ख़ाँ ज़ादे दौलतख़ाँ के साथ के युद्ध में मारे गए राव गांगाजी के कुछ वीरों के नामः—

किशनसिंह-चांपावत, अमरा-मंडलावत ।

वि० सं० १५८८ (ई० स० १५३१) में, वीरमजी के साथ के, सोजत के युद्ध में मारे गए राव गांगाजी के कुछ योद्धाओं के नामः—

वैणा-राठोड़, सहसा राठोड़ ।

१९. राव मालदेवजी ।

वि० सं० १५९८ (ई० स० १५४१) में, राव जैतसीजी पर के, सूवा के आक्रमण में मारे गए राव मालदेवजी के कुछ वीरों के नामः—

रायमल-राठोड़, जगतमाल-राठोड़ ।

वि० सं० १६०० (ई० स० १५४३) में, गिररी के पास के, शेरशाह के साथ के युद्ध में मारे गए राव मालदेवजी के कुछ वीरों के नामः—

जैता-राठोड़ (बगड़ी), कूंपा-राठोड़ (मेहराजोत), वैरसी-राठोड़, जैमल-राठोड़ (बीदावत), खींवकरण-ऊदावत राठोड़, जैतसी ऊदावत, पंचायण-करम-

सोत राठोड, सुरतांण-राठोड़, बीदा-बाला राठोड़ (भारमलोत), रायमल-राठोड़ (अखैराजोत), भवानीदास-राठोड़, हम्मीर-राठोड़ (सीहावत), भोजा-राठोड़ (पंचायणोत), हरपाल-राठोड़, उदैसिंह-जैतावत, भदा-पंचायणोत, जोगा-रावलोत, भारमल-बालावत, पता-कान्हावत (अखैराजोत), कल्याण-भींवोत, भानीदास-रावलोत, हरदास (खंगारोत), नींबा-अणदोत, पंचायण-भाटी (जोधावत), गांगा भाटी (वरजांगोत), महेश-भाटी (अचलावत), कल्याण-भाटी (आपमलोत), नींबा-भाटी (पातावत), सूरा-भाटी (पर्वतोत), हम्मीर-भाटी (लाखावत), माधोदास-भाटी (राघोदासोत), वीरा-ऊहड़ (लाखावत), सुरजन-ऊहड़, अखैराज-सोनगरा, भोजराज-सोनगरा, बीजा-सोनगरा (अखैराजोत), नाथा-सोढा (देदावत), डूंगरसी-सांखला (दामावत), धनराज-सांखला (दामावत), हेमा-मांगलिया (नरावत), किशना-चारण, भाना-दधवाड़िया, अल्ला-दादखाँ-पठान ।

वि० सं० १६०१ (ई० स० १५४४) में, शेरशाह के, जोधपुर के क़िले परके, आक्रमण में मारे गए राव मालदेवजी के कुछ वीरों के नामः—

शंकर-ऊदावत (जैतसीहोत), अचला—राठोड़ (शिवराजोत), तिलोकसी-राठोड़ (वरजांगोत), राणा-राठोड़ (वीरमोत), सिंघण-राठोड़ (खेतसीहोत), पता-चरड़ा राठोड़ (दुर्जनसालोत), जैतमाल-भाटी, शंकर-भाटी (सूरावत), माला-जैसा भाटी, भोजा-भाटी (जोधावत), बीजा-भाटी (जोधावत), नाथू-भाटी (मालावत), भैरव-सोहड़, शेखा-ईंदा (धनराजोत), भीखू-नायक, नाथा-नायक ।

वि० सं० १६०३ (ई० स० १५४६) में, भांगेसर (पाली) के, शाही थाने पर आक्रमण करते समय मारे गए राव मालदेवजी के कुछ योद्धाओं के नामः—

ऊंगा-राठोड़ (वरसिंहोत), मेहा-राठोड़ (जगन्नाथोत), जैसा-चांपावत, अभियड़-पाता (भींवोत), किशना-भाटी (रामावत), तेजसी-भाटी (वणवीरोत), वीसा-भाटी (वणवीरोत)

वि० सं० १६१० (ई० स० १५५३) में, जैमलजी के साथ के, मेड़ते के युद्ध में मारे गए राव मालदेवजी के कुछ योद्धाओं के नाम:—

पृथ्वीराज-राठोड़ (जैतावत), जगमाल-राठोड़ (उदैकरणोत), धनराज-राठोड़ (भारमलोत), सूजा-राठोड़ (तेजसिंहोत), राघवदेव-ऊदावत (वैरसलोत), नगा-बाला (भारमलोत), रामा-चांपावत (भैरूंदासोत), पृथ्वीराज-ऊहड़ (जोगावत), डूंगरसी-सींधल, रामा-पीपाड़ा, हींगोला-पीपाड़ा, सादूल-चौहान, अभा-पंचोली (झँझावत), रतना-पंचोली, मेघा-चाकर।

वि० सं० १६१८ (ई० स० १५६१) में, बादशाह अकबर के सेनापति मिरज़ा शरफुद्दीन के साथ के, मेड़ते के युद्ध में मारे गए राव मालदेवजी के कुछ वीरों के नाम:-

तेजसी-राठोड़ (उरजणोत), देवीदास-राठोड़ (जैतावत), भाखरसी-राठोड़ (जैतावत), महेश-राठोड़ (घड़सीहोत), राजसिंह-राठोड़ (घड़सीहोत), ईशरदास-राठोड़ (घड़सीहोत), महेश-राठोड़ (पंचायणोत), सहसा-राठोड़ (अर्जुनोत), पूरणमल-राठोड़ (जैतावत), ईशरदास-राठोड़ (राणावत), गोविंद-राठोड़ (राणावत), पता-राठोड़ (कूंपावत), अमरा-राठोड़ (रामावत), सहसा-राठोड़ (रामावत), नेतसी-राठोड़ (सीहावत), जैमल-राठोड़ (पंचायणोत), भांण-राठोड़ (भोजराजोत), रामा-राठोड़ (भैरूंदासोत), जैमल-राठोड़ (तेजसीहोत), अचला-राठोड़ (भांणोत), सांगा-राठोड़ (रणधीरोत), भांण-राठोड़ (भोजराजोत), राणा-राठोड़, पृथ्वीराज-राठोड़ (सिघणोत), हंमीर-दूदावत, भीम-बाला (दूदावत). अखैराज-राठोड़ (जगमालोत), जगमाल-राठोड़ (वीरमदेओत), अमरा-राठोड़ (आसावत), भाकरसी-राठोड़ (डूंगसीहोत), रणधीर-राठोड़ (रायमलोत), भाखरसी-राठोड़ (जैतावत), पीथा-भाटी (अणदोत), प्रयाग-भाटी (भारमलोत), तिलोकसी-भाटी (परबतोत), देदा-मांगलिया, वीरम-मांगलिया (देदावत), तेजसी-सांखला (भोजावत), वीरम-चौहान (दूदावत), जालप-बारठ, जीवा-बारठ, चेला-बारठ, मेवा-बीठू, भानीदास-सुथार, हमज़ा-तुरक।

२०. राव चन्द्रसेनजी।

वि० सं० १६२२ (ई० स० १५६५) में, जोधपुर पर के आक्रमण के समय, सम्राट् अकबर के सेनापति हुसैनकुलीबेग के साथ के युद्ध में मारे गए राव चन्द्रसेनजी के कुछ वीरों के नाम:—

किशनदास-राठोड़ (दुर्जनसालोत), वैरसल-पातावत, बिजा-राठोड़ (वीरमोत), सूरा-राठोड़ (गांगावत), राणा-ऊदावत (वीरमदेओत), गांगा-भाटी (नींबावत), जैमल-भाटी (आसावत), आसा-भाटी (जोधावत), जोगा-भाटी (आसावत), वणवीर-ईंदा, रासा-ईंदा (जोगावत), सूजा-ईंदा (वरजांगोत) ।

वि० सं० १६३६ (ई० स० १५७९) में, सरवाड़ के, बादशाही थाने पर अधिकार करते समय मारे गए राव चन्द्रसेनजी के कुछ वीरों के नाम:—

सांगा-राठोड़ (उरजनोत), करमसी-राठोड़ (मालावत), केशोदास-राठोड़ (जोगावत), जसवन्त-राठोड़ (जोगावत), रायसिंह-चांपावत (भानीदासोत), डूंगरसी-मालावत, जैमल-ऊहड़ (नेतसीहोत), जैतमाल-ऊहड़ (जैमलोत), भगवानदास-भाटी (वीरमदेओत), सुरतांण-भाटी (दूदावत), अचला-मुंहणोत (सूजावत), बैणा-ईंदा, दूदा-सांखला ।

२१. राव रायसिंहजी।

वि० सं० १६४० (ई० स० १५८३) में, सिरोही के राव सुरतान के, दताणी के नैश आक्रमण में मारे गए रावजी के कुछ वीरों के नाम:—

पूरणमल-राठोड़ (मांडणोत), लूणकरण-राठोड़ (सुरताणोत), केशोदास-राठोड़ (कलावत), गोपाल-राठोड़ (बीदावत), सादूल-राठोड़ (महेशोत), ऊदा-राठोड़, रतनसी-भाटी (आसावत), कान्हा-भाटी (अभावत), गोपाल-मांगलिया (भोजावत), जैमल-मांगलिया, किसना-मांगलिया, राजसी-मांगलिया (राघावत), शेखा-चौहान, बाला (सेलोत), खेतसी-धांधल, किशना-आसायच (गोपालदासोत), गोरा-पड़िहार (राघावत), खेता-ईंदा, देवा-भंडारी (ऊदावत), भांण-पंचोली (अभावत) ईसर-बारठ, रामा-खवास ।

२२. राजा उदयसिंहजी।

वि० सं० १६४० (ई० स० १५८४) में, मुजफ्फ़र के साथ के, राजपीपला के युद्ध में मारे गए राजा उदयसिंहजी के कुछ योद्धाओं के नामः—

गोपालदास-भाटी (रांणावत), सादूल-भाटी (मानावत)।

वि० सं० १६४५ (ई० स० १५८८) में, राव कल्ला के साथ के, सिवाने के युद्ध में मारे गए राजा उदयसिंहजी के कुछ वीरों के नामः—

राणा-राठोड़ (मालावत), जगमाल-राठोड़ (बीदावत), जैसा-राठोड़ (जगमालोत), कला-चांपावत, कला-रूपावत (वैरसलोत), ईशरदास-पातावत (नेतसीहोत), कान्हा-पीपाड़ा (दुर्जनसालोत), कला-देवड़ा (महराजोत)।

२३. सवाई राजा शूरसिंहजी।

वि० सं० १६५९ (ई० स० १६०२) में, अमरचंपू के साथ के, दक्षिण के युद्ध में मारे गए सवाई राजा शूरसिंहजी के कुछ वीरों के नामः—

भांण-राठोड़, (बेठवासिया), वैरसी-जैसा भाटी (रायमलोत)।

वि० सं० १६६२ (ई० स० १६०५) में, मांडवी (गुजरात) के, कोलियों के साथ के युद्ध में मारे गए सवाई राजा शूरसिंहजी के कुछ वीरों के नामः—

हरीसिंह-मेड़तिया (चांदावत), गोपालदास-राठोड़ (मांडणोत), जैसिंह-राठोड़ (करमसीहोत), गोपालदास-राठोड़ (ईडरिया), ईशरदास-राठोड़ (नींबावत), जसवंत-राठोड़ (कलावत) (जाडण), रायसिंह-राठोड़ (ईशरदासोत), किशनसिंह-राठोड़ (मेहाजलोत), तिलोकसी-राठोड़ (महेशोत), माधोदास-राठोड़ (गोपालदासोत), कचरा-राठोड़ (शिवराजोत), सूरजमल-चांपावत (जैमलोत), रामदास-चांपावत, भोपत-राठोड़ (राणावत), सांवलदास-जोधा (राणावत), ठाकुरसी-साहानी (रामदासोत), पांचा-साहनी (नंदावत), माधोदास-मांगलिया (सादूलोत), रायसिंह-भाटी (जसावत), भांण-भाटी (कलावत), कुंभा-चौहान (गोइन्दोत), भोपत-मुहता (मानसिंहोत)।

वि० सं० १६७२ (ई० स० १६१५) में, अजमेर के पास, किशनगढ़-नरेश किशनसिंहजी के साथ के युद्ध में मारे गए सवाई राजा शूरसिंहजी के कुछ योद्धाओं के नामः—

केशवदास-राठोड़ (सांवलदासोत), गोविंददास-राठोड़ (रांणावत), तिलोकसी-राठोड़ (सूजावत), भोपत-राठोड़ (कलावत), पृथ्वीराज-भाटी (करणोत), गोविन्ददास-भाटी (जसावत), भदा-भाटी (नारायणदासोत), गोविन्ददास-भाटी (मानावत), सूजा-भाटी (भैरवदासोत), कला-भाटी (कान्होत), कुंभा-भाटी (पतावत), मांना भाटी (गोविंददासोत), पता-हुल (भदावत), केशा-पंवार, केशवदास-सांखला, नरहर-चारण (प्रयागोत), साजण-चारण (सीवावत), मेघा-गौड़ (धायभाई)।

२४. राजा गजसिंहजी।

वि० सं० १६८५ (ई० स० १६२८) में, (फ़तैपुर-सीकरी के निकट के) सीसोदरी के क़िले पर अधिकार करते समय, मारे गए राजा गजसिंहजी के कुछ वीरों के नामः—

भगवानदास-राठोड़ (बाघोत), गोकलदास-राठोड़ (बिशनदासोत), शामसिंह-राठोड़ (जसवन्तोत), नरहरदास-राठोड़ (कलावत), बलू-राठोड़, (मेघराजोत), किशनसिंह-राठोड़ (किशोरदासोत), साहबख़ाँ-राठोड़ (केशवदासोत), कान्हदास-राठोड़ (माधोदासोत), जगन्नाथ-राठोड़ (खेतसीहोत), सुंदरदास-राठोड़ (नारायणदासोत), नरहरदास-राठोड़ (भानीदासोत), आसकरण-राठोड़ (नींबावत), दयालदास-राठोड़ (कल्याणदासोत), महेशदास-राठोड़ (मोहनदासोत), भगवानदास-राठोड़ (सुरताणोत), बलू-भींवोत, गोयंद-खीची (रामदासोत), तोडर-पंचोली (गोरावत)।

२५. महाराजा जसवन्तसिंहजी (प्रथम)।

वि० सं० १७१५ (ई० स० १६५८) में, शाहज़ादे औरंगज़ेब और मुराद के साथ के, धर्मत के युद्ध में मारे गए महाराजा जसवन्तसिंहजी के कुछ वीरों के नामः—

बिट्ठलदास-चांपावत (गोपालदासोत), गिरधरदास-चांपावत (मनोहरदासोत), कीरतसिंह-चांपावत (मानसिंहोत), दयालदास-चांपावत (सूरजमलोत),

द्वारकादास-चांपावत (बलूत्रोत), भीम-चांपावत (बिट्ठलदासोत), बीजा-चांपावत, (हरिदासोत), नरसिंहदास-चांपावत (अमरदासोत), लिखमीदास-चांपावत (जोगीदासोत), रामचंद-चांपावत (नरहरदासोत), पता-चांपावत (खानावत), भोजराज-चांपावत, वैणीदास-चांपावत (राजसिंहोत), डूंगरसी-चांपावत, रामदास-चांपावत, किशनसिंह-चांपावत (खेतसीहोत), भावसिंह-कूंपावत (केशोदासोत), गोरधन-कूंपावत, कल्याणदास-कूंपावत (वैरसलोत), खेतसी-कूंपावत (बलूत्रोत), लाडखाँ-कूंपावत (जैसिंहदेओत), द्वारकादास-कूंपावत (लाडखाँनोत), अमरा-कूंपावत (हरिदासोत), दयालदास-कूंपावत (सूरजमलोत), सुजानसिंह-कूंपावत (केशवदासोत), बलराम-ऊदावत (दयालदासोत), वेणीदास-ऊदावत (दयालदासोत), वीरमदेव-ऊदावत (मुकुन्ददासोत), सूरदास-ऊदावत (वेणीदासोत), देवीदास-ऊदावत (सूरदासोत), आसकरण-ऊदावत (बलरामोत), कुंभकरण-ऊदावत (बलरामोत), जुगराज-जैतावत (कुंभकरणोत), करणसिंह-जैतावत (सुजानसिंहोत), उदैभांण-जैतावत (भगवानदासोत), कानसिंह-जैतावत (गोयंददासोत), साहब खाँ-जैतावत (कुंभकरणोत), गोरधन-जैतावत (लाडखाँनोत), पृथ्वीराज-करमसोत (दलपतोत), जैतसिंह-करमसोत (मुकुन्ददासोत), गिरधरदास-करमसोत (माधोदासोत), गोरधन-करमसोत (माधोदासोत), इन्द्रभांण-करमसोत (सबलसिंहोत), सबलसिंह-मेड़तिया (उदैसिंहोत), गरीबदास-मेड़तिया (सुजाणसिंहोत), गोपीनाथ-मेड़तिया (गोकलदासोत), कल्याणदास-मेड़तिया (मोहनदासोत), प्रतापसिंह-जोधा (करमसीहोत), ईशरदास-जोधा (महासिंहोत), गोपीनाथ-जोधा (केशवदासोत), भीम-जोधा (जगन्नाथोत), रतनसिंह-जोधा (गोयंददासोत), वीरमदे-जोधा (मोहनसिंहोत), जगतसिंह-जोधा (देवीदासोत), मेघराज-ऊहड़ (उरजणोत), नारायणदास-ऊहड़ (गोयंददासोत), जगन्नाथ-पातावत (चांदोत), भगवानदास-पातावत (मांडणोत), भगवानदास-पातावत (छगनोत), तोगा-पातावत (रामदासोत), सबलसिंह-रूपावत (आसकरणोत), जसा-भीमोत राठोड़ (रायमलोत), लाधा-भीमोत (लक्ष्मीदासोत), अमरसिंह-भीमोत (सूजावत), रूपसिंह-

भीमोत, सुरतांण-भीमोत, दुरजणसल-कलावत राठोड़ (गोयंददासोत), अमरसिंह-कलावत (सूजावत), सुजाणसिंह-कलावत, गोयंददास-कलावत (मानावत), पूरणमल-कलावत (जसावत), दुरगादास-भाटी, रत्नसिंह-भाटी (लाडखाँनोत), माधोदास-भाटी (केशवदासोत), उदैसिंह-भाटी (माधोदासोत), महेशदास-भाटी (अचलदासोत), केसरीसिंह-भाटी (अचलदासोत), बिशनसिंह-भाटी (रामचंद्रोत), सबलसिंह-भाटी (बलूओत), दयालदास-भाटी (लक्ष्मीदासोत), जैतमाल-भाटी (जगन्नाथोत), गोकलदास-भाटी (शंकरदासोत), कुंभा-भाटी (सुरताणोत), नरसिंहदास-भाटी (भाणोत), मानसिंह-भाटी (गोपालदासोत), भांण-भाटी (मनोहरदासोत), भगवानदास-भाटी (रायमलोत), राजसिंह-भाटी (लाखावत), रतनसिंह-भाटी (भीमोत), सुजानसिंह-भाटी (सुंदरदासोत), रामचन्द्र-भाटी (सादूलोत), लिखमीदास-भाटी (ईशरोत), माधोदास-सोनगरा (केशवदासोत), गोकलदास-सोनगरा (भाखरसीहोत), गोयंददास-चौहान (रामसिंहोत), नरसिंहदास-चौहान (लक्ष्मीदासोत), जैतसी-चौहान (सहसमलोत), राघोदास-चौहान (सादूलोत), रामदास-चौहान, दयालदास-चौहान (लक्ष्मीदासोत), किशनदास-चौहान (दयालदासोत), मना-ईंदा (हरगुणसोत), दयालदास-ईंदा (जगन्नाथोत), नाथूसिंह-ईंदा (जैतावत), चांदसिंह-ईंदा (अचलावत), सारंग-ईंदा (नरहरदासोत), जसवंतसिंह-धांधल (ईशरदासोत), किशना-धांधल (नारायणोत), सारंग-धांधल (हींगोलावत), जगमाल-डूंगरोत राठोड़ (सबलसिंहोत), गोवर्धनदास-डूंगरोत (भगवानदासोत), बिहारीदास-डूंगरोत (केशोदासोत), महेश-डूंगरोत (नाहरखाँनोत), जोगा-डूंगरोत (वरसिंहोत), जैतमाल-राठोड़ (सहसमलोत), राघा-पड़िहार (केशावत), सादा-पड़िहार (भीमावत), मनोहरदास-महेचा (केशोदासोत), अमरा-पीपाड़ा (सादूलोत), जोगीदास-खीची (कलावत), दलपत-पुरोहित (मनोहरदासोत), जग्गा-प्रयागोत (फ़ौजदार), कमा-साहानी (अखैराजोत), प्रयागदास (धायभाई), जगमाल-खिड़िया चारण, रणछोड़दास-श्रीमाली, गोरधन-पंचोली, ताराचन्द (दफ़्तरी) ।

(ख्यातों के अनुसार इस युद्ध में ४० चांपावत, २१ कूंपावत, १४ ऊदावत और ७ करमसोत मारे गए थे ।)

वि० सं० १७३० (ई० स० १६७४) में, पठानों के साथ के युद्ध में, मारे गए महाराजा जसवन्तसिंहजी के कुछ वीरों के नामः—

रतन-चांपावत (बलूओत), रामसिंह-चांपावत (बलूओत), रामसिंह-चांपावत (हरीदासोत), श्यामसिंह-चांपावत (केशोदासोत), सुजानसिंह-चांपावत (आईदानोत), राजसिंह-चांपावत (राघोदासोत), रायमल-जोधा (केसरीसिंहोत), प्रतापसिंह-कूंपावत (हरचंदोत), देवकरण-कूंपावत (द्वारकादासोत), किशनसिंह-मेड़तिया (श्यामसिंहोत), कान्हा-मेड़तिया (गोकलदासोत), प्रतापसिंह-मेड़तिया (गोपीनाथोत), बिशनदास-मेड़तिया (गिरधरदासोत), कुशलसिंह-मेड़तिया (श्यामसिंहोत), मोहबतसिंह-मेड़तिया (सबलसिंहोत), विजैसिंह-मेड़तिया (रामसिंहोत), हरीसिंह-करमसोत (भीमोत), आसकरण-राठोड़ (जैतसिंहोत), मुकुन्ददास-बाला (कल्याणदासोत), जगन्नाथ-सींधल (उरजनोत), भीम-भाटी (प्रयागदासोत), श्यामसिंह-भाटी (मुकुन्ददासोत), दयालदास-भाटी (केशोदासोत), राजसिंह-भाटी (जसवन्तोत), आसकरण-भाटी (मोहनदासोत), केशवदास-भाटी (रतनसिंहोत), चतुर्भुज-भाटी (करणोत), पिरथीराज-चौहान (रामचंदोत), हरनाथ-चौहान (मनोहरदासोत), नरहरदास-देवड़ा (अचलदासोत), केशोदास-कछवाहा (जगन्नाथोत), साहबख़ाँ-कछवाहा (जगन्नाथोत), बछराज-पंचोली (रामचंदोत) ।

२६. महाराजा अजितसिंहजी ।

वि० सं० १७३६ (ई० स० १६७९) में, बादशाही सेना के साथ के, दिल्ली के युद्ध में मारे गए बालक महाराजा अजितसिंहजी के कुछ वीरों के नामः—

महासिंह-कूंपावत (खींवावत), जूंझारसिंह-कूंपावत (रजलाणी), महेशदास-कूंपावत (राजसिंहोत), हिंदूसिंह-कूंपावत (सुजाणसीहोत) (नाडसर), मोहनदास-कूंपावत (धनराजोत), भारमल-ऊदावत (दलपतोत) (डेह), गोयंददास-ऊदावत (मनोहरदासोत) (सारावड़ा), रघुनाथसिंह-ऊदावत

(सूरजमलोत), आसकरण-ऊदावत (बाघावत), गोरधन-ऊदावत (रामोत), जसू-ऊदावत (अजबसिंहोत), रणछोड़दास-जोधा (खैरवा), विट्ठलदास जोधा (रोहीसी), चन्द्रभांण-जोधा (द्वारकादासोत) (पांचला), कुंभकरण-जोधा, दीपा जोधा (केशवदासोत), पिरथीराज-जोधा (वीरमदेओत), महासिंह-जोधा (जगन्नाथोत), जगतसिंह-जोधा (रतनसिंहोत), रामसिंह-जोधा (श्यामसिंहोत), भीम-मेड़तिया, किशनसिंह-मेड़तिया (चांदसिंहोत), भाकरखाँ-पातावत, सुन्दरदास-पातावत (हरीदासोत), रघुनाथसिंह-भाटी (लवेरा), उदैभांण-भाटी (खेजड़ला), सगतसिंह-भाटी (हरदासोत), द्वारकादास-भाटी, धनराज-भाटी (बीकावत), जगन्नाथ-भाटी (विट्ठलदासोत), सगतसिंह-भाटी (कल्याणदासोत), द्वारकादास-भाटी (भाणोत), गिरधरदास-भाटी (कानावत), सुंदरदास-भोजराजोत (ठाकुरसीहोत), लिखमीदास-मंडला (नाथावत), भैरूंदास-जैतमालोत (खेतसीहोत), डूंगरसिंह-जैतमालोत (लाडखाँनोत), उदयसिंह-जैतमालोत (जगन्नाथोत), पूरणमल-जैतमालोत (सुंदरदासोत), नराणखाँन-राठोड़ (पातावत), अखैराज-चौहान (कल्याणदासोत), जोगीदास-सोभावत, किशनदास-मुहता, हरराय-पंचोली।

वि० सं० १७३६ (ई० स० १६७९) में बालक महाराजा अजितसिंहजी के जोधपुर में लाए जाने के बाद से वि० सं० १७६५ (ई० स० १७०८) में उनके जोधपुर पर स्थायी तौर से अधिकार करने तक समय-समय पर बादशाही सेना से लड़कर मारे गए महाराज के कुछ वीरों के नाम।

वि० सं० १७३६ (ई० स० १६७९) के पुष्कर के युद्ध में मारे गए महाराजा अजितसिंहजी के कुछ योद्धाओं के नामः—

राजसिंह-मेड़तिया (प्रतापसिंहोत), गोकुलसिंह-मेड़तिया (प्रतापसिंहोत), रूपसिंह-मेड़तिया, (प्रतापसिंहोत), हिम्मतसिंह-ऊदावत, जगतसिंह-ऊदावत, भोजराज-ऊदावत, आनन्दसिंह (चतुर्भुजोत), केसरीसिंह-राठोड़, हरीसिंह-राठोड़, सादूलसिंह-राठोड़, महासिंह-चांपावत (केसरीसिंहोत), किशनसिंह-चांदावत, नाथूसिंह (कांधलोत), जगतसिंह, हेमसिंह-सोनगरा, हद्दा-मांगलिया।

जोधपुर के युद्ध में मारे गए कुछ वीरों के नामः--

रामसिंह-भाटी ।

वि० सं० १७३७ (ई० स० १६८०) के खेतासर के युद्ध में मारे गए महाराजा अजितसिंहजी के कुछ योद्धाओं के नामः--

साहबखाँ-चांपावत (मथुरादासोत), खंगार-बाला (द्वारकादासोत), गोयंददास-धवेचा (वीरमोत), भावसिंह-धवेचा (पिरथीराजोत), मनोहरदास-राठोड़ (गोयंददासोत), अखैराज-राठोड़ (लाड़खाँनोत) ।

देसूरी के पास के युद्ध में मारे गए महाराजा अजितसिंहजी के कुछ वीरों के नामः--

सूरजमल-ऊदावत (भींवोत), इन्द्रभाण-जोधा (मुकुन्ददासोत), श्यामसिंह-जोधा (माधोदासोत), रूपसिंह-राठोड़ (अजबसिंहोत), कानसिंह-कूंपावत (विट्ठलदासोत) ।

वि० सं० १७३८ (ई० स० १६८१) के महेवा (मल्लानी) के युद्ध में मारे गए महाराजा के कुछ वीरों के नामः--

अचलदास-जोधा (जसकरणोत), श्यामसिंह-भाटी, हरिदास-जैतमालोत (लूणोत), भोजराज-राठोड़, नारायणदास-पुरोहित, रुघनाथ-पुरोहित ।

जोधपुर के आक्रमण में मारे गए महाराजा के कुछ योद्धाओं के नामः--

लालसिंह-कूंपावत (रणछोड़दासोत), खेतसी-राठोड़, श्यामसिंह-राठोड़ (बिहारीदासोत), राजसिंह-राठोड़ (सबलसिंहोत), मुकन्ददास-धांधल (सुन्दरदासोत), आसा-भाटी (प्रयागदासोत), किशनसिंह-भाटी (महेशदासोत), उदैभांण-भाटी (रामचदोत), सुन्दरदास-खीची (रूपसिंहोत), फतैसिंह-झाला (भावसिंहोत), अखा-जोशी (पुष्करणा), धना-जोशी (पुष्करणा), भोजराज-भण्डारी ।

सोजत के युद्ध में मारे गए महाराजा के कुछ वीरों के नामः—

कानसिंह-चांपावत (गिरधरदासोत), चतुर्भुज-चांपावत (हरिदासोत), विजा-राठोड़, किशनसिंह-सोहड़ (बाघोत), दला-सींधल, शम्भुपुरी-संन्यासी ।

पून्दलोता के युद्ध में मारे गए महाराजा के कुछ वीरों के नामः—

सोनग-चांपावत (विट्ठलदासोत) ।

डीगराणा (मेड़ता) के युद्ध में मारे गए महाराजा के कुछ योद्धाओं के नामः—

अजबसिंह-चांपावत (विट्ठलदासोत), सबलसिंह-चांपावत, हरिसिंह-चांपावत (महेशदासोत), गोपीनाथ-मेड़तिया, सादूल-मेड़तिया, कुशलसिंह-मेड़तिया, अर्जुन-मेड़तिया (गोपीनाथोत), घासीराम-राठोड़, अनोपसिंह-राठोड़, आसकरण-चारण ।

(ख्यातों में इस युद्ध में २ जैतावतों, ४ मेड़तियों, ४ जोधों, १ भाटी, ३ सेवड़ पुरोहितों, ३ बारठों और १०० अन्य पुरुषों का मारा जाना लिखा है ।)

वि० सं० १७४१ (ई० स० १६८४) के सोजत के युद्ध में मारे गए महाराजा के कुछ वीरों के नामः—

सांवतसिंह-चांपावत (जोगीदासोत), धनराज-राठोड़ (कीरतसिंहोत), अनोपसिंह-सोनगरा (जैतसिंहोत), बिहारीदास-ऊदावत (मोहनदासोत), रामा-भाटी (मुकनसिंहोत) ।

वि० सं० १७४४ (ई० स० १६८७) के मांडल के युद्ध में मारे गए महाराजा के कुछ वीरों के नामः—

दुर्जनसाल-हाडा ।

मुहम्मदअली के साथ के युद्ध में मारे गए महाराजा के कुछ वीरों के नामः—

पृथ्वीसिंह-चाँदावत (कोसाना), जैतसिंह-चाँदावत (डोहा), मोहकमसिंह-मेड़तिया, हरिरूप-मेड़तिया ।

वि० सं० १७४६ (ई० स० १६६२) के, बवाँल के पास, दुर्गादास पर के काज़मबेग के हमले में मारे गए महाराजा के कुछ योद्धाओं के नामः—

राव गुमानीचन्द (मनोहरपुर), जैतसिंह-राठोड़ (पिरथीराजोत), दौलत-भाटी (रघुनाथोत), हरिचन्द-तिरवाड़ी ।

वि० सं० १७६२ (ई० स० १७०६) के, जालोर के, युद्ध में मारे गए महाराजा के कुछ वीरों के नामः—

नेतसी-ऊदावत (बाघावत), रूपसी-ऊदावत (बाघावत), लाडख़ाँ-मंडला (अमरावत) ।

दूनाड़ा के युद्ध में मारे गए महाराजा के कुछ योद्धाओं के नामः—

दलाराम-मेड़तिया, सूरजमल-भाटी (जगन्नाथोत), दौलतसिंह-ऊदावत ।

वि० सं० १७६५ (ई० स० १७०८) में, सांभर पर के, जोधपुर और जयपुर की सेनाओं के सम्मिलित आक्रमण में मारे गए महाराजा अजितसिंहजी के कुछ वीरों के नामः—

भीमसिंह-कूंपावत (आसोप), किशनसिंह-भाटी (आंटण), केसरीसिंह-राठोड़ (काशीसिंहोत) ।

२७. महाराजा अभयसिंहजी ।

वि० सं० १७८७ (ई० स० १७३०) में, महाराजा अभयसिंहजी के, अहमदाबाद पर आक्रमण करने के समय, मारे गए उनके कुछ वीरों के नामः—

पहले (आश्विन सुदि १०=१० अक्टोबर के) युद्ध में मारे गए महाराजा के कुछ वीरों के नामः—

करणसिंह-चांपावत (पाली), गुलाबसिंह-मेड़तिया (पांचवा), भीमसिंह-मेड़तिया (सीरासणा), हटीसिंह-जोधा (जोगीदासोत), भगवानदास-धांधल (बूंटेलाव), केसरीसिंह-पुरोहित (खैड़ापा) ।

दूसरे (आश्विन सुदि १२=११ अक्टोबर के) युद्ध में मारे गए महाराजा के कुछ योद्धाओं के नामः—

किशनसिंह-चांपावत (नारनडी), रामसिंह-कूंपावत (रामासणी), सुरतानसिंह-कूंपावत (सांवतसिंहोत), अर्जुनसिंह-कूंपावत (पदमसिंहोत), भोजराज-सिंह-मेड़तिया (सूरियावास), शुभनाथसिंह-मेड़तिया (गोरधनोत), सरदारसिंह-मेड़तिया (ज़ोरावरसिंहोत), हठीसिंह-जोधा, गुमानसिंह-जोधा (हठीसिंहोत), ज़ोरावरसिंह-जोधा (कुशलसिंहोत), अनोपसिंह-शेखावत (किशनसिंहोत), सहसमल-भाटी (अखेसिंहोत), सुर्जनसिंह-चौहान (सांवलसिंहोत), दौलतसिंह-सोनगरा (कुरणा), दौलतसिंह-नरूका (बखतावरसिंहोत), रणछोड़-पुरोहित (जैदेवोत), मयाराम-गूजर (धाय-भाई), नरहरदास-धांधल, केसरीसिंह-खीची (फतावत) ।

उपर्युक्त युद्ध में मारे गए राजाधिराज बख़तसिंहजी के कुछ वीरों के नामः—

हटीसिंह-मेड़तिया (नौखाँ), पदमसिंह-मेड़तिया (दौलतसिंहोत), चतुर-सिंह-करणोत (फतेसिंहोत), करणसिंह-जोधा (हरनाथोत), प्रतापसिंह-जोधा (राजसिंहोत), हिम्मतसिंह-भाटी (जगमालोत) ।

वि० सं० १७९८ की आषाढ सुदि ६ (ई० स० १७४१ की ८ जून) के गंगवाना के युद्ध में मारे गए राजाधिराज बख़तसिंहजी के कुछ वीरों के नामः—

रूपसिंह-चांपावत (खाटू), कनकसिंह-चांपावत (सूरसिंहोत), सवाईसिंह-चांपावत (मेरवास) बिशनदास-चांपावत (लालावा), रामदास-मेड़तिया (माजी), भवानीसिंह-मेड़तिया (बिशनदासोत), भारतसिंह-मेड़तिया (बिशनदासोत), रूपसिंह-जोधा (पालड़ी), भोपतसिंह-जोधा (छापड़ा), उम्मेदसिंह-मेड़तिया (नौखां), लखधीर-मेड़तिया (नौखां), संग्रामसिंह-ऊदावत (सांडीला), केसरीसिंह-ऊदावत (ऊचारड़ा) ।

२८ महाराजा रामसिंहजी ।

वि० सं० १८०७ के कार्तिक (ई० स० १७५० के अक्टोबर) में, महाराजा रामसिंहजी और राजाधिराज बख़तसिंहजी के बीच के, मेड़ते के युद्ध में मारे गए महाराजा रामसिंहजी के कुछ वीरों के नामः—

शेरसिंह-मेड़तिया (रीयां), सूरजमल-मेड़तिया (आलणियावास), डूंगरसिंह-मेड़तिया (बिखरणिया), श्यामसिंह-मेड़तिया (बलूँदा), सगतसिंह-मेड़तिया (मीठड़ी) सुरतानसिंह-मेड़तिया (सेवरिया), अनोपसिंह-जोधा (देवांणा), बखतसिंह-जैतावत (सारंगवास), सुजाणसिंह-कोठारी (रीयां) ।

इसी युद्ध में मारे गए राजाधिराज बखतसिंहजी के कुछ वीरों के नामः—

कुशलसिंह-चांपावत (आउवा) ।

वि० सं० १८०८ के वैशाख (ई० स० १७५१ के अप्रेल) में, राजाधिराज के साथ के, सालावास के युद्ध में मारे गए महाराजा रामसिंहजी के कुछ वीरों के नामः—

ज़ालमसिंह-मेड़तिया (कुचामन), चैनसिंह-मेड़तिया (ज़ालमसिंहोत), सुरतानसिंह-मेड़तिया (ज़ालमसिंहोत), बखतसिंह-राठोड़ (इन्दरसिंहोत) (मारोठ), बैरीसाल-राठोड़ (इन्दरसिंहोत), देवीसिंह-राठोड़ (शम्भूसिंहोत), दुर्जनसिंह-राठोड़ (शम्भूसिंहोत) (पांचोता), भवानीसिंह-(सांवतसिंहोत) ।

३०. महाराजा विजयसिंहजी ।

वि० सं० १८११ की आश्विन वदि १३ (ई० स० १७५४ की १४ सितंबर) के, जयापा के साथ के, गंगारड़े के युद्ध में मारे गए महाराजा विजयसिंहजी के कुछ वीरों के नामः—

मोतीसिंह-मेड़तिया (मारोठ), रामसिंह-मेड़तिया (लूंणवा), सूरसिंह-मेड़तिया (लूंणवा) जूंझारसिंह-मेड़तिया-(खारिया), पेमसिंह-चांपावत (पाली), जैतसिंह-चांपावत (मांडावास), लालसिंह-चांपावत (महसमलोत), अर्जुनसिंह-चांपावत (सूरतसिंहोत), मोहकमसिंह-चांपावत (सरवाड़), बहादुरसिंह-चांपावत (खाटू), सवाईसिंह-चांपावत (भैरूंवास),

उदैसिंह-चांपावत (धांधियां) लखधीर-चांपावत (वरणेल), भोमसिंह-चांपावत (वरणेल), कीरतसिंह-चांपावत (हबतसर), नवलसिंह-चांपावत (धामली), ज़ोरावरसिंह-चांपावत, (समाड़िया), शुभकरण-चांपावत (गंठिया), ज़ोरावरसिंह-चांपावत (जैतपुर), शुभकरण-भाटी (रामपुरा), बख़तसिंह-भाटी (कंटालिया), कीरतसिंह-भाटी (खारिया), पेमसिंह-भाटी (मेड़ावास) महेशदास-भाटी (कीटणोद), जैतसिंह-भाटी (पांतों का बाड़ा) दौलतसिंह-भाटी, लालसिंह-चौहान, सरदारसिंह-महेचा (थोब), दौलतसिंह-शेखावत (लाडखाँनी) (ललासरी) ।

वि० सं० १८१६ (ई० स० १७६०) में, चांपावत सबलसिंह आदि बाग़ी सरदारों के साथ के, बीलाड़े के युद्ध में मारे गए महाराजा के कुछ वीरों के नाम:—

पृथ्वीसिंह-कूंपावत (चंडावल), जेठमल-सिंघी ।

वि० सं० १८२० (ई० स० १७६३) में, महाराजा विजयसिंहजी की फ़ौज की, जालोर पर की चढ़ाई में मारे गए कुछ वीरों के नाम:—

उदैराज-जोधा (पाटोदी) ।

वि० सं० १८२२ (ई० स० १७६५) के खानूजी मरहटे के साथ के युद्ध में मारे गए महाराजा के कुछ वीरों के नाम:—

नाथूसिंह-मेड़तिया (चांदावत), जैतसिंह-भाटी (बालरवा) ।

वि० सं० १८२४ (ई० स० १७६७) में, जयपुर वालों के भरतपुर-नरेश जवाहरसिंहजी पर के आक्रमण में, भरतपुर-नरेश की तरफ़ से लड़कर मारे गए महाराजा विजयसिंहजी के कुछ वीरों के नाम:—

सूरतसिंह-मेड़तिया (पदमसिंहोत) ।

वि० सं० १८३७ (ई० स० १७८०) में, चौबारी नामक स्थान पर, टालपुरा बीजड़ के मारने के समय मारे गए महाराजा के कुछ वीरों के नाम:—

हरनाथसिंह-मांडणोत, मोहकमसिंह-पातावत, जोगीदास-बारठ ।

वि० सं० १८४४ (ई० स० १७८७) में, जयपुर-नरेश प्रतापसिंहजी की सहायतार्थ किए, मरहटों की सेना के साथ के, तुंगा के पास के युद्ध में मारे गए महाराजा विजयसिंहजी के कुछ वीरों के नाम:—

गजा-मांगलिया, रायसिंह-राठोड़ (हिन्दूसिंहोत), हररूप-राठोड़ (नथावड़ी), दलेलसिंह-राठोड़ (ढावा), उदैसिंह-राठोड़ (डूमाणी), दलेलसिंह-राठोड़ (संगरामसिंहोत), शिवसिंह-राठोड़ (गैनसिंहोत), नाथूसिंह-राठोड़ (घोड़ावड़), नवलसिंह-राठोड़ (रायण), जीवनसिंह-मेड़तिया (मारोठ), बखतावरसिंह-मेड़तिया (जवानसिंहोत), बगता (बलूंदे ठाकुर का धाय भाई), सुरतानसिंह (बडू), लालसिंह (सेढाउ), मोहब्बतसिंह (बोड़ावड़), नवलसिंह-चांदावत (छापरी), शेरसिंह-चांदावत (सेजां की बासणी), साहबसिंह-चांदावत (जूंझारसिंहोत) जवानसिंह-ऊदावत (बनैसिंहोत), मालमसिंह (डूंमाणी), लालसिंह-शेखावत, सेवा-फिटक ।

उपर्युक्त युद्ध में मरहटों के भागने पर उनका पीछा करते समय सरवाड़ में मारे गए महाराजा के कुछ वीरों के नाम:—

सुंदरसिंह-चांदावत (ओलादण) ।

वि० सं० १८४७ (ई० स० १७९०) में, माधोजी सिंधिया, तुकोजी और डी. बोइने के साथ के, मेड़ते के पास के युद्ध में मारे गए महाराजा के कुछ योद्धाओं के नाम:—

कनीराम-माधोदासोत (चांदारूण), नरसिंहदास (ईडवा), फ़कीरदास- (आलणियावास), बिशनसिंह-मेड़तिया (चाणोद), अजीतसिंह-मेड़तिया (जवानसिंहोत), जसवन्तसिंह (बोयल), ज़ालिमसिंह-जोधा (पाटोदी), ज़ालिमसिंह-शेखावत (बलाडा), मालमसिंह (नाहडसर), भारथसिंह (सुदणी), जगतसिंह-चांपावत (पाली), बदनसिंह (बोरूंदा), सूरजमल (बोरूंदा), पहाड़सिंह-भाटी (बीकूंकोर), सरदारसिंह-चांदावत (चौकड़ी), मानसिंह-चांदावत (दुदड़ावास), सूरजमल-सिंघी, चांदखाँ ।

वि० सं० १८५० (ई० स० १७९३) में, झंवर के युद्ध में, मारे गए महाराज-कुमार भीमसिंहजी के साथ के कुछ वीरों के नाम:—

सूरजमल-मेड़तिया (कुचामण), हरीसिंह-कूंपावत (चंडावल), दानसिंह- (सेवरिया), रूपसिंह-बख्शीरामोत (नौखां ठाकुर का भाई)।

३१. महाराजा भीमसिंहजी।

वि० सं० १८५८ (ई० स० १८०१) में, साकदड़े के युद्ध में, मारे गए महाराजा भीमसिंहजी के कुछ वीरों के नाम:—

अमरसिंह-जोधा (रांमा), अमानसिंह-चांदावत (आजडोली)।

उपर्युक्त युद्ध में मारे गए श्रीमानसिंहजी के कुछ वीरों के नाम:—

जोधसिंह-अर्जुनोत (भाटी) (खेजड़ला ठाकुर का छोटा भाई)।

वि० सं० १८६० (ई० स० १८०३) में, जालोर पर के आक्रमण में, मारे गए महराजा भीमसिंहजी के कुछ वीरों के नाम:—

बनराज-सिंघी।

३२. महाराजा मानसिंहजी।

वि० सं० १८६३ (ई० स० १८०७) में, गींगोली के युद्ध में मारे गए महाराजा मानसिंहजी के कुछ योद्धाओं के नाम:—

उदैरूप-भीवांणी (पटानवीस)।

वि० सं० १८६४ (ई० स० १८०७) में, जयपुर-नरेश के जोधपुर पर के आक्रमण में, मारे गए महाराजा मानसिंहजी के कुछ वीरों के नाम:—

शेरसिंह-चौहान (राखी), बहादुरसिंह-तुंवर, कीरतसिंह-सोढ़ा (जसोल)।

वि० सं० १८६५ (ई० स० १८०८) की बीकानेर पर की चढ़ाई में, ऊदासर के युद्ध में, मारे गए महाराजा मानसिंहजी के कुछ वीरों के नाम:—

हणवंतसिंह-मेड़तिया (ईडवा), पहाड़सिंह-चांदावत (छापरी)।

३३. महाराजा तखतसिंहजी ।

वि० सं० १९१४ (ई० स० १८५७) में, आउवे के बाग़ी सैनिकों के साथ के युद्ध में, मारे गए महाराजा तखतसिंहजी के कुछ वीरों के नामः—

अनाड़सिंह-पंवार, राजमल लोढ़ा (राव) ।

परिशिष्ट-११.

राठोड़-नरेशों के वंशवृत्त

मारवाड़ के राठोड़-नरेशों का संक्षिप्त वंशवृत्त*

जयचन्द्र (कन्नौज-नरेश)
(वि० सं० १२२६-१२५०=ई० स० ११७०-११९३)

हरिश्चन्द्र—वरदायीसेन
(वि० सं० १२५०-१२५३=ई० स० ११९३-११९६)

सेतराम

१ राव सीहाजी (मारवाड-राज्य के संस्थापक)
(वि० सं० १२६८-१३३०=ई० स० १२१२-१२७३)

२ राव आसथानजी
(वि० सं० १३३०-१३४९=ई० स० १२७३-१२९२)

राव सोनग
(पहलीवार ईडर का राज्य स्थापन किया ।)

३ राव धूहडजी
(वि० सं० १३४९-१३६६=ई० स० १२९२-१३०९)

४ राव रायपालजी
(वि० सं० १३६६ और १३७०=ई० स० १३०९ और १३१३ के बीच ?)

५ राव कनपालजी
(वि० सं० १३७० और १३८०=ई० स० १३१३ और १३२३ के बीच ?)

६ राव जालणसीजी
(वि० सं० १३८० और १३८५=ई० स० १३२३ और १३२८ के बीच ?)

७ राव छाडाजी
(वि० सं० १३८५-१४०१=ई० स० १३२८-१३४४)

८ राव तीडाजी
(वि० सं० १४०१-१४१४=ई० स० १३४४-१३५७)
(६ राव कान्हड़देवजी)
(१० राव त्रिभुवनसीजी)
६ राव सलखाजी
(वि० सं० १४१४-१४३१=ई० स० १३५७-१३७४)
(११ रावल मल्लिनाथजी)
१० राव वीरमजी
(वि० सं० १४३१-१४४०=ई० स० १३७४-१३८३)
११ राव चूंडाजी (मंडोर-नरेश)
(वि० सं० १४५१-१४८०=ई० स० १३६४-१४२३)
१४ राव रिड़मल (रणमल्ल) जी
वि० सं० १४८४-१४६५=ई० स० १४२७-१४३८)
१३ राव सत्ताजी
(वि सं० १४८०-१४८४=ई० स० १४२४-१४२७)
१२ राव कान्हाजी
(वि० सं० १४८०=ई० स० १४२३-१४२४)
१५ राव जोधाजी (जोधपुर के संस्थापक)
वि० सं० १५१०-१५४६=ई० स० १४५३-१४८६)
१६ राव सातलजी
(वि० सं० १५४६-१५४६=
ई० स० १४८६-१४६२)
१७ राव सूजाजी
(वि० सं० १५४८-१५७२=
ई० स० १४६२-१५१५)
राव बीकाजी
(बीकानेर का राज्य
स्थापन किया)
वरसिंह
(इसके वंशजों ने झाबुआ का
राज्य स्थापन किया)
महाराज-कुमार बाघाजी
१८ राव गाँगाजी
(वि० सं० १५७२-१५८६=ई० स० १५१५-१५३२)

१६ राव मालदेवजी
(वि० सं० १५८८-१६१६=ई० स० १५३२-१५६२)
राव राम
(इसके वंशजों ने अमझेरा क राज्य स्थापन किया था)
२२ राजा उदयसिंहजी
(वि० सं० १६४०-१६५२= ई० स० १५८३-१५६५)
२० राव चन्द्रसेनजी
(वि० सं० १६१६-१६३७=ई० स० १५६२-१५८१)
२१ राव रायसिंहजी (२१) राव उग्रसेनजी (२१) राव आसकरनजी
(वि० सं० १६३६-१६४०=ई० स० १५८२-१५८३)
दलपतसिंह
महेशदास
राव रत्नसिंह
(रतलाम का राज्य स्थापन किया)
सीतामऊ और सैलाना के राज्य भी इनके वंशजों ने स्थापन किए थे।)
२३ सवाई राजा शूरसिंहजी
(वि० सं० १६५२-१६७६=ई० स० १५६५-१६१६)
राजा कृष्णसिंहजी
(किशनगढ़ का राज्य स्थापन किया)
२४ राजा गजसिंहजी
(वि० सं० १६७६-१६६५=ई० स० १६१६-१६३८)
२५ महाराजा जसवन्तसिंहजी (प्रथम)
(वि० सं० १६६५-१७३५=ई० स० १६३८-१६७८)
राव अमरसिंहजी (नागोर)
२६ महाराजा अजितसिंहजी
(वि० सं० १७६३-१७८१=ई० स० १७०७-१७२४)
२७ महाराजा अभयसिंहजी
(वि० सं० १७८१-१८०६= ई० स० १७२४-१७४६)
२६ महाराजा बखतसिंहजी
(वि० सं० १८०८-१८०६= ई० स० १७५१-१७५२)
राव आनन्दसिंहजी
(दूसरीवार ईडर का राज्य स्थापन किया)

२८ महाराजा रामसिंहजी
(वि० सं० १८०६-१८०८=ई० स० १७४९-१७५१)

३० महाराजा विजयसिंहजी
(वि० सं० १८०९-१८५०=ई० स० १७५२-१७९३)

- महाराज-कुमार भोमसिंहजी
  - ३१ महाराजा भीमसिंहजी (वि० सं० १८५०-१८६०=ई० स० १७९३-१८०३)
- महाराज-कुमार गुमानसिंहजी
  - ३२ महाराजा मानसिंहजी (वि० सं० १८६०-१९००=ई० स० १८०३-१८४३)
    - ३३ महाराजा तखतसिंहजी (अहमदनगर से गोद आए) (वि० सं० १९००-१९२९=ई० स० १८४३-१८७३)
      - ३४ महाराजा जसवन्तसिंहजी (द्वितीय) (वि० सं० १९२९-१९५२=ई० स० १८७३-१८९५)
        - ३५ महाराजा सरदारसिंहजी (वि० सं० १९५२-१९६७=ई० स० १८९५-१९११)
          - ३६ महाराजा सुमेरसिंहजी (वि० सं० १९६८-१९७५=ई० स० १९११-१९१८)
          - ३७ महाराजा उम्मेदसिंहजी (वि० सं० १९७५=ई० स० १९१८ में गद्दी बैठे)
            - महाराज-कुमार हनवन्तसिंहजी

* मारवाड़—नरेशों का विस्तृत वंशवृक्ष इस भाग के अन्त में दिया है।

बीकानेर के राठोड़-नरेशों का संक्षिप्त वंशवृक्ष ।

(१५ राव जोधाजी जोधपुर-नरेश)

१ राव बीकाजी
(वि० सं० १५४२-१५६१=ई० स० १४८५-१५०४)

- २ राव नराजी
  (वि० सं० १५६१=
  ई० स० १५०४-१५०५)
- ३ राव लूणकरणजी
  (वि० सं० १५६१-१५८३=
  ई० स० १५०५-१५२६)
  - ४ राव जैतसीजी
    (वि० सं० १५८३-१५९८=ई० स० १५२६-१५४२)
    - ५ राव कल्याणसिंहजी
      (वि० सं० १५९८-१६३०=ई० स० १५४२-१५७३)
      - ६ राजा रायसिंहजी
        (वि० सं० १६३०-१६६८=ई० स० १५७३-१६१२)
        - ७ राजा दलपतसिंहजी
          (वि० सं० १६६८-१६७०=
          ई० स० १६१२-१६१४)
        - ८ राजा शूरसिंहजी
          (वि० सं० १६७०-१६८८=
          ई० स० १६१४-१६३१)
          - ९ राजा कर्णसिंहजी
            (वि० सं० १६८८-१७२६=ई० स० १६३१-१६६९)
            - १० महाराजा अनोपसिंहजी
              (वि० सं० १७२६-१७५५=ई० स० १६६९-१६९८)

११ महाराजा स्वरूपसिंहजी
(वि० सं० १७५५-१७५७=
ई० स० १६९८-१७००)

१२ महाराजा सुजानसिंहजी
(वि० सं० १७५७-१७९२=
ई० स० १७००-१७३६)

आनन्दसिंहजी

१३ महाराजा ज़ोरावरसिंहजी
(वि० सं० १७९२-१८०३=
ई० स० १७३६-१७४६)

१४ महाराजा गजसिंहजी
(वि० सं० १८०३-१८४४=
ई० स० १७४६-१७८७)

१५ महाराजा राजसिंहजी
(वि० सं० १८४४=
ई० स० १७८७)

१६ महाराजा प्रतापसिंहजी
(वि० सं० १८४४=
ई० स० १७८७)

१७ महाराजा सूरतसिंहजी
(वि० सं० १८४४-१८८५=
ई० स० १७८७-१८२८)

१८ महाराजा रत्नसिंहजी
(वि० सं० १८८५-१९०८=
ई० स० १८२८-१८५१)

१९ महाराजा सरदारसिंहजी
(वि० सं० १९०८-१९२९=
ई० स० १८५१-१८७२)

छत्रसिंह
दलेलसिंह
शक्तसिंह
लालसिंह

२० महाराजा डूंगरसिंहजी
(वि० सं० १९२९-१९४४=
ई० स० १८७२-१८८७)

२१ महाराजा गङ्गासिंहजी
(वि० सं० १९४४=
ई० स० १८८७ में गद्दी बैठे)

महाराज-कुमार शार्दूलसिंहजी

भंवर करणीसिंहजी

झाबुआ के राठोड़-नरेशों का संक्षिप्त वंशवृक्ष।

(१५ राव जोधाजी जोधपुर-नरेश)
|
वरसिंह
|
सीहा
|
जयसिंह
|
रामसिंह
|
भीमसिंह
|
१ केशवदासजी (झाबुआ के संस्थापक) ई० स० (१५८४-१६०७)
|
२ करणजी (ई० स० १६०७-१६१०)
|
३ महासिंहजी (ई० स० १६१०-१६७७)
|
४ कुशालसिंहजी (ई० स० १६७७-१७२३)
|
५ अनूपसिंहजी (ई० स० १७२३-१७२७)
|
६ शिवसिंहजी (ई० स० १७२७-१७५८)
|
७ बहादुरसिंहजी (गोद आए) (ई० स० १७५८-१७७०)
|
८ भीमसिंहजी (ई० स० १७७०-१८२१)
|
९ प्रतापसिंहजी (ई० स० १८२१-१८३२)
|
१० रतनसिंहजी (गोद आए) (ई० स० १८३२-१८४०)
|
११ गोपालसिंहजी (ई० स० १८४०-१८९५)
|
१२ उदयसिंहजी (गोद आए) (ई० स० १८९५ में गद्दी बैठे)

अमझेरा के राठोड़-नरेशों का संक्षिप्त वंशवृत्त ।

(१६ राव मालदेवजी जोधपुर-नरेश)
|
१. राव राम (वि० सं० १६०४—ई० स० १५४७) में गूंदोज की तरफ़ चला गया
|
२. राव कल्ला (स्वर्गवास वि० सं० १६८१)
|
३. राव जसवन्तसिंह (प्रथम)
|
४. राव जगन्नाथजी (अमझेरा मिला)
|
५. राव केसरीसिंहजी (स्वर्गवास वि० सं० १७३५)
|
६. राव जूंझारसिंहजी
|
७. राव जसरूपजी (स्वर्गवास वि० सं० १७७५)
|
८. राव लालसिंहजी
|
९. राव जसवन्तसिंहजी (द्वितीय) (स्वर्गवास वि० सं० १८४९)
|
१०. राव सवाईसिंहजी
|
११. राव अजितसिंहजी (स्वर्गवास वि० सं० १८८८)
|
१२. राव बख़तावरसिंहजी[१] (वि० सं० १९१४=ई० स० १८५७)

---

(१) बख़तावरसिंहजी के गदर में बाग़ियों के साथ मिल जाने से अमझेरा का राज्य सिंधिया को देदिया गया ।

किशनगढ के राठोड़-नरेशों का संक्षिप्त वंशवृक्ष।

(२२ राजा उदयसिंहजी जोधपुर-नरेश)

1 राजा किशनसिंहजी (वि० सं० १६६६-१६७२=ई० स० १६०६-१६१५)
- २ राजा सहसमल्लजी (वि० सं० १६७२-१६७५= ई० स० १६१५-१६१८)
- ३ राजा जगमालजी (वि० सं० १६७५-१६८५= ई० स० १६१८-१६२६)
- भारमल्ल
  - ५ राजा रूपसिंहजी (वि० सं० १७००-१७१५=ई० स० १६४३-१६५८)
    - ६ राजा मानसिंहजी (वि० सं० १७१५-१७६३=ई० स० १६५८-१७०६)
      - ७ राजा राजसिंहजी (वि० सं० १७६३-१८०५=ई० स० १७०६-१७४८)
        - (८) सामन्तसिंहजी (वि० सं० १८०५-१८२१= ई० स० १७४८-१७६४)
          - (९) सरदारसिंहजी (रूपनगर) (वि० सं० १८१२-१८२३= ई० स० १७५५-१७६६)
        - ८ राजा बहादुरसिंहजी (वि० सं० १८०६-१८३८= ई० स० १७४९-१७८२)
          - ९ राजा बिडदसिंहजी (वि० सं० १८३८-१८४५= ई० स० १७८२-१७८८)
            - १० राजा प्रतापसिंहजी (वि० सं० १८४५-१८५४=ई० स० १७८८-१७९८)
              - ११ राजा कल्याणसिंहजी (वि० सं० १८५४-१८९५=ई० स० १७९८-१८३८)
                - १२ राजा मोहकमसिंहजी (वि० सं० १८९५-१८९७=ई० स० १८३८-१८४०)
                  - १३ राजा पृथ्वीसिंहजी (फतेगढ़ की शाखा से गोद आए) (वि० सं० १८९७-१९३६=ई० स० १८४०-१८८०)
                    - १४ राजा शार्दूलसिंहजी (वि० सं० १९३६-१९५७=ई० स० १८८०-१९००)
                      - १५ महाराजा मदनसिंहजी (वि० सं० १९५७-१९८३=ई० स० १९००-१९२६)
                        - १६ महाराजा यज्ञनारायणसिंहजी (वि० सं० १९८३-१९९५=ई० स० १९२६-१९३९)
                          - १७ महाराजा सुमेरसिंहजी (वि० सं० १९९५=ई० स० १९३९ में गद्दी बैठे)
- ४ राजा हरिसिंहजी (वि० सं० १६८५-१७००= ई० स० १६२९-१६४३)

रतलाम के राठोड़-नरेशों का संक्षिप्त वंशवृत्त ।

(२२ राजा उदयसिंहजी जोधपुर-नरेश)
- दलपतसिंहजी (जोलोर)
  - महेशदासजी
    - १ राजा रत्नसिंहजी (वि० सं० १७०६-१७१५=ई० स० १६५२-१६५८)
      - २ राजा रामसिंहजी (वि० सं० १७१५-१७३६=ई० स० १६५८-१६८२)
        - ३ राजा शिवसिंहजी (वि० सं० १७३६-१७४१=ई० स० १६८२-१६८४)
        - ४ राजा केशवदासजी (वि० सं० १७४१-१७५२=ई० स० १६८४-१६६५) (सीतामऊ)
      - ५ राजा छत्रसालजी (वि० सं० १७६०-१७६२=ई० स० १७०३-१७०६ ?)
        - हाथीसिंह
          - बैरीसालसिंह (धामनोद)
        - ६ राजा केसरीसिंहजी (वि० सं० १७६६-१७७३=ई० स० १७०६-१७१६)
          - ७ राजा मानसिंहजी (वि० सं० १७७३-१८००=१७१६-१७४३)
            - ८ राजा पृथ्वीसिंहजी (वि० सं० १८००-१८३० ई० स० १७४३-१७७३)
              - ९ राजा पद्मसिंहजी (वि० सं० १८३०-१८५७=ई० स० १७७३=१८००)
                - १० राजा पर्वतसिंहजी (वि० सं० १८५७-१८८२=ई० स० १८००-१८२५)
                  - ११ राजा बलवन्तसिंहजी (वि० सं० १८८२-१९१४=ई० स० १८२५-१८५७)
                    - १२ राजा भैरवसिंहजी (गोद आए) (वि० सं० १९१४-१९२१=ई० स० १८५७-१८६४)
                      - १३ राजा रणजीतसिंहजी (वि० सं० १९२१-१९४९=ई० स० १८६४-१८९३)
                        - १४ राजा सज्जनसिंहजी (वि० सं० १९४९=ई० स० १८९३ में गद्दी बैठे)
                          - राज-कुमार लोकेन्द्रसिंहजी
          - जयसिंहजी (सैलाना)
        - प्रतापसिंह

सीतामऊ के राठोड़-नरेशों का संक्षिप्त वंशवृक्ष ।

(२२ राजा उदयसिंहजी जोधपुर-नरेश के वंश में)—

१. केशवदासजी

(वि० सं० १७५२ की प्रथम आषाढ सुदि ६=ई० स० १६९५ की ८ जून तक रतलाम में राज्य किया ? और बाद में वि० सं० १७५८ की कार्तिक सुदि ११=ई० स० १७०१ की ३१ अक्टोबर को सीतामऊ राज्य की स्थापना की)

२. गजसिंहजी
(वि० सं० १८०५-१८०९=ई० स० १७४८-१७५२)

३. फ़तैसिंहजी
(वि० सं० १८०९-१८५९=ई० स० १७५२-१८०२)

४. राजसिंहजी
(वि० सं० १८५९-१९२४=ई० स० १८०२-१८६७)

रत्नसिंहजी

५. भवानीसिंहजी
(वि० सं० १९२४-१९४२= ई० स० १८६७-१८८५)

नाहरसिंह

तखतसिंह

६. राजा बहादुरसिंहजी
(वि० सं० १९४२-१९५५= ई० स० १८८५-१८९९)

७. राजा शार्दूलसिंहजी
(वि० सं० १९५६-१९५७= ई० स० १८९९-१९००)

७. राजा रामसिंहजी
(यह रतलाम के संस्थापक रत्नसिंहजी के द्वितीय पुत्र रायसिंह (काछी बड़ोदा वालों) के वंशज थे और वि० सं० १९५७=ई० स० १९०० में सीतामऊ गोद आए)

महाराज-कुमार रघुवीरसिंहजी

सैलाना के राठोड़-नरेशों का संक्षिप्त वंशवृक्ष[1]।

(२२ राजा उदयसिंहजी जोधपुर-नरेश के वंश में)

(५ छत्रसालजी रतलाम-नरेश)

१. प्रतापसिंहजी (रावटी)
(वि० सं० १७६६-१७७३=ई० स० १७०९-१७१६)

२. जयसिंहजी (सैलाना)
(वि० सं० १७७३-१८१४=ई० स० १७१६-१७५७)

३. जसवन्तसिंहजी (प्रथम)
(वि० सं० १८१४-१८२९=
ई० स० १७५७-१७७२)

४. अजबसिंहजी
(वि० सं० १८२९-१८३९=ई० स० १७७२-१७८२)

५. मोहकमसिंहजी
(वि० सं० १८३९-१८५४=ई० स० १७८२-१७९७)

६. लछमनसिंहजी
(वि० सं० १८५४-१८८२=ई० स० १७९७-१८२६)

७. रत्नसिंहजी
(वि० सं० १८८२-१८८४=ई० स० १८२६-१८२७)

८. नाहरसिंहजी
(वि० सं० १८८४-१८९८=ई० स० १८२७-१८४२)

९. तख़तसिंहजी
(वि० सं० १८९८-१९०७=ई० स० १८४२-१८५०)

१०. राजा दुलैसिंहजी
(वि० सं० १९०७-१९५२=ई० स० १८५०-१८९५)

११. राजा जसवन्तसिंहजी (द्वितीय)
(वि० सं० १९५२-१९७६=ई० स० १८९५-१९१९)

१२. राजा दिलीपसिंहजी
(वि० सं० १९७६=ई० स० १९१९ में गद्दी बैठे)

महाराज-कुमार दिग्विजयसिंहजी

---

(१) सैलाना से प्राप्त वंशवृक्ष के आधार पर।

ईडर के पहले राठोड़-नरेशों का संक्षिप्त वंशवृक्ष ।

(१ राव सीहाजी मारवाड़-नरेश)

१ राव सोनगजी
(वि० सं० १३३१-१३४०=ई० स० १२७४-१२८३)

२ राव अभमल्लजी
(वि० सं० १३४०-१३४२=ई० स० १२८३-१२८५)

३ राव धवलमल्लजी
(वि० सं० १३४२-१३६७=ई० स० १२८५-१३१०)

४ राव लूणकरणजी
(वि० सं० १३६७-१३८१=ई० स० १३१०-१३२४)

५ राव केहरणजी (हरबतजी)
(वि सं० १३८१-१४०२=ई० स० १३२४-१३४५)

६ राव रणमल्लजी
(वि० सं० १४०२-१४६०=ई० स० १३४५-१४०३)

७ राव पुंजाजी (प्रथम)
(वि सं० १४६०-१४८४=ई० स० १४०३-१४२७)

८ राव नारायणदासजी (प्रथम)
(वि० सं० १४८४-१५३८=
ई० स० १४२७-१४८१)

९ राव भाणजी
(वि० सं० १५३८-१५५८=
ई० स० १४८१-१५०१)

१० राव सूरजमलजी
(वि० सं० १५५८-१५६०=
ई० स० १५०१-१५०३)

११ राव रायमलजी
(वि० सं० १५६०-१५७७=
ई० स० १५०३-१५२०)

१२ राव भीमजी (रायमलजी से गद्दी छीनी)
(वि० सं० १५६६-१५७१=
ई० स० १५०९-१५१४)

१३ राव भारमलजी
(वि० सं० १५७१-१५९९=
ई० स० १५१४-१५४२)

१४ राव पुंजाजी (द्वितीय)
(वि० सं० १५९९ १६०८=ई० स० १५४२-१५५१

१५ राव नारायणदासजी (द्वितीय)
(वि० सं० १६०८-१६३५=ई० स० १५५१-१५७८)

१६ राव वीरमदेवजी
(वि० सं० १६३५-१६५३=
ई० स० १५७८-१५९६)

१७ राव कल्याणमलजी
(वि० सं० १६५३-१७००
ई० स १५९६-१६४३)

१८ राव जगन्नाथजी
(वि० सं० १७००-१७१३=
ई० स० १६४३-१६५६)

२१ राव गोपीनाथजी
(वि० सं० १७१५-१७२०
ई० स० १६५८-१६६३)

१९ राव पुंजाजी (तृतीय)
(वि० सं० १७१३-१७१४
ई० स० १६५६-१६५७)

२० राव अर्जुनदासजी
(वि० सं० १७१४-१७१५=
ई० स० १६५७-१६५८)

२२ राव करणसिंहजी
(वि० सं० १७२०-१७५२=
ई० स० १६६३-१६९५)
(इन्हें राज्य का वास्तविक
अधिकार प्राप्त न हो सका)

२३ राव चन्द्रसिंहजी
(वि० सं० १७५८-१७८३=ई० स० १७०१-१७२६)
(यह वास्तव में वि० सं० १७७४ में गद्दी बैठे थे और
वि० सं० १७८३ में पौल गाँव में चले गए)

---

(१) यह वंश-वृक्ष अधिकांश में ईडर-राज्य से मिले वंश-वृक्ष के आधार पर तैयार किया गया है। अन्य ख्यातों में नम्बर २ से नम्बर ६ तक के राजाओं को भाई लिखा है।

ईडर के दूसरे राठोड़-नरेशों का संक्षिप्त वंशवृक्ष ।

(२६ महाराजा अजितसिंहजी जोधपुर-नरेश)

- १ राव आनन्दसिंहजी (वि० सं० १७८५-१७६६=ई० स० १७२८-१७४२)
  - २ राव शिवसिंहजी (वि० सं० १७६६-१८४८=ई० स० १७४२-१७६१)
    - ३ राव भवानीसिंहजी (वि० सं० १८४८=ई० स० १७६१)
      - ४ राजा गम्भीरसिंहजी (वि० सं० १८४८-१८६०= ई० स० १७६१-१८३३)
        - ५ राजा जवानसिंहजी (वि० सं० १८६०-१६२५= ई० स० १८३३-१८६८)
          - ६ राजा केसरीसिंहजी (वि० सं० १६२५-१६५७= ई० स० १८६८-१६०१)
            - कृष्णसिंहजी { जन्म ई० स० ४-१०-१६०१ / मृत्यु ,, ३०-११-१६०१ }
            - ७ महाराजा प्रतापसिंहजी [जोधपुर के (३३ वें नरेश) महाराजा तख़तसिंहजी के पुत्र ईडर गोद आए] (वि० सं० १६५८-१६६८=ई० स० १६०२-१६११)
              - ८ महाराजा दौलतसिंहजी (महाराजा प्रतापसिंहजी के भतीजे उनके गोद आए) (वि० स० १६६८-१६८८=ई० स० १६११-१६३१) (वि० सं० १६६८=ई० स० १६११ में महाराजा प्रतापसिंहजी के जोधपुर में रीजैंट (अभिभावक) नियुक्त होने पर आप गद्दी बैठे)
                - महाराजा हिम्मतसिंहजी (वि० स० १६८८=ई० स० १६३१ में गद्दी बैठे)
                  - महाराज-कुमार दलजीतसिंहजी
    - (१) संग्रामसिंहजी (अहमदनगर की शाखा) (वि० सं० १८५५=ई० स० १७६८ में स्वर्गवास)
      - (२) कर्णसिंहजी (वि० सं० १८५५-१८६२=ई० स० १७६८-१८३५)
        - (३) पृथ्वीसिंहजी (वि० सं० १८६२-१८६६= ई० स० १८३५-१८३६)
          - (४) बालक (वि० सं० १८६६-१८६८=ई० स० १८३६-१८४१)
        - (५) तख़तसिंहजी (वि० सं० १८६८-१६००= ई० स० १८४१-१८४३) (इसके बाद जोधपुर गोद आए)
- रायसिंह

वर्णानुक्रमणिका।

अ

अंगरेज़ ४०२, ४२१, ४२४, ४२७, ४३५, ४४८, ४५१, ४५४, ४६८, ४६९, ४७२, ५२२, ५७१.
अंगरेज़ी ४४५, ४५१, ४५२, ४५४, ४५५, ४९७, ५००, ६३५.
अंगरेज़ी रुपया ६३१, ६४०, ६४७.
अंबरचम्पू १८४, २००, २०१, २०४.
अंबाजी इंगलिया ३८८.
अंबाली ३२९, ३९५.
अकबर (बादशाह) १८, १३६-१३८, १४०, १४१, १४५, १४७, १४९-१५४, १५६, १५७, १५९-१६३, १६५, १६७, १६८, १७०, १७१, १७३, १७४, १७६, १७७, १७९-१८१, १८३, १८५, १९१, १९२, १९४, १९७, २५१, २६१, ६२७, ६२८, ६३७.
अकबर (शाहज़ादा) २४६, २५६, २६०-२७३, २७६, २७८, २७९, २८३, २८४, ३१७.
अकबरपुर २७२.
अकबराबाद २१५, २९८.
अखैचन्द (मुहता) ४१७-४२०, ४२३, ४२४.
अखराज (चौहान) १२४, १३१.
अखैराज (पंचायण का पुत्र) ११७, ११८.
अखैराज (बगड़ी) ४९३.
अखैराज (बाला) २७५.
अखैराज (राजा उदयसिंहजी का पुत्र) १८०.
अखैराज (राव जोधाजी का भाई) ७३, ८०, ८७, ८८, ९५.
अखैराज (सिंघी) ३९२, ३९७.
अखैराजजी (जयसलमेर के रावल) ३३४.
अखैराजजी (सिरोही के राव) ११३.
अखैसागर (अखैराजजी का तालाब) ३९७, ३९८.
अखैसिंह (बाला) २८३.
अखैसिंह (म० अजितसिंहजी का पुत्र) ३२८.
अगवारी २९०.
अग्राजी कोली ३४६.
अचल गदाधर १२२.
अचलसिंह (अखैराजोत) ११८.
अचला (शिवराजोत) १३१.
अचलेश्वर (आबू) ११.
अचलेश्वर (महादेव जोधपुर) ११५.
अजंटी ६३०.
अज (राव चूंडाजी का पुत्र) ६६.
अज (जगमाल का पुत्र) ५५.
अज (राव सीहाजी का पुत्र) ३४, ३९, ४१, ४४.
अजबपुरा ३९५.
अजबसिंह (चाँपावत) २७४, २७५.
अजबसिंह (पंचोली ३१२.
अजबसिंह (भंडारी) ३४४.
अज़मतख़ाँ १५३, १६५.

अज़मतुल्ला ३४३.

अजमाल १०७.

अजमेर १, २, ६, ११, १३–१५, २८, ६०, ६२, ६३, ७०–७२, ७६, ६५, ६६, १०२, १०५, १०६, ११६, ११८–१२०, १२८, १३२, १३३, १३६–१३८, १४०–१४३, १४५, १४७, १५१–१५३, १५८, १६१–१६३, १६५, १७०, १७६, १८०, १६०–१६३, २००, २०२, २०४, २०७, २१५, २१८, २२२, २२६, २३०, २४६, २५१, २५२, २५६–२६३, २६७, २६६, २७०, २७३, २७४, २७६, २८०–२८३, २८७, २८६, २६३–२६७, २६६, ३०१–३०३, ३०६, ३१०, ३१७–३२७, ३३१, ३३६, ३४७, ३४८, ३५१–३५३, ३५५, ३५७, ३६०–३६३, ३६५, ३६७, ३७२, ३७५, ३७६, ३८०, ३८१, ३८४, ३८८–३६०, ३६८, ४०४–४१६, ४२१, ४२५, ४२८, ४३१–४३३, ४३६–४३८, ४४५, ४४८, ४५१, ४५२, ४५५, ४५६–४६१, ४६६, ४६६, ४७२, ४७६, ४७६, ४८७, ४६३, ४६६, ५०६, ५१२, ५१४, ५१६, ५३०, ५३३, ५३५–५४१, ५५३, ५५८, ६१०, ६३७, ६४७.

अजमेर की टकसाल ६४७.

अजयदेव ६, ११, १४.

अजयदेव के सिक्के ६३६.

अजयदेव (चौहान) ६३६.

अजयपुर १०४.

अजायबघर २६, ४४, ४३६, ५२५, ५७२, ६१२, ६१४, ६१५.

अजित-चरित (भाषा) २१.

अजित-चरित (संस्कृत) २१.

अजितसिंह (आलणियावास) ४५०.

अजितसिंह (मोहिल) ६७, ६८.

अजितसिंहजी (महाराज) ५०६, ५१५, ५३३, ५३५, ५३६, ५४६, ५४६, ५५०, ५५२, ५५४, ५६६, ५७२, ५७४, ५७७–५८०, ५८२, ५८३, ५८५, ५८८, ५६० ५६१-५६३.

अजितसिंहजी (महाराजा) १७, २१, २२, २६, २८, ११५, २४८, २५२, २५४–२६०, २६६, २७२, २७३, २७८, २८२, २८७, २८६, २६१, २६२, २६५–२६६, ३०१, ३०२, ३०६–३०८, ३१३–३१६, ३१८–३२०, ३२२, ३२३, ३२६–३३२, ३३५, ३४०, ३४१, ३४६, ३५७, ३५८, ३६७, ३७१, ३७७, ३६३, ४००, ४४२, ४४६, ६२६, ६३७, ६५६.

अजितसिंहजी (महाराजा) का सिक्का ६३७.

अजितोदय २१.

अज़ीमुश्शान (शाहज़ादा) २७३, २७४, २८६, २६४, २६८, ३०१, ३०२, ३०४, ३०५.

अटरू (नदी) २४८.

अठयासिया ६४१.

अड़कमल ६६, ६७, ७६.

अड़कोट ३७.

अडवाल (रा० मल्लिनाथजी का पुत्र) ५४.

अडवाल (रा० रणमल्लजी का पुत्र) ८०.

अडसीजी (महाराना) ३८२, ३८३.

अणखला १४२.

अणदू (देवढ़ीदार) ३७२.

अदालतों के अधिकार ६२२.

अनन्तवासणी ११६.

अनवर (शेख) २४६.

अनहिल पाटन (अनहिलवाड़ा) ३५, ३६.

अनाडसिंह (पंवार) ४४८–४५०, ६४३.

अनादरा ४४५.

अनावास ४४०.
अनुभवप्रकाश २१, २४३.
अनूपसिंह २७७.
अनोपसिंह ५६६.
अनोपसिंह (भंडारी) ३१६, ३२१.
अनोपसिंह (रोडला-ठाकुर) ५३६, ५५१, ५५६, ५६०, ५६६.
अन्ताजी मानकेश्वर ३७५.
अपरोक्ष-सिद्धान्त २१, २४१.
अपील (अदालत) ४६४, ४६५, ५५१.
अफ़ग़ान ३५६.
अफ़ग़ानिस्तान ४.
अबुलफ़ज़ल २, १६२-१६५, १८३, १८४.
अबुलफ़तह २२४.
अब्दुन्नबी (मियां कल्होरा) ३८४-३८७, ३६७.
अब्दुलरहीम १७२.
अब्दुलरहीम २४६.
अब्दुलहमीद २८६.
अब्दुल्लाख़ाँ १७०, १८७, १८८.
अब्दुल्लाख़ाँ (मीर बीजड का पुत्र) ३८५.
अब्दुल्लाख़ाँ (सैयद बाराह=कुतुबुल मुल्क) २५१, २६८, ३०६, ३०७, ३१२-३१४, ३१६, ३१७, ३१६, ३२१.
अब्बास (सानी) २३६, २३७.
अब्बास अली ४५०.
अबिसीनिया ३८६.
अभयकरण ३३२, ३३३, ३४६, ३५०.
अभयविलास २२.
अभयशाही बुर्ज ३५८, ४६२.
अभयसागर ३५७.
अभय (अभै) सिंहजी (महाराजा) २२, २६, २८, २८८, २६५, ३०६, ३०७, ३०६, ३२०-३२२, ३२६-३२६, ३३१, ३३४, ३३६, ३३६, ३४१, ३४२, ३४७, ३५१-३५३, ३५५-३५७, ३५६, ३६७, ३६६, ३७५, ६००, ६५६.
अभयसिंह (राम्रो राजा) ५६०, ५६८.
अभयोदय २२.
अभयराम (व्यास) ४२१.
अभिमन्यु ६५३.
अमभेरा १४४.
अमर बकरा ५५७.
अमरशाही पैसा ६४०.
अमरसर १४२, ३२०.
अमरसिंह (कुँवर, मेवाड़) २८२, २८४.
अमरसिंह (कोशकार) ४.
अमरसिंह (गौड़) ३५१.
अमरसिंह (चंद्रावत) ३३३.
अमरसिंह (नींबाज-ठाकुर ऊदावत) ३१२, ३२५, ३२६, ३४०, ३४१.
अमरसिंह (सी) भंडारी ३३६, ३३७, ३४८.
अमरसिंह (भाटी) ३०६.
अमरसिंह (रूपनगर) ३८८.
अमरसिंह का दर्वाजा ६५५.
अमरसिंहजी (द्वितीय) (महाराजा) २६५, ३०२.
अमरसिंहजी (प्रथम) (महाराना) १८७-१६०, २०३, २०४.
अमरसिंहजी (बीकानेर) ३५५.
अमरसिंहजी (राव) २६, २०८, २०६, २२६, २४३, २५३, ६४०, ६४६-६५५.
अमरावती ५२१.
अमानसिंह ५६६.
अमानीशाह का नला ४४७.
अमीनख़ाँ २२६, २३०, २३८.
अमीनबेगख़ाँ २३६.
अमीरख़ाँ २६७.
अमीरख़ाँ (पिंडारी) ४०७, ४०८, ४१०-४१८, ४२२, ६२८.

अमीरुल उमरा (जुल्फ़िक़ार) १७, ३६०–३६२.
अमीरुल उमरा (शाइस्ताख़ाँ) २३३, २३४.
अमीरुल उमरा (हुसेनअलीख़ाँ) ३०६, ३१४, ३२८.
अमृतबाव ४६२.
अमृतलाल (मेहता) ४६४, ४८२, ४६४.
अमृती पौल ३७८, ४६२.
अमेरिका ४६२, ५५६.
अयोध्यानाथ (हुक्कू पंडित) ४६७
अरंठिया (इरंडिया) समदड़ाऊ ३२६.
अरटनडी १६०.
अरटिया ५५४.
अरणु ४४०.
अरब ७, १३, ३७, ६३६.
अरावली २६१.
अरिसिंहजी (महाराना) ३८२, ३८३.
अरुशा ५८०, ५८१, ५८४.
अर्जुन (गौड़) २२२, २२३, ६५३, ६५४.
अर्जुन (भाटी) ८६.
अर्जुनसिंह ५६६.
अर्जुनसिंहजी (महाराज) ४६८, ५०६, ५४६.
अर्णोराज १२, १४.
अर्थर ऑफ कनाट (प्रिंस) ५४६.
अर्वली ६६, १६५, ४८२.
अर्सकिन् (K. D. Arskine) (मेजर) ५०३, ५०५.
अलंकार–समुच्चय २२.
अलप्पो ५२६, ५६२, ५६८.
अलवर १३६, ३२२, ३३१, ३३६, ४७८, ४८२, ४८५, ४८६, ४८८, ४८६, ४६४, ५०५, ५०८, ५११, ५१५, ५२७, ५३६, ५४७, ५५२, ५६५.
अलाउद्दीन (मसऊद शाह) १५.
अलाउद्दीन खिलजी (मुहम्मदशाह) १०, १५, १६४.
अलाय १८४.
अलीअहमद (सैयद) २६६.
अलीकुली १५४.
अलीपुर ४८८.
अलीबेग (शेख़) १२६.
अलीमसजिद २१२, २४१.
अलीवर्दीख़ाँ २२८.
अल्लाहयारख़ाँ शेख ३३६, ३४०.
अवध २६७, ५५६.
अवधविलास २५.
अवधूत गीता की संस्कृत टीका २४.
अशर्फ़ी ६४२.
अशोक ४, १४.
अश्वत्थामा ३४.
असदख़ाँ २४६, २७३, २७६, २६७–२६६.
अस्केलन ५६७.
अस्तबल ५४२.
अस्तीख़ाँ २७४.
अहमद (सैयद) ११४.
अहमदख़ाँ ६४, ७४.
अहमदनगर (ईडर) १८३, १८४, २००, २७१, २६१, ४३८, ४४१, ४४२, ४६३, ४६५.
अहमदशाह (दिल्ली) ३५६, ३६०, ३६१, ३६८.
अहमदशाह (दुर्रानी) ३५६.
अहमदहुसैन (मीर) ५०२.
अहमदाबाद ५५, १८२, १८६, १८८, २२०, २२७, २३१, २८५, २८६, २८८, २६०, ३०५, ३०८–३१२ ३१६, ३२४, ३२५, ३३६–३३६, ३४२, ३४४, ३४६, ३४७, ३४६, ३५०, ३५८, ४७२, ५४२, ५४४, ६३७.
अहिच्छत्रपुर ४, ६.

आ

आंगदोस ४५१.

आंध्र ५.

आंवा खेड़ा १४४.

आंबाजी ४११.

आबे (मे) र ७५, १०१, १७७, २०५, २१६, २२६, २३०, २३५, २३८, २६३. २६५-२६८, ३०१, ३०२, ३०५, ३१४-३१८, ३२१, ३२३-३२६, ३२६, ३३२, ३३४, ३५३, ३८८.

आअजाबाद २२६.

आईदास ६५.

आउवा १७४, २७८, ३६१, ३६३, ३८१, ३८३, ३६८, ४०८, ४१०, ४१७, ४१८, ४२४, ४२५, ४२७, ४३१, ४३२, ४३६, ४४८, ४५०-४५३, ४५६, ४६४, ६२८.

ऑकलैंड (लॉर्ड) ४३५.

आका ७८, ८७.

आकिलखाँ २२३.

ऑक्टरलोनी (डेविड) ४२१.

ऑक्सफोर्ड यूनीवर्सिटी ५१६.

आगरा २६, ६५, १२८, १३६, १४१, १८६-१८८, २०६-२०८, २१०, २१३, २१५, २२०, २२२, २२४-२२६, २२८, २२६, २३६, २६८, २६७, २६८, ३१६, ३१७, ३२०, ३२२, ३२४, ३४१, ३५२, ३५३, ४४५, ४५५, ४८०, ४६७, ६५२, ६५४, ६५५.

आगेवा ४३७, ५५४.

आगोता ४५६, ४६०.

आजम (खाँज़ादा) ६२.

आज़मशाह (शाहज़ादा) १७६, २८६, २६३.

ऑडिट ५०४.

ऑडिट ऑफ़िस ६०५, ६०६.

ऑडिटर ६८५.

आढा १७४.

आत्मदीप्ति (जलंधराष्टक की संस्कृत टीका) २४.

आत्माराम (महात्मा) ३७८, ४१८.

आदपंखणी ६५.

आनकुटी ५५२.

आनन्दघनजी २०६.

आनन्दघनजी का मन्दिर ३६६.

आनन्दराम १५७.

आनन्दराव ३४३.

आनन्दविलास (भाषा) २५, २४३.

आनन्दविलास (संस्कृत) २५.

आनन्दसिंहजी (बीकानेर) ३५५.

आनन्दसिंहजी (म० अजितसिंहजी के पुत्र) ३२५, ३२८, ३२६, ३३२-३३५, ३४६.

ऑनररी कोर्ट ६२१.

आना ४७.

आनासागर ३१६, ४४८.

आपमल ६६, ६७.

आपाजी (जय आपा) ३६७, ३७४.

आबकारी ६१८.

ऑबज़रवेटरी ४६५.

आबू ११, १२, १४, ५४, ७७, १४५, १६८, १७४, १८६, २५५, २७१, ३०८, ४०५, ४४५, ४४७, ४५७, ४५६, ४६०, ४६६, ४७६, ४६८, ५०३, ५०५, ५०७, ५०६, ५१२, ५१४, ५२३, ५२५, ५२७, ५३६-५३८, ५४२.

आभीर २, ३.

आमखास महल ४६२.

आयस ४०२, ४०४, ४१३, ४१५, ४१७-४१६, ४३३, ४४०.

आरामरोशनी २३.

आर्कियॉलॉजिकल डिपार्टमैन्ट (गवर्नमेन्ट) ४३६.

आर्कियॉलॉजिकल डिपार्टमैन्ट (राजकीय) ५५३, ६१४-६१६.
आर्मेगटीए ५६५.
आर्य ३.
आर्यसमाज ४६०.
आर्यावर्त १४.
आलणसी ५७.
आलणियावास ३७२, ४५०, ४५६.
आलमखाँ २०५.
आलमगीर २२६-२२८, २३०, २४३.
आलावास ३५७, ६००.
आल्हा (चारण) ५८.
ऑवरडे-उत्सव ५३०.
आसकरण (न) (जैतावत) १५८, १५६, १६७, १६८.
आसकरण (जोशी) ४८१, ४६४.
आसकरण (ठाकुर) २२३.
आसकरण (मेड़तिया) २३६.
आसकरण (रा० चन्द्रसेनजी का पुत्र) १६०.
आसकरण (रा० मालदेवजी का पुत्र) १४४.
आसकरण (रा० सत्ताजी का पुत्र) १०१.
आसणी कोट २३१.
आसथानजी ३३, ३४, ३८, ३६, ४१-४४, ४६, ४७.
आसफ़खाँ २०७.
आसफ़जहाँ ३४२.
आसफ़ुद्दौला ३००.
आसरलाई १५१.
आसल ४५.
आसा (डाभी) ३५.
आसा (बारट) १२०.
आसायच ५६, ६०, १८२.
आसूसिंह ५६७, ५६६.
आसेर २०५.
आसोतरा ४३६.
आसोप ७०, ६६, १०६, १३१, १६४, २१८, २२६, २७८, ३६१, ३७८, ३८१, ३६८, ४०८, ४१०, ४१७, ४१८, ४२४, ४२५, ४३१, ४३६, ४४४, ४४८, ४५१-४५३, ४५६, ४६४, ४७४, ४८४, ४८८, ४६४, ५०४, ५१४, ५१६, ५३५, ५६५, ६२८.
आसोपा ४४४.
ऑस्ट्रिया ४८७, ५०३.
आहाड़ा ८७.
आहोर ४०८, ४११, ४५०.

इ

इंगलिया ३८८.
इंगलिश-कंपनी ४०३.
इंगलैंड ४६८, ५०३, ५१६-५२३, ५३१, ५४६-५५१, ५५६, ५६०, ५६४, ५६५, ५६७, ५८१.
इंगोरोगोरो ५८३.
इंडस्ट्रियल म्यूज़ियम ५१२, ५२५, ६१४.
इंडियन स्टेट इन्कायरी कमेटी ५६४.
इंडोरोबो ५८३.
इंदरमल (लाला) ४६४.
इंदोर ४८७, ४६८, ५१७.
इंद्रराज (सिंघी) ३६६, ४०१, ४०२, ४०६, ४०६-४१३, ४१५-४१८.
इंद्रपुरा ३६६.
इंद्रविमान ३५८.
इंद्रसिंह (राव) (रा० अमरसिंहजी का पौत्र) २५३, २५७, २५६-२६३, २६६-२७१, २७३, २८१, २६०, २६१, २६८, ३००, ३०३, ३०५, ३०६, ३०६, ३२५, ३३३, ३३४, ६५५, ६५६.
इकडाणी ४४०.
इकतीसंदा ४८७, ५?१, ६४७.

इकतीसंदे रुपये पर के कुछ लेख ६४८.
इकतीस सना ६४७.
इकराणी १४४.
इकहरी (इकेवड़ी) ताज़ीम ६३२.
इख़्तियारख़ाँ २४६.
इख़्तियारपुर २११.
इजलाय ग़ैर ४६६.
इजलास ख़ास ४६५, ४८४, ६२०.
इजिप्ट १६, ५३३.
इज़ुद्दीन १५.
इतिहास-कार्यालय ६१५.
इत्तिमादख़ाँ २८५.
इनायत उल्लाख़ाँ ३१५.
इनायत उल्लाख़ाँ (काबुल) ५०७.
इनायतख़ाँ २६८, २७०-२७३, २७६, २८०, २८१.
इन्फ़्लुएँज़ा ५२६, ५३०.
इफ़्तख़ारख़ाँ २४६.
इब्राहीम लोदी १११.
इब्राहीम हुसेन मिर्ज़ा १४४.
इमरतराम (नाज़र) ४२४, ४२५.
इम्पीरियल एअर वे ५६३.
इम्पीरियल बैंक ५५४, ६०५, ६०६.
इम्पीरियल सर्विस कैवैलरी ब्रिगेड ५६६, ५६८.
इम्पे (कप्तान) ४५५, ४६०.
इरंडिया समदड़ाऊ ३२६.
इरविन-कृषिविद्या-शिक्षक ५५५.
इरविन-छात्रवृत्तियाँ ५५५.
इरविन-लॉर्ड ५५१, ५५५, ५६३.
इरादतमंदख़ाँ ३२५.
इर्विन (जे० बी०) ५६७, ५७०.
इलाहाबाद २२७, २६१, २६७, ५१४, ५६३.
इलाहाबाद यूनीवर्सिटी ४८७.
इसलामपुर २८६.
इस्माइल अलीख़ाँ ३६३.

ई

ईंटावा सूरपुरा ३२६.
ईंदा ६, ५६-६१, ६६, ८६, ३४४.
ईंदावाटी ८६.
ईंदोखली ६५५.
ईडर १८, ३४, ३५, ४२, ४३, ६३, १११, ११२, १६४, ३०५, ३२६, ३३५, ३४६, ४२२, ४३८, ४४२, ४६४, ५०१, ५०४, ५१०-५१२, ५१५, ५१८, ५१६, ५२७, ५३४.
ईडरिया ४३.
ईराकी ३१०.
ईरान ५, १३६, २१४, २३६, ३१०, ६५१, ६५२.
ईरानी २१७, २१८, ६३५.
ईश्वर (ईसरी) दास (इतिहासकार) २२३, २५२, २८६.
ईश्वरदास (चारण) १२०, १२१.
ईश्वरीसिंहजी (जयपुर) ३५३, ३५५-३५७, ३६०-३६४, ३७५, ३७६.
ईश्वरीसिंह (राव अमरसिंहजी का पुत्र) ६५५.
ईसरदा ५४६.
ईस्टइंडिया-कंपनी ४०२, ४०३, ४२०, ४४२.

उ

उंचियारड़ा कलां १६७.
उंम्फा उनौवा २८६.
उंमैदनगर-ठाकुर ५६७.
उंमैदसागर ५६४.
उंमैदसिंह (नींबेड़ा) ५६८.
उंमैदसिंहजी (महाराजा) २६, ५०६, ५१५, ५३३, ५३५, ५३६, ५४३-५४५, ५५०, ५७७, ६१७, ६३८.

उंमेदसिंहजी (महाराव-कोटा) ४८६.
उगंडा ५७७.
उग्रमसी ६१.
उग्रसेन (रा० चन्द्रसेनजी का पुत्र) १६०, १६७, १६८, १८७, १६५.
उंच १२६.
उज्जैन २२०–२२२, ३०५.
उटकमंड ५२८, ५३७, ५५२, ५५६, ५६०, ५६३.
उड़ीसा २०३.
उत्तमचन्द (मुहता) ४२७.
उत्तर-पश्चिमी सीमान्त प्रदेश ४८३.
उत्तरापथ ६.
उदयपुर १, ८७, ६०, १३८, १६३, १७६, २२५, २४७, २५५, २५६, २६१–२६३, २८२, २८५, २६६, २६६, ३०२, ३४७, ३८३, ३६७, ४०६, ४०७, ४०६, ४१२, ४१५, ४४६, ४५३, ४५६, ४७७, ४७८, ४८१, ४८३, ४८६, ४८६, ४६०, ५१०, ५११, ५१३, ५१५, ५३०, ५४७, ५६३, ५६५, ६५४.
उदयपुर (छोटा, पँवारों का) १३३, १४२.
उदयभाणजी (सिरोही) ४१६, ४१६, ४२२.
उदयभान (जोधा) २७५, २७७.
उदयमंदिर ४२४.
उदयसिंह (कूंपावत) १५६.
उदयसिंह (चाँपावत) (धीरसिंह का पुत्र) २६३, २७५, २७६, २८२, २८४, २८८, २६०.
उदयसिंह (चौहान) ६, १०, ३६.
उदयसिंहजी (द्वितीय) (महाराना) १८, १२४, १२५, १३२, १३३, १३५–१३८, १४१, १४६, १६१, १७०, १६०.
उदयसिंहजी (मोटा राजा) २८, ६४, १४४, १४८, १५१, १६१, १६६, १७०–१७८, १८१, १८६, ६२६.
उदयसिंहजी (राजा) ३०५.
उदैकरण (सोमावत) ४६५.
उदैसिंह ५६६.
उदैसिंह (पांचोटा-ठाकुर) ५३८.
उद्यान-वर्णन २३.
उद्योतसिंहजी (म० अजितसिंहजी के पुत्र) ३२८, ३३१.
उपाध्याय ४१०.
उमरकोट २, ४५, ५०, ५१, १२७, १२८, १४२, १४५, ३८४–३८७, ४१६, ४४३, ४४४, ५०२, ५२८.
उमरावसिंह ५२१.
उमादे १२०, १२१, १३२.
उम्मेद कोऑपरेटिव सोसाइटी ६०६.
उम्मेद फ़ीमेल अस्पताल ६०८, ६११.
उम्मैदसिंहजी (राव बूंदी) ३५५-३५७.
उम्मैदसिंहजी (शाहपुरा) ३४८, ३५०.
उलगखाँ ६४०.
उषवदात ५.
उसमानखाँ १००.
उसेत ६६.

ऊ

ऊंगा ५५.
ऊंचेरिया २४५.
ऊंदरी ५२५.
ऊदलियावास ३२६.
ऊदा (ईदा) ६६.
ऊदा (उदयसिंह महाराणा) ६१, ६६.
ऊदा (चारण) ४५.
ऊदा (पँवार) ३४३, ३४५.
ऊदा (राठोड़) ७५.
ऊदा (रा० रणमल्लजी का पुत्र) ८०.
ऊदा (रा० सूजाजी का पुत्र) ११०.
ऊदा (सांखलो) ५६.

ऊदावत १३१, १३८, १४२, १८५, २७५, २७८, २९८, ३२५, ३२६, ३३३, ३४०, ३५७, ३६०, ३७२, ३९०, ४३२, ४३६.
ऊदासर ४१३.
ऊनड़ ४८.
ऊमाबाई ३४६.
ऊहड़ (खाँप) ११३, ११४, १८३.
ऊहड़ (रा० आसथानजी का पुत्र) ४४.

ऋ

ऋषभदत्त ५.
ऋषभदेव ६५.

ए

एकथंभा महल ३३०.
एचिसन ४४२, ५०८.
ए० जी० जी० ४३१, ४३२, ४७२, ४८४, ४८७, ४८९.
एजैंट ४२२, ४३२, ४३४, ४३५, ४३७, ४५४.
एटा ६६.
एडवर्ड (अष्टम्) (सम्राट्) ५७१, ५७३, ६३८.
एडवर्ड (सप्तम) (सम्राट्) ४६६, ४८४, ५०२-५०४, ५१०, ५१३, ६३८.
ए० डी० सी० ५७३, ५७४.
एफ्रिका (पूर्वी) ५७७, ५७८, ५८०, ५८३, ५८५, ५९१.
एरोड्रोम ६१२,

ऐ

ऐतकादखाँ २७४, ३११, ३१२.
ऐतमादुद्दौला ३२७.
ऐडगर (एस० जी०) ५६७, ५७०, ५७२, ५७६.
ऐडम्स (आर्किबाल्ड) (डॉक्टर, कर्नल) ४७९, ४८१, ५०३.
ऐडम्स (सी) (मिस्) ५०२.
ऐडवर्ड (अष्टम) ५७१, ५७३, ६३८.
ऐडवर्ड (शाहज़ादा) ५४०.
ऐडवर्ड-मैमोरियल ५१३, ५१६.
ऐडवर्ड-रिलीफ फंड ५१३.
ऐडवर्ड (सप्तम) ४६६, ४८४, ५०२-५०४, ५१०, ५१३, ६३८.
ऐडवर्ड-समंद ५१५.
ऐडवाइज़री कमेटी ५३५.
ऐनीमल हसूबैंड्री ६१०.
ऐफ्रिका (दक्षिणी) ५६५.
ऐफ्रिका (पूर्वी) ५६६, ५६९.
ऐम्पायर म्यूज़ियम एसोसियेशन ६१५.
ऐरनपुरा ४३०, ४४९, ४५८, ५७५.
ऐरनपुरा-रेजीमैंट (४३ वीं) ४३०.
ऐलगिन-राजपूत स्कूल ४९५.
ऐलगिन (लॉर्ड) ४९५.
ऐलनबी ५६२.
ऐवन्स (G. F.) ५४५.

ओ

ओंकारसिंह (डॉक्टर) ५५१.
ओखामंडल ४४.
ओगल्वी (सर जॉर्ज) ५७३.
ओड़छा १७१.
ओडीट ६४, ६६.
ओरलीन्स ५९५.
ओल ३१७.
ओसवाल-स्कूल ४९६.
ओसियाँ ५४, ५३९, ५६५, ५७७, ५८८.

औ

औतारकिशन (कौल) ५६८.

औरंगज़ेब (बादशाह) १७, ११५, १७६, २१७, २१८, २२०–२३०, २३२, २३५, २३६, २३८, २४२, २४३, २४६, २४७, २४६, २५१, २५२, २५५, २६१, २६७–२६६, २८०, २८३, २८७, २८६–२६३, ३२७, ३२८, ६२६, ६५५.
औरंगाबाद २३३, २३८, २४२, २४४.

क

कंटालिया ४१८, ४३३, ४३६, ४५५.
कंठाजी ३३८, ३४२, ३४३.
कंठी–दुपट्टा सरोपाव ६३३.
कंडाली ३४५.
कं (कुं) तजीकदम ३३४, ३४४, ३४६.
कंधार ४, १८४, २०१, २०७, २१४, २१७, २१८, ६५०, ६५१.
कंपनी ४०३, ४०४, ४२०, ४२२, ४३०.
कँवरपदे का महल ४६३.
कँवलियां १०३.
कंस ३.
कक्क ८.
कक्कुक ७, ८,
कचरदास (छांगाणी) ४२४.
कच्छ ५, १२, ३५–३७, ४२६.
कच्छ का रण १.
कछवाहा ११६, १२१, १४२, १७४, १६८, २६८, ३५४, ३८२, ३८८, ४५०.
कछवाही १३२.
कछवाहीजी का महल ३५८.
कजलबाश २१७.
कजोई २४५.
कटारड़ा ४४०.
कड़ा और दुशाला सरोपाव ६३३.
कड़ा, मोती, दुशाला और मदील (पगड़ी) सरोपाव ६३३.
कदमखंडी २४०.
कनपाल (राव) ३३, ४६, ५०.
कनिष्क ४.
कनीराम (कूँपावत) ३६१.
कन्नौज ८, ६, ३१, ३२, ३४, ३६, ४६, ४७, ६५, १७१.
कन्सलटेटिव काउंसिल ५०४.
कपासन ८०, ८३.
कपूरचन्द ३१६.
कप्तान (अवैतनिक) ५४१.
कमध १६६.
कमधज ६१.
कमरुद्दीनखाँ ३२०, ३२१, ३२३, ३२७.
कमलमीर २६१.
कमवरखाँ ३०२, ३०६.
कमालखाँ २४०.
करंजा ५८८.
करड़ा ३५.
करण (रा. रणमल्लजी का पुत्र) ८०.
करणमल (मोटा.रा. उदयसिंहजी का पुत्र) १८०.
करणसिंह (अहमदनगर) ४४२.
करणसिंह (कूंपावत) ४३१, ४३७.
करण (र्ण) सिंहजी (राजा–बीकानेर) २३१, ६५२.
करणी (र्नी) जी ६८, ६३, ६८.
करणीदान २२.
करणू ३८४.
करनसिंह ५८८.
करमचन्द (रा. रणमल्लजी का पुत्र) ८०.
करमचन्द (सूत्रधार) १२२.
करमसी (रा. जोधाजी का पुत्र) ६५, ६६, १०३.
करमसोत १३१, २७७, ३७७, ४३५.
कराची ५०२, ५३०, ५४०, ५४५.
कराणी २४५.
करिज २८८.

करीमदादखाँ (करीमखाँ) ३३६, ३४१.
करेमा ४८२.
कर्ज़न (लॉर्ड) ४६७, ५०१, ५०५, ५०७, ६१४.
कर्ण (कन्नौजिया) ६५, ६६.
कर्ण (करण) (रा. किशनसिंहजी का भतीजा) १६३.
कर्ण (करण) सिंहजी (महाराणा) १८८, १८९, २०३.
कर्णाटक २०१.
कर्नल (ऑनरेरी) ५७३.
कर्नाट ४६.
कर्मसेन (राव आसकरण का पुत्र) १५२, १६८.
कर्म (करम) सेन (राव उग्रसेन का पुत्र) १८७, १९३, १९५.
कर्माखेड़ी ३२१.
कर्मावती १२०.
कलकत्ता ४३६, ४५४, ४६६, ४७८, ५०३, ५०६, ५११-५१४, ५१६, ५२८, ५४१, ५४६, ५४८.
कलकर्ण ८६.
कलदार रुपया ५००, ५०१.
कलश (कवि) २७२, २७९.
कला-कौशल और खानों का महकमा ६१६.
कलात ३८५, ३८६.
कलिचबेग-फ़ेदूनबेग ३८४.
कल्याण (बेलापुर) १८६.
कल्याण कटक ४६.
कल्याणदास (ब्राह्मण) १८९.
कल्याणदास (रा. आसकरण का पुत्र) १६८.
कल्याणदास (रा. महेशदास का पुत्र) १७८.
कल्याणदास (रा. मालदेवजी का पुत्र) १४४.
कल्याणमल (लोढा) ४१०, ४२४.
कल्याणमल (सिंह) जी (राव-बीकानेर) १२५, १३१, १३५, १३६, १३९, १५१.
कल्याणरायजी १०४.
कल्याणसागर २४४.
कल्याणसिंह (ऊदावत) ३५७.
कल्याणसिंह (नींबाज) ३६०, ३६४, ३७७.
कल्याणसिंह (मांगलिया) ८७.
कल्याणसिंह (राव राजा) ४६१.
कल्याणसिंहजी (राजा किशनगढ़) ४१६, ४२८, ४४७.
कल्याणी ४६.
कल्ला (कल्याणमल) (रा. राम का पुत्र) १५८, १७३.
कल्ला (देवड़ा) १७५.
कल्ला (रायमलोत) १५२, १५३, १५५, १५६, १७५, १७६, १९२.
कल्होरा ३८४, ३८६.
कवलाँ २१६.
कविराजा ४९१.
कश्मीर ४८५, ५०५, ५१०, ५११, ५१५, ५३३, ५३६, ५६५.
कश्मीरी ४६९.
कसूंबी २७४.
काउंसिल ऑफ़ स्टेट ५४५.
कांचनगिरि १०.
कांधल ७५, ८०, ८४, ८८-९०, ९८, १००, १०१.
कांनकरण ४२५.
काक ४९.
काकड़खी १९२.
काकेलाव ३६१.
काकेलाव व्यासों का ११६.
कागा २४४, २७०, ४०९.
काछबली की घाटी ३६७.
काज़मखाँ २९५.
का (ज़) ज़िमबेगखाँ २८१, २८३, २८४, २८८, २८९, २९५.
काज़ी १७२, १७७.

काठियावाड़ ५, ३७, ४२, ५४३.
काठी ३७.
काडी ३२.
कागाणा २७७, ४१६.
काणूंजा १५१.
कादिर (सुलतान) १२३.
कानड़देव (रा. छाडाजी का पुत्र) ५२.
कानसिंह (पुलिस) ५४२, ५४७, ५५३, ५५४, ५५८, ५६८, ५७१.
कानसिंह (बीठोरा) ४५०.
कानसिंह (रिसाला) ५४१.
कानावास १४४.
कानावासिया १७८.
क़ानून ६२२.
क़ानूनी सलाहकार (Legal Adviser) ६०२.
कान्ह (रा आसकरणजी का पुत्र) १६८.
क़ान्ह (रा. गांगाजी का पुत्र) ११५.
कान्हड़देव (परमार) ११.
कान्हड़देव (राव तीडाजी का पुत्र) ३३, ५२...५४.
कान्हड़देव (सोनगरा) १०, १५.
कान्हा (जगमाल का पुत्र) ५५.
कान्हाजी (राव कान्ह) ६६, ६८, ६६, ७२, ७३, ७५.
कापरड़ा ८०, ८५, ८८
काबा १६५.
काबुल ४, १६७, २०५, २१३, २१६, २१७, २३६–२३८, २४०, २४१, २४४, २४६, २४८ २५२, ४६६, ५०६, ६५१.
कामबख्श २६६, २६४, २६५, २६६.
कामा (सादा का पुत्र) १६६.
कामासणी २४५.
कायद्रां १४.
कायमख़ानी ६६.
कायलाणा (ना) ७०, ८५, ४६२, ५१०, ५६०.
कायस्थ १५७, २५०, २५२, ३०८.
कायस्थ–स्कूल ४६६.
कारतलबख़ाँ २८०.
कारो ५६३, ५६४.
कारोलियाँ १४४.
कालयवन ३.
कालाऊ ५८, ६६.
कालिंजर ६, १३२.
कालिंद्री २५४, २५५.
काली नदी ३२.
कालू ३६८.
कालूराम (पंचोली) ४३७.
काशान २१४.
काशी १६, २५, ३०, ६६, २०४, २४३, ४३६, ४४०, ५२६, ५६१.
का (क) श्मीर १७६, २०४, २१५.
कासली १२३, १४२, ३०६.
कासिमख़ाँ २२०, २२२, २२४.
कासिमख़ाँ २७१, २७३.
कासिमख़ाँ (नेशापुरी) १३७, १३८.
कसिमपुर ३४०.
काहुनी ८०, ८४–८६.
किचनर (लॉर्ड) ५१२, ५६३.
कितुई ५८८.
किनसरिया १२.
किरकी ४८१.
किरमसीसर कलां ६०१.
किरमसीसर खुर्द ६०१.
किरमाल की घाटी २८४.
किराड़ू १०–१२, ५५३.
किलिरिडनी ५७८.
किलिमंजरू ५८०.
किल्याण (मेड़तिया) २७६.

किशन (कृष्ण) गढ़ १, ४२, १८०, २४०, २५७, ३०३–३०६, ३४७, ३५७, ३६१, ३६४, ३६८, ३७२, ३७३, ३८३, ३८८, ३८६, ४०७, ४१६, ४२८, ४४७, ४५२, ४७८, ४८६, ४६०, ४६४, ४६८, ५०६–५११, ५१५, ५१८, ५२१, ५२७, ५३०, ५३४.
किशनदास १८५.
किशनलाल (शाह) ५२७.
किशनसिंह (भाटी) ३७१.
किशनसिंह (रा. गांगाजी का पुत्र) ११५.
किशन (कृष्ण) सिंहजी (केहरी) (राजा किशनगढ़) १७६, १८०, १६२, १६३.
किशोर कुँवरी बाई साहिबा ५६५, ५६६, ५७०.
किशोरसिंह (ठाकुर मेजर) ५३८, ५६६.
किशोरसिंह (म० अजितसिंहजी का पुत्र) ३२८, ३२६, ३७१.
किशोरसिंहजी (महाराज) २५, ४५४, ४६१, ४६७, ४६६, ४६८.
किशोरसिंह (राजगढ़) ३५५.
किशोरीलाल (लाला) ४८५.
कीटिंग (लैफ्टिनैन्ट कर्नल) ४५६.
कीतलसर ४४०.
कीरतपाल (रा. धूहड़जी का पुत्र) ४८.
कीरतपुरा ३६६.
कीरतसिंह (आंबेर) २३८.
कीरतसिंह (देवड़ा) १६५.
कीर्तिकौमुदी ३६.
कीर्तिपाल (चौहान) १०.
कीर्तिसिंह (रा. उदैसिंहजी का पुत्र) १७८.
कुंजविहारीजी का मंदिर ३६४.
कुंडल ५६, १०४, १७१, २८३, २८५.
कुंडा २३५.
कुंतल ८७.
कुंभलगढ़ (मेर) १२५, १३७, १४२, १८८, २६५, २६६, २८२.
कुंभा (जगमाल का पुत्र) ५५.
कुंभा (सोलंकी) १८७.
कुंभाजी (महाराना) ७०, ७५–७६, ८१–८३, ८५, ८७, ८६–६१, ६६, १००.
कुंभानी ३५४.
कुँवरड़ा ७६.
कुँवरसेन (लाला) ५६८, ५७२, ५७६.
कुचामन ३६१, ४०८, ४१०, ४११, ४१६, ४२८, ४३६, ४३७, ४४८, ४५१, ४५६, ४५६, ४६४, ४६६, ४७४, ४८४, ४८७, ४६४, ५०१, ५०४, ६२८, ६४७.
कुचामन की टकसाल ६४७.
कुचामन रोड ४८३, ४८७, ६०३.
कुचामनिया रुपया ६४७.
कुचामनिये रुपये पर के कुछ लेख ६४८.
कुचीपला ४४१.
कुचेरा ४३७, ४४४, ४५१, ६५४.
कुड़की २६७, ४१६.
कुतुब (बुद्दीन) खाँ (जूनागढ़ का फ़ौजदार) २३३.
कुतुबुद्दीन (ऐबक) १०, ११, १४.
कुतुबुद्दीनखाँ १६४.
कुतुबुलमुल्क ३११–३१४, ३१६, ३१७.
कुन्दनमल (मुहता) ४५६.
कुमारपाल १२, ३६.
कुम्भकर्ण (जैतावत) १६६.
कुम्भकर्ण (बारहट) १७६.
कुरम्भां १६५.
कुरुक्षेत्र ३०३.
कुलिचखाँ १७६.
कुलीचखाँ २६६.
कुशलराज (सिंघी) ४२८, ४२६, ४३३, ४३७, ४४७, ४४८, ४५०, ४५१.
कुशलसिंह (आउवा) ३६१, ३६३, ३८३.
कुशलसिंह (मांडा–ठाकुर) ३५६.

कुशलसिंह (मेड़तिया) २६०-२६२.
कुशान ४.
कुशालसिंह (आउवा) ४३६, ४५०, ४५३.
कुष्ठरोग ६०८.
कूंपड़ावास ३५७.
कूंपा (रा० जोधाजी का पुत्र) १०३.
कूंपा (रा० मल्लिनाथजी का पुत्र) ५४.
कूंपाजी (आसोप) ११४, ११८, ११६, १२४, १२५, १३०, १३१.
कूंपावत १५८, १५६, २०१, २०२, २०४, २१०, २१२, २२६, २६३, २७५, २७७, २७८, ३३२, ३५६, ३६१, ३८०, ३६०, ३६६, ४३६, ४३७, ६५४.
कूड़ी ४४०.
कृषि-विद्यालय ५५६.
कृष्ण (तृतीय) ११.
कृष्णकुमारी (कुँवरी) १७६, ४०५, ४०६, ४०६, ४१२, ४१५.
कृष्णराज (द्वितीय) ११.
कृष्णविलास २३, ४३६.
कृष्णविलास २५.
कृष्णा (नदी) ३७०.
केकड़ी १४२, १८०, ३२६, ३५४, ३७५.
केटर (A. N. L) ५५१.
केटर (A. W. L) ५५६.
केनिया (जहाज़) ५७७, ५८४, ५८८.
केनिया (पहाड़) ५८१.
केनिया (शहर) ५७७, ५७८, ५८८.
केम्ब्रे ५६६.
केरल ३४५.
केलण (रा० रायपालजी का पुत्र) ४६.
केलणकोट १४४.
केलवा १२१, १३२, २५५.
केल्हण (चौहान) १०.
केल्ह (ल) ण (भाटी) ६७, ६४.
केवाय माता १२.
केशवदास (कल्ला का बंधु) १५३.
केशवदास (गाडण) २०.
केशवदास (झाबुवा) १०६.
केशव (शो) दास (मेड़तिया) १५२, १६३.
केशवदास (रतलाम) १७६.
केशवदास (रा० उदयसिंहजी का पुत्र) १८०.
केशवदासोत २५६.
केसरखाँ (खोखर) ३७४.
केसरवाली ३६५, ४४०.
केसरीसिंह (आसोप) ४१८, ४२४.
केसरीसिंह (कायस्थ) २५०, २५२.
केसरीसिंह (कुचामन-ठाकुर) ४४८, ४५१.
केसरीसिंह (धांधल) ४२८.
केसरीसिंह (बगड़ी) ४१२.
केसरीसिंह (मेड़तिया) ३५२.
केसरीसिंह (रायपुर) ३८४.
केसरीसिंह (रास) ३६०, ३६४, ३७१, ३७७, ३७८.
केसरीसिंह (सोभावत) ४६५.
केसरीसिंहजी (ईडर) ५०१, ५०४.
केसरीसिंहजी (रीवां) ५५३.
केस(श)व (सूत्रधार) १२२.
के. सी. एस. आइ ५५०.
के. सी. वी. ओ. ५४२
केहरजी (महारावल) (भाटी) ६७, ८६.
कैंवे ३४२, ३४६, ३५०.
कैडेटकोर ५०४.
कैम्ब्रिज यूनीवर्सिटी ४६६.
कैरू ६२.
कैसरेहिन्द जहाज़ ५५८.
कोंकण ४६.
कोचकबेग़ २५१.
कोटकिराना ४२६.

कोटड़ा ७६, १०७, ११६, १३४, १४२, ६०१.
कोटड़ा २०६.
कोटला ४४२.
कोट सोलंकियान ७१.
कोटा २२२, २४०, ३४७, ३५३, ३५५, ३५७, ४०२, ४४३, ४८६, ४८८-४९०, ४९४-४९६, ५३४, ५६५.
कोटेचा ६०, ६२.
कोठावाला (M. R.) ५३६, ५४७, ५५१, ५५४, ५५८, ५६६, ५७४.
कोड़मदे (वी) (सादा की स्त्री) ६७, ९४.
कोड़मदेवी (रा० जोधाजी की माता) ९४.
कोड़मदेसर ६७, ९४.
कोड़मदेसर (गाँव) ९८.
कोड़ा २२७.
कोड़िया पट्टी (जाखेड़ों की) ३२९.
कोतवाल ६२२.
कोतवाली ३६९.
कोतवाली का मकान ४६२.
कोरटा (टोंस नदी पर) २०४.
कोरना (गा) १५३, १८३.
कोरी ३१६.
कोर्ट ऑफ़ वार्ड्स ५३६, ६१९.
कोर्ट सरदारान ४७४, ४७५, ४९४, ५०४, ५०९, ५१२, ५४८, ६२०.
कोलिया ४१४.
कोली ४३, १८५, १८६, २३१, २८९, ३०८, ३४४, ३४६.
कोलीवाड़ा ३०८.
कोलू ४५, १०४, २७८.
कोलू (पुरोहितों का बास) १०३.
कोलूमढ़ ३९.
कोलो ५८१.
कोल्हापुर ३०९, ४८६.
कोसाना ८५, ८७, १०६, १२०, १२१, २८१, ३५९.
कोसी ३१७.
कोसीथल १२४, १४२.
कौंडोग्रा इरंगी ५८२.
कौब (मिस्टर) ५१०.
कौरव ४.
क्वेटा ५४७, ५४८, ५७०.
क्षत्रप ५, ६, ६३४.

ख

खंगार १०८.
खंगारोत ३२३.
खंडेला २४४, ३५४.
खंभात १७३, ३४२, ३४९, ३५०.
खजवा २२७, ६५५.
खजवाना ३३३.
ख़ज़ाने का महकमा ६०५.
खटूकड़ा ४४०.
खमणोर १६२.
खरबूजी ३४७, ३४९.
खरवा १८०, २६५, ३७२, ३७५, ३७६, ३८९, ३९८.
खराड़ी १०३.
ख़लील उल्ला ख़ाँ २२५, ६५३.
ख़वासख़ाँ १२१, १३२.
ख़वासपुरा १२१.
ख़ाँ आज़म १८२.
ख़ाँ जमां २९३.
ख़ाँ ज़हां २९४, २९७.
ख़ाँ जहां ६५०.
ख़ाँ जहां बहादुर २४९-२५२, २६०, २७३, २७९.
खांडेराव ३६३.
खांडेराव दाभाड़े ३४४, ३४६.

खाँ दौराँ २६७, ३१०, ३१२, ३२४, ३४८.
ख़ाँ दौरां (नसरत जंग) ६५०, ६५२.
खाँनखाँना (अब्दुलरहीम) १७२, १८४, १८६, १८७, १६६, १६६, २००.
खाँनखाँना (बहराम) १३८.
खाँनखानाँ (मुहब्बतख़ाँ) ३०१.
खाँनजहां २४०.
खाँनजहां (लोदी) १६४, २०५, २०६.
खाँनज़ादा १४२.
खाचरोद २२१, २६५.
खाटावास १७८.
खाटू ६३, ७६, १४२, ४५६, ४६०.
खाटू (छोटी) ३७७.
खाती खेड़ा ४६२.
खानदेश २०१, २७२.
खानपुर ३३८.
खानसिंह ५६७, ५६६.
खानूजी ३,८१.
खानों और कला-कौशल का महकमा ६१६.
ख़ाफ़ीख़ाँ २२३.
खाबड़ १२३, १४२.
खारची ६६, ४७२.
खारटूम ५६३.
खारड़ा (मेवासा) ३६५.
खाराबेरा १०३, ११५.
खारिया १०४, ३८०.
खारिया फादड़ा ४४०.
खारी ६६.
खारी कलां (चारणां) १४४.
ख़ास महकमा ४६३.
खिजिरख़ाँ ६५, ६७.
खिड़की २०१.
ख़िदमत गुज़ारख़ाँ २४६, २५१.
खिनावड़ी १४४.
खिमसेपुर ३१.
खींवकरण १२४, १३१.
खींवसर ६६, १०१, १३१, २७८, ४१३, ४२४.
खींवसी ७२.
खींवसी ४१७.
खींवसी (भंडारी) ३३२, ३३४.
खींवा (आसरलाई) १५१.
खींवा (आसोप) १६४.
खींवा (पौकरना राठोड़) १०८.
खींवा (राठोड़) १७२, १८८.
खीचंद ३२६.
खीची ४५, ४८, ८६, १७५, १८२, २५४, २५५, २७८, ३७८, ३६०, ४२३, ५२१, ५२३, ५५४.
खीचीवाड़ा १७०.
खीपसा ४४, ४५.
खीमसी ५२.
खुजिस्ताअख़्तर (जहांशाह) ३१७.
खुडाला १७८.
ख़ुदाबंदख़ाँ (हबशी) १८४.
ख़ुदाबाद (शिकारपुर) ३८६.
खुरासान २०६.
खुर्रम (अकबर का अमीर) १५३, १६५.
खुर्रम (मलिक) ६३.
खुर्रम (शाहज़ादा) १६०, १६१, १६३, १६४, १६६, २००–२०६.
खुसरो १४.
खुसरो (मल्लिक) १४.
खूबचंद (सिंघी) ४३०.
खेजड़ला ३६८, ४०८, ४२३, ४२४, ४५०, ४५६.
खेड़ १०, ३४, ३८, ३६, ४२–४४, ४६–५०, ५२–५५, ११६.
खेड़कोट ३७.

खेड़ेचा ४३, ४६.
खेतड़ी ४०४, ४०५, ४०७, ४८५, ४८८, ४६०, ४६४, ४६६.
खेतपाल ४८.
खेतसी (बाघाजी का पुत्र) ११०.
खेतसी (भाटी) ३०८.
खेताजी (महाराणा) ७५.
खेतावास ४४०.
खेतासर २६३.
खेमकरण २६०.
खेम (खींव) सी ३०६, ३०७, ३२४.
खैड़ापा १४४, ३२६.
खैबर २४०, २४१.
खैरपुर ३८५.
खैरवा ८०, ८८, ६०, ६१, १२४, १२५, ४४८, ४४६, ४५६, ४६६, ४७४.
खैरागढ़ २०४.
खोखर (गांव) ५६७.
खोखर (जाति) ६२, ६३, ३७४.
खोखर (राव छाडाजी का पुत्र) ५२.
खोखरोपार ६०३.
खोड़ १८८.
खोड़ेचां १०३.
खोर ३२, ६५.
ख़्वाबगाह के महल ३२६.

ग

गंगदेव ६१.
गंगवाना ३५२–३५४.
गंगश्याम ११५.
गंगश्याम का मंदिर ३६३, ३६४, ४६२.
गंगा ३४, ७५, १२३, ४६६.
गंगा (कैनाल) ५५५.
गंगागुरु ३२६.
गंगादास १३५.
गंगाप्रसाद पंडित ४८७.
गंगारड़ा ३७२.
गंगाराम (भंडारी) ३६६, ४०१, ४०२, ४०६, ४०६, ४१०.
गंगाराम (व्यास) ४३७.
गंगावा ४५१.
गंगासिंहजी (बीकानेर–महाराजा) ४८५, ४६७, ४६८.
गंदाबनदी २४०.
गंभीरमल ४३६.
गगराणा ६७, ३६४.
गज़नी १४, २१४.
गज़नीखाँ (जालोरी) ११२, ३०६.
गज़नीखाँ (नाडोल) १८८.
गजनेर ६३, ४१४.
गजसिंह (भाटी) ४२४, ४२५.
गजसिंह (मेवाड़) २८५.
गजसिंहजी (जोधपुर–महाराजा) २०, २८, १८७–१६०, १६३–१६५, १६८–२०६, २१०, २११, २१३, २१६, ६४०, ६४६, ६५१.
गजसिंहजी (बीकानेर) ३५५, ३६१, ३६४, ३७२, ३७५, ३८३.
गजसिंहपुरा ३५४.
गडरारोड ५५३.
गडवाड़ा ६६.
गढ़ पिंडारा १६६.
गढ़ बींटली ३२४, ३२५.
गढ़ मुक्तेश्वर ३३५.
गणेशचंद (मेहता) ४६४, ४६८.
गणेशदास (खीची) १७५.
गणेशप्रसाद (कप्तान) ५०१.
गदाधर १२२.
गधिया (गधैया) ६, ६३४–६३६.
गधैया ६, ६३४, ६३५.
गया १६, ७५, ६५, ६६, २०४, ४६६.
गयागुरु ४४०.

गयासुद्दीन बलबन (सुलतान) ६४०.
गयूरअहमद ४८८.
गवर्नमैंट ४२१, ४२२, ४२५–४३०, ४३२–४३५, ४३६, ४४२–४४५, ४५२, ४५३, ४५५–४५६, ४६३, ४६५, ४६७–४७०, ४७२, ४७५, ४७६–४८१, ४८३, ४८५, ४९०, ४९३, ४९७–५०१, ५०३–५०६, ५०७, ५०६–५११, ५१३, ५१६–५१८, ५२०–५२३, ५२५, ५२६, ५२८, ५३०, ५३६, ५४६, ५५०, ५६०, ५७५, ६१२.
गवर्नर ४८१, ४८३, ४८७.
गवर्नर जनरल ४२०–४२२, ४२८, ४३३, ४३५, ४५४, ४५५, ४५६, ४६६, ५१०, ५७२.
गवर्नर जनरल का एजैंट ४४६, ४४८, ४५१, ४५४, ४५६, ४५७, ४६०.
गवर्नर बंबई ५२७.
गवां ५१०.
गांगा की बावड़ी ११५.
गांगाजी (राव) ११०–११६, ११८.
गांगाणा ४४०.
गांगाणी १४८, १७०, १८२.
गांगेलाव ११५,
गॉइडर (जी. बी.) ५०४, ५१६, ५२२.
गागरू (रौ) न ७६, ८६.
गाज़ा ५६७.
गाज़िउद्दीन ३१४.
गाडवा २६५.
गाधेड़ी ४४४.
गायकवाड़ ३३४, ३४२, ३४६.
गिरदीकोट ३६४, ५१३.
गिरधर बहादुर (राजा) ३२५.
गिरधारीसिंह (चंडावल-ठाकुर) ५४१.
गिरनार ४३८.
गिररी १२६, १३०.
गिराब ३८४.
गिलन (G. V. B.) ५७४.
गिलावासणी ६०१.
गिवैंची ५६५.
गींगोली ४०८, ४१४.
गींदोली ५४.
गुजरात ३, ५, ६, ८, ११–१५, ३२, ३४, ३६, ३७, ४३, ५४, ५५, ६२–६४, ७७, ८०, ८६, ९०, १०२, १११, ११६, ११८, १२२, १२३, १३५, १३८, १५१, १६८, १८१–१८३, १८५–१८७, १६४, १६५, १६७, २००, २०८, २२०, २३०–२३३, २३८–२४०, २४३, २६२, २६६, २७६, २८०, २८१, २८३–२८५, २८८, २८६, ३०४, ३०८, ३१०, ३१३, ३१५, ३१६, ३२१, ३२३, ३३२, ३३६, ३३७, ३४०–३४३, ३४६, ३४७, ३४६, ३५०, ३५६, ४१६, ४२६, ६३५, ६३७.
गुजराती ३३७, ३३८.
गुजरी २३८.
गुड़ा (ढा) १२४.
गुड़ा (ढा) ४५८.
गुड़ा (ढा) (मालानी) १०, ४२६, ५४२, ६१८.
गुड़ाल ४४.
गुढ़ा–जाटों का ४८६.
गुढ़ा–लास का ४८६.
गुढ़ा–सुथारों का ४८६.
गुणपालिया ४४०.
गुणभाषा चित्र २०.
गुणरूपक (केशवदास कृत) २०.
गुणरूपक (हेमकवि कृत) २०.
गुणसली ३६६.
गुणसार २१.
गुप्त ५, ६३४.
गुमान २४.

गुमानसिंह (खीची) ५२१, ५२३.
गुमानसिंहजी (महाराज कुमार) ५२०.
गुमानसिंहजी (महा० विजयसिंहजी के पुत्र) ३६४, ४०१, ४०४.
गुर्जर ६, ७.
गुलबदन बेगम १२६, १२८.
गुलराज (सिंघी) ४१८, ४१६.
गुलाबराय (पासवान) ३६०, ३६१, ३६४, ४०१.
गुलाबसागर ३६४, ४६२, ४८०, ५०२.
गुलाबसिंह (पुलिस-इन्सपेक्टर) ५४३.
गुलाबसिंहजी (रीवां-महाराजा) ५३६-५३६.
गुलाममुहम्मद (मीर) ३८५.
गुलामहुसैनख़ाँ ३६६.
गुसांई ३२६, ३६५, ४४०, ५०६.
गुहिल (गोयल-गोहिल-गहलोत-गुहिलोत) ११, ३४, ३८, ३६, ४२, ४७, ७०. १८२, २६६, ३७४.
गूंदीसर ३२६.
गूंदोज (च) ४२, ८८, १२१, १३२, १४३, १४८, ४४६.
गूघरोट २७६.
गूजर १५१, १७०.
गूलर ३८०, ४४८, ४५०, ४५३, ४५६.
गेब्रील (E. V.) ५१०.
गेसूख़ाँ ३२४.
गैब्रील (G. H.) ५५६, ५५६.
गैमावास १६७.
गैलावस ३२६.
गैलावसिया १६७.
गोकलघाट ३६२.
गोगादे (चौहान) ८६.
गोगादेव (राव वीरमजी का पुत्र) २०, ५६, ५७, ६६.
गोगूंदा १६३, १६४, १६०, १६१.
गोठ ५, ३०३.
गोड (ढ) वाड़ ११-१३, ४३, ७८-८१, ८४, ८८-६०, १०२, ११४, १२४, १२५, २५६, २६४, २६६, २७३, २८४, २६५, ३३३, ३८२, ३८३, ३६४, ३६६-३६८, ४१५, ४३०, ४४१, ४४६, ४४७, ४७१, ४८८, ४८६.
गोदेलावास २४५, ३२६.
गोपा ६६.
गोपालदास (ऊहड़) १८३.
गोपालदास (चांपावत) १७३, १७४.
गोपालदास (पंचोली) ४२०, ४२३.
गोपालदास (भाटी) १८८.
गोपालदास (म. सूरसिंहजी का भतीजा) १६२.
गोपालदास (मेड़तिया) २१४, २१८.
गोपालदास (राठोड़) १८६.
गोपालदास (रा० मालदेवजी का पुत्र) १४४.
गोपालपुरा ३४६.
गोपालपौल ३२६, ४४६.
गोपीनाथ (मेड़तिया) २८२.
गोपीनाथ (राय) १८६.
गोपीनाथ (राव सूजाजी का पुत्र) ११०.
गोपीनाथजी का मन्दिर ४४०.
गोयन्द ८०.
गोयन्ददास (सोभावत) ३७३.
गोयन्दपुरा ४४४.
गोयन्दाणा (गढ़) ३६, ४६.
गोरक्षसहस्र नाम की टीका २४.
गोरधन (गोवर्धन) (खीची) ३७८, ३६०.
गोरधन (धांधल) ४२४, ४२५.
गोरधनसिंह (कंटालिया) ४५५.
गोरनडी ४४०.
गोराऊ ५२२, ५३६.
गोरेड़ी खुर्द ३२६.
गोल ३५८.

गोलकुंडा २०१.
गोलमेज़ कॉनफ्रेन्स ५६४, ५६५.
गोलासनी ५६४.
गोलिया ६०१.
गोल्डन जुबिली ४८१.
गोवर्धन पर्वत २४०.
गोवर्धनलालजी (गुसाँईं) ५०६.
गोविन्द (कूंपा) १२६.
गोविन्ददास (जोधा) २४१.
गोविन्ददास (भाटी) १८२, १८३, १८५, १८७–१८८, १६१–१६३, १६७.
गोविन्ददास (रा० उदयसिंहजी का पौत्र) १८६.
गोविन्ददास (रा० सूजाजी का पौत्र) १०८, १३३.
गोविन्दराम (भट्ट) ३५३, ३५५.
गोविन्दराव ३७६.
गोश्चन (लॉर्ड) ५६०.
गो (गु) सांईंजी (गोस्वामी) २४०, ३५७, ३८१, ३६५, ४०२, ४४०.
गौड़ ८, १२, १३, २२२, २२३, २३८, ३५१, ३५३, ६५३, ६५४.
गौड़ावाटी १३, ३६२, ४०८.
गौतमी–पुत्र शातकर्णि ५.
गौरीशंकरजी (ओझाजी) १६६, १८७, १८८.
गौर्डन (जनरल) ५६३.
गौर्डन (मेजर) ५७१.
ग्रहरिपु ३६.
ग्रांट (G. W. Grant कर्नल) ५०२, ५०६.
ग्रांट डफ ३३६, ३४७, ३४६, ३७४, ४०३, ४०७.
ग्रीस ५६६.
ग्वालियर ८, ६६, ५१५, ५३०, ६५०.

घ

घंटाघर ५१३.
घटियाला ७, ८, ११५.
घटियाली ३५१.
घनश्यामजी का मंदिर (पचदेवरियों वाला) ३३०.
घाटा ३८०.
घाणेराव ८८, ३२६, ४०५, ४१५, ४४६, ४५५.
घासमारी २३६, ३८१.
घीसूलाल ५७२.
घुड़ला (घड़ूला) १०६.
घूघरोट १२३.
घेवड़ा ११५.
घोडारग्रा ३२६.
घोड़ा सरोपाव ६३३.
घोरानिये पुल ५६७.
घोसूंडी १६, ६६.

च

चंग ४२६,
चंगावड़ा ११६.
चंगावड़ा (खुर्द) ३६६.
चंडावल ३५६, ३६१, ३६८, ४१२, ४१८, ४२४, ४२५, ४३१, ४५६, ५४१.
चंडू १२१.
चंडू-पंचांग १२१, ६१५.
चंडूला ३५४.
चंद ४८.
चंद्रगुप्त (द्वितीय) ५.
चंद्रगुप्त (मौर्य) ४.
चंद्रपाल ४८.
चंद्रप्रबोध २१.
चंद्रभान जोधा २५७.
चंद्रसेनजी (आंबेर) १०१.
चंद्रसेनजी (राव जोधपुर) १७, १३५, १३८–१४१, १४४, १४७–१६७, १७०, १८२, १८७, १६०, २१८, ६००.
चंद्रावत २२३.
चँवालिये (ए) २७, ३८१.
चकन दुर्ग २३६.

चक्रेश्वरी ४६, ४७, ६५.
चतुरसाल (बूँदेला) ३०१.
चतुरसिंह (म० अजितसिंहजी का पुत्र) ३२८.
चतुर्भुज (उपाध्याय) ४१०.
चतुर्भुज (कल्ला) ४८६.
चतुर्भुज (भंडारी) ४१८.
चतुर्भुज विष्णु १९६.
चनाब २१६.
चनियार २८६.
चरखारी ५६५.
चवां ४०८, ४४०.
चांचलवा १०३, ३५७.
चांणोद १०६, ४१५.
चाँदकुंवरी ६३.
चांदणी ५०.
चांदपौल (दरवाज़ा) १६८, २१६, ३५७, ४१८, ४६६, ६११.
चाँदबावड़ी (चौहान बावड़ी) ६३.
चाँदराव १०३.
चाँदशाही ६४१.
चाँदारूणा २६०.
चाँदावत २५४, २५५, २८१, ३५६, ३६७, ३८८, ३६०, ३६६, ३६८.
चाँदी के सिक्के ६४२.
चाँदी के सिक्कों पर के कुछ लेख ६४५, ६४६.
चाँदेलाव ३८०.
चाँपा ८०, ८६–८८, ६५.
चाँपानेर ३३८, ३४५.
चाँपावत १३४, १७३, १७४, २१२, २१८, २५०, २५३, २५६, २६३, २७१, २७४-२७६, २७८, २८१, २८२, २८४, २८८, २६०, २६८, ३०१, ३०८, ३३४, ३६१, ३७३, ३७६–३८१, ४०८, ४३६, ४५०, ५४२, ६५४.
चाँमलोद (चाँणोद) १८८.
चाकर (मीर) ३८५.
चाकरी ४१३, ४५७, ४५८, ५०६, ५२०, ५५५, ६१८; ६२७, ६२६–६३१.
चाचक ४५.
चाचा ६७, ७५–७८, ८१, ८२, ८७.
चाचिगदेव (खीची) ८६.
चाचिगदेव (चौहान) ६, ३६.
चाचिगदेव (रा० चूंडाजी का पुत्र) ६६.
चाटसू ७६, १२३, १४२, १४३.
चामर्स (थीओडोर) ५४८.
चामुंडा (देवी) २७, ६१, ६५, ६६, ३३०, ४४६, ४६२, ५१८, ५५८.
चारण ४५, ६६, ७६, १०३, १०६, ११६, १४४, १७८, १६७, २०६, २४५, ३२६, ३६६, ३६६, ३६५, ४४०, ४४३, ४६१–४६३, ४७३, ४६२, ६००, ६०१, ६१०, ६५४, ६५५.
चारणवाड़ा (चारणों का बाड़ा) ४४०, ६००.
चारभुजा २४५.
चारवास ११५, १४४.
चालुक्य १३.
चावंडा (गांव) ६१.
चावंडिया ५५४.
चावड़ा ६, ७, ३५, ४४, ७४.
चावड़ीजी ४६२.
चिकित्सा-विभाग ६०७.
चिड़ियाघर ६१२.
चिड़ियानाथ ६२, १४३.
चित्तौड़ ४, १८, ४६, ७५–७७, ८०, ८२, ८३, ८६, ६०, ११६, १२४, १४०–१४२, १६१, १६२, २६३, २६४.
चिमणावा ४४.
चिमनाजी ३३८, ३४२, ३४३.
चीतरोड़ी ८३.
चीन ६, ५०१–५०३, ५१७.
चीफ़ कोर्ट ५२१, ६२०, ६२१, ६२३.

चीफ़ जज ५२१, ५२६.
चीफ़ मिनिस्टर ६०२.
चुकावस ४४०.
चूंटीसरा ५६.
चूंडा (रावत-मेवाड़) ७१, ७२, ७६, ७६, ८१-८८.
चूंडाजी (राव जोधपुर) ६, १५, ३३, ५४-७३, ८३, ८५, ६०.
चूंडावत ६३.
चूंडासर (गांव-नागोर) ५६, ८४, ६८.
चूंडासर (तालाव) ६३.
चूडामन (भरतपुर) ३२२, ३५२, ३५३.
चेचक ६०७.
चेटवुड (लेडी) ५६८.
चेम्बर ऑफ़ प्रिंसेज़ ५३८, ५४५.
चेराई ८, २६३.
चैनकरण (सिंघी) ३६८, ४१८, ४१६.
चैनसिंह (आसोप-ठाकुर) ४८४, ४६४, ५१४, ५१६, ५३५.
चैनसिंह (पौकरन-ठाकुर) ५२५, ५३६, ५५६, ५५६, ५६०, ५६७, ५७०, ५७२.
चैनसिंह (बारठ) ४४३.
चैनसुख का बेरा ६०८.
चैना २४.
चैम्सफ़ोर्ड (लॉर्ड) १६, ५३७.
चोर नराणा २२२.
चौकड़ी ८५, ८७.
चौकेलाव ३५८, ४४०, ४६२.
चौखां ३५७.
चौथ २८२, ३३७, ३३८, ३४४, ३४६, ३४८.
चौधरी २६६.
चौपड़ा ४२५.
चौपासनी २४०, ३५७, ४०२, ४१८, ४४६, ४६५, ५२२, ५३१, ५६०.
चौपासणी चारणां १४४.
चौबारी ३८४.
चौरासी पदार्थ नामावली २३.
चौसल ३५१.
चौसा १२३.
चौहटन १४२, ५५८.
चौहान ८-१५, ३५, ३८, ३६, ४५, ४७, ५१-५३, ६३, ६६, ६७, ७३, ७४, ८४, ८६, ६३, ६६, १००, १०४, १०५, ११३, ११४, १२३, १२४, १४२, १८६, २१५, २२८, २७६, २७७, २८८, २६१, २६६, ३६५, ५२६, ६३६.

छ

छज्जूराम (तिवाड़ी) ५२८, ५३५.
छतरसिंह (नींबाज-ठाकुर) ४८४, ४६४.
छतारी ६३.
छत्रसाल (भाटी) ४०४, ४०५, ४१३.
छत्रसाल (मेहता) ४४८, ४४६.
छत्रसाल (रतलाम) १७६.
छत्रसिंह (आसोप) ३७८.
छत्रसिंह (जयसलमेर) ४५३.
छत्रसिंहजी (म० मानसिंहजी के पुत्र) ४१६-४२२, ४२४, ४३८, ४४१.
छप्पन के पहाड़ (मेवाड़) १६२.
छप्पन के पहाड़ (सिवाना) १६२.
छली १६७.
छांगाणी ४२४.
छाजड़ ४६.
छाडाजी (राव जोधपुर) ३३, ५१, ५२.
छापर १०२, १४२.
छापर (द्रोणपुर) ६६, ६७-१०३.
छापाखाना (राजकीय) ६०६.
छिपिया २६८.
छींडिया १६७.
छीतर ५६०.
छीतर (पहाड़ी) का महल ६११.

छैलबाग ४६२.
छोगा (श्रीमाली ब्राह्मण) ४४६.
छोटमल (रावत) ४६४, ५२१.
छोर ५०२.

ज

जंगलात ४८२, ६१६.
जंगलात का महकमा ६०६.
जंबूसर ३३७, ३४५.
जगजीवन (भट्ट) २१, २२, २४६.
जगतराय १५२, १६३.
जगतसिंह (भाटी) ४५०.
जगतसिंह (राजा बासू का पुत्र) ६५१.
जगतसिंह (रावराजा) ५३६.
जगतसिंहजी (जयपुर-नरेश) ४०५-४१२, ४१४-४१६.
जगतसिंहजी (द्वितीय) (महाराना) ३५४, ३५६, ३६८, ३६७.
जगतसिंहजी (म० जसवन्तसिंहजी प्रथम का पुत्र) २४१.
जगन्नाथ (धाय भाई) ३७७-३८०.
जगन्नाथरायजी (ठाकुरजी) २४५, ३६५.
जगन्नाथसिंह (मेड़तिया) १८५.
जगपाल (रा० मल्लिनाथजी का पुत्र) ५४.
जगमाल (तेजसी का पुत्र) २१५.
जगमाल (महारावल नगर) ३८, ४७.
जगमाल (मेड़तिया) १३७, १३६-१४१, १४६, १५६.
जगमाल (मेवाड़) १६१, १६८, १६६, १७३, १७७.
जगमाल (रा० जोधाजी का पुत्र) १०३.
जगमाल (रा० रणमल्लजी का पुत्र) ८०.
जगमाल (रावल मल्लिनाथजी का पुत्र) ५४-५६, ५६, १०७.
जगमाल (राव-सिरोही) ११५.
जगरामसिंह (ऊदावत) २७५, २६०.
जग्गू (जगन्नाथ), (पुष्करणा ब्राह्मण पुरोहित) ३३५, ३५३.
जज़िया २४७, २५१, २५६, २६१, २७२, ३१५.
जज्झार ४२७.
जदुनाथ सरकार २३४, २३६, २४२.
जनको (कू) जी ३७४-३७६.
ज़फ़रख़ाँ १५, ६२, ६३.
ज़बरदस्तख़ाँ २८६.
जमरूद २१२, २३६-२४२, २४८.
जयच (च) न्द्र (न्द) ३१-३४, ३६, ४६.
जयदेव (पुरोहित) २५४, २५५.
जय (जै) पुर १, ७६, १०७, १२३, १६१, २०३, २०५, २२८, २६३, २६४, २६६, ३०२, ३११, ३१३, ३१५, ३२१, ३२४, ३२५, ३३२, ३३५, ३४७, ३४८, ३५१-३५६, ३६०-३६६, ३६८, ३७२, ३७५, ३७६, ३७६, ३८२, ३८३, ३८७-३८६, ३६८, ४०४-४१२, ४१४-४१६, ४२७, ४३६, ४४६-४४८, ४५३, ४५४, ४५८, ४६३, ४६६, ४७०, ४७५, ४७७, ४८३, ४८६, ४६०, ४६३, ४६४, ५०६, ५११, ५१४, ५४३, ५४७, ५४६, ५५२, ५५३, ५६०, ५६४-५६७, ५७०, ५७१, ६२८.
जय (जै) पौल ४०६, ४४०.
जयमल (मुँहणोत) २१५.
जयमल (मेड़तिया) १५६, १६२.
जय (जै) सलमेर १, २, ७, ३७, ४८, ४६, ५१, ५८, ६४, ६७, ७३, ७४, ८६, १०२-१०४, १०५, १२०, १२१, १२६-१२८, १३३, १३४, १४५, १५७, १७१, १८३, २१७, २१८, २३१, ३२६, ३३४, ३६६, ४३७, ४४८, ४५३, ४८४, ४८५, ४८८, ४६३, ४६६, ५०५, ५०८, ५०६, ५११, ५१२, ५२१.
जयसिंह (जयन्तसिंह सोलंकी) (द्वितीय) ३२, ३७.

जयसिंह (सिद्धराज सोलंकी) १२, ३७.

जयसिंहजी (द्वितीय) (सवाईराजा जयपुर) २६३, २६५–२६८, ३०१, ३०२, ३०५, ३११, ३१३–३१६, ३२१, ३२३–३२७, ३२६, ३३२, ३३४, ३३५, ३४८, ३५१–३५५.

जयसिंहजी (प्रथम) (जयपुर–महाराजा) २०३, २०५, २२३, २२६–२२८, २३०, २३५, २३८, २४७.

जयसिंहजी (महाराना) २६७, २७१, २७२, २८२, २८४.

जयसिंहजी (सैलाना) १७६.

जया (जय आ) पा (सिंधिया) ३६५, ३६७, ३७२–३७६, ३८२.

जरासंध ३.

जर्मन ५८२, ५६६.

जर्मनी ५२३, ५२५, ५३४.

जलंधरगुणरूपक २४.

जलंधर चरित २३.

जलंधर जसभूषण २४.

जलंधर जसवर्णन २४.

जलंधर ज्ञानसागर २३.

जलंधरस्तुति २४.

जलंधरस्तुति २४.

जलंधरस्तोत्र २३.

जलंधरस्तोत्र २४.

जलगांव २०४.

जलाल (मलिक) ६३.

जलालखाँ ११४, ११६.

जलालखाँ (जलवानी) १२६, १३०.

जलालुद्दीन फ़ीरोज़शाह ख़िलजी ६, ४४.

जवांमर्दखाँ (बाबी) १०६, ३४६.

जवानसिंह (रावराजा) ४६१.

जवानसिंह (रास) ३६१.

जवानसिंह (रीयां) ३७५.

जवाहरखाना ६०६.

जवाहरसिंह (डकैत अरटिया) ५५२, ५५४.

जवाहरसिंह (डकैत चूंटीसर) ४४५.

जवाहरसिंह (रामसर) ५५८.

जवाहरसिंह (रावराजा) ४६१.

जवाहरसिंह (रिसाला) ५६६.

जवाहरसिंहजी (भरतपुर) ३८२.

जसकरण ८.

जसनगर ५४२.

जसमादेवी ६३.

जसरासर ६६.

जसरूप (मुहता) ४२७.

जसवन्त (कलावत) १८६.

जसवन्त (रा० जोधाजी का पुत्र) १०३.

जसवन्त कॉलेज ४८७. ४६६, ५५१.

जसवन्तगढ़ ५३१, ६०३.

जसवन्तजसोभूषण ४६६.

जसवन्तपुरा २४४, ३२६, ३६५, ४४०, ४४१, ४७७, ४८७, ५०६, ५१४, ५६३, ५७३.

जसवन्त फ़ीमेल हॉस्पिटल ४६५.

जसवन्तराव होल्कर ४०४, ४०६, ४०७.

जसवन्तसागर (दक्षिण) २४४.

जसवन्तसागर (मारवाड़) ४६१.

जसवन्तसिंह (रा० उदयसिंहजी का पुत्र) १८०

जसवन्तसिंह (रा० मालदेवजी का पुत्र) १४४.

जसवन्तसिंहजी (द्वितीय) (महाराजा) २५, २६, २४४, ४४१, ४४२, ४४७, ४५७, ४५६–४६१, ४६३–४६६, ४७१, ४७३, ४७७, ४८१, ४८६, ४८६–४६३, ४६६, ५१६, ५२३, ६३०, ६३८.

जसवन्तसिंहजी (द्वितीय) (महाराजा) का स्मारक ५१६.

जसवन्तसिंहजी (प्रथम) (महाराजा) १७, २०, २१, २६, २८, ११५, १४६, २०८–२१०, २१३, २१४, २२०, २२२–२३०, २३२, २३६, २३८–२४०, २४२, २४३, २४६–२५२, २५४–२५६, २५८, २६३, २७०, २८०, ३६६, ४०५, ४४६, ६४९, ६५१, ६५५, ६५६.

जसवन्तसिंहजी का देवल ३३०.

जससिंह (ठाकुर–मेजर) ४६६, ५०४, ५०५, ५१०.

ज (जै) सा (सींधल) ६१, ६७.

जसोल ३८, ८६, १७६, ४२६, ५५१, ६१८.

जहाँगीर (बादशाह) १०६, १८०, १८५–१८८, १९०, १९१, १९४, १९७, १९९, २००, २०२–२०६, २१४.

जहाँदारशाह ३०४.

जहांशाह ३१७.

जहाज़पुर ७४, १४२, १६१, १७८.

ज़हेर ५९८.

जांगल ४.

जांगलू ५३, ६३, ६४, ६८, ८४, ८५, ९४, ९८.

जागीर की अदालतें ६२३.

जागीरदारों पर लगने वाले राजकीय कर ६२७.

जाट ९८, ३२२, ३५२, ३६१–३६३, ३८२, ३९०.

जाटियावास कलां १०३.

जाड़ेजा ३७, २४०.

जाड़ेजीजी ४५७, ४६२.

जाड़ेजीजी (म० सुमेरसिंहजी की महारानी) ५२६.

जाड़ेजीजी (माजी) ४६६, ५०७, ५४१, ५४५.

जादम (न) २४८.

जॉन बुतीसो ४११.

जाफ़र कुली (ख़ाँ) २८८, २८९, २९१.

जाफ़रख़ाँ २९१.

जाफ़री आर्चर ५७७, ५७८, ५८१, ५८८.

जाम ५२६.

जामतामची २४०.

जामनगर ४४७, ५१५, ५२६–५२८, ५३० ५३४, ५३६, ५४१, ५५१, ५५८, ५६२.

जामबेरा १७४.

जाम साहब ५२७, ५५८.

जायल ४५.

जारविच (ग्रांड ड्यूक ऑफ़ रशिया) ४८५.

जॉर्ज पञ्चम (सम्राट्) ५०८, ५१४, ५१९, ५२०, ५२३, ५३६, ५४६, ५५०, ५७१, ६३८

जॉर्ज (मिस्टर) ५६२.

जॉर्ज रॉबर्ट्स (केनिंग बेरन हैरिस) ४८७.

जॉर्ज लॉयड (गवर्नर) ५४५.

जॉर्ज षष्ठ (सम्राट्) ५७३, ५७४, ६३८.

जॉर्ज-ह्वाइट (जनरल) ४८७.

जॉर्डन १९, २०, ५९७.

जॉर्डन की घाटी ५२९, ५६२.

जालणसीजी (राव) ३३, ४९–५१.

जालिम (सुल्तान) ५८१.

ज़ालिमसिंह (खाटू) ३७७.

ज़ालिमसिंह (म० विजयसिंहजी का पुत्र) ३९४, ३९६, ३९७.

ज़ालिमसिंह (मोडास) ४३८.

ज़ालिमसिंह (हरसोलाव) ४१३, ४१६.

ज़ालिमसिंहजी (महाराज) ४५५, ४६१, ४८१, ४८८, ५१९, ५२६, ५३५, ५३७.

जालिया ४६२.

जालोर १०, १५, ३९, ५१, ५३, ६३, ६७, ७४, ७५, ७९, १००, १०३, ११२, ११६, १२२, १२३, १३२, १३५; १३८, १४१, १४२, १४४, १४५, १७३, १७८, १९४, १९५, २००, २०१, २०९, २१९, २५६, २६२,

२६४, २६६, २७०, २७३, २७५, २८५, २८६, २८८, २६०, ३०८, ३२६, ३३१-३३४, ३३६, ३३७, ३४६, ३४६, ३५२, ३५६, ३५६, ३६०, ३६६, ३७३-३७६, ३७६, ३८०, ३६६-३६६, ४०१, ४०२, ४०४, ४०८, ४०६, ४२६, ४३०, ४३८, ४४५, ४४७, ४५६, ४६५, ४७१, ४७६, ४८८, ५१४, ५५३, ५६३, ५६५, ५७३, ६२५.
जालोरी-दरवाज़ा ४६२.
जावरा ५३६.
जावला ३८०.
जिनदत्त १०.
जिनसेन ८.
जिपे ५८०.
जींदराव ४५, ४८.
जीतमल (पंचोली) ४२३.
जीतमल (सिंघी) ४०६.
जीया ४२३.
जीवनी (दाँई) मिसल ६३२.
जीवानन्द (पण्डित) ४७५, ४८८, ४६४, ४६६.
जी० सी० आइ० ई० ५६२,
जी० सी० एस० आइ० ५७२.
जुगता ४४०.
जुगेल ४८.
जुडीशल मिनिस्टर ६२०.
जुडीशल सुपरिण्टैण्डैण्ट ६२१, ६२२.
जुनैद ७, १३, १४.
जुबिली कोर्ट्स ४६१, ४६५.
जुमाँमस्जिद २५२.
जुमेखाँ ५४३.
जुल्फ़िकार जंग १७, ३६०-३६३.
जूंझारसिंह (चाँदावत) २८१.
जूंझार सिंह (बुंदेला) ६५०.
जूनागढ़ ५, २३३, ३०८, ४६६.
जूनिया १७६, ३०४.
जेखल १४२.
जेठमल ४४.
जे० बी० (जोधपुर-बीकानेर) रेल्वे ४८३, ५०१, ५०७, ५१२, ५१५, ५३६, ५४४, ५४५.
ज़ेबुन्निसा बेगम २५८.
जेम्स (मिस्टर) ४८८.
जेम्स बर्जेज़ २०८, ४१२, ४५५.
जेरिको ५६७.
जेरूसलम ५६७.
जेल (मुख्य-सैण्ट्रल) ६०४, ६०८.
जेलवा ३६५.
जैतपुरा ३६५.
जैतमाल (चाँपावत-राठोड़) १४८.
जैतमाल (भाटी) १३१.
जैतमाल (रा० रणमल्लजी का पुत्र) ८०.
जैतमाल (रा० सूजाजी का वंशज) १३३.
जैतमाल (शाखा) १२२.
जैतमालजी (रा० सलखाजी का पुत्र) ५३-५५.
जैतमालोत ८६, १४२.
जैतसिंह (आउवा) २७, ३८३.
जैतसिंह (खैरवा) १२४.
जैतसिंह (चाँदावत) २८१.
जैतसिंह (सलुंबर-रावत) ३७४.
जैतसिंहजी का थड़ा ३८३.
जैतसी (रा० उदयसिंहजी का पुत्र) १८०.
जैतसी (रा० सूजाजी का पौत्र) ११०.
जैतसीजी (राजा-बीकानेर) ६८, ११३. १२३, १२५.
जैता (बगड़ी) ११४, ११७-११६, १२४, १३०, १३१.
जैतारण (न) ७३, ७५, ६१, १०१-१०३, १०६, ११०, ११६, १३०, १३८, १४२, १४४, १४६, १७८, १८०, १८५, १६७, २०२, २११, २४५, २५०, २५४,

२६४, २७३, २७५, २७६, २८१, ३२६, ३३३, ३३४, ३६४, ३७२, ३७६, ४०६, ४२८, ६०३.
जैतावत ११३, १३४, १३६, १३८, १४८, १६६, ३०८, ३३२.
जैतियावास ३६५.
जैत्रसिंह (गुहिल) ११.
जैनगर २.
जैनिंग्ज़ (कर्नल) ५०५-५०७.
जै (जय) मल (मेड़तिया) १८, १३४-१३८, १४०, १४१, १४६, १५२.
जैमल (रा० मालदेवजी का पुत्र) १३७, १४४.
जैसा (चांपावत राठोड़) १३३, १३४, १४८.
जैसा (भाटी) ८६, १३१.
जैसा (भाटी पूंगल) १३३.
जैसा (सांखला) ५८.
जैसिंह (उम्मेदनगर-ठाकुर) ५३६, ५४६.
जैसिंह (रा० वीरमदेवजी का पुत्र) ५६, ६४.
जोगराज (बुंदेला) २०६.
जोगसिंह ५६६.
जोगा (रा० जोधाजी का पुत्र) १००, १०३, १०४.
जोगा (रा० धूहड़जी का पुत्र) ४८.
जोगीतालाव २०७.
जोगीतीर्थ १२६.
जोगीदास (बाग्ठ) ३८४.
जोगीदास (रा० सूजाजी का पुत्र) ११०.
जोजावर ७०, १४२, १८८.
जोधड़ावास १४४, ६०१.
जोधड़ावास (खुर्द) १४४, ६०१.
जोधपुर २, ७, ८, १६, १८-२१, २३, २५, २७-३०, ४२, ४४, ४७, ६५, ६६, ७६, ८०, ८३, ६०, ६२, ६५-६७, १००-११३, ११५, ११६, ११८, १२०, १२१, १२३-१२७, १३०-१३२, १३४, १३५, १३६-१४१, १४६, १६२, १६५, १७०-१७३, १७७, १७८, १८१, १८५, १८६, १८८, १८६, १६१, १६३, १६४, १६६-१६६, २०१, २०४, २०६-२०६, २१२, २१५, २१६, २१८, २१६, २२५, २२६, २३०, २३३, २४४, २४५, २४६, २५०, २५३-२५७, २५६-२६३, २६५, २६६, २७०-२७४, २७७, २८०, २८१, २८३-२८६, २६१, २६२, २६४-२६६, २६८-३०८, ३१०, ३११, ३१८, ३२३, ३२५, ३२६, ३२६, ३३२-३३४, ३३६, ३४६-३४६, ३५१-३५३, ३५५-३५८, ३६०, ३६१, ३६४-३६६, ३७१-३७५, ३७७, ३७८, ३८१-३६७, ३६६-४०२, ४०४-४२२, ४२४-४३५, ४३७-४४६, ४५१-४६३, ४६५-४६७, ४६६, ४७०, ४७२, ४७३, ४७६-४८८, ४६०, ४६२, ४६३, ४६५-५०१, ५०३-५०५, ५०७-५१०, ५१२-५१४, ५१६-५३१, ५३३-५४३, ५४५-५४६, ५५१-५५६, ५५८-५६०, ५६२, ५६४-५७६, ५७७, ५८४, ५८८, ५६४-५६६, ५६८, ५६६, ६०१, ६०३-६०७, ६०६-६१५, ६१८, ६२१, ६२४-६२७, ६२६, ६३७, ६३६, ६४२, ६४३, ६४६, ६४६, ६५१, ६५५, ६५६.
जोधपुर इम्पीरियल लांसर्स ५३५, ५३६.
जोधपुर की टकसाल ६३८, ६४०, ६४२, ६४३.
जोधपुर-गवर्नमेन्ट ५६६.
जोधपुर-दरबार ५७५.
जोधपुर-फ़्लाइंग क्लब ५६४.
जोधपुर-रिसाला ५६४, ५६५, ५६६.
जोधपुर-रेल्वे ४७८, ५६६, ५७२, ५७५.
जोधपुर-रेल्वे कोऑपरेटिव क्रैडिट सोसाइटी ६०६.
जोधपुर-रेल्वे-जुबिली ५६६.
जोधपुर-लीजियन ४३०.
जोधपुर-स्टेट ५६६.
जोधराज (सिंघी) ३६७, ३६८, ६२६.
जोधसिंह (भाटी) ३६८.

जोधा (जाति) १६२, २४१, २५७, २५८, २७५, २७७, २८१, २८२, २६०, ३०६, ३२६, ३७७, ३८७, ४३६, ५२३, ५४०.
जोधा (भाटी) ८६.
जोधाजी (राव) १६, २०, २८, ४७, ६७, ७०, ७५, ७८, ८०, ८२–१०४, १०६–१०८, ११२, ११५, १७१, १८२, ४३६, ४४०, ४६३.
जोधाजी का फलसा ६३.
जोधाणा ३६४.
जोधावत २७६.
जोधावास (जैतारण) १७८.
जोधावास (बीकानेर) १०१.
जोधेलाव ६२.
जोपसा (सी) ४४, ४५.
ज़ोरसिंह (ठाकुर मेजर) ५३८.
जोरामीर ६३.
ज़ोरावरख़ाँ ३४६.
ज़ोरावरपुरा ६०१.
ज़ोरावरमल (सिंघी) ४०६.
ज़ोरावरसिंह (जसोल-ठाकुर) ५५१.
ज़ोरावरसिंह (बाभा किशनगढ़) ५५२.
ज़ोरावरसिंह (म० अभयसिंहजी के पुत्र) ३३३, ३५७.
ज़ोरावरसिंहजी (बीकानेर-राजा) ३४७, ३४६, ३५१, ३५५.
ज़ोरावरसिंहजी (महाराज) ४५६–४६१.
जोशी ३८०, ४२३, ४२६, ४२८, ४३०, ४३६, ४३७, ४५६, ४८१, ४६४.
जोहिया १२, ५५–५७, ६३.
जोहियावाटी ५६.
जौनपुर ६६, १००, १०२, १२३, ६३७.
जौनस्टील (एअर-मार्शल) ५६४.
जौहर (अग्निप्रवेश) १७५.
जौहर (आफ़ताबची) १२६.
ज्ञानप्रकाश २४
ज्ञानमल (मुहणोत) ४०२, ४०५.
ज्ञानसागर २४.
ज्ञानसिंह (पाली) ४१२.
ज्वालासहाय मिश्र ५४७, ५५३, ५५७, ५५६, ५६०.

झ

झँवर ३६२, ३६७.
झरड़ा ४५.
झरणे (ने) श्वर ६२.
झाड़ोद ३२०.
झाड़ोल ६६, ६६.
झाबुआ (वा) ४२, १०३, १०६, ४८५.
झाला ६६, १२४, २२२, २२३, ३१०.
झालावाड़ ५१५.
झाली १४३.
झालीवाड़ा खुर्द २०६.
झिंद ५११, ५१५.
झिलाय २००, ३७५.
झीलवाड़ा २६६.
झुडली ३२६.
झूं (जूं) झणू ४६, ६६, १००, ११६, १२६, १४२, ४०५.
झूसी २०३.
झेलम २०५.

ट

टंटोती ३७२, ३७६.
टकसाल ६०६.
टर्की १६, ५२५.
टर्फ-क्लब, कारो ५६३.
टाटरवा ३५७.
टाटरवी ६००.
टॉड (जेम्स) १, १८, ३२, ३४, ३५, ३६, ४३, ४४, ४६–४८, ६५–६७, ७०–७२, ७६, ७७, ७६, ८३, १०२, १०३, १०५, १०७,

१०६, ११०, ११२, १४७, १६३–१६५, १६६, २००, २२४, २३८, २४२, २६२, २८०, ३२६, ३३०, ३५३, ३५४, ३६६, ३७०, ३७३, ३७७, ३७८, ३६३, ६३७, ६४६, ६५३–६५५.
टॉड (मिस्टर) ४६४, ५०८.
टार्लेटन (मिसेज़) ५७१.
टालपुरा ३८४, ३८६, ३८७, ४१६, ४४३.
टीके आदि की लाग ६१७.
टीबड़ी ३२६.
टीबाणिया ३२६,
टेलर (मिस्टर) ४५४.
टेला ३६६.
टैंगानीका ५८०.
टैलीफ़ोन ६१४.
टैंसीटोरी (L. P.) १०५.
टोंक १२३, १४२, ३५७, ४८५, ५२८.
टों (ढूं) स २०३, २०४.
टोडरमल (राजा) १८६.
टो (तो) डा १२३, १४२, २०३, २०४, २७५, ३०२, ३०४, ३१८, ३२०, ३२६, ३२६,
ट्रांसवाल ४६६.
ट्रिब्यूट ६१७, ६१८.
ट्रेल (कैप्टिन) ५६६.
ट्रेवर (कर्नल) ४८७, ४८६.
ट्रेवर-कैटल-फ़ेयर ४८८, ४६५, ४६६.

ठ

ठट्ठा १२७.
ठाकुरसी १४४.

ड

डंड-क़िराड़ ४४३.
डड्ढा ४६७
डफ़रिन् (लॉर्ड) ४७८, ४८०.
डभोही (ई) ३२७, ३४३–३४५.
डांगी ४६.
डाकखाना ४३३, ४८०.
डाकोर ३४४.
डाबड़ा ३६७.
डाबरयाणी खुर्द ३६५.
डाभी ३५, ३८, ३६, ४२, ४३.
डालू ४८.
डावी (बाँई) मिसल ६३२.
डिंगल-भाषा ५१४.
डिक्सन (मिस्टर) ४२१.
डिस्ट्रिक्ट-कोर्ट ५४८, ६१७, ६२३.
डी० ए० वी० कॉलिज ४६२.
डीग ३६३, ४४८.
डीगराना २७४.
डीगाड़ी ४४६.
डीडवाना ६, ६३, ६४, ६७, ११६, १४२, १४४, १६७, २६१, २६४, २६५, २७३, २७४, २६६, ३००, ३२०, ३२५, ३२६, ३२६, ३५६, ३६६, ३७४, ३७६, ३७७, ४०५, ४०६–४११, ४१४, ४२७, ४४०, ४६६, ६०१, ६२५.
डी-बोइने ३८६.
डीसा २८६, ४४६, ४५१.
डुमराओं ५३६.
डूंग (रा० चूंडाजी का पुत्र) ६६.
डूंग (सिंह) जी ४४५.
डूंगरपुर १५८, १६२, २७१, ५६५.
डूंगरसिंह (मेवाड़) १११.
डूंगरसी (ऊदावत) १३८.
डूंगरसी (रा० जालणसीजी का पुत्र) ५१.
डूंगरसी (रा० मालदेवजी का पुत्र) १४४.
डूंगरसी (रा० रणमल्लजी का पुत्र) ८०.
डूंगरसी (सिवाना) १२२.
डूमाडा ३०१.

डेगाना ५१२, ६०३.
डेरवे की ढाणी ६०१.
डेराह ३८६.
डेविड ऑक्टरलोनी ४२१,
डेवलेपमेंट ६१२.
डोडियाली १६५.
डोडू ३६५.
डोली-कांकाणी १०६.
डोहा २८१.
ड्यूक ऑफ़ कनाट ५३८, ५४६.
ड्रेक ब्रोक मैन (D. L.) ५३७, ५४१, ५४३, ५४६, ५४८, ५४६, ५५३, ५५४, ५५६, ६१५.

ढ

ढंढोरा १४४, ३२६.
ढब्बूशाही ६४३.
ढाढरवा ३२६.
ढाढरिया खुर्द ४४०.
ढाढी २०, ५६, ६०, ६१, ३६५.
ढानी ३५३.
ढींकाई ४६२.
ढीगरिया १४४.
ढूंढली ६००.
ढूंढाड़ २००, ४१०.

त

तँ (तुँ) वर १०७, ३८६, ४१३.
तँ (तुँ) वरजी ४०२.
तँ (तुँ) वरावाटी १०७, ४४५
तँवरों की पाटन ३८६.
तख़तसागर ४६२, ५७६.
तख़तसिंहजी (महाराजा) २४, २५, ४३८, ४४१-४४३, ४४६, ४४७, ४५३, ४५८-४६१, ४६३-४६६, ४७१, ४७३, ६२८, ६२६, ६३८, ६३६, ६४२, ६४३.
तनावड़ा (छोटा) ४४०.
तनावड़ा (बड़ा) ४४०.
तरबखाँ १५३, १६५.
तरद्दुदी बेग ख़ाँ १२७.
तरवर ५३६.
तरसींगड़ी सोढां ६००.
तलहटी के महल १६८, २०६, ३६५, ४०२, ४६५.
तहव्वरअली ३०३,
तहव्व (व्वु) र खाँ २४६, २५६-२६१, २६४-२६६, २६८, २६६, २७६.
तांबड़िया (खुर्द) १७८.
तांबे के सिक्के ६४३.
तांबे के सिक्कों पर के कुछ लेख ६४६.
ताउसर ३६५.
तागीरात ६२६.
ताज़ीम ६३. ६३२.
तात ७.
तातार ३७०.
तातार खाँ ६३.
तापती १७२.
तापी बावड़ी २१२.
तामील ५१२, ५२१.
तारकीन ४१२.
तारागढ़ ३२६.
ताराचन्द २४.
तारीख़ फ़रिश्ता १६.
तालका ११५.
तालका १४४.
तालकिया १७८.
ताहिरखाँ २४६, २५०.
तिंवरी १०३, ३२६, ३६६, ४५६.
तिगारिया १६७.
तिजारा ३२२, ३३१.
तिमूर (सानी) ३१६.

तिरसींगड़ी ४७.
तिराह ४६७.
तिलंगाना २०७.
ति (त) लवाड़ा ५४, ८६, ५५६.
तिलोकसी (रा० मालदेवजी का पुत्र) १४४.
तिलोकसी (रा० सूजाजी का पुत्र) ११०.
तिलोकसी (वरजांगोत) १३१.
तिवाड़ी ५३८.
तिहोद ४०७.
तीडाजी (राव) ३३, ५२, ५३.
तीतरोद १७६.
तीमूरशाह ३८७.
तुंगाँ १६, २०, ३८८, ४४८.
तुकोजी ३८८.
तुग़लक ६१.
तुग़लकाबाद १५८.
तुतनखामन ५६३.
तुर्क ११, ५२५, ५२६, ५६८.
तुलछराय २४.
तेजमंजरी २३.
तेजमल (लोढ़ा) ४२४.
तेजसिंह (गुलाबराय का पुत्र) ३६०, ४०१.
तेजसिंह (चाँपावत) २६०.
तेजसिंह (द्वितीय) (रावराजा) ४६२.
तेजसिंह (प्रथम) (रावराजा) ४६१, ४७५, ४७६, ४६८, ५१२.
तेजसी (महेवा) २१५.
तेजसी (रा० मालदेवजी का पुत्र) १४४.
तेजसी (रा० रणमल्लजी का पुत्र) ८०.
तेजसी (रीयां) ११६.
तेजा (वानर राठोड़) ५७.
तैमूर ६२.
तोडा २७५, ३०४, ३२६, ३२९.
तोपनियत होना (सलामी की) ४५५, ४६५.
तोरमाण ६३४.
तोलेयासर १०३.
तोलेसर ४४०.
तोसीणा २७६, ३२६.
त्रिभुवनसीजी (राव) ३३, ५२-५४.
त्रिवेणी ३२५.
त्र्यंबकराव ३४२, ३४३, ३४५.

थ

थट्टा ५०, १७१.
थबूकड़ा ४४०, ४६२.
थरपारकर १.
थली १६५.
थांवी ४६.
थानवी ४४४.
थानू (सेवग) ३८४.
थिराद ३५, १४२, २७१, २८६, ३३५.
थोब (शासन) १०३.
थोभ (ब) ४७.

द

दक्षिण (दक्खन) १८१, १८३, १८५-१९०, १९३-१९७, २००-२०२, २०४, २०५, २०७, २१०, २२०, २३३-२३५, २३७-२४७, २५६, २७१-२७३, २७६, २७८-२८०, २८२, २८५, २८६, २९१, २९४, २९५, २९९, ३०६, ३१२, ३१४, ३१५, ३२३, ३२५, ३४३, ३६७, ३७६, ६५२, ६५३.
दक्षिणी ३३२.
दक्षिणी एफ्रिका ४९९.
दखना (दक्षिणी) पौल ४४०.
दताणी १६८.
दत्ता (चू) जी ३७२, ३७४-३७६.
दत्तेखाँ ५४३.
दधिमती ५.
दमा ८३.

दमिश्क ५६८.
दयानन्द सरस्वती (स्वामी) ४६२
दयालदास (झाला) २२२, २२३.
दयालदास (सिकदार) ३००-३०२, ३०५, ३१२, ३१४, ३१७, ३२४.
दरबार (हाई) स्कूल ४५४, ४८५, ४८७, ५५१.
दरभंगा ५२१, ५५५.
दलकरण २६०.
दलथंभन (उपाधि) २००, २०८.
दलथंभन (बनावटी) २६२, ३०८, ३१०.
दलथंभन (मा० अजितसिंहजी का पुत्र) २४८, २५४.
दल-पंगुल ३१.
दलपत (रा० उदयसिंहजी का पुत्र) १७८.
दलपतसिंह (देवली) ५२३, ५२६, ५६७-५६६.
दलपतसिंह (रोहट-ठाकुर) ५२६, ५४२.
दल-बादल ३५८, ५४४.
दला (जोहिया) ५५-५७.
दला (बूंदेला) १८६.
दलाल (T. G.) ५७३.
दलेलसिंह (हाडा) ३३४.
दसोत ३४६.
दस्तरी का महकमा ६०४.
दहिया १२.
दहीजर (देईम्फर) १२६, १२७, १६८, ४४०, ४६२.
दाँता ५१५.
दागड़ा २०६, ३२६.
दाना (धांधल) ४२३.
दानियाल (शाहज़ादा) १७६, १८३, १८४.
दाभाजी ३५०.
दामाजी गायकवाड़ ३४६.
दामोदरजी (गोस्वामी) ३४०.
दामोदरलाल ५४१, ५४३.
दाराशिकोह (शाहज़ादा) २१४, २१८, २२०, २२५-२२७, २३०, ६५१.
दारोगा का चिह्न ६३६.
दिलीपसिंहजी (महाराज कुमार) ५७५.
दिलेर खाँ २२३.
दिल्ली (देहली) १४, १५, १७, २६, ३०, ३२, ६१, ६२, ६४, ६५, ८०, १००, १०२, १११, १२३, १३६, १४१, १४६, १७८, १८०, २०२-२०४, २११, २१२, २२०, २२६, २२७, २३५, २३६, २३८, २५१-२५५, २५७-२५६, २६१, २७०, २७६, २८१, २८७, २६७, २६८, ३०३-३०७, ३०६, ३११, ३१२, ३१४, ३१५, ३१७, ३१६, ३२०, ३२२-३२४, ३२६, ३२८, ३२६, ३३१-३३६, ३४१, ३४२, ३४६, ३४८, ३४६, ३५१, ३५६, ३६०, ३६१, ३७०, ३८७, ३६०, ३६२, ३६३, ३६७, ४२१, ४२४, ४३६, ४४०, ४४८, ४६७, ५०५, ५१४, ५२०, ५२७, ५२८, ५३४, ५३८, ५४०, ५४२, ५४५, ५४८, ५४६, ५५३, ५५६, ५५८, ५५६, ५६०, ५६२-५६६, ५७०, ५७२, ६३६, ६४०, ६४७, ६५६.
दिवराई २६२, २६७.
दीनदार खाँ २८०.
दीनानाथ (काक) (पंडित) ४८६, ४६४.
दीपचन्द (व्यास) ३०८.
दीपा ६८.
दीवाण १६५.
दीवानी-अदालत ४६३, ४६४, ५४८, ६२०.
दुअरस्पा २१३.
दुकोसी ४४०.
दुगोर ३६५.
दुगोली १८०.
दु (दू) नाड़ा १२२, १४३, १४८, १५६, १८८, २६१, ४१३, ४२४.

दुरजनसाल (कछवाहा) १७४.
दुरसा (बारठ) १७४, १८६.
दुर्गाचरित्र (चित्रमय) ४३६.
दुर्गादास १७, ८०, २५३–२५८, २६२, २६३, २६६, २६७, २६६–२७१, २७८, २७६, २८१–२८६, २८८–२६०, २६४–२६७, ३०२, ३३२, ३३३, ३४६.
दुर्गा-पाठ भाषा २१.
दुर्जनसाल (बूँदी) २७८-२८०.
दुर्जनसाल (सोढा) ५०, ५१.
दुर्जनसिंह (जैतावत) २६०, ३०५, ३०६, ३०८, ३१०.
दुर्जनसिंह (जोधा) ३०६.
दुर्रानी ३५६.
दुर्लभराज १४.
दूदा (कोली) २३१.
दूदा (रा० जगमालजी का पुत्र) ५५.
दूदाजी (मेड़तिया) २०, ६५, ६६, १०१, १०३, १०५, १०६, ११२, ११३.
दूदोड़ १५६, ४५१.
दूनियाड़ी ६०१.
देछू ३६६.
देघड़ा ४७.
देपालपुर २२१.
देरावर १२६.
देरावरजी ४०२.
देरावरजी का तालाव ४६२.
देलवाड़ा ७६.
देवकरण (धाय-भाई) ४३६.
देवकरण (रा० दुर्गादास का भतीजा) २६०.
देवकुण्ड ४०६.
देवकोर १५६.
देवगढ़ ३०४.
देवड़ा ५१, ५२, १०१, १७४, १७५, १८६, १६५, २५५, ३०८, ४८६.
देवड़ी २४४, २५४, २५५.
देवनाथ (योगी) (आयस) ३६६, ४०२, ४०४, ४१३, ४१५, ४१७–४१६, ४२४, ४४०.
देवराज ५६, ५८, ८६.
देवराजोत ८६.
देवल ४५.
देवल (राजपूत) ४७६, ४८७.
देवलिया २६६, ३४८, ३७२, ३७५, ३८२.
देवा (भदावत) १२२.
देवीदयाल ५२८.
देवीदास (जैतावत-राठोड़) १८, १३५–१४०, १५५, १५६, १५८, १५६.
देवीदास (महारावल) (जैसलमेर) १०२, १०४, १०५.
देवीदास (राव चन्द्रसेनजी का भृत्य) १५३.
देवीदास (रा० सूजाजी का पुत्र) ११०.
देवीदास (सिवाना) ६६, ६७.
देवीसिंह (आउवा) ४५३.
देवीसिंह (चाँदावत) ३५६.
देवीसिंह (पुलिस-इन्सपेक्टर) ५५५.
देवीसिंह (पौकरन) ३६१, ३६६, ३७६–३७८.
देवीसिंहजी (महाराज-कुमार) ५६६.
देवीस्तुति २२.
देशमुखी ३३८.
देस (श) शोक ६८, ६८, ३८७, ४२४.
देसवाल ३६०.
देसूरी १२, ८४, २६५, २६६, ४४०, ४८६, ५१२, ५१४, ५५३, ५६५, ५७३.
देहरादून ५०५, ५२३.
दोराहा २६८.
दोहरी (दोवड़ी) ताज़ीम ६३२.
दौराबखाँ १६६.
दौलतखाँ (नागोर) ११२, ११३, ११७, ११८.
दौलतखाँ (सैय्यद) १७३.
दौलतखाँना ३२६, ३६६, ४६३, ५१८.

दौलतखाँने का महल ६०६.
दौलतपुरा ४४५.
दौलतमल (लाला) ४६४.
दौलतराम (सेवग) २४.
दौलतराव-(सिंधिया) ४०६, ४१०.
दौलतसिंह (नींबाज) ३७७, ३७८.
दौलतसिंह (पंचोली) ३३५.
दौलतसिंह (सांखला) ३४८.
दौलतसिंहजी (महाराजा) ४६४, ४६८, ५५०, ५१२, ५१६.
दौलताबाद २०१, २०७, ६५०.
द्रम्म ६३४.
द्रुमकुल्य २, ३.
द्रोणपुर ६६, १००, १०१, १०३.
द्वारका ३, ३५, ३६, ४४, ६६, ३१०, ३११, ३२६, ३४६, ३६५.
द्व्याश्रय काव्य ३६.

ध

धंधूका २४०, २८५.
धंना (गुहिल) २६६.
धणकोली ४४५.
धणला ७०, ७२.
धनचंद १६३.
धनरूप (पंचोली) ४६४, ६२८.
धनापुरा ४४६.
धनेड़ी ४४०.
धन्व ३, ४.
धम्माजी ३४७.
धरणीवराह १०, ११.
धरमसर २०६.
धर्मतपुर २२१, २२२.
धर्मद्वारी ७६.
धर्मनारायण (काक) (पण्डित) ५१४, ५३६, ५३८.
धवल (राठोड़) १०, ११.
धवल (रायधवल) (ईदा) ६१.
धवेचा २५६.
धांधल (जाति) ४५, १०४, १८२, ४२३-४२५, ४२८.
धांधल (रा० आस्थानजी का पुत्र) ४४, ४५, १०४.
धांधलावास ४४०.
धांधिया ४०८.
धामुनी ६५०.
धायभाई ४३६.
धीरजमल (भंडारी) ३६८, ३६६.
धीरदेव ५७.
धीरसिंह (चाँपावत) २७५.
धुड़ासणी ११५.
धुनाड़ी ३६६, ६०१.
धूनाड़ा ३८४.
धूहड़जी (राव) ३३, ४४-४८, ६५, ६००.
धोलेराव ११४.
धोलेराव खुर्द ४४१, ६०१.
धोलेरिया १०३.
धोलेरिया खुर्द १४४.
धौंकलसिंह ४००, ४०४-४०६, ४१३, ४१४, ४१६, ४२६, ४२७, ४३६, ४४३.
धौकलसिंह (गोराऊ) ५१६, ५२०, ५२२, ५२३, ५३६, ५३८.
धौलका ३४६.
धौलपुर ४८५, ४६०, ४६५, ४६८, ५११.
ध्रुवराज ८.

न

नंदवाणा २०२, ४४०.
नंदवाणे बोहरे २०२.
नक्कारची ४४०, ४४३.
नगर ३८, ४७, २७५, ४२६, ४३०, ६१८.

नगरी ४.
नगवाड़ा कलां ३६५.
नगवाड़ा खुर्द १७८.
नगा १३३, १३५.
नड़ियाद ३४४.
नथकरण (डेवढीदार) ४०६.
नथकरण (लोडता) ४२३.
नन्दलाल (पंडित) ५६८.
नमक ६१८.
नमक-कर ५२२.
नयाशहर ४२१.
नरकुंडा ५४६.
नरपतसिंह (रावराजा) ५४२, ५५६, ५६३, ५६६.
नरबद (रा० सत्ताजी का पुत्र) ६६, ७०, ७३, ७५, ८६, ६०, १०१, १०८.
नरबद (वैरसल का भाई) १००.
नरवर १७१.
नरसिंह (कल्ला का पुत्र) १६२.
नरसिंह (सींधल) १०१.
नरसिंहगढ़ ४८४, ४८५, ४८६, ५११, ५३०, ५६५.
नरसीजी का मायरा २०,
नरहरदास (रा० उदयसिंहजी का पुत्र) १७८.
नरा (चौहान) ८४.
नरा (नरसिंह) (रा० सूजाजी का पुत्र) १०५, १०७, १०८, ११०, १३२, १३३, १४३,
नराणा ७६, ११६, १४२, ३२३.
नरावत ३३४.
नरूकी २४८.
नरेन्द्र-मण्डल ५२७, ५३८, ५४५, ५४८, ५५३, ५५६, ५५८, ५६३, ५६४, ५६६.
नरौक ५६१.
नर्ब (र्म) दा ४, २२१, २३८, २३६, २७१, २७२, २७६, २६५–२६७, २६६, ३४५.
नवलगढ़ ४०५.
नवानगर २४०, ३१०, ५६५.
नसरतजंग ३१०.
नसरतजंग (खाँ दौरां) ६५२.
नसीरखाँ २०७,
नसीराबाद ४३२, ४४५, ४४८, ४६८, ५०३, ५०७.
नहपान ५.
नाँद ४०६
नाँवा ३७५, ३८६, ३६०, ३६४, ४०६, ४१२, ४१४, ४२२, ४२६, ४३५, ४५८, ४८७.
नाइल ५६३.
नाई १७५, १७६.
नाग १२.
नागकुंड १२.
नागनेचिया (जाति) ४६.
नागने (णे) ची ४६, ४७, ६५.
नागपुर ४२७.
नागभट (द्वितीय) (कन्नौज) ८.
नागभट (मंडोर) ७.
नागर ब्राह्मण ४३.
नागरी-प्रचारिणी सभा, काशी २४३.
नागाणा (ना) १२, ४६, ४७, ११३.
नागादरी १२.
नागावलोक (नागभट) (प्रथम) ८, १३.
नागोर २, ४, ५, ६, ११–१३, १५, २६, ४५, ५४, ५६, ६०, ६२–६४, ६६–६६, ७१, ७४, ७६, ६६, १०३, ११२, ११३, ११६–११६, १२१, १३३, १३६, १३७, १३६–१४७, १४६, १५१, १५८, १६३, १६३, १७०, १७८, २०६, २५३, २६४, २७३, २६१, २६८, ३००, ३०५, ३०८–३११, ३२५, ३२६, ३२६, ३३१, ३३३, ३३४, ३३६, ३४४, ३४७, ३५६–३६१, ३६५, ३६८, ३६६,

३७३-३७७, ३८२, ३८६, ३६५, ४०६, ४११-४१७, ४४०, ४४१, ४४४, ४४६, ४५६, ४६०, ४८२-४८४, ४८७, ४६६, ५०१, ५०२, ५४६, ५५५, ५६५, ५७३, ६००, ६०१, ६२०, ६२५, ६३७, ६४०, ६४२, ६५१, ६५२, ६५४, ६५६.
नागोर की टकसाल ६३८, ६४०, ६४२.
नागोरी खड़िया (Gypsum) ५५५.
नागोरी दरवाज़ा ४२३, ४८२.
नागोरी बैल ५५५.
नाज की दूकानें ५३६.
नाज़िर ४२४, ४२५.
नाडेलाव ४६२, ५००.
नाडोल ८-१४, ३६, ६३, ७३, ७५, ८८, ६०, १४२, १४३, १४६, १८७, १८८, २६५-२६७.
नाणा ११.
नाथ ३२६, ४०४, ४२०, ४२६, ४२८, ४३१, ४३२, ४३४, ४३८, ४४०, ४४३, ४६२.
नाथ-भारती २४.
नाथ-उत्सवमाला २४.
नाथ-कीर्तन २३.
नाथ-चन्द्रोदय २४.
नाथ-चरित २३.
नाथ-चरित्र २३.
नाथ-चरित्र (चित्रमय) ४३६.
नाथजी ४१३, ४१७, ४२४, ४२७.
नाथजी की वाणी २३.
नाथद्वारा २४०, ३६६, ३८१-३८३, ३६५, ५०६.
नाथ-पुराण २३.
नाथ-प्रशंसा २३.
नाथ-महिमा २३.
नाथ-संहिता २३.
नाथ-स्तुति २४.
नाथ-स्तुति २४.
नाथ-स्तोत्र २३.
नाथा (रा० रणमल्लजी का पुत्र) ८०.
नाथा (व्यास) १६४.
नाथानन्द प्रकाशिका २४.
नाथाष्टक २३.
नाथूसिंह (पिशांगण) १७६.
नाथूसिंह (राव-ठाकुर) ५३५, ५३६
नादिरशाह ३५०.
नानकदेवी ११५.
नापा (रणधीर का पुत्र) ६६.
नापा (रा० सूजाजी का पुत्र) ११०.
नापा (सांखला) ६०, ६१, ६४, ६८.
नापावस १८२, १६७.
नावरा १२३.
नाबालिगी ५१४.
नाभा ५०८, ५१५.
नामदार खाँ २३५.
नायनपुर (बड़ा) ३३८.
नायब-हाकिम ६२१, ६२२.
नायिका-लक्षण २४.
नारनौल १४२, २६६-२६८, ३२२, ३२३, ३२५, ३३१, ३६१, ४५१.
नारलाई ८८, ६०, ६१, ४१५, ५५४.
नारायण ३४.
नारायणदास (कावा) १६५.
नारायणसहाय (गुर्टू) ४८८.
नॉर्थब्रुक (लॉर्ड) ४६६.
नॉर्थ वैस्टर्न रेल्वे ४७८, ५०७.
नासिक १८३.
नासिरुद्दीन महमूद १५.
नासिरुद्दीन मोहम्मदशाह ३१८.
नाहड़ (द्वितीय) ८.
नाहड़राव ७.
नाहड़सर ६५४.

नाहड़स्वामिदेव ७.
नाहन ३०३.
नाहनेड १६१.
नाहरखाँ (आसोप) २१८, २२६.
नाहरखाँ (हाँसी) ३०२, ३११, ३२१, ३२४.
निकोदर ६८.
निकोल ५७८, ५८८.
निकोसियर ३१६, ३१७.
निज़ामुल मुल्क (दक्षिणी) १८४, २०५, २०६, ६५०.
निज़ामुल मुल्क (निज़ाम) ३१२, ३२३, ३४३
निज़ामुल मुल्क (मुबारिजुल मुल्क) ११२.
निजाबतखाँ २६४.
निरंजननाथ (गुर्दू) ५६७.
निरोह २०१.
निर्भयभीम व्यायोग १०.
निर्वाणी दोहा २१.
नींबा (भाटी) १३१.
नींबा (रा० जोधाजी का पुत्र) ६३, ६७, १००, १०३, १०४.
नींबा (स्थान) ६०८.
नींबाज १२४, ३१२, ३४०, ३४१, ३६०, ३६४, ३७७–३७६, ३६८, ३६६, ४०८, ४१०, ४११, ४१८, ४२३–४२५, ४२७, ४३१, ४३२, ४३६, ४३७, ४५१, ४५६, ४५६, ४६४, ४७४, ४८४, ४८८, ४६४, ६२८.
नींबेड़ा ५६८.
नींबोड़ा ३६५.
नीतोड़ा १७४.
नीमच ४३०, ४४८.
नीमराना ३६१.
नीलकंठ महादेव १८८.
नीलगिरी ५५२.
नुसरतयार खाँ ३१८, ३२२, ३२३, ३३१.
नूरअली २७६.
नूरगढ़ २५२, २५७.
नूरजहाँ २०२, २०५.
नूरपुर १८८.
नेतसी १४४.
नेपाल २५, ३०, ४३६, ४४०.
नेसापुर २१४.
नैणसी (मुहणोत) ३२, ३५, ३७, ७१, ७६, ११८, २१४, २१५, २३१.
नैरवा १४४.
नैरवा ४४०.
नैरोबी ५७८, ५८५, ५६१, ५६३.
नोखड़ा ३२६.
नौकोटी मारवाड़ ११.
नौचौकियाँ ३६८.
न्याय-विभाग ६२०.
न्यूजीलैन्ड-माउण्टेन्ड-राइफ़ल्स ५६७.
न्विगी ५८८.

प

पंचमार्क्ड सिक्के ६३४.
पंचायण (खींवसर) १३१.
पंचायण (बगड़ी) ११७, ११८.
पंचायण (बावड़ी) ३०८.
पंचावली २३.
पंचोली १५७, २०२, २१६, ३०५, ३१२, ३३२–३३५, ३८०, ४२०, ४२३, ४२५, ४८४, ४८८, ६२८.
पंजाब १३६, २२६, २२७, ३०१–३०३, ३५६, ४०७, ४७५, ५०६.
पंडित (मरहटा) ३४३.
पंडित का बास ३२६.
पंना (सेवग) २४.

पँवार (परमार) १०–१२, ४५, ४८, ५०, ५४, ७६, ७८, ११८, १४२, ३४३, ३६५, ४४८.
पचपदरा ४७, १४४, २०६, २७३, २७७, ३२६, ४४०, ४७०, ४७३, ५२६, ६००, ६०१.
पचमरी ५०६, ५०७.
पचेटिया ६२.
पटना २०३, २२०.
पटवा ५५४.
पटाऊ ४४०.
पटियाला ४८५, ४६५, ५११, ५५३.
पटेल ३६७.
पट्टन ३०५.
पठान १६, १२५, १२६, १३०, १३२, १३५, १३६, १३८, १४२, १६४, १६५, २४०, २४१, २५६, ४०७, ४१४, ४४१.
पड़िहार ७–१०, १३, ४७, ४८, ५३, ५६–६१, ६६, ६५, २६०.
पतावा ४४०.
पत्ता (राठोर) १५३.
पत्रिका २४.
पथारी १८४.
पदमलसर ११५.
पद्मशाह (पदमचन्द) ८०, ६०, ११५.
पदम (म) सर ८०, ६०, ४४६, ४६२.
पद-संग्रह २३.
पद्मसिंह २८७.
पद्मसी ५३.
पद्मावती (सीसोदणी) ११५.
पद्मावती (हाडी) ११५.
पनालाल (थानवी) ४४४.
पनैसिंह (कप्तान) ५६६.
पनैसिंह (स्काड्रन-कमाण्डर) ५६६.
पब्लिक-पार्क ५५८, ५७२, ६१२.
पब्लिक-लाइब्रेरी ६१२.
पब्लिक-वर्क्स का महकमा ६११, ६१४.
पब्लिक-वर्क्स-मिनिस्टर ६११.
परदायत ४५३.
परब (बं) तसर १२, १३, १३२, १४०, १७८, २४५, २६१, ३२६, ३३५, ३५३, ३५४, ३६६, ३७५, ३७६, ३८६, ३६०, ३६५, ३६६, ४०७–४११, ४१४, ४४१, ४४७, ४५२, ५५४, ५५५, ५५७, ५६७, ६०३, ६४७.
परवेज़ (शाहज़ादा) २०२, २०३, २०५, २०६.
पर्शिया ५, २७६, ६३५.
पलाया २०६.
पल्लीवाल ३७–३६.
पशु-वर्धन ६१०.
पहलवी ६३५.
पहाड़ खाँ १६४, १६५.
पही १२५.
पांचू ४३३.
पांचेटिया २०६.
पांचोड़ा २१६.
पांडू खाँ ६०१.
पाई कोटड़ा ७६.
पाउलट ४८१, ४६०.
पाउलट-नोबल्स-स्कूल ४८१, ४६५.
पाटन १६, २०, ३५–३७, ३६, १३५, १८५, २८८, २८६, ३०३, ३०५, ३०८, ३४२.
पाटन (तँवरों की) ३८६.
पाटवा ४३७.
पाटोदी २४०.
पाडलाऊ ४४०.
पाडीव १८६.
पाता ८०, ८३.
पातावत ३८४, ३८७.
पाती १३२.
पादशाहपुर २७३.

पाबू (जी) ४५, ४८, १०४, ३५८.
पारकर १४२, ४३०.
पार्वती ४०, ४१.
पाल ३६४, ४३८.
पालकी--सरोपाव ६३३.
पालड़ी ३२६, ४४०.
पालड़ी ४४१.
पालड़ी (गोड़वाड़) ४४६.
पालड़ी (राणावतों की) ४४४.
पालनपुर १, ५०, १६५, २४०, २६२, २७१, २८६, ३०८, ३०६, ३३६, ३३७, ५१५, ५४२.
पालम १८४, २११, २६०.
पालासनी ६२.
पाली (दक्षिण) २५६, २७१, २७३.
पाली (मारवाड़) १२, १४, ३४, ३७–४२, ४४, ४६, ४७, ५१, ६६, ७५, ७६, ८८, ६०, ६१, ६७, १०३, १२४, १३१, १३२, १४२, १४४, १६७, २०६, २१८, २६३, २७३, २७६, २६२, २६८, ३२६, ३६१, ३८०, ३६१, ३६८, ४१२, ४१६, ४३१, ४४०, ४४६, ४५१, ४५८, ४६०, ४७२, ४७३, ४८२, ४६२, ४६५, ५०१, ५१२, ५१४, ५७३, ६१६, ६२५, ६४१, ६४२.
पाली की टकसाल ६३८, ६४१, ६४२.
पालीताना ४२.
पावागढ़ ३३८.
पासवान ३६०, ४०१.
पिंडारी ४२०.
पिचियाक ४७०, ६११.
पिटलाद २४०.
पिथोरा (राय) ३४.
पिन्ने (Capt-Pinne) ५०४, ५०६.
पिरथीपुरा ४४१
पिरामिड ५६३.
पिशां (सां) गण १७६, १६४, २८२, ३५३, ३६८.
पी० एण्ड० ओ० कम्पनी ५६४.
पीछोला ६०.
पीथल ४८.
पीथासणी १७८.
पीथासिया ६०१.
पीथोलाव ४४०.
पीपराला ६०३.
पीपलाद ३५१.
पीपलिया महादेव ५०१.
पीपलोद १४३, १५७, २८४, २८५.
पीपाड़ १०६, १०६, ११३, ११४, १४३, २५०, २६४, ३६१, ३६२, ३७७, ३६६, ४५१, ५१५.
पीरचंद २४.
पीरज़ादे ३६६.
पीलाजी (पीलू) गायकवाड़ ३३४, ३३७, ३४२–३४७.
पीलूडा ३५.
पुंजा (ज) ६३, ६६.
पुनपाल ६८.
पुनायतां ७६.
पुनास (मेड़ता) २४५.
पुनियावास ३६५.
पुर २७२, २८०, २६७.
पुरदिल ख़ाँ २७७.
पुरमांडल १४२.
पुरातत्त्वविभाग ५१६, ५५३, ६१४, ६१५.
पुरियों का खेड़ा ३२६.
पुरी ३२६.
पुरोहित ६५, ७६, १०३, १०६, ११५, १४४, १७८, १६७, २०६, २५४, ३२६, ३५३, ३६६, ३६६, ३६५, ३६६, ४४०, ४४४, ४६३, ४८८, ६००.

पुरोहितों का बास ३२६.
पुलकेशी (सोलंकी) ७, १३.
पुलिन ५३६, ५४३, ५४७, ५५१-५५६, ५५८, ५६२.
पुलिस का महकमा (विभाग) ४६४, ६०२.
पुष्कर ५, ८, ३५, ६५, १७२, २६०, ३०२, ३०३, ३११, ३४७, ३५३, ३६२, ३७२, ३८२, ३६८, ४३२, ४३३, ४४८, ४५४, ४५५.
पुष्करणा ब्राह्मण १८६, २५४, २५५, ३३५.
पुष्यमित्र ४.
पुस्तक-प्रकाश (Manuscript Library) २५, २६, ४०५, ४३६, ६१५.
पुस्तकालय ५२५.
पूँगल ५७, ६४, ६६, ६७, ८५, ८६, ६४, १०५, १३३.
पूँजा (डोडियाली-ठाकुर) १६५.
पूँजालाल (मेहता) ४६४.
पूँदला ४४०.
पूँदलोता २७४.
पूना ६६, २३३, २३४, ४८१, ४८७, ५०६, ५१०, ५१२, ५१७, ५२८, ५३०, ५४६, ५४८, ५६५.
पूनागर ८०.
पूना-हौर्स ५३६, ५४६.
पूनिया ६५६,
पूर्णमल (बुँदेला) २४१
पूली-जसवन्त-संवाद २०.
पृथ्वीदेव १०४.
पृथ्वीराज (चौहान) ७, ६, १४, ६३६.
पृथ्वीराज (जैतावत) १३३-१३५, १७४.
पृथ्वीराज (देवड़ा) १८६.
पृथ्वीराज (पीथल) (बीकानेर) १६०, १६५, १६६.
पृथ्वीराज (भंडारी) ४१०.
पृथ्वीराज (रा० मालदेवजी का पुत्र) १४८, १५३.
पृथ्वीराज (रा० सूजाजी का पुत्र) ११०.
पृथ्वीराज (सांदू) २२.
पृथ्वीराज के सिक्के ६३६.
पृथ्वीराज विजय ६.
पृथ्वीसिंह (चंडावल) ३५६.
पृथ्वीसिंह (चांदावत) २८१.
पृथ्वीसिंह (बेड़ा-ठाकुर) ५२३, ५४२, ५४६, ५५२, ५७१.
पृथ्वीसिंह (मेड़तिया) २५६.
पृथ्वीसिंह (लांबिया) ४५०.
पृथ्वीसिंहजी (अहमदनगर) ४४२, ४५३.
पृथ्वीसिंहजी (किशनगढ़-राजा) ४४७.
पृथ्वीसिंहजी (जयपुर-नरेश) ३८७.
पृथ्वीसिंहजी (महाराज-कुमार) २३१-२३३, २३६, २३८, २४५.
पृथ्वीसिंहजी (महाराजा मानसिंहजी के पुत्र) ४४१.
पेथड़ ४८.
पेमसिंह (पाली) ३६१.
पेमसी (मेड़ता) ३०८, ३०६.
पेमावास ६०१.
पेशकशी ३३८, ६२८, ६२६.
पेशवा ३४२, ३४३, ३७६.
पेशावर २१२, २१६, २४१.
पैटर्सन ५७६.
पैटर्सन (S. B. Major) ५२२, ५२६, ५२८, ५७६.
पैठन ६५१
पैमाइश ६१७.
पैलेस्टाइन ५६२.
पैसे ६४३.
पोपांबाई ६३.
पोपावस ४६२.

पोमसिंह (भंडारी) ३७३.
पोरबंदर ५४५, ५७२.
पोलावास (विश्नोइयां) ४४१.
पोलिटिकल एजेंट ४२५, ४२८, ४२६, ४३१, ४३३–४३७, ४४१, ४४२, ४४८, ४५१–४५३, ४५५, ४५६, ४५८–४६०, ६२८, ६२६.
पोलो ५१७.
पोलो-चेलैंज-कप ५१७.
पोलो-टीम ४८७, ५३७–५३६, ५४१, ५४२, ५४५, ५४६, ५४८–५५०, ५५६, ५५८, ५६०.
पोसालिया ४४६, ४५४.
पोहड़ ४५, ४७.
पौकरन (ग) १०, ११, ८६, १०२, १०४, १०५, १०७–१०६, ११६, १३३, १४२, १४३, १४६, १४७, २१८, २३१, २४४, २७८, ३३४, ३६१, ३६६, ३७६–३७८, ३८४, ३६०–३६२, ३६६–३६८, ४०२, ४०४, ४०६, ४०७, ४०६, ४१०, ४१२, ४१३, ४२०, ४२४, ४३१, ४३२, ४३६, ४३७, ४५६, ४५६, ४६४, ४६६, ४७४, ४७५, ४८४, ४६४, ५०४, ५०७, ५१६, ५२५, ५३५, ५३६, ५४६, ५५६, ५६०, ५७०, ६०३, ६२८.
पौकरना-राठोड़ ८६, १०४, १०८.
प्याद बख़्शी ४८६, ५०४.
प्रताप (कुँ० बाघाजी का पुत्र) ११०.
प्रतापकुँवरिजी (प्रताप बाला) (जाड़ेजीजी) २४.
प्रतापकुँवरिजी (भटियानीजी) २४.
प्रतापकुँवरी-पदरत्नावली २४.
प्रताप-पचीसी २४.
प्रताप-विनय २४.
प्रतापसिंह (ऊदावत) २६८, २६६.
प्रतापसिंह (कूँपावत) २६३.
प्रतापसिंह (खींवसर) ४१३.
प्रतापसिंह (ठाकुर संखवाय) ५१०, ५३६, ५५१, ५६६, ५६६.
प्रतापसिंह (पिशांगण) १७६.
प्रतापसिंह (प्रताप) (पत्ता) (महाराना) १७, १५६–१६६, १६८, १७७, २६१.
प्रतापसिंह (म० अजितसिंहजी का पुत्र) ३२८,
प्रतापसिंहजी (किशनगढ़) ३८८, ५५२.
प्रतापसिंहजी (जयपुर-नरेश) ३८७, ३८६, ३६८.
प्रतापसिंहजी (नरसिंहगढ़-नरेश) ४८४.
प्रतापसिंहजी (सर), (महाराजा) १८, २५, २४४, ४५३, ४६१, ४६५, ४६६–४७१, ४७४, ४७६–४७८, ४८०, ४८१, ४८३, ४८४, ४८७, ४८६, ४६०, ४६३–४६८, ५०१–५०५, ५०८, ५१०, ५१२, ५१८–५२३, ५२६, ५२७, ५२६, ५३३–५३५, ५४०, ५४३, ५४४, ५४८, ५५२, ५७१, ५६५, ५६६.
प्रतिहार ६३५.
प्रधानगी ४३७.
प्रबन्ध चिन्तामणि ३६.
प्रबोध चन्द्रोदय (भाषा) २४३.
प्रभाकरवर्धन ६.
प्रभुलाल (जोशी) ४३६, ४३७.
प्रयाग ६६, २०४, २५४.
प्रयागदास (प्रयाग) ११०.
प्रश्नोत्तर २३.
प्रहस्त ३१,
प्रिंस ऑफ़ वेल्स ४६६, ४८१, ४८४, ५०८, ५४०, ५४३, ५४५.
प्रिंसिपल मैडीकल-ऑफ़ीसर ६०८.
प्रेमसागर २४.
प्रौवीडैंट फ़ंड ५४६.
प्लेग ४३१, ५०७, ५२८.

फ

फ़ज़लअली ख़ाँ ३६७.
फ़तन ख़ाँ ६६, १००.
फ़तहपुर (सीकरी) २०६, २२६, ३१६, ३१७,
फ़तह (तै) पौल ३२६, ३५८, ४४६, ४४६, ४६२.
फ़तह (तै) महल ३२६, ३५८, ४६२, ६०६.
फ़तहसिंह (पंचोली) ३०८.
फ़तहाबाद २३५.
फ़तेहख़ाँ २४०, २५६, २६२.
फ़तैअली ख़ाँ (बलोच) ३८५-३८७.
फ़तैअलीबेग़ १२७.
फ़तैचंद (जोशी) ४२३.
फ़तैचन्द (सिंघी) ३७७, ३७८.
फ़तैपुर (गुजरात) ३४०.
फ़तैपुर (झूँझणूँ) १००, ११६, १२३, १४१, १४२.
फ़तैबिहारीजी का मंदिर ४६२.
फ़तैराज (सिंघी) ४१०, ४१८, ४२३, ४२४.
फ़तैसागर ३६४, ४६२, ४८०, ५१३.
फ़तैसिंह (आसोप-ठाकुर) ५६५.
फ़तैसिंह (रायपुर-ठाकुर) ३८४.
फ़तैसिंह (सोभावत) ४६५.
फ़तैसिंहजी (महाराज) ५१६, ५३७, ५४६, ५५६.
फ़तैसिंहजी (महाराजा विजयसिंहजी के पुत्र) ३७१, ३६१, ३६४, ३६६, ४०१.
फ़तैसिंहजी (महाराना) ४८६, ५१०, ५१३, ५६३.
फदिया ११८, १४३, ६३६.
फरड़ा ४८.
फ़रहाद (हबशी) १८४.
फ़रासत (ख़्वाजा) २१५-२१७.
फ़रासला ख़ुर्द ४४०.
फ़रिश्ता १६.
फ़रीद (शेख़) २१५.
फर्डिनैंड फ़्रैंज़ (आर्चड्यूक ऑफ़ ऑस्ट्रिया) ४८७.
फ़र्रुख़मोहम्मद अली ख़ाँ (टौंक) ५२८.
फ़र्रुख़सियर १७, ३०४-३०८, ३१०, ३११, ३१४, ३१५, ३२८.
फ़र्रुख़ाबाद ३२, १६२.
फलोदी (धी) ७, ४५, ६४, ६८, ६३, ६७, १०२-१०५, १०७-१०६, ११६, १२३, १२६, १२७, १३२, १३३, १४२, १४३, १४८, १७०, १७१, १७६, १६२, १६७, १६६, २०२, २०८, २१२, २१८, २६६, २७२, ३२६, ३६५, ३६७, ३७१, ३७३, ३७६, ३६७, ४१३, ४३७, ४७०, ५३१, ५३६, ६०३, ६२५.
फ़ाइनैंस-मिनिस्टर ६०५.
फागली ४४०.
फागी ४११.
फ़ारस ४, ३७, २७६, ३०२.
फ़ॉर्ब्स ४३.
फ़िदा उद्दीन ख़ाँ ३४२, ३५०.
फ़िलस्तीन ५६६.
फ़ीरोज़ (पर्शिया) ५.
फ़ीरोज़ (सैयद) १७७.
फ़ीरोज़ ख़ाँ (नागोर) ६४, ६८, ६६, ७४.
फ़ीरोज़ ख़ाँ (पालनपुर) ३०८.
फ़ीरोज़पुर ६५४.
फ़ीरोज़शाह (तुग़लक़) १४.
फ़ीरोज़शाह (द्वितीय) (ख़िलजी) १५, ४४, ६३६.
फ़ीरोज़शाह (सेठ) (कोठावाला) ५१४, ५७४.
फ़ीरोज़ी सिक्के ६३७.
फ़ील्ड (D. M. Col. Sir) ५६८-५७०, ५७२-५७४, ५७६.

फ़ुलाद ६०३.
फ़ुलेलाव १०४, १३२, ५०६.
फूलकुँवर १०४.
फूलबाग़ ४६२.
फूलमहल ३५८.
फुलिया १७८, १८०, २३६.
फ़ैज़ुल्ला ख़ाँ (मुंशी) ४६३, ४६६, ४७५, ४८६.
फ़ैडरेशन ५६४.
फ़ैन्ड्रुबिया ५६५.
फ़ौज-ख़र्च ५७५.
फ़ौजचन्द (भंडारी) ५४२.
फ़ौजदारी-अदालत ४६४, ५४८, ६२०, ६२८.
फ़ौजमल ४३५.
फ़ौजराज (सिंघी) ४२४–४२६, ४३३, ४३६.
फ़ौज-सिनगार १६१.
फ़ौजी-लाट ५१२.
फ़ौग्टेस्क्यू ५२०.
फ़ौलाद ख़ाँ २५५, २५८.
फ्रांस ५०३, ५२४, ५२६, ५६६, ५६७.
फ्रांसीसी २२३.
फ्रेंच ३८६.
फ्रेज़र (E. A.) ४८०.
फ्रैंकनोइस ५६८.

ब

बंगलोर ५१४.
बंगाल ३६, ११२, २०३, २०५, २२०, ५११.
बंगाल एशियाटिक सोसाइटी ५१४.
बंबई ४८०, ४८१, ४८३, ४८४, ४८७, ४६०, ५०३, ५०७, ५०६, ५१२, ५१६, ५२४, ५२५, ५२७, ५३०, ५४०, ५४५, ५५०, ५५१, ५५६, ५५८, ५६३, ५६७, ५७०, ५७४, ५७७, ५८४, ५६४.
बंभोर (पुरोहितां) ६५.
बँवली (बोनली) १४२.
बँवाल ३२६.
बक्सर ५०१.
बख़्तसागर ३७७.
बख़्तसिंहजी (महाराजा) (राजाधिराज) १६, २७, २८, २६, २६१, २६५, ३२७–३२६, ३३३–३३७, ३४०–३४२, ३४४, ३४६–३४६, ३५१–३५४; ३५६, ३५६–३७१, ३८३, ३६२, ३६३, ४२५, ६०१, ६५६.
बख़्तावरमल (मेहता) ४८४.
बख़्तावरसिंह (आउवा) ४१८, ४२७.
बख़्तावरसिंह (खेतड़ी) ४०५.
बख़्तावरसिंह (ठाकुर) (Supdt. Police) ५४२, ५५३, ५५४, ५५८, ५६०.
बख़्तावरसिंह (भाद्राजून) ४२६, ४३६.
बख़्तेश ३६४.
बख़्तसिंह (वकील) २६४.
बख़्शीराम (चंडावल) ४१२.
बख़्शूख़ाँ ५४१.
बगड़ी ८०, ८५, ८८, ११४, १३१, १३६, १५५, १७४, २७८, २६०, ३०५, ४१२, ४२८, ४४४, ४४७, ४६३, ५३३.
बगखाना ३४, २७२.
बगड़ ५०६.
बछराज (छापर) ६७, ६८.
बछराज (सिंघी) ४८८, ४६४, ४६६.
बछवास १६७.
बटूलाल ५०६.
बड़गाँव २७१. ३०८.
बड़लिया १०३.
बड़ली ६५.
बड़लू ४५१.
बड़ियाला १४४.
बड़ोदा १८६, ३३७, ३४२–३४५, ४८५, ४६०, ५०५, ५११, ५१५, ५४२, ५४३.
बणसूर (जुगता) ४४०.

बदड़ा ४४०.
बदन कुँवरीजी (श्रीमती महारानीजी) ५३६.
बदनसिंह (जावला) ३८१.
बदनोर १२४, १३७, १३८, १४२, २१६, २६२, २६३, २७२.
बदायूं ३२, ३३, ६६.
बघड़ा ४००.
बधावाराम (पण्डित) ४७४.
बनराज (सिंघी) ३६६, ३६८, ३६६.
बनाड़ ३६१, ३७८, ४३३, ४३७.
बनारस २०३, ५५६.
बनास ३०२.
बनेसिंह ५४१.
बनैसिंह (रायण) ३५६.
बन्दा ३०२.
बबाटी ५८१.
बभूतसिंह (पौकरण) ४३६.
बभूतसिंह (म० मानसिंहजी का बाभा) ४४१.
बयाज़िद (बायज़ीद) खाँ (मेवाती) ३२२.
बयाना १२३, १४१, २६७.
बर ४५८.
बरकतअली (मुंशी) ४२२.
बर की घाटी २६४.
बरड़वा ४७४.
बरफ़ का कारख़ाना ४८०, ६१३.
बराड़ २०१, २०४, २३६.
बरेकु ५८१.
बर्डवुड (लॉर्ड) ५६२.
बर्नियर २२३–२२५, २२७, २२८.
बर्मा ५६६.
बलख़ ४, १७८, १७६.
बलगेरिया ५३४.
बलदेव (चौहान) २२८.
बलदेवराम (मिरधा) ५४३, ५६८.
बलसिंह (डकैत) ५५४.
बला १६५.
बलूंदा २०२, २५४, २५५, २७८, २६०, २६२, ३६४, ३६१, ३६८, ४१०.
बलूचिस्तान ४, ६०३.
बल्लू (चांपावत) ६५४.
बल्लोच ८, १३, ६४, १२२, १३५, ३८५.
बल्लोचपुर २०२.
बसरा २१४.
बसी ४७, १६७.
बहराम १३८.
बहरामशाह १३.
बहलोल (लोदी) ६५, १००, १०१.
बहलोलख़ाँ २०५.
बहादुर (ढाढी) २०, ५६.
बहादुर (मुज़फ़्फ़र का पुत्र) १८२.
बहादुरख़ाँ २५०, २५१, २७०.
बहादुरशाह (द्वितीय) ६३८.
बहादुरशाह (प्रथम) २८७, २६३, २६५, ३००–३०३, ३०६, ३१४, ३१७.
बहादुरशाह (सुलतान गुजरात) ११६, ११८.
बहादुरसिंह (कप्तान) ५६६.
बहादुरसिंह (डाबड़ा) ३६७.
बहादुरसिंह (बलंदा) ३६८,
बहदुरसिंहजी (किशनगढ़) (रूपनगर) ३५७, ३६१, ३६४, ३६८, ३७२, ३८३, ३८८.
बहादुरसिंहजी (महाराज) ४६१.
बहूजी का तालाव १४३.
बांकीदास २४.
बांजड़ा १७८.
बांजाकूड़ी ३६४,
बांदर ४४.
बांदरवाड़ा ३०४.
बॉंबे बड़ोदा ऐंड सैंट्रल इंडिया रेल्वे ४७८, ४८३.
बांसड़ा ६०१.
बांसवाड़ा १५८, १६२, २७२.
बांह-पसाव ६३, ६३२.

बाइंग (जनरल) ५६६.
बाइसंदा ६३७, ६४३.
बाईजी का तालाव ४६२.
बाउक ७, ८.
बाकरवाड़ा २११.
बाकियात का महकमा ४७१.
बागड़की ४४१.
बागां ५१०.
बागा (जालोरी) ४२७.
बागात ६१२.
बागासणी २४५.
बाघ ६६.
बाघला ४४०.
बाघसिंह ५४१.
बाघा (भाट) ४६१.
बाघाजी (राजकुमार) १०६-११२.
बाघावसिया ३२६.
बाघेला ३७.
बाघेली २५४.
बाजबहादुर १७०.
बाजावास ४५६.
बाजीराव (पेशवा) ३४१, ३४३.
बा (ह) ड़मेर १०, ३६, ४८, १०७, १०८, ११६, १३३, १३४, १४२, ४२६, ५५३, ५७३, ६२५.
बाड़ा खुर्द १४४.
बाड़िया ६५.
बाणगंगा ३.
बाणियावास ६०१.
बाथपंचायण ६७.
बादशाहकुली ख़ाँ २६८.
बाप ४३७.
बापा (रावल) ७१.
बापू (सिंधिया) ४०७.
बाब ४१३.
बाबर ११२, १२६, १६२.
बाबरा ४१०.
बाभा ४५३.
बार (A. D. C.) ५२१, ५२६.
बार (ऐसोसिएशन) ६२२.
बारकर (मेजर) ५६३.
बार (ह) ठ १८६, ३८४, ४४३, ४६१, ४६३.
बाराह ३२२.
बाराह के सैय्यद १५६.
बार्टन (मेजर) ५६७.
बार्डिक रिसर्च कमेटी ५१४.
बालकृष्ण (दीक्षित) २१, २४८, २५७.
बालकृष्ण (पंचोली) ३०४, ३०५, ३३३-३३५, ३५५.
बालकृष्णजी (मूर्ति) ३८१.
बालकृष्णजी का मन्दिर ३६४, ३६५.
बालप्रसाद ११.
बालरवा ८६.
बालसमंद ८७, ३६१, ४३५, ४६२, ४८०, ४८८, ६१२.
बाला (गांव) ११४.
बाला (राठोड़-खाँप) १३३, २७५, २७६, २८३.
बाला (राव रणमलजी का पौत्र) ८०.
बालाघाट २०५-२०७.
बालाधणा २४५.
बालापुर २०१.
बालिया ८०.
बाली १४, २८६, ४४०, ४४१, ४८६, ५३७, ५३६, ५६५, ५७३, ६२५.
बालू (जोशी) ३८०.
बालेचा (सा) ५२, ६०, १३७, १८८.
बालोतरा २७३, २७५, २७७, ४६८, ५०२, ६२०, ६२५.
बावड़ी (गांव) १४८, ३०८.

बावड़ी कलां १०६.
बावड़ी खुर्द १०६.
बावरी ४७१, ४७५.
बासड़ा ४४०.
बासणी १०३.
बासणी (चारणां) १७८.
बासणी (जगा) ४४१.
बासणी (भूर्टा) ४४०.
बासणी (तिरवाड़ियां) २४५.
बासणी (दधवाड़ियां) ३२६.
बासणी (नरसिंघ) १०३, २४५.
बासणी (बैदां) ३६५.
बासणी (भाटियां) १४४, १७८.
बासणी (मनाणा) ३२६.
बासणी (सेपां) १०३, ३६६.
बासनी (जागीर) ४२५, ४३१, ४४४.
बासनी (व्यासों की) १६७.
बासू (राजा) ६५१.
बाहड़देव ३६.
बिजली का कारखाना ५२८.
बिजली घर ६०५, ६१३.
बिजैशाही २६३, ४८७, ५००.
बिठलदास (भंडारी) २६६.
बिड़दसिंगार २२.
बिड़दसिंहजी (किशनगढ-राजा) ३८८.
बिनोदीराम (व्यास) ४२३.
बिलमचंद (भंडारी) ५७५.
बिशनराम (व्यास) ४२१.
बिशनसिंह (ओसियां) ५७७.
बिशनसिंह (गूलर) ४५०, ४५३.
बिशनसिंह (चंडावल) ४१८.
बिशनसिंह (रिंसाणा) ५६६.
बिहार २०३.
बिहारसिंह (राठोड़) ६५४.
बिहारीदास (खीची) ४२३.
बिहारीदास (पचोली) २६६.
बिहारी पठान १५, ६३, ७५, १०१, १२२, १३८, १४२, १६४, १६५, २५६, २६२.
बिहारी-सतसई की टीका २३.
बिहारीसिंह (बाबा) ५३५.
बिहारीसिंह (भाद्राजण) २६०.
बींजवा ५०६.
बींटली १४३.
बीकम ४६.
बीकमपुर १७१.
बीकरलाई १४४.
बीका (हज़ारी) ३६३.
बीकाजी (राव) ८०. ६८–१०३, १०५, १०८.
बीकानेर १, २, ४, १२, ३३, ३६, ४२, ६३, ६७, ६८, ८०, ८४, ६८, १०१, १०३, १०५, १०८, ११३, १२०, १२२, १२३, १२५, १२६, १३१, १३४–१३६, १३८, १३६, १४२, १४३, १४५, १४७, १५१, १५२, १५३, १५४, १६०, १६५, १७०, १७६, १७७, १८२, १६२, २०५, २३१, ३१२, ३४७–३४६, ३५१, ३५२, ३५५, ३६१, ३६४, ३६५, ३७२, ३७३, ३७५, ३७७, ३८३, ३८७, ३८६, ४०७, ४०६, ४११, ४१३–४१६, ४२४, ४३३, ४४५, ४५३, ४५५, ४७७, ४७८, ४८३,–४८६, ४८८-४६०, ४६६–४६८, ५०१, ५०५, ५११, ५१२, ५१५, ५२१, ५३६, ५५२, ५५५, ५६५, ६०३, ६५२.
बीगवी १४४, १६७.
बीघोड़ी ४७६.
बीजड़ (मीर) ३८४–३८६.
बीजलियावास १६७.
बीजा (देवड़ा) १८६.
बीजापुर, ४३, १६६, २८०, २८४.
बीजोलाई, ४६२.

बीटणी २६५.
बीटसन् (एस.) ४८४, ५०३.
बीठल (चांपावत) २७४.
बीठोरा ४५०.
बीदर ३१५.
बीदा (भारमलजी का पुत्र) १३३.
बीदा (रा जोधाजी का पुत्र) १०२-१०३.
बीदा (रावल) ८६.
बीदावाटी १००, १०२.
बीदासणी १४४.
बी. बी. ऐराड सी. आइ. रेल्वे ५३६, ६०३.
बीरमगांव २८६.
बीरां २५.
बीरावास ४४१.
बीरुट ५६८.
बीलाड़ा ३, ८, १०३, १०४, १४४, १७८, २०६, २२६, २३०, २५४, २६२, २६३, २७३, २७८, २८८, २९६, ३२६, ३४६, ३५७, ३६४, ३७६, ३८०, ३६५, ४३२, ४४०, ४४१, ४४६, ४५१, ५१२, ५७३, ६०३.
बीलावास ५५४.
बीसलदेव ६३, ६७.
बी (वी) सलपुर ६१, ६७, १४८, ३६१, ३७८, ३६०, ३६१, ५५४.
बीसावास ७६.
बुंदेलखंड १७१, १८६.
बुंदेला १७१, १८६, २०५, २०६, २२३, २४१, ३०१, ६५०.
बुख़ारा दरवाज़ा ६५५.
बुचकला ८.
बुड़किया ४६२.
बुध शाखा ४८.
बुधसिंह (म. अजितसिंहजी का पुत्र) ३२८.
बुधसिंह (हरियाडाणा) ४१३.
बुधसिंहजी (बूंदी-नरेश) ३१८, ३२६, ३३४.
बुद्धसिंह (हाडा) २६४.
बुरहानपुर ६४, १६६-२०२, २०४, २१०, २४३, २७१, २७२.
बुरहानुल्मुल्क ३४८, ३४६.
बुलंदअख़्तर २८५, २८६.
बूंदी ७६, १६७, २१०, २२४, २२५, २४०, २४४, २७८, ३१८, ३२६, ३३४, ३५५, ३५६, ४८४-४८६, ४८८-४६०, ४६४, ४६८, ५०५, ५१२, ५१५, ५१८, ५३०, ५४६, ५५५.
बूंध्यावास ३०७.
बूड़सू ४०८, ४१०, ४११, ४२५, ४२८, ६४७.
बूडा ४५
बूला ४६.
बेगड़ ४८.
बेटी (जी. ए. एच.) ५६२.
बेड़ा ४८४, ५१२, ५२०, ५२३, ५४२, ५४६, ५५२, ५७१.
बेतार का तार घर. ६१२.
बेदावड़ी खुर्द ३२६.
बेराई १७८, २४५, ३१६.
बेलणा ८४.
बेलापुर १८६.
बेवटा १०३.
बेह १६७.
बेहड़ ४८.
बैजनाथ महादेव ४४०.
बै (वै) रसल (जैतावत) १७४.
बैरीसाल (बगड़ी-ठाकुर) ४६३.
बैहणीवाल ६५६.
बैहरामपुर ३३८.
बोइने (डी) ३८६.
बोइल ३६५.
बोपूशाही रुपया ६४७.
बोयड़ मौस ५८१.

बोयल ११६, १३३.
बोयात्रा ४७५.
बोरसी रुपया ६४७.
ब्यावर २६४, २६८, ४२१, ४४८.
ब्रह्मगुप्त ६, ७.
ब्रह्मस्फुटसिद्धान्त ६, ७.
ब्रह्माण्डवर्णन २१,
ब्रह्मानन्द (पंडित) ५०२.
ब्राह्मण १०३, ११६, १४४, १७८, १६७, २४५, ३२६, ३८४, ३६५, ४३८, ४४०, ४६३, ४७३, ६०१.
ब्रिटिश ५०७, ५२३, ५२४, ५३१.
ब्रिटिश-इंडिया कम्पनी ५७७.
ब्रिटिश-ईस्ट ऐफ्रिका ५७८.
ब्रिटिश-गवर्नमैन्ट ४२०, ४२१, ४२५, ४४२, ४६८, ५३४.
ब्रिटिश-भारत ४५७, ४८१, ६०३, ६०४, ६२०, ६२३, ६२५, ६३५, ६३६, ६४३.
ब्रिटिश-साम्राज्य ५७३.
ब्रेबोर्न (लॉर्ड) ५७४.
ब्रेम्नर ५०२.
ब्रोही ३८६.

भ

भंडारी १७६, १८५, १६४, २६६, ३१६, ३२०, ३२४, ३२७, ३३२, ३३४, ३३६, ३४१, ३४४, ३४६, ३४८, ३५०, ३५२, ३५३, ३५५, ३७३, ३६८, ३६६, ४०१, ४०२, ४०६, ४०६, ४१०, ४१८, ४२६, ४२७, ४३०, ४३७, ४८२, ४६४, ५१२, ५४२, ५७५.
भंसाली ३१६.
भखरी ३५२, ३८०.
भगत ३६५, ६०१.
भगवन्तदास (राजा) १६४.
भगवन्तसिंह (जोधा) ५४०.
भगवानदास (चांपावत) ३०१.
भगवानदास (चौधरी) २८६, २६६.
भगवानदास (रा० उदयसिंहजी का पुत्र) १७८, १८६, १६२.
भजनपद हरिजस २४.
भटनेर ६५६.
भटनोखा ४३५.
भटियानी १०४, १३२.
भटियानीजी ४४७.
भटियानीजी (महारानीजी) ५४५.
भटियानीजी का महल ४४०.
भट्ट ३५३, ३५५.
भड़ोच ८, १३.
भदवासी ५५५.
भदावत १२२.
भरतपुर ३२२, ३५२, ३८२, ४५४, ४६४, ५३७.
भर्तृवड्ढ (द्वितीय) ८, १३.
भवातड़ा ४७०, ४७५, ५४३.
भवानी सहस्रनाम २१.
भांगेसर १३२.
भाँड ४४१.
भाँडू (चारणां) ६५, ६६.
भांण (रा० मालदेवजी का पुत्र) १४४.
भांनावास ४४.
भाकरवासणी २४५.
भाकरसिंह (रायपुर) ३७६.
भाकरसी (रा० जालणसीजी का पुत्र) ५१.
भाखरसी (रा० रणमल्लजी का पुत्र) ८०.
भागवत ३, ४, ४३६.
भागवत की मारवाड़ी टीका २३.
भागवत के दशमस्कन्ध के ४६-६१ अध्यायों भाषापद्यानुवाद २४.

भाट १७८, १९७, २०६, ३२६, ४४१, ४४३, ४६१, ४६२, ४७३, ४६२, ६०१.

भाटी ३५, ४८–५२, ५६–५८, ६३–६६, ७३, ७४, ८५, ८६, ६४, ६८, १०२, १०४, १११, ११३, १३४, १७१, १८२, १८३, १८५, १८७–१६३, १६७, २३१, २४१, २५०, २५२, २५७–२६०, २७२, २७५–२७७, ३०६, ३०८, ३६५, ३७१, ३६८, ४०४, ४०५, ४१३, ४२४, ४२५, ४३१, ४३२, ४५०.

भाटेलाई २०६.

भाटेलाई–पुरोहितों का बास ६५.

माथेड़ा ८६.

भादर ३४०, ३४१.

भादरा (द्रा) जन (ग्रा) ६६, ६७, १०२, ११६, १२३, १३२, १४२, १५०, १५१, १७२, १८८, २०४, २७५, २७७, २६०, ३३७, ३६७, ४२८, ४२६, ४३३, ४३६, ४३७.

भान ६२.

भान का भाकर ६२.

भानीराम (भंडारी गंगाराम का पुत्र) ४१०, ४१६, ४२७.

भारत २४०, ४३५, ४५२, ४६५, ४६८, ५०३, ५०५, ५०७, ५१०, ५११, ५१६–५१८, ५२०, ५२४, ५२७, ५३०, ५३७, ५४०, ५६०, ५७१, ५७२, ५७८, ५६५, ५६६, ५६८, ६०३, ६१२, ६३५.

भारत-सरकार (गवर्नमेंट) १८०, १६७, ३८३, ३६३, ५२५, ५३४, ५३८, ५४०, ५४४, ५४५, ५६४, ५६५, ५७५, ६०५, ६१५.

भारतसिंह (ऊदावत) ३७२.

भारतसिंह (रावराजा) ४६१.

भारतसिंहजी (शाहपुरा) १६६.

भारतेश्वरी ४६७, ४६८.

भारमल (बाला) १३३, १३५.

भारमल (रा० जगमालजी का पुत्र) ५५.

भारमल (रा० जोधाजी का पुत्र) १०३.

भारमलजी (ईडर) १११.

भावँड़ा ११८, ३६५.

भावनगर ४२, ४८६.

भावविरही २१.

भावसिंह (कूंपावत) ६५४.

भावी ५१५.

भाषा-भूषण २०, २४३.

भास्करानन्द (स्वामी) ४६२.

भिग्गा (ना) यू १०६, १५२, ३०४, ३२६, ३५१, ३५३, ३७१, ३७२, ३७५, ३७६, ३६८.

भिरड़कोट ५३, ५५.

भींया (चौहान) २६६.

भींवभिड़क ४६२.

भींवालिया ४५२.

भीकमसी ४४.

भीतर (रो) ट १६६, ४१६.

भीनमाल ६–८, १०, ११, १३, ३५, ३६, ५०–५३, १४२, १६५, २६२, ३०८, ३३४, ४७६, ४७७, ६२५,

भीम (कुं० बाघाजी का पुत्र) ११०.

भीम (बीकानेर-राजकुमार) १२३, १२५, १२८.

भीम (म. अमरसिंहजी का पुत्र) २०३–२०५

भीम (म. राजसिंहजी का पुत्र) २६४, २६५.

भीम (रा. कनपालजी का पुत्र) ४६, ५०.

भीम (रा. चूंडाजी का पुत्र) ६६, ८३, १०८.

भीम (रावत) १३३, १३४.

भीम (रा. सीहाजी का पुत्र) ४१.

भीमजी (ईडर) १११,

भीमदेव (द्वितीय) (सोलंकी) ११, १२, १४, ३२, ३७,
भीमदेव (प्रथम) (सोलंकी) ११, १२.
भीमनाथ (आयस) ४१७, ४१६, ४२०, ४२४, ४२५, ४२६, ४३०.
भीमरलाई २८३.
भीमराज (सिंघी) ३८७.
भीमराजजी (जैसलमेर-रावल) १८३.
भीमशाही पैसा ६४३.
भीमसिंह (राम) ४२७, ४३६.
भीमसिंहजी (महाराजा) २२, ३६०-३६२, ३६४, ३६६-४००, ४०१, ४०२, ४०४-४०६, ४०६, ५०८, ६०१, ६२८, ६२६, ६४१, ६४३.
भीमसिंहजी (महाराना) ४०५, ४१५.
भीमा (नदी) २८६.
भील १५२, २६०, ३४४, ४३०, ४५७, ४७१, ४७५, ४७६.
भीलड़ा ३५.
भीलावास १६७.
भीष्म भट्ट २४.
भुज ३५, ४२६.
भुसावर २६४.
भूंडेल ५८.
भूकम्प ५६६.
भूरसिंह (डकैत) ५४४, ५५२, ५५४, ५५८.
भूरसिंह (रिसाला) ५६६.
भेरूंदा २१६.
भैंसेर (कुतड़ी) १४४.
भैंसेर (कोटवाली) १४४, ३२६, ४४०.
भैंसेर (खुर्द) ४२६.
भैंसेर (चांवडां) ६५.
भैंसोर ३२६.
भैरवों का दालान ३३०.
भैरूंदास (चांपावत) १३४.
भैरूंदास (सिरोही) १८६.
भैरूंपोल ४४०.
भैरूंवास ३६५.
भोंसले ४२७, ६५०.
भोगलावा ५२४.
भोगिशैल १२.
भोज (प्रतिहार) ८.
भोजदेव (प्रथम) (प्रतिहार) ६, ८, ६३५.
भोजराज (चावड़ा) ४४.
भोजराज (म. संग्रामसिंहजी का पुत्र) २०, १०३.
भोजराज (रा. मालदेवजी का पुत्र) १४४.
भोजा (चारण) ७४.
भोपतसिंह (राजा उदयसिंहजी का पुत्र) १७६, १७६.
भोपसू ४४.
भोपालसिंहजी (महाराज) ४६१, ४६५, ४६६.
भोमसिंह (ठा. मीठड़ी) ५६८.
भोमसिंह (भटनोखां) ४३५.
भोमसिंह (म. मानसिंहजी का बाभा) ४४१.
भोमसिंहजी (म. विजयसिंहजी के पुत्र) ३६१, ३६४, ३६६.

म

मंगलदास (डकैत) ५४६.
मंगलसिंह (ठा. पोकरण) ४७५, ४८४, ४६४, ५०७, ५१६, ५३५, ५४६, ५५६.
मंजुनाथ (के. भट्टजी) ५२८.
मंडला (रा. रणमल्लजी का पुत्र) ८०.
मंडली ३२६.
मंडावरा २४५.
मंडी ४६२.
मंडी (रियासत) ४६६.
मंडेश्वर २६५.

मंडो (व) २ ५, ७-१०, १२, १५, २८, २६, ३६, ४४, ४७, ४८, ५३-५५, ५८-६४, ६६, ६८-७५, ७८-८०, ८२-८७, ८६-९२, ६५, ६८, १०२, १४१, १४३, २६०, २७६, ३११, ३३०, ३५७, ३५८, ४००, ४२३, ४३५, ४३८, ४६२, ४८८, ४६०, ४६३, ५१६, ५४५, ५६०, ६०३, ६१२.

मंदसोर ६, ३०५, ३६५, ३६७.

मकटाउ ५८०.

मकराना २७४, ५०३, ५१६, ५५७.

मकरानी ५५८.

मकिग्रडु ५८८.

मक्का ३१५.

मगराज (परदायत) ४६२.

मगलाना १३.

मगी पट्टन २०१.

मच्छूखाँ ५०६.

मजल ३८४, ४१३, ४२४.

मणियारी ८०.

मतालबा ६२७.

मथाणिया १०३, ६०१.

मथुरा ३, २१६, २२६, २६६, ३१६, ३१७, ३३२, ४४८, ४६६, ५०१.

मथुरादास (मेड़तिया) २३६.

मदनमोहन मालवीय (पंडित) ५२१, ५५५.

मदनलाल ५३६.

मदनसिंह (तुँवर) ४१३.

मदारिया ७५, १२४, १४२.

मद्रास ५६०.

मधुकरशाह १७१.

मधुराजदेव (भोंसले) ४२७.

मनरूप का बाड़िया ४६२.

मना (भंडारी) १७६, १८५.

मनुष्य-गणना (मर्दुमशुमारी) ४७०, ४८४, ५०२, ५०३, ५१४, ५३६, ५६३.

मनूची २२३, २४२.

मनोहरदास (पंचोली) २१६.

मनोहरदास (राव) (शेखावत) ३०५.

मनोहरदासजी (जयसलमेर के रावल) २१७.

मनोहरपुर ३१८, ३२१, ३२२.

मयूर ७.

मरदानअली ४५७.

मरवा ४१६.

मरहटे (महाराष्ट्र) २३४, २३६, २७६, २८६, ३१६, ३३६, ३३७, ३४२, ३४४, ३४५, ३४८, ३५०, ३५६, ३६०, ३६५-३६८, ३७२-३७६, ३८१, ३८७-३६०, ३६२, ३६७-३६६, ४०२-४०४, ४११, ६२७, ६२६.

मरु १-५, १०.

मरुदेश ४८२.

मरुधर कुँवरी (बाईजी) ५४७, ५६४.

मरुधरा १२३.

मरेरिमथ (टी.) ५७७, ५७८, ५८०, ५८१, ५८८, ५६०, ५६१.

मर्दानी डेवढ़ी ५४२.

मलकापुर २०१.

मलारना (गा) १२३, २१८, २१६.

मलिक (हाजी) ५०.

मलिक अंबर २००, २०१, २०४.

मलिक खाँ १३५, १३६.

मलोया ५६४.

मल्लानी (मालानी) ७, ४७, ४८, ५५, ८६, १२१, २७१, ४२६, ४४६, ४८५, ४८८, ४६१, ४६७, ५१२, ५१४, ६१८

मल्लिक (इज़्ज़ुद्दीन) १५.

मल्लिनाथजी (रावल) ३३, ५३-५६, ५८, ५६, ६१, ६३, १०७, १४२.

मल्लू खाँ (मलिक यूसुफ़) १०५, १०६.

मल्हारना १४२.

मल्हार राव होल्कर ३४६, ३४८, ३४६, ३५६, ३६१, ३६३.

मसूदा २००, ३०४, ३७२, ३७५, ३७६, ३६८.
मसूरिया ६२, ४६२.
मसूरी ५२५.
मस्कट २७६.
महकमा ख़ास ४६७, ५१३, ६०२, ६०५.
महकमा नाबालिगी ४७८.
महकमा हदबस्त ४७४.
म (मै) हक़र १६६, १६७, १६६–२०१.
महपा ७६–७६, ८२.
महमंद ४६७.
महमूद ग़ज़नवी १३.
महरबानजी पेस्टनजी ५२७, ५२८.
महादजी (माधोजी पटेल (सिंधिया) ३६७, ३७६, ३८०, ३८१, ३८८–३६०.
महापुरुष ४०८.
महाबत ख़ाँ १८७, १८८, २०२, २०५
महाबत ख़ाँ २३३.
महाबत ख़ाँ २६४, ३०१, ३०३.
महाभारत ३, ४.
महामंदिर ४०४, ४१३, ४२४, ४२७, ४७१.
महाराज कुमार पाँचवें (दिलीपसिंहजी) ५७५.
महाराजसिंह (कुँवर) ५६३, ५६५.
महाराजा साहब की द्वितीय पूर्वी एफ्रिका-यात्रा ५८८-५६४.
महाराजा साहब की प्रथम पूर्वी एफ्रिका-यात्रा ५७७–५८५.
महाराम (ग्रासोपा) ४४४.
महाराष्ट्र २०१, ३८६.
महासिंह (चांपावत) (पौकरण) ३३४, ३७७.
महीरेलण ४८.
महुई ३२, ३५.
महेचा २१५, ५५४.
महेवा ३६, ४२, ४८, ४६, ५१–५५, ५७, १०२, ११६, १६१, २१५.
महेशदास (कूंपावत) १५३, १५८.
महेशदास (चाँपावत) २१३, २१४, २२३, २२८.
महेशदास (महेचा) २१५.
महेशदास (मारोठ) ४०५.
महेशदास (राजा उदयसिंहजी का पौत्र) १७८, २१६.
महेशदास (राठोड़) १८३.
महेशदास (राव मालदेवजी का पुत्र) १४४.
महेशपुरा ३२६.
मांगलिया ६०, ८७, १२२, १८३.
मांगलोद ५, ३०३.
मांगा (चारण) ४८.
मांजा (सीसोदिया) ८८.
मांडण ६६.
मांडणोत ३८४.
मांडल (रा० रणमल्लजी का पुत्र) ८०.
मांडल (स्थान) ८४.
मांडलक (रा० जगमालजी का पुत्र) ५५.
मांडलगढ़ ७६, १६१.
मांडलपुर २७२, २७५, २८०, २६७
मांडव १८६.
मांडवी १८५, १८६.
मांडा ३५६.
मांडियाई ख़ुर्द १०३, ३२६.
मांडी २३१.
मांडू ६०, ६२, ७२, ७६–७८, ८०–८२, ६५, १२३, २००, २०१, २०४, २०५, २२१.
माइसोर ४८२, ४६८, ५१६, ५३७.
माउंगू ५७८–५८०.
माघ ६.
माचिया ४६२.
माड १.
माणकपुरा ४४४.

माखाकराव ५७, ६६.
मादड़ी ३२६.
मादालया १५२
माद्री ७६.
माधवसिंह (मेड़तिया) ३३३.
माधवसिंह (रा. उदयसिंहजी का पुत्र) १७६..
माधवसिंह (शक्तिसिंह का वंशज) १८०.
माधव (धो) सिंहजी (प्रथम) (जयपुर) ३५६, ३५७, ३६८, ३७२, ३७५, ३८२.
माधोजी (माधव राव सिंधिया) ३६७, ३७६, ३८०, ३८१, ३८८-३९०.
माधोदासोत २५६, २६२.
माधोप्रसाद गुर्दू (पंडित) ४८८, ४६४, ४६७.
माधोसिंह (ठा. संखवाय) ५६६, ५६८, ५७०, ५७४, ५७६.
माधोसिंहजी (द्वितीय) (जयपुर-नरेश) ५४३, ५४६.
माधोसिंहजी (महाराज) ४६१.
मान (खिदमतगार) १८८.
मानचंद (भंडारी) ५१२.
मान-जसोमंडन २४.
मानविचार २३.
मानसागरी महिमा २४.
मानसिंह (कछवाहा) ४५०.
मानसिंह (डकैत) ५४७.
मानसिंह (नागोर) ३२५.
मानसिंह (राजकुमार जयपुर) ३८७, ३८८.
मानसिंह (राव गागाजी का पुत्र) ११५.
मानसिंह-जसरूपक २४.
मानसिंहजी (कुँ० जयपुर) १६१, १६३, १६४.
मानसिंहजी (जयपुर-नरेश) ५४७, ५४६, ५६५.
मानसिंहजी (मान) (महाराजा) २२-२७, २६, ३०, ३६४, ३६६-३६६, ४०१-४०६, ४१२, ४१५, ४१६, ४१६-४२२, ४२८-४३४, ४३६, ४४०, ४४२-४४४, ४४६, ४४७, ४६२, ४६४, ४७३, ४७७, ६२८-६३०, ६४१, ६४३, ६४७.
मानसिंहजी (महाराजा) के समय के चित्रों का संग्रह २६, ३०.
मानसिंहजी (रतलाम-नरेश) १७६, ३२०, ३२१.
मान्यखेट ८.
मामावास ३२६.
मायलाबाग ३६४, ४१६.
मायाचंद (दीवान) ४३०.
मारवाड़ १, ३-८, १०-१५, १६, २०, २२, २७-२६, ३२-४७, ५४, ५५, ५८, ६१, ७०, ७६, ७७, ८३-८५, ८८, ८६, ६७, ६८, १००, १०५, ११६, १२१, १२२, १२४, १२६, १२७, १२६, १३२, १३८, १४०, १४४, १४६-१५२, १५८, १६१, १६२, १६६-१६८, १७३-१७७, १७६, १८१-१८३, १८५, १८७, १८८, १६३, १६४, १६७, १६६, २००, २०३, २०४, २०८, २१०, २१२, २१४, २१५, २१६, २२०, २२३, २२८, २२६, २३१, २३८-२४४, २४७, २४६-२५६, २६१, २६२, २६४, २६६, २६८, २६६, २७१-२७३, २७५-२८१, २८२, २८३, २८५, २८६, २८८, २८६, २६२, २६४, २६६, ३०३, ३०६, ३०७, ३१५, ३१६, ३२४, ३२८, ३३३-३३६, ३४८, ३४६, ३५२, ३५४, ३५७, ३५६, ३६४-३६६, ३७१, ३७२, ३७४-३७७, ३७६-३८२, ३८४, ३८६, ३८८, ३६२, ३६३, ३६६-३६८, ४०१-४०३, ४०६-४०८, ४११, ४१४, ४१६, ४१७, ४१६-४२२, ४२५, ४२६-४३५, ४३८, ४३६, ४४३, ४४५-४४८, ४५०, ४५२, ४५३, ४५५, ४५७, ४६०, ४६४, ४६६-४७१, ४७३, ४७५, ४७६, ४८०, ४८२, ४८४-४८६, ४८८, ४६०, ४६१, ४६३, ४६४, ४६८-५००, ५०२, ५०५, ५०६, ५१०, ५१२, ५१४-५१६, ५२०, ५२१, ५२४, ५२५, ५३२, ५३५, ५३६, ५४२-५४४, ५४७, ५४८, ५५२, ५५३, ५५५-५५६, ५६१, ५६५, ५६६, ५६६, ५८०, ५६४, ५६६, ६००, ६०४-६११, ६१४-६२०, ६२४, ६२७, ६२६, ६३०, ६३२, ६३३, ६३४, ६३६-६४३, ६४६, ६४७, ६५४,

मारवाड़ का इतिहास ६१६.
मारवाड़ के सिक्के ६३४-६४८.
मारवाड़ के सिक्कों पर मिलने वाले कुछ लेख ६४४-६४६.
मारवाड़-गज़ट ४५४.
मारवाड़ (र) जंकशन ६६, ४७२, ४८३, ५१७, ६०३,
मारवाड़ मिडिल स्कूल-परीक्षा ६२३.
मारवाड़-सोल्जर्स-बोर्ड ६१०.
मारवाड़-स्टेट प्रेस ४५४.
मारवाड़ी ४६०, ५२५, ५४४.
मारा ५६१.
मारूधरा ३५२.
मारोठ १३, ३००, ३०३, ३२६, ३६६, ३७१, ३७५, ३८२, ३६०, ४०५, ४०७-४११, ४१४, ४५२.
मार्किस ऑफ़ हेस्टिंग्ज़ ४२०.
मार्टिंडेल (मिस्टर) ४६३.
मार्तण्डसिंहजी (रीवाँ-महाराजकुमार) ५४५.
मार्सलीज़ ५५०, ५६५.
मालकोट १३७, १३८, १४३.
मालकोसनी ३६०, ३६१, ४७०.
मालगढ़ १८८, ३०८.
मालदेवजी (जयसलमेर-रावल) १३३, १३४, २१७.
मालदेवजी (राव) १६-१८, २८, २६, ११२-१२८, १२६ १५२, १५८, १६२, १६५, १७०, १७३, १७५, १७७, १७८, १६०, १६७, ३६६.
मालपुरा १४२, २८०.
मालपुरिया कलां १४४.
मालपुरिया खुर्द १४४.
मालवा ५, ८, ५४, ५७, ७६, ८६, ६१, १०२, १०३, १४४, १७०, १७६, १८६, १६७, २०२, २१६-२२१, २४३, २७२, २७६, २६५, २६८, ३४६, ३६८, ४०४, ४१४, ४१६, ५००, ६३५, ६३७.
माला (रा. चूंडा जी का पुत्र) ६६.
मालानी ७, ४७, ४८, ५५, ८६, १२१, २७१, ४२६, ४४६, ४८५, ४८८, ४६१, ४६७, ५१२, ५१४, ६१८.
मालावास ३६५.
माली ४६८.
मालूंवा २३६.
मासाई (दक्षिणी) ५६१.
मासुमकुली २८६.
माही ३४२, ३४४.
मिंटो (लॉर्ड) ५०७, ५१०, ५११, ५१४.
मिणियारी ५६८.
मिनिस्टर (कांउसिल) ५६६.
मिनैंडर ४.
मियां का बाग २१६.
मिरज़ा खाँ १७२.
मिरज़ा राजा २०५.
मिरधा ५४३.
मिलिटरी सेक्रेटरी ६२६.
मिस्र १६, ५२६, ५३०, ५३३, ५६३, ५६७, ५६८.
मींडावास ४४०.
मीठड़ी ३६१, ५६७, ५६८.
मीठी नाड़ी ४६२.
मीडोली (चारणों) १७८.
मीणा ३८, ३६, १७२, ४२६, ४३०, ४५७, ४७१, ४७४, ४७६, ४७६.
मीणा-फ़ौज (कोर) ५७५.
मीरक खाँ २६७.
मीर खाँ (डाकू) ५४२, ५४३.
मीर जुमला ३०७, ३१२.
मीर बख़्शी ३६०.
मीर मुहम्मद मासूम २२३.
मीरसिया ३६५.
मीरांबाई २०, १०३.

मुंगदड़ा २०२.
मुंगेर ८.
मुंशी ४६७, ४६६, ४७४, ४७५, ४७६–४८१, ४८२, ४८५, ४८६, ४८८, ४६४, ४६८, ५०३, ५०८, ५०६, ५१२, ५१३, ५१६, ५२१, ५४१, ५४३, ५६०, ५६७.
मुं (मु) हणोत ४६, २१४, २१५, २३१, ४०२, ४०५.
मुंहणोत नैणसी की ख्यात २१५.
मुइज़ुद्दीन २८७.
मुइनुद्दीन अहमद ख़ाँ १५१.
मुकनचंद (पंचोली) ४८४.
मुकनराज (सिंघी) ४८६.
मुकनसिंह जी (हाडा) २२२, २२३.
मुकर्रब (म) ख़ाँ २६२, २६३.
मुकुन्द (मुल्कन) ३०६.
मुकुन्ददास (खीची) २५४, २५५, २७८.
मुकुन्ददास (चांपावत) (पाली) २८१, २८४, २८६, २६८, २६६.
मुकुन्ददास (सादूल का पुत्र) (भाद्राजन) १८६, २०४.
मुकुन्दसिंह (वकील) २६४.
मुग़ल १४०, १४६, १५०, १६५, २००, २१४, २४७, २५६, २५८, २५६, २६१, २६४–२६६, २७७, २७६, २८४, २८६, ३१६, ३४३, ३५०, ३६२, ४०२, ६२७.
मुग़ल ख़ाँ २६५.
मुग़ल-बादशाहत ६४७.
मुग़ल बादशाहों के सिक्के ६३७.
मुज़फ़्फ़र (गुजराती) १७२, १८२.
मुज़फ़्फ़रअली ख़ाँ ३२१–३२३, ३३१.
मुज़फ़्फ़र ख़ाँ १५०.
मुज़फ़्फ़र शाह (द्वितीय) १११.
मुज़फ़्फ़र शाह (प्रथम) (आज़म हुमायूं) ६३–६४,
मुज़ाहिद ख़ाँ (जालोरी) २८६.
मुत्सद्दी ख़र्च ६२६.
मुनअम ख़ाँ १२७.
मुनअम ख़ाँ ३०२.
मुबारिक हुसेन (मुंशी) ४६७.
मुबारिज़ुलमुल्क ११२.
मुबारिज़ुलमुल्क ३३२, ३३७, ३३८.
मुरधर-मित्र ४५४.
मुरलीमनोहर ३३०, ३५४.
मुरलीमनोहरजी ३६८.
मुरलीमनोहरजी का मन्दिर (क़िले का) ३६४.
मुराद (शाहज़ादा) १८१, १८३.
मुरादबख़्श (शाहज़ादा) २१०, २२०, २२१, २२४–२२६, ६५१,
मुरादाबाद २६७.
मुरारिदान (कविराजा) २५, ४६४, ४६५, ४८१, ४६१, ४६४, ४६६, ५०२–५०४, ५१२, ६०१.
मुर्तजाअली १८५.
मुलतान ३, ७, ३५, ५०, ५१, ६४, ६५, ६७, १०२, २२७.
मुसलमान ६, १३–१६, ३१, ३२, ३५, ३८–४०, ४६, ४६, ५१–५४, ६०–६२, ६५, ७१, ८२, ६६, १०६, १०७, ११६, १३३, १३८, १४०, १५०–१५२, १५८, १६१, १६७, १७२, २५४, २६१, २७६, २८३, २६२, ३१०, ३१६, ३२७, ३३१, ३३७, ३३८, ३८१, ४१६, ४५५, ५०६.
मुसालिया ५५४.
मुसाहिब आला ५२७, ५३५.
मुहता ४०५, ४१७–४२०, ४२२–४२४, ४२७, ४५६, ६२८.
मुहब्बत ख़ाँ (ख़ाँख़ाँनान) ३०१.
मुहम्मद (महमूद ख़िलजी) ७४, ७७, ८०, ८२, ६१.
मुहम्मद अकबर (द्वितीय) ६३७.
मुहम्मद अमीन ख़ाँ २६७, ३४०.

मुहम्मदअली ख़ाँ ३४०.
मुहम्मद अशरफ़ (गुरनी) २८८.
मुहम्मद क़ासिम (फ़रिश्ता) १६.
मुहम्मद क़ासिम ख़ाँ (नेशापुरी) १३७, १३८.
मुहम्मद ख़ाँ (अहमदाबाद) ३३७.
मुहम्मद ख़ाँ (बंगश) ३२५.
मुहम्मद ख़ाँ (बाबी) ३४२.
मुहम्मद ग़ौस (मुफ़्ती) २६५.
मुहम्मद नसीर (कलात) ३८६.
मुहम्मद बाहलीम १३.
मुहम्मद बेदारबख़्त (शाहज़ादा) २८६.
मुहम्मद मुअज़्ज़म (शाहज़ादा) २२६-२२८, २३३-२३६, २४२.
मुहम्मद मुनीम २८६.
मुहम्मद मुशीन २८५.
मुहम्मदशाह (बादशाह) ३३५, ३३६.
मुहम्मद साम ६३६.
मूंडवा २६८, ३३३, ४१२, ५५५.
मूंदियाऊ ३२६, ३६५.
मूँदियाड़ ४४३, ४६३.
मूपा ४४.
मूलचन्द्र (यति) २४.
मूलजी ३७.
मूलनायक का मंदिर ३३०.
मूलराल (सोलंकी) ४१.
मूलराज (द्वितीय) (सोलंकी) ३७, ४१.
मूलराज (प्रथम) (मूलदेव) (सोलंकी) ११, १२, ३५-३७, ४१.
मूलसिंह (रावराजा) ४६१.
मूला ४२३.
मूला (रा० चूंडाजी का पुत्र) ६६.
मूलाजी (पँवार) ३४३.
मूहणा ४६.
मेओ कॉलिज ४६१, ४६६, ४७६, ४६६, ५०६, ५१४, ५१६, ५३३, ५३५, ५३६, ५४१, ५४६, ५५८.
मेगरासर ३७७.
मेघमाला २४.
मेघराज (रावल) १५३.
मेघराज (सिंघी) ४२४.
मेघा (कोली) ३५.
मेघा (छापर) ६८, ६६.
मेघा (सींधल) १०१.
मेघावस ४७.
मेजर (ऑनररी) ५४६.
मेटकाफ़ (मि०) ४२१.
मेड़ता ७, १८-२०, ८८, ६५, ६६, १०२, १०६, ११२, ११३, ११६-११६, १३१, १३४-१४३, १४४, १४५, १४७, १४६, १५४, १५५, १६१, १६३, १६७, १८५, १६७, २०२-२०४, २०६, २२६, २३०, २४५, २४६, २५०, २५४, २५६, २६०-२६२, २६४, २६५, २७३-२७७, २८१-२८३, २८५, २८६, २६१, २६२, २६४, २६७, २६८, ३०१, ३०३, ३०६-३०८, ३११, ३१८, ३१६, ३२४, ३२६, ३२६, ३३३, ३३४, ३३६, ३४६, ३५१, ३५२, ३५७, ३६०-३६४, ३६६, ३६७, ३६६, ३७१-३७३, ३७५, ३७६, ३७६-३८२, ३८६, ३६०, ३६२, ३६५, ४०६, ४०८-४१०, ४१७, ४३३, ४४०, ४४१, ४४६, ४८२, ४६२, ४६४, ५०१, ६०१, ६२५, ६३६.
मेड़ता की टकसाल ६३८, ६४१.
मेड़ता रोड ४८३, ४८४.
मेड़तिया १३७, १५२, १५६, १८५, १८६, २०२, २१४, २१८, २३६, २५६, २६०, २७५-२७७, २८१, २८२, २६०-२६२, ३३३, ३३४, ३५२, ३६४, ३६०, ३६६, ४३६, ६४७.
मेड़ावस ४४०.

मेड़ी ४४५.
मेड़ीवासणा १४४.
मेन (ए० बी०) (कैप्टिन) ४६४.
मेर १४, ३८, ३६, १६५, २०२, २१४, २१५, ४२६, ४७६.
मेरठ ५०४, ५०५, ५१४.
मेरवाड़ा १, ४२१, ४२६, ४३०, ४७६, ५५३, ५७५.
मेरविल्ले ४६५.
मेरा ६७, ७५–७७, ८१, ८२.
मेरुतुंग ३६.
मेल्हाना २०१.
मेवाड़ १, १६, २०, ५४, ६६, ६६–६१, ६६, ६६, १००, १०२, ११०, १११, ११४–११६, १२१, १२३, १२४, १३२, १३७, १४१, १४६, १५८, १६१, १६२, १६८, १७७, १८७, १८८, १६०, १६३, २०३, २१६, २४०, २५५–२५७, २६१–२६३, २६५, २६८, २७१, २७२, २७५, २८४, २६५, २६६, ३३५, ३४७, ३६८, ३८२, ३६७, ३६६, ४०६, ४१५, ४२४, ४२८, ४४६, ४५२, ४८०, ४६३.
मेवात १४१, २६७, ३२२.
मेवाती ३२२, ३२३.
मेसन (मेजर) ४५१, ४५२.
मेहता ४४८–४५०, ४५५–४५७, ४५६, ४६०, ४६४, ४६७, ४६६, ४७५, ४७६, ४८१, ४८२, ४८४, ४८६, ४६४, ४६८.
मेहराज ५७, ५८, ६६, ६७.
मे (म) हराब ख़ाँ २६४–२६६, २६८.
मेहा (चारण) ६८.
मेहा (रा० मालदेवजी का पुत्र) ५८
मैंबर काउंसिल ५६६.
मैकैंज़ी (D. G.) ५६३, ५६६.
मैकूनब (R. J.) ५६०.
मैक्फ़र्सन (A. D.) ५३४, ५४७, ५५१.
मैन्यारा ५८३.
मैमा ३४५.
मैला खींचने की गाड़ियाँ ६१४.
मैहमूद (बाराह) १३८.
मोग्रालका ५६८.
मोइज़ुद्दीन जहांदारशाह ३०३–३०५.
मोइज़ुद्दीन साम ग़ोरी ३४.
मोइम्माई (मीर सदर) १८५.
मोकलजी (महाराणा) ६६–७२, ७४–७६, ८१–८३, ६६.
मोकलसर २८३.
मोकलसी (मेहता) १६५.
मोगास १६७.
मोज़िर ३३७.
मोटाराजा १७१, १७२, १७४, १७५, १७८, १८६.
मोटूस ६०१.
मोडास ४३८.
मोडी ३२६.
मोडी (जोशियां) १७८.
मोडी बड़ी १०३, ३२६.
मोडी मनाणां १०६.
मोडी सूतड़ां १७८.
मोती महल ४१७.
मोतीलाल (पंचोली) ४८८.
मोतीसरा १७८.
मोतीसिंह (डकैत) ५४७.
मोतीसिंह (बाभा किशनगढ़) ४५२.
मोतीसिंह (रावराजा) ४६१, ४६६, ४८६.
मोधा ३२.
मोपा ४६.
मोमीन ख़ाँ ३४६, ३५०.
मोमीनयार ख़ाँ (मुग़ल) ४४३.
मोम्बासा ५७८, ५८४, ५८८, ५६४,

मोर ७.
मोरटऊका २४५.
मोराई १४४.
मोशि ५८०, ५८१, ५८४.
मोहकमसिंह (चांदावत) २५४, २५५.
मोहकमसिंह (चौहान) (सांचोर) ३६५.
मोहकमसिंह (जाट) ३२२.
मोहकमसिंह (जोधा) ३२६.
मोहकमसिंह (नागोर) २८६-२९१, २९८, ३०५-३०७.
मोहकमसिंह (पातावत) ३८४.
मोहकमसिंह (मेड़तिया) २७६, २७७, २८१, २६१.
मोहकमसिंह (राजा) ३०६.
मोहकमसिंह (शाही अमीर) २६२, २८१, २८३.
मोहन २७६.
मोहनदास (रा० उदयसिंहजी का पुत्र) १८०.
मोहनसिंह ३२३.
मोहनसिंह (ओसियां) ५८८.
मोहनसिंह (चांदेलाव) ३८०.
मोहनसिंह (नागोर) ३०६.
मोहनसिंह (शाहपुरा) ४०५.
मोहब्बतसिंह (रिसाला) ५६६.
मोहब्बतसिंहजी (महाराज) ४५४, ४६१.
मोहम्मद (अली) (सैयद) २७६, २७७, २८१.
मो (मु) हम्मद अकबर (शाहज़ादा) २४६, २५६, २६०-२७३, २७६, २७८, २७६, २८३-२८६, ३१६, ३१७.
मो (मु) हम्मद अज़ीम (शाहज़ादा) ३७३, ३७४, ३८६.
मोहम्मद अमीन २८१.
मो (मु) हम्मद अमीन ख़ाँ २२६, २३०, २३८.
मो (मु) हम्मद आज़म (शाहज़ादा) २६२, २६४, २७२, २७३, २८८, २८६, २६३.
मोहम्मद आदिल ख़ाँ २०७.
मोहम्मद ख़ाँ (पायंदा) १५८.
मोहम्मद ख़ाँ (हाजी) (मुंशी) ४५४, ४५५.
मोहम्मददीन (नवाब) ५६८, ५७१, ५७६.
मोहम्मद नईम २६६.
मोहम्मद मख़दूमबख़्श ४६४.
मोहम्मद मो (मु) अज़्ज़म (शाहज़ादा) २६६-२६६, २७३, २८७, २६३.
मोहम्मदशाह (अमीर ख़ाँ का नायब) ४१६.
मोहम्मदशाह (गाज़ी) (बादशाह) १६२, ३०६, ३१७, ३१६, ६५६.
मोहम्मदशाह (तातार ख़ाँ) ६३.
मोहम्मद हाशम २२३.
मोहम्मदीराज २५८, २७०, २८०.
मोहरें ६४२.
मोहि (य) ल ५७, ६३, ६४, ६६, ६७, १००, १०२.
मोहिलवाटी १००.
मोही १८७.
मौर्यवंशी ४, ७.
मौसर ५२२.
म्यूज़ियम ५१२, ५२५.
म्यूनिसिपल कमेटी ४७८, ६२५.

य

यंग (जे० डब्ल्यू०) ५४६, ५५६, ५६०, ५६४-५६७, ६०५.
यति ४४०.
यदु ३.
य (ज) दुनाथ सरकार २५१, २५५, २५७ २५८.
यप्रे ६६५.
यमीनुद्दौला २०७.
यमुना २०८, २२०, २५७, ६५४,

यवन १६१, १६२, २५३, २५८, २६१, २६२, २६५, २७५--२७७, २७६, २८२, २८४, २६०, २६२, २६३, २६६, ३०३, ३०८, ३२४, ३२६, ३२८, ३३६, ३६१; ३८१.
यशवन्तयशोभूषण २५, ४६१.
यशोधर्मा ६.
यादव ४८.
याव्हा ख़ाँ ४८८.
यारमुहम्मद ३०२.
युद्धज्वर (इन्फ्लुएंज़ा) ५२८.
युनाइटेड प्रोविंसेज़ ५५६, ५६०, ५६३, ६१५.
यू० पी० ५६७.
यूरोप ४६२, ५०३, ५१६, ५३१, ५७१.
यूरोपियन ४०३.
यूरोपीय महायुद्ध ५२३, ५२६, ५६२, ५६१, ५६४, ५६५.
योगितोषिणी (विवेकमार्तण्ड की टीका) २४.
यौधेय १२, ५५.

र

रंगराय १३६.
रंगसाल ३२६.
रंगोजी ३४६.
रघुनाथ (भंडारी) ३२०, ३२४, ३२७, ३३२, ३५२, ३५३.
रघुनाथ (राय) ३०५.
रघुनाथजी के कवित्त २४.
रघुनाथराव ३७५.
रघुनाथसिंह (चांपावत) २८८.
रघुनाथसिंह (भाटी) २४१, २५०, २५२, २५७, २५८.
रघुनाथसिंह (मकराना) ५५७.
रघुनाथसिंह (मेड़तिया) १३.
रघुनाथसिंह (राठोड़) ३४८.
रघुवंशनारायण (बाबू) ५१०.
रघुवरस्नेहलीला २४.
रघुवीरसिंहजी (बूँदी-नरेश) ५४६, ५५५.
रजत जुबिली ५६६.
रजलानी ११७.
रजवाड़ा ३७०.
रजिस्ट्रेशन (रजिस्ट्री) ४६६, ५१२, ६१०.
रठड़ा ४०.
रणछोड़ कुँवरी (बघेल) २५.
रणछोड़जी का मंदिर १७८, ३२६, ३६५.
रणछोड़दास (जोधा) २४१, २५८.
रणजीतसिंह (डकैत) ५५२, ५५४.
रणजीतसिंह (सोभावत) ४८०.
रणजीतसिंहजी (कुचामन) ४२८, ४३६.
रणजीतसिंहजी (जाम साहब) ५२६, ५४१, ५५८.
रणजीतसिंहजी (महाराज जोधपुर) ४६१.
रणथंभोर १२३, १३०, १३२, २०४, २६२.
रणधीर ६६, ६६, ७३.
रणमल्ल (राव ईडर) ६३.
रणमल्लजी (रिड़मलजी राव) १०, १५, ६६–८४, ८६, ८७, ६४, ६६, ११०, १८२.
रणरावत १६१.
रणवीरदेव ५१.
रणसी (तँवर) १०७.
रणसीसर १६७.
रतन (त्न) कुँवरिजी (भटियाणीजी ईडर) २४, २५.
रतन (त्न) पुर १०, ३६, २७६.
रतनलाल (अटल) (पंडित) ४८८.
रतन (त्न) सिंहजी (महाराज) ४६६, ५२८.
रतनसी (ऊदावत) १३८.
रतनसी (राठोड़) १३३, १३४.
रतलाम ४२, १७६, २२२, ३३०, ३२१, ४८५, ४६३, ५१५, ५३४, ५३६.
रत्नसिंह (आसरलाई) १५१.

रत्नसिंह (आसोतरा) ४३६.
रत्नसिंह (म० अजितसिंहजी का पुत्र) ३२८.
रत्नसिंह (महाराणा राजसिंहजी का पुत्र) ३८२.
रत्नसिंह (मेड़तिया) २०, १०३.
रत्नसिंह (रत्नसी) (भंडारी) ३४१, ३४६, ३४६, ३५०, ३५५.
रत्नसिंह (रा० मालदेवजी का पुत्र) १४४.
रत्नसिंह (राठोड़ राम का पिता) १७४, १८३.
रत्नसिंह (रा० वीरमदेवजी का भाई) ११२.
रत्नसिंहजी (द्वितीय) (महाराणा) ११४.
रत्नसिंहजी (रतलाम) १७८, १७६, २१६, २२२, २२३.
रफ़ीउद्दरजात ३१४-३१६, ३२८.
रफ़ीउद्दौला ३१६, ३१७.
रफ़ी उश्शान ३१४.
रलतली ५७.
रलावास १४४
रवाड़ा आसियां ६००.
रवाड़ा बारठां १४४.
रवाड़ा मयां १४४.
राँची ५५१.
रांणावास ६००.
रांणासर ६००.
रांदा ४६.
राईका बाग़ २४४, ३०७, ४१८, ४३८, ४६३, ५५८, ६०३, ६१४.
राउराडटेबल (कॉन्फ्रैंस) ५६४, ५६५.
राखीसिंह २६५.
रागसागर २३.
रागां रो जीलो २३.
राघवदेव (पुरोहित) १२१.
राघवदेव (रा० चूँडाजी का पौत्र) ८५, ८७, ८८.
राघवदेव (रा० चूँडाजी का भाई) ७६, ८२.
राघोदास (पंचोली) २०२.
राजकीय काउंसिल ५५०, ५६३, ५६४, ५७६.
राजकुमार-कॉलिज ५३३.
राजकुमार-प्रबोध २४.
राजकोट ५३३.
राजगढ़ (अजमेर) २२२, ३०३, ३५१, ३५३, ३५५.
राजगढ़ (दक्षिण) २३६.
राजगियावास खुर्द २०६.
राजधर (रा० चूंडाजी का पुत्र) ६६.
राजधर (सोनगरा) १०.
राजनगरिया ४४०.
राजपीपला १७२, २७१.
राजपुरा ३२६.
राजपूत १२८, १३०, १३१, १४०, १५६, १८२, २०५, २१५, २२२, २२४, २२५, २३१, २३८, २५७, २५८, २६६, २६७, २६६, २७७, २७६, २६०, २६७, २६८, ३०२, ३६२, ३६३, ३६५, ३७०, ३८४-३८६, ४६०, ४६५, ४६६, ५२२, ५६७, ६१०, ६२७, ६५२.
राजपूत नोबल्स (हाइ) स्कूल ५१५, ५२२, ५३१, ५५०, ५६०.
राजपूताना १, ४, ५, १८, २६, ३५, १६०, १६४, २०८, ३०१, ३६१, ३७५, ३६०, ४२८, ४३१, ४४६, ४४८, ४५२, ४५५, ४५६, ४७४, ४७६, ४८४, ४८७, ४८६, ५०३, ५०६, ५१०, ५२३, ५४६, ५६४, ५६६, ५६७, ५६६, ५७३, ६१०, ६३५.
राजपूताना इण्डियन सोल्जर्स बोर्ड ६१०.
राजपूताना मालवा रेल्वे ४६६, ४७२.
राजमल (लोढा) ४४६, ४५०.
राजमहल ४६२.
राजरणछोड़ ५०७.
राजराजेश्वर ३१२, ३१३, ३३२, ४२१, ६२६.
राजरूपक २२.

राजरूपक ख्याल २१.
राजलदे ४१.
राजसमंद २७२, २८३.
राजसिंह (आसोप) १६४, २०१, २०२, २०४, २१०, २१२, २१३, २१८, २२६.
राजसिंह (म. मानसिंहजी का बाबा) ४४१.
राजसिंह (मेड़तिया) २५६, २६०.
राजसिंहजी (किशनगढ़–नरेश) ३०३–३०६, ३५७.
राजसिंहजी (द्वितीय) (महाराणा) ३७४, ३८२.
राजसिंहजी (प्रथम) (महाराणा) २१६, २५५, २६१, २६४, २६७.
राजसिंहजी (बीकानेर) ३८७.
राजसिंहजी (राव देवड़ा) १८६.
राजस्थान १५१, १५६, १६०, १६६, १७७, २६१, २६२, २७०, ३०२, ३४८, ३५४, ३७०, ३६३, ४२८, ४४५.
राजा (रा. रायपालजी का पुत्र) ४६.
राजाधिराज ३३३–३३५, ३४०, ३४२, ३४४, ३४६, ३५१, ३५२, ३५४–३५६, ३५६–३६१, ३६३–३६५, ५०५, ६५६.
राजाबहादुर २१६.
राजिया ६२.
राजू १८३, १८४.
राजोसी ३०१.
राठोड़ ६–११, १८, २०, २७, ३१, ३३, ३७, ३८, ४२–४४, ४६–४८, ५२, ५७, ६३, ६४, ६८, ७३, ७५, ७६, ७६, ८०, ८२–८७, ८६–६१, ६५, ६७, १०१, १०२, १०४, १०६–१०८, ११६–११६, १२१, १२२, १२४, १२६, १२६–१३१, १३३–१३७, १३६–१४२, १४६, १४६, १५३, १५५–१५७, १५६, १६६, १६७, १७१–१७३, १७६, १७८, १८२, १८३, १८५, १८६, १८८–१६६, २०१, २०३, २०४, २०७, २१३, २१५, २१६, २२२–२२६, २३१, २३६, २३६–२४१, २४८–२५०, २५२–२५६, २६१–२६६, २६८–२७३, २७५, २७६, २७८, २८०, २८१, २८३, २८४, २६१, २६३, २६६–२६६, ३०१, ३०२, ३२२, ३३४, ३३६, ३३८–३४०, ३४८, ३५०, ३५१, ३५३, ३५४, ३६०, ३७३, ३७४, ३८२, ३८४, ३८५, ३८८, ३८६, ४११, ४३५, ५४१, ५४३, ६४७, ६४६, ६५३, ६५४.
राड (ढ) धड़ा ३६, २१५.
राडोद ४४४.
राणँगदेव ५७, ५८, ६६, ६७.
राणपुर ७८, ७६, ८१.
राणा (रा. राय्पालजी का पुत्र) ४६.
राणी गांव ४४१.
रातानाड़ा २४४, ३६४, ५४०, ५४१.
राधनपुर १२३, १४२, २४२, ३०६, ५४२.
राधारासविलास २५.
रानीवाड़ा ६०३.
रानीसर (फलोदी) १०८.
रानीसागर (सर) ६३, १४३, १५०, ४०६, ४४०, ४६२, ४८०, ४८२.
रानोजी (सिंधिया) ३४६.
राबड़िया ४४०.
रॉबर्ट्स-सर-फ्रेडरिक (जनरल) ४८३, ४८७.
राम १७४, १८३.
रामकरण (पंचोली) ३८०.
रामकर्ण (कवि) २२.
रामकिशन (पंचोली) ३३२.
रामगढ १५५.
रामगुण-सागर २४.
रामगोपाल (मालानी) ५०२.
रामचन्द्र (अवतार) २, ३.
रामचन्द्र (कवि) १०.
रामचन्द्र (जयपुर) २६७.

रामचन्द्र (जयसलमेर) २१७, २१८.
रामचन्द्र (दाढी) ६०, ६१.
रामचन्द्र (लाला) ५५८.
रामचन्द्र-नाम-महिमा २४.
रामदान का बाड़िया ४६२.
रामदास (जोधा) १६२.
रामदेव (रामसा पीर) ६२, १०७, १०८.
रामदेव (राव चूँडाजी का पुत्र) ६७.
रामनाथ (रतनू) ७१.
रामपदावली २४.
रामपुर ३१, ६६.
रामपुरा १५४, १६५, ३०१, ३४८.
रामप्रेम-सुखसागर २४.
रामविलास २३.
रामसर (नागोर) ६०१.
रामसर (मल्लानी) १२१, ३५३, ३६५, ३६७, ३८८, ५५८.
रामसिंह (श्रोसियां) ५७७.
रायसिंह (रा. उदयसिंहजी का पुत्र) १८०.
रामसिंह (राठोड़) २२८.
रामसिंह (बीकानेर) १५४.
रामसिंह (भाटी) २५०, २५२, २५६, २६०.
रामसिंह (राठोड़) ३२५.
रामसिंह (राम) (रा. मालदेवजी का पुत्र) १२१, १३२, १४४, १४८–१५१, १५८, १६१, १७३.
रामसिंह (रावणा राजपूत) ५४२.
रामसिंहजी (आँबेर-राजकुमार) २१६.
रामसिंहजी (जयपुर) ४४६, ४४७, ४५३, ४६३, ४७०.
रामसिंहजी (महाराजा) १७, ३५७, ३५६–३६७, ३६६, ३७२–३७७, ३७६, ३८३, ३६२.
रामसिंहजी (महाराव-कोटा) ४४३.
रामसुजसपचीसी २४.
रामसे (सी) न १०, ३६.
रामा (गांव) ५१.
रामा (श्रीमाली) ४४६.
रामानन्द (पंचोली) ३४४.
रामायण २, ३.
रामायण चित्रमय ४३८.
रामासणी १७८.
रामेश्वर महादेव २७, १६८, २४५, ४४०, ६०१.
रायगढ़ २७२, २७३.
रायचंद (जयपुर) ४०६, ४०६, ४१२.
रायण ३५६.
रायधवल ६१.
रायपाल (चौहान) ८.
रायपाल (रा. जोधाजी का पुत्र) ६६, १०३.
रायपालजी (राव) ३३, ४८, ४६.
रायपुर १०८, १०६, ११६, १३१, १४२, १४३, २७८, ३२६, ३६४, ३७६, ३८०, ३८४, ४०८, ४३६, ४५६, ४५६, ४७४.
रायमल (कछवाहा) ११६.
रायमल (जयपुर) ३५३.
रायमल (मूता) ११४.
रायमल (मेड़तिया) ११२.
रायमल (रा. मालदेवजी का पुत्र) ११२, १४४, १४८, १७५.
रायमल्ल (रायसिंह) (महाराणा) १६, ८०, ६६, १००, १२४.
रायमलजी (ईडर) १११, ११२.
रायसिंह (काठियावाड़) २४०.
रायसिंह (म. अजितसिंहजी का पुत्र) ३२८, ३२६.
रायसिंह (राव) (रा. अमरसिंहजी का पुत्र) २२६, २४३, २५३, ६५५.
रायसिंह (सीसोदिया) (राजा) २२३.
रायसिंहजी (बीकानेर) ३३, १३६, १५१–१५४, १६३, १६५, १७६, १६२.
रायसिंहजी (म. अजितसिंहजी का पुत्र) ३३२, ३३४, ३३५, ३४६.

रायसिंहजी (राव) (राव चन्द्रसेनजी के पुत्र) १६०, १६७–१६६, १७३, १७४, १८२, १८६.
रायसिना ३६३.
राव ४२४.
रावटी १७६.
रावणा राजपूत ६४३.
रावणेश्वरजी (दरभंगा) ५२१.
रावत ६६.
रावरजा बहादुर ४३६.
रावराजा ४५३.
रावल १६१.
रावल ३२६.
रावलपिंडी २४१, ४६७, ५०८.
रावलास ४६२, ४६५.
रावी १७७.
राष्ट्रकूट ८, १६, १८, ३१, ४४.
राष्ट्रकूटों (राठोड़ों) का इतिहास ६१६.
रास ३६०, ३६४, ३७१, ३७७, ३७८, ३६१, ३६८, ३६६, ४०८, ४२५, ४२७, ४३१, ४३२, ४३६, ४४४, ४५२, ४५६, ५३५, ५३६.
राहा ४४१.
रिडमल (रा० जगमालजी का पुत्र) ५५.
रिधमल (राव) (लोढा) ४३५, ४३६, ४३८.
रिनिया ३८४.
रिपन (लॉर्ड) ४७८.
रिवाड़ी २७६, ३२५.
रिवाड़ी (ठाकुरजी का तामजाम) ५५७.
रिवाड़ी फुलेरा रेल्वे ५०७.
रिवैन्यू-कोर्ट्स ६२१.
रिवैन्यू-मिनिस्टर ६१७, ६२१.
रीछोली १४४.
रीजैंसी काउंसिल ५२६, ५३४, ५३५, ५३७, ५३६, ५४१, ५४४, ५४५, ५५४.
रीडिंग (लॉर्ड) ५४३, ५४५, ५५१.
रीडिंग (लेडी) ५४५.
रीडिंग-रूम ६१६.
रीयां १०६, ११६, १३६, १४३, २१४, २१८, २७८, ३२६, ३५२, ३५४, ३५७, ३५६, ३६२–३६४, ३७५, ३६१, ३६८, ४३६, ४५१, ४५६, ४६४, ४७४, ४६४, ५०४, ५०६, ५२१, ५२४, ५३५, ६२८.
रीयां शेरसिंहजी की ३६२.
रीवां ४४६, ४५३, ५०५, ५३६, ५३६, ५४२, ५४५, ५४७.
रुणेचा ६२, १०७, २३१.
रुद्रदामा (प्रथम) ५.
रुद्रपाल ५२.
रुपये ६४२.
रुरूरिया ६४३.
रुस्तम १८, १४०.
रुहल्ला खाँ ३२४.
रुहल्ला खाँ २६५.
रूणा ८६, ६५५.
रूपचन्द (लोढा) ४४६.
रूपनगर ३०४, ३०५, ३६१, ३६४, ३७६, ३८१, ३८८, ४१६.
रूपनारायणजी ३२६.
रूपावत ३६१.
रूपावास २१५.
रूपावा (व) स (पाली) २०६, ३६४.
रूपावास (सोजत) १४४.
रूपसिंह (किशनगढ़) २२६, २५७.
रूपसिंह (म० अजितसिंहजी का पुत्र) ३२८.
रूपसिंह (रा० जोधाजी का पुत्र) १०३.
रूपसी १४४.
रूपा (रा० रणमलजी का पुत्र) ८०.
रूस ४८५.
रे (लॉर्ड) ४८१.
रेख ४१३, ४५७, ४६४, ५४२, ५४५, ६१८, ६२७, ६२६.

रेख बाब ३८१.
रेडा ११४.
रेपड़ावास १०३.
रेल्वे (जोधपुर) ६०३, ६०५, ६०६, ६०९.
रेवड़िया २०६, ४४१.
रेवाड़ा ३३७.
रेवासा १२३, १४२.
रैंदड़ी २०९.
रैज़ीडैएट ४२९, ४७२, ४७४, ४७६, ४८०, ४८१, ४८६, ४८९, ४९०, ४९४, ४९८, ५०३, ५०४-५०६, ५०८, ५१०, ५१२, ५१८, ५३४, ५४३, ५४७, ५५१, ५५२, ५५४, ५५६, ५५९, ५६०, ५६३, ५६६, ५६७, ५६९, ५७१, ५७३, ५७४.
रैज़ीडैन्सी ४६३, ४६४, ५६४.
रैज़ीडैन्सी-सर्जन ६०८.
रैटंडन (लॉर्ड) ५६४.
रैडक्रॉस-सोसाइटी ५३०.
रैण १३७, ३३३.
रैनाल्डस (ऐल० डब्ल्यू०) ५३४, ५४३, ५४७, ५५९.
रैहनडी १९७.
रोडला ५३६, ५५१.
रोडामल (मुंशी) ४८८, ५०८, ५०९, ५१२.
रोय (ह) ट ८८, ८९, २६१, ३९८, ४२४, ५२६, ५४२.
रोहड़िया ४८.
रोहतक २१९, २७९.
रोहिंसकूप ८.
रोहिणखेड़ा २०१.
रोहीचा २९१.
रौशन अख्तर ३१७, ३१८.
रौशनुद्दौला ३४१.

ल

लंका २, ५०३.
लंड (द) न ४८१, ४९६, ५०३, ५२३, ५५०, ५५१, ५५८, ५६१, ५६६, ५७०, ५७४.
लक्ष्मण १०३.
लक्ष्मण (लक्ष्मी) दास (सपट) ५१२, ५१३, ५१९, ५२१, ५२६, ५३९, ५४७.
लक्ष्मणसिंहजी (रीवां) ४५४.
लक्ष्मीचन्द (भंडारी) ४३७.
लक्ष्मीचन्द (मुहता) ६२८.
लक्ष्मीनाथ ४३३, ४३७.
लक्ष्मीनाथजी का मन्दिर ३५१.
लक्ष्मीनारायण ८५.
लक्सोर ५९३.
लखनऊ ३०, ४३९, ४४०, ५१४, ५६०, ५६३.
लखधीर (ईंदा) ३४४, ३४५.
लखबा ३९७.
लखबेरा ५५, ५६.
लखम (क्ष्म) णजी (जैसलमेर) ६४, ६७, ७३, ७४.
लछराज (परदायत) ४६२.
लच्छूसर ५७.
लडलो (कप्तान) ४२७, ४३१, ४३३, ४३५-४३८, ४४१.
लपाका खेड़ा ४६२.
लवाण १२३.
लवेरा १३१, १९२, २५०, २७८, ३६५.
लश्कर ख़ाँ १६४.
लश्करी ख़ाँ २८४.
लांबियां ३२८, ३९९, ४०८, ४१०, ४५०.
लॉरेंस (लॉर्ड) ४५५.
लाइब्रेरी (सुमेर पब्लिक) ५२५, ६१५.

लॉक (डब्ल्यू) लैफ्टिनैन्ट कर्नल) ४७४, ४८५, ४८६, ४८६.
लॉक हार्ट (जनरल) ४६७.
लाखड़थूँब १४४.
लाखणसी (रा० रायपालजी का पुत्र) ४६.
लाख पसाव २०, २५, २०८, ४४०, ४४३.
लाखा (गुडारा) ३७.
लाखा (जाम) ३७.
लाखा (फूलांनी) ३५-३७, ३६.
लाखा (रा० रणमलजी का पुत्र) ८०.
लाखा (रावल भाटी) ३७.
लाखाजी (महाराना) ७०-७२, ७५, ७६, ८१.
लाखाजी (सिरोही-रावल) १००.
लाटूच (सी० बी०) ५३६.
लाठी ४२.
लाडणूं (नूं) ६६, १००-१०२, १४२, १७६, १६५, २६८, ३८७, ५३१, ५५५, ६०३, ६२५.
लाडपुरा ३५३.
लाडवा ३६५.
लाडूनाथ (आयस) ४२४, ४२५.
लॉयल (आर० ए०) (लै० कर्नल) ५०७, ५३७, ५४१, ५४६.
लॉ रिपोर्ट्स ६२३.
लाल किला ६५४.
लालचंद (भंडारी) ४३०.
लालणा खुर्द ३६५.
लाल बाबा ६४३.
लालसिंह (म० मानसिंहजी का बाबा) ४४१.
लालसोट १४२.
लावा ४५१.
ला वैकेरी ५६६.
लाहौर १३, १५, १७४-१७७, १८१, २११, २१२, २१४-२१७, २२६, २३७, २४३, २४८, २५०, २५२, ३०३-३०५, ३५३, ४६२, ६४६.
लिखमीदास १४४.
लिटन (लॉर्ड) ४६७, ४६८.
लीगल एडवाइज़र ६२०, ६२२.
लुंब ऋषि ४७, ६५.
लुंभा ६७.
लुलूल शाही ६४३.
लुलूलिया ६३६, ६४३
लूंका (खींवा का पुत्र) १०८.
लूंका (रा. जगमालजी का पुत्र) ५५.
लूंडावास १०३.
लूंणकरण (भाटी) ५८.
लूंणकरणजी (जैसलमेर) १२०, १२१.
लूंणकर्ण (सेतरावा) ८६.
लूणा (भंडारी) १६४.
लूणावा चारणां १०४.
लूणावास ४४०.
लूनवाड़ा ५३६.
लूनी ३६, ५४, २७७, ३८६, ४७०, ४७२, ४७३.
लूनी जंक्शन ५५३, ६०३.
लेक (लॉर्ड) ४०७.
लैंकेस्टर ५६१.
लैन्स डाउन (मार्किस् ऑफ़) ४८५.
लोटनजी का मन्दिर ६०१.
लोटोती १८०.
लोडेता ४२३.
लोढा ४१०, ४२४, ४३५, ४४६.
लोदरवा (लोद्रवा) ४६, ५२.
लोदियन ५६६.
लोदी पठान १२२.
लोयाना ४७६, ४७७.
लोरड़ी (डोलियावास) १४४.
लोलावास ३५७.
लोलासणी १६७.
लोहगढ़ १४२.
लोहापौल ३६६, ४४०.
लोहावट १४८, १७०.

व

वंशावली (?) २३.
वकालत की परीक्षा ५२१.
वटोवड़ा ६७.
वणवीर (मेवाड़) १२४,
वणवीर (रा. जोधाजी का पुत्र) ९६, १०१, १०२,
वणवीरपुर १४२.
वणहड़ा ११६, १२३.
वत्सराज (प्रतिहार) ८.
वनवीरदेव (सोनगरा) ५१.
वरजांग ८३, ८६–८६, १०१, १०२, १०६, १०८.
वरजांगोत १३१.
वरदायी सेन (सैन्य) ३१, ३३, ३४.
वरसिंह (रा. जोधाजी का पुत्र) ९५, ९६, १०३, १०५, १०६, ११६.
वरसिंहदेव (बुंदेला) २०५, २०६.
वरिया ५६.
वर्मलात ६, ७.
वल ४२.
वल्लभकुल ४०४, ४४०.
वल्ल मण्डल ७.
वसन्तगढ़ ६.
वसन्तराय १२४.
वांसोलिया ५७.
वागीराम गाडूराम २४.
वाचनालय ६१६.
वॉटरवर्क्स ६१४.
वॉडिंगटन (सी. डब्ल्यू.) ५३५.
वाढेल ४४.
वानर (रा. छाडाजी का पुत्र) ५२.
वानर (शाखा) ५७.
वॉनवर्ट (आर. बी.) ५२२, ५५०
वायरलैस-स्टेशन ६१२.
वायली (एफ. बी.) ५७३.
वायली (कर्नल) ४८१, ४८६.
वॉयसराय ४६६, ४६८, ४८०, ४८५, ४६५, ५०१, ५०४, ५०५, ५१०, ५११, ५२०, ५२२, ५३०, ५३४, ५३७, ५३८, ५४३–५४५, ५६८–५७३.
वॉल्टर (कर्नल) ६१०.
वॉल्टर राजपूत-हितकारिणी सभा ६१०, ६१६.
वाल्मीकीय रामायण २, ३.
वासुदेव ६.
वास्थानजी १७४.
वाहाल (?) ३२६.
विंटरटन (लॉर्ड) ५५३.
विंढम (सी. जे.) (कर्नल) ५२३, ५२५ ५३४, ५५४, ५५६, ५६३.
विंढम अस्तपाल ५६२, ५७०, ६०७, ६१४.
विक्टोरिया (महारानी) ४५२, ४५९, ४६७, ४६८, ४८१, ४६६, ४९७, ५०२, ५०३, ५११, ६३८, ६४७.
विक्टोरिया-जुबिली वाटरवर्क्स ४६६.
विक्टोरिया-मैमोरियल ५१६.
विक्रमादित्य (चन्द्रगुप्त द्वितीय) ५.
विक्रमादित्य (महाराना) ११६, १२४, १४६.
विक्रमादित्य (रा. मालदेवजी का पुत्र) १४४.
विग्रहराज चतुर्थ (वीसलदेव) १४.
विग्रहराज (द्वितीय) ९.
विजपाल ४९.
विजयगढ़ ३०४.
विजयचन्द्र ३४.
विजयनगर २०१.
विजयभट्टारिका ६.
विजयभारती ३७४,
विजयमल (सिंह) मेहता ४५०, ४५५, ४५६, ४५९, ४६०, ४६७, ४६६, ४७५, ४७९, ४८१, ४८६.
विजयशाही ३९३.

विजयशाही पैसा ६४३.
विजयशाही रुपया ६४२, ६४३, ६४७.
विजयशाही सिक्का ६३७, ६३६, ६४०–६४३, ६४७.
विजयसिंह (चाँपावत) २६०.
विजयसिंह (जयपुर) २६३, २६४.
विजयसिंह (ठा. रीयां) ४६४, ५०४, ५०६, ५२१, ५२४, ५३५.
विजयसिंहजी (महाराज) ५६६.
विजयसिंहजी (व्रजपाल) (महाराजा) २६–२८, ३०, ११५, ३६१, ३६५–३६६, ३७१–३७६, ३८१–३८३, ३८५, ३८७–३६४, ३६६, ३६७, ३६६, ४०१, ४३६, ४४०, ६२७, ६२६, ६३०, ६३७, ६४०.
विजा (देवड़ा) १७४.
विजा (रा. वीरमजी का पुत्र) ५६.
विजा (सिवाना) ६६.
विजेमल (रा. चूँडाजी का पुत्र) ६७.
विटिक (एच. एम.) ५६७, ५७३, ५७४.
विट्ठलदास (चांपावत) २१८, २५०.
विद्यापुर ३१७.
विद्यासाल ४६२.
विद्वज्जन मनोरंजनी (मुण्डकोपनिषद् की टीका) २३.
विनगेट (आर० ई० ऐल०) ५५२.
विलर्स गौसलों ५६६.
विलायत ५४६.
विलिंगडन (लॉर्ड) ५२७, ५६३, ५६४, ५६५, ५६७, ६१५.
विलिंगडन (लेडी) ५६४, ५६५, ५६७.
विलिंगडन गार्डन ५७२, ६१२, ६१५.
विलियम इरविन २६५, ३०६.
विल्डर (एफ़) ४२५, ४३६.
विवेक विलास १०.
विश्वरूप २४.
विष्णुप्रसाद कुँवरिजी (बघेल) २५.
वीं (बी) टली ११६, ३२४, ३२५.
वीएना ५०३.
वी० ए० स्मिथ १२३, २०२, २२१, २२२, २३८, २४२, २५७, २६६.
वीक (म) पुर ६७, ८६, ६४.
वीदू ३८, ४०.
वीभाजी (जाम) ४४७.
वीरभाण २२.
वीरम (कलावत राठोड़) १६१.
वीरम (वीरमदेव) (बाघाजी का पुत्र) ११०, ११२–११४.
वीरम गांव ३४८.
वीरम (देव) जी (राव) २०, ३३, ५३–५६, ५८, ८७.
वीरमदेव (जसोल) १७६.
वीरमदेव (मेड़तिया) (राव) ११२, ११३, ११६–११६, १२३, १२८, १२६, १३१, १३४, १३८, १४१, १४२.
वीरमदेव (वीरम) (रा० सूजाजी का पुत्र) १०५, ११०.
वीरमदेव (श्यामसिंह का पुत्र) २४१.
वीरमदेव (सीसोदिया) २१६.
वीरमपुर ५६.
वीरमायण २०, ५६.
वीरा (भाद्राजण) ११६.
वीरों की मूर्तियों वाला दालान ३३०.
वीसलदेव (विग्रहराज) (द्वितीय) १२.
वृन्दावन ३३२.
वेंबले (प्रदर्शनी) ५५१.
वेदान्त पंचक २१, २४३.
वेदावड़ी कलां ४४०.
वैब (विलियम् विल्फ़र्ड) ६३७.
वै (वैरसल) (जैतावत) १७४.
वैरसल (छापर) ६६, १००.

वैरसल (रा० गांगाजी का पुत्र) ११५.
वैरसल (राठोड़) (बूदोड़) १५६.
वैरसलजी (द्वितीय) (सिरोही-राव) ४०५, ४०६.
वैरा (वैरसाल) (रा० रणमलजी का पुत्र) ८०, ८८.
वैराट (विराट) ४.
वैरिसाल (भाटी) (कुंडल) ५६.
वैरीसाल (रा० जगमालजी का पुत्र) ५५.
वैलिंगटन कॉलिज ५१६, ५२२.
वैलिंगटन माउण्टेड राइफल्स ५६७.
वैष्णव ३८१, ३८३, ४०४, ४२०, ४४०.
वैसवंशी ६.
वौई ५७८, ५८४.
व्याघ्रमुख ६, ७.
व्यास ४२१, ४२३, ४३७.
व्रज ३०, ४३६, ४४०.

श

शंकर (भाटी) १३१.
शंकर (रा० श्रासकरणजी का भृत्य) १६७.
शंकरनारायण (पारनायक) ५३८.
शंकरलाल ५२८.
शंखोद्धार ४४.
शंभाजी (शंभु) २३६, २५६, २७१–२७३, २७६.
शंभुदत्त (जोशी) २४, ४२६, ४२८.
शंभुदान (बाय भाई) ४०१, ४०६, ४०६.
शंभूसिंह (कंटालिया) ४१८, ४३६.
शंभूसिंह (चाँपावत) ५४२.
शंशेरसिंह (सरदार) ५०६, ५१०, ५३६.
शक्तावत ३०४, ३५१.
शक्तिदान (भाटी) ४३१, ४३२.
शक्तिसिंह (श्रासोतरा) ४३६.
शक्तिसिंह (देवड़ा) ३०८.
शक्तिसिंह (रा. उदयसिंहजी का पुत्र) १८०, १८३.
शक्तिसिंह (सियाली) ४५०.
शत्रुसाल (भाटी) ८६.
शत्रुसाल (हाडा) २२४, २४४.
शफ़ी ख़ाँ २८१, २८२.
शमूशेरुल मुल्क ११८.
शम्स ख़ाँ १५, ६२–६४, ६८.
शम्साबाद ३२, ३४, ६५, ६६.
शम्शामुद्दौला ३१०, ३११, ३२०–३२३, ३४१, ३४२, ३४८.
शम्सुद्दीन (अल्तमश) ६, १५, ३२, ३३.
शम्सुद्दीन (कैकुबाद का पुत्र) ४४.
शरफुद्दौला (इरादतमंद ख़ाँ) ३२५.
शराफ़ा बाज़ार ५५६.
शर्फुद्दीन हुसेन (मिरज़ा) १३६–१४१, १४५, १४६, १४६, १५५.
शहाबुद्दीन ख़ाँ २६७, २६६, २७३.
शहाबुद्दीन गोरी ६, १४, ३१, ६३६.
शाइस्ता ख़ाँ ३१६.
शाइस्ता ख़ाँ (अमीरुल उमरा) २२८, २३३, २४६.
शाकंभरी ६.
शाकंभरीश्वर ६.
शातकर्णी ५.
शामपुरा ५८८.
शालमी ३८६.
शाल्वदेश ४.
शाह ४४६.
शाहआलम (द्वितीय) ३८७, ६३७, ६३८, ६४७.
शाहआलम (मुहम्मद मुअज्ज़म) २६६, २७०, २७३, ३००, ३०१, ३०३.
शाहकुली २८६.
शाहकुली ख़ाँ (मरहम) १३८, १५२, १६३, १६४.

शाहजहां (बादशाह) १७८, १७६, १६०, १६१, २०६-२०८, २१०, २११, २१३, २१४, २१७-२२०, २२३, २२६, २२७, २२६, २३६, २४३, २४६, ६४०, ६४६-६५१.
शाहजहां (सानी) ३१६, ३१७.
शाहजहांनाबाद २७०, २६८.
शाहजहांपुर ३२२, ३३१.
शाहनवाज़ ख़ाँ २२७.
शाहपुरा २६६, ३४६, ३४८, ३५०, ४०५-४०७, ५१५, ५३६.
शाहबाज़ ख़ाँ (जोधपुर) ४५२.
शाहबाज़ ख़ाँ (शाही) १५६, १५७.
शाहसफ़ी २१४.
शाहाबाद १२३.
शिकारख़ाना ५४२.
शिकारपुर ३८६.
शिक्षा-विभाग ६२३.
शिखरा ५६, ६०.
शिमला ५२५, ५३०.
शिमाल ख़ाँ १५४-१५६, १६३.
शिल्प कला विज्ञान-शिक्षक ५५५.
शिव १०२, ४७१, ४८४.
शिवगढ़ ५३६.
शिवचंद (भंडारी) ६५.
शिवचंद (भंडारी) ४०२.
शिवदत्त (कल्ला) ४८६.
शिवदास (शाही सरदार) १५३, १६५.
शिवदास (व्यास) ४२३.
शिवनाथ २४.
शिवनाथसिंह (आसोप) ४३१, ४३६, ४५१, ४५३.
शिवनाथसिंह (ऊदावत) (नींबाज) ४३२, ४३७.
शिवनाथसिंह (कुचामन) ४१०.
शिवनाथसिंह (बगड़ी) ४२८.
शिवनाथसिंह (बेड़ा) ४८४, ४६६, ५१२, ५२०.
शिवनाथसिंह (म. मानसिंहजी का बाभा) ४४१.
शिवनाथसिंह (रीयां) ४३६.
शिवनारायण काक (पंडित) ४५६, ४५६, ४६७, ४६६, ४७५, ४७६, ४८२, ४८६.
शिवपुराण (चित्रमय) ४३६.
शिवबाड़ी ४६६.
शिवरहस्य (चित्रमय) ४३६
शिवराज (रा. चूंडाजी का पुत्र) ६७.
शिवराज (रा. जोधाजी का पुत्र) ६६, १०३.
शिवराजोत १३१.
शिवलाल (पुरोहित) ४८८.
शिवलाल (बख़्शी) (जयपुर) ४११.
शिवसिंह (बलूंदा) ४१०.
शिवसिंहजी (सिरोही-राव) ४१६, ४४५, ४५४.
शिवाजी २३३-२३५, २३८, २३६.
शिशुपालवध ६.
शीतलदेव १५.
शीराज़ी राव घाटे ४०७.
शीलुक ७.
शुंग ४.
शुजा (शाह) (शाहज़ादा) २२०, २२३, २२७-२२६, ६५०, ६५१, ६५५.
शुजाअत ख़ाँ २४०.
शुजाअत ख़ाँ (कारतलब ख़ाँ) २८१-२८६, २८८, २६७, २६६.
शूरसिंह (जोधा) १६२.
शूरसिंह (देवड़ा) १८६.
शूरसिंह (म. भीमसिंहजी का चचेरा भाई) ४०४.
शूरसिंहजी (सवाई-राजा) २७, २८, १७४, १७७-१८१, १८३-१८७, १८६-१६६, २०१, ६२७, ६२६.
शृंगार चौकी ३७१, ५१८.
शेक्सपीयर (कर्नल) ४३०.
शेख़ २४६, २५६, ३३६.
शेखा (पूंगल-राव) १०५.

शेखा (रा. सूजाजी का पुत्र) १०८, ११०, ११२–११४.
शेखा (शंकर का पुत्र) १६७.
शेखावत २४४, ३०५, ३७७, ४०५, ४०७, ४४५.
शेखावतजी का तालाव २४४, २५०, ३६६.
शेखावाटी १९, १२६, १४२, ४४५.
शेरख़ाँ (बाबी) ३४२.
शेरगढ़ ५८, ६६, ८६, १०३, १७८, २४५, ३२९, ३५७.
शेरशाह (शेरख़ाँ) १६, १२०–१२३, १२६–१२८, १२९–१३२, १३६, १४१, १४२, १४५, १५० १६२, ६३७.
शेरशाही सिक्के ६३७.
शेरसिंह (कुचामन) ४८४, ४९४.
शेरसिंह (म. विजयसिंहजी का पुत्र) ३९०, ३९४, ४०१, ४०४.
शेरसिंह (मेड़तिया) ३३३, ३३४, ३५७, ३५६, ३६२–३६४.
शेरसिंहजी (महाराज) (कर्नल) ५९६.
शेरों के छाया-चित्र खींचना ५८६, ५८७.
शैतानसिंह ५४०, ५९९.
शोभितजी ५३, ५४.
श्यामकरण (कागाणां) ४१६.
श्यामराम २१.
श्यामविहारी मिश्र (पंडित) ५१९, ५२०, ५२४, ५२६, ५२८.
श्यामसिंह (खंगार) ३२३.
श्यामसिंह (चाँपावत) ३८०.
श्यामसिंह (मेड़तिया) २०२, २४१.
श्रीकृष्ण ३, ५.
श्रीकृष्ण (जोशी) ४२३.
श्रीकृष्ण शर्मा २३.
श्रीनगर ५३६.
श्रीनाथजी रा दोहा २३.
श्रीपत ६५.
श्रीमद् भागवत की भाषा टीका २४३.
श्रीमाली ब्राह्मण ४४६, ४६६.
श्रीरामचन्द्र विजय २४.
श्रीहर्षचरित ६
श्वभ्र ५.

ष

षट्दर्शन-अदालत ४६३.

स

संखवाय ५०६, ५५१ ५६६, ५६८, ५७०, ५७४, ५७६, ५९६.
संगमरमर ५५७.
संग्रामसिंह २७७.
संग्रामसिंहजी (द्वितीय) (मेवाड़) ३१५, ३३५.
सआदत ख़ाँ (दक्षिणी) १८३.
सआदत ख़ाँ (आगरा) ३२०, ३२१.
सईद बंदर ५९४.
सगतसिंह (रावराजा) ५३८, ५९९.
सगता ८०.
सगर (मेवाड़) १६१.
सच्चियाय १५९.
सज्जनसिंह (म० मानसिंहजी का बाभा) ४४१.
सज्जनसिंहजी (महाराणा) ४७७, ४७८.
सतलज ३, २२६.
सत्ताजी (राव) ६६, ६९, ७०, ७३, ८३, ८५, १०१, १०८.
सथलाणा ४०८.
सदरलैंड (जोहन) (कर्नल) (A. G. G.) ४३१–४३७, ४४३, ४४४.
सदानन्द (त्रिपाठी) २४.
सनवाड़ ३८८.
सनवाड़ा ४७५.

सपादलक्ष ६.
सफ़दर ख़ाँ (बाबी) २८८-२९०.
सफरा २९६.
सफ़ीयतुन्निसाँ बेगम २८६.
सबलसिंह (चांपावत) ३७९, ३८०.
सबलसिंह (जयसलमेर) २१७, २१८, २३१.
सबलसिंह (राठोड़) २३१.
सबलसिंह (रा० शूरसिंहजी का पुत्र) १९८, १९९.
समईगाँव १४२.
समदड़ाउ-इरंडिया ३२६.
समदड़ी २९०, ५५३, ६०३.
समदोलाव कलां ६०१.
समनशाह की दरगाह ३२६, ३६५.
समरथराज (सिंघी) ५५६, ५५९.
समरवाइल (डाक्टर) ५०७.
समरा ८४.
समराखिया ४७.
समावली १५१, १७०.
समीरमल (सेठ) ४७९.
समुद्रगुप्त ५.
समूगढ़ २२५.
समेल २८२.
सरखेजड़ा ४४१.
सरदार इन्फैन्ट्री ४९९, ६२५.
सरदारपुरा ६१२, ६२६, ६३०.
सरदारमल (मेहता) ४८६.
सरदारमल (राव) ४५९.
सरदारमल (रावराजा) ४८४.
सरदार मारकेट ३९४, ५१३.
सरदार म्यूज़ियम ५२५, ६१५.
सरदार रिसाला ४८२, ४८७, ४९७, ५०१, ५०४, ५०५, ५१०, ५१७, ५२३, ५२६, ५३६, ५३८, ५४०, ५४१, ५५१, ५५५-५५७, ५६२, ५७०, ५७१, ५७२, ५९५, ६२५, ६२६, ६३०.
सरदार समन्द ५१५, ५६०, ६११.
सरदारसिंह (रावराजा) ४६१.
सरदारसिंह (म० विजयसिंहजी का पुत्र) ३९४.
सरदारसिंहजी (किशनगढ़) ३७२, ३७३.
सरदारसिंहजी (महाराजा) २९, ८८, ४७०, ४७८, ४८३, ४८५-४८८, ४९२-४९४, ४९७, ४९८, ५०२-५०५, ५०७-५१२, ५१५, ५१६, ५१८, ५२५, ५३३, ५३६, ५४७, ६०१, ६१५, ६३८.
सरदारसिंहजी (रूपनगर) ३८८.
सर प्रताप स्कूल ४९६.
सरब (बु) लन्द ख़ाँ २५८, २६१.
सर बुलन्द ख़ाँ (अहमदाबाद) ३१२, ३१६, ३३२, ३३६-३४२, ३४४.
सरवाड़ १५८, ३०५, ४०८.
सरवाड़पुर २७५.
सरहिन्द २८०, ३०२, ३५६.
सराई (मुसलमान) ५०, ४७५.
सराय अलीवर्दी ख़ाँ ३२२, ३३१.
सरेचां २७१.
सरोपाव ६३२.
सर्वदेव २१९.
सलखाजी (राव) ३३, ५३-५४.
सलखावासनी ५३.
सलाबत ख़ाँ (जुल्फ़िकार जंग) ३६०, ३६१.
सलाबत ख़ाँ (बख़्शी) ६५२, ६५३.
सलामी की तोपें ४६८, ४६९, ५३७.
स (सा) लावास ३३७, ३६४, ४०१.
सलीम (शाहज़ादा) १७९, १८०.
सलीम (सेना-नायक) ६४, ७२, ७४.
सलूंबर ३७४.
सलेमकोट २५२.
सवाई राजा १८५, १९६-१९८.
सवाई राजा (जयसिंहजी) ३३५, ३५३.
सवाईसिंह (नींबाज) ४३६.

सवाईसिंह (पौकरण) ३८४, ३९०–३९२, ३९६, ३९७, ४०२, ४०४, ४०६–४१३.
सवाईसिंह (रावराजा) ४९२.
सवालख (क) ९, १४, १५, ७४.
ससेनियन (सिक्के) ५, ६३५.
सस्ते नाज की दूकानें ५५९.
सहजपाल ८.
सहयोग-समिति ६०६, ६१९.
सहरिया (सराई) १०७.
सहवान ५६.
सहसमल ६६, ८५.
सहसा ११९.
सांई ४४१.
सांखला ५६, ५७, ६३, ६४, ६८, ८५, ८६, ९०, ९१, ९४, ९८, ३४८.
सांगा (ब्राह्मण) १६०.
सांगा (संग्रामसिंह) (प्रथम) (महाराना) १६, २०, १०३, १०९, १११, ११२, ११५, १२०, १२६, १४६.
सांगा (सागा) (रा० सूजाजी का पुत्र) ११०.
सांगासणी ३९५.
सांगीदास (थानवी) ५३६, ५३८.
साँचोर १०, १२, ३५, ३९, १२३, १४२, २००, २०१, २६२, २७०, २७१, २८६, ३२९, ३६५, ५५६, ५७३.
सांडा ८०.
सांडेराव २७८, ४४९.
साँभर ६, १२, १४, १५, ३६, ६३, ६४, ७४, ९९, १०१, १०२, १०५, १२३, १३८, १४२, २०४, २२६, २६४, २६५, २७३, २९६–३००, ३०५, ३२०, ३२२, ३२४–३२६, ३३१, ३४८, ३५१, ३५६, ३६५, ३६६, ३७५, ३७९, ३८१–३८३, ३८९, ३९०, ३९९, ४०९, ४१४, ४२२, ४२९, ४३५, ४५५, ४५८, ५६७, ६३५, ६४७.
सांभरी राज ९.
सांवतराम (जोशी) ४३०.
सांवतसिंह (खेरवा) ४४८.
सांवतसिंह (नींबाज) ४२७.
सांवतसिंह (म० विजयसिंहजी का पुत्र) ३६४, ४०४.
सांवतसिंह (रावराजा) ४६१.
सांवतसी (डाभी) ४२.
सांवतसी (रा० जोधाजी का पुत्र) १०३.
सांवलदास (मेवाड़) २६७.
सांवलदास (रीयां) १३६.
साकड़दा ३९८.
साकड़ा ४७१, ४७५, ४७६.
साकड़ावास १०३, १४४.
साजी ३२९.
साटीका २४५.
साटी (ठी) का कलां १०३.
साठीका ६८.
साठोर ३०३.
सातल (चौहान) १५, ५२.
सातलजी (राव) ९३, ९७, १०३, १०४, १०५–१०७.
सातलमेर १०५, १२७, १४२, १४३.
सातलवास २५९.
साथीण १०९, ४२४, ४३१, ४३२.
साथूणी चारणां ६२१.
सादड़ी १८८, १९०, ४४६.
सादा (पुरोहित) ६५.
सादा (भाटी) ६६.
सादा (रा० शूरसिंहजी का भृत्य) १९६.
सादासर ६६.
सादा सरोपाव ६३३.
सादिक़ ख़ाँ १७१.
सादी पाली ४९८, ५०२.
सादुल्ला ख़ाँ (शेख़) २५९.

सादूल १८६, २०४.
सादूल (कूँपावत) १५८.
सादूल (रा० गांगाजी का पुत्र) ११५.
साबरमती ३३७–३३६.
सामन्तसिंह (सोनगरा) १५, ५१.
सामन्तसिंह (सोनगरा) ५१.
सामन्तसिंहजी (किशनगढ़) ३६८, ३७२.
सामलिया (सोड) ४३.
सामा (भाटी) ३५.
सामेतरा ४३.
सायबजी (पटेल) ३६७.
सायर ८०, ६०७.
सारंग खाँ १०१.
सारंगदेव २०५.
सारंगपुर ७७, ७६.
सारंगवा ४४०.
सारग्राहिणी (मुण्डकोपनिषद् की टीका) २३.
सारड़ा (श्रीयुत) ३३६, ३५२.
सारण (न) ११४, १४३, १५८, १५६, १६७, १६८, १७८.
सारस्वत १७२.
सारूड़ा ३४७.
सालमसिंह (पौकरण) ४१, ४२०, ४२४.
सालसिंह (राना) ४७६, ४७७.
सालोड़ी ५४, ५८, ५६.
सावर ३५१.
सावो ५७६.
सावो के मनुष्य-भक्षक ५७६.
साहिबचंद (मुहता) ४०५, ४१६, ४२२.
साहू (भोंसले) ६५०.
साहू (राजा) ३४२, ३४३.
सिंगला १६७.
सिंगीड़ा ५८२.
सिंगोरिये की भाकरी ३८३.
सिंधण १३३, १३४.
सिंघी २५३, ३७७, ३८७, ३६२, ३६७–३६६, ४०१, ४०२, ४०६, ४०६–४११, ४१३, ४१५–४१६, ४२३–४२८, ४३०, ४३५–४३७, ४४७, ४४८, ४५०, ४५१, ४५६, ४५६, ४८८, ४८६, ४६४, ४६६, ६२६.
सिंध (धु) प्रदेश ४–८, १३, ५०, ५४, ५६, १२६, १२७, १७१, २२७, ३८४, ३८५, ३८७, ४१६, ४२६, ४४३, ४४४, ४४८, ४८८, ४६८, ५०७, ५५८, ६०३, ६३६.
सिंध (नदी) ३.
सिंघड़ी ६१८.
सिंधिया १४४, ३४६, ३६४, ३६५, ३६७, ३७२, ३७३, ३७६, ३८०, ३८१, ३८७–३८६, ४०४, ४०६, ४०७, ४१०, ४११, ४२१, ४२२.
सिंधी ३६४.
सिंधुराज १०.
सिंधुराजेश्वर १०.
सिग्राना ५६१.
सिकन्दर खाँ ११२, १२२.
सिक्के ४५२, ६०६.
सिक्ख ३०१, ३०२, ३१०.
सिणगार चौकी ३७१.
सिणला ४७७.
सिणली ४५०.
सिद्धगंगा २३.
सिद्धदानसिंहजी (म० मानसिंहजी के कुमार) ४३१, ४४१.
सिद्धपुर ३३७.
सिद्धराज (जयसिंह) १२, ३७.
सिद्धान्ततोषिणी (गीता की संस्कृत टीका) २४.
सिद्धान्तबोध २१, २४३.
सिद्धान्तसार २१, २४३.
सिनाई ५६७.

सिनेमा घर ६१२.
सिरढा ६७.
सिरमूर ३०३.
सिरसा १२५, ६५६.
सिरिया खाँ १०५.
सिरियारी ८६, १५३.
सिरेका कुर्व ६३२.
सि (सी) रोड़ी ४४०, ६०१.
सिरोही १, २, ६, ५१, ६३, ७७, १००, १०१, ११३, ११५, १४२, १४७, १५८, १६८, १७३–१७५, १८२, १८६, २३१, २४४, २५३, २५४–२५६, २६७, २७०, २७१, ३३७, ४०५, ४०६, ४१५, ४१६, ४१६, ४२२, ४२६, ४३०, ४४५, ४४६, ४५४, ४५६, ४६५, ४८५, ४६४, ४६६, ५१०, ५२५.
सिलहखाना ५४२.
सिल्वर जुबिली-ब्लाक ६०६.
सिवा ६.
सिवानची दरवाजा ३६४.
सिवाना १०, ५२, ५४, ५५, ८६, ६६, १०२, ११६, १२१–१२३, १३१, १४०–१४३, १४७–१४६, १५१, १५३, १५४, १५६, १५७, १६२, १६३, १६५, १७३, १७५, १७६, २५०, २५१, २५६, २६१, २६४, २७०, २७१, २७३, २७७, २७६, २८२, २८३, २८६, ३२६, ३३४, ३६६, ३७५, ३६१, ३६२, ४३६, ४४०, ४४७, ५१४, ५७३, ५८०, ६००.
सिवानी ५८०.
सिहाड़ २४०.
सींगणा ११०.
सींगासणा ४४०.
सींधल (जाति) ७३, ८०, ६१, ६६, ६७, १०१, १०८–११०, ११६, १३५, १४२, १७३, १८८, २१६.
सींधलवाटी १७३.
सींधा ८०.
सींधोली ३६८, ३७१.
सीकर २०४, ४०५, ४८५, ४६०, ४६४, ५३०, ५५२–५५४, ५५८.
सीकरी १४१, ३१६, ३१७.
सीतली १४४.
सीतामऊ ४२, १७६, ५११.
सीयादां ६६.
सीलोन ५०३.
सीविस्तान ३८६.
सीसोदनी २२४.
सीसोदनीजी (माजी) ५४५, ५४७.
सीसोदरी २०६.
सीसोदिया ७६, ८४, ८७, १२४, १३७, १७३, १८८, २०४, २०५, २१५, २१६, २२३, २५५, २५६, २६१, २६२, २७२, २७६.
सीहमल ५२.
सीहा (मेड़ता) १०६.
सीहाजी (राव) १६, ३१–३५, ३७–४२, ४४, ४६, ४७, १११.
सीहाराव का खेड़ा ३२.
सुन्दरदास (राठोड़) १६२.
सुन्दरदास (सिंघी) २५३.
सुन्दरसेणोत २६३.
सुकालनाथ २४.
सुखदेवप्रसाद (काक) (पंडित) ४८२, ४८४, ४८८, ४६४, ४६७, ५०२, ५०४, ५०५, ५११, ५१३, ५३५, ५३७, ५४१–५४३, ५४५, ५४६, ५५०, ५५३, ५६५.
सुखराज १५३.
सुजानगढ़ ५१२, ६०३.
सुजान (णा) सिंह (चांपावत) २६८.
सुजानसिंह (जोधा) २८२.
सुजानसिंह (धवेचा) २५६.
सुजानसिंह (बूँदेला) २२३.

सुजानसिंह (भाटी) ३६५.
सुजानसिंह (सीसोदिया) २२३.
सुजानसिंहजी (बीकानेर-नरेश) ३४७.
सुतला ४४०.
सुभानकुली खाँ (तुर्क) १५३, १६५.
सुमेर-केमल कोर ५३२.
सुमेर पब्लिक लाइब्रेरी ५२५, ६१४, ६१६.
सुमेरपुर ५२५.
सुमेर पुष्टिकर स्कूल ५२१, ५२५, ५४८.
सुमेरमल ४२६.
सुमेरमल (सिंघी) ४६४.
सुमेर समंद ५३१, ५७६, ६११, ६१३, ६१४.
सुमेर समन्द वाटर सप्लाई चैनल ५७६, ६११, ६१३, ६१४.
सुमेरसिंहजी (महाराजा) १८, ४६७, ४६८, ५१२, ५१५, ५१८–५३५, ५६५, ५६५, ५८६, ५६६, ६१५, ६३८.
सुमेर (माली) स्कूल ४६८.
सुमेल १२६, १३०, ३६८.
सुरजड़ा ५८.
सुरजां २७७.
सुरतराम (आसोपा) ४४४.
सुरतान (भाटी) (लवेरा) १६२.
सुरतान (महाराव, सिरोही) १६८, १६६, १७३–१७५, १८२.
सुराणी ११५.
सुलतान ६३६.
सुलतानसिंह (चौहटन) ५५८.
सुलतानसिंह (नींबाज) ४१८, ४२३.
सुलतानसिंह (बीकानेर) १५४.
सुलतानसिंह (म० अजितसिंहजी का पुत्र) ३२८.
सुल्तानसिंह (रावराजा) ४६१.
सुवर्ण के सिक्के (मोहरें) ६४२.
सुवर्ण के सिक्कों पर के कुछ लेख ६४४, ६४५.
सुवर्णगिरि १०.
सुवाप ६८.
सुहराब खाँ (मीर) ३८५.
सूंडा ४६.
सूंधा ६, १०, ३६, १६५.
सूआ ८७.
सूकरलाई १४४.
सूजा (चाणोद) १०६
सूजा (बालेचा) १३७
सूजा (रा. चन्द्रसेनजी का भृत्य) १५३.
सूजाजी (राव) (सूरजमलजी) ८६, ६७, १०३, १०५–१११, ११२, ११३.
सूडान ५७७.
सूदा ३४२.
सूरजकुंड १६८.
सूरजकुंवरी (बाईजी) ५३६. ५४५
सूरजपौल (नई) ३६६.
सूरजप्रकाश २२.
सूरजप्रकाश (वातल) (पंडित) ४८७, ५४६.
सूरजबख्शसिंह ५४१.
सूरजमल (खरवा) ३८६.
सूरजमल (खींवा का पुत्र) १७२, १८५, १८६.
सूरजमल (गौड़) ३५३.
सूरजमल (चौहान) ५२६.
सूरजमल (जाट नरेश) ३६१–३६३.
सूरजमल (मुहता) ४२३.
सूरजमल (राठोड़) २८१.
सूरजमल (सिंघी) ४०६.
सूरजमल (सिंघी) ४६४.
सूरजमल (सीसोदिया) २१६
सूरजमलजी (ईडर) १११.
सूरजवासणी १४४,
सूरजसिंहजी (राव, बीकानेर.) १६२, २०५.
सूरत १८६, २८६, ३०३, ३३७, ३४२, ३४५.
सूरतसिंह (चाँपावत) ३७३.

सूरतसिंहजी (बीकानेर) ३६०, ४०७, ४११, ४१४-४१६.
सूरपालिया २०६, ३२६.
सूरपुरा (बाँध) ५३१.
सूरपुरा ईंटावा ३२६.
सूरसागर १६३, १६८, २०६, २४४, २६६, ३५८, ४३६, ४४८, ४६३, ६०३, ६१५.
सूरा (मांगलिया) १८३.
सूराचन्द ३६, ११३, २६१.
सूरावत १३१.
सूर्यमल्ल ७१, ७६.
सूवा १२५.
सेंट जॉन ऐंबुलैंस ५३०.
सेंट जॉन (एच्० बी०) ५३४.
से अस्पा ११३.
सेखाला ५६, ८६.
से (शे) खावत ११६.
सेढाऊ ४४१.
सेणीदान २४.
सेतकँवर ४०.
सेतराम ३२-३४, ३६, ४०.
सेतरावा ५६, ५८, ८६.
सेना-विभाग ६२५.
सेपां की बासनी १०३.
सेरेंगेट्टी ५८४.
सेवकी ११३.
सेवग ११५, ३८४.
सेवस्तान २८६.
सेवाराम (राजा) २२१.
सेवासार २३.
सेशल्स ५७८.
सैंबरीमल (पुरोहित) ४४४.
सैटलमैंन्ट ५४४, ६१७, ६१८.
सैयद १३८, १७३, २०२, २५१, २७६, २८१, २६६-२६८, ३०६, ३०७, ३११, ३१२, ३१४, ३१६-३१६, ३२१, ३२२, ४४१, ६५०.
सैयदबेग (तोकबाई) १५३, १६५.
सैलाना ४२, १७६. ४६५, ५१०, ५२१.
सैशन कोर्ट ५४८, ६२०, ६२३.
सैसमल (महारावल, सिरोही) ७७.
सोगावास १४०,
सोजत ५१, ७०, ७३, ७५, ८४, ८५, ८७-९०, ६३, ६७, १०२, १०३, १०७, १०६, ११०, ११४-११६, १४१-१४४, १४८-१५०, १५२, १५३, १५८, १५६, १६१, १६२, १६७, १६८, १७३, १७८, १८०, १८३, १८७, १९५, १६७, २०६, २१५, २२५, २४५, २५०, २५४, २६४, २६५, २७३, २७५, २७६, २८१, २८४, २६२, ३०८, ३२६, ३३३, ३४६, ३६४, ३६६, ३७५, ३७६, ३७६, ३८०, ३६०, ३६६, ४०६, ४१८, ४४०, ४४१, ४४६, ४८२, ४८४, ५०१, ६००, ६२०, ६२५, ६३६, ६४२, ६४६.
सोजत की टकसाल ६३८, ६४१, ६४२.
सोठेलाव १८०.
सोढ़ा ४५, ५०, ५१, १२८, १४२, ३८४.
सोढ़ास शामपुरा ४४०.
सोढी ६७.
सोनग (रा. सीहाजी का पुत्र) ३४, ३६, ४१, ४३, ४७, १११.
सोनग (सोनिग) (चांपावत) २५०, २५३, २५५, २५६, २५६, २६२, २६७, २७१-२७४, २७६.
सोनग (सोभागसिंह) (म. अजितसिंहजी का पुत्र) ३४८.
सोनगढ़ ३४७.
सोनगढ़ (जालोर) १६४.

सोनगरा १०, १५, ५१, ५२, ७३, ७४, ८०, १२४, १३१.
सोनगरी ६३.
सोना ६३२.
सोनाई माजी ५६८.
सोभ ४५.
सोभड़ावास २०६.
सोभागसागर १६८.
सोभावत १८२, ३७३, ४६५.
सोम (चौहान) ५२.
सोमदेव (कवि) ३६.
सोमनाथ (मंदिर) (गुजरात) १३.
सोमनाथ (सोमेश्वर, पाली) १२, ३६.
सोमलदेवी (चौहान) ६३६.
सोमलदेवी के सिक्के ६३६.
सोमसिंह ११, १२,
सोमालीलैंड ५७७.
सोमे ५६५.
सोमेश्वर (घाटी) ८४.
सोमेश्वर (चौहान) ६३६.
सोमेश्वर (परमार) १०.
सोमेश्वर के सिक्के ६३६.
सोरठ ३०५, ३०७, ३०६, ३१७, ३१६.
सोरों २३२.
सोलंकी ७, १०–१२, १४, ३२, ३५–४१, ५०, ५२, १२३, १८७, १८८.
सोहड़ ४५.
सोहनलाल (मुंशी) ३५१.
सोहनसिंह (म. मानसिंहजी का बाभा) ४४१.
सोहराब ख़ाँ ३४५, ३४८, ३४६.
सोहिंतरा ५२६.
सौभाग्यदेवी १६८.
सौराष्ट् ३६.
स्कन्दगुप्त ५.
स्कॉटलैंड ५५१.
स्टांप ४६७, ६१०.
स्टील (कर्नल) ४७२.
स्टील (कैप्टिन) ६५५.
स्टील (सर जॉन) ५६७, ५६८.
स्टेट काउंसिल ५२६, ५५६, ५५६, ५६५, ५७०, ५७६.
स्टेट होटल ६०४.
स्टेडियम ६१२.
स्ट्राँग (एच्० एस०) ५५१, ५५३, ५५६.
स्ट्राँग (ए० डी०) (कैप्टिन) ५१६.
स्ट्राँग (मेजर) ५६५.
स्ट्रेटन (लै० कर्नल) ५१०.
स्रवणी ७.
स्मॉल कॉज़ कोर्ट ६२१, ६२२.
स्यालकोट ६५१.
स्वरूपदेवी १४३.
स्वरूपसागर १४३.
स्वरूपसिंह (म० मानसिंहजी का बाभा) ४४१.
स्वरूपों के कवित्त २३.
स्वरूपों के दोहे २३.
स्वामी (साधु) १७८, २४५, ३२६, ६०१.
स्वास्थ्य (हैल्थ) विभाग ६०७.
स्विट्ज़रलैंड ५०३.
स्वेज़ (नहर) ५६५, ५६८.

ह

हंसराज (जोशी) ४५६.
हंसाबाई ७१, ७२, ७५, ८१, ८२, ८७.
हज़ूरी दफ़्तर ६१८.
हटरी ३८६.
हटीसिंह (मेगरासर) ३७७.
हड़बू ८६.
हड़बूबासनी १६७.
हतूँडी ४४०.
हथूँडिया (जाति) ४३.

हथूँडिया (हसत) (रा० रायपालजी का पुत्र) ४६.
हथूँडी (गांव) १०, ४४.
हनवतचन्द (भंडारी) ४८२, ४६४.
हनवन्तसिंहजी (महाराजकुमार) ५४६.
हनूतसिंह (राओराजा) ५३८, ५४२, ५६०, ५६८, ५७४, ५६६.
हबश २७६.
हबूशी १८४, २००.
हमीदुज्ज़फ़र ख़ाँ ५०५, ५०८.
हमीदुल्ला ख़ाँ (मुंशी) ४८६, ४६४, ४६८.
हम्मीर (झाला) ६६.
हम्मीर (रा० जगमालजी का पुत्र) १०७, १०८.
हम्मीर (रा० सूजाजी का पौत्र) १३२, १४३.
हम्मीरसर १७१.
हरकचंद (यति) ४२४.
हरकरण (नाजर) ६४२.
हरखमल (ढड्ढा) ४६७.
हरचन्द ६६.
हरजी ४५०.
हरजीवन (मेहता) ४५६, ४५७, ४५६.
हरडक (हरखा) ४५.
हरदयालसिंह (मुंशी) ४७५, ४७६, ४८१, ४८५, ४८८, ५०३.
हरदास (ऊहड़) ११३, ११४.
हरदास (महेशदास का पुत्र) १८३.
हरदास छोगाला (करतर) ३५.
हरद्वार २१२, ३०३, ४४८, ४६६.
हरनाथ (जोधा) २८१.
हरनाथसिंह (मांडणोत) ३८४.
हरनामदास (मुंशी) ५०६, ५१३, ५१६, ५२२, ५२१.
हरबोर्ड ५६६.
हरमाड़ा १३६.
हरराज (देवड़ा) १७४.
हरराज जी (रावल, जैसलमेर) १३४, १५७.
हरराजिया १७२.
हरराम २२८.
हरलायां १६७.
हरविलास सारड़ा ७१, ११२, ३७२.
हरस ४४०.
हरसोर ३२६, ३७६.
हरसोलाव ३७३, ४०८, ४१३, ४१६, ४३१, ४५६.
हरा १७१.
हरावास ४४०.
हरि-जस गायन २४.
हरिदास ६५.
हरिपदावली २४.
हरियाडाणा ४१३.
हरिराज ६, १४.
हरिवंशपुराण ८.
हरिश्चन्द्र (प्रतिहार) ७.
हरिश्चन्द्र (जयचन्द्र का पुत्र) ३१, ३३, ३४.
हरिसिंह (चांदावत) २५४.
हरिसिंह (चांपावत) ३०८, ३१०.
हरिसिंह (मेड़तिया) १८६.
हरिसिंहजी (महाराजकुमार) ५६०.
हर्बर्ट (ई० जी०) ५७३.
हर्षनाथ ६.
हर्षवर्धन ६.
हलका पैसा ६४३.
हलवद ३१०.
हवाई अड्डा ६१२, ६१३.
हवाई जहाज़ ५४८.
हवाई जहाज़ का क्लब ५६४.
हवाला ६१७.
हशाम (ख़लीफ़ा) ७, १३.
हसन अबूदाल २४१.
हसनअली २६२.
हसन ख़ाँ ७५.

हस्तिकुंडी ४४.
हांसी ३०२.
हांसी हिसार २३३, २४३.
हांसोट ८, १३.
हांसोल ३३६.
हाई स्कूल ४६७.
हाकड़ा (नदी) ३.
हाकड़ा (प्रान्त) ३.
हाकिम ६२१, ६२२.
हाजी ख़ाँ १३६, १३७.
हाजीपुर ३०५.
हाजी मोहम्मद ख़ाँ (मुंशी) ४५४, ४५५.
हाडा २२२–२२४, २४४, २७८, २७६, २६४, ३३४.
हाडी ६३, १२०, २४४.
हाडी (रा० अमरसिंहजी की रानी) ६५४.
हाडीजी (माजी) ५२७.
हाडीपुरा २४४.
हाडेचा ३२६.
हाडोती १६५, २४३.
हाथ का कुरब (बे) ६३, ६३२.
हाथी के शिकार का तरीका ५८६–५६१.
हाथी सरोपाव ६३२.
हापा ८०.
हामिद ख़ाँ २६४, २६५, २६७, २८२, २८४, ३३२.
हार्डिज (जनरल) ४८०.
हार्डिंज (लॉर्ड) ५२२, ५२६.
हाशिम (सैय्यद) १५४.
हिंगोल (गांव) ६५.
हिंगोला (मेवाड़ी) ८७.
हिंडनबर्ग ५६६.
हिंदौ (दौ) न १२३, १४१, २०७, २६७, ३२४.
हिंदाल ख़ाँ ४०८.
हिंदुस्था (स्ता) न ४, १६, १२६, १३१, १४५–१४७, १६०, १६२, १८५, १६७, २२५, २३६, २४६, ३७०, ४४८, ४६६, ४६७.
हिदुस्था (स्ता) नी ४३३.
हिन्दू ६५, १२७, १२८, १५२, २२५, २३५, २४७, २५१, २६१, २६२, २६२, ३२७.
हिंदू युनिवर्सिटी (विश्वविद्यालय) ५२१, ५२६.
हिम्मत ख़ाँ २६१.
हिम्मतसिंह (खेजड़ला) ४५०.
हिम्मतसिंह (मुंशी) ५६०, ५६७.
हिम्मतसिंह जी (महाराजकुमार) ५५०.
हिसार १०१, १०३, ५१२.
हिस्ट्री ऑफ़ राष्ट्रकूट्स (राठोड़्स) ६१५.
हींगोला (गांव) ६५.
हीरक जुबिली ४६६.
हीरालाल (मुंशी) ४७४, ४८२, ४६४.
हीरावाड़ी ११७.
हीरावास (सोजत) २४५.
हीरासिंह जी ५०८.
हुमायूं १२२; १२३, १२६–१२८, १३६, १४१, १४५, १४६, १५०.
हुएनसंग ६.
हुक्म (कम) नामा ४५५–४५८, ५२२, ५४२, ६२८, ६२६.
हुनावास ४४४.
हुरड़ा ३४७.
हुल ७०, ७३.
हुसैनअली ख़ाँ २४६.
हुसै (हस) न अ (कु) ली ख़ाँ (सैयद) ३०६, ३०७, ३१३, ३१४, ३१६, ३१७, ३१६.
हुसैनकुलीबेग १४१, १४६–१५१, १६१.
हुसैन ख़ाँ (सैयद) २६७, २६८.
हुसैनशाह ६६, १००.

हूण ५, ६३४, ६३५.
हेग (मेजर) ५०६, ५०६.
हेनू ५६७.
हेम कवि २०.
हेमचन्द्र ३६.
हेमसिंह (ठाकुर) ५०६, ५६८.
हेमसिंह (मेजर) ५७०.
हेमावास ५१५.
हेला होल्डन ५६८.
हेवर्ड (ई० डब्ल्यू०) ५७७, ५८१, ५८३, ५८८, ५६२.
हैदरअली (मीर) २४.
हैदरकुली खाँ ३०६, ३२०, ३२१, ३२३, ३२५.
हैदराबाद (सिंध) ३८६, ४६८, ५०७.
हैनरी लारेंस ४४६.
हैनसन् (जी० आई० जी०) (कैप्टिन) ५२६.
हैफ़ा १६, २०, ५२६, ५६२, ५६३, ५६७.
हैमिल्टन (कर्नल) ५३५, ५३७.
हैल्थ ऑफ़ीसर ६२५.
हैसियत ५१२, ६१६.
होम (डब्ल्यू०) ४७२, ४७३, ५०२, ५०८.
होम मिनिस्टर ६०७.
होम्स ५६८.
होल्कर ३४६, ३४६, ४०४, ४०६, ४०७.
होशंग ७२.
हौर्न्सबी ५६८.
ह्यू (हीयू) सन अस्पताल ४७४, ४८२, ५५१,
ह्यूसन (एफ० टी०) ४७४, ४८०.
ह्यूसन गर्ल्स स्कूल ४७४.